Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Patron

Shri Rajendra Prasad Gupta

RAS (Rtd.), Govt. of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Editor in Chief

Dr. Pankaj Gupta

Lecturer, Govt. P.G. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur (Raj.)

Editors

Dr. Sanjay Kedia

Asst. Principal, IIERD, Jaipur (Raj.)

Dr. Archana Bansal

Lecturer, Govt. S.S. School, Jaipur (Raj.)

Co-Editors

Dr. Shiv Kumar Mishra

Lecturer, Govt. P.G. College, Kota (Raj.)

Dr. Jagadeesh Giri

Asst. Prof., University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Shikha Sharma

University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Ms. Deepshikha Parashar

Assistant Professor, The IIS University, Jaipur (Raj.)

Advisory Board

Prof. P.N. Shastry

Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Prof. Kaushal Kishore Mishra

Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)

Prof. Miroljub Jevtic

University of Belgrade, Belgrade

Prof. Rajeev Gupta (Rtd.)

University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. T. Srinivasu

RTM University, Nagpur (Maharashtra)

Prof. K.G. Sharma

University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. P.S. Bhatnagar (Rtd.)

University of Rajsthan, Jaipur (Raj.)

Prof. B.L. Fadia (Rtd.)

JNV University, Jodhpur (Raj.)

Dr. Vimal Prasad Agarwal

Ex-Chairman, RBSE, Ajmer (Raj.)

Prof. M. Pareek (Rtd.)

University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Inakshi Chaturvedi

University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. S.K. Sharma

Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.)

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

A Note from the Editor's Desk

Human Nature contemplates and frame empirical explorations to stipulate his own thought to seek the correct path. The desire to expand knowledge driven by curiosity is the fundamental of research. The urge to explore and examine the methods of research contributed in the evolution of human civilisation and substantiate human beings as researcher. New exploration and research can lead to a better understanding of the world around us. The research has great importance and improves quality of life. Research cater to the people and needs of various fields like education, health, pharmacy, engineering which is indispensible. The teacher of humanities and social sciences takes a passive role in the critical area of research. They follow the dogmas blindly which is wrong. If the education is not forward looking, it runs the risk of being outdated. Teachers in the contemporary scenario must be equipped to explore and investigate new avenues of knowledge for creative and systematic study among scholar.

During the last couple of years, the insistence of UGC on research has promoted academic excellence and quality research. At least now there is proliferation of academic journals which has increased the quantity in research. But there is a long way to go for enhancing the quality in the research. A good quality research paper includes substantial input with elaborative description of the research rather than only writing few pages on research undertaken. As research should be capable of finding the answers to the things, filling gaps in the knowledge and changing the thought process with undefeatable arguments in the more scientific manner. Such research is more relevant. A constant effort is being made by us through this journal as a step forward towards progressive research. Now it is up to the readers to evaluate and assess the productivity of our efforts. Beside this we look forward for valuable suggestions from our readers in making this journal more effective and useful.

Editors

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Contents

S.No.	Particulars	Page No.
1.	**Is Demonetization Strategy of Modi Government's Fruitful Tool Against Corruption and Black Money?** Dr. Manu Chaudhary, Manoj Kumar and Dr. Renu Chaudhary	1
2.	**The Nonviolence of Gandhi and Buddha** Prof. Sushma Yadav and Harish Kumar	7
3.	**Shifting Paradigms: Men Vis-à-vis Feminism** Gopal Verma	12
4.	**South Asian Free Trade Agreement: Problems and Prospects** Dr. B.L. Saini	16
5.	**Rehabilitation of Trafficked Children in India: Socio and Legal framework** Pooja Suman	23
6.	**A study of Investment Behavior of Working Women with Special Reference to Jaipur** Dr. Indu Jain and Ms. Ashmi Chhabra	29
7.	**Violence Against Women : Emerging Judicial Trends** Dr. Parmanand Sharma	34
8.	**Indian Economic Development: A Study of the Changing Pattern of Development Ethics** Ms. Anindita Chakraborty	38
9.	**Surrogate Motherhood: An Instrumental Mechanism for a Safeguard the Rights of Surrogate Mother** Suman Paliwal	43
10.	**Urbanization and Environmental Status of Jaipur Urban Complex** Dr. Ganesh Sharma	47
11.	**An Evaluative Analysis of Training Effectiveness among Administrative Officers in Rajasthan** Dr. P.S. Bhatnagar and Ms. Preeti Agrawat	53
12.	**Violation of Credibility of Negotiable Instrument and The Position of Minor** Dr. Rachana Katta	59
13.	**Locational Analysis of Hotel Industry (A Case Study of Jaipur District)** Dr. Pawan Aswal	63

S.No.	Particulars	Page No.
14.	**Medical Negligence (A Global Crime against Noble Profession)** Dr. Jhaber Singh Shekhawat	67
15.	**Representation of De-notified and Nomadic Tribes in Print Newspapers: A Critical Study of Media Language in Rajasthan** Geeta Shahu	72
16.	**An Analysis of Agriculture Sector in Rajasthan** Ms Sapna Newar and Dr. Nidhi Sharma	76
17.	**Quality Assurance and Higher Education** Ravinder Kaur	82
18.	**Concept of Legitimacy in Muslim Law** Dr. Rajkumar Saini	86
19.	**Parenting Styles and Locus of Control As Predictors of Adolescent's Emotional Intelligence** Dr. Megha Arya	90
20.	**Patanjali Yoga and Hatha Yoga: A Detailed Comparative Study** Dr. Ramakant Mishra	94
21.	**Women in Indian Politics** Dr. Neha Bhartiya	99
22.	**Doctrine of Promissory Estoppel : Emerging Trends in Modern India** Dr. Vikas Mishra	105
Book Review		
	Genetically Modified Diplomacy: The Global Politics of Agriculture Biotechnology and the Environment Chandraveer Singh Bhati	109
23.	**वैदिक काल में नारी की स्थिति** डॉ. प्रदीप कुमार कौण्डल	112
24.	**झारखण्ड के कँवर आदिवासियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणाएँ एवं मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाएँ** मीना कुमारी एवं शमशेर आलम	118
25.	**काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय प्रणाली का इतिहास एवं विकास** शंकरसिंह पोटलिया	127
26.	**भारतीय राजनीति में वंशवाद : एक विश्लेषण** अरुणा शर्मा	131
27.	**भारत के संदर्भ में क्षेत्रीय संघर्ष तथा सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महाशक्तियों की भूमिका** डॉ. दीपिका कुमारी	136
28.	**शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता** श्रीमती ज्योति खत्री	142

S.No.	Particulars	Page No.
29.	**नेहरू का प्रजातांत्रिक समाजवाद : आर्थिक न्याय का एक प्रतिमान** कैलाश चन्द सामोता	146
30.	**गुटनिरपेक्ष आंदोलन : कल, आज और कल, उसका बदलता हुआ स्वरूप एवं प्रासंगिकता** डॉ. राम चन्द्र	155
31.	**अलवर जिले में जल संसाधन व जल संरक्षण की परम्परागत विधियों का शोधपरक अध्ययन** नरेन्द्र सिंह	161
32.	**नई सदी में भारत चीन सम्बन्ध** चन्द्रकला शर्मा	167
33.	**प्राचीन जल-प्रबंधन के उपायों का जोधपुर के विशेष संदर्भ में विश्लेषण** मीनाक्षी	171
34.	**पश्चिमी राजस्थान में दलित पाक विस्थापितों की नागरिकता एवं पुनर्वास : अम्बेडकरवादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय** डॉ. मेहरा राम	175
35.	**रामायण में शासन पर जनता व जनमत का नियंत्रण** डॉ. कर्मवीर सिंह	179
36.	**अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र के आर्थिक-राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण** रूखमणी	183
37.	**ब्रिटिश कालीन भारत में पंचायत राज व्यवस्था: एक विश्लेषण** शालिनी	186
38.	**राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधन** डॉ. हेमा ठाकुर	192
39.	**आई.एस.आई.एस. आतंक का विश्व पर प्रभाव** डॉ. कौसर फिरदौस जाफरी	197
40.	**बालश्रम समस्या एवं मानवाधिकारवादी परिप्रेक्ष्य** डॉ. मृदुला शर्मा	202
41.	**खुले एवं बन्द संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन** डा. अलका पारीक	206
42.	**भारत में महिला अधिकारों का सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण** विनीता कुड़ी	211
43.	**भारत में महिला विधिक अधिकार** डॉ. मीनाक्षी माहेश्वरी	213
44.	**योजना आयोग का पुनर्गठन : केन्द्र-राज्य बने 'टीम इंडिया'** रघुवीर सिंह मौर्य	218

Is Demonetization Strategy of Modi Government's Fruitful Tool Against Corruption and Black Money?

Dr. Manu Chaudhary

Former Assistant Professor of Management, Beehive College, Dehradun

Manoj Kumar

Second in Command, BSF, Researcher CPCS

Dr. Renu Chaudhary

Former lecturer of Management, Academy of Management Studies Dehradun

Abstract

On 8 November 2016, Mr. Narender Modi, Prime Minister of India announced that Rs 500 and Rs 1000 notes would cease to be legal tender from midnight of same date. The decision of banning Rs 500 and Rs 1000 was taken to minimize corruption and black money. It was a bold step taken by him against black money hoarders and corrupt people and was appreciated by majority of Indians. In his televised address, to clear confusion regarding exchange of defunct currency bills, Mr. Narender Modi released a statement that Rs 500 and Rs 1000 notes are to be deposited in banks and post offices from November 10 till December 30. There will be no restrictions in any other form of currency exchange by cheques, demand drafts and electronic fund transfers. He also urged people to support him in his fight against corruption and black money. Soon after this announcement there were huge crowd in ATMs across the country. The main focus of this article is to study the impact of demonetization on Indian economy.

Keywords: *Demonetization, Black Money, Money Laundering, Corruption, Economy*

Introduction

Demonetize means to withdraw from use of currency notes hence demonetization signifies that currency note of that particular denomination will be withdrawn from use and that will become scrap of paper. But this has not happened for the first time in India, "In 1946, Rs 1,000 and Rs 10,000 banknotes were withdrawn. In 1954, Rs 1,000, Rs 5,000 and Rs 10,000 notes were reintroduced but again demonetized in January 1978". [1]

There were basically three main reasons for demonetization of Rs 500 and Rs 1000 notes by Government:

- Counterfeiting of Indian Notes.
- Terror Financing and funding through fake currency.
- Nullifying Black Money. As:

The biggest winner in the demonetization of Rs 1,000 and Rs 500 notes would be the counter terrorism operations of law enforcement agencies, as India is the only country where counterfeit notes of these denominations were raised, moved and used for "terrorism" and "economic warfare" by a sovereign state, Pakistan, and its intelligence agency, ISI.[2]

Our enemy Pakistan uses fake currency to finance terror. Most of fake Indian currency is printed in Pakistan and then smuggled through Indian borders especially from porous border of Bangladesh and Nepal. As we know Pakistan is playing a big role in Kashmir, funds are pushed by ISI to finance terrorism in Kashmir and this all is done through money laundering and even

donations received in cash from Gulf countries:

Money laundering is an alternative or parallel remittance system, which works outside the circle of banks and formal financial systems. Money laundering has been made illegal in many countries, as it is seen to be a form of money laundering and can be used to move wealth anonymously. As money laundering transactions are not routed through banks they cannot be regulated by the government agencies and have thus emerged as a major cause of concern. This network is being used extensively across the globe to circulate black money and to provide funds for terrorism, drug trafficking and other illegal activities. In India, FEMA (Foreign Exchange Management Act) 2000 and PMLA (Prevention of Money Laundering Act) 2002 are the two major legislations which make such transactions illegal.[3]

It is the only way to transfer unaccounted money, does not need any identity proof and hence is used for the circulation of black money:

According an Intelligence Bureau report, every year almost Rs 100 Crore INR is being funneled from Pakistan to Kashmir through hawala channel to create trouble in the state. The funds go straight to separatists who distribute it among young men to take part in protest rallies against security forces. Stone pelting is also being funded by the separatists. Intelligence Agencies report says that trained terrorists are also taking part in protest rallies targeting police and paramilitary men.[4]

Demonetization has nailed money laundering business and in turn has proved to be a powerful tool in stabilizing Kashmir and bringing it to normal. The money stored through money laundering business and terrorist operatives is always in the form of big currency denominations which will now become waste piece of paper. It will be a severe blow for them and at least for some year's Indian government will get relief from these problems.

What is Corruption in monetary terms?

Corruption is use of public power for private gains. "Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others"[5]

Economist Ian Senior defines corruption as an action to, "(a) secretly provide (b) a good or a service to a third party (c) so that he or she can influence certain actions which (d) benefit the corrupt, a third party, or both (e) in which the corrupt agent has authority."[6] Daniel Kaufmann, from the World Bank, extends the concept to "include ‹legal corruption› in which power is abused within the confines of the law, as those with power often have the ability to make laws for their protection."[7]

Black Money

Black money is the money that is not fully or legitimately the property of the 'owner'. Money obtained through corruption is 'black money' as it is an undisclosed income. If we talk about black money, it implies money which is liable to be taxed but has evaded taxation. The Black money problem is not new in India; it was there since before independence when only some hoarded excess of wartime profits "Its illegitimate source is bribe, smuggling, black-marketing, selling commodities at prices higher than the controlled prices, taking pugree for house, shop, etc., selling house at a high premium price but showing it at much lower price in the account books, and so on".[8] The 2016 Panama Papers scandal is the largest-ever leak of information on black money in history.[9] This black money is moving out of the India and is being deposited in foreign banks. "The total amount of black money deposited in foreign banks by Indians is unknown. Some reports claim a total of US$1.06 trillion is held illegally in Switzerland."[10] "In February 2012, the director of India's Central Bureau of Investigation said that Indians have US$500 billion of illegal funds in foreign tax havens, more than any other country".[11] This is such a huge amount that if this money can be brought back by the Indian Government, it can change Indian scenario.

Corruption and black money are the major obstacles in the growth of our country India as money is being hoarded by some corrupt officials, businessman and politicians. This corruption has spread like virus so till this disease is not cured; the efforts of eradicating poverty may be a distant dream as it is weakening the efforts to remove poverty. "In 2015, India was ranked 76th out of 168 countries in Transparency International's Corruption Perceptions Index, compared to its neighbors Bhutan (27th), Bangladesh (139th), Myanmar (156th), China (83rd), Nepal (130th), Pakistan (117th) and Sri Lanka (83rd)."[12]

The step of demonetization is fruitful strategy adopted by the present government to remove corruption and black money. By means of de-monetizing the 500 and 1000 currency notes, about 85% of the total currency value in circulation will have to be exchanged at the banks–or tattered as waste by its owners. "The demonetization of the currencies will curb the fake currency and cripple terror financing and strengthen India's financial and banking infrastructure, as well as bring almost all of India into the formal banking system."[13]

The implicit understanding is that "black money" consists of hoards of cash which are held in trunks or pillowcases or buried under the earth. With this understanding, it is then suggested that if 500 and 1000 rupee notes are demonetized, then people going to banks to exchange large amounts of old notes for the new legal tender would make the banks suspicious; and banks in turn would convey their suspicions to the tax authorities who would then catch the culprits. "Black money" would thus get exposed, and this would discourage further transgressions in future. [14]

Impact of Demonetization

Decrease in Inflation: Demonetization will help to bring down inflation. "If the black money goes out of the system the money supply will shrink to some degree. This will reduce inflation rate in the absence of any open market interventions by the Reserve Bank of India."[15] There will be decrease in inflation as demonetization will lead to decrease in purchasing power. Black money also increases purchasing power as peoples want to get rid of extra income earned by illegal means like corruption. So as black money will be nullified inflation will automatically decrease.

Decrease in Money supply: Money supply will decrease as people with black money occupied by illegal means will be prosecuted by the government. Corrupt peoples will be afraid of being tracked and identified by income tax department so they will not go for exchange and deposit in banks, they will try to destroy it.

Boost in Bank Deposit: Lot of money will be deposited in bank and so banks will have enough money for lending due to increase in deposits. "Transactions will now begin to move to white economy through the banking system which means there will be surge in bank deposits. Even savings in terms of deposits will go up." [16]

Decrease in Interest rates and Easy availability of Loans: Denomination of currency will result in lowering the interest rates. Banks will have enough money to disburse it as loan and thus money supply will increase in market which will again create inflation. There will positive impact on business due to easy availability of loans and low lending rates.

Reduction in Fiscal deficit: Government earnings will increase due to tax payment which will lead to reduction in fiscal deficit. High Fiscal deficit leads to inflation so demonetization will prove an effective tool to control inflation.

Disadvantages of Demonetization

- Although demonetization is a bold and positive step taken by the government, a certain degree of trouble and pain is unavoidable. It caused inconvenience to common people as soon as it was announced; all India was in line of ATMs. The long frustrating wait by the peoples outside the bank and ATMs is unavoidable result of demonetization. There is maximum circulation of high denomination notes which were declared invalid by the government, people were left with no cash.

- Frustration of public is the big negative impact on populist politics of recent demonetization as peoples are waiting for many hours in long queue outside the banks and still some are getting no money due to less supply of cash.
- The new series of Rs 2000 and Rs 500 currency notes has already been issued by central bank but ATMs are not calibrated for these series and hence unable to meet the demand of public. Each and every ATM in the country needs to be calibrated and for this physical calibration is required by ATMs operators and that need a lot of time. The rate of calibration is nearly 22 thousand ATMs per day of the total 02 lacs of ATMs in the country.
- Being a marriage season all the families in which there was marriage were badly affected, even groom is seen standing in the line outside ATMs.
- People are getting Rs 2000 currency notes from bank but they are not getting exchange of this Rs 2000 currency notes recently launched by the government in market. Hawkers and shopkeepers are not having exchange of Rs 2000 rupee currency note due to scarcity of notes of lower denomination. Mainly there is shortage of Rs 100 rupee currency as most ATMs and banks are giving out Rs 2000 rupee currency note. How can people buy vegetables with Rs 2000 note when the purchase is merely of Rs 50-100.
- Daily workers were left with no money so no job. Due to shortage of money circulation employers were not having funds to pay their daily workers.

Advantages of Demonetization

- This decision of demonetization will help to control corruption and black money. The black money hoarders were left with no option, but to declare the unaccounted income and pay tax or destroy it. Exchange of money can only be done by identity proof like aadhaar card, driving license, voter ID card, Passport, PAN card by which government can easily track the money which was exchanged in banks.
- There will be reduction in illegal activities such as terrorism, smuggling etc., fake currency and black money has been stopped that resulted in lack of funds available for terror and other illegal activities. The impact is seen in terrorism activities in Jammu and Kashmir, North East and Naxal, which reduced suddenly after demonetization announcement.
- There will be increase in tax payment as hidden income has to be disclosed for tax.
- Income Tax Department is keeping eyes at all transactions in bank that will help in tracking the black money. If a person deposits more than Rs 2.5 lakhs than he will automatically come under income tax surveillance.

The Worst Effected Sectors

Real estate will be the worst effected as this is the preferred investment of Indian consumers for their black money. Property prices will be lowered automatically due to demonetization effecting negatively to the real estate business.

As and when there are economic crisis people switch towards gold, so the increase in demand of gold will increase in price of gold leading a positive impact on its business. But in long term even prices of gold will go down due to transparency in trade and purchase of this metal. There will be negative effect on retail due to lack of funds and lack of exchange. Demands of luxury items will also decrease as people disposes excess of income earned by illegal means in purchasing luxury items. E commerce sector like Amazon, Flipkart etc., will boom due to lack of cash, funds will be mostly transferred electronically. Vendors do not have money to conduct business or pay daily wages. Automobiles sector will also be affected to some extent.

Short Term Pain , Long Term Gain

"The sucking out of all currency notes of denomination Rs 500 and 1000 that formed

86% of all cash transactions could impact short-term consumption but will eventually benefit the country."[17] It is sure that demonetization will cause inconvenience in short term due to lack of money circulation but there will be long term gains. The sector where cash is the main instrument for transaction will suffer with deflation but in long term the economy will shift from black to white. Another benefit is reduction of nonperforming assets, "a critical constraint that is holding up the flow of bank credit for private sector investment in the country."[18] Cash coming in will lead to higher current and savings account. There will be more money with banks which will lower the interest rate. There will be easy availability of loans at low rates which will help business to go at ease; people will also get home loans and other loans at lower rates in long run. Prices of real state will fall, especially for sales of properties where major part of the transaction is cash based, rather than based on banks and this cash is mostly in the form of black money.

The GDP will be affected due to lowering of consumer demand but as cash circulation will improve it will become normal. "In the long run, say within 2 years, this move combined with goods and services Tax legislation will help in pick –up and take the country's growth to the double digit level". [19]

Conclusion

Although this is a positive and praiseworthy step but there was lack in preparations. No doubt the black money was hampering the growth of Indian economy and its control was required for the growth and this is perhaps the bold step taken in this direction. Demonetization will lead to high tax collection, less corruption, more transparency and our economy will switch to transparent economy. It will curb fake and black currency as well as terror financing will also come to halt. Banking system will become formalized as business like hawala will be nailed by demonetization.

The businessman in India is compelled to generate black money to gratify the politicians and bureaucracy to get their activities done with ease. Government should adopt more formal reforms to deal with the situation. More strict rules should be passed against these corrupt people in order to avoid black money. In case of real state the stamp duty and tax on capital gains should be reduced to lessen the burden on common citizen. There was shortage of currency notes of small denomination which created lot of problem so this should have been planned earlier and this should be brought in attention of central bank much earlier.

References

1. The live Mint. (Nov. 16, 2016). Rs500, Rs1000 notes may be back, if history is a guide. Available at: http://www.livemint.com/Politics/uzZItqeHdMPHHgFjaq2BnM/A-history-of-demonetization-in-India.html
2. Neeraj Chauhan (9 Nov. 2018). Government deals a blow to ISI's fake note war on India" , *The Economic Times.* Available at: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/government-deals-a-blow-to-isis-fake-note-war-on-india/articleshow/55327386.cms
3. Narula, Nandan. *What is Hawala? All you want to Know about Hawala*. Available at: http://www.n2moneymatters.com/2011/03/what-is-hawala-all-you-want-to-know.html
4. Jitendra Bahadur singh (14 July, 2016). According to an Intelligence Bureau report, Pakistan sends almost Rs 100 crore to Kashmiri separatists and stone pelters to create trouble in the Valley*", India Today.* Available at: http://indiatoday.intoday.in/story/pakistan-funding-kashmir-unrest-through-hawala-intelligence-report/1/714633.html
5. http://thelawdictionary.org/corruption/ (accessed on 08 November 2016)
6. Senior, I. (2006). Corruption - The World's Big C., Institute of Economic Affairs, London.
7. Kaufmann, Daniel; Vicente, Pedro. (2005). Legal Corruption. World Bank. Available at: http://siteresources .worldbank.org/ INTWBIGOVANTCOR/Recourses/Legal_corruptiom.pdf (accessed on 09 November 2016).
8. Mondal, Puja. *Black Money in India: Meaning, Concept, Magnitude and Measures to Control Black Money.* Available at http://www.

yourarticlelibrary.com/corruption/black-money-in-india-meaning-concept-magnitude-and-measures-to-control-black-money/39349/. (accessed on 09 November 2016).

9. Panama Papers: *mass protests in Iceland call for PM to quit – as it happened*. Available at https://www.theguardian.com/news/live/2016/apr/04/panama-papers-global-reaction-to-huge-leak-of-offshore-tax-files-live. (accessed on 10 November 2016).
10. Nanjappa, Vicky. (31 March 2009). *Swiss black money can take India to the top.* Available at http://election.rediff.com/interview/2009/mar/31/inter-swiss-black-money-can-take-india-to-the-top.htm (accessed on 10 November 2016).
11. India 'loses $500bn to tax havens. *BBC News*, Available at: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-17013314 (accessed on 16 November 2016).
12. How corrupt is your country? *Transparency International.* Available at: https://www.transparency.org/country/#I**ND** (accessed on on 15 November 2016).
13. AB Wire (11 Nov. 2016). Demonetization to destroy illegal money worth $50 billion, black money to enter banking system*. The American Bazar* Available at: https://www.americanbazaaronline.com/2016/11/11/demonetization-will-push-illegal-money-into-formal-banking-system-419295/. (accessed on 14 November 2016).
14. Patnaik, Prabhat (Nov. 9, 2016). Demonetization: Witless and Anti-People*. The Citizen*. Available at: http://www.thecitizen.in/index.php/NewsDetail/index/1/9151/Demonetization-Witless-and-Anti-People (accessed on 12 November 2016).
15. Sharma, Yogima Seth (Nov. 12, 2016). Move to demonetize economy will help bring down inflation: Arvind Panagariya" *The Economic Times* Available at: http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/move-to-demonetize-economy-will-help-bring-down-inflation-arvind-panagariya/articleshow/55368242.cms. (accessed on 14 November 2016).
16. Ibid
17. Venkatesh, Mahua. (Nov. 10, 2016), Demonetization will benefit everyone in the long run: FM Jaitley", *Hindustan Times* Available at: http://www.hindustantimes.com/business-news/demonetization-will-benefit-everyone-in-the-long-run-fm-jaitley/story-QUFoTW8GERS6HvZ3PMWV2M.html. (accessed on 12 November 2016).
18. Economist see short-term pain, long term gain. (Nov. 15, 2016). *The Hindu.*
19. Ibid

The Nonviolence of Gandhi and Buddha

Prof. Sushma Yadav

Professor of Policy and Governance, IIPA, and UGC Member, New Delhi

Harish Kumar

Research Scholar, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

The unique contribution of Mohandas Karamchand Gandhi is not in the field of nonviolence or ahimsa as is generally believed but in the field of nonviolent protests. Buddhaand Mahavir had the unique and pioneering contributions in the field of nonviolence in the world and they included all living beings unlike Jesus Christ. Buddha was more holistic when it came to defining nonviolence while the views of Swami Mahavir, founder of Jain faith, were extremist or impractical. In this paper, researchers won't be going into the idea of nonviolence, according to the Jain faith. The aim of the paper is to juxtapose the views of Gandhi and Buddha as regards nonviolence, the similarities in view and the divergences, if any and what they considered comprised of violence. Before we come to their respective views pertaining to nonviolence, let us first look into the reasons why and how they grappled with this ever relevant issue of violence or nonviolence besetting mankind. To begin this analysis, we deal with their first experiences with nonviolence. Buddha had early emphasis on the importance of nonviolence, wanton killings made no sense to him. He took the help of logic and compassion to challenge it. During childhood when his cousin and a prince Devdutt shot at a swan, young Siddharth nursed the injured creature and refused to give it to Devdutt, giving the reason that he'd saved it so it belonged it him. Devdutt shot back that he had brought it down so it belonged to him. Both princess had held their ground. Not to let the bird slip away from him, which Devdutt considered his game, the matter was referred to the king and king decided in favour of prince Siddharth. So, a prince at a very young age, born in a warrior kshatriya clan chose to be on the side of nonviolence, compassion and parity between mankind and animal kingdom. Gandhi on the other hand was born in a Vaishnava family, whose cultural values emphasised on pure vegetarian food and a typical Hindu way of life filled with rites and rituals. Vaishnavas are worshippers of Vishnu.In the four-fold hierarchical Hindu classification of people, he belonged to the third tier from the top, that is, he was born in the Vaishya Varna. Vaishyas are generally considered peace loving as they are into businesses. Thus, it is seen that the family values of Gandhi favoured nonviolence and pacifism, his cultural background wasn't antagonistic to the idea unlike Buddha's. Buddha had no such roots. He went outside the moral compass of his clan to espouse nonviolence. Paper will talk about why and how.

Keywords: *Buddha, Gandhi, Nonviolence, Political Strategy, Mind, Maitri and Karuna*

Introduction

It will be clear by studying two historical personalities that their choice of nonviolence as a policy was clearly different. While Gandhi developed it as a fruitful weapon to attain political ends, as part of his novel idea of Satyagraha that is "Truth (Satya) implies love, and firmness (Agraha) engenders and therefore serves as a synonym for force[1]. In Gandhi's own words, 'I thus began to call the Indian movement 'Satyagraha', that is to say, the Force which is born of Truth and Love or nonviolence[2].' See

Gandhi equates love with nonviolence meaning if love were present there would be no violence and if violence were present, there could be no love. Note also he considers Satyagraha as a force born of truth and love. For Buddha, there is no coercion, no force, no compulsion, no manipulation let alone violence even towards the most wicked people on earth. As Buddha had only *maitri* (loving kindness, unilaterally) and *karuna* (compassion) for the most cruel and violent people on earth in India at that time.

For instance,towards his own cousin, Devdutt; Ajaatshatru, the king of Magadh; who had made attempts on Buddha's life many times at the behest of Devdutt. Ajaatshatru is supposed to have starved his own father to death and an umpteen number of members of priestly class who were jealous of Buddha's popularity as the business of conducting rites and rituals and animal sacrifices was waning, it was simply a case of lost livelihood for them so they criticised him and set on ridiculing and scheming against the enlightened one; ferocious elephant Naalgiri, Yaksha Aalvaka, and that death in the form of a human being, Angulimaal, who had killed 999 people and made a garland of their fingers, all of the above plotted, hated and schemed against Buddha but with no luck. Buddha with his infinite maitri, karuna, equanimity and forbearance finally was able to turn them around only exception being Devdutt. All rest took refuge in Buddha finally. Buddha's conduct towards them was nothing extraordinary just the way he treated others with love and affection so he treated them.

For Gandhi nonviolence means for attaining political objectives was paramount as his withdrawing of non-cooperation movement after the violent incident in Chauri Chaura in 1922 clearly shows. The top leadership of congress was extremely upset with this decision[3]. However, for Gandhi attaining freedom through violence was worse than no freedom at all. Throughout his life, he emphasised on the sacred means, nonviolent means, to achieve his political ends. And he always practiced it, he never compromised with it.

For Gandhi nonviolence was a strategy, a choice, for Buddha ahimsa was dharma itself, the teaching itself. He didn't develop it. He didn't cultivate it unlike Gandhi. When a person becomes fully enlightened, ill-will, animosity, aversion towards all get eradicated on its own through mental purification at all levels, from subtlest roots in the mind to the external dealings with others.

While Gandhi had to think it out, "But brute force had absolutely no place in the Indian movement in any circumstance, and the reader will see, as we proceed, that no matter how badly they suffered, the Satyagrahis never used physical force, and that too although there were occasions when they were in a position to use it effectively'[4]. However, in the same paragraph, he admits that it was due to weak position of Indians in South Africa that they had to use the love force of Satyagraha or they could have been violent. He writes, 'Again, although the Indians had no franchise and were weak, these considerations had nothing to do with the organization of Satyagraha. This is not to say, that the Indians would have taken to Satyagraha even if they had possessed arms or franchise. Probably there would not have been any scope for Satyagraha if they had the franchise. If they had arms, the opposite party would have thought twice before antagonizing them. One can therefore understand, that people who possess arms would have fewer occasions for offering Satyagraha'[5]. Gandhi here minces no words that it is the vulnerable position of Indians in South Africa that they had to develop something unique to safeguard their rights and dignity.

He explains further, 'Satyagraha is a soul force pure and simple, and whenever and to whatever extent there is room for the use of arms or physical force or brute force, there and to that extent is there so much less possibility for soul force. These are purely antagonistic forces in my view, and I had full realisation of this antagonism even at the time of the advent of Satyagraha[6]'.

Buddha on the other hand, emphasises on eradicating violence in the mind itself, from its very roots and at the subtlest level. One of the term used for the annihilation of violence

which rises at the mental level first is *Samvar*, used in Jainism as well. Meaning watch and observe, just being an observer or a witness,to whatever happens in mind-body phenomenon without reacting is samvar and it is here where the violence first rises. And if we don't react to such violent stimuli, we progress on the path of liberation. When we aren't mentally violent that is mentally anxious, angry, irritated, fearful, lustful, grabbing, craving or not suffering from any unwholesomeness of mind, not only are we to that extent peaceful, the old sankharas (mental reaction or violence) of antipathy or aversion rise up, come to surface level and if we do vipassana (seeing in a special way or seeing things as they are without reacting), we are increasingly free of old violent ways or reactions stored at the deepest level of mind as Buddha says:*Khinam puranam, navam naththi sambhavam*- Since new reactions (violence) are not being created, the old ones rise up and get eradicated from roots. As mind needs its constant food, the old *sankharas* or the fat stored (reactions or violence) in the mind gets used up.

Buddha also makes clear who is the victim of this first instance of violence rising in us, at the mental level, it is us, it is all of us, it is the entire mankind. Through this we first murder our own happiness and well being. Buddha says: *Pubbe hanati attānaṃ, pacchā hanati so pare*[7].

A serious meditator observes that whenever he generates a thought of revenge or violence in his mind, his body immediately starts burning. His heartbeat increases and he becomes tense and miserable. He begins to clearly understand that, before he can destroy the peace and harmony of another person, he destroys his own peace and harmony and makes himself miserable[8].

Some episodes from Buddha's life pointing to his unlimited maitri and karuna are dealt with here to show that Buddha had no violence left in him at the deepest mind level or in his dealings with others.

Buddha and Devdutt

Devdutt had dislike for Siddharth since child-hood. When Buddha returned to his home country Kapilvasthu after attaining *boddhi, Devdutt* requested himself to be ordained in the Bhikhshu sangh.However, as he got very powerful by practising samadhis. He got ambitious and wanted to be the leader of sangh by any means. He had already made two attempts on the Tathagat's life without any success. This time he took the help of mahouts to end life of Buddha. There was a very aggressive and mankiller elephant named Naalgiri. It was decided that when Buddha would go out for his daily alms, the wild beast would be let loose in the direction of the Buddha. So it was done. When Naalgiri was sprinting fiercely and furiously towards Buddha. Bhikkus requested Buddha to get aside, Buddha kept walking towards the elephant silently, showering the infinite stream of maitri and karuna. The more nearer the Naalgiri reached towards Buddha, the better it felt. Before, it was agitated and violent and thus miserable. And when it reached very near to Buddha, it knelt down and picked some soil near the feet of Buddha through his trunk and poured over its body. The violent Naalgiri was tamed by the love and affection of Tathagat. It started moving back without turning his back to Buddha constantly beholding Buddha for as long as the enlightened one was visible to it.

Mettambusekviddhina Jitva Munindha[9]- The lord won over the ferocious creature with his maitri.

Sabbe Dasbalupeta, Vesarajjehupaaghta- All Buddhas are free from fear. So, Naalgiri failed completely to flinch Buddha.

Mahakarunika Dheera, Sabbesaanam Sukhavaha- All Buddhas are great compassionate beings, great forbearing beings, all they desire is happiness of all living beings.They have no malice towards anyone.

Angulimaal and the Buddha

Angulimaal was a bandit who had vowed to kill one thousand people after his Brahmin guru asked him to do so as a punishment for his alleged proximity to his wife. The whole of Kaushal country lived under his extreme terror as he would kill people and make a garland of their fingers. *Angulimaal* could overpower as

many as 50 people. Kaushal King Prasenjit set out on an expedition to hunt down the dreaded killer. At that time, *Angulimaal* had decided to kill his own parents to come good with his pledge. The enlightened one set out in the direction where he lived to reform him. *Bhikhshus* tried in vain to dissuade *Tathagat.*

Angulimaal sees from his hiding that a very serene and extremely attractive *shraman* is approaching his territory without a trace of fear or anxiety.Buddha keeps walking with his normal gait and *Angulimaal* runs after with full vigour to kill him. However, he's not able to catch up with Buddha. Exasperated and exhausted, he realises that this recluse is not an ordinary shraman because *Angulimaal*, who was said to catch hold of galloping horses, wasn't anywhere near the Buddha.

Angulimaal gives up the chase and shouts at the top of his voice.

Tith, tith, saman—stop, stop, Shraman.

Buddha replies in serene voice- *Thitho aham, Angulimaal*- I'mstill. I'm at peace.

Tvam cha tith- You too should stop, be still.

This confuses the bandit thinking that the shraman is out of his mind. I'm still and he's asking me stop even as he himself is walking.

Buddha replies with a voice suffused with maitri. *Thitho aham Angulimaal sabbada, sabbesu, bhutesu nidhay dandham*- I have no animosity or violence towards any creature in the world, so I'm still and at peace.

Tuvam cha paanesu asanyatosi, tasma thitoham tuvamthitosithi[12]- You are violent towards living beings, that's why you aren't still and are agitated while I'm still.

What the enlightened one was trying to say to *Angulimaal* was that since Buddha was free from any kind of craving or aversion towards any being, he wouldn't take any future birth. However, since *Angulimaal* was massacring people, he multiplied the sankhara or sanskara of hatred, which would give him birth after making his life miserable, so *Angulimaal* wasn't still or at peace with himself. His cycle of dukkha was still in motion.

Before this he had never ever heard any such talk of dharm with full of maitri and karuna. It was the ocean of love and affection for him which was showered on him, it made a deep impact on him. He threw away his dagger and other weapons and requested Buddha to give him refuge. Buddha happily ordained him.

When *Angulimaal* became fully liberated, these words came out of his mouth all of a sudden:

Dandenke damyanti, ankhusebhi kasahi chaAd-anden asaththen, aham dantomhi taadhina[13]- Some suppress with punishment, some with prohibition and some with flogging, however, I've been reformed by the Buddha without recourse to any punishment or weapon.

King Ajaatshatru of Magadh and Buddha

It is mentioned in both Buddhist and Jain scriptures that Ajaatshatru had imprisoned his father King Bimbisaar, a follower of Buddha, and sources even mention that he starved him to death at the behest of Devdutt[14]. However, one incident related to his own son made Ajaatshatru feel that his son might do the same thing to him.

Feeling remorse, guilty and fearful, he went to meet Buddha. Before this, Ajaatshatru had made attempts on the life of Buddha too, again at the behest and in collusion with Ajaatshatru. So, when he goes to meet Buddha heavy with guilt and for making amends, Buddha asks him his *Kushalkshema* and makes him comfortable, being completely in the know of his attempts on his life and Ajaatshatru killing his own father.

Yaksha Aalvak and Buddha

Buddha was resting in a deserted house for rest and *dhyan.* It was the dwelling of the Yaksha Aalvak. When Yaksha saw Buddha, he got very angry and asks Buddha to leave his house, Buddha goes out and but Yaksha orders Buddha to come back inside house. This he does three times, sending him out and asking him to come in again. And when fourth time he asks Buddha to go out, Buddha calmly refuses. This angers Yaksha and he utters, "I'll ask you questions and if you fail to answer them, I'll drive you crazy, I'll rip apart your heart and I'll catch you by feet and fling you across river *Ganga*".

Buddha replies to him in calm but resolute voice, "Hey Ayushman, I see no one among Deva, Mara, Brahma, Shraman and Brahmin including all lay people; a single being who can drive me crazy, who can rip apart my heart and who can catch me by feet and fling me across river *ganga".*

Api cha tvam, aavuso, pucch yadakankhsithi- Still, you may ask what you wish to.

Yaksha asks- What is the greatest wealth of the People?

Buddha: Shraddha or faith.

Whose practise gives people happiness in life?

To practice Dharma gives happiness.

Whose taste is the sweetest?

The taste of truth is the sweetest.

Which is the superior life?

A life of pragya (wisdom) is the superior life.

Like *Angulimaal*, he too had never received this fountainhead of maitri, karuna and sweet talk of dharma from anyone, he kept getting calm and serene. He had hated people and in turn he received hatred. For the first time in his life, he was receiving something which was different from what he gave out. As Buddha says, 'One who inflicts pain on others,in pursuit of one's own happiness; being entangled by the bonds of hatred, is never delivered from hatred[15]'.

Yakshawas happy, elated and hungry for more and kept asking more questions and was completely satisfied by the end. He too requests Buddha to give him refuge. Yaksha declares that while venerating the Buddha and his beneficent dharma (the law of the universe or Buddha's teaching), he will roam from village to village and from city to city[16]. One more violent being was reformed by Buddha without course to any coercion, manipulation or any threat of force.

References

1. Gandhi, M.K. (1950). *Satyagraha in South Africa*, Navjivan Publishing House, Ahmedabad (p.103)
2. Ibid.
3. Chandra, Bipan (1989). *India's Struggle for Independence*, Penguin Books, London (pp.190-195)
4. Gandhi, M.K. (1950). *Satyagraha in South Africa*, Navjivan Publishing House, Ahmedabad (p.105)
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Theragāthāpāḷi 139, Vasabhattheragāthā
8. http://www.vridhamma.org/en2008-12, (accessed on 29.10.17)
9. *Jayamangala-Atthagatha*
10. Attanatiya Sutta-Dhamm Vandana 8
11. Attanatiya Sutta-Dhamm Vandana 12
12. Majjhim Nikaya 2.348, 349, Angulimaalsutra
13. Thergatha, 878, Angulimaalthergatha
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Ajatashatru#Death_of_his_father. (Accessed on 29.10.2017)
15. Dhammapada 291
16. Suttanipata, 183-184, 194 Aalvaksutta

Shifting Paradigms: Men Vis-à-vis Feminism

Gopal Verma

Asst. Prof., Dept. of English
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Ved Vyas Campus, Balahar (H.P)

Abstract

This present paper will examine the relationship between men and feminism, discussing the effects of women's feminist movement - its ideas and policies - on men. It is very pertinent to look at this aspect because the radical feminism in the 1960s and 1970s was more or less a war against sexism and patriarchy (and broadly men). The questioning of the term "Woman" by feminism and the interest in gender relations produce a variety of responses by men who attempt to redefine masculinity and understand their place within/alongside feminism. A study will also be made on the new versions of masculinity that have evolved since the 1980s – the "new man", the "metrosexual" and the "new lad" – in order to advance a new category of masculinity for the twenty-first century – the "postfeminist man."

Keywords: *Postfeminist Man, Feminism, Masculine, Patriarchal*

Introduction

In the present times, the traditional spheres of social roles, *viz*; workplace for men and home and hearth for women has seen a major change with the exodus of women from the home to the workplace. Women in more recent times have taken more challenging jobs; they are making their way into the outer world with a big bang. They can be seen co-coordinating big projects, heading big companies like Indira nooyi; CEO Pepsico, EktaKapoor; managing director of Balaji Telefilms, Sara Blkaely; founder of Spanx-an apparel company, Tory Burch; founder and CEO Tory Burch.Similarly, a generational shift can be seen in the social relations between men and women where the present day woman can no longer seen at a subordinate position to the patiparmeshwar (husband-God) but must be viewed as an ardhangini or an equal human being. Even if she is working at the home, even there she is not a mere "housewife" but an intelligent "home maker."

Moreover, the contemporary society is evolving beyond the man/woman binaries to a more reflexive "project of the self" which takes place in the context of multiple choices which allow individuals to negotiate a range of diverse lifestyle options in forming a self identity. Postfeminist man is constantly re-defining and re-negotiating masculinity as the "new man," or "the metrosexual." The "postfeminist man" displays a compound identity, revealing the fact that numerous representations of masculinity may coexist as identities are becoming fluid and unstable.

In her 1999 book *Stiffed: The Betrayal of the American Man* , Faludi analyzes the state of the American man. Faludi argues that while many of those in power are men, most individual men have little power. American men have been brought up to be strong, support their families and work hard. But many men who followed this now find themselves underpaid or unemployed, disillusioned and abandoned by their wives he argues, "That feeling of power didn't last long. Only until they put the cuffs on, then I was feeling

again like I was no man at all" (faludi, 8). Changes in American society have affected both men and women, Faludi concludes, and it is wrong to blame individual men for class differences, or for plain differences in individual luck and ability, that they did not cause and from which men and women suffer alike.

The institution that had promised him a masculine honor and pride in exchange for his loyalty double-crossed him. In truth the fix was in the start: corporate America's promise world war II GI's wartime experience of belonging, of meaningful engagement in a mission, was never authentic. (Faludi, 29)

In her ambitious attempt *Micro Politics: Agency in a Postfeminist Era* (1994), Patricia Mann declares that 'A postmodern, postfeminist era has begun,' and articulates a feminist theory of social and political agency for our times (Mann 25). In Mann's account, the social enfranchisement of women, the demise of the patriarchal family, and the decline of normative masculinity all call for new ways of theorizing the subject and its relationship to the larger community. In the context of the radical changes that have taken place in gender relations, she argues, liberalism no longer provides the conceptual tools for making sense of women's or men's public and private lives. Patricia Mann formulates a theory of individual agency, as she says, "I formulated this theory of individual agency in response to gendered social responsibility that I believe provide basic foundation for all other social transformations today, and I call it "gendered micro-politics."(Mann,1).She further designates 'micro-politics', which takes into account the 'multiple agency positions of individuals today' (Mann, 160).

I emphasize that there are also three distinct "dimensions" of agency operative either together or apart within the concept of individual actions. Individual agency is always associated with one or more of the following dimensions: motivation, responsibility and expectations of recognition or reward. I also emphasize that the individual agency is typically interactive, necessarily understood in terms of relation between two or more individuals. (Mann,14)

Mann recognizes the fundamental transformations in late twentieth-century Western societies that have occurred as a result of the enfranchisement of women and their unmooring from patriarchal relations. Mann's notion of 'gendered micro-politics' is intended to provide insight into this complicated nexus of relationships and rethink agency in the context of these changes. The micro-political agent is characterized as a 'conflicted actor' who is capable of individually integrating diverse desires and obligations through creatively reconfiguring his or her practices and relationships. Taking feminist challenges to patriarchal conceptions of sexual difference as 'the most significant social phenomenon of our time' (Mann, 2), *Micro-Politics* points to the inadequacies of liberalism, arguing that its assumptions about masculinity and femininity do not resonate with the material reality of gender relations, a reality in which the majority of women work outside the home and men are increasingly called upon to do their share within it. Mann is surely right to emphasize the challenge that changing gender relations pose for social and political theories that distribute different forms of agency along the familiar axis of a passive femininity and an active masculinity. She is critical of Anglo-American philosophy which does not garnered way for multiple individual roles and thus leaves an individual in a contradictory state of mind while performing their roles in the society. Patricia Mann in her celebrated book advocates:

As a philosopher concerned with contemporary gendered social issues, I have two choices. On the one hand, I may accept institutional authority of the analytic philosophy, and conclude that my analysis of gendered form of social agency does not fall within the bounds of philosophy. On the other hand I may decide that the inability of analytic philosophy to recognize the philosophical significance of the social issues raised by changing gender relations is indicative of serious limitations in the way that Anglo-

American philosophy has developed over the last two centuries. (Mann, 13)

We need a more flexible and interactive theory of agency, says Mann, one that takes account of the 'relations between two or more individuals.' Mann analyzes the place of gender in our understanding of agency and in the deeply conflicted nature of postmodern subjectivity. She argues that the movement of women into public life has called 'male family identity' into question, but it has not yet resulted in a reconfiguration of fatherhood and masculinity.

The evidence of numerous "masculinities" being embraced by society appears everywhere – institutionalized in entertainment and fashion cultures. As trendsetters, entertainment and fashion industries have played an influential role in advancing a challenging perspective on gender roles in the present times. Michael Jackson personified androgyny with his falsetto voice and effeminate manners. The astronomical rise in personality of 'pretty' boy bands in the late 1980s and 1990s like "New Kids on Block", "Take That", "The Backstreet Boys" and "N Sync" redefined masculinity'and the trends flowed into other fields like sports.

Football stars like David Beckham and India's former football captain BaichungBhutia were known to have started trends of becoming increasingly conscious of their fashion and looks, and displayed interest in clothing, fashion accessories, hairstyles, manicures, spa treatments and so on, which have seen the societal redefinition of traditional gender and fashion norms. In the 1990s, fashion developed an affinity for unisex clothes and the rise of designers who favored that look like Helmut Lang, Giorgio Armani and Pierre Cardin, the trends in fashion extensively hit the public mainstream in the 21st century which saw men sporting longer hair, hair dyes, highlights, wearing jewelry, make up, designer stubble, both in the western world and in Asia. Japanese and Korean cultures have been featuring the androgynous look as an ideal in the society, as depicted in both K-pop and J-pop. Similarly Hollywood star Leonardo De Caprio (*Titanic* fame) sported the 'skinny' look in the 1990s – a departure from traditional masculinity which resulted in a fad known as 'Leo Mania'.

In the late nineties two Bollywood stars came up with different roles embodied on women, Govinda portraying as a middle-aged aunt in "Aunty No. 1" (1998) directed by Kirti Kumar and giving his audience a laugh riot at about the same time Kamal Hasan southern Superstar came out with comic drama "Chachi 420" (1997) who tries to be with his wife and daughter despite all family odds. Bollywood star Sharukh Khan can be seen in a "Lux" commercial which was once considered the prerogative of feminine Bollywood queens only; ShahidKapoor and a macho star like John Abraham have also legitimized male beauty products by endorsing fairness creams, beauty soaps and hair gels. Aamir Khan, can be seen shedding tears profusely in a popular reality-show "SatyamevJayate" and hence exhibiting a conventionally very "non-masculine act"– since displaying emotions publicly was considered a very feminine, non-macho act.Thus, the stereotypical gender rules are subverted and the hegemonic binaries of sex/gender are subverted in society which provokes us to rethink and comprehend the dynamics of fast paced change in society and culture in the new millennium.

There are comedians like Sunil Grover, Krushna Abisheik, Rajiv Thakur, Ali Asgar, Sidarth and Kiku Sharda who portray as women in their comedy acts and Sunil Grover's Acts of *Guthi (*CNWK, Colors*) and Rinku Bhabi* (TKSS, Sony) has gone so well with the fansthat it has earned him fame and money both. He presents not only the comic timing but the ways of a particular class of women so well that one really exclaims how easily he pulls out the character in himself as if he is a real woman. In 2016 R. Balki came out with his film *KI and Ka* starring Kareena Kapoor and Arjun Kapoor, it portrays Arjun Kapoor as a man who aspires to be like his mother and takes up the job of housewife (house husband) successfully unlike other males of the society. He compliments his mother and other housewives of the society for being an inspiration to him

as they are responsible for the success of their husbands and children. And more recently, Akshay Kumar, another Bollywood superstar who is better known as *Khiladi* and who usually likes to have a rough and tough looks in his films and has gathered praise of his critics with his super human acts in his films like *Khiladi (1992), Khiladion Ka Khiladi (1996), Sabsa Bada Khiladi (1995), Sangharsh (1999)* etc. was seen sporting a pregnant look in an advertisement for the show "The Great Indian Laughter Challenge" produced by Star Plus .

Present paper tries to unveil that the roles of individuals in the society have changed drastically. Women have become more heterosexual and feel proud to be so and present their view openly and men have become open minded and feel inclined not towards women only but to behave in a way she has done in the past. They portray in movies, commercials, and advertisements exactly the women ways. They don't shy away from wearing pink shoes and red clothes. They are taking up jobs which only women used to take earlier on. They put on heavy makeups to look smart and more so they feel proud to be called sexy instead of stud. Their talks revolve round feminine subjects like pedicures, manicures and spas.

References

1. Butler, Judith. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. London: Routledge,
2. Cook, Ellen P. (1985). *Psychological Androgyny*, New York, Pergamon Press.
3. Faludi, Susan. (1992). *Backlash: The Undeclared War against Women*. London: Vintage.
4. Faludi, Susan. (1999). *Stiffed: The Betrayal of the American Man*, New York, Harper Collins.
5. Feldman, Stephe*. Androgyne Online.*Transgender Tapestry. N.p. 2004. Web. 20 Sept. 2010.
6. Foucault, M. (1979). *The History of Sexuality*: *Volume One: An Introduction*, trans. R, Hurley, London: Penguin Books.
7. Genz, Stephanie, and Benjamin A. Brabon. (2009).*Postfeminism: Cultural Texts and Theories* Edinburgh: Edinburgh University Press.
8. Hargreaves, Tracy. (2005). *Androgyny in Modern Literature*. New York: Palgrave Macmillan.
9. Heilbrun, Carolyn G. (1973). *Toward a Recognition of Androgyny*. New York: Knoff.
10. Mann, Patricia S. (1994). *Micro-Politics: Agency in a Postfeminist Era.* Minneapolis and London, University of Minnesota.
11. Plato. (1951). *Symposium*.Trans. Walter Hamilton. London: Penguin Books,.
12. Woolf, V. (1988). *A Room of One's Own*. Oxford: Oxford University Press.

South Asian Free Trade Agreement: Problems and Prospects

Dr. B.L. Saini

Lecturer, Political Science
Government College, Bundi (Raj.)

Abstract

SAFTA came into effect on 1 Jan, 2006 with the purpose of regional cooperation and reducing tarrifs for international trade. The main objective of this research paper is to highlight the problems among the seven members countries. It also make an attempt to discuss the future prospects and what efforts can be made to strengthen the regional cooperation.

Keywords: *SAFTA, Regional Cooperation, Trade*

Introduction

Regional economic integration within South Asia had been mooted since the early 1990s, with the emergence of South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA) in 1995 followed by the decision to deepen it to South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) in 1996 suggested that there was limited rationale for bilateral trade agreements within the region to emerge. The SAPTA had covered limited product lines of trade interests. The efforts of regional economic integration came to deadlock in 1998 following competing nuclear tests by two largest countries of South Asia- India and Pakistan. The countries looked preferred bilateral trade with greater interest as positive measure of deadlock. Sri Lanka is involved in both bilateral trade agreements emerged within the region.[1]

Signing of Agreements

The first bilateral trade agreement between India and Sri Lanka was signed in 1998 and implemented in March 2000. The second agreement was signed between Sri Lanka and Pakistan, which came in to force in June 2005. Although both the agreements provided Sri Lanka with important market access to its main trading partners in the region, but the fact remained that three most developing countries within South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) had entered into bilateral trade agreements, which threatened the significance of South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)[2]. The background of these bilateral trade agreements was the deadlock in the World Trade Organisation (WTO), where other countries of South Asian region were compelled to consider for similar bilateral trade liberalisation agreements more seriously. Bangladesh was one of such country to consider such system.[3]

The Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement was signed in the backdrop of expanding economic ties between two countries following the liberalisation of Indian economy in early 1990s. Due to deteriorating political relations between India and Pakistan, the bilateral trade route was treated as suitable to forge ahead improving economic relations between two countries. Learning from poor trade impact of product to product approach of SAPTA, the ILFTA utilised negative list approach for trade liberalisation. Sensitive lists were prepared by both the countries to ban trade, while other items were kept free for trade Negative list of India had 429 items and Sri Lanka kept 1,220 items, comp-

rising of agriculture, small and medium industry products.

The South Asian Preferential Trade Agreement commenced in 1995, but could not become functional for delay in liberalisation process among the countries and it was deemed necessary to consider bilateral trade agreement route to manage trade practices. Sri Lanka took initiatives in this regard in its own interest and India reciprocated in positive manner. The bilateral trade system significantly outpaced regional agreement. In addition, preferences made available with the system offered greater flexibility in comparison to SAFTA. This situation created problem for remaining countries, which also started thinking for similar arrangements mainly with India. Sri Lanka was benefited substantially in trade with India and Pakistan. Bhutan, Bangladesh and Nepal were already performing trade with India and they also availed similar benefits.[4]

In bilateral trade arrangement, direct negotiation between participating countries helped in decreasing negative list in comparison to SAFTA, which is evident from the fact that Sri Lanka, India and Pakistan kept negative list in SAFTA for 1,065, 885 and 1,191 items respectively, while in bilateral trade Sri Lanka kept 1,180 items with India and 695 items with Pakistan. India reciprocated with negative list of 429 items for Sri Lanka while Pakistan kept 540 items in bilateral trade with Sri Lanka.

Unanimity in decision making process in South Asian Association for Regional Cooperation has many positive and negative factors. The main positive factor of the association is its survival for 30 years with this feature, as beginning of the association had many black shadows. Negative factors are creation of hindrances in implementation process even after unanimous decisions. Many decisions of the association are discussed and accepted at various levels from summit to specialist level discussions, but implementation of such decisions remained problematic for proceeding further. Trade relations are main issues of concerns as there is lack of spirit to cooperate on the agreed issues where each country had to accept any one version.[5]

Preferential trade and free trade within the members of the region had similar setbacks with ultimate impact is delay or keeping the issues withheld for various reasons. Relations of India and Pakistan remained disturbed since inception but both the countries came forward for becoming part of the regional group mainly to show presence and create hindrance in total decision making process.

According to classical trade theory, international or regional trade serves to reduce political conflict. Trade relations are necessity and interdependence on each other is necessary. Trade among two countries accrues gains to both, while the loss of existing trade ties, result from a political conflict between two nations simply leads to loss of economic benefit.[6]

South Asia Free Trade Area (SAFTA) agreement was signed in January 2004 has been an important feature helpful to take away from its junked past. This agreement was to be made effective with effect from January 1, 2006, its tariff liberalization programme could start from July 1, 2006, as member countries were not ready to initiate requisite arrangements in indicated duration. Under this agreement, all the member countries were expected to conduct trade with each other on all the items of their requirements. In the agreed trade system, each member country provided negative list of items where duties on trade were not reduced as per agreement. Free trade concept in ideal situation provides exemption of tariffs and other free facilities, but each member country tried to remain cautious for its domestic products and free trade facilities were not allowed over items covered under sensitive list.[7]

There is significant exception to the accepted agreement conditions in case of trade relations between India and Pakistan, which considerably lowered down the prestige of SAFTA and put question mark on trade relations between two important countries of South Asian region. Pakistan ratified SAFTA on February 15, 2006

and this step of Pakistan raised some hope that trade barriers between two countries would be normalised soon in the spirit of agreement.

There was provision in the agreement conditions of SAFTA that each member country of region would provide most favoured nation status to all member countries as per terms of World Trade Organisation on reciprocal basis. India gave most favoured nation status to Pakistan in 1995 in the spirit of regional cooperation and enrichment of trade relations leaving behind political conflicts among two countries.

There is also a dire need to explore trade potentials between India and Pakistan. Certain unfavourable factors such as the lack of mutual confidence as well as information, mutual apprehensions and at times misinformation have obstructed the course of building smooth trade ties. Moreover, India has accorded the Most Favoured Nation (MFN) status to Pakistan, as a trading partner, while Pakistan has not reciprocated with the same facility to India. India is in a position to export diverse kinds of items including iron ore, steel, transport equipments like scooters, motor cycles and passenger cars, plastics, textiles, drugs, pharmaceuticals and a number of agricultural products to Pakistan. In its turn, Pakistan can export fruits, nuts, spices, pulses and metal scraps to India. India is the more sound and powerful of the two economies and hence Pakistan is apprehensive of Indian goods invading the Pakistani market. Since India has already opted to offer favourable trade terms to the goods from Sri Lanka and Bangladesh it can conceive of applying the Gujral Doctrine of non-reciprocity in its trade relations with Pakistan to counter such apprehensions.[8]

Pakistan had ratified SAFTA in agreed terms, there was no significant attitudinal change in its trade relations with India and in absence of change in the trade relations SAFTA could not be implemented fully in desired spirit. Pakistan had determined to full implementation of SAFTA only with the resolution of Kashmir issue. The South Asia Free Trade Area (SAFTA) Agreement was signed on January 6, 2004 by Finance Ministers of seven member countries viz. Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka during summit meeting of heads of nations and governments at Islamabad, to be made effective from January 1, 2006. Afghanistan joined SAARC in 2006 after accepting all the conditions of SAARC.[9]

Main Features of SAFTA

The objectives of the Agreement are to promote and enhance mutual trade and economic co-operation among contracting states by inter-alia: (a) eliminating barriers to trade in and facilitating the cross border movements of goods between the territories of the contracting states, (b) promoting conditions of fair competition in the free trade area and ensuring equitable benefits to all contracting states taking into account their respective levels and patterns of economic development, (c) creating effective mechanism for the implementation and application of this agreement for its joint administration and for the resolution of disputes, and (d) establishing a framework for further regional cooperation to expand and enhance the mutual benefits of this Agreement.

The principles for governance of SAFTA are,[10]

(a) SAFTA will be governed by the provisions of this Agreement and also by rules, regulations, decisions, undertakings and protocols to be agreed upon within the framework by the contracting states,

(b) the contracting states affirm their existing rights and obligations with respect to each other under Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organisation and other treaties/ agreements to which such contracting states are signatories,

(c) SAFTA shall be based and applied on the principles of overall reciprocity and mutuality of advantages in such a way as to benefit equitably all contracting states, taking into account their respective levels of economic and industrial development, the pattern of their external trade, tariff policies and systems,

(d) SAFTA shall involve the free movement of goods, between countries through, inter-alia, the

elimination of tariffs, para-tariffs and non-tariff restrictions on the movement of goods and any other equivalent measures,

(e) SAFTA shall entail adoption of trade facilitation, other measures and progressive harmonisation of legislations by the contracting states in the relevant areas, and

(f) the special needs of the Least Developed Contracting States shall be clearly recognised by adopting concrete preferential measures in their favour on the non-reciprocal basis.

The instruments for implementation of SAFTA agreement are: Trade Liberalisation Programme, Rules of Origin, Institutional arrangements, Consultations and Dispute Settlement Measures, Safeguard Measures and any other instrument that may be agreed upon. For trade liberalization programme, out of seven contracting countries, four were categorised under least developed contracting states comprising Bangladesh, Bhutan, Maldives and Nepal. After inclusion of Afghanistan into SAARC, it became fifth country under least developed states. Remaining three countries- India, Pakistan and Sri Lanka were kept under non-least developed contracting countries.[11] Such categorisation was treated necessary to help least developed countries to avail maximum advantage from intra-regional trade.

The contracting states agreed for tariff deduction in phased manner taking year 2006 as base and also agreed to consider other measures in adoption of trade facilitation and other measures to support or complement SAFTA for mutual benefit, with may include following among others:[12]

(a) Harmonisation of standards, reciprocal recognition of tests and accreditation of testing laboratories of contracting countries and certification of products.

(b) Simplification and harmonisation of customs clearance procedure,

(c) Harmonisation of national customs classification, based on HS coding system,

(d) Customs cooperation to resolve disputes at customs entry points,

(e) Simplification and harmonisation of import licensing and registration procedures,

(f) Simplification of banking procedures for import financing,

(g) Transit facilities for efficient intra-SAARC trade, especially for land locked countries,

(h) Removal of barriers for intra-SAARC investments,

(i) Macro-economic consultations,

(j) Rules for fair competition and promotion of venture capital, and

(k) Development of communication systems and transport infrastructure; making exception of their foreign exchange restrictions, if any, related to payment for products under the SAFTA scheme, as well as, repatriation of such payments, without prejudice of their rights under article 17 of General Agreement of Tariff and Trade and relevant provisions of articles of treaty of International Monetary Fund and simplification of procedures of business visas.

Contracting countries would establish SAFTA Ministerial Council, which would be the highest decision making body of SAFTA and would be responsible for the administration and implementations of the agreement, all decisions and arrangements made within the legal framework. The Ministerial Council shall consist of the Ministers of Commerce/Trade of the contracting countries. The Ministerial council would meet at least once every year or more often, as and when considered necessary. The contracting countries would chair Ministerial Council for a period of one year on rotational basis on alphabetical order. The Ministerial Council shall be supported by Committee of Experts with one nominee from each member country of the level of Senior Economic Official, with expertise in trade matters.

The Committee of Experts shall monitor, review and facilitate implementation of the provisions of the agreement and undertake any task assigned to it by the Council of Ministers. The

Committee of Experts shall submit its report to the SAARC Ministerial Council every six months. The Committee of Experts will also act as Dispute Settlement Body under this agreement. The Committee of Experts would meet at least once every six months or more often, as and when considered necessary by member countries. Each contracting country shall chair the Committee of Experts for period of one year on rotational basis in alphabetical order. SAARC Secretariat would provide secretarial support to both the committees in discharge of their functions. Both the committees would adopt their own rules of procedures.

Problems In Implementing the Agreement

The South Asia Free Trade Agreement (SAFTA) was signed on January 6 during the 12th SAARC summit held at Islamabad for conducting free trade among seven member countries comprising of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. With inclusion of Afghanistan into SAARC and acceptance of conditions of Agreement of SAFTA, total eight countries became party to free trade within the region. The agreement became effective from January 1, 2006. Under Article 7 of SAFTA, a phased tariff liberalization programme was envisaged from the date of enforcement of the Agreement.[13]

Trade relations are maintained from other countries for pressing needs of any specific country and dependence on petroleum products has created critical situation of many countries. In addition, other requirement products are met from the countries having surplus produce. Sophisticated weapons and technology are issues which compel countries to trade to meet such requirements. Usually business relations are maintained from even conflicting countries and here are instances that such process helps in easing political conflicts between countries. South Asia region has various internal and external problems of each country, which impact on trade relations to varied extent. Even after such problematic issues, trade relations have been maintained within the region for benefit to participating countries.

South Asia Free Trade Area (SAFTA) Agreement could not get momentum for various inherent problems. The Agreement was signed on January 6, 2004 by Ministerial Council during SAARC Summit meeting of heads of nations and government in Islamabad. The agreement was scheduled to be made effective from January 1, 2006, which prolonged to July 1, 2006, as Pakistan ratified the agreement on February 15, 2006 and simultaneously issued a notification that full-fledged commercial relations between India and Pakistan would have to wait till the resolution of Kashmir issue. Earlier, Sri Lanka signed bilateral trade agreements with India and Pakistan separately, which are still functional between contracting countries. Pakistan is not allowing trade of India with Afghanistan through its land, is also an issue of concern.

In SAFTA agreement, there were provisions of reduction of tariff rates to 0-5 percent among the contracting countries, where two categories of countries were made as per provisions of the United Nations. Under this categorisation, Bangladesh, Bhutan, Maldives and Nepal were placed under least developed countries and after inclusion of Afghanistan; this category was increased to five. India, Pakistan and Sri Lanka were placed in non-least developed countries where process of tariff reduction was to be completed by January 1, 2013 in two phases for India and Pakistan and by January 1, 2014 for Lanka. All the least developed countries were required to complete process of tariff reduction in two phases to attain the level of 0.5 percent by January 1, 2016. In addition, non-tariff and para-tariff measures were to be completed for free trade in South Asian region.

The trade between India and Pakistan is limited to items covered under positive list of Pakistan, bilateral trade between India and Sri Lanka and Pakistan and Sri Lanka are presumed as SAFTA trade among the member countries. India being the largest of the region, made provision of reduction of tariff rates as per conditions of the agreement and providing aid to least developed countries to compensate loss from reduction

of tariff rates for the period of five years. Thus, the very purpose of South Asia Free Trade Area Agreement has been largely defeated, as Pakistan is not ready to honour the agreement conditions even partly to the agreement. The trade practices under South Asia Free Trade Area are being carried out under these limitations. Conflicting trends of member countries remains main hurdle in acceleration of trade practices.[14]

The trade among member countries initiated after SAFTA Agreement is evident that Nepal and Bhutan have not taken any interest for their own problems and Maldives had meager business. Trade activities remained functional among Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka, which were being carried out earlier also under bilateral agreement between India and Sri Lanka as well as Pakistan and Sri Lanka. It is difficult to distinguish the quantum of trade under SAFTA or outside as the member countries communicate the business details to SAARC Secretariat in periodic system.

SAFTA agreement was envisaged to accelerate the economic growth, deepen cross-border trade and investment with enhancement of welfare gains to economies of the region, but trade is still hurdled around 5 percent for politics and protectionism, bitter disputes between India and Pakistan over territorial issues, cross border terrorism and water distribution cast shadow on economic issues. Even after nine years of effectiveness of SAFTA agreement, delayed practices in settling issues of reduction of sensitive lists, tariff, non-tariff and para-tariff regulations, the member countries are forced to continue bilateral trade with mutual understanding and Indian efforts to provide similar facilities admissible under regional trade relations. India is fully conscious that Pakistan would continue to create hindrances in operationalisation of trade in the region.

Flow of cross border investment is impeded for policy constraints and lack of adequate incentives. Nepal is mired in political transition pending completion of peace process and drafting new constitution. The investment climate in Nepal had deteriorated for decade long armed conflict by Nepalese Maoist Communist Party and future is uncertain whether the Maoists would remain in democratic process or return to armed conflicts again. The regional agreement on protection and promotion of investment has been negotiated several times but could not be finalised for vested interests. Trade in services is another important area, where countries of region have serious reservations. Protection of intellectual property right remained neglected part for lack of creativity and new innovations through research and development.

Leaders of South Asia agreed to form regional cooperation after long time and agreed on free trade area process emulating the vision of making South Asia a common market by 2020, completing process of customs union and economic union. The process of regional integration remained alarmingly slow to meet the ambitions of the countries and their people.

Conclusion

The main issue in the present time is future of SAFTA with reluctant attitude to linger on the process of discussions and not to think of implementation of decisions in true spirit. The countries of the region are fully aware that free trade in goods and services as well as investment are the issues which would not be set down for the fixed duration and it is best in the interest of the countries of the region to continue trade on bilateral terms. The SAARC Secretariat is required to maintain account of trade on the basis of information provided by member countries once in financial year. In most of the cases, the bilateral trade is treated as SAFTA trade to show the working performance. The process adopted by regional cooperation for SAFTA is diverting the attention of summit decisions by including one more body for assessment.

Ultimately countries dream for better regional group, where every level engaged in decision making poses to justify its role and pass on the issue to next body knowing the consequences. It is also a bare fact that decisions are taken unanimously by member countries and any country cannot dominate others to arrive at

the conclusions. Every country is sovereign in its internal and external matters, where the issues are passed on through directions and at the most expressing concern over some issues. In such an uncertain environment, it is difficult to adjudge that issues would be settled after a decade or more and there can be conditions, where pending issues may remain unsettled for indefinite duration. Thus, the success of SAFTA can be treated with meetings at various levels, with no concrete results.

References

1 Hussain, Yasir. (2009). SAFTA: Potential and Challenges. Epitome Books, New Delhi, pp. 12-17

2 Taneja, Nisha. (2004). India-Pakistan Trade Relations: Opportunities For Growth' *Economic and Political Weekly*. Vol. XXXIX, No 4, pp. 326-27

3 http://www.indianexpress.com/news/business

4 Sudhakar, E. (2009). *SAARC Origin, Growth and Future*. Gyan Publishing House, New Delhi, pp.44-52

5 Abdin, Md. Joynal. (2009). *An Analysis of SAFTA, BDRWPS*, Bangladesh Development Research Center, Dhaka, No. 6, May 2009 pp.1-2.

6 Harshe, Rajen, (1999). South Asian Regional Co-operation: Problems and Prospects', *Economic and Political Weekly*, Vol.XXXXIV, No.19, May 8-14, pp. 1100-1105.

7 SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA). (2009). *Economic*, saarc-sec.org

8 I.K. Gujral was India's foreign minister and later Prime Minister for a short while under short-lived coalitions that ran India from 1996 to 1998. The Gujral Doctrine is a device to bring about harmony among south Asian states where a powerful state like India voluntarily forgoes the principle of reciprocity in bilateral ties. It was applied by India in its trade ties with Sri Lanka and Bangladesh, which favoured the latter countries.

9 Srinivasan, K. (2014). (ed.) Towards a United South Asia', in 21st Century South Asia, Manas Publications, New Delhi, pp. 36-41

10 http://www.saarc-sec.org

11 Dilip K Das. (2008). *The South Asian Free Trade Agreement: Evolution and Challenges.* Available at: http://mit.edu/mitir/2008/spring/south.html

12 Roy, Jayanta, Benerjee, Pritam, (2010). Connecting South Asia..., In Promoting Economic Cooperation in South Asia: beyond SAFTA, eds Ahmed Sadiq, Saman Kelegama & Ejaz Gani (Ed.) Sage Publications, New Delhi, pp. 110-112

13 Ojha P. (2012). Driving SAFTA : A Myth or Reality? in SAARC : Towards Meaningful Cooperation, Co-Eds. By Delinic, Tomislav & Pandey Nishchal N., Centre for South Asian Studies, Modern Printing Press Kathmandu, pp.34-36

14 Ojha P., (2012). Driving SAFTA : A Myth or Reality? in SAARC : Towards Meaningful Cooperation, Co-Eds. By Delinic, Tomislav & Pandey Nishchal N., Centre for South Asian Studies, Modern Printing Press Kathmandu, pp.45-50

Rehabilitation of Trafficked Children in India: Socio and Legal framework

Pooja Suman

Research scholar
M.L.S. University, Udaipur (Raj.)

Abstract

Child trafficking is widely a threat of global proportions. In India, almost 20,000 children and women were victims of human trafficking in 2016, a rise of nearly 25 percent from the previous year, government data released on Thursday showed. The Ministry of Women and Child Development told parliament that 19,223 women and children were trafficked a year ago against 15,448 of every 2015, with the highest number of victims recorded in West Bengal. The issue of trafficking of children for business sexual abuse and forced lobour so on is particularly challenging because of its heap complexities and variation. Poverty, low status of women, lack of a protective environment etc. are some of the causes for trafficking. This article deals with the framework of trafficking child victims. It discusses major areas of child trafficking, steps taken by the government to prevent the child trafficking, role of state in rescue, rehabilitation and reintegration of trafficked child victims. It also covers the activities of national and international agencies in the prevention of child trafficking.

Keywords: *Child Trafficking, Rehabilitation, Socio and Legal framework*

Introduction

Child Trafficking is a crime which involves movement of children so as to exploit them. Trafficking of children for commercial sexual exploitation and labour etc. is an organized crime that violates basic human rights. Poverty, lack of a protective environment etc. are some of the causes for trafficking. Remembering the above issues and holes the government has defined numerous Central Schemes for Prevention of Trafficking for Rescue, Rehabilitation and Re-Integration of child Victims of Trafficking "comprehensive Scheme for Prevention of Trafficking for Rescue, Rehabilitation and Re-Integration of Victims of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation-Ujjawala". The new plan has been imagined basically with the end goal of preventing trafficking from one viewpoint and rescue and rehabilitation of child victims on the other.

India is a source, destination, and transit country for children subjected to forced labor and sex trafficking. Within India, some are subjected to forced labor in sectors such as construction, steel, and textile industries; wire manufacturing for underground cables; biscuit factories; pickling; floriculture; fish farms; and ship breaking. In addition to bonded labor, some children are subjected to forced labor as factory and agricultural workers, domestic servants, and beggars. Begging ringleaders sometimes maim children to earn more money. Some NGOs and media report girls are sold and forced to conceive and deliver babies for sale. Conditions amounting to forced labor may be present in the "*Sumangali* scheme" in Tamil Nadu, in which employers pay young women a lump sum, used for a dowry, at the end of multi-year labor contracts. A few children, purportedly as youthful as 6 years of age, are persuasively

expelled from their families and constrained by separatist gatherings, for example, the Maoists in Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, West Bengal, and Odisha to go about as spies and dispatches, plant ad libbed touchy gadgets, and battle against the government.

Experts' estimates millions of children are victims of sex trafficking in India. Traffickers increasingly use websites, mobile applications, and online money transfers to facilitate commercial sex. Children keep on being subjected to sex trafficking in religious journey focuses and tourist destinations.

Some Indian migrants who willingly seek employment in construction, domestic service, and other low-skilled sectors in the Middle East and, to a lesser extent, other regions face forced labor, often following recruitment fraud and exorbitant recruitment fees charged by labor brokers. Some Bangladeshi migrants are subjected to forced labor in India through recruitment fraud and debt bondage. Following the April 2015 Nepal earthquake, Nepali women who transit through India are increasingly subjected to trafficking in the Middle East and Africa. .

The Government of India does not completely meet the base standards for the disposal of trafficking; be that as it may, it is endeavoring critical endeavors to do as such. For the first time, the National Crime Record Bureau›s Crime in India report included information on trafficking investigations, prosecution, and convictions. The information exhibited enthusiastic endeavours to combat human trafficking but reflected a moderately low number of law authorization activity for the size of trafficking in India and a low conviction rate by and large. Moreover, the scope of law enforcement action on forced labor and the range of sentences applied to convicted traffickers remained unclear because the data was not comprehensive. The Ministry of Home Affairs (MHA) revised its strategy guiding Anti-Human Trafficking Units (AHTUs), to ensure more effective identification and investigation of trafficking cases and coordination with other agencies to refer victims to rehabilitation services. However, overall victim protection remained inadequate and inconsistent, and the government sometimes penalized victims through arrests for crimes committed as a result of being subjected to human trafficking.

Legal Framework to address Child Trafficking in India

Article 23(1) of the **Indian constitution** specifically prohibits 'trafficking in human beings'.

Also Article 24 prohibits all forms of forced labour and provides that no child under the age of fourteen can be employed in any factory or mine or in hazardous work.

The Immoral Traffic (Prevention) Act, (ITPA) 1956 states about trafficking and its objective is to abolish trafficking of child girls for the purpose of prostitution by an organized means of living. The offences specified in the Act are procuring, including or taking persons for prostitution; detaining a person in premises where prostitution is carried on; prostitution is or visibility of public places; seducing or soliciting for prostitution; living on the earnings of prostitution; seduction of a person in custody; and keeping a brothel or allowing premises to be used as a brothel.[1]

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986[2] prohibits employment of children in certain specified occupations and also lays down conditions of work of children.

The Information Technology Act, 2000 states about penalty for publication or transmission in electronic form of any material which is lascivious or appeals to prurient interest or if its effect is such as to tend to deprive and corrupt persons to read, see or hear the matter contained or embodied therein. The law has relevance to addressing the problem of pornography. India has also adopted a code of conduct for Internet Service Providers with the objective to enunciate and maintain high standard of ethical and professional practices in the field of Internet and related services. Juvenile Justice (Care and

Protection of Children) Act, 2000[3] which has been enacted in consonance with the Convention on the Rights of the Child (CRC) consolidates and amends the law relating to juveniles in conflict with law and to children in need of care and protection. The law is especially relevant to children who are vulnerable and are therefore likely to be inducted into trafficking.

Under the **Indian Penal Code, 1860[4]** there are 25 provisions relevant to trafficking. The most significant among them are Section 366A which makes procuring of a minor girl below 18 years of age) from one part of the country to another punishable; Section 366B which makes importation of a girl below 21 years of age punishable; Section 374 which provides for punishment for compelling any person to labour against his will. Moreover, some states have also enacted their own Acts to prevent child trafficking.

The Karnataka Devadasi (Prohibition of Dedication) Act, 1982[5] has made the act of dedication of child girls for the ultimate purpose of engaging them in prostitution unlawful whether the dedication is done with or without consent of the dedicated persons.

The Andhra Pradesh Devadasi (Prohibiting Dedication) Act, 1989[6] imposes a penalty of imprisonment for three years and fine are stipulated in respect of anyone, who performs, specifically defines trafficking. Every type of sexual exploitation is included in the definition of sexual assault. The responsibility of ensuring safety of children in hotel premises under the Act is assigned to the owner and manager of the establishment; photo studios are required to periodically report to the police that they have not sought obscene photographs of children and stringent control measures are established to regulate access of children to pornographic materials.

Initiatives Undertaken By the Indian Government for Protection and Rehabilitation of Children

The Government of India has taken many initiatives to ensure maximum protection of children.

These are:

1. **Establishing Child Line**: A child in distress or an adult on his/her behalf can access this 24-hour phone service by dialling the number 1098. Child Line provides emergency assistance
2. **UJJAWALA Scheme**: The Ministry launched the UJJAWALA scheme in 2007-08 for the benefit of women and girls in difficult circumstances, with specific focus on the special needs of trafficking victims.
3. **Kishori Shakti Yojana:** This Yojana is a holistic initiative supporting the development of adolescent girls in the age group of 11-18 years so as to promote awareness of health, hygiene and nutrition, as well as link girls to opportunities for learning life skills, returning to school and developing a better understanding of their social environment.
4. **Scheme for Rescuing Trafficking Victims:** Through small pilot projects this scheme targets to address trafficking in women and children for commercial sexual exploitation.

The Ministry Child Prostitution (CACCP) consists of multiple stakeholders derived from the Central and State Government, United Nations agencies (e.g. UNICEF, UNIFEM, UNODC), national and international non-governmental organizations and other civil society key actors. The overall monitoring of the Integrated Plan of Action to Prevent and Combat Human Trafficking with special focus on Children and Women is done by CACCP and at the state level the State Advisory Committees do so. On similar lines with CACCP, the State Committees comprises of members from selected local and international NGOs, United Nations agencies women's commissions, senior police authorities and social welfare directors, etc. The Committees issue regular reports, pose questions to authorities on action being taken in and across states, disseminate information and meet to review progress every three months.[7]

Special Services for Child Victims of Trafficking in India

A child line 1098 is operated nationwide and 24 hours to provide assistance to children in need of

help but it is not specialized to offer appropriate support for child victims of trafficking.

State established Shelters: Government shelters are working closely with non-governmental organisations and the Child Welfare Committees to improve the care standards in these institutions, but significant improvements are still necessary.

Medical Services offered to child victims of trafficking: In general medical services are available for all children who require special care and attention, including child victims of trafficking although they are not seen or recognized as a different category of children in need.

Psychological Counselling Services: Although States have made some improvements to their shelter care, victims in these facilities do not receive comprehensive protection services, such as psychological assistance from trained counsellors. These services are hardly available and totally inadequate in light of the needs. What services exists are mostly provided by nongovernmental organisations.

Non-Governmental Organizations and its Networks to Address the Problem of Trafficking of Children in India

Different non-governmental organizations in India have established programs and projects in order to provide education and vocational training to the risk groups of populations in the country. The programs are mostly aimed at preventing children from being deceived and trafficked and also for decreasing the problems related to illegal migration.

PLAN India is a child- centered advancement association that aims to promote child rights and improve the quality of life of vulnerable children. PLAN works in 13 States in India and has specifically affected existences of over a million children and their families since 197. The protection and child participation, children in difficult circumstances, education, HIV/AIDS awareness, health, early childhood care and development etc.

Shakti Vahini in Delhi ensures that the trafficking cases are investigated properly and exploitation happening from source, transit and destination are linked. Since 2010, Shakti Vahini has intervened in 1270 cases and rescued 1300 victims. It has also been part of 462 court proceedings and trial and has achieved conviction in 26 cases till date.

Bachpan Bachao Andolan is a pioneering child rights movement working to end child trafficking, campaigning for the rights of children. **Bachpan Bachao Andolan** had organised several raids across India rescuing 1,152 bonded child labourers.[8]

Victims Assistance

Victims Assistance is vital to ensure the protection of children who have been victims of trafficking for bonded or forced labour and to ensure the restitution of their rights. BBA engages a number of strategies ranging from the identification of trafficked victims to their rescue, the provision of immediate care and assistance, the prosecution of their employers, statutory rehabilitation and other legal aids.

Rescue

BBA's pioneer intervention model provides protection to victims of trafficking for bonded or forced labour and slavery, by rescuing them from exploitation and enabling their access to services under the rule of law.

The process of victim's assistance starts with the identification of cases or the receipt of complains and includes the detailed preparation of conducting raid and rescue operations, the prosecution of traffickers/ employers and the rehabilitation of survivors.

Prosecution

There are stringent penalties for employers of children under Indian legislation. BBA files complaints in the name of victims in order to achieve the prosecution of their employers. This includes fines, the recovery of back-wages and in some cases imprisonment.

Rehabilitation

BBA works to ensure access to rehabilitation services including statutory benefits. For this purpose, BBA also operates its own rehabilitation centres.

Missing children

BBA had filed the first complaint for the missing children of Nithari in 2006 under the assumption that the children were victims of trafficking. BBA pioneered the first consulted effort in the country on the issue of missing children and its linkages with trafficking. The research established that every six minutes a child goes missing in India and over a 100,000 children go missing in the country each year. The research paved the way for a petition before the Supreme Court of India resulting in a landmark direction on the issue of missing children.

Rehabilitation

BBA actively ensures that children are protected and are not vulnerable to being re-trafficked. Rehabilitation measures include eminent support given, like trauma counseling and the care and protection provided in children's homes and transit rehabilitation centers. At the same time, BBA also ensures compensation and access to government services, including housing and other development schemes.

Statutory rehabilitation

The combination of illiteracy and poverty is often a determining factor for a child being drawn into child labour or child trafficking. BBA tries to mitigate these factors by ensuring that former child labourers get economic compensation from the employer, trafficker and the state. This compensation is received in the form of backwages as layed down in the 22nd May 2012 judgement, a fine on the employer, guaranteed under the 15th July 2009 judgement and compensation as provided by a rehabilitation package under bonded labour law. There are also centrally sponsored schemes allowing for the rehabilitation of bonded labourers.

Immediately after rescue, a child is taken to a children's home wherever possible. For Delhi and surrounding areas Mukti Ashram, established on the outskirts of Delhi, is a safe haven.

Mukti Ashram

Established in 1991, Mukti Ashram was the first centre in India for protected bonded workers. Since 2007, Mukti Ashram has developed as a model for giving quick help and access to services for children protected from child work and trafficking. In the short-term home, children receive food, clothing, shelter, medical aid, psychological and legal assistance, recreation and everyday care. BBA ensures that the children get best quality care to overcome the trauma of slavery and servitude.

Bal Ashram

Located in Rajasthan and established in 1998, Bal Ashram serves as a long term rehabilitation and training center of Bachpan Bachao Andolan that specialises on the needs of victims of child labour. Nestled amongst the picturesque Aravalli Hills, Bal Ashram's main focus lies in providing quality education, vocational training and skill development as well as showing compassion and giving love to the children. Bal Ashram is a place where the children can lead a normal, happy and dignified life

Ground Realities

It has been observed that the inherent complexity of the issue of trafficking coupled with lack of data on the one hand and a heightened commitment to urgently rectify the problem on the other hand, has resulted in overenthusiastic responses in many instances. The very assumption that tightening the screws will lessen the crime has led to such overenthusiastic responses. However, contrary to their goal, several of these responses have not achieved the aim of promoting the human rights of those trafficked. The lack of rigorous indicators for evaluating the impact of anti-trafficking interventions at various levels further weakens the interventions ambit of anti-trafficking initiatives. The lack of reliable data and the gap in devising a rigorous research methodology for procuring good data on trafficking continues to pose a major challenge.[9]

In the areas of policy and legislation, rescue and repatriation and interception of seemingly potential victims of child trafficking at the border points during the process of transportation and migration, it is worth noticing that a tightening of the screws strategy has strengthened the overenthusiastic and dominant responses to trafficking. There has been implementation of a number of increasingly stringent laws with draconian measures and harsh punishments. At the same time, aggressive and intrusive rescue operations with little regard to the personhood, wishes or rights of the trafficked person have been conducted. In many cases during trials, judicial procedures which are not rights based have been employed with little attention to witness protection in many cases. Evidence reveals that in some instances prevention initiatives at source have been tantamount to restricting women's right to freedom of movement reinforcing thereby the patriarchal practice of keeping them trapped within the four walls of the home as a measure of protection. Rehabilitation has sometimes meant nothing than a change in venue of the victim's confinement from a brothel to a shelter.[10]

Conclusion

The lack of a holistic understanding and awareness of the problem remains the greatest challenge to any intervention on child trafficking. Because of this lack of understanding there are no reliable estimates of the magnitude or a comprehensive legal framework. Most of the existing literature or national level field-based research has been disproportionately focussed on trafficking for prostitution. Even the micro research studies undertaken by nongovernmental organizations and International non-governmental organizations in India once again focussed primarily on trafficking for prostitution.

At all the levels coordination, cooperation, and support from government agencies is essential for effectively preventing and rescuing trafficked children. Conducting research on the issue of child trafficking one can discover more efficient intervention programs and policy development with significant information and understanding regarding trafficking in women and children. A thorough research on a number of aspects connected with trafficking of children such as the detailed information regarding the number of children trafficked, factors contributing towards the trafficking, trafficking networks and impacts on individual victims have to be undertaken for the trafficking intervention strategies to work effectively.

An effective monitoring and interception system at the community level created by the community itself can prove to be a successful child trafficking intervention. Panchayats must start taking up child protection and trafficking of girls related issues in their functioning. Integration of trafficking related issues in the functioning of panchayats will lead to greater awareness and efforts to prevent trafficking. In every Gram Sabha meeting there should be a discussion on the issue of protection of each and every child in the community. Panchayat should also discuss the issue of missing children in the meetings and the Panchayat representatives must share these issues with block level officials, collecting data on missing children, number of people migrating out of the village and number of girls getting married at an age of less than 18 years of age.[11]

References

1. The Immoral Traffic Prevention Act, 1956.
2. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.
3. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.
4. The Indian Penal Code, 1860.
5. The Karnataka Devadasi (Prohibition of Dedication) Act, 1982.
6. The Goa children's Act 2003
7. Government of India, Annual Report, Ministry of Women and Child Development (2008)
8. Ibid.
9. Kamala Kempadoo, Jyoti Sanghera, & Bandana Pattanaik. (2015). Trafficking and Prostitution Reconsidered: New Perspectives on Migration, Sex Work and Human Right.
10. Ibid.
11. "Anti-Child Trafficking Interventions In India: Ground Realities": Dr. Ruma Bordoloi, Principal, NEF Law College, Guwahati, Assam. & Manashi Neog, Assistant Professor, Assam Rajiv Gandhi University of Cooperative Management, Assam.

A study of Investment Behavior of Working Women with Special Reference to Jaipur

Dr. Indu Jain

Rtd. Professor, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Ms. Ashmi Chhabra

Research Scholar, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

With the passage of time the role of women has changed from just the signatory to sole decision maker to investment products. Women of all ages are commonly seen as more occupied in financial decision. The figure has rose from merely 37 percent to 52 percent in last three years as per the data shown by Nielson. The current paper aims to find the investment behavior of working women with special reference to Jaipur city. The study involved 100 women investors as the respondents constituting the sample size. Structured questionnaire was used to record the data which was later analyzed using frequencies & percentage method. The result depicts that most of the women investor seems to be low-risk taker while desires to gain high-yield return. The current research will help in understanding the behavior of women thereby helping the organizations to form relevant strategy.

Keywords: *Women Investor, Women Investment Behavior, Behavior of an Investor*

Introduction

To invest means to allocate money with the expectation of getting benefit in the future. In financial terms this benefit is known as return. The definition of investment is subjective to the context that one is dealing in. For example, in economics investment is explained as gathering of newly physical entities like factories, machinery, houses etc. On the other hand, finance explains investment as the purchase or possession of an asset or item that is purchased with an intension or hope of generating income or appreciates in future.

The role of a woman is changing with the passage of time. They are more often seen as taking their own financial decisions as when compared to past times. The main reason pointed out to this changed behavior is the change in level of education. The investment behavior generally seems to follow a set pattern amongst women of all ages; however there are some trends among generations (Ameriprise Generations, 2016).

There also a widespread concern that women are seen to be more risk averse and are less trusted in taking risky decisions as when compared to men. Women are expected to be more conservative investors than men and are consequently offered investments with lower risks and lower expected returns (Penelope Wang, 1994). The current research aims to find the evidence the investment behavior of working women of Jaipur City.

Objectives

1. To study the most preferred and most desired investment option among the earners (females) between INR 2,00,000- INR 7,00,000 annually.
2. To examine the investment objective, investment saving pattern, risk bearing capacity, administration of earnings to savings, preference given to source of information and investment frequency.

Review of Literature

A study by **Narayana (1976)** carried found that the most preferred investment for the living in

the urban areas were bank deposits, shares and securities. The study was carried out on for the population for 500 living in the urban parts of the city.

Mudra- SAMIR'S (1992) carried a research on working women of urban India to know their awareness and attitudes towards saving schemes. It was found that they tend to save 20 percent of their total earnings as savings. Also, their access to low cost deposits facilitates them to lend corporate (Pathak, 2005).

Nayagam (2008) found in their study that the most preferred source of investment for the investors of Tiruchirapalli were post office savings, bank deposits, gold, real estate, equity investments and mutual fund in the ranking order.

Van Rooij, Lusardi and Alessie (2007) found in a study involving Dutch adults. The result shows that those with adults low financial literacy are more likely than others to rely on friends and family for financial advice and are less likely to invest in stocks.

Research Methodology

The research methodology proposed for the current research is as given below:

- Type of Research: **Descriptive Type**
- Population: Working women whose annual salary lies in the bracket of INR2,00,000-7,00,000
- Sample Size: The sample size of 100 respondents has been taken for the study.
- Sampling Procedure: The sampling procedure adopted for the current study is non-probability convenience sampling
- Data Collection: Both the primary as well as secondary data has been used for the study. Primary data involves structured questionnaire while secondary data includes journals, books, magazines, and websites.
- Data analysis: Simple percentage method was used to state the frequency and percentage of the respondent's responses.

Data Collection and Statistical Analysis

In order to study the investment behavior the responses from the respondents were tabulated and analyzed. The results are as follows:

Most preferred Investment Avenue

Table 1

Rank	Investment Avenues					
	Savings cash at home	**Savings money into Bank Account/post office**	**Buying Financial Products(Share market/mutual Fund)**	**Investing in Gold/Silver**	**Investing in Real Estate**	**Saving under Government schemes**
1	17%	**55%**	1%	10%	5%	12
2	10%	10%	12%	**40%**	18%	10%
3	13%	15%	10%	22%	3%	**37%**
4	12%	12%	**35%**	10%	7%	24%
5	**33%**	11%	12%	17%	5%	22%
6	15%	15%	10%	15%	**25%**	20%

Source: Primary data

Inference—Table 1 illustrates the investor's preference in percentage towards the different investment avenues. It can be clearly seen that 55 percent of the respondents prefers to invest their money into bank/post office followed by 40 percent of the respondents who prefers to invest in gold/silver. In the order of decreasing preference given to the investment avenues by the respondents are savings under government schemes, buying financial products (Share market/ Mutual Funds), savings cash at home and investing in Gold/Silver.

Most desirable Investment Avenue—Table 2 demonstrates the information of the most de-

sirable investment avenue. For the purpose of the study desirable avenues means the most preferred investment option for the respondents, however due to any reason the respondent feels reluctant to make investment or so.

Table 2

Rank	Desirability for Investment Avenues					
	Savings cash at home	**Saving money into Bank Account/post office**	**Buying Financial Products(Share market/mutual Fund)**	**Investing in Gold/Silver**	**Investing in Real Estate**	**Saving under Government schemes**
1	11%	12%	09%	10%	**41%**	17%
2	**50%**	11%	10%	10%	18%	11%
3	8%	22%	15%	**45%**	05%	05%
4	10%	12%	**33%**	13%	19%	13%
5	15%	**41%**	11%	10%	15%	08%
6	07%	14%	10%	12%	12%	**45%**

Source: Primary Data

Inference—Table 2 illustrates that 41 percent of the respondent desires to invest their money in real estate while 50 percent of the respondents want to save cash at home. Also, 45 percent of the respondents want to invest in Gold/silver followed by financial products (share market/ mutual fund), saving money into bank account/ post office and government schemes with 33 percent, 41 percent and 45 percent of the respondents respectively.

Investment Objective—The power of money is decreasing its true wealth with the passage of time. Investing in its true sense provides a path that helps in struggling with the increasing rate of inflation. It is believed, that there are different objectives that acts like a force for the investors to invest in different investment avenues available. Table 3 shows the various investment objectives along with the responses of the respondents.

Table 3

Investment Objective	Percentage of Respondents
Tax Saving	18%
Money Multiplication	15%
Safety	22%
Future savings	25%
Contingency	16%
Rate of Inflation	04%

Source: Primary Data

Inference—Table 3 depicts that maximum of the respondents invest their money in order to save for their future followed by 22 percent of the respondents who invest to keep them safe in future. 18 percent of the respondents invest for the purpose of saving tax while 16 percent of the respondents do it for contingency purpose. The least preferred reason for investing was money multiplication.

Investment saving Pattern

Table 4

Variables	% of Respondents
No Savings	05%
1-10% Savings	25%
11-20% Savings	**45%**
21-30% Savings	20%
Above 30 %	5%

Source: Primary Data

Inference—Table 4 exemplify that maximum of the respondents are competent to save in between the bracket of 11-20% of their total earnings while only 5 percent of the respondents does no saving.

Risk Bearing Capacity

Table 5

Variable	% of Respondents
High Risk Taker	15%

Variable	% of Respondents
Moderate Risk Taker	25%
Low Risk Taker	60%

Source: Primary Data

Table 5 shows that 60 percent of the respondents are low risk bearer while 15 percent of the respondents are high risk taker. Also, 25 percent of the respondents are moderate risk takers.

Preference given to the variables as a preferred source of information

Table 6

Source of Information	% of Respondents
Advertisement	05%
Friends/Family/Relative Advice	05%
Financial Advisor's / Expert's Recommendation	50%
Information on Internet	10%
By Self	10%
Financial Literacy/Awareness Camps	20%

Source: Primary Data

Inference—It is clear from Table 6 that the most preferred source of information is from Financial Advisor's/Expert's recommendation chosen by 50 percent of the respondents. The least preferred source of information is thorough advertisement and Friends/relative's/family advice.

Investment Frequency

Table 7

Frequency of Investing	% of Respondents
Monthly	35%
Quarterly	25%
Half Yearly	25%
Annually	15%

Source: Primary Data

Table 7 shows that 35 percent of the respondents invest on monthly basis. 25 percent of the respondents invest their money on quarterly basis & 15 percent of respondents on annual basis.

Findings

1. The most preferred investment avenue is the bank deposits as the respondents find it as the most secured way of setting aside their money. While investing in real estate is the most desired investment avenue as it is associated with high yield in shorter time due to boom in the current market settings.
2. Most of the respondents chose future savings as their investment objective.
3. Maximum of the respondents tends to save in between the bracket of 11-20 percent of their earnings.
4. The respondents were seen to be low risk taker so it affects the investment decision to a greater extent.
5. Maximum of chosen population likes to take investment advice from Financial advisor/ Expert's recommendation while minimum chose Advertisement, friends/family/ relative as the source of information.
6. The class prefers to make monthly investment rather than keeping it annual basis to make sure the regularity of the investments made.

Conclusion and Suggestion

Current research depicts the changed investment behavior amongst the working women of Jaipur. The group seems to be low risk taker either due to the risk associated with the desired avenues or small portion of savings. Bank deposits is the most preferred investment avenue due to security of the principle amount while real estate is the most desired avenue because of the high yield associated. It was also observed for the low investment in real estate is due to the absence of high liquidity with the respondents. Thereby, it can be suggested to the government and other policy makers to design easy finance schemes for the individuals so as to promote investments in real estate market.

Women were also seen to save in between 11-20 percent of the earnings as savings. They save mainly for the reasons like marriage, higher education, retirement and so on.

The women class seems to invest on monthly basis as they find it more convenient to do it on monthly basis rather than keeping it quarterly or annually. Financial advice from Financial advisor/ Expert's recommendation was taken as most reliable by the respondents due to their past experience & knowledge in the same field.

References

1. Chaturvedi, Meenakshi and Khare,Shruti (2012). Study of Saving Pattern and Investment Preferences of Individual Household in India. *International Journal of Research in Commerce and Management,* May Vol. 3, No. 5.
2. Sharma, Preeti and Rao, D.N. (2014). A Study of Risk Orientation of Retail Investors in Indian Mutual Fund Industry with Special Reference to Rajasthan, India. *Global Journal for Research Analysis*, January, Vol. 3, No. 1.
3. Ms. K. Parimalakanthi and Dr. M. Ashok kumar (2015). A Study Pertaining to Investment Behaviour of Individual Investors in Coimbatore City. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies* June, Vol. 3, No. 6.
4. Rajarajan, V. (2003). Investors Demographics and Risk Bearing Capacity. *Finance India*, Vol. XVII, No.2, June, pp.565-576.
5. Sunatankhurana (2008). Customer Preference in Life Insurance Industry in India. *The ICFAI University Journal of Services Marketing* Vol. 4, No 3, pp. 60-68.
6. Dr. Mathivannan. S & Dr. M. Selvakumar (2011). Savings and Investment Pattern of School Teachers –A Study with Reference to Sivakasi Taluk, Tamil Nadu. *Indian Journal of Finance,* April Vol. 5, No. 4, pp.12-26.
7. Gupta, L.C. (1987). *Shareholders Survey-Geographic Distribution*. ICICI and SCMRD, New Delhi.
8. Mandell, Lewis (2008b). Teaching young dogs old tricks: the effectiveness of financial literacy intervention in pre-high school grades. In Thomas A. Lucey and Kathleen S. Cooter, Financial Literacy for Children and Youth. *Athens, Georgia*: Digital Textbooks.
9. Mandell, Lewis (2009b). The Impact of Financial Education in High School and College On Financial Literacy and Subsequent Financial Decision Making. Unpublished paper delivered at the 2009 American Economic Association Meetings.
10. Goyal, Megha and Sharma, Anukriti (2014). A Study of investment behavior of Middle Income Group towards Different Kinds of Investment Avenue. *IOSR Journal of Business and Management*, August Vol. 16, No.8. Ver. IV pp. 01-10.

Violence Against Women : Emerging Judicial Trends

Dr. Parmanand Sharma

Department of Law
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

The gender difference and bias, perceived as existing globally, places women all over the world at various disadvantageous positions. The most painful discrimination of women is the physical and psychological violence perpetuated on them. The phenomena of domestic violence is under prevalent but has remained largely invisible in the public domain. Domestic violence is undoubtedly a human right issue and serious deterrent to development. Notwithstanding the equality guaranteed by the Constitution, for many women's life is stalked by various threats of violence. The threat of violence on women manifests right before their life begins, continues to scar the early life, follow in the married life as domestic violence, endangers as victims of rapes and worse than that, ends in murder and suicides in some cases.

Keywords: *Gender, Violence, Women, Judiciary*

Introduction

In spite of progressive and protective legislations, the role of judiciary in providing justice and protection to women has become decisive. The judiciary in India has come forward and has played a creative role in providing blood and flesh to the laws for the welfare of women and has upheld the basic principle of equality of both sexes and tried to maintain the dignity, honour and status of women in the society.

In protecting the women, the Judiciary in India has removed all the procedural shackles and has completely revolutionized constitutional litigations. It has encouraged widest possible coverage of the legislations by liberally interpreting the terms and has shifted from doctrinal approach to the pragmatic approach, which was conducive to all interests in the society. The courts have shown greater enthusiasm in granting the constitutional provisions for all women and by its landmark judgments had filled up the gap left by the Legislature. When the legislature had denied it, the higher judiciary has shown concern for women's rights in recent times. It also had been greatly influenced by the international declaration and covenants on women's rights. The vibrant judiciary has recently exalted the dignity of women by its golden judgments and extended its help to women in different areas relating to women such as female foeticide, incest and rape by family member, dowry deaths, abetment to suicide, etc. As regards the right against domestic violence to women, the judiciary has dealt with this aspect in a number of cases. So, focuses on the various judgments of the Supreme Court and High Courts in India, and tries to analyze the manner in which the courts have dealt with cases in these areas.

Female Foeticide

Female Foeticide has been now-a-day a very common fact in the society. Although it is very difficult to find out the culprit and bring him/her to the books, yet the various High Courts and the Supreme Court of India have from time to time

given far reaching and innovative judgments to protect the rights of a child in the womb to be born alive and the infants to live with dignity.

Incest and Rape

Incest and rape within the very family, through not a common broken in India, even there have been occurred such cases shocking the conscience of the people. So the Judiciary in India has time to time issued suitable directives for protecting the human rights of women within the family itself. The cases discussed below demonstrate the contribution of judiciary in recognising, highlighting and enforcing the human rights of women in India.

In certain cases of incest, it was found that at first the matter was reported to the police, but later on the victim changed her statement in the court. In such a case an auto-rickshaw driver raped her minor daughter on the night of 30th April; 1991 in Delhi. Complaint was lodged with the Hauz Khas Police Station in South Delhi. But later on, during trial, the accused father, who would have been awarded a minimum sentence of seven year's rigorous imprisonment, was saved by the victim and her mother the two main witnesses. The Additional Session Judge, Mr P.R. Thakur in his judgement observed:

"The accused has to be acquitted because the star prosecution witnesses have chosen to support the accused and not the prosecution. The way in which the daughter and his wife deposed in the court, was clearly indicative of a rapport and rapprochement having been reached between the accused father on the one hand and his daughter and the wife on the other." [1]

Punishment and Compensation

On the other hand the Supreme Court advocated for harsher punishment to the accused of incest and in cases of rape on female by family members.

In **M G. Kakkar v. Naval Dubey,** [2] where a medical practitioner Naval Dubey an accused of raping a girl and also committing the same offence on earlier occasions with his niece and her friends of the locality, the Supreme Court expressed the view that:

"Offenders of all sexual assaults on children particularly female, are a menace to the civilized society and should be mercilessly and inexorably punished in the severest terms. We feel that the judges who bear the sword of justice should not hesitate to use that sword with the utmost severity to the full and to the end if the gravity of the offences so demand."

The court imposed sentence on the Medical Practitioner to undergo rigorous imprisonment for a period of seven years and to pay fine of Rs. 25,000 in default to suffer rigorous imprisonment for 18 months; The fine amount, if realised, shall be paid to the victim girl.

In **Ambaram v. State of MP.**, [3] M.P. High Court, called committing rape by the accused over his own daughter, who was helpless and was residing alone with him, as a very shameless and uphold the sentence passed by the trial court. The Division Bench observed:

"The hallmark of relationship between father and daughter is worldwide known and it is beyond expectation of any daughter that adultery in this sweet relation finds any place. If the protector himself becomes violator, the degree of vulnerability becomes greater and, according to us, leniency in passing the sentence finds no place in such a case. Ordinarily, the adequate sentence for the offence under Sec. 376(1), Indian Penal Code, is between 7 to 10 years, but, looking to the act of the appellant who is father of prosecutrix and since in order to satisfy his last and lascivious activity, he committed rape over his own daughter who was helpless and was residing alone with him, we are of the view that learned trial court did not commit any error in sentencing him to suffer life imprisonment..". [4]

Judicial and Victim Testimony

In case of rape or attempt to rape by a man over his daughter, niece, sister or any female relative, etc., to prove the guilt of the accused the courts can rely on the prosecutrix alone if corroborated 'by medical evidence. The M.P.[5] and Gujarat[6] High Courts have upheld the conviction on the basis of testimony of the prosecutrix alone on corroboration by medical report.

The authorities want the Child Welfare Committee to examine the victim to find out the nature of support she is getting from her family and initiate steps to identify a 'support person'. [7]

Dowry Violence and Cruelty The evil or dowry system assumed enormous proportion in the society Newly married women are being sacrificed for the satisfaction of the greedy people. Statistics reveals the increasing number of the dowry deaths. The modern system of dowry is a problem of a highly conformist culture which makes it almost impossible to desist.

In **Kundual Bala Subrahmanayam v. State of Andhra Pradesh**, [8] the Supreme Court showed its very concern about the women harassment and torture. It held that, of late there had been an alarming increase in cases relating to harassment, torture, abetted suicides and dowry deaths of young innocent brides. This growing cult of violence and exploitation of the young brides, though keep on sending shock waves to the civilised societies where ever it happens, continues unabated. There is constant erosion of the basic human values of the tolerance and the spirit of "live and let live". Lack of education and economic dependence of woman have encouraged greedy perpetrators of the crime. It is more disturbing and sad that, in most of such reported cases it is the woman who plays a pivotal role in this crime against the younger woman, as in this case, with the husband either acting as a mute spectator or even at active participant in the crime, in utter disregard of his matrimonial obligations. In many cases, it has been noticed that the husband, even after marriage, continues to be "Mamma's baby" and the umbilical cord appears not to be have been cut even at that stage. This observation of Supreme Court in early 1990's shows that the judiciary is always at obverting state for women victim. Coming to the judicial observations and remarks, the Judges are showing continuously anguish to the perpetrators as well as the law.

Punishment to the Offenders : Supreme Court Views

On a number of occasions courts have expressed anguish and shock regarding the phenomenon of death of young brides for dowry demands under suspicious circumstances.

In **Virbhan Singh v. State of U.P.**, [9] the Supreme Court said that in view of increasing number of bride killings, such dastardly crimes, whenever detected and proved, invite ruthless action and severe deterrent punishment must be imposed.

In **Kailash Kaur v. State of Punjab**, [10] The Supreme Court laid down:

"Whenever a case gruesome murder of a young wife by the barbaric process of pouring kerosene oil on the body and setting her on fire as the culmination of a long process of physical and mental harassment for extraction of dowry comes before the Court and the offence is brought home to the accused beyond reasonable doubt, it is the duty of the Court to deal with it in most severe and strict manner and award the maximum penalty prescribed by the law in order that it may operate as a deterrent to other persons from committing such anti-social crime."

In **State of Karnataka v. M. V Manjunathegowda**,[11] commenting upon the objects of Dowry Prohibition Act and role of the judiciary, the Supreme Court again reiterated:

"The practice of giving and demanding dowry is a social evil having deleterious effect on the entire civilized society and has to be condemned by the strong hands of the judiciary. Despite various amendments providing deterrent punishment with a view to curb the increasing menace of dowry death; the evil practice of dowry remains unabated. The Court cannot be oblivious to the intendment of the legislature and the purpose for which the enactment of the law and amendment has been effected. Every court must be sensitized to the enactment of the law and the purpose for which it is made by the legislature. It must be given a meaningful interpretation so as to advance the causes of interest of the society as a whole. No leniency is warranted to the perpetrator of a crime against the society. Keeping these overall accounts and circumstances in the background, a deterrent punishment is called for."

In yet another case, **Romesh Kumar v. State of Punjab**, [12] the Court however, held that since the Evidence Act is part of the law of the procedure and changes in the Evidence Act like changes in other procedures are retrospective in nature. The Court went on to say, that if it is shown that a woman commits suicide within a period of seven years from the date of her marriage, and that she had been subjected to cruelty as mentioned in Section 498-A of the Indian Penal Code, a presumption could be raised under Sec. 113-A of the Evidence Act.

In quite a few cases, the Supreme Court had to express its cannon regarding the acquittal of some of the alleged culprits by the High Court but pleaded helplessness since no appeal was preferred by the State against those acquittals. The Division Bench of the Allahabad High Court held in **Mohd. Shafi v. State of UP**, [13] that in case of dowry death sentence of imprisonment can be extended up to life imprisonment under section 304-B(2).

Conclusion

The foregoing discussion pertaining to the Protection of Women from Domestic Violence in India by the judiciary makes it abundantly clear that the courts have played the role of a catalyst in ensuring that the women are protected in an effective manner in view of their vulnerability because some judgment are very judicious. Judges do took a substantive positive approach of the legislation while deciding cases. Formal approach does not always fulfill the intention of legislation.

Thus, the judiciary in India has come forward and as desired, played a creative and balancing role in providing blood and flesh to these welfare legislation and in improving women's status in the society The Courts have consistently and uniformly upheld all legislative and executive measures aiming to secure gender justice and have also struck down measures smacking of discrimination against women. By and large, the judicial decisions reveal a high level of judicial statesmanship in favour of women. Judicial trend has been encouraging as the same is evident from the discussion of cases of the Supreme Court and High Courts and they have time to time been also issuing suitable directives for such cases. In spite of best efforts from the judiciary to doing justice for the victims of various forms of violence, some times the courts have passed judgements which are not expected on the given facts. .

References

1. Singh, Prakash Indu (1991). Indian Women: The Power Trapped, Galaxy Publications, New Delhi, p. 73.
2. SCJ, 2, 480, (1992).
3. Cri LJ, 1059, (M.P. H.C. DB) (2009).
4. Syad Ghouse alias Babu v. State of A.P. Cri LJ, 311, (2009),. The Andhra High Court convicted father (appellant accused) for committing attempt to rape on his own daughter.
5. Ambaram v. State of M.P., Cri LJ, 1059, (2009), father, the accused appellant committed rape over his own daughter against her will and wishes and also assaulted her with 'danda'.
6. Cri LJ, 2030, (2009) (Guj.), father was convicted for committing rape over her own daughter relying on her testimony corroborated by medical evidence.
7. Times of India (April 16, 2009). Harish v. Nair, New Delhi.
8. SCC, 684, (1993).
9. AIR, SC, 1002, (1983).
10. AIR, SC, 1868, (1987).
11. SCC, 2, 188, (2003).
12. HLR, 189, (1), (1987).
13. Cr LJ, (NOC), All, 117, (2009).

Indian Economic Development: A Study of the Changing Pattern of Development Ethics

Ms. Anindita Chakraborty

Research Scholar
Jaipur National University, Jaipur (Raj.)

Abstract

This paper highlights the changing pattern of development in terms of ethics.Development ethics in contemporary world analyses present day systems of thought and practice, which helps in perceiving whose interests is gaining attention and respect and whose is ignored.The recognition of value issues as an important part of development discourse. These issues are not peripheral, mere extras after the technical and economic analyses have been done. They ought to be at the very heart of all development thinking.Philosophical thinking can clarify what development is; it can defend normative positions by critical and rational thinking about ethical alternatives; it can identify the complexities involved in the rational choice of means. Philosophical and theological reflection can provide a basic understanding of the human condition and of morally relevant facts. The paper concentrates on, what is the role of ethics in development of India since independence.

Keywords: *Development, Ethics, Economy, Morals, Contemporary, Policies, Human*

Introduction

The term *development* may mean different things to different people. In strictly economic terms, development has traditionally meant a sustained annual increase in GNP or per capita GNP. In the 1970s economic development came into new avatar and was redefined within the context of a growing economy "Redistribution from growth" became a common slogan. While during the 1980s, the World Bank stated "economic growth" as the goal of development, its World Development Report of 1991 asserted that "the challenge of development…is to improve the quality of life. For the world's poor countries, a better quality of life generally calls for higher income…and it involves much more .It encompasses, as ends in themselves better education, higher standards of health and nutrition, less poverty, a cleaner environment, more equality of opportunity, greater individual freedom, and a richer cultural life."

As development is perceived as a process expanding opportunities for a better life. Sustenance, self-esteem and freedom are the core values, common goals sought by all individuals and societies. They relate o fundamental human needs that find their expression in almost all societies and cultures at all times. (Goulet,1971).[1] According to Todaro," Development must, therefore, be conceived of as a multi-dimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes and national institutions, as well as the acceleration of economic growth the reduction of inequality and the eradication of absolute poverty." One way of seeing development is in terms of the expansion of the real freedoms that the citizens enjoy to pursue the objectives they have reason to value, and in this sense the expansion of human capability can be, broadly, seen as the central feature of the process of development."(Dreze and Sen,2005).[2]

As the process of development is being assessed on the bases of changing patterns, Development ethics is considered as a field of exploration, an agenda of crucial value based questions involved in the process of social and economic development. Ethics plays an important role in every field of life i.e business, medical, environment etc. each area of practice generates many ethical questions of priorities and concerns and responsibilities. In new and ever changing settings, development constitutes questions: what is the good life; explaining relation between *having goods and being good*, what is the basis of life in society, what actions should be taken towards nature. Development ethics inferences as better human life and societal arrangements that provide a widening range of choices for people to pursue their common and individual good.

Background

Ethics is conceived in philosophical terms as the Science of morals, rules of conduct and human duty. Hence, ethical concerns and considerable reference in the socio-cultural and economic life of nation, and more particularly in the domain of governance. The Indian ethos of governance is suffused with a sense of responsibility and accountability, work commitment, excellence, responsiveness, compassion, consideration of national interest and emphasis on transparency,, justice and integrity. Besides, there is a prominent focus on work ethics. No responsibility of government is more fundamental than the responsibility of maintaining the higher standards of ethical behavior. Because of its importance, ethics has remained important area for academicians for research and study, policy planners and regulatory agencies.

Development' has long been equated with modernization and market oriented transformation and studied as straightforward economic concern. The discipline of economics has remained the main source of policyprescription for development decision makers. Therefore, economic develop-ment is important area of study and research in economics. In recent years, narrow view of development is now widely criticized as ethnocentricand as economically reductionist. Change is occurring: economics itself is reintegrating ethicsinto its conceptualization, methodology, and analysis; a new paradigm of development is in gestation; and a new discipline, development ethics, has come into being. The new discipline emerges fromtwo sources, which are now converging: from engagement in development action to theformulation of ethical theory, and from a critique of mainstream ethical theory to the crafting ofnormative strategies to guide development practice. Development ethics has a dual mission: torender the economy more human and to keep hope alive in the face of the seeming impossibilityof achieving human development for all.

In Indian context, ethical bases and priorities of different plans have been studied and examined by scholars. "Ultimately an economy has to be evaluated in terms of what happens to the poorest and the dispossessed. Everything else, such as nation's income growth rate, is of instrumental value." (Basu,2004)[3]. While Jagdish Bhagwati has argued vigorously for free trade and raising growth, but at the same time he has been categorical: 'As regards the objective of developmen, I should emphasis, as I always have, that growth was seen by me…,from the early 1960s, as simply an instrumental variable, as a means to an end, and the end was clearly the elimination of poverty." India still has miles to go, on matters of basic needs and development of the most disadvantaged. Over the last few decades, inequality has been rising, regional disparities have been growing, and poverty and illiteracy continue to be high.

Making an overall assessment of different views on the path taken for development in India one can say that on the growth front planned efforts have indeed delivered beyond expectations, while simultaneously macro-economic stability has been more or less successfully maintained. But the resultant growth and stability has had a fairly limited impact on poverty and seem to have aggravated both interpersonal and inter

regional inequality. The growth has also had an extremely low employment potential. However in recent period since 2005 government seems to be seriously concerned with the "human face" aspect of the reforms and has initiated a number of laudable initiatives. According to Kaushik Basu "There are, fortunately, enough strengths in the Indian economy for it to be a net beneficiary of globalization. The economy has gone past that a critical level where to open up is to risk being cheated and impoverished. Though there are still innumerable important reforms to undertake, the fundamentals of the India economy are probably strong enough for it to be able to implement and benefit from another round of market reform and further (though gradual) opening up of the economy. Globalization and modern markets bring with them many ills. But, on balance, and given the strengths of the Indian economy, these changes will open up rather close windows of opportunity for India."

In the domain of the formation of ethical theory many scholars have contributed a lot. Denis Goulet in his book entitled "The Ethics of Power and the Power of Ethics" (Goulet 1971). His book *The Cruel Choice* had explored the relation between power and ethics. He hasobserved at the outset that development ethics as an endeavor exists within the roomfor maneuver left between constraints and determinisms (1971: 19). For him the dictum of"politics as the art of the possible" covered also "politics as the art of redefining the possible"(1971: 336). Innovation is possible, and remakes the range of the possible. Ethics has evaluativeand critical roles in judging practices and experiences; a normative role in guiding the use ofpower; and a pedagogical role, including "as pedagogy of the oppressed in case it is rejected as pedagogy by the oppressors" (1971: 338).given contemporary levels of awareness, consciousness and sophistication, victims.

Tawney defined the humanistic tradition in terms of its treatment of material inputs and wealth 'as means to an end, and that this end is the growth towards perfection of individual human beings' (cited by Lutz 1992a: 98).

Lutz called this 'a welfare standard explicitly expressed in terms of human welfare rather than "economic" or "social welfare"' (1992a: 103). He highlighted the additional "a priori ethical assumption of human equality" (p.103) and an insistence on assuring the welfare of all. This 'human welfare' notion uses a picture of a scale of human values, from basic material needs through a range of higher aspirations for expression, self-realization and dignity. Lutz summarized the welfare standard as 'material sufficiency and human dignity for all' (1992b: 166), further summarized as respect for basic human rights, as recognized in the Charter of the United Nations.

Nigel Dower distinguishes development ethics by its attention to evaluating societal paths. Traditional ethics has asked "How ought one to live as an individual?". Development ethics asks in addition, he suggests, "How ought a society to exist and move into the future?" (cf. Dower 2008). It is thus a central part of social ethics, while clearly not all of it. Dower stated a similar question for world society, in order to define a sister field of world or global ethics (Dower 2007). One might perhaps equally call that field 'global development ethics'. In addition, 'development ethics' and 'global development ethics' are not really separable: development ethics includes questions of how different societies in the world relate to each other in the process of moving into the future.

Petr Kropotkin's in his book "Ethics: Origin and Development" removes ethics from the sphere of the speculative and metaphysical, and brings human conduct and ethical teaching back its natural environment. The ethical practices of men in their everyday concerns from the time of primitive societies to our modern highly organized states. Thus conceived, ethics becomes a subject of universal interest.

The slogans "Human face of development" and "Make in India" are widely discussed in recent time. The intensive studies are required to evaluate the changing pattern of development strategies in terms of their effectiveness of increasing welfare of people. Keeping this in

mind, the proposed study will be an effort to explore ethical bases of policies with their impact. The new paradigm of development, being implemented since 1991 will be evaluated in terms of its efficacy in solving the problems of poverty, inequality and unemployment and the impact on social life will be assessed in terms of improvement in living conditions identifying important social variables like crime rate, women education and employment and participation rates, violation of human rights etc.

India's development since independence

Development ethics in contemporary world analyses present day systems of thought and practice,which helps in perceiving whose interests is gaining attention and respect and whose is ignored. It brings forward who has gained and who has lost and explores principles and practical procedures and alternatives for ethically better outcomes. Development ethics aims not merely to understand the nature, causes and consequences of development–conceived generally as desirable social change-but also to argue for and promote specific conceptions of such change.

India's development process started just after the attainment of independence, the Government of India set up the planning commission in1950 to make assessment of the material, capital and human resources of the country and to formulate a plan for its most effective and balanced utilization of the country's resources. The launching of the First Five Year Plan in April 1951 initiated a process of development aimed not merely at raising the standards of living of the people but also opening out to them new opportunities for a richer and more varied life. This was sought to be achieved by planning for growth and social justice. The second plan underline the political constraints on any radical solutions to redressing inequalities and re-emphasised rapid growth and diversification of economic activity through industrialization as essential for achieving and maintaining full employment at a arising level of productivity.

In the second five year plan the dominant growth orientation was import substitution based industrialization strategy which was continued into the third plan. Thus, the economic growth was expected to take place through the modern industrialization. The two -year period 1965 and 1966 witnessed the worst drought and famines in large part of north India, this traumatic experience brought security into the forefront of our policy imperative, the Fourth plan, conceived after three years of Plan holiday, therefore had to have food security as its centerpiece.

The concepts of "minimum needs" and directed anti-poverty programmes were innovations of the Fifth Plan as it was recognized that growth and industrialization would not necessarily improve the living conditions of the people, particularly of the poor. The Sixth Plan recognized a shift in the pattern of industrialization, with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure. The Seventh Plan represents the climax of this shift. It was also during this period that a reappraisal of the import-substitution strategy begins, and a gradual liberalization of the Indian economy initiated. The Eighth Plan was overtaken by the crisis of 1991, and the economic reforms that came in its wake therefore it represents the first efforts at planning for a market-oriented economy.The Ninth Five-Year Plan came after 50 years of Indian Independence. The Ninth Five-Year Plan tried primarily to use the latent and unexplored economic potential of the country to promote economic and social growth.

The Tenth Five Year Plan stated that an important aspect of the redefinition of strategy that is needed relates to the role of Government. It gave importance to private sectors, also and making them vibrant and strong. It increased some areas of infrastructure development which attracted private sectors as appropriate policy framework was made in the areas such as rural infrastructure and road development, telecommunication, powers, ports. The eleventh plan took a turn to "Macro-Modeling" framework which remarked "The transition of the Indian economy from a 'planned' economy to a 'market-based'economy and more integrated with the rest of the world.

The twelfth plan took into consideration four challenges i.e managing the water economy, managing the energy situation, problems posed by urban transformation and ensuring protection of the environment in a manner that can facilitate rapid growth.

New Era of Development in India

As a fresh initiative there came a new institutional framework to work on the development strategies of India i.e NITI Ayog or National Institution for Transforming India which is basically a policy comprising Govt. of India and state govt. that replaced 65 years old planning commission formed on 1st January 2015. This is basically focusing on Pro-People, Pro-Activity, participation, empowering, inclusion of social media and ICT tools for transparency and accountability. It aims at ensuring special attention to the sections of society that may be at risk of not benefitting adequately from economic progress, redressal of inequalities based on gender bias, caste and economic disparities. NITI Ayog is also developing itself as a State of the Art Resource Centre, with the necessary resources, knowledge and skills, that will enable it to act with speed, promote research and innovation, provide strategic policy vision for the government, and deal with contingent issues.

Conclusion

The essential task of development ethics is to render development decisions and actions humane. Stated differently, it is to ensure that the painful changes launched under the banner of development not result in anti development, which destroys cultures and individuals and exacts undue sacrifices in suffering and societal well-being all in the name of profit, some absolutized ideology, or a supposed efficiency imperative. Development ethics as a discipline is the conceptual cement that binds together multiple diagnoses of problems with their policy implications, this through an explicit phenomenological study that lays bare the value costs of various courses of action. In the process of development, ethics plays an important role by being one of the stable determinants to make this world a better place to live.

References

1. Ahluwalia, Montek S.(2011) "Prospects and Policy Challenges in the Twelfth Plan", *Economic & Political Weekly,* May 21, Vol.X1V1, No. 21.
2. Basu, Kaushik (ed.) (2004). " The Indian Economy: Up to 1991 and Since", *India's Emerging Economy, Performance and Prospects in the 1990s and Beyond,*Ch.1, OUP.(ed.) (2007).
3. Bhagwati, Jagdish (1985). *Essays in Development Economics.* Oxford: Oxford University Press.
4. Desai, A.V. (2001). "A Decade of Reforms", in *Economic Developments in India,* Vol.47.New Delhi: Academic Foundation.
5. Dreze, Jean and Amartya Sen (2005). *India Development and Participation,* Ch.2. Delhi: Oxford University Press.
6. Freeman,M.,2002,*Human Rights in Another Key,* Cambridge: Polity Press.
7. Gasper, D.,1993, "Entitlements Analysis- Relating Concepts & Contexts", *Development and Change,* Vol. 24, No.4, pp.679-718.
8. Goulet, Denis(1971). *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development.* New York: Atheneum.pp.87-94
9. Helpman, Elhanan (2005). *The Mystery of Economic Growth.* New Delhi: Academic Foundation.
10. Kapila, Uma (ed) (2013). *Indian Financial Reforms: Priorities and Policy Thrust Post Global Financial Crisis* .New Delhi: Academic Foundation.
11. Parikh, Kirit S.(ed.) *Macro Modelling for the Eleventh Five Year Plan of India*, Foreword by Montek Singh Ahluwalia. New Delhi: Academic Foundation
12. Sen, Amartya (2000). *Development as Freedom.* New Delhi: Oxford University Press.
13. Tarapore, S.S.(2012). *Financial Policies and Everyday Life: The Indian Context.* New Delhi: Academic Foundation.
14. Todaro, M.,(2008).*Economic Development, 8th Edition .Delhi: Pearson Education (Singapore) Pvt.Ltd.*
15. UNDP (2011) *Human Development Report 2011, ch.1.p-13.*
16. Web *http://thenanarchistlibrary.org/library/petr-Kroptkin-ethics-origin-anddevelopment* Accessed 05-06-2017

Surrogate Motherhood: An Instrumental Mechanism for a Safeguard the Rights of Surrogate Mother

Suman Paliwal

Research Scholar, Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Abstract: India is considered as one of the best place in the world for surrogacy. It aligns with the aspiration of childless parents with the need of the surrogate mother for money. The becoming of surrogacy destination had started in India in 1978. As per the estimation assisted reproduction technology (ART) industry's worth is around 25,000 crore rupees with the gradual growth of 20 percent per annum. On the face it seems just like a random contract of daily life, but it involves some moral and legal issues at the same time, which requires answers.

Keywords: *Assisted Reproductive Technology, Regulation, Gestational Surrogacy*

Introduction

"Surrogate" the word is originated by the latin word "surrogates" which means 'substitute' – A person appointed to act in the place of another, thus surrogate mother a woman who by contract agrees to bear a child for someone else. for this there are two parties to contract first " the commissioning couple " who make the request and the second is "surrogate couple either for money or simple to help the couple out of love and affection.

In traditional surrogacy, female of the commissioning couple is unable to bear children so the couple " buys an ovum" from the surrogate mother and also hires her uterus. After delivery surrogate mother returns the baby to the commissioning couple. And in gestational surrogacy, the female of the commissioning couple has a functional ovary but because of uterine pathology, she cannot carry on the pregnancy in her own uterus only.

Having a child naturally is not always an option for people for a number of reasons and for those couples who are looking to start their family, adoption and surrogacy are two options. Adoption and surrogacy both have pros and cons, so prospective parents should weigh them all before settling on one of these option. This is a life changing decision to requires research before beginning the process. Gestational surrogacy is a better option for those couple having a very strong feeling of biological link. For this either sperm or egg or both may be used. In this way first step is to hire a surrogacy agency to search for a surrogate mother and then legal contract is created. The cost of surrogacy varies from case to case as it includes : medical cost with IVF clinic, surrogacy agency fees, attorney fees for drafting contract, surrogate mother fees, insurance premiums and compensation to surrogate mother for a medical procedures.

When having a biological child is not an option then adoption is another choice. There are two types of adoptions [public and private] and both have their own process. Public adoption is done through state agencies which allow parents to obtain legal custody of a child. A private adoption is done by the parents of the child via an agency. And there are an advocate is needed to draw up a contract between the parties.

As far as legality of the concept of surrogacy is concerned. In the article 16 clause {1} of universal declaration of human rights 1948, states, "Men and Women of full age without any limitation due to race, religion or nationality have the right to marry and found a family." The judiciary of India has also recognized the reproductive right of humans as their basic right.

Various countries have their various views regarding the legalization of the surrogacy. Surrogacy arrangements are legal in England and the surrogacy Arrangement Act 1985 passed, Which prohibits advertising and other aspects of commercial surrogacy.

B. K. Parthasarthi V/s government of Andhra pradesh AIR 2000, and Javed V/s state of Haryana 2003 SCC 369 are the example for it.

A British family court has ruled that a single genetic father in UK can not obtain a parental order stemming from his surrogacy arrangements with a unmarried surrogate in the United States. In the matters of gestational surrogacy, a parental order permanently transfers parental responsibilities to the intended parents. The surrogate must agree to the parental order and once it was granted all parental rights pass to the "parents". Then the surrogate has no parental rights over the child.

In Switzerland, a gay couple was denied for legal custody over their child by the swiss federal court as it was born through as "inter country surrogacy arrangements."

In UK the surrogate mother is the legal mother under section 27 clause (1) of the Human Fertilization and Embryology Act 1990. Section 30 of the same Act states that if the surrogate mother consents to the child to be treated as the child of the commissioning parents, the court may make a parental order to that effect and it also prohibits giving and taking money or other benefits giving other than expenses in consideration of handing over of the child.

The Israeli gay couple Yanathan and Umer have a baby from surrogate mother. The gay couple took son Evyatar to Israel, but their government had required them to do DNA test to prove their paternity before the passport and other documents of baby were prepared.

In India, according to Indian council of Medical Research (ICMR) and National Academy of Medical Sciences (NAMS), the surrogate mother is not considered to be the legal mother and birth certificate of the child is made in the name of the genetic parents. As per the gestational surrogacy Act 2004 US position is pretty similar to India.

There is a absolute ban on surrogacy in Norways, Italy, Singapore and Germany. Only altruistic kind of surrogacy is allowed in Canada, Denmark, Greece, UK, New Zealand and Australia. In us some states allow commercial surrogacy in a highly regulated environment. Russia and Ukraine are the only European countries where the surrogacy is entirely legal.

Gestational surrogacy is a rewarding for intended parents. whenpre birth order is filed, legal parentage is established prior to the birth. The state department of vital records must acknowledge that the intended parents are the legal parents of the child. The pre birth order ensures that the name of the intended parents will be put on the birth certificate.The intended parents will be able to immediately execute their parental rights and make medical decisions for their child. Although the state where gestational surrogacy is legal but pre birth order is not permitted, may require intended parents to fill a post birth order.

The supreme court held in 2008 that commercial surrogacy was permissible in India. Baby Manji was born through husband's sperm and unknown egg donor in Gujrat. The genetic father wanted the custody of child but Indian law barred single man from it and law of Japan did not recognizes surrogacy. Ultimately the baby was granted a visa and custody of baby were given to grandmother but the case underscored the need for regulatory framework for surrogacy in India. This was the genesis of the Assisted reproductive Techniques(Regulatory) bill 2014.This line also exclude single parent as women or men, couples in live in relationships, gay and lesbians and married couple who are fertile but opt surrogacy for reasons other than medical. The view of the

government is based on the ethical stand that a child should not be the product of transaction and motherhood should not be commodified.

After examining eighteen case, Indian surrogacy Bill allow to only married infertile indian couples for surrogacy of the altruistic kind. In these cases complications had arisen owing to abandenment of the children, issues relating to the child's nationality due to surrogacy being banned in the country of parents and exploitation of surrogate mother. Supreme court ordered to the government drafting the surrogacy bill in the case filled by jayashree.

Legal Aspect of Surrogacy in India

1. Commercial surrogacy has been legal in India since 2002.
2. India is emerging as a leader in international surrogacy and a sought after destination in surrogacy- related fertility tourism. Indian surrogates have been increasingly popular with fertile couples in industrialized nations because of the relatively low cost. Indian clinics are at the same time becoming more competitive, not just in the pricing, but in the hiring and retention of Indian females as surrogates, clinics charge patients roughly a third of the price compared with going through the procedure in UK.
3. In India Surrogacy is relatively low cost and here its legal environment is favourable. The Supreme court held a commercial surrogacy is permitted in India with a direction to the legislature to pass an appropriate law governing Surrogacy in India. At present the surrogacy Contract between the parties and the Assisted Reproductive Technique (ART) Clinics guidelines are the guiding force. Giving due regard to the apex court directions, the legislature has enacted ART BILL, 2008 which is still pending and is expected to come in force somewhere in the next coming year. The law commission of India has specifically reviewed the Surrogacy Law keeping in mind that in India that India is an International Surrogacy destination.
4. International Surrogacy involves bilateral issues, where the laws of both the nations have to be at par/uniformity else the concerns and interests of parties involved will remain unresolved and thus, giving due regard to the concerns and in order to prevent the commercialization of the Human Reproductive system, exploitation of woman and the commodification of Children, the law commission has submitted it's report with the relevant suggestion:
5. The Law Commission of India has submitted its 228th report on "NEED FOR LEGISLATION TO REGULATE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CLINICS AS WELL AS RIGHT AND OBLIGAIONS OF PARTIESTO A SURROGACY". The following observations had been made by the law commission:-
    a. Surrogacy arrangements will continue to be governed by contract amongst parties, which will contain all the terms requiring consent of surrogate mother to bear child, agreement of her husband and other family members for the same, medical procedures of artificial insemination, reimbursement of all reasonable expenses for carrying child to full term, willingness to hand over the child born to the commissioning parent(s), etc. But such an arrangement should not be for commercial purposes.
    b. A surrogacy arrangement should provide for financial support for surrogate child in the event of death of the commissioning couple or individual before delivery of the child, or divorce between the intended parents and subsequent willingness of none to take delivery of the child.
    c. A surrogacy contract should necessarily take care of life insurance cover for surrogate mother.
    d. One of the intended parents should be a donor as well, because the bond of love and affection with a child primarily

emanates from biological relationship. Also, the chances of various kinds of child- abuse, which have been noticed in cases of adoptions, will be reduced. In case the intended parents is single, he or she should be a donor to be able to have a surrogate child. Otherwise, adoption is the way to have a child which is resorted to if biological (natural) parents and adoptive parents are different.

e. Legislation itself should recognize a surrogate child to be the legitimate child of the commissioning parent(s) without there being any need for adoption or even declaration of guardian.

f. The birth certificate of the surrogate child should contain the name(s) of the commissioning parent(s) only.

g. Right to privacy of donor as well as surrogate mother should be protected.

h. Sex-selective surrogacy should be prohibited.

i. Cases of abortions should be governed by the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 only.

Thus non-interference of law in this knotty issues will not be just at a time when law is as an instrument of distribution of positive entitlements, at the same time prohibition on vague moral grounds without a proper assessment of social ends and purposes which surrogacy can serve would be irrational . Just and active legislative interference is required to facilitate correct uses of the new technology. Now need of the hour is to adopt a pragmatic approach by legalizing altruistic surrogacy arrangements and prohibits commercial ones.

References

1. Dutta D.C. (2009). Textbook of Gynaecology. 5th Edition, 220.
2. Akileshwar Pathak. *The surrogacy law conundrum.*
3. Law commission report no.228 pp.6
4. Debora spar (2250 for love and money; the political economy of commercial surrogacy, *review of international political economy,* 12:2, 287-309, DOI:10.1080/09692290500105615, pp. 292.
5. Rituparna Battachary. (2016). *Discounted life : the price of global surrogacy in India*.
6. Baby Manji Yamda v. Union of India and others, A.I.R. 2009 S.C. 84
7. Jan Balaz v. Anand Municipality and others A.I.R. 2010 Guj. 21
8. Different news papers; The Hindu, Indian Express, India Today, The diplomat
9. August, 24, 2016, The Hindu
10. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/surrogate
11. https://www.elca.org/JLE/Articles/1097
12. https://www.indiacurrents.com/articles/2012/02/03/ethics-surrogacy
13. https://www.abc.net.au/religion/articles/2015/05/18/4237872.htm

Urbanization and Environmental Status of Jaipur Urban Complex

Dr. Ganesh Sharma

Lecturer in Geography
Dept. of Geography, Govt. College, Jaipur (Raj.)

Abstract

The paper presents detailed study of Jaipur city which is distinct and unique from most of other urban complexes of the country in its historical development and fame as the " Pink City" of India. It is one of the few planned cities of the eighteenth century of Pre-British India. The walled city of Jaipur was founded in 1727A.D. by the Maharaja Sawai Jai Singh II who was said to have studied Shilpa Shastra and commissioned Vidhyadhar Bhattacharya to prepare a plan for the new city. The walled city was planned ideally taking all environmental and ecological factors into consideration. Now, at the beginning of the 21st century, systems of cities have become a dominant factor in the worlds social, economic, cultural and political matrix. Burdened with all problems of growth, cities are increasingly subject to dramatic crises, especially in developing countries. Unemployment, environmental degradation, lack of urban services, deterioration of existing infrastructure and lack of access to land , finance and adequate shelter are among the main area of concern.

Keywords: *Urban Complex, Land Transformation, Urban Village, Environmental Degradation*

Introduction

The United Nation Centre for Human Settlements (Habitat) in the report on the state of the world's cities 2001 has revealed that rapid growth of population and its concentration in cities around the world are affecting the long term outlook for humanity. Despite four millennia as centers of civilization and economic activities cities never attracted more than a few percent of the global population until the last century. Now, at the beginning of the 21st century, systems of cities have become a dominant factor in the worlds social, economic, cultural and political matrix. Burdened with all problems of growth, cities are increasingly subject to dramatic crises, especially in developing countries. Unemployment, environmental degradation, lack of urban services, deterioration of existing infrastructure and lack of access to land , finance and adequate shelter are among the main area of concern.

Jaipur city is distinct and unique from most of other urban complexes of the country in its historical development and fame as the "Pink City" of India. It is one of the few planned cities of the eighteenth century of Pre-British India. The walled city of Jaipur was founded in 1727A.D. by the Maharaja Sawai Jai Singh II who was said to have studied Shilpa Shastra and commissioned Vidhyadhar Bhattacharya to prepare a plan for the new city. The planner involved a grid iron plan with the main roads running east-west along the sandy ridge in the core of the city plan. The construction was started in 1728 A.D. A masonary crenilated wall about 3.5 metres and 2.5 metres thick entirely encloses the city. There are seven fortified gateways in all directions. The walled city is having an area of 6 square kilometres and is regularly laid out in rectangular blocks. The main street is 33 metres wide and runs 3.2 kilometres in a straight line from Surajpole in

the east to Chandpole in the west. There are two other main streets running north-south at right angles to the main street. The city is further divided into Chokaris or blocks and the blocks into Mohallas. In all there are 407 Mohallas. **Jaipur city** is located on a sandy triangular plain 'conjectured to be a bed of dried up lake' (Impereial Gazzetteer,1908). This sandy plain is enclosed on three sides by ranges of hills. The eastern and north-western portions of this sandy plain are undulating and dissected into many rain-fed nallahs. The hills from a north-eastern continuation of the Aravallis-belonging to the oldest orogeny. The average height of these hills is about 500 metres above mean sea level.

Jaipur 250 years Ago- Developed on Ecological Principles

The walled city was planned ideally taking all environmental and ecological factors into consideration. It was on relatively high ground with gentle slopes so that water could easily drain away from the town. The entire supply of water to the town was through well distributed wells. The ground water was plentiful since the site is located between hills. The hills then must have been rich in vegetation. The forest would have allowed clear water to seep through the old consolidated dunes. Thus the choice of the site was appropriately made to ensure that the city had high sloping ground, had enough ground water, and also other necessary supplies such a s forests, pasture land, agriculture land etc. If we forget the vast sprawling city of today, old Jaipur must have been nesting cosily and comfortably, sheltered by the hills. It is surprising to note that in the history of human settlements perhaps Jaipur is the only example where human settlements more than one lakh of people could live in harmony with the natural surroundings for a period of nearly 290 years. The presence of wild life within municipal limits as late as 1940 suggests that a proper ecological balance was maintained but now this balance is disturbed.

The sudden increase in population of Jaipur, unplanned urban growth, rapid industrialization and continuous land transformation has disturbed this ecological balance and has created many environmental problems such as land degradation, depletion of resources, over-crowding waste disposal, inadequate water supply, sanitation, pollution, etc.

History of Development of Jaipur City

The old Jaipur was confined to the walled city. With the influx of immigrants after the partition in 1947 and natural growth rate of population, the city started expanding outside the wall. With the installation of the Railways, importance of the city of Jaipur was increased. In 1900, the population within the city walls was 1,16,563. Whereas outside the walls, it was 21,324. The rise in population was steady up to 1941 with a minor declining trend between 1901 and 1921 which was due to large number of deaths by plague, cholera, etc. There was a steep rise from 1.75 to 6.15 lacs between 1941 and 1971, due to refugees influx after partition, shifting of state capital to this city in 1949, rapid industrialization, etc. The population reached 30.46 lacs by 2011.

The table 1 indicates that population shows a steady rise from 1921 to 1941 and sudden increase from 1941 to 2011 to i.e. about old rise in a span of 70 years.

Table 1: Population Growth Trends in Jaipur 1901-2011

S. No.	Year	Population
1.	1901	1,60,167
2.	1911	1,37,098
3.	1921	1,28,207
4.	1931	1,44,179
5.	1941	1,80,940
6.	1951	3,04,380
7.	1961	4,10,376
8.	1971	6,36,768
9.	1981	10,15,160
10.	1991	15,18,235
11.	2001	23,24,319
12.	2011	30,46,163

Source : Cencus of India

Due to the pressure of population, the city has grown aboundingly in the areal extension. The multi-function characteristics of Jaipur

which was developed lately have also made it an unplanned city today. Its areal growth is in all direction, with an utter disregard to the inhabitants. The originally city built on 6 square kilometres of land has today assumed the gigantic size of more than 200 square kilometres. Thus a sizable part of its hinterland which abounded with forests and cultivated fields in ancient times has now been engulfed by the city. The green belt has either totally disappeared or exists in much degraded form. The increase in population directly results in expansion of the area growth in physical terms. Historically Jaipur started bursting out of the city walls in the year 1881 to accommodate the growing population. In 220 years (from 1727 to 1947) the built up area of Jaipur city increased to only 4 square kilometres and 70 square kilometres of built up area was further added by the year 1971, which has been increased to 85 square kilometres in 1985. 1991 IRS LISS II data reveals that a total of 39.66 square kilometres area has been further added till 1991 (Sharma, H.S. 1993)

Land Transformation-Change between 1975-86

The urban area of Jaipur has started outward expansion, which has been increased by three times whereas land under agriculture has shown a decreasing trend. It has been observed from the present study, that in 1975 the total area under mining, built up area and land transformation was 58.09 square kilometres. Further between 1975 and 1986 (more than a decade), the demand for land for various constructional purpose in Jaipur has resulted in the encroachment upon good agriculture land, especially in the south and south-western part of the city (Sharma, H.S. 1993).

Land Transformation Changes between 1986 and 2011

Substantial changes in land use were observed between 1986 and 2011 in a span of 24 years. There has been a considerable decrease in the total area under agriculture. The area which was still in the process of development have been classified as land under transformation, which has been increase by more than 25 square kilometres over 1986. From the analysis of data and maps it is evident that the land transformation is in progress in the following area:

i) Agriculture to Urbanization;
ii) Sand dunes to agriculture and urbanization; and
iii) Hill area to quarry area till 1992 (quarrying has now been stopped from 1992 onward)

It is also evident that the land transformation particularly agricultural to urban area has taken place drastically after 1975. Prior to this most of the urbanization and industrialization was confined to open spaces/sand dunes/ sheet area only.

Expansion of New Schemes and Colonies

In Vidhyadhar Nagar number of multi-storeyed residential flats have come up in the last 10-11 years. The Township projects a new Jaipur scheme. It is a step towards a model of urban form demonstrating the utilisation of modern technology and blending it with the socio-cultural value of the city. The project placed in 1200 acres near Vishwa Karma Industrial area in to build a town in the memory of the great Indian architect, Vidhyadhar Bhattacharya, to house about 1,00,000 persons. Its design is appreciated by all sections of society including the craftsmen and the artisans. The approach in designing the city is to meet the socio-cultural needs of the citizens of Jaipur on the one hand and to build it on most scientific lines, namely, energy conservation, waste recycling, use of solar-energy etc. on the other hand.

Located on both sides of the Ramgarh road to the north-east, the Panchvati scheme covers an area of 4000 acres. The scheme is expected to provide residential facilities for about 150 to 200 thousand people with a big shopping complex covering an area of about 150 acres, a cultural complex of about 150 acres, a hospital complex and an educational complex. When complaced, it would be a presitigious colony in Jaipur. Prithviraj Nagar is proposed in the west of the city, covering an area of about 5,800

acres which will provide residential facility for 3-4 lakh of people. The scheme will fulfill the needs of Government offices, public places and commercial areas. Located on Gopalpura bypass, Triveni scheme covers 80.57 acress of area. Sudama Nagar scheme has been planned on the north of the Ajmer road in area of 107 acres. Several new schemes by Housing Board, JDA and Private Housing Societies have come up on Ajmer, Tonk, Delhi, Jogatpura and Dausa roads. Rohini has been launched by JDA in Phagi area. Number of builders of Bombay, Calcutta and New Delhi have shown interest in developing townships in Jaipur. The Jaipur Development Authority has provided all facilities to develop multistoried houses and townships. Omax, Vatika and Sahara , UDB Groups are good examples of this initiative.

The Slums (Katchi Basties)

Urban poverty and slums is one of the most critical problem in urban development today. In Jaipur too, there are a serious issue. 10 percent of the population is below the poverty line in Jaipur. 6,88,430 (22.4%) urban population have to reside in slum areas in Jaipur city (2011). 238 slums location are listed by administration in 2011. The biggest katchi basti in Jaipur is located east of Jawahar Nagar along bypass road where about 7000 families are residing,. The slum dwellers often get located on any vacant plot in the city convenient to them. These are predominantly the environmentally sensitive locations in the city including forests, flood prone areas etc. In Jaipur, majority of the slums are located on forestland, 27% area in flood prone areas and 18% along main roads (Tyagi. K. CDP, 2006).

Towards a New Future

Jaipur is one of the fastest growing cities of India with productive investment opportunities like Mahindra World City, World Trade Park, etc. The selection of Jaipur as Smart City will provide new opportunity to achieve world status.

Features of The Master Plan –2011

The draft of the Master Plan of Jaipur Region 2011 was published in 1994. It was prepared by the Jaipur Development Authority. The proposed land use for 2011 has been shown in various land use categories. Major recommendations of this plan were as follow :

1. Jaipur's population will touch 4.2 million in 2011 and 5.5 million in 2016.
2. Jaipur City will continue to maintain its character as a center of trade and commerce; as an administrative and tourist destination city with rich agricultural hinterlands.
3. The space abutting existing developed areas will always remain Under pressure because of close proximity and easy accessibility.
4. Parcels of urbanisable land available, together with areas within the present urbanised limits amount to approximately 270 km^2 (27,000 hectares). The holding capacity of the urbanisable area works out to 3.5 million at a proposed density of 130 people per hectare.
5. The Projected increase of population beyond 3.5 million will be distributed and deflected to six "satellite towns" as well as to second order settlements around Jaipur.
6. Walled City area, which is of historical importance will be treated as a Heritage City.
7. Wholesale and specialized markets will be developed in "satellite towns" to relieve pressure from the Walled City.
8. Government offices, which do not require day-to-day interaction with the functioning of the urban area of Jaipur City, will be located in satellite towns.
9. New industrial areas will be developed in satellite towns.
10. Existing industrial areas of Kanakpura, Bindayaka and Sitapura will be enabled to provide strong industrial work centres in west and south of the city.
11. Bypass roads connecting Chandwaji on Delhi road to terminate on Ajmer road beyond Bagru cutting through Sikar road South of Chomu has already been developed. Another bypass on eastern side connecting N.H. 8 near Kukas to Agra road and near

Palrimeena village to Tonk road near Sitapura industral area will be developed. Another bypass on southwest connecting Ajmer road near Bagru and N.H.12 near Chandial is also planned.

12. Truck terminals and automobile markets in all the four directions along National Highways and bypass roads will be developed.
13. Mass transportation systems for the entire region will be developed.
14. New facilities at railway stations of Gandhi Nagar, Jagatpura, Kanakpura, Dher-Ka-Balaji and Sanganer will be developed to take care of suburban passengers.
15. Nahargarh Hills, Amer valley, Jal Mahal area, Ramgarh hills will have facilties for outdoor recreation.
16. The Amani Shah-Ka Nallah will be drained and tees will be planted along the entire length of this Nallah till it joins Dhund River.
17. All the historical and religious monuments will be conserved and developed from the environment point of view.
18. Comprehensive water supply and sewerage systems would be created for the entire Jaipur City. Efficient management of solid waster disposal would be developed. Waste disposal sites on all the directions of the city would be identified. Slaughter housea "Carcas" units will be shifted from residential areas.

Master Development Plan 2009-2025

The Draft Master Development Plan - 2025, prepared under the JDA Act, envelopes 2940 square kilometres consisting 725 villages, one Municipal Corporation and 2 Municipal Councils. The Master Development Plan has been prepared using state of the art technology using GIS. The Base map has been prepared using satellite images, enabling a plan that is up to date. The Master Plan is based upon an in-depth study done at the district level, regional level and the city level.

Vision - MDP 2025 Jaipur Region

Vision-2025 is to position Jaipur a global metropolis and a world class city, where all the people would be engaged in productive work with a better quality of life, living in a sustainable environment. This necessitate planning and action to meet the challenge of:

- population growth and in-migration to Jaipur;
- provision of adequate housing, specially for the weaker sections of the society;
- addressing the problems of small enterprises, particularly in the unorganized informal sector; dealing with the issue of slums;
- up-gradation of old and dilapidated areas of the city;
- provision of adequate infrastructure services;
- conservation of the natural environment;
- conservation of Jaipur's heritage and blending it with new and complex modern patterns of development. It is drawn within a framework of sustainable development, Public private and community participation and a spirit of ownership and sense of belonging among its citizens.
- The work of smart city is in progress which will take shape very shortly.

Conclusion and Recommendation

The continuous change in the structure of a city is the utmost concern of urban planners and decision-makers. The rapid increase of urban population and the transforming urban economy lead to an ever increasing demand on the urban environment in terms of urban capture in the fringe areas and change in the internal structure of the city. The green belt district encompassing an area of 59,000 acres envisage to be developed around the periphery of Jaipur is still a forlorn cry. The Master Plan Had also had proposed the development of certain rural settlement as **"Urban Villages"** to strengthen the economy of rural population but it has yet to take shape even after 40 years of planned development. Instead

a maze of irregular residential colonies have cropped up in the fringe area of the city providing it an urban character. The area under the residential cum commercial has increased more than 50 percent within the period 1975 to 1991. The land transformation particularly agricultural to the urban has taken place drastically after 1975. The geo-ecological problems have thus multiplied enormously on every front. Only 51.05 percent of the city area was set apart for residential colonies but now we find that the actual area under this category exceeds the limits. The target of using 3 percent of the city area for the parks and recreation activities has also not been achieved. Due to degradation in the living conditions the quality of life has deteriorated and remedial measures are not yet in sight.

Re-certificatory measures will be necessary in all sectors for preserving the environmental balance the following steps ought to be taken:

1. The dune area stretching in the piedmont zone of the hills of Jhalana, Amagarh, Nahargarh, etc. should be immediately planted.
2. Areas susceptible to large scale gully erosion should be conserved by proper methods of soil conservation.
3. The lateral drainage along the Jhalana hills and the Nahargarh hills,which has now been plugged and stopped by the construction of residential colonies and encroachment by slums, should once again be regulated and preserved with necessary skills and methods of engineering.
4. Restoration of derelict quarrying lands near Jhalana hills, Amagarh hills and Nahargarh hills is essential.
5. The useful agricultural land, south and west of Jaipur, has depleted the agricultural hinter land of the city. Residential colonies should as far as possible be constructed on wasteland and development of satellite towns should be emphasized.

The Jaipur city has been given the status of a world heritage city. The Jaipur Development Authority has been successful in restoring the heritage character of city. through 'Pink Operation". A continuous watch on encroachments is necessary to maintain the future of this heritage city and to maintain the status of Smart City.

References

1. Banerjee,R.C. and Sharma, H.S. (1984). A Natural Event and its Aftermath, Annals of National Association of Geographers. *India*, Vol IV (i), pp. 1-9.
2. *Master Plan, Urban Improvement Trust* (1976). Jaipur, 1976.
3. JDA (1998). *Master Plan 1991-2011,* Jaipur, 1998.
4. Sharma, H.S. (1994) Urban Geomorphology of Jaipur. In India - *Geomorphological Diversity,* Dikshit K.R., Kala, V.S. and Kaul M.N. (Ed.), Rawat Publications, Jaipur. pp. 419-434.
5. Sharma, H.S. and Nathawas M.S. (1993) Land Transformation and Urban Degradation in Jaipur Urban Complex. In: *Environment and Development - views from East and West*, Amitav Mukherjee, V.K. Agnihotri, Concept Publication, New Delhi pp. 91-106.
6. Sharma, H.S. (1993). Land Transformation and Environmental Degradation in Jaipur Urban Complex in Environment and Development by A.Mukerjee & V.K. agnihotri, Concept Publishing Company,New Delhi.
6. City Development Plan (2006). Jaipur, under JNNURM, Department of Local Self Government, GOR, April.
7. JDA (Jaipur Master Plan, 2025). *Jaipur Development Authority*. Availabel at: http://www.jaipurjda.org/pdf/MDP/Vol1.pdf

An Evaluative Analysis of Training Effectiveness among Administrative Officers in Rajasthan

Dr. P.S. Bhatnagar

Retired Professor, Department of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Ms. Preeti Agrawat

Research Scholar, Department of Public Administration, The IIS University, Jaipur (Raj.)

Abstract

The aim of this study is to examine the factors affecting training effectiveness and its implications. To examine the study a literature review has been done on different aspects of training. This study is attempted to identify and seek to measure the training effectiveness among the persons working in local administration. The important issue of this research is to know how the local administration looks upon training as an instrument for developing the potential sets of their functional department personnel's. The effectiveness of training has been evaluated under various phases in current research. Likert five point scaling technique has been used for opinion collection and structured questionnaire was used for collecting the primary data. By using scientific tools an analysis has been done. Result of the analysis stated that training need analysis instant process for identifying trainings for personnel's, pre training preparations essential for increasing participation level, there is no gender bias incurred in selecting the personnel for training and it is purely done on requirement bases. The findings of this study suggest many factors which affects training effectiveness like motivation, attitude, emotional intelligence, support from management and peers, training style and environment, open-mindedness of trainer, job related factors, self efficacy and basic ability etc. The importance of training effectiveness is also discussed in the paper which is revealed through literature review.

Keywords: *Training Effectiveness, Evaluation, Administrative Officers*

Introduction

In this era of intense global competition and fast change, organizations of all shapes and size are more concerned to make the best use of Human Resource capital. Training has increased its importance in today's environment where jobs are complex and change. There for to have the best use of Human resource, training must be provide to the employees. Measuring the impact of training on workplace performance and its contribution to organizational results is a matter of great concern for management in all types of organizations. As a result of growing economic pressures, business leaders are becoming more cost conscious and they are more sensitive about the return on training investment. In the current economic downturn, such pressures have further increased. Human resource managers and training professionals have to justify training expenses by providing some evidence about the positive impact of training dollars upon business results. Consequently, the issue of measuring training effectiveness has gained lot of importance over the last few years. During the past four decades workplace learning and development professionals have done lot of work in the area of evaluating training effectiveness. Kirkpatrick (1976) did some pioneering work in this field and introduced the well known "four level evaluation model", which is still widely used in training industry. Later, some other experts also made contribution in this direction and made modification in the existing models.

Training has become the most important for an organization. The effectiveness with which organization manage, develop, motivate, involve and engage the willing contribution of those who work in them is a key determinant of how well these organizations perform(Dhar, S.1998) organizations help their people learn new skills so as to be able to perform well. It has been confirmed that organization with more progressive people–oriented policies have excelled, leaving the competition behind. This is mainly because when organization invests in people, in their training, what they get in return is higher skill and greater competence that helps improves morale and productivity. As people's growth is linked with the organization's growth, in view of long term profitability, organizations need to invest in their people. As quoted by Kuan Chongtzu, a great man of china: If you wish to plan for year sow seeds. If you wish to plan for ten years plant trees. If you wish to plan for life time development. Jawaharlal Nehru once quoted: "It is good to have goodwill; it is good to have enthusiasm. But it is essential to have training"(Singh,V. and Saldhana, R 2002). The 21st century will belong to those organizations, which learn faster than their competitors. The organizational structure of the future is a learning organization focusing at creating and gaining knowledge for improved performance and building a competitive age. The truly successful organizations of the future will discover how to tap people's commitment and capacity to learn at all levels. Education and training are great levelers in a world where differentials and inequalities exist. Researchers have at numerous for a stressed the 'economic value of education and training'. However, the need for an integrated program, which visualizes changes in the formal training system, also cannot be overlooked. In the words of Douglas McGregor, "the average human being learns under proper conditions, not only to accept but to seek responsibility"

Therefore the current research paper is to pragmatically analyze "Training Effectiveness among Administrative Pupils in Rajasthan"

Research Gap/Problem Statemnt

In local administration in Rajasthan, the pace of service to be provided to citizens as in industry is severely limited by the lack of adequately trained personnel. Where the administration has developed in spite of this constraint, the quality of service provided to citizen has frequently been casualty. Inordinate delays at service at point as basic services are daily need of citizens, lack of proper approach to human resources planning and development. India represent an excellent example of manpower environment where numbers are plentiful but where skills are in shortage. The nature of employment in the tourism industry and the absence of an established training culture do little to facilitate those already in work. The local administration training sectors are all too engaged with paper work and other ancillary preoccupations and hence their involvement in the cause for training is generally half hearted and often negligible. Apart from this, bureaucratic functional interference generally hinders the healthy progress of these centers in several respects vis-a-vis arbitrary deputation of officers, ill balanced fund allocation for training, improper investment policies, irrational and unstable priorities and the like.

Research Methodology

Research Methodology	
Objectives of Research	• To elucidate various factors influencing effectiveness of Training for administrative officers in Rajasthan. • To analyze Training Effectiveness among administrative officers in Rajasthan.

Hypothesis of Research	**H_1**: That training and development programme for administrative officers is not focused in providing need based training to the different categories of its employees. H_2- That Administrative officers is not following any structured training programme for its different categories of employees
Research Design	Exploratory – To know the parameters and formulate the hypotheses. Analytical – To analyze the parameters found out.
Sampling Design	Stratified Random sampling Method of Adminstraive Officers as Sample Respondents
Data collection Techniques	Primary Data collection – A framed set of questionnaire for Evaluating Training among administrative officers in Rajasthan. Secondary Data Collection – Research reports ,Companies, Annual reports, Management books, journals, research papers etc.
Analytical tools For Pilot Study	Cronbach's alpha for reliability and Kaiser Meyer's Rank Test for Variability
Statistical Analysis for hypothesis testing	Multivariate ANOVA, Chi Square.

Results And Analysis

Training Efforts at Administration Officers Level: Some fund is earmarked in local budgets for training, but Govt has not been provided any kind of assistant for training at local level. On examining the organizational structure of Local Govts ant Districts, State level, or at Local Level, it is evident that there is no separate cell/ Division or training manager. Recently one administrative order has been moved by the State Govt to appoint Administrative officer as Training Manger, but the during the study period no such cell has been set up, this is sorry picture or the huge administration. The importance of training has not yet been widely recognized in urban development ministry. Training program in governments' sector organizations is mostly uncommon. Similar is the case in local administration. For the purpose of analysis as regards Effectiveness of training and development programmes, as structured questionnaire was endeared to the employees of the Municipal administration

The hypotheses have been tested with the use of relevant statistical tools to arrive at the findings of the study. Skewness has been made good use of to test the formulated hypothesis that whether the response in question is symmetrical or asymmetrical in nature. This will help in determining the opinion of the purported employees on different aspects of the Training and Development programmes of urban local bodies. The chi-square test has been used to test the statistical significance of responses.

Table 1

Responses	Scalling	Frequency	Percentage
Very Relevant	5	20	13.42
Relevant	4	32	21.48
Fairly relevant	3	24	16.11
Irrelevant	2	4	2.68
Can't say	1	69	46.31
Total		149	100
Mean		2.55248	

Responses	Scalling	Frequency	Percentage
S.D.		1.55248	
CV(%)		61.3579	
Skewness		1.905508	
x^2		6.81	

Statistical analysis of responses with regard to Relevance of Training Programme and job Profile has been presented in Table. It is discernible from the table that only a number of employees have affirmative opinion that the Training programme and job profile is in congruence 16.11% respondents have opined that training programme and job profile is in fairly relevant. About 3% employees have an opinion that there is no symmetry in job profile and content of training programmes. Remaining 46.31 % employee are indifferent about the Relevance of the Training programme, which perhaps indicates that information and Relevance of Training Program has not been rightly explained to the employees. Statistical measures in terms of standard Deviation (1.55248); co-variation (61.3579) and Skewness (1.9055) are also indicating that training programme of Administrative Officersis not of much use for the employee to enhance their competence. The calculated value of chi-square is less than the table value at 1% and 5% level of significance, which indicates that null hypothesis should be accepted.

Hence, in order to elevate the performance of Administrative Officers in terms of higher growth and to make it more competitive sound, comprehensive and logically designed Training programmes are needed.

Table 2

Responses	Scalling	Frequency	Percentage
Very Relevant	5	13	25.50336
Relevant	4	38	14.09396
Fairly relevant	3	21	8.724832
Irrelevant	2	4	2.684564
Can't say	1	73	48.99329
Total		149	100
Mean		2.4228	
S.D.		1.5024	
CV(%)		62.0104	
Skewness		2.019677	
X^2		5.01	

Analysis of effectiveness of training programme is being given in Table 2. It is observed that only 8.72% respondents of class II, III and IV category have express their satisfaction and responded that training programme is very effective, where as 25.50% employees responded that Training programme is effective, 14.09% respondents indicated that training is fairly effective and 2.68% employees given their negative responses. 48.99% employees are indifferent about the effectiveness of Training programme. It is found that mean score of the responses is higher than the standard Score; Co-variation is indicative that there is considerable variation in the responses of the respondents. Skewness shows that responses are skewed towards the lower grade. Effectiveness of Training programme is being measured with the help of enlisting the responses of employee in table 2. Chi-square is used to test the hypothesis .It is observed from the chi-square value that the null hypothesis should be accepted at 1%level of significance

and 5%level of significance. The calculated value (5.01) of chi-square is less than the table value (@5%9.49@1%13.3).

From the above, it may be inferred that the training programme of Administrative Officers is not suitable designed and tailor made according to the job profile of the employees.

It can further conclude that the pre-training counseling and motivation of employees is not part and parcel of the training programme. As a result employees are not enthusiastic about the training porgramme. It is important that employees should get proper training but it is preponderant that they should well aware about the Relevance and effectiveness of Training programme which will consequently enhance employee efficiency and productivity, then only employee suitable motivated. Knowledge should be tactful, so that he may be able to generate required amount of interest among the employees besides he should possess the art of training employees in a systematic and logical manner. It can be deduced that the job Profile and Training Programme is also not in place. Hence the training programmes of Administrative Officersserved no purpose. It failed to deliver the goods. The Administrative Officers in future should make an endeavor to frame suitable policy guidelines, conducive and congenial training environment within the organization so that employees can derive more benefits from the Training programme. Training program should be more focused upon the need based learning and it should be cogently matched with the job profile of the employees. Statistical analysis has provide enough evidence that there is an urgent need to enrich and could training programmes according to job specification of the employees.

Results

The Hypothesis H1-That training and development programme at Administrative Officers is not focused in providing need based training to the different categories of its employees is accepted.

The Hypothesis H**2**- That Administrative Officers is not following any structured training programme for its different categories of employees is also accepted as has been proved through the responses of the purported employees and their analysis. The Administrative Officers do not set any structured training programs, as has been the consensus among all categories of employees under reference. It is clear that there is little statistical evidence, which support the alternative hypothesis. Most noticeable fact, which is apparent from the overall discussion, is that there is no set structure of training Program available within Urban Local Bodies. Moreover, employees from all categories have had the consensus that training program is not of much use and relevance to their job profile.

Findings of the Study

The study makes it evident that the training programmes been organized by the Administrative Officers are not well conceived and there is absence of any uniform training policy, which is a major deterrent in the development of human resources in the Urban Local Bodies. The Administrative Officers should view training as a process, which will add value to the business by ensuring that best opportunities are provided to maximize the talent of employees to optimize their contribution towards achievement of corporate goals. As the economic progress of an organization is directly proportional to the quantum of technically trained manpower, to put the organization on the fast track to development, Administrative Officers a by smally low ration of technical manpower has to rise significantly to fulfill the aspirations of the Administrative Officers were not well conceived and objectives were also unclear in the absence of a uniform training policy and training cell/ division. Training programs organized by various organizations for training failed to create an impact due to many reason.; Lack of Initiative by Local Management, Absence of Training cell/ division, Absence of Training Policy/rules/ guidelines, Irrelevant and Outdated training plans and methods, Insufficiency of planning budgets for Training/ programs, Incompetence Triners, Lack of Trainers Interest, Minimum use of communication aids and Inadequate feedback.

The above reasons made training performance fruitless and unsuccessful to quite an extent. However to bring the situation under control, certain measures to be taken for effective implementation of training program.

Conclusion and Recommendations

The paper provides an insight of training and development and training effectiveness. The study has collected different observations and analysis about training, its importance and methods of training. The paper is basically above the factors affecting training effectiveness and how the training effectiveness can be measured. To make training more effective organizations requires to look at how the training and development system is associated with the strategy of the organization and at what is being done to check out that all training programme are effective. The study revealed many factors that affect training effectiveness but three factors i.e. motivation, attitude and emotional intelligence emerged to be stronger and more responsible in making training effective, These three factors were found dominant on other factors while a training programme is going on. Managers should first motivate employees to learn new abilities and skills. Next, to ensure better training effectiveness, managers should support employee efforts to practice such skills at the workplace. Trainees' attitude decides that what would be learning ratio from training programme and emotionally intelligent leaders always found successful in inspiring the workers.

References

1. Administrative Report (Several Years) : Urban Development Ministry, GOM.
2. Aguinis, Herman and Kraiger, K. (2009). Benefits of Training and Development for Individuals, Teams, Organizations and Society, *Annual Review of Psychology*, 60(4), pp. 51-74.
3. Baldwin, T. and Magjuka, R.J. (1988). Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research, *Personnel Psychology*, 41, pp. 63-105.
4. Beach, Dale S. (1980). *Personal- The Management of People at Work,* New York: MacMillan Publishing Company, pp. 244.
5. Beigi, Mina and Shirmohammadi, Melika (2011). Effects of an Emotional Intelligence Training Programme on Service Quality of Bank Branches, *Managing Service Quality*, 21(5), pp. 552-567.
6. Birdi, Kamal S. (2005). No Idea? Evaluating the Effectiveness of Creativity Training, *Journal of European Industrial Training*, 29(2), pp. 102-111.
7. Black, J. Stewart and Mendenhall, M. (1990). Cross-Cultural Training Effectiveness: A Review and A Theoretical Framework for Future Research, *The Academy of Management Review*, 15(1), pp. 113-136.
8. Bumpass, S. (1990). Measuring Participant Performance - An Alternative, *Australian Journal of Educational Technology*, 6(2), pp. 99-107.
9. Burke, L. and Baldwin, T. (1999). Workforce Training Transfer: A Study of the Effect of Relapse Prevention Training and Transfer Climate, *Human Resource Management*, 38(3), pp. 227-242.
10. Centre for Social Research document (1993). *The Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act 1992.*
11. Chen, T.Y., Chang P.L. and Yeh, C.W. (2004). A Study of Career Needs, Career Development Programs, Job Satisfaction and the Turnover Intensity of R & D Personnel, *Career Development International*, 9(4), pp. 424-437.
12. Colquitt, J.A., LePine, J.A. and Noe, R.A. (2000). Toward an Integrative Theory of Training Motivation: A Meta-Analytic Path Analysis of 20 Years of Research, *Journal of Applied psychology,* 85(5), pp. 678-707.
13. Dahiya, S. and Jha, A. (2011). Review of Training Evaluation, *International Journal of Computer Science and Communication*, 2(1), pp. 11-16.
14. Dayal, Ishwar (2001). Measuring Training Effectiveness, *Indian Journal of Industrial Relations*, (2001), pp. 339-344.
15. Driskell, James E. (2011). Effectiveness of Deception Detection Training: A Meta-Analysis, *Psychology, Crime & Law*, 10 (2011) pp. 1-19.
16. Fischer, R. (2011). Cross-Cultural Training Effects on Cultural Essentialism Beliefs and Cultural Intelligence, *International Journal of Intercultural Relations*, 35(6), pp. 767-775.
17. Flippo, B. Edwin (1971). *Principle of Management*, New Delhi; McGraw Hill Company.
18. India Infrastructure Report (2012)
19. Mehta, Dinesh, *Urban Governance : Lesson from Best Practices in Asia*, December 1998.
20. National Institute of Urban Affairs (2002). Management Innovations for Municipal Resource Mobilisation in India, *Urban Finance*, June Vol.5, No.2.
21. Saks, A. and Haccoun, R. (2007). *Managing Performance through Training and Development*, Toronto, Nelson and Thompson Ltd.

Violation of Credibility of Negotiable Instrument and The Position of Minor

Dr. Rachana Katta

Post Doctoral Fellow,
Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Cheque is the most widely and popularly accepted negotiable instrument in the settlement of trade and commerce transactions. This study is to analyse the position of minor regarding his capacity to contract and liabilities arising due to violation of credibility of Negotiable Instruments. An agreement executed by a minor is void under the Indian Law and cannot be ratified by him even on attaining majority, nor is a minor estopped from pleading his minority even if he has misrepresented himself to be major. He may set up his incapacity even against a holder in due course and is not precluded from doing so even under Section 120 of this Act. A minor is not liable in any way under contracts on negotiable instruments. A minor is not liable even for damages for inducting another to enter into a contract by misrepresentation or fraud. Though the price of necessaries supplied to a minor can be recovered from his estate under Section 68 of the Contract Act, but if he executes an instrument for such price that cannot be enforced against him. A promissory note made by a minor is worthless, and cannot form the consideration of a fresh promissory note made by him on attaining majority. A minor can draw a cheque if he has funds with the bank, but he incurs no obligation to the holder if the bank does not pay. In the case of bills, capacity should exist at the time of acceptance and not at the time of drawing.

Keywords: *Cheque, Capacity of Parties, Minor, Necessaries*

Introduction

Cheque is the most widely and popularly accepted negotiable instrument in the settlement of trade and commerce transactions. The culture and credibility of issuance of cheque depends on the fund position in the amount of the drawer of the cheque. When the problem of cheque bouncing assumed serious and significance dimension affecting every segment and people were beginning to lose confidence in banking, the government kept in, in 1988, and amended the Act, a momentous decision. A new Chapter XVII with new Sections 138 to 142 was added to the main Act. The object of this amendment was "to enhance the acceptability of cheques in settlement of liabilities by making the drawer liable for penalties in case of bouncing of cheques due to insufficiency of funds in the account or for the reason that it exceeds the arrangements made by the drawer, with adequate safeguards to prevent harassment of honest drawers". The main thrust of this amendment was to make such offenders liable for penal action. Despite the Amendment Act, 1988 it was found difficult for the courts to dispose large number of cases which were pending under Section 138-142 of the Negotiable Instruments Act, 1881 in various courts in the country. The Government then constituted a working group to suggest changes that can be appropriately incorporated in the Act for effective achievement of the desired purpose namely to maintain culture and ensure credibility on issue of cheques.

An Amendment Bill was further introduced on 24th July, 2001, which was later referred to a

Standing Committee of the Parliament on Finance for further consideration. After considering the recommendations of Standing Committee, the Lok Sabha passed the Negotiable Instruments (Amendments and Miscellaneous Provisions) Act, 2002 (55 of 2002), which came into force w.e.f. 6th February 2003. This Amendment act also seeks to synchronise and harmonise the provisions of the Negotiable Instruments Act with that of Information Technology Act, 2000 and the Banker's Books Evidence Act, 1891. The purpose is to inculcate faith in the efficiency of banking operations and credibility in transacting business on the negotiable instruments especially cheques.

An analytical study of the position of various parties regarding their capacity and liabilities arising due to violation of credibility of Negotiable Instruments have been dealt within this article. The capacity of parties such as minor, woman, lunatics, insolvents, agents, companies etc. have been discussed.

Capacity of Parties

Sec. 26 of the Act defines capacity to make etc. promissory note, etc.-

"Every person capable of contracting, according to the law to which he is subject, may bind himself and be bound by the making, drawing, acceptance, indorsement, delivery and negotiation of a promissory note, bill of exchange or cheque."

Minor- A minor may draw, indorse, deliver and negotiate such instruments so as to bind all parties except himself.

Nothing herein contained shall be deemed to empower a corporation to make, indorse or accept such instruments except in cases in which, under the for the law time being in force, they are so empowered.

Capacity to Make Promissory Note etc.

Capacity to incur liability as a party to a bill or note is co-extensive with capacity to contract. Every contract has to satisfy the requirements of enforceability as prescribed by Sec.10 of the Contract Act. One such requirement is that the parties to the contract must be competent. According to Sec. 11 of the Indian Contract Act, 1872,

"Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject."

The incapacity of one or more of the parties does not affect the liability of the other parties[1]. As regards a corporation the fact that it has power to enter into cheque contracts for certain purposes would not make it liable on a bill or note or issued in its name unless it is empowered in this behalf under the law for the time being in force.

The provisions of Section 120 of the NI Act are subject to the provisions of this section[2]. This section restricts the maker or drawer of a note or bill of exchange or cheque and acceptor of a bill of exchange for the owner of the drawer to deny the validity of the instrument as originally made or drawn in a suit thereon by a holder in due course.

This section does not purport to make any provision of substantive or procedural law. The latter part of the section merely brings out that a company cannot claim authority to issue a cheque under its first part.

Minor

The Privy Council in *Mohori Bibi v. Dharmodas Ghose (1903)*[3] declared that minors contract is *void ab initio*. Thus all contracts which seek to bind the minor to some liability or responsibility are void and therefore not binding on him.

The age at which a person attains majority is determined by the law of his domicile[4]. According to the Indian Law until a person completes his eighteenth year he is regarded as a minor but if before he has attained that age, a guardian of his person or property is appointed by a court then the period of his minority extends to twenty-one[5]. Under the English Law a person continues to be a minor until the completion of his or her twenty-first year.

An agreement executed by a minor is void[6] under the Indian Law and cannot be ratified by him

even on attaining majority[7], nor is a minor estopped from pleading his minority even if he has misrepresented himself to be major.[8] He may set up his incapacity even against a holder in due course and is not precluded from doing so even under Section 120 of this Act. A minor is not liable in any way under contracts on negotiable instruments.[9] A minor is not liable even for damages for inducting another to enter into a contract by misrepresentation or fraud.[10]

Though the price of necessaries supplied to a minor can be recovered from his estate under Section 68 of the Contract Act, but if he executes an instrument for such price that cannot be enforced against him.[11]

A promissory note made by a minor is worthless, and cannot form the consideration of a fresh promissory note made by him on attaining majority.[12] A minor can draw a cheque if he has funds with the bank,[13] and it is not uncommon with banks to open accounts in the name of minors, but he incurs no obligation to the holder if the bank does not pay. In the case of bills, capacity should exist at the time of acceptance and not at the time of drawing.

It was contended before the Madras High Court in *Sulochana and others v The Pandyan Bank Ltd and Another*[14] *(1975)* that the promissory note executed by the defendant along with his minor daughter was not valid in law. The Court said: "We fail to see any ground for holding that such a document was not valid in law. It is true that no liability could be enforced against the minor executant, but the first defendant who was also a party to the document could not escape liability."

The principle is well recognized that a minor cannot be a party to a negotiable instrument. Such an instrument has to pass from hand to hand like currency coin and if inquiry is permitted into the equities which may arise in favour of a minor, several complications would arise. It would be otherwise unfair if such instruments having passed into currency even holders in due course could be deprived of the right to recover the amount of the instrument from prior parties other than the minors. Where, however, an instrument is executed by a minor and an adult, the adult cannot escape liability, and not even where the adult is only a surety,[15] for it is only as against the minor that the contract is void.[16] But though a minor cannot incur liability under a negotiable instrument he can acquire rights under it.[17] A minor can be a promisee and, therefore, an instrument can be drawn or made in his favour as payee.[18] He can also become a payee by process of law and enforce payment of the amount of the instrument.[19] He can be a holder and can successfully sue all parties liable under the instrument.[20] He can sue and receive payment, on doubt, only through guardian or next friend.[21] An account by a banker may be opened in the name of a minor but it would be generally safe for a banker to open current accounts in the names of the guardians, for in the case of overdrafts granted even by mistake a banker cannot recover the amount even though it was given for necessity. A minor even though incapable of entering into a contract in his name can act as an agent for others. A minor can make contract on behalf of his father, if duly authorized to do so.

The disability of a minor goes no further than is necessary for the protection of the infant.[22] An infant can give a valid discharge and can pass receipts.[23] A minor cannot sue on a pronote executed in favour of his adopting mother alleging that the note was made and delivered on account of his estate.[24]

Where a minor and adult make a joint and several pronote or an adult is surety for a minor,[25] the adult is liable even though the minor is not; but the adult would not be liable if the note is in the name of minor only, even though he has received consideration along with the minor.[26]

Part 2 of the section makes another departure from the ordinary law of contracts. Though a minor cannot bind himself by drawing, endorsing,[27] delivering and negotiating an instrument; he can draw, indorse, deliver and negotiate an instrument and the instrument will be valid and binding on all parties except the minor (Sections 120 to 122 of the NI Act). Though the minor

cannot originate the title he can well serve as a channel to pass it on to others. A minor can be a holder though he cannot negotiate.[28] A minor can draw a bill or a cheque.

A Court is not bound to refuse enforcement of a minor's contract where minority is not set up by way of defence.[29] But where plea is raised the Court is bound to decide it.[30]

Necessaries

Section 68 of the Contract Act provides for liability in respect of necessaries supplied to a person incapable of entering into contract like a minor. Under Indian law the liability of the minor is not personal and it is only his property that is liable for the goods supplied. Necessary things are those which a minor actually needs.

Cloth supplied to a minor and cash lent to him to effect necessary repairs to his house are necessaries in law.[31] Word "necessary" includes money urgently needed for the requirement of a minor and cannot be restricted to what is necessary or elementary requirements of minors such as food and clothing.[32] Thus where the properties of a minor are threatened to be attached and there is imminent danger of the same being sold for revenue, and a creditor realizing the difficulties of the minor advances money to avert that danger, he is entitled to be reimbursed from the property of the minor. Objects of mere luxury cannot be necessaries.

References

1. Cray v. Cooper, (1782) 3 Dong. 65 (99): E.R. Wantheir v. Wilson, (1912) 28 T.L.R. 289 A.C.
2. Chengal Roya v. Nainappa, 117 I.C. 133
3. (1903) 13 I.A. 114, 30 Cal. 539
4. 19 B 697; 25 A 195
5. S.3, Indian Majority Act, IX of 1875; 12 C 612; 21 B 281
6. Mohor Bivi v. Dharmodas Ghose, 30 Cal 539 (IA); Mir Sarwarjan v. Fakhruddin Mohammed, 39 Cal
7. Nazir Ahmad v. Jivan Das, 1938 Lah. 159; 1937 O 14
8. 56C 252; 9 L 731 (FB); 43 A 256; 1929 L 880
9. 38 MLJ 353 (PC)
10. 43 IA 256
11. Re, Solty Kott, Ex P Margrette, [1891] 1 QB 413
12. Bindeswari Kumari Singh v. Chandika Prasad, 39 All. 137
13. 40 M 312 (FB); 33 M 657
14. AIR 1975 Mad 70
15. 19 B 697; 1916 PC 2
16. 17 Q B 950; 39 M 409 (PC); 19 B 597; (1912) 28 T L B 234, but see 3 IC 406
17. 1945 A 156
18. 40 M 308 FB; 1917 M 630
19. 24 MLJ 352; 33 A 657; 27 PLR 1122
20. Raghavachariar v. Srinivasa Raghavdariar, 40 M 308 (FB); 33 A 657
21. O 32, RI, CPC
22. (1885) 28 Ch D 424
23. (1877) 6 Ch D 358
24. 28 Mad 89; 30 M 89; 21 Mad 391 over-ruled
25. 19 B 697; 38 C 713
26. 41 PR 1913; 3 IC 406
27. 7 A 490
28. 33 M 312; 33 A 57; 40 M 408 (FB); 27 BLR 1121
29. 1929 L 165
30. 50 A 655
31. Vishva Nath Khanna v. Shyam Krishna, 1936 All. 819 : 166 I.C. 47 : 1936 A.L.J. 1120
32. Mahamde Ali v. Chinki Shah, 1930 All. 128 : 1930 A.L.J. 347 : 123 I.C. 327 : 35 All. 325 : 7 Cal. 140 : 21 Cal 872, ref

Locational Analysis of Hotel Industry (A Case Study of Jaipur District)

Dr. Pawan Aswal

Lecturer, Geography
B.N.D Arts College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur (Raj.)

Abstract

Since times immemorial people undertake journey for the sake of livelihood, religious purpose, education, recreation etc. Varied requirements of such people away from home, is fulfilled by Sarais/ Dharamshalas/Inns. These Inns and Dharamshalas has gradually transformed into mode3rn day hotels with the passage of time. Present study focuses on the analysis of impact of location on the type of hotel and the type of visitors embracing a particular hotel at a particular site.

Keywords: *Type of Hotel, Foreign Tourist, Domestic Tourist, City Heart, Suburb, Rural Area*

Introduction

The term 'Hotel' has evolved from a wider term Tourism and Travel. For understanding the exact nature of the term hotel a brief introduction of its wider term Tourism becomes important.

The concept of tourism as we see it today is considered as a new phenomenon, but in real spirit of the world this concept is as old as early human civilization. Early man travelled under compulsion, primarily to satisfy his biological needs, but with the development of the society, political, business and religious purposes emerged as the guiding factors behind travelling. The spread of education also fostered a desire to travel, and this travelling gradually transformed into tourism.

Tourism is unique in a sense, as it relates to industry without smoke, education without classroom, integration without legislation and diplomacy without formality. Tourism means the business of providing information, transportation, accommodation and other services to travellers.

Today tourism is one of the largest and most dynamic sectors of the economy worldwide. It is growing at a fast pace, leading to infrastructural development, inflow of considerable amount of foreign currency as well as good job opportunities. So by strengthening the various sectors of the economy, it contributes immensely in the development of a region. According to the world statistics tourism contributes about 10 percent of the world's income and employs almost one tenth of world's workforce. All considered together tourisms actual and potential impact is astounding. Among the valuable components of tourism indus-try, hotel industry is of prime concern, as its negligence may result in drastic fall in scales of tourism industry and its development.

Being a tertiary activity by nature, such as transportation, entertainment etc. hotel industry also offers a wide range of services to people of different tastes and background. One of the important characteristic of tertiary services or activities is that, these are benefitted in their development by interaction and cohesion among themselves. One of the special features of tourism is that these are attached to the sites of varied importance such as historical religious, cultural, and educational centre's etc, and these centers are in fact the life lines of a tourism industry. More varied a tourist centre, more

flourishing would be the hotel industry. As a basic component of tourism, accommodation is essential for providing food and rest. Wherever a civilized man is found on this earth, he needs a home or shelter for rest and food along with his family members after the hectic schedule of the day, and when one is on foreign land this facility is provided by a hotel.

Though tourism and hotel industries are interrelated it does not mean that, the hotel industry cannot develop without the development of tourism. In large metropolitan cities, where the availability of modern infrastructure is found and an atmosphere of consumerism dominates the lifestyle of people, there hotel industry is found in flourishing state. Likewise small hotels also get cropped up alongside the national highways and state highways to provide night halts, to the en route tourists and visitors. On the other hand if tourism is to be developed the hotel industry must develop simultaneously. It can be said that the development of the hotel industry is more or less correlated with the development of tourism. It does not produce anything that does not already exist, natural scenery, historical monuments, customs, dresses and festivals, handicrafts, souvenirs, etc. have been there at all times. They are sold to tourist by merely making it possible for him to see them, and in this process he is helped by the place where he enjoys the best of food and entertainment. This facility is provided by the hotel industry. It has now become such a big business that even slight indifference towards it will cost very much. For promoting tourism it is essential that various facilities, which are beneficial to the growth of this industry, should be developed. Hotels as a business on professional scale developed only after the industrial revolution. In India however the condition were somewhat unfavourable as it was a colony of Britishers prior to 1947. So whatever the type of hotels were available were mainly located in major cities or locations facilitating the movements of Britishers and their families. Being a part of the British Empire in the state of Rajasthan also the conditions were more or less the same.

Jaipur being the prominent city of Rajasthan got its first hotel, which was also the first hotel of the state in 1880. It was in the last decade of 19th century when Kaiser-i-Hind Hotel was established first of all in Jaipur, by the orders of King Madho Singh Ji II of Jaipur in 1880. After the inception of the first hotel in Jaipur, the momentum received by hotel activity has not slowed down till date as the numbers of hotels has reached above 600 in 2017. Fortunately this development of hotels has been much due to the heavy inflow of foreign and domestic tourists in the Jaipur i.e more than 15 lakhs annually. Today one can find a huge range of hotels in Jaipur district from budget to 7Star and Heritage hotels sprawled at different locations. Present study focuses on understanding the type of relationship between type of hotel and type of tourist/visitor embracing that particular hotel.

Study Area

The historical city of Jaipur casts an unusual spell on the travellers, since its inception i.e. in 1727 A.D. attractive monuments and landmarks, where one can breathe the fragrance of past, is a feast in store for tourists. Resting on a 286 years long history, today Jaipur has transformed into a mega city of north India and is one of the fastest growing cities of Asia. Retaining its medieval charm, today the modern Jaipur continues to grow as new arcades, multiplexes, malls, gardens industrial units, hospitals, flyovers, escalators, recreational centers etc. have been developed across its dimensions. Jaipur which is a land of superlatives is a blend of rich art and culture, an urban as well as administrative and educational centre, attracts lakhs of tourists annually. Many of them are visiting because of quest for experiencing rich art and culture while some are for business, medical treatment, religious purpose, social bonding, educational purpose, and recreation etc.

Today Jaipur has a perfect atmosphere for investment especially for tourism and related

activity, as the government here is very keen to provide infrastructural facility to the aspiring units in this field. Hotel accommodation is one such activity which gas taken full advantage of government policies for its development across the district. Present study undertakes the maximum hotels of the four tehsils of Jaipur district which receives the maximum inflow of tourists in the area. These four tehsils are Amer, Jaipur, Sanganer, and Chomu.

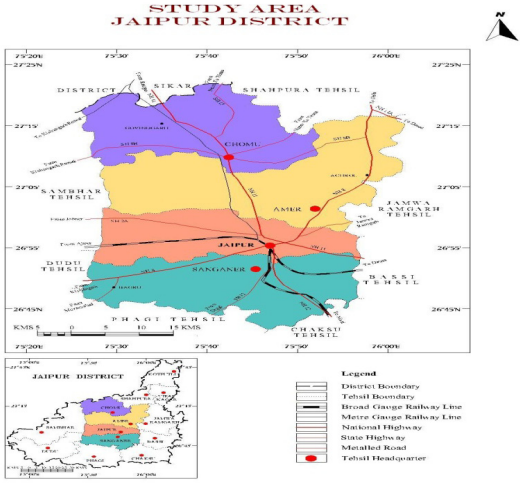

Locational Analysis of Hotels

Location of a hotel has a profound impact on type of tourists visiting it. As widely known, there are some potential sites of hotel development with regard to tourist sites (historical, cultural, recreational, entertainment, business, educational, health and sport etc.), infrastructure (transport and communication, banking, water and electricity safety, supply) and government's policies (for hotel and tourism promotion). Thus a hotel can achieve its level of profit, if it is able to succeed in taking the advantage of some of these above mentioned factors by acquiring suitable location. Besides profit, it is this location which decides the type of tourist visiting a hotel, especially for small hotels as facilities in these hotels are not so dynamic to create a pull factor for tourists. So a suitable location is a must for these small hotels, whereas a luxurious hotel (4 and 5 star) by means of its especially designed services can pull the aspiring customers even to distant locations i.e to suburb and beyond.

At the same time, location as well as the size of hotels also determines the type of visitors in hotels of an area. Such as small hotels at a prime location are visited by type of visitors like foreign tourist, domestic tourist, corporate and businessmen, medical treatments; whereas, a large hotel of luxurious nature being a costly, affair for students, small traders, religious trave-llers and most of domestic holiday makers, discourage them. In context of hotel industry, prime locations are those, where there is availability of main transportation nodes (bus stand, railway station) and easy availability of local means of transport, shopping entertainment, tourist sites, corporate offices etc. within the densely built up area or heart of the city. Anything away from this heart start losing the range of advantages related to prime location. As the distance increases activities start receiving specific advantage of the very area in which these are located, losing all others viz. a hotel near industrial area will experience only industrial visitors as its guests. However, there are certain hotel categories which cannot thrive flourishingly in the dense city area, in need of large space for creating luxurious facilities (pools, gardens, theatres etc.). Thus, during the later development of the city maximum luxurious hotels (4 and 5 stars) are forced to operate at the edge of the city which is calm, uncongested and cheap (land rates). These hotels by way of their specifically crafted luxuries are able to attract tourists at city's margin or the suburb, but these tourists compose only of high profile, gentry among foreign and domestic tourists. Anyhow, still the location of a hotel determines the type and number of tourists for every category of hotels. As evident from the present research, those luxurious hotels which are located in city's heart experience maximum variety and number of tourists, compared to those which are located in the suburb zone and rural zone.

Locational Impact of Hotels on Type of Tourist Visiting it

From the field survey of hotels of Jaipur district numbering 532; it was found that the types of tourists in these hotels were controlled by hotels location. In order to analyze the locational impact

on hotel guests, entire Jaipur district was divided into three zones (1) City's Heart, (2) Suburb and (3) Rural activities on the basis of density of multifarious activities (business, corporate, offices, markets, transportation facility, entertainment, public and private institutes etc.). Locational impact of hotels shows the role of distance of a hotel from the city's heart in determining the type of its guests.

Table below shows the locational impact of hotels on type of its guests.

Locational Impact of Hotels on Type of Tourists (2015)

Location of Hotels	Hotels having Mix tourist	Hotels having Maximum Foreign Tourists	Hotels of having Maximum Domestic Tourists	Hotels having Maximum Corporates and Businessmen	Total
Heart	234	51	99	67	451
Suburb	28	2	12	18	60
Rural	9	4	4	4	21
Total	271	57	115	89	532

Maximum foreign tourists - above 50%; **Maximum Domestic tourists** - above 50%; **Maximum, corporate and businessmen** - above 60% in hotels; **Mix Tourist** – Foreigners, Domestic, Corporate and Businessmen, Students etc

Above table clearly exhibits that, it is the heart of the city where maximum number of hotels are (451) are located, under all four category of tourists mentioned above (mix tourist, foreign and domestic tourist, and corporate and businessmen. Suburb area is second with respect to location of hotels (60 hotels) visited by different types of tourists. Whereas, rural area remained at third place with least number of hotels i.e. only 21 hotels.

At the same time, above table also shows that, maximum number of hotels embraced by both foreign and domestic tourists was located in the heart of the city i.e. 384. Even the number of hotels visited by corporate and business tourists was maximum in city's heart area i.e. 67.

Thus one thing is certain that, it is the heart of the city which remains the focal point of tourists as well as the hoteliers.

References

1. Agrawal, B.L. (1991). *Growth and Development of Hotel Industry in Rajasthan* (A Case Study of Jaipur District), X5b41, N2 BLA; Acc. no.10661, UOR, pg.16,17.
2. Inderpal (1993). "*Changing Constituents of Arid Ecology,* Asian Environmental Council, Jaipur, Vol. 7, pg.129.
3. Abid (1996). *Working Capital Analysis of Hotel Industry in Indi, A Comparative Analysis of Selected Units*, X5b41, Acc.no.12797, UOR, Jaipur, pg10.
4. Burns, P.M. (1999). *An Introduction To Tourism and Anthropology*, Routledge, pg.7.
5. Sinha. R.K (1999). *Growth And Development of Modern Tourism*, Dominant Publisher and Distributors, New Delhi, pg.6.
6. Amita. (2000). *Geography of Leisure and Recreation of the Urban Poor Women of Jaipur City*, Univ. of Raj., Jaipur, pg.11.
7. RTDC. (2000). *Rajasthan Lesser Known Destinations*. Govt. of Rajasthan, publication, pg.5-7
8. Tourism Policy of Rajasthan, Govt. (2001). pg. 7-1.
9. Khadar, Jameel, Ahmed. (2002). *Managerial Problems of Hotels and Tourism Industry in India*, University of Rajasthan, Jaipur, pg.4.
10. Singh, Surjeet. (2003). Tourism in Rajasthan, IDSJ Working paper 127, 8B, Jaipur, pg.2,3..
11. Sharma, Shashi Prabha. (2004). *Tourism Education Principles Theories and Practices*, Kanishka pub. and distributors, New Delhi, pg.6.
12. Tiwari, Jatashankar. (2009). *Hotel Front Office Operations and Management*, ,Oxford Univ. Press, New Delhi, pg. 4.
13. Bhatnagar, S.K. (2010). *Front Office Management*, Frank Brothers and Co. Ltd., New Delhi, pg.9-10.
14. RTDC, Jaipur. (2010). *Visitors Guide India Rajasthan,* pg. 91-92.
15. RTDC. (2012). *Annual Report*.

Medical Negligence (A Global Crime against Noble Profession)

Dr. Jhaber Singh Shekhawat

Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

The Medical Profession is regarding as a noble calling and the practitioner are accorded a special position of respect in the society hierarchy. Medical profession is one of the oldest professions and most humanitarian one. Doctors in India are treated as second life savers after God. Doctors have often been seen as some of the noble members of society and with good reason. Unfortunately, doctors, nurse and hospitals make mistakes in a large number of cases .A doctor owes certain duties to the patient who consults him for illness. A deficiency in this duty results in negligence. Negligence constitutes an independent basis of tort's liability. It means it creates a risk of causing damage, rather than the state of mind. Duty of care, Breach of duty, Cause in fact, Proximate cause and Damage these are the basic elements of negligence, to prove the case of negligence all these criteria must be satisfied and in cases of medical negligence in India, the ambit of duty of care and proximate cause increases, as there are life involve in this situation. Hospitals in India may be held liable for their services individually or vicariously. In some cases of medical negligence the compensation to the victim has given looking on the ethical values related to humanitarian basis.

Keywords: *Medical, Negligence, Profession, Consumer, Compensation*

Introduction

Doctors have often been seen as some of the noble members of society and with good reason. It takes years of training constant retraining and a lot more than just book smarts to be a good doctor. But they are still human and humans are fallible. Mistakes are made every day and while some of them can be insignificant others can completely change lives. If you need help and only certain people are able to help you, is it really fair to blame them if their best isn't good enough. In many cases on the other hand, it is clear if a patient suffered because somebody was careless.

Medical profession is one of the oldest professions and most humanitarian one. Doctors in India are treated as second life savers after God. Medical malpractice cases arise when a patient is harmed by a doctor nurse or other medical professional who fails to provide proper health care treatment. The standard of care from doctors and hospital authority is expected to be more in comparison with other cases of negligence. Unfortunately, doctors, nurse and hospitals make mistakes in a large number of cases.

Meaning and concept

It is very difficult to define negligence; the concept has been accepted in jurisprudence. Negligence constitutes an independent basis of tort's liability[1]. It means it creates a risk of causing damage, rather than the state of mind. The House of Lords in the case of **Donoghue v. Stevenson**[2], stated as "treats negligence, whether there is a duty to take care, as specified tort in it, and not simply as an element is some more complex relationship or in some specialized breach of

duty[3]. ***The Black law dictionary*** definition of negligence "conduct, whether of action or omission, which may be declared and treated as negligence without any argument or proof as to the particular surrounding circumstances, either because it is in violation of statute or valid municipal ordinance or because it is so palpably opposed to the dictates of common prudence that it can be said without hesitation or doubt that no careful person would have been guilty of it. As a general rule, the violation of a public duty, enjoined by law for the protection of person or property, so constitutes."

The basic elements of Negligence are

a. Duty of care
b. Breach of duty
c. Cause in fact
d. Proximate cause and
e. Damage.

These are the basic elements of negligence, to prove the case of negligence all these criteria must be satisfied and in cases of medical negligence in India, the ambit of duty of care and proximate cause increases, as there are life involve in this situation. Principle of Standard of care was laid down by Supreme Court in the case of **Dr. Laxman Balakrishna joshi v. Dr. Trimbark Babu Godbole[4]and A.S.Mittal v. State of U.P.[5]** in these cases, different kind of negligence were introduced which were further question of qualification for application in other cases.

Common types of medical negligence

1. Misdiagnosis or Delayed Diagnosis: When a doctor misdiagnosis a condition, the patient might miss treatment opportunities that could have prevented serious harm or even death.

2. Childbirth injuries: A number of fetal injuries can be caused by medical negligence, including brain injuries, fractured bones etc.

3. Medication Errors: It can occur many ways from the initial prescription to the administration of the drug. **For example,** a patient might be harmed if the doctor prescribes the wrong medication or the patient might be harmed by medication that the doctor prescribed to treat a misdiagnosed condition. In a hospital setting, the right drug might be given to the wrong patient.

4. Anesthesia Errors: Anesthesia mistakes are usually more dangerous than surgery mistakes. Even a small error by the anesthesiologist can result in permanent injury, brain damage or even death.

5. Surgery Errors: Some medical negligence claims arise from mistakes made in the operating room. A surgeon might be negligent during the operation itself puncturing internal organs, operating on the wrong body part and leaving surgical instruments in the body or the nursing staff might be negligent in administering post-op care.

Hospitals and Vicarious liability: Hospitals in India may be held liable for their services individually or vicariously. The principle of vicarious liability is based on a Latin maxim ***"qui facit per alium facit per se"*** which describes that the one who acts through another act in his or her own interest. The patient only requires diligent and proper care. If any of the staff of the hospital is negligent in the performance of their prescribed work, the hospital will be held liable on the negligent conduct of even borrowed doctors for specific performance of certain operations. [6] Hospitals have been also held liable for not providing adequate medical facility as it was held in **Paschim Bengal Khet Mazdoor Samity and Ors V. State of Bengal.**[7] Hospitals are also held vicariously liable if they are not able to provide proper sanitation facility.[8]

Indian Penal Code and Medical Negligence

Indian penal code 1860, section 52, 80, 81, 83, 88, 90, 91, 92, 304A, 337 & 338 contains the law of medical malpractices in India. A doctor can be charged with criminal negligence when a patient dies from the effect of anesthesia during an operation or other kind of treatment, if it can be proved that the death was the result of malicious intention or gross negligence. Before the administration of anesthesia or performance

of an operation the medical professional is expected to follow the accepted precautions.

In such cases, the doctor should be able to prove that the used reasonable and ordinary care in the treatment of his patient to the best of his judgment. The law expects a duly qualified doctor to use that degree of skill and care which an average man of his qualification ought to have and does not expect him to bring the highest possible degree of skill in the treatment of his patient . It has been recognized that criminal liability of a doctor may result from a high degree of negligent conduct.

In **R. v. Bateman,**[9] Dr. Bateman was prosecuted for manslaughter and the charges of negligence made against him were:

a. Causing the internal ruptures in performing the operations of 'version'

b. Removing part of the uterus along with the placenta

c. Delay in sending the patient to the infirmary.

When a FIR is filed against a doctor for the death of a patient who was under his treatment, under the Indian penal code 1860, section 304 A the doctor can be arrested. A doctor charged under this section can obtain bail and if proved guilty, the doctor can be punished with a maximum of two years imprisonment or fine or both. But, if the patient is alive then the doctor is charged under the section 337 & 338 of Indian panel code.

The Indian courts have been very careful not to hold qualified doctors criminally liable for patient's deaths that are the result of a mere mistake of judgment in the selection and application of remedies and when the death resulted merely from an error of judgment or an inadvertent death.

Civil law and medical negligence: Hospitals in India may be held liable for their services individually or vicariously. They can be charged with negligence and sued either in criminal/civil courts or consumer courts. As litigations usually take a long time to reach their logical end in civil courts, medical services have been brought under the purview of Consumer Protection Act, 1986 wherein the complainant can be granted compensation for deficiency in services within a stipulated time of 90-150 days.

In one of the earliest significant ruling in **Vasantha P. Nair v. Smt. V.P. Nair**[10], the National Commission upholding the decision of Kerala State Commission had held that,, a patient is a "consumer" and the medical assistance was a "service" and therefore, in the event of any deficiency in the performance of medical service the consumer court can have the jurisdiction. It was further observed that the medical officer's service was not a personal service so as to constitute an exception to the application of the Consumer Protection Act.1986.

In **Indian Medical Association v. V.P.Shantha & Ors.**[11]**,** the apex court has put an end to this controversy and has held that patient aggrieved by any deficiency in treatment from both private clinics and government hospitals are entitled to seek damages under the **Consumer Protection Act, 1986**. A few important principles laid down in this case include:

1. Services rendered to a patient by a medical practitioner (except where the Doctor renders service free of charge to every patient or under a contract of personal service) by way of consultation, diagnosis and treatment both medical and surgical, would fall within the ambit of **"service"** as defined in **section 2(1)(0)** of the **Consumer Protection Act,1986.**
2. The fact that medical practitioners belong to medical profession and are subject to disciplinary control of the Medical Council of India and, or the State Medical Councils would not exclude the service rendered by them from the ambit of Consumer Protection Act,1986.
3. The service rendered by a doctor was under a contract for personal service rather than a contract of personal service and was not covered by the exclusionary clause of the definition of service contained in Consumer Protection Act, 1986.

4. A service rendered **free of charge** to everybody would **not** be service as defined in the Consumer Protection Act, 1986.
5. The hospitals and doctors cannot claim it to be a free service if the expenses have been borne by an insurance company under medical care or by one's employer under the service conditions.

Doctors must exercise an ordinary degree of skill.[12] However they cannot give a warranty of the perfection of their skill or a guarantee of cure. If the doctor has adopted the right course of treatment, if he/she is skilled and has worked with a method and manner best suited to the patient, they cannot be blamed for negligence if the patient is not totally cured.[13]

In some situation the complainant can invoke the principle of **"*res ipsa loquter"*** or **"the thing speaks for itself."** In certain circumstances no proof of negligence is required beyond the accident itself. The National Consumer Dispute Redressal Commission applied this principle in **Dr.Janak Kantimathi Nathan v. Murlidhar Eknath Masane.[14]** The principle of "*res ipsa loquiter"* comes into operation only when there is proof that the occurrence was unexpected, that the accident could not have happened without negligence and lapses on the part of the doctor, and that the circumstances conclusively show that the doctor and not any other person was negligent.

Medical Negligence and Compensation: Medical negligence by doctors and hospitals, once established by the trial court, very well conveys that the conduct of the medical professionals was not up to the mark and hence, they must be held liable for deficiency in service as entailed in the consumer law in India.[15] What was the degree of this deficiency depends on the degree of negligence, which can either be slight, normal or gross. If the negligence was gross, it almost borders with intentional conduct which may be even penalized under the criminal law of the country, however, under the civil law for award of compensation, the quantum has to be determined by the consumer courts. By no stretch of imagination, the court should award a paltry sum for gross negligence. And, the same is true the other way round exemplary compensation need not be awarded in case of slight or normal negligence.

The highest amount of compensation granted in **Kunal Saha v. AMRI (Advanced Medical Research Institute)**[16] famously known as **Anuradha Saha** case, this case was filed in 1998 with the allegation of medical negligence on Kolkata based AMRI Hospital and three doctors namely Dr.Sukumar Mukherjee, Dr.Sbaidyanath Halder and Dr. Balram Prasad. The wife of aggrieved was suffering from drug allergy and the doctors were negligent in prescribing medicine which further aggravated the condition of patient and finally led to death. This was the facts and circumstances of the case, in this case the final verdict was given by the Supreme Court on 24th October 2013 and a compensation of around **6.08 crore** for the death of his wife.

In the case of **V. Krishna Rao v. Nikhil Super specialty Hospital,[17]** Krishna Rao, an officer in Malaria department filed a complaint against the hospital for negligent conduct in treatment of his wife. His wife was wrongly treated for typhoid fever instead of malaria fever, due to wrong medication provided by the hospital. Finally, the verdict was given and Rao was awarded a compensation of **Rs.2 Lakhs**. In this case, the principle of **res ipsa loquiter** (thing speak for itself) was applied and the compensation was given to the plaintiff.

In some cases of medical negligence the compensation to the victim has given looking on the ethical values related to humanitarian basis.[18]

Conclusion

There are two possibilities in cases of negligence, either it is negligence of the doctor or it is negligence of the staff. There may be a possibility of negligence, both of the doctor and the staff. In most of the cases, it will be a case of joint and several liabilities, and both the doctor and the hospital will be liable.

There cannot be any doubt that the compensation in medical negligence cases has to be just and

adequate, but with the changing times and aspirations of people, also with tremendous advancements in medical science resulting in much better diagnosis and far better treatment as in the yesterdays, it's expected by the patients and their attendants that the medical professionals need to be accountable to a certain degree, if not fully.

With the development of consumer law in the country, it is quite natural that the quantum of compensation will enhance and more and more hospitals will be brought under the ambit of this sound mechanism.

Thus it can be said that inspite of remedy under different laws the patient of medical negligence are still suffering and they need additional protection especially the patient from the Government Hospitals. Consumer Laws can be a great help provided the consumers should be aware of their rights.

References

1. Dr. Narasimha Rao v. Gundaverapu Jayaprakashan, AIR 1990 AP 207
2. (1982) AC 562
3. Great Austrialian Knitting Mills, (1936) AC 85-103
4. AIR 1969,SC128
5. AIR1989,SC1570
6. Aparna Dutt v. Apollo Hospital Enterprises Ltd. (2002ACJ 954(Mad. H.C.)
7. AIR1996,4SC260
8. Mr. M Ramesh Reddy v. State of Andhra Pradesh (2003(1) CLD 81 (APSCDRC)
9. (1925)
10. 1991 C.P.J.1685
11. AIR1996 SC550
12. Smt.J.S.Paul v. Dr.(Mrs) A Barkataki (2004)10 CLD1 (SCDRC-MEGHALAYA)
13. Dr.Prem Luthra v. Iftekhar(2004)11 CLD 37 (SCDRC-UTTARANCHAL); Mrs. Savitri Devi v. Union of Indiai IV(2003) CPJ 164; Dr. Devendra Madan v. Shakuntala Devi I(2003)CPJ57(NC).
14. 2002 (2) CPR138.
15. Consumer Protection Act, 1986.
16. (2014)1SCC384
17. AIR 2010
18. Parvat Kumar Mukherjee v. Ruby General Hospital and Ors.CPJ35(NC).

Representation of De-notified and Nomadic Tribes in Print Newspapers: A Critical Study of Media Language in Rajasthan

Geeta Shahu

Research Scholar, Department of Culture and Media Studies
Central University of Rajasthan, Ajmer (Raj.)

Abstract

The language of media about De-notified and Nomadic tribes in Indian, media always negative and these negative languages through print media have remained unexplored. Historically, print media is present news about DNT/NT people in Rajasthan states needs to analyze misrepresentation of their life. These tribes have been confined to criminal one in the society, which is the reason for misrepresentation in media. This paper is a summary of content analysis of news related to the DNT/NT peopleof six months' publication. The edition of newspapers printed from Jaipur city (the capital of the state). In the absence of proper information about the incidence reported about DNT/NT people the print newspaper provide a platform to provide negative news in society. The role of print media always questioned regarding representation of tribal communities due to the stigma of criminal tribes. In the era of new media ongoing comments has undergone in the examination. The impact of this kind of languages in print media certainly clicked academic arguments. The aim of this paper is to analysis the difference of construction of negative languishesthrough print media as it relates to their identity and to explore how media publish news of these people. Which has not only been being circulated through newspapers among mainstream society but has also opened up new identity crisis among them.

Keywords: *De-notified, Nomadic, Media, News, Tribal, Representation, Identity and Content Analysis*

Introduction

South Asia is the most populated area in comparison to rest of world for theDe-notified and Nomadic population. India itself is having more than 600 tribal groups residing. In different regions, they are known as Adivasis. They are the political culprit of representation of their identity. So, people have started to call them Vimukt Jati or Gumuntu. The name vimukt,Gumuntuand Wandering itself is a misrepresentation of their social status and cultural values. They are seeming to be poor by other mainstream societies. In the present time, their survival till depended on hunting, fishing and agricultural labours. As they are found in most the part of India.

The development politics and mainstream societies affected their value system. They are categorized as De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic tribes. The language used to their denotation is always problematic for them. They donot know why they are called Vimukt or Gumuntu. They are ahighly neglected section in the India. The word given to them by mainstream society that has an attitude, higher and lower social status of them. Even though they are still maintaining their unique culture and traditional values system. The word nomad is driven from Vimukt and Gumuntu itself. The word nomad means 'a member of a group or people who does not live long in one place. They move from one place to another place and they don't have Apermanent home. Sometimes they define as

the people who wanders to searching pasture for their herds. They also move for the economy reason because some nomadic groups have their livelihood based on to supply herbal medicines, to sell some iron tools, some groups entertain to other settled communities. Generally, they are engaged in other non-agricultural occupations. Nomadism is a way of living life in several communities

The DNT/NT are misrepresented in the world by other people as well as media. Their inadequate and misrepresentation has made them a marginalized section of the global world. Studies conducted on them has found that modernisation also affects them but they are not reported by mainstream media and always stick to their old representation. Even the governmental data also mispresent them as they are main categories in three section as Nomadic, De-notified and Semi-Nomadic tribes.

In the Rajasthan state, they are also found in numbers. The DNT/NT of Rajasthan has been recognized for their rich culture and diversity among them. The social structure of mainland societies does not allow to socially recognition of these nomads, due to their less number of population. Official data of state government show that around 40 nomadic, semi-nomadic, and de-notified tribal groups are found in Rajasthan till now, and much more to be explored. As they trace their origin from adifferent part of thestate. They are always living outside of the cities and villages because they are not allowing by themainstream.Bagariya,Bawari, Kajar, Sansi, Nut, and Naik etc.are major De-notified tribes and GadiyaLohar, Banjara, Kalbeliya, and Jogi are consider Nomadic tribes and Rebaris and Bhopas are mainly Semi nomadic tribe in Rajasthan. There are other DNT/NT also but these are in larger numbers and they are covering themajor part of Rajasthan. We can find each tribe in every district and region of the state.

Aim and objective

The aim of this paper is to explore current media language and representation politics about DNT/NT people of Rajasthan. The main objective of this paper is to analysis the possible stereotype misrepresentation of these people in print newspaper of Rajasthan state.

Statement of problem

The DNT/NT of Rajasthan has been neglected for ages due to misrepresentation by the oral history in past and presently they have become the culprit of media representation. Their cultural and social values system is very indigenous in nature and they have maintained theecological system. As most of the nomadic people are depend on natural resources, in one way they are not disturbing theecological system. The information about these tribe only circulated in newspapers and another media. The social status of these DNT/NT population only known by people through the negative news coming out in media. They are always considered criminal people. This paper will highlight the news item and how they are mispresented in adifferent newspaper in Rajasthan state.

Methodology

This study has been done to make an outline to understand the media representation of DNT/NT which is neglected and badly presented in theera of theinternet. Also, to know how media frame the language of representation of thecertain community. This study uses content analysis method to analyze the different news item in thenewspaper. The data has been collected in this paper from 3 newspaper as Rajasthan Patrika, Dainik Bhaskar and Dainik Navjyoti of Jaipur edition, this paper selected 270 issues from 1stAugust 2015 to 31stOctober 2015. The units of study in this analysis are front page, acolumn of the story, articles, editorial, photographs, especially the language of the news, political, gender, government policies, researchers, academicians and political leaders view on DNT/NT of Rajasthan.

Data Analysis and Agreements

The data collected from various newspapers and analyze to know how media presentation reality of something it always to question the news items. Most the newspapers follow the

same news source about these people, it found that only news headlines are different and story remain same in most of the newspapers. There is very few story of positivity about DNT/NT in Rajasthan. Most of the time story about theft, displacement of these people, mainstream people cruel with them, sometimes they are also targeting for murders in villages. When it is counted, the word thieves in the all the selected news items. It is found that most of the time they are called thieves, without investigation police call them in station and charges. Their identity has been formed in this way just because of misrepresentation in newspapers and another media. The lack of information about thereal incident happened about these people always neglected. Which is cause to prevent negative language about these communities not only in Rajasthan but also in India? This kind of language used in media is always questioned that why they are called thieves and criminal tribes, the colonial stigma still attached to them. Here this paper questions the role of the media, which say to prevails truth among masses. But in this case, it not fulfilling the role.

Most of the newspaper item about these people whether it is positive news it has been given less space and in a corner of middle pages. In these months, we can find only few news item about these people. The media portrayal to them only target to the negative item and most of the news coming in these newspapers are related to theft, crime, murder etc. that is blamed to done by them only. In this period, the only negative news is coming and language is always a stereotype. As this analysis shows that around 20 percent news item has been found in all duration of selected period. But other news item sees them as a public nuisance for themainstream population. These newspaper does not give them more emphasis because society thinks that they are not contributing to modern society. They are not considered part of the mainstream society till now. These kinds of portrayal have been focused nomadic people that they should be part of main society and start to collaborate with other societies, their contribution to society for forest production and indigenous knowledge should be ahighlight in media and most important is that criminal identity must vanish.

Conclusion

This analysis has given a thought to how media misrepresents to DNT/NT people in the Rajasthan state. But if we take thewhole scenario of India most probably it will be shocking to know that how media has subjugated these communities to a certain identity. This is only media who make people aware about these communities all over the world. So, this analysis must conclude what is missing and what is highlighted. The media language is the key point to make people aware of some people who were not considered the part of developed society or mainstream society. In this case journalists and editors have to play a great role to create more balanced, right information and narrative about these nomadic people. It is demanded that media should give more space to nomadic people and also researchers to make understanding. Media should not focus narrow lens; each media should focus on how to bridge the gaps between these communities and mainstream people.

References

1. Nagda, B.L. (2004). Tribal Population and Health In Rajasthan *Stud. Tribals*, 2(1): 1-8.
2. Nagda, B.L. (1992). *Social Correlates of Fertility*. Udaipur: Hiumanshu Publication.
3. Nagda, B.L. (1992a). Symptom of a Social Malaise. *Social Welfare*, No. 4.5, New Delhi: Central Social Welfare Board.
4. Elwin, V. (1955). *The Religions of an Indian Tribes*. London: Oxford University Press.
5. Paswan, B. (1994). *Spatial Dimension of Health Facilities in Bihar, Population and Development in Bihar.* Delhi: B.R. Publishing Corporation.
6. Mavli, B.L. (1980). *Venereal Diseases in Dungapur District, in N.N. Vyas and R.S. Mann* (Eds), *Disease, Culture, Contact and Tribals,* Udaipur TRIT
7. Salzman, P. (2002). "Pastoral Nomads: Some General Observations Based on Based on Research in Iran." *Journal Of Anthropological Research 58(2).*
8. Galaty. J., and Salzman. P. (ed.). (1981). *Change and Development in Nomadic and Pastoral Societies.* International Studies in Sociology and

Social Anthropology, Vol. XXXIII. 173 Leiden: E.J. Brill ...

9. Galaty. J., and Johnson. (ed.). (1990). *The World of Pastoralism. Herding Systems in Comparative Prespective,* New York: The Guilford Press
10. Galaty, J., D. Aronson. And Salzman. P. (ed.). (1981). *The Future of Pastoral Peoples,* International Development Research Centre: Ottawa…
11. Rao, A. and Casimir. M. (ed.). (2003). *Nomadism in South Asia,* Oxford University Press: New Delhi
12. Rao, A. (ed.). (1987). *The Other Nomads. Peripatetic Minorities in Cross-Cultural Perspective,* Cologne: Bohlau…
13. Ratnagar, S. (2004). *The Other Indians: Essays on Pastoralists and Prehistoric Tribal People,* New Delhi: Three Essays Press
14. Berland, C. J. (1982). *No Five Fingers Are Alike, Cambridge:* Harvard University Press
15. Berland, C. J. (1987). "Kanjar Social Organization" In Rao, Aparna. (ed.). *The Other Nomads: Peripatetic Minorities in Cross Cultural Perspective* Cologne: BohlauVerlag
16. Berland, C. J. (2003). "Servicing the Ordinary Folk: Peoples and their Niche in southwest Asia" In Rao, A. and Casimir. M. (eds.). *Nomadism in South Asia,* New Delhi: Oxford University Press
17. Berland, C. J. and Rao, A. (eds.). (2004). *Customary Strangers: New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and Asia:* Westport Praeger CT/London
18. Gardner, P. (2003). "Bicultural Oscillation as a Long-term AAdaptation to Cultural Frontiers: Cases and Questions," Rao, A. and Casimir. M. (eds.). *Nomadism in South Asia,* New Delhi: Oxford University Press
19. Dyer, C. (ed.). (2006). *The Education of Nomadic Peoples Current Issues Future Perspectives,* Berghahn Books: New York, Oxford
20. Dyer, C. and Choksi, A. (1997). "Literacy for Migrants: An Ethnography of Literacy Acquisition by Gujarati Nomads," *Educational Development* 17(4)
21. Dyer, C. and Choksi, (2000). "Education for all and the Rabaris of Kachchh, Western India," *International Journal of Educational Research 33*
22. Kavoori, P.S. (1999). *Pastoralism in Expansion: The Transhuming Herders of Western Rajasthan,* New Delhi: Oxford University Press
23. Spooner, B, (1973). "The Cultural Ecology of Pastoral Nomads," *Addison-Wesley Modules in Anthropology 45*
24. Dyson- Hudson, R. and Dyson- Hudson, N, (1980). "Nomadic Pastoralism," *Annual Review of Anthropology* 9
25. Berland, C. J. (2003). "Servicing the Ordinary Folk: Peripatetic Peoples and their Niche in southwest Asia" In Rao, A. and Casimir. M. (eds.). *Nomadism in South Asia,* New Delhi: Oxford University Press
26. Randhawa, T. S. (1996). *The Last Wanderers: Nomads and Gypsis of India,* Ahmedabad: Mapin
27. Ibbetson, D. (1882). *Report on the Census of the Punjab, Taken on the 17th of February 1881* Lahore: Government Printing Press
28. Brower, B. (1991). *The Sherpas of Khumbu: People, Livestock and Landscape.* Oxford University Press, Delhi.
29. Brower, B. (2003). "The Organisation of Transhumance in Nepal Himalayas: Sherpa Yak-Keeping in Khumbu" In Rao, A. and Casimir. M. (eds.). *Nomadism in South Asia,* New Delhi: Oxford University Press
30. Kratli, S. and Dyer, C. (2009). "Mobile Pastoralism and Education: Strategic options International Institute for Environment Development," *Education for Nomads Working papers 1,* UK: IIED
31. Kratli, S. (2001). "Education Provision to Nomadic Pastoralists: A Literature Review," IDS Working paper 126
32. Morton, J. (2008). "DFID's Current and Potential Engagement with Pastoralism: A Scoping Study," Natural Resources Institute: University of Greenwich
33. Messerschmidt, D. A. (1976). "Ecological Changes and Adaption among the Gurangsof the Nepal Himalaya," *Human Ecology* 4(2)
34. Dangwal, D. (2009). "The Lost Mobility: Pastoralism and Modernity in Uttarakhand Himalaya (India)," *Nomadic Peoples* 13(2)
35. Moktan, M. R. Norbu, L. Nirola, H. Kencho, D. Rai, and Dorji, R. (2008). "Ecological and Social Aspects of Transhumant Herding in Bhutan," Mountain Research and Development 28 (1)
36. Ingold, T. (1985). "Khazanov on Nomads," *Current Anthropology 26*
37. Khazanov, A.M. (1984). *Nomads and the Outside World,* Madison: University of Wisconsin Press
38 Balland, D. (1991). "Nomadism and Politics: The Case of Afghan Nomads in the Indian Subcontinent" *Studies in History 7* (2)
39. Agamben, G. (2005). *The State of Exception,* The University of Chicago Press

An Analysis of Agriculture Sector in Rajasthan

Ms Sapna Newar

Research Scholar, The IIS University, Jaipur (Raj.)

Dr. Nidhi Sharma

Associate Professor, The IIS University, Jaipur (Raj.)

Abstract

India continues to be an agrarian economy since time immemorial, which holds true for the economy of Rajasthan as well. Due to changing circumstances the plight of Indian agriculture is in a deplorable condition. In comparison to countries like China, USA, Indian productivity is very low. And no one can deny the fact that the future growth of India lies in the growth of agriculture. Rajasthan economy is predominantly agricultural and rural in nature. Rajasthan, the biggest state of India, has a large portion of its population approximately 70 percent dependent on agriculture. State has about 51% of its total reporting area under net area sown in 2012-13 (Some Facts about Rajasthan 2014-15). In spite of such vast farm area under cultivation, state's yield is neither encouraging nor remunerative to the cultivators. There is an urgent need to bridge the startling agriculture productivity gaps between developed and developing districts. Income gains among rural masses through agriculture development will help in the development of other sectors as well. As shown by a research done by Rangarajan (1982) a one-percent increase in agricultural output tends to raise industrial production by 0.5% and augment national income by 0.7%. In this context, this paper evaluates the performance of agriculture in Rajasthan talk about position of Rajasthan in India.

Keywords: *Agriculture Productivity, Agro Economic Zones, Crop Yield, Agriculture Workers*

Introduction

Agriculture plays a vital role in the development of a state like Rajasthan where even at present more than two-third of the population is engaged in agriculture sector. Prosperous agriculture not only leads to its contribution in GDP growth but also helps in eradicating poverty through gainful employment generation. Past experiences have also shown that speed of poverty reduction has closely followed by increases in agriculture productivity. Agriculture is potential sector for development of India and so as for the state. Agriculture sector has also been identified as Primary Moving Force (PMF) in tenth five year plan. Accelerated agricultural growth based on increasing agriculture productivity is fundamental for reducing regional disparities in agriculture development in the lagged districts of the state. Without the development of this sector the state will not be able to accelerate its overall growth.

Rajasthan is predominately an agriculture state where more than two-third of the population is engaged in agriculture and allied activities for their livelihood. The number of agriculture workers (both cultivators and agriculture labourers) in the state increased from 1.2 crore according to 1991 census to 1.5 crore in 2001census and further to 1.8 crore in 2011 crore. Rajasthan's record of progress in agriculture in spite of subsequent droughts over the past few years has been quite impressive. Agriculture sector plays an important role in State's economy. Though the contribution of agriculture in NSDP

of state has fallen from about 45.49 per cent in 1990-91 to around 28.99 per cent in 2014-15 at constant prices (Economic Review 1994-95 and 2014-15, Government of Rajasthan), agriculture yet forms the backbone of state economy.

The target growth rate for agriculture sector in 12th five year plan for the state was 3.5 percent. Of the total proposed outlay 5.5 percent was for agriculture and allied sector, 4 percent on rural development, 0.59 percent on special area programme and 3.99 percent on irrigation and flood control.

In this context, this paper evaluates the performance of agriculture in Rajasthan and its districts. It talks about position of Rajasthan in India

Rajasthan Economy

India continues to be an agrarian economy since time immemorial, which holds true for the economy of Rajasthan as well. Due to changing circumstances the plight of Indian agriculture is in a deplorable condition. In comparison to countries like China, USA, Indian productivity is very low. And no one can deny the fact that the future growth of India lies in the growth of agriculture.

Rajasthan economy is predominantly agricultural and rural in nature. Rajasthan, the biggest state of India, has a large portion of its population approximately 70 percent dependent on agriculture. State has about 51% of its total reporting area under net area sown in 2012-13 (Some Facts about Rajasthan 2014-15). In spite of such vast farm area under cultivation, state's yield is neither encouraging nor remunerative to the cultivators. There is an urgent need to bridge the startling agriculture productivity gaps between developed and developing districts. Income gains among rural masses through agriculture development will help in the development of other sectors as well. As shown by a research done by Rangarajan (1982) a one-percent increase in agricultural output tends to raise industrial production by 0.5% and augment national income by 0.7%.

Table 1: Position of Rajasthan in India

S. No.	Indicators	Rajasthan			India
		1991	2001	2011	2011
1.	Geographical Area (lakh Sq. Km.)	3.42 (10.43)	3.42	3.42 (10.41)	32.87
2.	Population (in crores)	4.40 (5.2)	5.65	6.85 (5.7)	121.06
3.	Rural Population(as percentage of total population)	77.12	76.61	75.11	68.89
4.	Literacy rate	38.55	60.4	66.1(16)	
5.	Decadal growth rate(2001-11)	28.44	28.41	21.3	17.7
6.	Density (per sq.km.)	129	165	200	382
7.	Total Reporting Area (in lakh hect.)	342.7		342.7	3059.0
8.	Total Forest Area (in lakh hect.)	23.69 (6.92)	26.06 (7.61)	27.43 (8%)	700.1 (22.89%)
9.	Gross Irrigated area to Gross Cropped Area(%)	29.10	29.51	36.33	44.91
10.	Net Sown Area to total repoting area (%)	45.22	50.76	52.63	46.28
11.	Net Irrigated Area to Net Area Sown (%)	28.04	30.12	39.49	44.92
12.	Average Size of Operational Holdings (hect.)	4.11	3.65	3.07	1.16
13.	Cropping Intensity	117	121	142.98	140.54
14.	Consumption of Fertilizer per hectare of cropped area(kg/hectare)	23.4	36.56	62.35	

Source: Various issues of Basic Statistics of Rajasthan and Agricultural Statistics, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture.

Pocket Book on Agriculture Statistics 1991, 2003 and 2013

As per 2011 census, Rajasthan's population is 68.5 million constituting 5.65 percent of the country's population. Rural-urban population ratio in the state is 75:25. The decadal percentage growth rate of the state has declined from 28.44 in 1981-91 to 28.41 in 1991-2001 to 21.3 in 2001-2011. The density of population is 200 persons per square km. The sex-ratio in the state is highly adverse i.e., 1000 male to 928 female, whereas for country as a whole it is 933. Literacy rate in state in 2011 is 66.1 percent.

Rural population in Rajasthan has declined marginally during the time period from 1991 to 2011; still the ratio of rural population in state is higher than national average. In some of the indictors Rajasthan is performing better than national averages like cropping intensity, average size of operational land holdings, net sown area to total reporting area. Literacy rate in state improved at a much faster rate during 2001 as compared to 2011. But still rural literacy rate is less than national literacy rate. In some of the indicators also like gross irrigated area, net irrigated area state performance is less than the national averages. The Cropping intensity in the State fluctuates between 106 to 126 percent, which indicates further scope for its increase.

Agro-Economic Zones of Rajasthan

On the basis of certain agro-economic characteristics like the level of land productivity, incidence of rural poverty, high level of irrigation or high assured rainfall, etc, the Planning Commission has divided the country into four agro-economic zones which is shown in following table:

Table 2: Agro- Economic Zones of Rajasthan

Zones	Features	Rajasthan Districts
Zone I	Area with high level of Productivity (either with high levels of irrigation or high assured rainfall) Low incidence of poverty	No District
Zone II	Area with low level of Productivity (low levels of irrigation or low rainfall) High incidence of poverty	Chittorgarh and Jhalawar
Zone III	Area with low level of Productivity (low rainfall) High incidence of poverty	Ajmer, Alwar, Banswara, Bharatpur, Bhilwara, Bundi, Dholpur, Dungarpur, Sri Ganganagar, Jaipur, Jhalawar, Kota, Pali, Sawai Madhopur, Sirohi, Tonk and Udaipur.
Zone IV	Ecological fragile areas of the north Himalayan belt, north eastern region and desert area (Intra variation in the levels of productivity, poverty, and irrigation etc)	Barmer,Bikaner, Churu, Sikar, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur, Nagaur, and Juhnjhunu

Source: Rajasthan Development Report: Planning Commission 2006, Govt. of India, New Delhi. http://planningcommission.gov.in/plans/stateplan/sdr/sdr_rajasthan.pdf

The table 3.1 clearly shows that no district of Rajasthan scores well in terms of high level of productivity and low incidence of poverty as there is no district in zone 1. Most of the districts are covered in zones 3 and 4 showing high incidence of poverty and low level of productivity in most of the districts of Rajasthan. There are vast disparities in the rainfall situation in Rajasthan. During TE 1990-93 fluctuate from minimum 48.05 cm to maximum to 75.33. In TE 2000-03 maximum fluctuations was in year 2002-03 when rainfall was fall down by 30.80 percent over normal rainfall. The maximum rainfall during this TE was 60.47cm and

minimum 26.71 cm. During TE 2011-14 it ranges from maximum 75.72cm to minimum 64.20 cm (58 years of Agricultural Statistics).

State of Agriculture in Rajasthan

Agriculture is a large contributor of the state's economy. The state falls into three of the four agro-economic zones in which the whole country is divided. The major crops in Rajasthan are bajra, jowar, maize, barley, wheat, pulses, gram, cotton, groundnut, sugarcane, rapeseed, mustard and seasmum. Rajasthan occupies first place in the production of bajra, rapeseed and mustard in India. Being an arid to semi-arid zone, it is characterized by low irrigation facilities. The percentage of irrigated area to net sown area is still 39.49 percent in 2011-12. Canals are the main source of irrigation in the north western plain zone while wells and tube wells in western dry region.

India is facing problem of water scarcity which is more acute in Rajasthan. Rajasthan, the largest state of the country, faces natural constraints which impose a great challenge on the state to sustain its agriculture growth. Agriculture development in the state lies in developing systems with low water-requiring crops, which will help in breaking crop-yield barriers and also ensure return on investment made by farmers. Most of the crops in Rajasthan are water fed. Per capita availability of water in Rajasthan is much less than the national average. With just 1% share in country's surface water resources Rajasthan's agriculture depends on rain. Developing crops which require less water will be a boon for the farmers in this arid state.

Though agriculture plays an important role in the state's economy, over the years the contribution of this sector in state's NSDP has come down. This had negative impact on the overall growth of the state and thus on the growth of nation. Rajasthan, the largest state of the country, faces natural constraints which impose a great challenge on the state to sustain its agriculture growth.

Table 3: Crop Wise Percentage Change in Area and Production

	Area(in '000 Hectares)					Production(in '000 M.Tones)				
Crop	**1990-93**	**2000-03**	**2011-14**	**% change In 2000-03 over 1990-93**	**% change in 2011-14 over 2000-03**	**1990-93**	**2000-03**	**2011-14**	**% change In 2000-03 over 1990-93**	**% change in 2011-14 over 2000-03**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Foodgrain Crops	12260	10914	13559	-11	24	10132	13182	20901	30	59
Pulses	3318	2512	3964	-24	58	1365	1397	2260	2	62
Oilseeds	3334	2734	4941	-18	81	2536	2960	6059	17	105
Fibres	475	470	502	-1	7	161	71	258	-56	261
Condiment and Spices	329	585	874	78	49	262	538	763	105	42
Fruits	16	20	32	20	64	0.50	0.25	3	-50	913
Vegetables	58	81	136	40	69	153	234	723	53	209
Drugs and Narcotis	63	119	211	88	77	3	1	110	-59	9635

Source: 58 Years of Agricultural Statistics of Rajasthan (1956-57 to 2013-14) Directorate of Economics and Statistics, Department of Planning, Rajasthan Yojana Bhawan, Jaipur

As it can be seen from table 3 that area under foodgrain, pulses, oilseeds, fibres has shown negative growth during TE 2000-03 over 1990-93. This is due to the fact that total cropped area comes down and actual rainfall was much less than normal rainfall in Rajasthan during 2002-03.

Cereals production in 2010-11 was 203.22 lakh tones which come down to 196.98 in 2011-12 and further to 157.06 in 2012-13. Foodgrain

production falls by 19.10 per cent from 2011-12 to 2012-13 in Rajasthan. Likewise cereals production has also shown negative growth. Pulses, sugarcane, oilseeds and cotton also have shown negative growth, which had a negative impact on the per capita income of farmers in Rajasthan.

Conclusion

The possibilities of bringing more area under cultivation are marginal in the state. Only possibility to increase cropped area is through intensive cultivation. Contribution of agricultural growth to overall progress has been widespread. The decent agricultural growth is a pre-requisite for inclusive growth, reduction of poverty levels, development of the rural economy and enhancing of farm incomes and to achieve much cherished double digit GDP growth in the country. The growth with inclusiveness can be achieved only when agriculture growth accelerates and is also widely shared amongst people and regions of the country. All these factors point to just one thing that agriculture has to be kept at the centre of any reform agenda or planning process.

Moreover even at present farm sector in Rajasthan is plagued with numerous problems like declining farm incomes, size of land holdings, ecological degradation and overcapitalization etc. Therefore, to stabilize incomes and employment in the farming sector there is need for crop diversification within farm sector. The agriculture sector occupies a prominent place in the Rajasthan economy. In which oilseeds sector is an important part and is also an important link in the supply chain of the manufacturing sector. Although Rajasthan is in the list of the largest producers of oilseeds in the India, but there are wide gaps in productivity levels between developed and underdeveloped districts over time period under study. Even after one of the largest producer of oilseeds, this sector is also not being able to keep pace with growing demands. Equally worrisome is lack of effective processing technology, which further adds to the cost of these crops. There is also lot of variation in the prices trends in districts. The state also needs to improve oil crushing industries in this as being one of the largest producers of oilseeds Rajasthan has great potential in this sector. The residual of these industries will provide raw material to the industries thus helping in industrial development and will also help in meeting the booming demand for animal feed. Large prospects lies in this sector which Rajasthan needs to be utilized. But one of most worrisome is that out of the total oilseed area in state most of the part is confined to rain-fed farming, cultivated mostly by small and marginal farmers. Lack of technology, small holdings, rainfed, lack of finance and uncertainty involved in this sector are some of the factors responsible for low productivity in this sector in the state.

Rajasthan is one of the highest oilseeds producing state in India. Oilseeds are products which are not edible without processing, so food-processing units need to be established, which in turn will help in increasing employment many folds. With government already providing very high subsidies in this sector, to burden it with more will only increase fiscal deficit. So along with public sector processing units, private investment could also be attracted in agro processing by providing various incentives in the form of land and electricity at concessional rates and concessions on import of refinery machines. In remote areas like Jaisalmer or Nagaur infrastructure development should be on first priority to bring them one step closer to development.

There is need to develop new technologically advance alternative crops which requires less water. As the new technology involves huge investment, to make farmers adopt this technology there is need to ensure fair return to the farmers on their investment and this could be done by making their product marketable. To make farmers adopt new technology there is need for a paradigm shift from merely disposing their crops at lower prices in local *mandis* to a demand-driven activity with an increased focus on value addition through processing and quality control of the product and brand building

through patents. Moreover, the government also needs to announce minimum support prices and to provide credit at concessional rates to make small and marginal farmers adopt such new alternate crops. Moreover the productivity of traditional crops is also needed to be enhanced as land will diverted from the production of traditional crops to alternate crops.

References

1. Directorate of Economics & Statistics (DE&S). Agricultural Statistics: Various Issues. Dept. of Planning, Jaipur, Raj.
2. Birthal, P., Singh, H., and Kumar, S. (2011). Agriculture, Economic Growth and Regional Disparities in India. *Journal of International Development, 23, 119–131*.
3. Department of Agriculture & Co-operation (2014). *Agriculture Census 2010-11*, Ministry of Agriculture , Government of India.
4. Gulati, A., and Gayathri, M. (2017). Irrigation Tips From an Arid Country. *Indian Express*.
5. Nathuramka, L. (2011). *Economy of Rajasthan*. Vishal Kaushik Printers, Delhi. pp. 25-30,174-180.
6. Planning Commission (2006). *Rajasthan Development Report: Agriculture*. Govt. of India, New Delhi. pp 64-65. Available at http://planningcommission.gov.in/plans/stateplan/sdr/sdr_rajasthan.pdf (Accessed on 26th July, 2015).
7. Rangarajan, C.(1982). Agriculture growth and Industrial performance in India. *International Food Policy Research Institute, Research Report 33*.
8. Singh, S., Reddy, R. and Batchelor, C. (2013). *Regulating Water Demand and Use in Rajasthan.* European Unions State Partnership Programme. Special Studies Series. Rajasthan Study 4. Available at http://eeas.europa.eu/archives/delegations/india/documents/regulating_water_demand_and_use_in_rajasthan.pdf
9. Swain, M. Kalamkar, Ojha (2012). State of Rajasthan Agriculture 2011-12. *AERC Report 145;* 28-33.

Quality Assurance and Higher Education

Ravinder Kaur

Research Scholar,
Department of Economics, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

India is undergoing a demographic transition where majority of the population is below the age of 25. Education will play a major role in the country for the expected 'demographic dividend'. The Higher Education policy has been mainly governed by "the National Policy on Education of 1986". Various Commissions has laid down the basic framework for the National Policies for higher education in the country. These policies on higher education focus on greater access, quality and excellence, relevance and value based education. Therefore for developing human capital and for global excellence, access and quality is considered to be the important component.

Keywords: *Quality, Higher Education, Quality parameters*

Introduction

Education is one of the important sectors of Indian economy. India has the largest and the oldest education system in the world and famous for the institutions for learning which were of international repute. For improving human resource in the country, higher education as considered the key for development. Globally, the opportunities are prevailing for those countries that have large pool of skilled and efficient manpower. This has led to heavy investment in higher education. In today's globalised world, knowledge and skills are the two important tools for building human capital. International Commission on Education (1966)[1] popularly known as Delors Commission. This commission highlights the following four foals of education: to impart learning to know, to do, to live together and to be. Quality education is expected to instil the four capabilities as spelt below: to think logically, analytically, critically and laterally, to eke out an honourable living by learning occupational skills and work experience, to realize one's potential for self-development in terms of physical, intellectual, emotional, aesthetic and moral attainment through educational experience, to acquire discriminatory capability to appreciate and imbibe the emerging values of our times of our times such as concern for ecology, equality, civility, harmony and cultural pluralism.(cited in S.L Sharma et al). It was observes that to ensure quality, government has put in place procedures like elaborate approval processes and regular inspections. The relative quality deficit of private sector higher education institutions is a more critical problem is decline in the quality of education in general. India has failed to produce world-class universities both in public and the private sector. (NAAC 2012)[2] report rates the quality of 68 per cent of our universities and 90 per cent of our colleges as either average or below average.

Major Concerns of Higher Education

It is a complex issue in itself and can be explained in several ways as we have above. According to (Powar, 2001)[3], "quality is the ability to meet the stated purpose for which the service was offered". The need for quality education is now internationally recognised. An important dimension of the Indian Higher Education in India now days is the thrust for quality because

of increasing competition among all types of universities like public, private and foreign universities. In order to maintain quality education, it is essential to have transparent and impartial system to identify the suitability of candidates based on merit. There are some prerequisites for imparting quality education, Quality of entrants, Quality of syllabus, Qualified and competent faculty, Compulsory attendance, Quality teaching by using modern methods and electronic media, infrastructural facilities. (Powar,2012)[4], explains it more clearly, " quality is the sum of number of variables such as the financial resources available, human resources especially qualified faculty, their commitment, and research environment and finally the vision, objective and support of sponsoring body. Higher education comprises of teaching, research and extension. The importance of higher education cannot be denied, because it is a system which is there in all walks of life, supplies the much needed human resources in management, planning, design, teaching and research. Even the scientific research, technological advancement depends on country's higher education system.

On other hand, the report of the UNESCO[5] International Commission on Education in the 21st Century titled "Learning: The Treasure Within" (Delors Commission) emphasized four pillars of education: Learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be. This report has highlighted the following specific functions of higher education; to prepare students for research and teaching, to provide highly specialized training courses adapted to the needs of economic and social life, to be open to all, so as cater to many aspects of lifelong education in the widest sense and to promote international cooperation through internationalization of research, technology, net-working and free movement of persons and scientific ideas (UNESCO, 1996). For promoting Quality in higher education in India, various reports, discussions and recommendations that gave a direction and focus to the developmental strategies have played a major role in shaping Higher education in India. NPE (1986) has marked a significant step by aiming at promoting national progress and a sense of common citizenship, cultural and national integration.

It laid stress on the need for a radical reconstruction of the education system, to improve its quality at all stages. After NPE 1968, there has been a considerable expansion in educational facilities all over the country at all levels. After the recommendations of NPE 1986, there is expansion of the system of higher education which was impressive, the other general targets was however not that much achieved as a result, problems of access, quality, utility, financial outlay and other problems continued to get accumulated over the period of years. Whereas the growing concern about the quality of higher education at all levels brought Constitutional Amendment of 1976, to bring education into Concurrent list to ensure quality. After this the role of state has not changed but central government has larger role to play in maintaining the quality. This includes the needs of research and advanced study, the international aspects of education, culture and Human Resource Development and to promote excellence at all levels of educational pyramid.

[6]NPE of 1986 has been constantly concentrating on quality- excellence and relevance and therefore evolve a series of strategic plans to achieve the same. It advocates the development of coordinated methods to keep a watch on standards by the UGC and the state councils. Under the section 'improvement in efficiency', the policy notes a few major steps which include the following two which have a direct bearing on institutional evaluation. They include Excellence in performance of institutions and individuals will be recognised and rewarded and selection of institutions that will be academic, administrative and financial autonomy of varying degrees. Under the section, 'To make the system work' the policy document identified that strategy would consist of creation of a system of performance appraisals of institutions according to standards and norms set at the National or State levels. Appreciating the importance Education and the Programme of Action (POA) 1986 interalia recommended the establishment of an Accreditation body. The POA had clearly spelt out the scope and nature of such body in the following statements, "Excellence of Institutions o higher education is a function of many aspects: self evaluation and self improvement are important among them. If

a mechanism is set up this will encourage self-assessment in institutions and also assessment and accreditation by a Council of which these institutions are corporate members, the quality of process, participation, achievements, etc. will be constantly monitored and improved.

Establishment of NAAC

In view of the given directives of NPE/ POA, the University Grants Commission (UGC) of India constituted a 15 member committee on Accreditation and Assessment Council under the Chairmanship of Dr. Vasant Gowarikar, Secretary, Ministry of Science and Technology, Government of India. The main aim of the Committee were to make recommendations regarding setting up of Accreditation and Assessment Council in order to develop a mechanism for maintenance and raising of quality institutions of higher education while keeping in view of the objectives , uses and various methods / procedures that are currently being followed by different countries or that can be adopted.

The Functioning of NAAC

The POA document suggested that the new Council to be established should enjoy reasonable autonomy in its functioning. The mode of operation of the proposed body, as suggested in POA, reads as follows:

"As a part of its responsibility for the maintenance and promotion of standards of education, the UGC will, to begin with, take the initiative to establish Accreditation and Assessment Council as autonomous body. It will evolve its own criteria and methodology for accreditation and assessment. Its main functions will be catalytic: it will analyse and evaluate institutions and their performance to facilitate self-improvement. This Council will be supported by a professional secretariat in the performance of its functions".

With this recommendation NAAC was established as an autonomous body, under section 12-CCC of UGC Act 1956, registered under Karnataka Societies Registration Act of 1960 and Karnataka Societies Registration Rules of 1961 at Bangalore on September 16, 1994. Its working is controlled by General Council and Executive (EC) on which organisations such as UGC, All India Council for Technical Education (AICTE), Ministry of Human Resource Development (MHRD), Association of Indian Universities (AIU), Universities, and professional bodies, senior academic and educational administrators represented. The chairman of UGC is President of NAAC. UGC and AICTE Acts provide for the establishment of Accreditation bodies like NAAC and NBA respectively.

Role and Responsibilities of NAAC

The objective of NAAC as mentioned in the revised Memorandum of Association (MOA) of 2000 is to assess and accredit institutions of higher learning in India, universities and colleges or one or more of their units, i.e., departments, schools, institutions, programmes, etc., The main objectives of assessment and accreditation are to: Grade institutions of higher education and their programmes, stimulate the academic environment and quality of teaching and research in these institutions, help institutions to realise their academic objectives, promote necessary changes, innovations and reforms in all aspects of the institutions working for the above purpose, encourage innovations, self evaluations, and accountability in higher education. MOA has stated the criteria on the basis of which there will be Accreditation and Assessment; it includes Institutional mission and objectives, organisation and governance, Infrastructural facilities quality of teaching and learning, curriculum design and review, support services, student services, sources, adequacy and management of financial resources, publications and consultancy and extension activities. There-fore we can say that the philosophy of NAAC is ameliorative and enabling rather than punitive or judgemental.

Need of Quality Education

The need for quality education arises because we are going to be highly populated country in the world by the year 2030. In this blotted population around 65% of the people will be young and almost 10% of the young population will be going to the college. India is going to be the fastest growing economy in the world after US and China. It is predicted that this growth will be contributed by the service sector as observed in the last two decades of the Indian economy. In the last two decades the growth has been driven by service sector. The service sector is also expected as main source of employment to large number of youths. NASSCOM (2013)[7] has projected that the present level of employment,

three million in 2013, is expected to increase ten times to 30 million (direct and indirect) by 2020.

In this structural change in India economy as well as its comparative advantage in services in world trade suggests a change in the structure of demand for quality education and skills. It is advocated that India can take the advantage of this and act as a supplier of manpower to the whole world. This comparative advantage needs more quality education and skills which is needed for fastest growing service sector in economy. Sabharwal (2011)[8] discusses that we only focus on inflow of one million young people who will join the labour force every month for the next 20 years. The challenge is increased labour stock which will be observed in low productive jobs. Therefore employability challenge is complicated because of three mismatches: sector mismatch, skill mismatch and geographic mismatch. So the only sustainable way to reduce poverty is by tackling the three Es: education, employability and employment. The Global Competitiveness of Indian Industry and employment generation potential is clearly dependent on the availability of required skills and trained personnel. But in India, the overall scenario of higher education is miserable because of the lack of man power planning. Only small portion of young professionals are employed because others are deprived of skills and education required for employment.

The Problem of demand supply mismatch of is related to the higher education system because it is unable to convert the youth into quality human capital. On the demand side only few people opt for higher education and higher education system is unable to cater the needs of the youth. The opportunity viable employment are limited, there is a mismatch between the degrees available in the market and demand for employment opportunities. There is shortage of skilled manpower on one side and on the other there is a problem of oversupply of those people who are unskilled and semi skilled. The National Sample Survey (NSSO) report of 2007-08 [9]found that unemployment among youth is highest among graduates, post graduates and technical diplomas and others in range of 19-20 percent. The reason being is the numbers of jobs created is insufficient and demand highly skilled labour and even the educational qualifications and requirements of jobs do not match. This problem of demand and supply mismatch will create more chaos and problems if it is not solved properly.

For the development of the country it is necessary to have good quality higher education institutions. As rightly said by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru declared that "if all were well with our educational institutions, all would be well the nation. Educational Institutions are intimately linked with the society at large. They are the temples of knowledge. They are the agents of social change and transformation.

Conclusion

To have highly compatible human resources, it is necessary to have quality higher educational institutions which not only helps in acquiring knowledge and information skill, but also the values and ability to live and interact within and with social groups, as well as participate in cultural life and also make learn the abilities to earn. Higher Education is considered essential for any nation's cultural, social, economic development and make human beings more competent, capable and also to meet the challenges of life.

References

1. Report to UNESCO of the International Commission on Edcation for the 21st Century: *Learning the Treasure Within UNESCO, France*.
2. NAAC Report
3. Powar K.B. (2001). *Internationalisation of Indian Higher Education,* AIU.
4. Powar K.B. (2012). *Expanding Domains in Indian Higher Education*, New Delhi, AIU.
5. UNESCO. (1996). *Learning: The Treasure Within, (Report of International Commission on Education to UNESCO for the Twenty First Century*, Paris: UNESCO chair: Jacques Delors.
6. Rani, P. (2014). *Fundamentals of Higher Education*, Centrum Press, New Delhi
7. NASSCOM Report. (2012-13). *Perspective 2020: Transform Business, Transform India||*
8. Sabharwal, Manish. (2011). *Mismatches vitiate employability challenge||, Business* April 3
9. NSSO Report (2007-08).

Concept of Legitimacy in Muslim Law

Dr. Rajkumar Saini

Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Muslim law has its own rules concerning legitimacy, parentage and acknowledgment of paternity. The notions underlying these expressions have different meanings than that they signify in other systems of law, Muslim law embodies the principle of strict enforcement of sexual morality by prohibiting at the pain of various punishments sexual relationship except when it is between husband and wife. Under several Western systems, sexual relationship outside wedlock is not a legal offence unless it is aggravated by circumstances such as lack of consent the young age of the girl, the blood-relationship of the persons concerned or unnatural behavior which will give rise to the criminal offences of rape, unlawful carnal knowledge, incest, bestiality or sodomy. This novel concept finds no place in the laws of marriage of other legal systems. The Muslim law insists on the purity of conception. A child conceived out of wedlock cannot be legitimated. All bona fide cases of error or doubt, i.e., all marriages contracted in ignorance of the fact that the woman was prohibited are instances of fasid marriage and the issue is accordingly legitimate. To this extent, it may be said that the Muslim law disfavors bastardizing children. But it goes no further. A child, if it is the result of fornication, adultery, incest or of any description of illicit union is held illegitimate to his natural father but legitimate to his natural mother.

Keywords: *Muslim Law, Legitimacy, Marriage*

Introduction

Muslim law has its own rules concerning legitimacy, parentage and acknowledgment of paternity. The notions underlying these expressions have different meanings than that they signify in other systems of law, Muslim law embodies the principle of strict enforcement of sexual morality by prohibiting at the pain of various punishments sexual relationship except when it is between husband and wife. Under several Western systems, sexual relationship outside wedlock is not a legal offence unless it is aggravated by circumstances such as lack of consent the young age of the girl, the blood-relationship of the persons concerned or unnatural behavior which will give rise to the criminal offences of rape, unlawful carnal knowledge, incest, bestiality or sodomy.[1] The Muslim law insists on the purity of conception. A child conceived out of wedlock cannot be legitimated. All bona fide cases of error or doubt, i.e., all marriages contracted in ignorance of the fact that the woman was prohibited are instances of fasid marriage and the issue is accordingly legitimate. To this extent, it may be said that the Muslim law disfavors bastardizing children. But it goes no further. A child, if it is the result of fornication, adultery, incest or of any description of illicit union is held illegitimate to his natural father but legitimate to his natural mother.

Background

Adoption existed among the pre-Islamic Arabs. Much like its origin in Hindu and Roman systems, it was having a religious bias, "having relation to the repose of the souls of the departed and the

preservation of the household divinities". The Prophet appears to have recognized the custom at the time he adopted Zaid, the son of Haris. But later on he disapproved of it by saying that adoption similar to what was practiced in the "Days of Ignorance" (Jahiliyya) created no such tie between the adopted and the adopting as resulted from blood relationship.[2] Hence, Muslim law does not recognise the validity of any mode of filiation where the parentage of the person adopted is known to belong to a person other than the adopting father. And it is acknowledgment alone that Muslim law recognises as the only form of filiation. The father alone has the right to establish the relationship to the total exclusion of the mother and other relations.

Legitimacy and Legitimation

Distinguishing legitimacy from legitimation, the Privy Council in *Habibur Rehman v. Altaf Ali*[3] observed: "Legitimacy is a status which results from certain facts, legitimation is a proceeding which creates a status which did not exist before. In the proper sense there is no legitimation under Muslim law. Examples of it may be found in other systems. The adoption of the Roman and the Hindu law affected legitimacy. The same was done under the canon law and the Scotch law in respect of what is known as *legitimation per subsequens matrimonium.*"

Legitimacy and Concept of Marriage

The concept of legitimacy of children is the direct outcome of the concept of marriage. Society that recognizes the institution of marriage also recognizes the legitimacy of children born within lawful wedlock and vice versa, those born outside the wedlock are illegitimate. Muslim law is very harsh on illegitimacy yet fairly liberal in the rules on legitimacy. The legal effect of marriage on fixing the paternity of a child continues, according to Hanfis, for two years, and according to the Malikis and the Shafeis for four years after the separation by divorce or death'.[4]

Parentage and Legitimacy

Parentage is the relation of parents to their children. Maternity is a legal relation between mother and child, and paternity is a legal relation between father and child. The term 'parentage' is generally used for the legal relationship which a child has with the parents. These legal relation, give rise to certain rights and duties. Such as, mutual rights of inheritance, maintenance and guardianship. "When one person is deemed in law to be the father or mother of another paternity or maternity of the latter is said to be established in the former."[5]

(1) Determination of Maternity: Under Sunni Law the maternity of a child is established in the woman who gives birth to the child irrespective of the fact whether the birth was a result of legal sexual intercourse or not, *i.e.*, whether the birth was the result of a wedlock, Zina or adultery. However, under Shia Law birth is sufficient for establishment of maternity, it has to be proved that the birth was a result of a lawful marriage.

Thus 'maternity' is the legal status of child which determines the succession and inheritance of his or her mother's estate while 'paternity' is that which determines inheritance and succession of the paternal estate in favor of the child. If a man commits Zina with a woman and a child is born, it is considered to be the child of its mother only and inherits from her and her relations. But the man is not considered to be the father of the child, for paternity is established only by marriage, nor is the child in law the child of the man, it is illegitimate and not entitled to inherit from him.

(2) Determination of Paternity (Nasab): To determine the legitimacy of a child the following matters have to be taken into consideration:

(i) The status of parents of the child.

(ii) The conduct of the alleged father.

(iii) The nature of the marriage.

(iv) The period of gestation.

(i) Status of Parents: The first thing to be considered to determine the legitimacy of a child is to see if it was at all possible that it could have been conceived during the subsistence of a valid marriage of the child's mother with the person alleged to be its father

The Muslim law presumes legitimacy of a child from circumstances without a proof or at least

without any direct proof of marriage. When a child is born there is a presumption in favor of a marriage having taken place between its mother and her husband if there has not been a mere casual but a more permanent connection and when there is no insurmountable obstacle to such a marriage. When it is proved that a man and a woman lived together for a long time as man and wife there is a strong presumption in favor of marriage having taken place between them.[6] If the parties to a marriage believe in good faith that there is no impediment to their marriage, it shall be deemed valid for all purposes under Muslim law so far as the parties are concerned. If it be found subsequently that there was such an impediment, the marriage shall be null and void, but the children born of such a marriage shall be held to be legitimate.[7] Moreover, divorce cannot be presumed from long separation between the parties to a marriage. Hence where a husband while there was no proof of absence of opportunity of access to each other, legitimacy of a child born during such separation cannot be doubted.[8] But mere continued cohabitation for a long period in the absence of proof of marriage is not sufficient to prove marriage, particularly when the woman was a prostitute before the alleged marriage.[9] It was stated in a case that "evidence of intimacy and very close intimacy alone cannot establish a marriage between the parties. There are cases where marriage was presumed from prolonged and continued cohabitation. But in this case the duration of cohabitation is only for a period less than a year." Presumption of there being a valid marriage was not drawn under the circumstances.[10]

Alleged Father and Legitimacy

The second thing to be considered is the conduct of the alleged father as to whether he has admitted expressly or impliedly that the child is his. The conduct of the alleged father is important in the determination of legitimacy. The failure to deny his parentage of the child when it is legally open to him to disown it constitutes an implied admission that the child belongs to him. It is open to a person to disown a child born to his wife at the time of its birth or within the time a father usually and customarily receives felicitations. It was stated in a case that a fasid marriage is one where a man marriage a woman under a genuine misapprehension of the fact that the woman was not permissible to him and when she is not absolutely forbidden to him. Legitimacy is established in a case where a child is born of such a marriage.

Nature of Marriage

(A) Conception During Valid Marriage: A child conceived in lawful wedlock will be a legitimate child according to Muslim law as also according to all other systems. Legitimacy may, therefore, be proved by proof of a valid marriage between the parents at the time of the child's conception.

(B) Conception During Irregular Marriage: There is a great dislike among the Muslim layers of bastardizing a child,[11] and Muslim law is full of contrivances for avoiding the bastardizing of children.[12] In its solicitude for preventing bastardy, whenever possible the law has recognized legitimacy of children even in the case of irregular marriages. For the purposes of legitimacy, such marriages are deemed to be valid marriages. Thus, if a marriage is made in good faith that the parties are husband and wife, the child would be legitimate even though the relationship is not such.[13] It should, however, be noted that conception during irregular marriage and not mere birth is necessary.

(C) Birth of a child after dissolution of marriage: If a child is born after the dissolution of marriage, the position would be as follows:

(a) Where the woman has not married again:- In such case if the iddat was incumbent on her (e.g. if marriage whether consummated or not was dissolved by death or if a consummated marriage was terminated by talaq), paternity would be established if the child is born within two years from the date of death or the date on which the talaq became irrevocable

Shia law:- If the woman has not married any other person, whether under a contract of marriage or by a semblance of a right, paternity

of the child would be established if the birth takes place within the longest period of gestation.[14] The period according to some is nine months, but according to better opinion, it is ten months.[15]

Presumption of Legitimacy

According to the Sunni schools, the presumption of legitimacy is so strong, that in cases where a child is born within six months from the date of marriage and within two years after dissolution of the marital contract, either by the death of the husband or by divorce a simple denial of paternity on the part of the husband would not take away the status of legitimacy from the child. M. Sautayra says, on this subject that "the legal presumption is so strong in the case of a formally and legally married wife that it produced the effect of attaching legitimacy to the children born during the continuance of the marriage, even where the parties declare that the paternity should be ascribed to a stranger, unless the denial is effectuated by lian, a formal change of adultery by the husband against the wife." And the disinclination to bastardize the children of a woman lawfully married to a man is carried so far that in the older books it is declared, "when there is a subsisting firash (bed), and there has been no consummation either actual or technical e.g.,

"The effect of the first degree is to establish paternity without a claim and to prevent its rejection by a mere denial, though it may be rejected by lian or imprecation, in the case of a valid marriage, bu not where the marriage is invalid, but if the case does not admit of lian, the paternity of the child cannot be rejected."

Conclusion

Under the English Law, a child born in lawful wedlock is legitimate, though conception may have taken place before the actual marriage. The Muslim Law, like the English Common Law, does not recognize the legitimation of ante-nuptial children by the subsequent marriage of the parents, but it goes further than the English Law in refusing to attach the status of legitimacy to any child not conceived, though born in wedlock. It insists that the intercourse between the parents, of which the child is the fruit, should, in order to render him legitimate, take place under a lawful contract. If the birth takes place six months from the marriage, the Sunni Law presumes that the conception was in wedlock; whilst the Shia law requires that in order to be legitimate, the child should be born six months from the consummation. If a man, says the Fatawai Alamgiri, should commit zina with a woman and she should become pregnant, and he should then marry her, and she be delivered of a child within six months of the marriage, its paternity from him would not be established, unless he should claim it, and should not say, 'It is of fornication;' but if he should say, 'It is mine by fornication,' parentage would not be established."[1] So also the Hedaya, "if a man marry a woman, and she bring forth a child within less than six months from the date of marriage, the parentage of the child is not established in the husband, as pregnancy in that case appears to have existed previous to the marriage, and consequently cannot be derived from him."

References

1. Coulson, N.J. (1969). *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, 78.
2. Ameer Ali, ii, 215 (2nd edn.).
3. I.A. 114, 48, (1921).
4. Rahim Abdur, as cited by Paras Diwan, at p. 105.
5. Tyabji : Muslim Law, 6th Ed., p. 199.
6. Bashir-un-Nissa v. Bunyad Ali, 50 I.C, 677.
7. Lt.-Col. Mohammad Yusuf v. Syed Ali Nawaz Gardezi, P.L.D., Lah.141, (1963).
8. Asad Ullah Khan v. Al Lul Hamid, P.L.D., B.J.L, (1967).
9. Iftikhar Nazir Ahmad Khan v. Ghulam Kibria, P.L.D. Lah. 587, (1968).
10. Dr. A.L.M. Abdullah v. Rokeya Khatoon. P.L.D. Dacca-47, (1969).
11. Khajah Mohd. Gohar Ali v. Harratoonissa, 2 W.R. p. (52- 54).
12. Asharaf Ali v. Asad Ali, W.R. 260, 16.
13. Bail, I, (405), Hed., (503).
14. Bail., II, (91).
15. Bail., II, (90).

Parenting Styles and Locus of Control As Predictors of Adolescent's Emotional Intelligence

Dr. Megha Arya

Assistant Professor
The IIS University, Jaipur (Raj.)

Abstract

The present study aims at studying the relationship between parenting styles and emotional intelligence in adolescents. The study also cares to study the relationship between locus and control and emotional intelligence. It is hypothesized that that in case of both mother's and father's authoritative parenting will be significantly related to emotional intelligence in adolescents. Also the locus of control will be significantly related to emotional intelligence.The sample consisted of 100 school students of VII to IX standard from public and private schools which were divided into 50 boys and 50 girls. Statistical technique used to analyze and interpret the data is correlation. The following statistical analysis techniques are also used Mean and Standard deviation.Tools used are Parental Authority Questionnaire(PAQ) developed by Buri (1991), Rotters Locus of Control Scale (LOC) and Emotional Intelligence Scale(EIS) developed by hyde, Pethe and Dhar. The results found stated that Authoritative parenting of both mothers and fathers were significantly correlated to EI (Emotional Intelligence) (P<.01). Thus Parenting styles do have an effect on adolescent's sense of control over situation. We also found support for our hypothesis.Locus of Control as another important variable of this study also turned out to be positively correlated with EI (Emotional Intelligence).

Keywords: *Parenting Styles, Locus of Control, Emotional Intelligence*

Introduction

Parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, and intellectual development of a child from infancy to adulthood. Parents may adopt different approaches and parenting styles while rearing their child.

Types of Parenting Styles

Developmental psychologist Baumrind (1967) described three different types of parenting styles

• **Authoritative Parenting Style**	• Encourage children to be independent **(Santrock, 2011**). • Set clear standards for their children, monitor the limits that they set, and also allow children to develop autonomy • Attentive to their children's needs and concerns • Administer fair and consistent discipline • Express warmth and nurturance • Punishments for misbehavior are measured and consistent, not arbitrary or violent

• **Authoritarian Parenting Style**	• Parents "are obedience- and status oriented • Set strict rules • Expect their orders to be obeyed without explanation" **(Baumrind, 1967)** • Demanding but less responsive to their children's needs
• **Permissive Parenting Style**	• Low behavior control (demandingness) and high parental responsiveness (warmth) • Do not favor overt control techniques and punishments • Non-restrictive child discipline strategy.

Locus of Control

This concept is based on **Rotter's social learning theory (1954).** Locus of control is the extent to which individuals believe that there life circumstances are a function of their own actions or external factors beyond their control

Zimbardo (1985) defined locus of control as a belief about whether the outcomes of our actions are contingent on what we do (internal control orientation) or events on outside our personal control (external control orientation)

Locus of control is divided into two types

External Locus of Control	Internal Locus of Control
• Individual believes that his/her behavior is guided by fate, luck, or other external. • They blame outside forces for their circumstances. • They don't believe that they can change things with their own efforts • They feel powerless and hopeless in case of difficult situations.	• Individual believes that his/her behavior is guided by his/her personal decisions and efforts. • They have a strong sense of self-efficacy • They are confident in the face of challenge. • They often achieve greater success

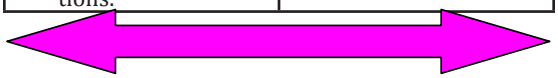

Emotional Intelligence

Emotional Intelligence, as a psychological theory, was developed by Mayer & Salovey, 1997.

"Emotional intelligence is the ability to perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth."

Goleman (1996) popularized the term 'emotional intelligence'. The five domains of Goleman's EQ model are:

Self-Awareness

The ability to recognize and understand personal moods and emotions and drives, as well as their effect on others. There are three components to this quadrant:

- Self-confidence
- Realistic self-assessment
- Self-deprecating sense of humor.

Self-awareness depend on one's ability to monitor one's own emotion state and to correctly identify and name one's emotions.

Self-Regulation.The ability to control or redirect disruptive impulses and moods, and the propensity to suspend judgment and to think before acting. The components to this quadrant are:

- Trustworthiness and integrity
- Comfort with ambiguity
- Openness to change.

Internal Motivation. A passion to work for internal reasons that go beyond money and status -which are external rewards, - such as an inner vision of what is important in life, a joy in doing something, curiosity in learning, a flow that comes with being immersed in an activity.

A propensity to pursue goals with energy and persistence. This include

- A strong drive to achieve
- Optimism even in the face of failure
- Organizational commitment.

Empathy. The ability to understand the emotional makeup of other people. Hallmarks include

- Expertise in building and retaining talent
- Cross-cultural sensitivity
- Service to clients and customers.

Social Skills. Proficiency in managing relationships and building networks, and an ability to find common ground and build rapport. Hallmarks of social skills include

- Effectiveness in leading change
- Persuasiveness
- Expertise building and leading teams.

Problem Statement

Relationship of parenting styles and locus of control on adolescent's emotional intelligence

Objectives

- To study the relationship between Parenting Styles and Emotional Intelligence in Adolescents
- To study the relationship between Locus of Control and Emotional Intelligence in Adolescents

Hyothesis

- In case of both mothers and fathers authoritative parenting will be significantly related to emotional intelligence in adolescents.
- Locus of Control will be significantly related to Emotional Intelligence in adolescents

Variables

Parenting Styles

Locus of control

Emotional Intelligence

Research Design

Research design adopted for present study is correlational design.

Sample

The data was collected from a sample of 100 school students.The sample was further categorized into 50 males and 50 females. Participants who were within the age range of 12-15years were selected using convenience sampling.

Tools

Parental Authority Questionnaire (PAQ) : Buri (1991)

Locus of control (LOC): Rotter (1961)

Emotional intelligence scale: Hyde ,Pethe and Dhar (2002)

Results

Table 1: Correlation between Parenting Styles and Locus of Control on Emotional Intelligence

Variables			Emotional Intelligence
Parenting Style	**Mothers**	Authoritative	.306**
	Fathers	Authoritative	.346 **
Locus of Control			. 095

**correlation is significant at 0.01 level

*correlation is significant at 0.05 level

A close analysis of the results obtained for all the subjects give us a picture of relationship of Parenting styles and Locus of control on and Emotional Intelligence. Table 1 shows that in total sample of adolescent's, Authoritative Parenting of both mothers and fathers are significantly related to Emotional Intelligence (P<.01). Locus of Control being next major variable also turned out to be positively correlated with Emotional Intelligence.

Discussion

The aim of the present study was to study the Relationship of Parenting styles and locus of

control on Adolescents Emotional Intelligence.

The first hypothesis was that in case of both mothers and fathers authoritative parenting will be significantly related to emotional intelligence in adolescents. The results of first hypothesis showed that Authoritative Parenting of both mothers and fathers are significantly related to Emotional Intelligence (P<.01).

The result of first hypothesis was showed significant and can be supported by following studies. A study on Influence of Gender and Parenting Style On Emotional Intelligence among Adolescents by Nwankwo (2017) showed that parenting style yielded a significant influence on emotional intelligence with authoritative parenting showing position predictor (β=.253, P< .05). A study on Parenting Styles as Predictors of Emotion Regulation among Adolescents by Jasbeen, Haque, Riaz &Naveed (2013) indicated that maternal authoritative parenting style had significant positive effect on emotion regulation.

The second hypothesis was Locus of Control will be significantly related to Emotional Intelligence in adolescents. The result of second hypothesis was found insignificant. Lack of significant relationshion between locus of control and emotional intelligence was contrary to the hypothesis but there is a positive relationship between the two variables .The study stated below support it very well. The study was conducted on Emotional Intelligence and Locus of Control: Fate, Faith, or Personal Control given by Gildea (2012). The result suggested that Emotional Intelligence was positively correlated with belief of internal personal control. It was also observed that females scored higher on Emotional intelligence than males.

References

1. Baumrind, D. (1967). *Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior.*
2. General Psychology Monograph, 75, 43-88.
3. Buri, J.R. (1991). Parental Authority Questionnaire, *Journal of Personality and Social Assessment*, 57, 110-119.
4. Gildea, S. (March, 2012). *Emotional Intelligence and Locus of Control: Fate, Faith, or Personal Control?* Retrieved from ba_gildea_s_2012.
5. Goleman, D. (1996). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ.* New York: Bantam Books.
6. Hyde, A., Pethe, S., & Dhar, U. (2002). *Manual for emotional intelligence scale.* Lucknow, India: Vedanta Publications.
7. Jasbeen,F. Anis Ul Haque, M. and Naveed riaz,M. (2013).Parenting styles as predictors of emotion refulation among adolescents.*Pakistan journal of psychological research*.Vol.28.No.1, 85-101.
8. Mayer,J.D. and Salovey,P.(1997). What is emotional intelligence? In P.Salovey and D. Sluyter(eds.): *Emotional develoment and emotional intelligence: educational implications* (pp.3-31). New york: Basic books.
9. Nwankwo, Barnabas E, AGU, Solomon A. (2017). *Influence of gender and parenting style on emotional intelligence among adolescents.*
10. <http://www.aphriapub.com/index.php/sosac/article/view/119. .
11. Rotter, J. B. (1954). *Social Learning and Clinical Psychology*. Prentice-Hall.
12. Rotter, J.B., Liverant, S., & Croyvne, D.P. (1961). The growth and extinction of expectancies in chance controlled and skilled tests. *Journal of Psychology*, 52, 161-177.
13. Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology*. New York, NY/US:Mcgraw-Hill, (5th ed., Vol. 5th)
14. Zimbardo, P.G. (1985). *Psychology and life.* Boston: Ally & Bacon.

Patanjali Yoga and Hatha Yoga: A Detailed Comparative Study

Dr. Ramakant Mishra

Yoga Centre, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

A Comparison between Hatha Yoga and Patanjali yoga sutras is worth going through a wing to the similarities and difference between the two. The first major difference is that the farmer does not consider the practice of Yama and niyama which precede the rest of the limbs according to Patanjali but it should be taken as it is less holistic in nature towards the spiritual process. Just like hatha yoga texts, Patanjali yoga sutras do not take about certain key techniques of hatha yoga viz, the shatkarmas seals and locks. Compared to hatha yoga text, the Patanjali yoga sutras do not emphasize on asanas and pranayama's also little attention is paid to the third and fourth limbs. Pranayama's also commotion also varies in both the systems. Unlike Patanjali, the hatha yoga manuals consider mudras as an important limb since it awakens the Nadi canter and facilitates prank to enter Sushma. In Hatha yoga literature, ten madras out 25 has been given special importance whereas these have been omitted in Patanjali yoga sutras. In Patanjali's definition of yoga, Chitta vritti nirodhah has been explained as retraining the modification or function of the mind wherein in hatha yoga it is the suspension of flow of prana which results in the same goal of realization of self.

Keywords: *Patanjali Yoga, Hath Yoga, Mudras, Sutras*

Introduction

Yoga has been preached and practiced in India for thousands of years and is traditionally used by spiritual seekers as a system of self development for purification of the body and the mind. Patanjali, the first systematizer of the yogic discipline seems to accept the meaning of Yoga as integration. The Yoga sutra is a 2000 years old treatise of yogic philosophy.

Hatha Yoga – Hatha Yoga in modern times is wrongly perceived as physical Yoga which gives a wrong understanding that Hatha Yoga is for the sake of body only. A co-relation between Hatha-yoga and Patanjali-yoga is quite interesting owing to the similarities and differences in both systems of yoga. Even though the *Yoga Sûtras* of Patanjali is not a Hatha-yoga work, yet it provides an organized codification of Yoga. Its primary doctrine revolves around *Astanga Yoga* (Yoga of Eight-limb) system viz., *Yama, Niyama, Âsana, Prânâyâma, Pratyâhâra, Dhârana, Dhyâna* and *Samâdhi*. Similarly Astanga *yoga* system is broadly attached to by most of the Hatha-yoga treatises.

Patanjali Yoga is much ancient then Hatha Yoga, therefore a mention of Hatha yoga in Patanjali Yoga Sutras cannot be justified. The difference between the two systems is mainly due to the fact that Patanjali-yoga is included towards the *Samkhya system* and they mutually shed light upon their philosophies by complimenting each other unlike Hatha-yoga. Secondly, we have no textual evidence which provides any explicit reference to Hatha-yoga in Patanjali *Yoga Sûtras* nor do we have any detailed reference to Patanjali's Yoga system in any of the principal hatha tradition. Despite their great similarity in their schemes, the Patanjali *Yoga Sûtras* do not elaborate the hatha-yoga techniques described in hatha-yoga texts. Primary dissimilarity between Patanjali-Yoga and Hatha-yoga manuals is that the latter

do not consider the necessity of the following *Yama* and *Niyama* which precede the rest of the limbs according to Patanjali. No emphasis on *Yama* and *Niyama* in the hatha-yoga essays should not be mistaken that it is less holistic in its nature towards the spiritual progress. It's very important to note that the description of *Yamas* and *Niyamas* varies in Hatha Yoga texts and Patanjali Yoga Sutras. Many hatha-yoga texts like the Hatha Pradipika, the Gheranda Samhita, the *Hatha Ratnavali* and the *Yoga Marga Prakasika* mention the number of *Yamas* which vary from four to sixteen and *Niyamas* which vary from four to ten before the rest of the six limbs similar to Patanjali, its practitioner derives physical and psychological benefits respectively from them. Moreover, a comprehensive study of Patanjali's *Astanga Yoga* in the light of its Commentaries and Sub-Commentaries would let us understand that the key folds of hatha-yoga are well known to Patanjali. In such works as where *Yama Niyamas* are left or not made compulsory, the *Shatkarmas* (Six cleansing techniques) are suggested to replace *Niyamas* like '*sauca'* (cleanliness) of Patanjali *Yoga Sûtras*[1].

Just like Hatha-yoga texts proper viz., the *Hatha Pradipika* and the *Gheranda Samhita*, the Patanjali *Yoga Sûtras* do not touch upon certain key techniques of hatha-yoga viz., the six cleansing techniques (*Shatkarmas*), *Mudras* and *Bandhas*. Of these, the *Shatkarmas* or *Shatkriyas* comprise *Dhauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli* and *Kapalabhati*. Even though the main motive of '*Shatkarmas*' is to create a balance among the three *doshas* (viz., *vata, pitta* and *kapha*) in course of one's *prânâyâma*, vide Patanjali *Yoga Sûtras*[2] *'sauca'* results in the purity of *sattva*, focus, mastery of one's senses and fitness for Self-realization which are compatible with the objective of '*shatkarmas*' in hatha-yoga system. Similar to Patanjali *Yoga Sûtras* according to certain important Hatha-yoga manuals like the *Hatha Yoga Pradipika* and the *Yoga Marga Prakasika* the practice of the six cleansing techniques results in the pratyahara; facilitates *prâna* to enter into *Susumna* and enables one to realize one's Self.

Compared to the hatha-yoga essays the Patanjali *Yoga Sustras* do not either in detail stress the two limbs namely *Âsana* and *Prânâyâma* or they give meager attention to these third and fourth limbs. In hatha-yoga literature the path of bodily postures (*Âsanas*) are discussed in detail since the scheme of hatha-yoga consider '*Âsana*' as the first and the foremost step which enables to develop steadiness and agility, endurance, vitality etc., and serves as an instrument in opening energy channels and psychic centers thereby helping its practitioner not only to conquer one's body but also ultimately leads to control of one's mind. In spite of there being no record about any specific postures (*âsanas)* in Patanjali *Yoga Sûtras,* we cannot assume that Patanjali is unaware of the multiplicity of postures referred in Hatha-yoga manuals since the Commentaries of Vyasa and Vijnana Bikshu on Patanjali *Yoga sûtras*[3] enumerate ten postures and refer to others of the same kind which can be practised comfortably beginning with the four most important ones namely the Lotus(*Padma*), the Hero (*Veera*), the Decent (*Bhadra*), and the Mystic (*Svastika*) postures. Vijnana Bikshu's Commentary states the characteristics of the above four asansas quoting them from Vasistha. Even though Patanjali had the knowledge of all the above mentioned *âsanas* and perhaps all others mentioned in hatha-yoga manuals, due to the limitations of his *Sûtra* style, unlike his limitations, we may assume that he did not mention any of them except by furnishing the bare definition of '*Âsana'* and the objectives of its practice vide Patanjali *Yoga Sûtras*[4].

Although *Prânâyâma* is regarded as the most significant limb in both the systems of hatha-yoga as well as the Patanjali Yoga, their interpretation differs to some extent. Whereas based on the nature of *Kumbhaka* Patanjali distinguishes the nature of different *prânâyâmas*, the hatha-yoga texts draw a distinction between different *kumbhakas* based on the nature of '*recaka'* and '*puraka'*. Differing from Patanjali the hatha-yoga texts consider *Mudrâs* as a strong or significant limb since it awakens the *nâdi* centers and facilitates *prâna* to enter *Susumna*. In hatha-yoga literature the range of number of *Mudrâs* vary from one to twenty-five out of which ten mentioned in Hatha Pradipika have been regarded as most significant. *Mudrâ* is an essential component of *prânâyâma* which is otherwise known as "prolonged retention or holding of *prâna*" has been omitted in Patanjali's Yoga system. But among the four modes of retention of breath referred in Patanjali *Yoga Sûtras* and Vijnana Bikshu"s Commentary on them namely (i) the external retention (*Bahya Vritti*), i.e. absence of movement after exhalation, (ii) the internal retention (*Abhyantara Vritti*), i.e., absence of movement after inhalation, (iii) the static retention (*Stambha Vritti*), i.e. absence of movement of both exhalation and inhalation, and (iv) the kind of *prânâyâma* which transcends the internal and external spheres, the third type

of *prânâyâma* is nothing but the static retention (*Kumbhaka prânâyâma*) in hatha-yoga as elucidated by Vyasa's Commentary on Patanjali *Yoga Sûtras*[5].

As per many hatha-yoga texts, the third type of *Prânâyâma* viz., *Kumbhaka Prânâyâma* is sub-divided into two types viz., *Sahita Kumbhaka* (combined with poorak and rechak) and *Kevala Kumbhaka* (absolute retention). Among these, the intense practice of *Sahita Kumbhaka* leads to *Kevala Kumbhaka* which is equivalent to Patanjali's fourth type of *prânâyâma*. According to Hatha Yoga, its chief objective is to rouse the sleeping *kundalini* by using *Sushumna* as a vehicle which pierces the *Shat Chakras*. Through the practice of *prânâyâma* the posterior portion of the *Sushumna* is activated or awakened. Of the three phases of the *prânâyâma* viz., *kumbhaka*, *recaka* and *puraka* the first is divided into *Sahit*a and *Kevala* and again the '*Sahita*' is classified into "Asta kumbhakas" (or eight varieties of pranaymas. The "Sahita kumbhaka" is further sub-divided into '*Sagarbha'* and '*Nigarbha'*. Whoever masters the *Kevala Kumbhaka* is said to have attained the ultimate aim, i.e. Raja-yoga. According to Patanjali, of the above modes of *prânâyâma*, the first three kinds are regulated by place, time, number, prolonged and subtle. Hatha-yoga refers to four pre-requisites of *prânâyâma* viz., Place *(Sthana*), Time (*Kala*), Moderate diet (*Mithahara*) and Purification of Nâdis (*Nâdi suddhi*) by fulfilling which an aspirant who practices *Prânâyâma* successfully controls the movement of the mind. The fourth kind of *prânâyâma* does not arise instantly by single effort as it progresses gradually stage by stage. The hatha-yoga manuals too explain the three stages in the *Kumbhaka prânâyâma* viz., perspiration, tremor and levitation. The fourth and the highest kind of *prânâyâma* referred by Patanjali[6] is the outcome of the successful practice of the first three kinds of the breath retention. In other words the practices of the first three kinds of *prânâyâma* are only different stages of preparation to undertake the real *prânâyâma* which cannot be reached until a *Sadhaka* acquires the capacity to practice *Kumbhaka* for fairly long period of time without any strain or tremors. According to Vyasa's Commentary on Patanjali *Yoga Sûtras*[7] the practice of fourth kind of *prânâyâma* involves the transcendence of inhalation as well as exhalation and the retention of breath is not subjected to special, temporal and the numerical factors. Due to its complete and indefinite duration it is called "absolute retention" (*kevala kumbhaka*). Hatha-yoga manuals unanimously point out that as long as a *Sadhaka* cannot achieve the state of *Kevala Kumbhaka*, such a person should continue the practice of *Sahita Kumbhaka* (accompanied with poorak and rechak). Hence we may hold that like Hatha-yoga manuals, Patanjali too did not deny the importance of *Kevala Kumbhaka*. On the other hand, like Patanjali *Yoga Sûtras*, Hatha-yoga manuals clearly specify 'Time' and 'Number' with regard to *Kumbhaka Prânâyâma* by pointing out that one should practice static retention four times a day namely the early morning, the midday, evening and mid-night by raising their number eighty times during the four stipulated hours.

The absence of *Mudrâs* in the Patanjali *Yoga Sûtras* should not be mistaken that Patanjali slighted the former because again due to the nature of brevity of *Sûtra* style in which the *Yoga Sûtras* are composed, he did not in detail refer to them. Further, Locks (*Bandhas*) which are the essential component in the application of Seals (*Mudrâs*) have been made explicit in hatha-yoga manuals where as Patanjali who took the *Mudrâs* for granted by making them implicit component suggested them in rudimentary terminology. According to hatha-yoga manuals the expiration and retention of breath constitute the "*Maha-bandha'* which comprises the performance of three *bandhas* viz., *Jalandhara, Uddiyana* and *Mulabandha*. Therefore, we can safely say that *bandhas* (locks) are also implicitly contained in Patanjali's *Astanga Yoga*.

It is quite intriguing to note that despite there being no reference to six energy centers (*Shat-chakras*), conduits (*nâdis*), winds (*vâyus*) in the *Vibhuti Pada* of Patanjali *Yoga Sûtras*[8], we come across terms like Naval channel (*nabhi-chakra)*, the Well of the throat (*Kanta-kupa*) which have their parallels in *Mani puraka* (Navel wheel) and *Visuddhi chakra* (Throat wheel). Vide Patanjali *Yoga Sûtras*[9] we come across other terms such as Tortoise channel (*Kurma nâdi*), radiance in the head (*murdha jyoti*), the Upbreath and Localized winds (*Udana* and *Samana Vâyus*) all of which imply Patanjali's knowledge of the concept of '*Kundalini*'.

As different from the Patanjali *Yoga Sûtras* that regards '*Pratyâhâra'* as an external limb *(bahiranga*), Hatha-yoga texts consider it as an internal path (*abhyantara*) by viewing it in five-fold dimension. As distinct from Patanjali hatha-yoga manuals regard *'Dharana'* as concentration of mind and vital breath on five elements or on

their corresponding deities within the human body. As distinct from Patanjali hatha-yoga manuals specify the particular object and the place of *'Dhyâna'* in the human body. Hatha-yoga manuals commonly agree that '*Dhyâna'* comprises of *Saguna* and *Nirguna* of which the former is the meditation on one's own 'chosen' or 'prescribed' deity or on the *Nâdi* centres while the latter includes the meditation on either *Brahman* or *Nâda*, the inner Sound.

Freedom from *Samsara* is affirmed by almost all the Orthodox and most of the heterodox Indian philosophical systems. In agreement with this spirit, all the yoga systems denote their respective techniques for attaining liberation. Hatha-yoga as well as Patanjali Yoga systems in particular involve a kind of training of the mind designed to bring an adherent to a state of realization. One of the common spiritual purposes of hatha-yoga as well as Patanjali *Yoga Sûtras* is *kaya sadhana*. Vide his *Yoga Sûtras*[10] Patanjali holds that constraint (*Samyama*) upon the gross and subtle elements results in the attainment of the "perfection of the physical body (*kaya sampat*) endowed with strength and "adamantine hardness" (*bala-vajra-samhnatvani*) which have parallel in *Natha* ideal of *Jivan mukti* through *Pinda Siddhi* (immaculate body) which is nothing but "*Kaya siddhi*". Patanjali also refers vide his *Yoga Sûtras*[11] a kind of bodily perfection attained through austerity which is stated as lower in status to the bodily perfection (*kayendriya siddhi*) referred in Patanjali *Yoga Sûtras*[12]. Whereas according to Patanjali[13] bodily perfection is viewed as a consequence of meditative discipline (*Samyama*), in the hatha-yoga context it is considered as the outcome of the *Prâna*-retention accomplished especially through *Kumbhaka* and *Mudrâ*.

Samadhi, according to Patanjali is of two kinds: '*Samprajnata'* (Conscious) and the '*Asamprajnata*' (Supra-conscious). *Samprajnata Samâdhi* is defined[14] as a state of *sampatti* in which one's *citta* merges either in a gross or a subtle object or in bliss *(ananda*) and the "True Self" (*asmita*). *Samprajnata Samâdhi* is accompanied by four states of consciousness viz., *Vitarka* (Reasoning), *Vicara* (Reflection or Deliberation), *Ananda* (Bliss or Joy) and *Asmita* (Sense of Pure being or individuality or I-am-ness). On the other hand, *'Asamprajnata Samadhi'* lacks the four states of consciousness. Samprajnata samapatti or *samâ-dhi* is of two kinds viz., *Sabija* and *Nirbija*. Of these, *Sabija samâdhi* has four forms viz., *Savitarka*, *Nirvitarka*, *Savicara* and *Nirvicara*. Whereas "*Sabija Smadhi*" is permeated with the partial truth, due to the 'seed' which doesn't let the mind to shine with whole truth, *Nirbija Samâdhi* consists of only bliss (*ananda*) and *asmita* (the self or I-am-ness).

As stated by Patanjali[15] after passing through the two preliminary stages of *Dhârana* and *Dhyâna*, having detached completely from the material world, one's consciousness passes through beginning with the lower mental plane (*Manomaya kosa*), Casual plane (*Vijnanamaya kosa*), plane of bliss (*Anandamaya kosa*) and ending with the *Atmic* plane (*asmita*). The progressive succession of consciousness with its characteristic '*pratyaya*' in *Samprajnata samâdhi* and *Asamprajnata samâdhi* without '*pratyaya'* are practiced by a yogi until one is established in one's '*svarupa*' wherein one's consciousness becomes one with the consciousness of *Purusha* called as *Dharma Megha*[16]. According to this *sûtra* the combined practice of "*Vivieke Khyati*" and "*Para-Vairagya*" leads to culmination of "*Dharma-Megha Samâdhi*" which completely burns up the seeds of *Samskaras* which obscures reality like a cloud. The attainment of "*Dharma-Megha Samâdhi*" totally destroys *Avidya* for ever and leads to the cessation of the union (*samyoga*) of *Purusha* and *Prakrti* referred by Patanjali[17]. "*Dharma-Megha Samâdhi*" is the final goal of *Purusha* who reaches the full Self-realization or *Kaivalya*. According to Patanjali '*Kaivalya'*[18] is the ultimate state of enlightenment attained at the end of a long evolutionary process which extends over endless number of lives. In the state of *Kaivalya, Purusha* gets established in his Real nature of "Pure Consciousness" which is the utmost transcendent state of consciousness characterized by acme of bliss. Similar to Patanjali's classification of different categories of *Samâdhi* referred above, Hatha-yoga manuals also characterize *Samâdhi* by varied description. Whereas according to Patanjali's definition of Yoga as "*Cittvrtti nirodha*" [19] the term '*nirodha*' may be understood as a restraint or control of modifications of the mind which facilitates the retaining of the vital principle within one's body, in the hatha-yoga context it is the suspension of the flow of the *prâna* which results in the same goal of the realization of the Self.

According to the experience of wise men and Teachers of Hatha-yoga different means of *Samadhi*[20] have been described. Trea-tises of Hatha-yoga proper viz., the ***Yoga yogiya-***

jnavalkya, the ***Siddha Siddhanta paddhati,*** the ***Hatha Yoga Pradipika*** and the ***Gheranda Samhita*** while enumerating the synonyms of the state of liberation declare that *Samadhi, Unmani* or *Manonmani, Sahajavastha,* Raja-yoga and *Jivanmukti* besides several others are identical in their essential nature[21]. The above famous essays on Hatha-yoga characterize *Samadhi* as the state of liberation or enlightenment wherein the noose of existence is destroyed[22]; the state of identifying individual self with Supreme self[23]; as a calm and composed state of all the elements withdrawn from the objects of senses; [24] merging of the mind with the self similar to the salt in water[25]; the state of harmony where in due to steadiness of *prana* in *kumbhaka* one's mind absorbs in the self[26]; the state of equilibrium wherein due to termination of ideation *Jivatman* unites with *Paramatman*[27]; the state of quiescence of *prana* in the Void, i.e., *Brahmarandhara*[28]; the absorption of one's mind in the Void resulted from the flowing of prana in the *Sushumna* and awakening of *Kundalini*[29]; integration of the mind which is devoid of subject-object duality and absolute happiness resulted from absorption[30]; as detachment of *manas* from the body and its identification with atman as the state of '*nirlipta*' and realization of the identity of Atman and Brahman[31]. The goal of entire Hatha-yoga discipline viz., Raja-yoga is realized by renouncing all the things of knowledge and absorption into absolute Being, Consciousness and Bliss when a Yogi's mind dissolves in Reality like Camphor in fire and Salt in water[32] one attains the state of 'absoluteness (Kaivalya) [33] which corresponds to the ultimate state of insight or awareness or '*Kaivalya'* discussed by Patanjali.

It is important to know that the concept of Rajayoga according to Svatmarama. Generally the word is applied for Patanjalayoga. Then the question arises–whether Hathayoga leads to the Patanjalayoga? In order to find out a logical answer to this question, (1) Patanjala Rajayoga is nothing but Samadhi. Patanjali himself has not used the Rajayoga but later commentators have used the word as ultimate goal of Patanjalayoga and therefore, Rajayoga is essentially understood as Samadhi of Patanjali. (2) Svatmarama in Hath-ayogapradipika – in his enumciatory verse itself has mentioned that Hathayoga should have the goal to attain Rajayoga[34]. In the fourth lesson, he enumerates various synonyms of Rajayoga in which he mentions Samadhi also as synonym of Rajayoga.

On this similarity of the word Samadhi as final aim of both the Yoga, we confuse the Hathayogic goal with that of Patanjala goal. We must not forget that Hathayoga has its definite technique for the attainment of Samadhi which is different from the methods described by Patanjalayoga[35].

Refrences

1. Pantanjali Yoga Sutras, II.40 – Dr. PV Karmbelkar – Kaivalyadham, Lonavala, Pune
2. Ibid., 41
3. Ibid. 46
4. Ibid., 46-48
5. Ibid., 50,51
6. Ibid., 51
7. Ibid.,
8. Ibid., III. 30-31
9. Ibid., 32-33; 40-41
10. Ibid., 45-47
11. Ibid., II. 43
12. Ibid., III. 47
13. supra, 10
14. Ibid., I. 17
15. Ibid.
16. Ibid., IV. 29
17. Ibid., II.23
18. Ibid., IV. 34
19. Ibid., I. 2
20. Hatha Pradipika. IV. 63 Swami Digambarji and Raghunath Shastri Kokaje – Kaivalyadham, Lonavala, Pune
21. Hatha Yoga Pradipika. IV. 3,4
22. Barhad Yogiyajnavalkya Smriti, ch. X. Dr. ML Gharote and Dr VA Bedekar – Kaivalyadham, Lonavala, Pune
23. Vasistha Samhitha, ch,VI.59 Swami Mahesh-ananda and Dr. BR Sharma, GS Sahay and Shri SK Bodhe
24. Siddha Siddhanta Paddati. II. 38b Gorakhnath Mandir, Gorakhpur
25. Hatha Yoga Pradipika, IV.5
26. Ibid.,6
27. Ibid., 7
28. Ibid., 10
29. Ibid., 11&12
30. Ibid., 78
31. Gheranda Sankitha, ch.I.11; ch.VII.13 – Swami Digambarji
32. Hatha Pradipika, IV.59
33. Ibid., 62
34. Hatha Pradipika, I.1
35. Pantanjali Yoga Sutras

Women in Indian Politics

Dr. Neha Bhartiya

Asst. Professor, Amity Law School
Amity University, Jaipur (Raj.)

Abstract

The position and role of women in Indian Political scenario has always been a matter of great attention and discourse.Right from the Rig Vedic period to the modern times women has gone through many facets to prove their potential and capability. Though women comprise of half of the population yet the representation of women in the political field is surprisingly low. The present paper tries to analyse the factors responsible for the low representation of women in the largest democracy. It also shows a comparative analysis of the representation of women right from the inception of the electoral practice to till now. The paper heavily relies on the data from government sources and uses secondary data.

Keywords: *Women Representation, Indian Politics, Participation*

Introduction

What is the position of women in the field of Indian politics? Are women being represented equally in the political system? Are they given adequate support and appreciation? What is the role of women in decision –making process? Is there any difference in the access of men and women to authority and political power? What is basic difference between the status of rural women and urban women? These are some questions which arise in every individuals mind when we talk about women's political involvement in politics.

"Subjection of women" is one of the earliest as well as most famous works by John Stuart Mill who observed that the progress of a country can be judged by the status of its women as she occupies a significant place in the family in particular and society in general.In this sense, the subject "women in Politics" cannot be viewed in isolation from the general picture of women in society. Political status of women refers to the "degree of equality and freedom enjoyed by women in shaping and sharing of power and in value given by the society to their role in the total development of society and polity".

India is a society noted for its contradictory nature, segmentation, political and ideological diversity. In the Rig Vedic period, where society was largely egalitarian and women like Gargi, Uppala, Ghosha, Atreyi etc. who contributed immensely to the philosophical and religious learning though there is no evidence of their political participation in the two political institutions named Sabha and Samiti.In the age of Smriti and Purans the status of women witness a further decline.They were subjected to men dominance completely. In the Medieval period the condition of women worsen as the society sanction many restrictions on women and limit her presence to household only.

Modern Period and Women's Participation in Political Activities

The nineteenth century social reform movement was a great liberating episode for existing social evils and abominablepractices like caste, Polytheism, Idolatry, Child Marriage, Purdha, Sati

System etc. on one hand and women at another hand. A number of legislation was passed by the British Government to ameliorate the condition of women in India like abolish Sati (1893), Widow Remarriage Act (1856), Age of Consent Bill (1893). The process of industrialization, urbanizationand modernization changed the family structure. Joint families got broken into nuclear families, in which comparatively better position of women became possible. A noticeable factor during this period was the emergence of eminent women reformers. Pandit Ramabai worked for the upliftment of women in education and for widow remarriage. Sarladevi started Bharat Stree Mahamandal for the education of women. Swarna Kumari Devi started the women's organization Sakhi Samiti in 1886 for widows. These activities accelerate women participation in public space.

Women Participation in Freedom Struggle

The entire history of the freedom movement is sated with the saga of bravery sacrifice of hundreds and thousands of women of our country. Their participation in the struggle began as early as 1817 when Bhima Bai Holkar fought against the British Colonel Malcolm and defeated him in guerrilla warfare. The sacrifice of Rani LaxmiBai was of great importance in this context. The first mass movement in which the participation of women was overwhelming was the Swadeshi movement (1905-08). They took active part in the boycott of foreign goods and in revolutionary activities. Sister Nivedita, became a member of the national revolutionary council and organized women for nationalist activities. Kumudinni Mitra launched a journal Suprabat. Madam Bhikaji Cama was considered as a threat by the British government. She persuaded the International Socialist Congress to support the Indian National movement and also published a journal called Vandematram. There is a number of women participants in national freedom struggle who hold important offices, gave there valuable servisec and even their life for our country's sake. Anne Beseant (first women president of INC), Malathi Patvardhan, Ammu Swaminathan, Mrs. Dabadhoyamd Mrs. Ambujamala founded the women's Indian Association. The organisation strongly supported the Home rule Movement.

Prominent women activists like Rajkumari Amrit Kaur, Lady Piroj Bai Mehta, and Mrs.N. Sengupta who were the advocates of women's rights. Several other women were active on causes other than the independence movement including Prabhavati Mirza, a powerful trade unionist, Kamini Roy, a social reformist and eminent writer, and founder of a social welfare women's organisation. Basanti Devi took active part in anti-British activities and was arrested for picketing foreign goods shops, and in 1922 she presided over the Bengal Provincial Congress Committee.

Role of Sarojini Naidu, Kamla Devi Chattopadhyay, Aruna Asif Ali Durga Devi Deshmukh, Sucheta Kriplani, Hansa Mehta, Vijay Laxmi Pandit, Rama Bai Ranade, Rama Subhamma, Hira Bai Tata, Usha Mehta and many more are illustrious example of how women contributed in uplifting the social and political status of women in the society.

The Civil disobedience movement of Mahatma Gandhi brought thousands of women in the Salt Satyagrah. His was the most valuable contribution in bringing the Indian women from kitchen to the political field. The role of the women and their participation in all streams of Indian Freedom struggle is a declared fact. From Gandhian non-violent movement to socialist, communist and revolutionary movements, from peasant movement to trade union movements, women's presence was everywhere.

Post-Independence Scenario

In the first meeting of the Constituent Assembly held on 9th December 1946 nine women member were present. After independence women was expected to come forward and join the Indian politics actively but unfortunately that doesn't happen. In the first general election (1952) the percentage of women candidate in Loksabha was only 4.4%. in the successive years the situation is more or less the same.

Representation of Women in Lok Sabha (1952-2014)

Year	Seats	Women MP's	% of Women MP's
1952	499	22	4.4
1957	500	27	5.4
1962	503	34	6.8
1967	523	31	5.9
1971	521	22	4.2
1977	544	19	3.3
1980	544	28	5.2
1984	544	44	8.1
1989	517	27	5.2
1991	544	39	7.2
1996	543	39	7.2
1998	543	43	7.9
1999	545	49	8.65
2004	539	44	8.16
2009	543	58	10.68
2014	543	61	11.23

Source: Election Commission of India

Empirical data suggests that the parliament, the apex body of decision making, itself has not been able to remove the disparities in the attainment of the goal of equal representation and gender equality. The representation of women is remarkably low, far lower than their legitimate share of 50%.

Female Contestants and Winners in Parliament Elections in India

Year of general election	Female Contestants	% of Female Winners
6th	70	27.1
7th	142	19.7
8th	164	25.6
9th	198	13.6
10th	325	11.4
11th	599	6.7
12th	274	15.7
13th	284	17.2
14th	147	29.93
15th	559	10.61
16th	**668**	**9.28**

Source: Election Commission of India.

From above table we can understand that there is a steady increase in the number of women contesting in election from 6th to the 11th general election, with a remarkable leap in participation especially in 11th general elections, still in the very next election the number goes down more than half and again in 15th general election the number increases. Though the number of women participants has increased during 16th LokSabha but the number of winning candidates is lower than the 15th general election. This shows a trend of inconsistency in national level participation of women. In RajayaSabha the representation of women seems to remain constant at about 8% of the total seats. The only exception was in the 1991-1996 elections wherein their representation was 15.5%. At present there are 28 women members in RajyaSabha out of 240 total members which makes 11.66% of the total seats. The participation of women at state level is also not very satisfactory. The number of Women contestants in 2004 was 355 and in 2009 the number of women contestants increased to 559 but there is a marginal increase in number of winning candidates from 45 to 59.

On the other hand, political parties are still insensitive towards women, and this was evident from the 15thLokSabha election. The congress declared 40 women candidates out of the 443 candidates, which is even less than 10%. BJP did not do any better by declaring only 43 women candidates out of total 427 seats. While CPM has fielded only 4 candidates out of 80 declared seats, the CPI has also given only three candidates out of the 45 seats it is contesting. Third front and the Fourth Front have the equally worse record inthis regard. While Samjwadi Party gave 6 seats to women out of its 75 candidates in UP, LaluYadav led – RJD has also given merely 2 seats to women in its quota of 28 seats. This underlines the underestimated position of women in Indian

political scenario. The 16th general election also painted a gloomy picture in the case of women participation and representation given by national parties.

Participation of Women in National Parties

Party name	Candidate Contested	Won %
BJP	38	78.95
BSP	27	0.00
CPI	06	0.00
CPM	11	9.09
INC	60	6.67
NCP	04	25.00
TOTAL	146	24.66

Source: Election Commission of India

Participation of Women At Grass Root Level (PRI's)

Mahatma Gandhi dreamt of India who is totally self-dependent, decentralised and empowered at its roots. The very idea of decentralization begins with Panchayats and Gram Sabhas. The Indian constitution in this direction has given a very significant contribution through 73rd Constitutional Amendment Act, 1993. It transfers power to people through decentralised Panchayati Raj institutions with one-third reservation of seats for women. While this paved the path for women to exercise their political rights in local governance, and is gradually giving a new thrust to more woman- friendly grassroots governance, it has not been able to guarantee a non-discrimination or encouraging environment for women to participate qualitatively in the decision making process. The presence of women is not necessarily synonymous with their participation. Broad based political participation of women has been severely limited due to the inbuilt structure of the Indian traditional society and the perception of male dominance in politics. In PRIs it has been noted that women generally serves as surrogate for male family members. They fill in the nomination because of the male pressure or the pressure of the political parties rather than conviction and will. Many are surrogates for their father and husband who could not contest because of the reservation of seats. This has given rise to a new class called SarpanchPati and PradhanPati. Although reservation has provided some chance to the women folk for participating at the grass root level but the real function is done by their male partners. As a consequence women are not getting the actual chance to participate in the decision-making process. The political field is mainly considered as male domain. Introduction of reservation from the top cannot change the picture overnight. Women are different from men in levels of education, literacy, workforce participation and thus not equal to men in the social sphere – they are less likely to be seen as men's equal in the political sphere. One more obstacle in this context is that the women are not actually aware of the role they are expected to play in the system. Swain and Mahapatra[1] claim that 49% of women leaders said that they were not aware of the role of PRIs,12.5% thought their role was to attend GP meetings, while only 17.5% thought their role was to solve people's problem.Only 20% were aware that the GP could sponsor people's development projects through a governmental program. This shows that only increased representation cannot provide a solution to the grim condition of women in Indian politics.

What are the Reasons?

Despite of having several numbers of constitutional provisions and special amend-ments (73rd and 74th amendments) there is lack of participation of women in Indian poli-tical system. Being a democratic country it's a matter of serious concern that why women are not adequately represented. Why she has to encounter so many obstacles like tradition, prejudice, social and economic conditions etc. William Hennery Chafe[2] observes that discrimination against women was deeply rooted in the structure of the society, in the roles women played and in the sexual division of labour which restricted her primarily to the domestic sphere of life. Here I have tried to summarize some of the reasons:

- The progress of women is hindered by illiteracy, domestic pressures and dependency on men.
- Lack of Knowledge of Institutional Mechanism.
- Gender Based politics
- Need of approval from family and husband to participate in politics.

- Women are stereotyped and are portrayed to fit in domestic roles only and are hence incompatible with the image of political leadership.
- Multiple role and socio-economic obstacles.
- Women lack the necessary confidence,they do not believe themselves which is one of the sole causes for their under representation in formal political institutions.
- Women are not given adequate funds and party support at the time of campaigning and contesting elections .Most women politicians have found it difficult to rise within party hierarchies.
- In most parties women are relegated to work on merely women's issues and are not given substantial work.
- Lack of unity in women organizations and women parliamentarians.
- Women hardly lobby for each other or form interest groups to lend support to each other.
- Absence of well-developed Education system and Training systems.
- The nature of our Electoral system also effects the participation of women.
- Economic Dependence and Unemployment.
- Bad Perception about Politics.

Role of Mass Media is also very important in spreading awareness about women rights and consciousness. Mass Media still need to recog-nise the equal value and dignity of men and women.

What can be Done?

In India most of the efforts are directed towards increasing the number of women participating in political arena. But there is a need of increasing the quantity as well as quality of women participation in decision making process. There is need to explore other political avenues of political participation. Along with empowering women through Education, Awareness, Economic Independence and other measures there is an ardent need of Institutional Mechanisms that includes strategies and mechanisms to increase political participation of women. To elaborate, it includes reservation, government structures with a mandate for women, government-sponsored agencies devoted to women issues, parliamentary committees, local government institutions, mechanisms and plan like gender budgets and component plans, women bodies and groups, federations, unions and cooperations[3].

Following are the some of the main strategies that can maximise the power and effectiveness of women as representatives:

i. Raising Awareness about importance of balanced participation and representation of women and men. Women organisation and NGOs interested in encouraging the participation of women must be pro-active in identifying and establishing relations and promoting these issues with key members if civil society and as well as with media. An example of this is the "movement for Equal Rights –Equal Responsibilities" in Cyprus which aims to promote public awareness that women can be politicians.

ii. Work in partnership with men, this idea is gaining creditability with the growing realisation that women needs support of their male colleagues to enhance the effectiveness of their participation.

iii. Raise in general standard of living and access to resources of all women.

iv. Enhancing women's interest in political activities and increasing their political experience, knowledge and political information.

v. Establishing unity among various women organisations, NGOs, women politicians and leader so that they can develop an integrated approach towards women issues and act as an interest group.

vi. Using the Mass Media effectively in enhancing the role of image of women politicians, educating and mobilising women voters, particularly in rural areas.

vii. Establishing women committees and other machinery accountable to legislature.

viii. Most importantly the Women Reservation Bill which proposes 33% of seats to be reserved for women in parliament should be passed.

ix. Party reform regulations are a need of hour. Political parties should nurture a sizeable number of women in order to bring out a substantial change. Women should be raised to higher positions within the political parties. A women wing in apolitical

party should be compulsory and ought to be involved in policy decisions.

x. Zipping system (introduced in Sweden in 1993) can be adopted to increase women participation. According to this system, men and women are alternated in the party list. This helps in having more number of women gets nomination. Though this system is the reason of high proportion of women legislators in Sweden but it has its limitations also. This system can be applied successfully in small constituencies with several elected representatives.

xi. Twinning system that is being used in Wales allows the party two pair two constituencies and ensures that one fields a women and the other a man. But again it works in small constituencies and applying it in countries like India will be a cumbersome task.

xii. All Women Shortlists (AWS), this method seeks to increase the number of women by allowing only women to stand in particular constituencies.

xiii. Establishment of trust funds for women within all political parties. A specified amount of the party resources should be allocated for this fund, as women faces more obstacles than man in raising funds for political campaigning.

xiv. Under the Corporate Social Responsibility (CSR) private companies should be encourage to give funds for enhancing the women participation in political parties.

xv. Parallel electoral campaigns should be conducted by civil society organisation and women organisations with the support of the government to spread awareness in women about their political rights and that the voters are aware of the merits and credentials of the female candidate contesting elections.

Conclusion

To conclude, it can be said that Indian Democracy is not complete without the proper representation of women in political as well as in social system. There is an immediate need of reforms at every level in the society. It is hoped that the much awaited Women Reservation Bill will be passed at its earliest by our parliament. To ensure effective participation of women at the decision-making level and to realise their full potential, political parties must be reformed. The gender dichotomy and gender bias in Indian legislature can only be removed then.

References

1. Aksel, Sundström. (2008). *Leaving the proxy woman or politician dichotomy: A qualitative study of the possibilities and obstacles for elected women's participation in Indian local governance,* B.A. Thesis in political science Minor Field Study, Department of Political Science, University of Gothenburg.
2. Chafe W.H. (1975). *American Women*, Oxford University Press, London.
3. Women Group Report on Empowerment of Women for the XI Plan, Ministry of Women and Child Development, http://wcd.nic.in/
4. Karl, Marilee. (1999). *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*, London and New Jersey: Zed Press.
5. Norman D. Palmer. (1975). *Elections and Political Developments*, Vikas Publishing House, New Delhi.
6. Kumari, Letha, K. (2006). *Women In Politics: Participation and Governance*, Authors Press, New Delhi.
7. Goswami, B. (2010). *Indian Women In Politics*, Abhishek Publications, Chandigarh.
8. Gupta, Alok Kumar and Bhandari, Asha. (2010). *Women's Political Participation: Researching The Past and Designing The Future*, Authors Press, New Delhi.
9. Kumar, A. (2006). *Indian Women In Politics*, Anmol Publication Pvt. Ltd, New Delhi.
10. Sundar Ram, D. (2009). *Women Empowerment In Political Institutions: A Indian Perspective* (ed.), Kanishka Publishers, New Delhi.
11. Paxton, Pamila. and Hughes, Melanie M. (2007). *Women, Politics and Power: A Global Perspective,* Pine Forge Press, California.

Doctrine of Promissory Estoppel : Emerging Trends in Modern India

Dr. Vikas Mishra

Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

The doctrine of promissory estoppel derives from the principle of equity enunciated in 1877 in the English courts and which had been followed in India. The doctrine involved differs essentially from the doctrine embodied in the Indian Evidence Act 1872 which is not a rule of equity but is a rule of evidence formulated land applied in the courts of law. The doctrine takes its origins form the jurisdiction assumed by courts of equity to intervene in the case of or to prevent fraud.When one party by his words or conduct has given a clear and unequivocal promise or assurances to the other intending to affect legal relation1 between them and to be acted on accordingly then it suffices that the other party has taken him at his word and acted on it. The one who gave the promise or assurance may not afterwards be allowed to revoke it and revert to their previous legal relations as if he had made no such promise or assurance. He must accept their legal relations subject to the qualification which he has introduced. This doctrine has been variously called promissory estoppel, equitable estoppel, quasi estoppel and new estoppel. It is a principle evolved by equity to avoid injustice and though commonly named promissory estoppel it is neither in the realm of contract nor in the realm of estoppel. It differs from estoppel in pais in that the representation relied upon need not be one of present fact

Keywords: *Statutory, Promissory, Estoppel, Rights*

Introduction

In the United States it has governed even gratuitous promises in England generally cases of modification and discharge or agreements as against formation of contracts for which consideration is still a requisite and in India cases which concern neither gratuitous promises nor agreements to modify the existing contracts. In India it appears that may cases could well be decided with the same result not on promissory estoppel but on the settled principles of contract law. Defendant could be held liable on the ground that plaintiff had altered his position either by incurring expenditure or by abstaining to do an act at the desire of the promisor. A phrase used in definition of consideration. This would have supplied consideration for defendant's promise. In fact this has generally been the trend of courts in cases of donative promises. In the law other cases decided on the subject this theory fits well in the context. In the Century Mills case the assurances of the municipality could be construed to mean that if the assures imported or put themselves in a position to import raw material they would not be subject to payment of octroi on it for a period of seven years. In the Hungerford case there was an implied offer and acceptance by conduct year after year which matured into a series of contracts from 1939 to 1955 which were duly acted upon by both parties. After mutual performance the one company could not hold the other liable for income tax

payments. In other words the payment of these amounts was not voluntary but was based on reciprocal consideration.

Role of Courts in India

In India therefore the courts have a limited role to play in view of the statutory nature of the law of contract. Really speaking promissory estoppel applies in cases where for want of consideration of the promise cannot be protected. It is then that it is thought to estop a promisor from going back on his promise with a view to aiding an injured promise. Thus in the teeth of the statutory requirement of consideration. Promissory estoppel at best can have a very limited scope. It was for this reason that the Law Commission thought fit to engraft exceptions to the rule of consideration to import the new estoppel in the Act.

The promissory estoppel and consideration are an anti-thesis of each other. A promise which may be enforced on the ground of the promisee acting in reliance would definitely not require any consideration. What is material here is the principle of estoppel and not consideration. The hostility of consideration to promissory estoppel is borne out in Alderson v. Maddison[1] if this view were adopted in its entirely every promise on which a person acted even if there were no consideration would be binding by way of estoppel and such a doctrine would alter the present law by giving legal force to that class of representations which at present are only morally binding.

The promisor emphasized that since a promisee ought to know the existing law and promisor would merely be taking a chance if promisor acted on the faith of this promise. But the estoppel would not work against defendant since he had made no misrepresentation as to existing facts nor was he guilty of any misconduct the promise being nudum pactum was held not enforceable of law.[2] In Foakes v. Beer[3] and Pinnel's cases which was decided by the court in this case again adhered to the strict requirement of consideration in a situation dealing with acceptance of lesser sum by the creditor in discharge of the whole sum. The undesirable state of law which emerged from the above said cases stirred a recommendation for legislative action in England. Consequently the law Revision Committee in its Sixth interim report made in 1937 which virtually over rules the Foakes case but the recommendation has not been converted on the parliamentary law.[4] The future treatment of this case vis-a vis the development of law of promissory estoppel yet remains to be seen. The obiter dictum in the High Trees case gave rise to a question whether consideration was dispensed with in the cases of formation of contracts also. The court in Rees case did not take up the issue. But this question arose for determination in Combe v. Combe.[4] This principle as under where one party has by his words or conduct made to the other a promise or assurance which was intended to affect the legal relations between them and to be acted upon accordingly then one the other party has taken him at his words and acted on it the once who gave the promise or assurance cannot afterwards be allowed to revert to the previous legal relations even though it is not supported in point of law by any consideration but only by his words. And the dictum of the High Trees case which did not require consideration for the validity of modification and discharge of agreement did not cover the cases of formation and contracts.

New Estoppel

The case of Lyle-Miller v. A. Lewis & Co. Ltd.[5] affords an illustration of this point. In this case the court applied the principle of new estoppel and the High Trees and Tool Metal cases as embodiment of the new estoppel which applies to future promises. The old common law of estoppel did not apply to the facts of case: licensees agreed to give royalty to licenser in consideration of their right to manufacture and sell gas lighters and gas refills which embodies licenser inventions. For some time the licensees sent statements of accounts and made payments of royalty to licenser. Subsequently they repudiated their liability to pay on the ground that the lighters and the refills did not embody licenser inventions. The court held bound to

the licensees because their course of conduct constituted the plainest possible assurance and regarded the factum of payment as a mere representation of fact which was an estoppel of the kind which is well recognized at common law and referred to the law case which deals with estoppel as a rule of evidence. The law case is of direct application to the facts of this case.

It is pertinent to remark that although in the Keksen case the old estoppel did not apply the court also considered the possible application of promissory estoppel. The latter kind of estoppel did not govern because the licensees company had not acted to its prejudice. These cases raise the serious difficulty at times of correctly classifying a case into one kind of estoppel or the other.

Modification & Discharge of Contract

The English cases on promissory estoppel include cases of modification and discharge of contracts resulting in waiver in favour of the promise who acted thereon though for his benefit. The Indian position is dissimilar. It was rightly pointed out in the Joshph case that the substance of the High Trees Case does not go farther than section 63 of the Indian Contract Act. Unlike the English Case, the Indian courts have not confused promissory estoppel with waiver. Cases of waiver would squarely fall under section 63. Due to this difference in scope the English cases are largely unhelpful to us except for showing contemporary progress in a new field of contract law in England in order to avoid fraud and to do justice between parties.

Promissory Estoppel and Legal Obligation

It binds the Crown as well as public authority. It can give rise to a cause of action to the promisee in India. In India the application of promissory estoppel dates back to a ease decided by Calcutta High Court in 1880 and in England it dates back 1845 but it was precisely rediscovered in 1947. The English decisions pertaining to the application of promissory estoppel appears to be the guiding force for the decisions in India involving the application of this doctrine. Some times American decisions and texts also seem to guide the Indian courts on the subject.

Promissory estoppel in India has been held to create legal obligations as against individual and public bodies but it cannot be used to compel the state to make a law which the state has a discretion to make or not to make. By now this doctrine has been completely established in the field of promises for charitable subscription. Unlike English law the promissory estoppel has been recongnised to found a cause of action where it is necessary to satisfy the equity. In India the preponderance of judicial opinion is that limitation of pre- existing legal relationship should not be essential for the application of this doctrine provided other compelling circumstances exist.

Contractual Jurisprudence

The equitable doctrine of promissory estoppel is a beneficial branch of law and has been evolved to avoid injustice which results by sticking to the technical requirements of consideration in every enforceable promise. In recent years it has gained in dimension both in private and administrative law. The doctrine was recognized in the United States of America before its recognition in England.

Modern contractual jurisprudence in common law countries abounds in a concept generally styled as promissory estoppel. Williston of the Harvard law school may be credited with its invention in the earliest edition of his work on contracts. Through a gradual process jurisdiction after jurisdiction in the United States upheld its application. The promissory conduct of a party which induces the other into some definite beliefs and leads him to act on its faith is now sought to be relieved against the former and in favour of the latter through promissory estoppel. In such a case the promisor is not allowed to go back on his promise because this would cause injustice to his promisee which it is the purpose of the law to avoid.

The avowed judicial use of this doctrine in England has been widely noted by scholars and text writers. There it is variously named as

principle of equity, promissory estoppel, equitable estoppel, quasi estoppel, new estoppel and at times related to waiver. In the United States this term is in vogue. In Nigeria and New Zealand it has been accepted. In Australia it is yet to be welcomed with open arms. We are worthwhile to study the development of promissory estoppel in the various legal systems such as American, the English, the Australian and the New Zealand modern contractual jurisprudence in common law countries abounds in a concept generally styled as promissory estoppel.

Representation as to Abandonment of Existing Right

The doctrine of promissory estoppel in most widely recognized and most frequently applied in cases of promises or representations as to an intended abandonment of existing rights. Some courts have even stated that these are the only cases in which promises as to the future may be the basis of an estoppel. The better considered statements of the doctrine however do no contain this limitation and the courts have actually applied the doctrine in numerous instances which could not fairly be said to involve an abandonment of an existing right. A number of courts upheld the validity of charitable subscriptions on the theory of promissory estoppel holding that while a mere promise to contribute is unenforceable for want of consideration if money has been expended or liabilities have been incurred in reliance on the promise so that non fulfillment will cause injury to the payee the donor is estopped to assert the lack of consideration and the promise will be enforced. According to the weight of authority one who by promises or assurances that he will pay or that he will not take advantage of a statute of limitations or the like induces another to forgo his rights and to delay suit until after the expiration of the period of limitation is estopped from asserting the statute as a bar to the creditor action although there is also authority that a parol promise of this character is ineffective.

Conclusion

Promissory estoppel is being used in order to deter a promissor from changing his mind when the other party has bona fidly acted upon his promise. It has now come to stay and awaits legislative action so that its scope is well defined and it is made a regular part of our contractual jurisprudence since promissory estoppel according to the recommendations of Law Commission of India for legislative action has been established as antithesis of the consideration.

The Supreme Court in M.P. Sugar Mill case has traversed a wide field breaking new grounds and pronouncing the doubtful and unsettled aspects of the doctrine of promissory estoppel. Some doubts still remain about the requirement of detriment. It is true that promisee must alter his position in reliance on the promise. It is commonly assumed that alteration of position is for the worse. Promissory estoppel has come into being to prevent injustice and not to confer a bounty for mere alteration of position. The great virtue and great strength of English equity lie in its principles often illustrated but seldom expressed and never finally settled.

The judicial favours promissory estoppel both in England and India. This estoppel is being used these days to deter a promisor from changing his mind when the other party has bona fide acted upon his promise. It has now come to stay and awaits legislative so that its scope is well defined and it is made a regular part of our contractual jurisprudence.

References

1. Alderson v. Maddison 5 Ex. Div. 293, (1880)
2. Treitel, Law of Contract, 1970 3rd Ed., at p. 97
3. Foakes v. Beer 9 AC 605 HL, (1884)
4. Sixth Interim Report of the Law Revision Committee, Paras 35,40.
5. Lyle- Meller v. A. Lewis & Co. (Westminster) Ltd. 1 WLR 29 at 36 CA, (1956).

Book Review

Genetically Modified Diplomacy: The Global Politics of Agriculture Biotechnology and the Environment

Chandraveer Singh Bhati

Lecturer, Political Science
Government Bangur P.G. College, Pali (Raj.)

This book is the product of eight years of research and critical thinking about Genetically Modified crops. The author himself is an assistant professor, political science at Carleton University, Ottawa, Canada. In this book, the author wants to explain that how we make the collective decision about new technology which is complex and has contradictory facts and opinions. The book tries to bring out diplomatic methods and negotiation patterns from Genetically Modified Organism's discussions. Two main focus of the book is the development of precautionary principle and USA and Canada's position on GMOs.

The author first lays theoretical ground on which he builds the structure of GMO debate. This theoretical ground is the combination of new institutionalist regime and ideas of Gramsci and Foucault. According to author new institutionalist regime is useful in interpreting the already established norms of governance on the subsequent international institution but the new institutionalist theory is weak in theorizing the relationship between knowledge and interest. Institutionalist regimes consider the state as primary actor and avoid many other important actors and it is also objective. Therefore we need to go beyond institutional regime theory.

So, the author has invoked Gramsci and Foucault to understand global agriculture politics because they are highly attuned to the power of ideas in politics. Although there are significant differences between Gramsci and Foucault, but together they provide variety of tools for interpreting the way that knowledge, interest and norms helped shapes the Cartagena Protocol and environmental negotiation.

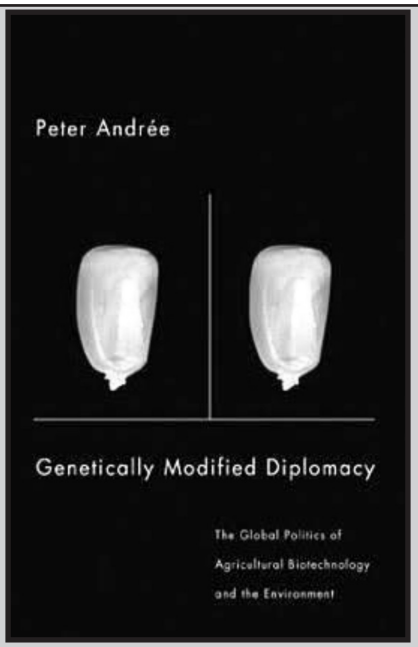

Author : Peter Andree

ISBN : 978-0-7748-1268-9

Publisher : UBC Press Canada, Vancouver

Pages : 336

Price : US$ 45.99 (Paperback)

To understand politics of GEO, author has developed the Gramsci's concept of hegemony and historical bloc and Foucault's concept of power and resistance. According to Gramsci hegemony is established by historical bloc

through coercion and consent. Coercion is exercised by state and consent is manufactured by ideas. Organic intellectuals try to create consent through education. The ideology of liberalism and institution like WTO, WB and IMF are some sources for creating consent.

For Foucault ideology is not a product of material interest as Gramsci thinks. Foucault believes that ideas are embedded in social relation. Social and institutional practices shape discourses. Culture and language play important role in shaping discourse. To achieve discourse actor routinely define themselves and their interest. For example, GMO companies redefined their policy of risk assessment to achieve their goal. According to Foucault power of ideas is discursive and this discursive power can be understood by the discourse of governability and biopower.

Ideas cannot be as easily manipulated as Gramsci think because there is also resistance to ideas. Foucault's discourse analyses role of resistance, so it becomes very useful in understanding GMO negotiation and debate over precautionary principle. Gramsci and Foucault's political theory is grounded in historical and real world struggle and day to day relation of power and author, therefore, has adopted this approach to develop his GEO diplomacy concept.

The book is divided into seven chapters. Chapter one deals with the theoretical framework. Data and graphical representation of theoretical framework make it easy to understand. According to the author three factors are playing important role in politics of GEO regulation and trade (i) Economic interest (ii) Scientific knowledge and its interpretation by politician and public(iii) Cultural value and their definition institution and norms of regulations. The author uses theoretical basis of Gramsci and Foucault to analyses how these factors interacted and helped in shaping the Cartagena protocol. Earlier conceptualization of Gramsci and Foucault theory in GEO field by Purdue, Levy and Egan, Wright and Liftin also helped the author to frame his concept about GEO negotiation. For example, Levy and Egan used Gramsci's concept to understand how co-operations and political actors interacted in the formation of climate change regime. Liftin used Foucault's concept to analysis how Montreal Protocol was formed amid differences between countries about interest and regulations.

Chapter two and three deal with agribiopolitics. Here author used Gramsci's concept to explain the material, organisational and ideational forces behind GEO politics. Material forces include technology, finance, production, consumption, etc. Organisational forces include scientists, industrial groups and governments. Ideational forces include mainly four ideas i.e. gene, environment, liberalism and risk. Change in material forces formed a new biotech bloc which then formed new ideas to establish its hegemony. From Gene talk to complexity talk, from gene technique as hazard to risk manageable to precautionary discourse author explain all these development in very systematic and lucid way.

Chapter four, five and six explains the development of biosafety discourse. Emergence and institutionalisation of the precautionary principle and biosafety discourse took place over four distinct discursive shifts. First three discursive shift elaborate how the change came in from the demand of no special regulation for GMOs to the demand for international regulatory framework for GMOs. The fourth discursive moment took place during the final stage of Cartagena negotiation and it established the framework for the precautionary principle. The author covers wide range of issues from debate over definition of LMOs to socio-economic impact of LMOs, the formation of A.I.A., risk assessment, separate arrangement for LMO-FFP. But the book does not cover many issues like liability and redresses, compliance issue, etc.

Chapter seven discusses the implication of Cartagena protocol for agribiotech industry and environment politics. This chapter also includes WTO and SPS Agreement, Codex Alimentarius, Curitiba rules, building biosafety capacity, etc.

The book also dovetails politics and diplomacy of gene politics historically. Development of genetic engineering took place in the USA and initial research was funded by Department of Defence and Atomic Energy. First successful genetic engineering of strain of bacteria took place at Stanford University in California 1973. Later this GE was used in agriculture to increase production of crops because the USA was global exporter of

major crops. Canada was USA's competitor in food grain export so it also adopted GM crop. Argentina was traditionally seed developer for the USA in winter so with the USA it also adopted GM crop. In international negotiation these three countries were main supporters of GMOs. Biotech bloc with support of these countries started Gene Talk. The aim of gene talk was to make people aware about benefit of GMOs and remove their misconception about GMOs. On the other hand, critic emphasised on complexity talk. It means that GMOs are not only about transferring genes and increasing production but genetic engineering has more complex impact on human and environment which very difficult to detect. Next step and natural progression of gene talk was discourse of equivalence and it means equivalence with traditional crops. Whereas natural progression of complex talk was that the GMO are distinct and therefore not equal to traditional crops. So that precautionary principle can also be applied to GMOs. So, whole debate divided the world into two group pro-GMO and anti-GMO. Conflict between these two finally resulted in precautionary approach, A.I.A., risk assessment and management, capacity building, liability and redresses, etc. In this ideological conflict the author has put forward multiple argument and dimensions of both sides which broaden the horizon of reader's mind and make book interesting.

The author is pointing out that GM companies successfully moved the talk from zero growth philosophy to sustainable development and ecological modernization. Demand for sustainable development was first raised by World Business council for Sustainable Development (WBCSD) during Rio conference. Monsanto, DuPont, Mitsubishi, Shell etc. were member of this WBCSD. Same way companies also demanded for regulation for GMOs because government approval to GMOs will ensure people that the GMOs are safe to consume. Many such type of argument removes many misconceptions from reader's mind.

To maximize profit companies tried to patent gene. First major patenting came in 1980 when United State Supreme Court ruled out that a transgenic microorganism could be assigned a patent in Dimond v/s Chakravarty case. Similar kind of decision came in Japan, EU during 1980's. Later patent regime was strengthened by WTO-TRIPS. On the demand of GMO Company's concept of novelty, familiarity and substantial equivalence were adopted by USA government.

Global movement emerges against commercialization of GEOs. Critic gave many arguments including that 80% of farmers use their own saved seed; patented seed will wipe out traditional seed, bio piracy as in case of Neem and Basmati. In the context of TRIPS these group noted that this agreement allow for "sui generis" which protect the right of a farmer to save and use seed. Environmentalist also filed cases against bio piracy and won.

In CBD-COP1 and COP2 recommendation of Expert Group IV and TWN report played major role in consolidating opinion toward precautionary principle, legally binding protocol and discursive framework of risk. EU's shift due to consumer movement, BSE disease and scientific study against GEO also strengthen the movement. Finally at Montreal Miami group agreed to legally binding protocol. But due to pressure from Miami group pharmaceutical was not included and documentation was not made compulsory.

Finally book suggests that many issue still needs to be settled like relation between Cartagena protocol and different MEA, segregation and documentation, etc. But as civil society role is increasing and even Canada is adopting more stringent laws about precaution future of Cartagena protocol looks brighter. South should focus more on capacity building and increasing scientific knowledge.

The book is empirical and analytical. The facts are very well corroborated with theories and explained smoothly. The book also explores subjectivity in science and how science becomes tool in the hand of industry. Some time it seems that he forcefully tries to fit theories to negotiation process but every theory cannot explain everything. Organic farming is emerging field but no discussion and comparison of organic and genetic crops is done in this book. Many studies from India are mentioned but China, Russia and Japan's position and their views are not discussed in this book. In spite of all these the book is exploratory, useful andthought provoking.

वैदिक काल में नारी की स्थिति

डॉ. प्रदीप कुमार कौण्डल

सह आचार्य, संस्कृत

राजकीय महाविद्यालय, नौरा, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

शोध सारांश

वैदिक काल सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से स्त्रियों की चरमोन्नति का काल था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सभी प्रकार से अत्यन्त सुदृढ़ एवं उन्नत थी। परिवार एवं समाज में उनको सम्मान प्राप्त था। कन्याएं ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। इस काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार था। सह शिक्षा का प्रचलन था। यज्ञ में भी उसे सर्वाधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी तथा नारी सर्व शक्ति सम्पन्ना मानी गई तथा विद्या, यश और सम्पत्ति की प्रतीक समझी गई। वैदिक काल में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल मिलाप पर। नारी की विदुवता, शिक्षा, तपस्या और प्रतिभा पुरुषों के समकक्ष थी। अनेक स्त्रियां दार्शनिक विषयों एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थीं। इनमें गार्गी का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस काल में हमें राजनीति एवं युद्ध विद्या में निपुण स्त्रियों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। वैदिक काल की नारी देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी है, सद्गृहणी है, सम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने वाली है, उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने बाली है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है। इस प्रकार वेदों में स्त्रियों की शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थिति अत्यन्त गौरवास्पद वर्णित हुई है।

संकेताक्षर : *स्त्री-शिक्षा, राजनैतिक क्षेत्र, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक कृत्य, सामाजिक स्थिति, स्त्री धन*

वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति बहुत विकसित, उन्नत एवं परिष्कृत थी। वेद नारी को अत्यन्त महत्वपूर्ण, गरिमामय एवं उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा, शील, गुण, कर्त्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं पाया जाता है। नारी को उस समय गृहिणी, अर्द्धांगिनी, विदुषी, गृहस्वामिनी, सहधर्मिणी, सम्राज्ञी आदि विशेषणों से अंलकृत किया जाता था। ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीयों के सभी आदर्श स्त्री रूप में पाये जाते थे। विद्या का आदर्श 'सरस्वती' में, धन का 'लक्ष्मी' में, शक्ति का 'दुर्गा' में, सौन्दर्य का 'रति' में तथा पवित्रता का 'गंगा' में। इस युग में चाहे घर हो, परिवार हो या समाज, हर जगह नारी की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। वह समाज में कन्या, पत्नी तथा माँ के रूप में सदैव समादृत रही हैं और उसके द्वारा परिवार एवं समुदाय के लिए किए गए योगदान को सराहा जाता रहा है। हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे समान रूप से प्रतिष्ठित एवं आदृत थीं। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में उनका महान् योगदान था। समाज में नारी का महत्त्व इतना था कि उसके विना पुरुष को अपूर्ण एवं अधूरा समझा जाता था। वह अपने कर्त्तव्य को भली-भांति निभाने के साथ-साथ पति के कार्यो में भी हिस्सा लेती थी। वैदिक समाज के अनुसार नारी के बिना गृह की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। ऋग्वेद में एक स्थल पर पत्नी को आभूषण भी माना गया है[1] तथा 'जायेदस्तम्'[2] अर्थात् जाया ही घर है, ऐसा कहा गया है। आज भी समाज में प्राय: यह सुनने को मिलता है कि पत्नी ही घर की रौनक है। इस घर की सम्राज्ञी व महारानी है और वह घर के सारे सदस्यों पर शासन चला सकती है। नारियों के प्रति इस प्रकार का समादर सम्भवत: वैदिक वाङ्मय को छोड़कर विश्व के किसी भी अन्य साहित्य में उपलब्ध नहीं है। वैदिक नारी कठोर संयम एवं त्याग से आदर्शो का निर्वाह करती तथा अत्यन्त शालीनतापूर्ण तरीके से गृहकार्य करती थीं। इस युग की नारी परिवार में प्रेयसी, रक्षिका, सम्बन्ध-विस्तार का

कारण तथा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के उत्कर्ष का आधार थी। वैदिक काल का दृष्टिकोण नारी के प्रति दिव्य कल्पनाओं तथा पुनीत भावनाओं से परिवेष्टित था। इस काल में नारी का शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित, सम्मानित एवं गौरवपूर्ण स्थान था। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'- यह उक्ति वैदिक काल की नारी के लिए सत्य ही प्रतीत होती है। इस शोध-पत्र में वैदिक काल में नारी की शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

शैक्षणिक स्थिति–वैदिक कालीन समाज स्त्री-शिक्षा के प्रति सचेत था। इस काल में स्त्री-शिक्षा का प्रसार अत्यन्त उन्नत था। शिक्षा के क्षेत्र में नारी को पुरुषों के बराबर ही अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में बालकों की भांति ही कन्याओं के उपनयन-संस्कार की व्यवस्था थी[3] और कन्याएं भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई अनेक विषयों- वेद, दर्शन, तर्कशास्त्र, मींमासा, साहित्य आदि की शिक्षा ग्रहण करती थीं। बुद्धिमती कन्या को माता-पिता एक आदर्श कन्या मानते थे। ऋग्वेद में 'घोषा'(1.117.19) तथा 'वध्रिमती' (1.116.13) का प्रभूत बुद्धिशालिनी कन्या के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है। यजुर्वेद (8.1) में कहा गया है कि कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था तथा वे सन्ध्योपासन की विधि भी पूरी करती थीं। यज्ञ-सम्पादन में भी नारी को अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां पुरुषों के साथ वेदाध्ययन के साथ-साथ वैदिक मन्त्रों की रचना भी करती थीं। वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाली इन नारियों को 'ऋषिका कहा जाता था। जो स्त्रियाँ आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर अध्ययनरत रहती थीं, वे 'ब्रह्मवादिनी' कहलाती थीं।[4] ऐसी स्त्रियां बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न होती थीं, जो ज्ञान और बुद्धि में पांरगत ही नहीं, बल्कि अनेक मन्त्रों की उद्गात्री हुआ करती थीं, जो मन्त्रों का सस्वर पाठ करती थीं। ऋग्वेद में स्त्रियों के वीणा आदि वाद्य-यन्त्रों के साथ गाने तथा नृत्य करने का भी ज्ञान होता है। कुछ नारियां इस प्रकार की थी, जो ऋचाओं का मात्र मधुर स्वर में गायन करती थीं। स्त्रियों के विद्वद् सभा में ऋक्गान का उल्लेख ऋग्वेद के दसवें मण्डल में मिलता है।[5] वैदिक काल में अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियां हुईं, जिन्होंने ऋचाओं का निर्माण किया, वेद पाठ किया, यज्ञ किया और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट गौरव एवं सम्मान प्राप्त किया। इनमें रोमशा, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, सूर्या, इन्द्राणी, सिकता आदि विदुषी स्त्रियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय था, जिस कारण ऋग्वैदिक समाज उन्नति के पथ पर आरूढ़ हो सका। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन्होंने स्त्रियों के लिए मार्गदर्शन का काम किया और नारी शिक्षा को आगे बढ़ाया। ऋग्वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां मन्त्रों एवं ऋचाओं की रचना के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, काव्य एवं नाटक रचना में भी निपुण थीं। इस काल में नारी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रगण्य थी। अत: नारी शिक्षा जितनी आज विकसित है, उससे कहीं अधिक उन्नत वैदिक काल में थी। स्त्रियों के द्वारा सूत्र-काल तक यज्ञ-सम्पादन का वर्णन मिलता है।[6] महर्षि पतंजलि के कथन से पता चलता है कि वैदिक काल में अनेक महिलाएं शिक्षिका बनकर अपना जीवन यापन करती थीं तथा अध्यापन कार्य में संलग्न ऐसी स्त्रियों को 'उपाध्याया' कहा जाता था।[7] आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में (छात्रादय: शालायाम्-6.2.46) महिला-शिक्षणशाला का उल्लेख किया है। सह-शिक्षण का प्रचलन भी उस युग में था। वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल-मिलाप पर। घर में रहने वाली कन्याएं गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त करती थीं। वे कृषि कार्य में अपने माता-पिता का सहयोग करती थीं। ऋग्वेद में 'अपाला' नामक कन्या का उल्लेख मिलता है, जो कृषि कार्य में अपने पिता का पूरा सहयोग करती थीं।[8] वैदिक काल में कन्याएं गाय दूहना भी जानती थीं। सम्भवत: इसी कारण कन्या के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। स्त्रियां सूत कातने व वस्त्र बनाने में भी परिवार की सहायता करती थीं। व्यवहारिक शिक्षा में वे नृत्य, गान चित्रकला आदि की शिक्षा भी वे प्राप्त करती थीं।[9] उत्तर वैदिक काल में नारी-शिक्षा पद्धति में कुछ आमूल महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने के वावजूद भी कतिपय विदुषी स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा से इस काल को अमर बना दिया। इस काल की नारियां शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश ले चुकी थीं और समाज में विदुषी के रूप में सम्मानित होने लगी थीं। इस युग में गार्गी, मैत्रेयी और अनुसूया आदि स्त्रियां शास्त्रार्थ में पारंगत थीं। इन विदुषी नारियों के विशिष्ट एवं अलौकिक ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में नारी शिक्षा चरमोत्कर्ष पर थी।

राजनैतिक स्थिति-राजनीतिक शक्ति सर्वोपरि होती है, यह एक सर्वविदित तथ्य है। वेदकालीन नारी की राजनैतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान पैठ थी। वेद में नगर-सभाओं के प्रबन्धन के लिए स्त्रियों की भूमिका को निर्णायक माना गया है। वहां पर नगरों के प्रबन्ध, उनकी आन्तरिक रक्षा और सफाई आदि का काम स्त्रियों के हाथ में होने का वर्णन उपलब्ध होता है। स्त्रियां नगर प्रबन्धन करने के साथ ही साथ व्यवस्थापक सभाओं की सदस्य भी हुआ करती थीं और इन सभाओं की राज्य संचालन में महत्त्वपूर्ण

भूमिका होती थी। वेद मार्तण्ड आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति[10] के अनुसार यदि एक स्त्री चाहे तो सेना व पुलिस का सिपाही तो बन ही सकती है, लेकिन वह राजा के पद पर भी प्रतिष्ठित हो सकती है। उनका कहना है कि राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभा एवं समिति नाम की दो शक्तिशाली संस्थांए होती हैं, जिसकी स्त्रियाँ सदस्य होती हैं। इनमें समिति ऊंची और अधिक शक्तिशाली होती है। अथर्ववेद में भी सभा और समिति में स्त्रियों के भाग लेने और बोलने का वर्णन मिलता है।[11] अत: वेदों में नारी को उसकी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार उच्च पद पर आसीन होने का समर्थन किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक राजनीति में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं किया जाता था। स्त्री हर उस पद पर चुनी जा सकती है या उस पद को प्राप्त कर सकती थी जिस पद पर पुरुष निर्वाचित हो सकता है। वेदों में नारियों की राजनैतिक स्थिति बड़ी उदात्त है। यजुर्वेद के दशम अध्याय में राज्याभिषेक, सिंहासनारोहण एवं राजा की तेजस्विता का वर्णन मिलता है। इन वर्णनों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उस समय राजाओं की पत्नियाँ दूसरों को न्याय एवं राजनीति की शिक्षा देती थीं और न्यायाधीश की तरह स्त्री समाज की समस्याओं पर अपना निर्णय प्रदान करती थीं।[12] स्त्रियों के राजनैतिक क्षेत्र में पैठ की पुष्टि ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 60वें सूक्त से भी होती है। जहां पर इस सूक्त की द्रष्ट्री गोपायनों की माता (अगस्त्य स्वसा) ने सुयोग्य शासक के गुणों से विभूषित असमाति नामक नरेश की अनेकश: प्रशंसा की है। राजा के किन गुणों से प्रजा उसके प्रति आकृष्ट होती है, शत्रुओं को कैसे जीता जा सकता है एवं प्रजा को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला एवं जनता को प्रसन्न रखने वाला राजा ही श्रेष्ठ होता है, इसका विस्तृत वर्णन इस सूक्त में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त अदिति ने तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाते हुए देवराज इन्द्र की प्रशंसा की है,[13] जिन्होंने वृत्रासुर, व्यंस नामक दैत्यों के दमन के साथ ही साथ उच्छृंखल 'कुषवा' नाम्नी राक्षसी को भी अनुशासित किया था। अदिति का अभिप्राय है कि जनता का दमन करने वाले महान शक्तिशाली व्यक्ति का भी अन्त में वृत्रासुर की भांति नाश हो जाता है। गोधा, यमी तथा सरमा के सूक्तों से भी उनके प्रौढ़ राजनीतिक ज्ञान की झलक मिलती है,[14] जो उस समय की जागरूक नारी की राजनीतिक सूझ-बूझ का सबल प्रमाण है। एक शासक के लिए जितने भी अनिवार्य तत्त्वों की आवश्यकता होती है, उन सबका संकेत इन मन्त्र द्रष्ट्रियों ने अपने-अपने सूक्तों में किया है। वैदिक युग में ऐसी स्त्रियाँ भी हुई हैं जो शासन-व्यवस्था और राज्य के प्रबन्ध में दक्ष होती थीं तथा शासक तथा अभिभावक के अभाव में स्वयं प्रशासन का संचालन करती थीं। इससे पता चलता है कि वेदकालीन नारी का राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित स्थान था।

धार्मिक स्थिति-आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी नारी को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त था। यज्ञ उस समय धार्मिक कृत्य था, जो बिना पत्नी के सम्भव नहीं हो पाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर नारी को 'ब्रह्म' कहा गया है।[15] इसका अभिप्राय यह है कि वह स्वयं विदुषी होते हुए अपनी सन्तान को सुशिक्षित बनाती है। 'ब्रह्म' नामक ऋत्विज यज्ञ का अध्यक्ष होता है। सर्ववेदविद् एवं ज्ञान-विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसे यज्ञ में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार नारी को ज्ञान-विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रह्म बताया गया है। इस प्रकार से उचित सभ्यता के नियमों का पालन करती हुई नारी निश्चित रूप से 'ब्रह्म' के पद को पाने योग्य बन सकती है। वेदों में नारी को नर की सहधर्मिणी होने के कारण प्रत्येक धार्मिक-कार्य में एक साथ बैठने एवं उसको सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त था। वह यज्ञ में बैठती थी, हिस्सा लेती थी और उसे यज्ञ को पूर्ण करने का अधिकार भी था। एक स्थान पर ऋग्वेद में कहा गया है कि पत्नी पति के साथ बैठकर यज्ञ करे, क्योंकि पति-पत्नी दोनों घर के स्वामी या दम्पती हैं। विदुषी स्त्रियों द्वारा यज्ञ के संचालन का वर्णन भी ऋग्वेद में उपलब्ध होता है।[16] एक स्थल पर तो स्त्रियों को यज्ञ में आगे रहने के लिए कहा गया है, ये सुहागिन नारियां और सुन्दर पत्नियां, अंजन तथा घृत लगाकर प्रवेश करें। शोक-रहित, रोग-रहित और रत्नों से सुसज्जित होकर ये स्त्रियां यज्ञशाला में प्रवेश करें।[17] वेदों में नारी को पुरुष की सहधर्मिणी कहा गया है। अत: उसे नर के हर धार्मिक अनुष्ठान में साथ बैठने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में उसका पुरुष के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र[18], अथर्ववेद में नारी का स्वयं अलग से स्वतन्त्र रूप से यज्ञ करने का वर्णन मिलता है।[19] विश्ववारा[20] प्रतिदिन यज्ञ करती थी और उसने यज्ञ में ऋत्विक का कार्य भी किया था। वैदिक काल में नारी को देव-कोटि में स्थान दिया गया है और धार्मिक दृष्टि से समाज में उनका गौरवपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में उषा, सूर्या, वाक्, पृथिवी, श्रद्धा आदि अनेक नारियों को देवता माना गया है। इन वैदिक प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय नारी को नर के ही समान धार्मिक कृत्यों के सम्पादन की पूर्ण सुविधा थी। इस प्रकार वैदिक काल में नारी माता, बहन, युवती, पत्नी आदि सभी रूपों में पुरुष के समान ही धार्मिक कार्यो में भाग लेने का पूर्ण अधिकार रखती थी और उसकी धार्मिक स्थिति अच्छी थी, जिसका उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और नारी को नर की तुलना में हीन मानने की भावना बलवती हो गयी।

सामाजिक स्थिति–वैदिक काल में नारी की सामाजिक स्थिति बहुत ही ऊंची थी। वह बिना किसी प्रतिबन्ध के सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी और सामाजिक कार्यो को सम्पन्न कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वैदिक युग में नारियां जितनी स्वतन्त्र थी उतनी अन्य समय में नहीं थीं। वह हर क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष थीं और उनके अधिकार भी पुरुषों के बराबर थे। शिक्षा, ज्ञान, यज्ञ आदि क्षेत्रों में वह निर्विरोध स्वच्छन्दतापूर्वक सम्मिलित होती तथा आदर प्राप्त करती थी।

विवाह एक धार्मिक संस्कार था, जो प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के लिए आवश्यक था तथा यह एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों को कुछ बातों में स्वतन्त्रता भी मिली हुई थी।[21] उस काल की कन्याएं प्रकृति माँ की गोद में स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-यापन करती हुई माता-पिता की अनुमति से अपने जीवन -साथी को वरण करने में पूर्ण स्वतन्त्र थीं[22]। इस प्रकार वेद कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर पुरुष से एक कदम आगे ही रखता हैं। नवविवाहिता वधू को परिवार में बड़ा आदर व सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वधू ही घर की वास्तविक स्वामिनी बनती थी। ऋग्वेद के दशम मण्डल में वधू को श्वसुर, सास, ननद तथा देवरों पर साम्राज्य करने का आशीर्वाद दिया गया है।[23] अथर्ववेद में भी उसे घर की सम्राज्ञी बताया गया है और परिवार के अन्य सदस्यों को उसके शासन में रहने के लिए निर्देशित किया गया है।[24] इससे पता चलता है कि उस समय स्त्री पर कितना विश्वास किया जाता था। वैदिक युग में ऐसे समाज की कल्पना की गई है, जहां नारी का स्थान अत्यन्त गौरवपूर्ण था और उसे घर की महारानी समझा जाता था। सम्भवत: इसी कारण आज के समय में लोग घर की वधू को 'बहूरानी' कहकर सम्बोधित किया जाता है।[25] साधारणत: इस युग में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था और एक विवाह को अत्यन्त श्रेष्ठ और पवित्र समझा जाता था, परन्तु प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति एवं राज-घरानों में व्यक्ति अनेक विवाह भी किया करते थे। वरवधू को घर के लिए मंगलकारी मानने का वर्णन भी वेदों में मिलता है।

विवाह के अवसर पर वधू को दिखाकर सब से मंगलकामना करने को कहा जाता है,[26] इस कथन से परिलक्षित होता है कि उस समय **पर्दा प्रथा** का प्रचलन नहीं था। स्त्रियाँ बिना पर्दे के स्वतन्त्रतापूर्वक पुरुषों के साथ विद्वद्गोष्ठियों और दार्शनिक वाद-विवादों में सम्मिलित होती थीं तथा उत्सवों एवं बाहरी कार्यो में भी स्वेच्छा से भाग लेती थीं। स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण उदार एवं स्नेहपूर्ण था।

बाल-विवाह एक बुराई है, जिस के बारे में आज भी संचार माध्यमों से सुनने को मिलता है। परन्तु वैदिक काल में बाल-विवाह की प्रथा बिल्कुल नहीं थी। ब्रह्मचर्य का पालन बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य था, जिसकी अवधि पच्चीस वर्ष थी। परिपक्वावस्था से पूर्व लड़की का विवाह पूर्णतया निषिद्ध था। अत: बालिकाओं को पूर्ण शिक्षा देने के पश्चात् वयस्क होने पर ही उनका विवाह संस्कार किया जाता था। वेद स्पष्ट रूप से विवाह योग्य आयु का संकेत करता है।[27] इसके अतिरिक्त वेद में अन्य स्थानों पर भी स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं, जिनमें युवा पुरुष और युवा लड़की का विवाह ही श्रेष्ठ माना गया हैं।[28] इस काल में **दहेज-प्रथा** एवं **सती प्रथा** को भी हतोत्साहित किया गया है। अत: कहा जा सकता है कि वैदिक युग में **बाल-विवाह, दहेज-प्रथा** एवं **सती प्रथा** का अभाव था।

वैदिक काल में **विधवा स्त्री के पुनर्विवाह** की व्यवस्था थी। ऋग्वेद में एक स्थल पर विधवा स्त्री को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तुम अपने मृत पति को छोड़कर भावी पति को प्राप्त करो।[29] महर्षि यास्क ने देवर शब्द का अर्थ द्वितीय वर किया है, इस आधार पर भी कहा जा सकता है की पति की मृत्यु के पश्चात विधवा स्त्री द्वितीय विवाह कर सकती थी।[30] अथर्ववेद से भी विधवा-विवाह या पुनर्विवाह की पुष्टि होती है।[31] वर्तमान समय में भी हमारे समाज में विधवा की उपस्थिति को विशेष अवसरों पर अच्छा नहीं समझा जाता है और विधवा का विवाह तो बहुत ही साहसी कदम होता है। वेद का इस सम्बन्ध में यह कितना दूरगामी एवं श्रेष्ठ चिन्तन है कि यदि दुर्भाग्यवश कोई स्त्री अल्पायु या युवावस्था में ही विधवा हो जाती है तो उसे अपना लम्बा जीवन जीने के लिए पुनर्विवाह का अधिकार है।

वैदिक वाङ्मय में नारी का चित्रण '**अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी**' जैसा नहीं किया गया है, प्रत्युत उसके सबला रूप को दर्शाया गया है। उसे सुवीरा, शूरपत्नी एवं इन्द्रपत्नी आदि अनेक गौरवास्पद पदों से सम्बोधित किया गया है। एक स्थान पर तो नारी को सबला के रूप में चित्रित करते हुए कहा गया है कि आप गृहस्वामिनी हो तथा अपने सौहार्द से सबको वश में कर लेती हो और विदथ में भी बोलती हो।[32]

वैदिक काल में नारियों के लिए **सैनिक शिक्षा** की व्यवस्था थी। नारी भी अपने पति के साथ अध्ययन-अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र में भी जाती थी और युद्ध में हिस्सा लेती थी। इसका एक उदाहरण विश्वपला का है जो एक महारानी थी, जिसने युद्ध में लड़ते समय अपना एक पैर युद्ध में गवां दिया था और देव-वैद्य अश्विनीकुमारों

द्वारा बाद में लोहे का पैर बनवा लिया था। एक और वीरांगना मुद्गलानी महर्षि मुद्गल की पत्नी थी[33] जिसने अपने पति के शत्रुओं को पराजित किया और पति की रक्षा भी की। ऋग्वेद में एक स्थल पर वर्णन मिलता है कि दैत्यराज 'नमुचि' ने 'बभ्रु' ऋषि की गौओं का अपहरण कर लिया। ऋषि के आह्वान पर जब देवराज इन्द्र दैत्य से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आए तो उन्होंने वहां बहुत बड़ी सेना देखी, जिसमें अधिकांश स्त्रियां थी।[34] एक स्थल पर इन्द्राणी का सेनानी के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है, वहां बताया गया है कि वह अजेय है, सेना के आगे चलती है और उसके पैरों में शक्ति है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि इन्द्राणी सेना की देवता है। वही सेना में प्राण फूंकती है और उसके नेतृत्व में निर्बल सेना भी सबल हो जाती है।[35] इन कतिपय उदाहरणों से सिद्ध होता है कि उस समय नारियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। जिसके फलस्वरूप वे वीरांगना बन जाती थी। इसके अतिरिक्त आर्य महिलाओं का युद्ध में भाग लेना उस समय की सामरिक आवश्यकता भी प्रतीत होता है।

आर्थिक स्थिति–वैदिक काल में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बता पाना मुश्किल है। विवाह के समय जो कन्या को पति गृह जाते हुए स्नेह वश माता-पिता, भाई व रिश्तेदारों से भेंट रूप में उपहार या अन्य धन प्राप्त होता था उस पर ही उसका अधिकार होता था तथा उसे स्त्री धन कहा जाता था।[36] विवाह के समय प्राप्त होने वाले इस धन को तैत्तिरीय संहिता में पारिणाह्य कहा गया है और उस पर स्त्री का पूर्ण स्वत्व था।[37] परिवार की सम्पत्ति में भी उसका हिस्सा होता था और वह उसे स्वेच्छा से अपने पास रख सकती थीं। मनुस्मृति(3.52) में पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् नारी को उसके स्त्री-धन से वंचित न करने की व्यवस्था की है। स्त्री-धन के अर्न्तगत परिवार की भूमि के अतिरिक्त उसके मूल्यवान् वस्त्राभूषण भी होते थे, जिनका वह स्वयं उपयोग करती थी। सम्पत्ति में विधवा को वैदिक काल में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था।[38] भाई के न होने पर ही बहन का अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार होता था। इसके अतिरिक्त अविवाहित कन्याएँ जो वृद्धावस्था तक पिता के घर में रहकर ही जीवन-यापन करती थीं, उनकी ओर से पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्ति हेतु ऋग्वेद संहिता(10.85,13,38) तथा अथर्ववेद संहिता(14.1.13) में प्रार्थना की गई है। पत्नी के रूप में स्त्री घर की स्वामिनी होती थी। विवाह में पुरुष को स्त्री के भरण-पोषण का पूरा दायित्व उठाने का वचन देना होता था। उस समय नारी समाज के धनोपार्जन के दो मुख्य साधन थे- गो-पालन और वस्त्र-निर्माण। वे कृषि एवं गो-पालन का कार्य किया करती थीं। इसके अतिरिक्त वस्त्र बुनतीं और दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बनाती थीं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नर की अपेक्षा नारी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर एवं सीमित थी, परन्तु, पिता, पति एवं पुत्र की छत्र-छाया में रहते हुए उसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों की तरह आर्थिक अधिकारों के उपयोग की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

इस प्रकार वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि वैदिक समाज में नारी का स्थान बहुत ही उन्नत, सम्मानित, पूज्यतम और गौरवपूर्ण था। पुरुष नारी को गृहलक्ष्मी, ज्ञानदात्री सरस्वती एवं शिवकारिणी शिवा के रूप में देखता है। नारी यज्ञ, प्रशासन, न्याय, युद्ध आदि कार्यो को सम्पादित करने का अधिकार तो रखती ही थी। साथ ही ज्ञान -विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उसकी अच्छी पैठ थी, जिसके कारण वह राष्ट्र के विकास के कार्यो में पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर हिस्सा लेती थी। वर्तमानकाल में स्त्रियाँ जिस तरह शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर, प्रतिभासम्पन्न, बलवती एवं सशक्त होती जा रही हैं, साथ ही नारियों को इक्कीसवीं सदी में अनेक अधिकार दिए जा रहे हैं और उन्हें अधिक सशक्त बनाने के प्रशंसनीय प्रयास किए जा रहे हैं। आज नारी नर के कन्धे से कन्धा मिलाकर निरन्तर उन्नति की ओर बढ़ रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहती है, जहाँ उन्मुक्तता, सृजन एवं सबलता का अहसास हो, जहाँ उसकी प्रतिभा की पहचान हो और व्यक्तित्व का निर्माण हो। आज पुरुषों के साथ बराबर शिक्षा ग्रहण कर उसने स्त्री की परिभाषा ही बदल दी है। शिक्षा ने उसे अधिक सशक्त बनाया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित एवं आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। आई. पी. एस. किरण वेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। आज दुनिया में भारतीय नारी ने अपनी एक सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। इक्कीसवीं शताब्दी की नारी राजनैतिक क्षेत्र में भी नये आयाम स्थापित कर चुकी है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को श्रीमती प्रतिभा पाटिल तथा प्रधानमन्त्री पद पर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को सुशोभित कर चुकी हैं वैदिक काल में तो नारी को पहले से ही अनेक अधिकार प्राप्त थे और उसे अबला नहीं प्रत्युत् सबला रूप में दर्शाया गया

है। तत्कालीन समय में नारियों को उपनयन का अधिकार प्राप्त था। अतएव स्त्रियाँ स्वतन्त्र रूप से शिक्षा प्राप्त करती थीं। इसी कारण शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, अध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अत्यन्त समादृत, प्रतिष्ठित एवं गौरवपूर्ण थीं। विदथ जैसी संस्थाओं में इनका सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक हस्तक्षेप भी था। अत: नारी का यह युग भारत के इतिहास में 'स्वर्णिम युग' था।

सन्दर्भ सूची

1. ऋग्वेद, 1.66.3
2. वही, 3.53.4
3. यजुर्वेद, 8.1, आश्वलायन गृह सूत्र, 3.8.11
4. अथर्ववेद, 11.5.18
5. ऋग्वेद, 10.7.11
6. स्त्रियश्चोयपजेरम्ना चरित्वात्। -पारस्कर गृह सूत्र, 2.20
7. अष्टाध्यायी, 4.10.48 पर महाभाष्य वार्तिक
8. ऋग्वेद, 8.91.5.6
9. तैत्तिरीय संहिता,6.1.6.5
10. शर्मा, प्रियवत, वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, नई दिल्ली पृ. 203-205
11. अहं वदामि नेत्त्वं सभायामह त्वं वद। अथर्ववेद, 7.38.4
    सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधिं शेवधिं परि दध्य एतम्। अव गान्मा समित्यां। अथर्ववेद, 12.3.46
    यत्समित्यां यद्धा वदा वित्तकाम्या। अथर्ववेद, 12.3.52
12. यजुर्वेद, 10. 26-27
13. ऋग्वेद, 4.18.6
14. ऋग्वेद, 10.134.6, 10.154.3, 10.108.2
15. अध: पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर।
    मा ते कशप्लकौ दृशन्स्त्री हि ब्रह्म बभूविथ।। वही, 8.33.19
16. मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती। वही, 10.85.32
    पावका न सरस्वती.....। वही, 1.3.10-11
17. इमा नारीरविधवा: सुपत्नीरांजनेन सर्पिषा सं विशन्तु।
    अनश्रवोऽनमीवा: सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे।। वही, 10.18.7
18. ऋग्वेद, 5.53.15, 5.1.73
19. अर्थववेद, 11.1.17-27
20. ऋग्वेद, 5.28.1
21. कुमार, डॉ. दीपक, भारतीय संस्कृति, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011, पृ. 131
22. नारी समनं वाव गच्छति। ऋग्वेद, 10.86.10
    गच्छन्ति समनं न योष:। वही, 10.168.2
    अभिप्रवन्त समनेव योष:। वही, 4.58.8
23. सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवा भव।
    ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवेषु। । वही, 10.85.46
24. अथर्ववेद, 14.1.43
25. शर्मा, डॉ. मालती, वैदिक संहिताओं में नारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1990, पृ. 197
26. अदुमंगली: पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे। अर्थववेद, 10.85.43
    सुमंगलीरियं वधू:। वही, 10.85.33
27. तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मृज्यमाना: परियन्त्यापः।
    स शुक्रेभि: शिक्रभि: रेवदस्मे दीदायनिध्मो घृतनिर्णिगप्सु।। वही, 2.35.4
28. वही, 3.55.16, 1.123.10
29. उदीष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि।
    हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जमित्वमभि संवभूव।। वही, 10.18.8
30. विधवेव देवरं देवर: तस्मादद्द्वितीयो वर उच्यते।। निरुक्त, 1.3.15
31. अथर्ववेद, 9/5/27-28
32. गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि। वही,10.85.26
33. ऋग्वेद, 1.116.15
    वही, 10.102.2 और 10.86.9
34. स्त्रियो हि दास आयुधनि चक्रे किं मा करन्नबला अस्य सेना:।
    अन्तर्ह्यख्यदुभे अस्य धेने अथोप प्रैद्युधये दस्युमिन्द्र:।। वही, 5.30.9
35. इन्द्राणी वै सेनायै देवता।सैवास्य सेनां सं श्यति। तैत्तिरीय संहिता, 2.2.8.1
36. मिश्र, डॉ. जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2013, पृ. 417
37. पत्नी वै पारिणाह्यस्य ईश:। तैत्तिरीय संहिता, 6.2.1.1
38. वही, 6.5.4.2

झारखण्ड के कँवर आदिवासियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणाएँ एवं मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाएँ

मीना कुमारी

शोधार्थी, सेंटर फॉर ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची (झारखण्ड)

शमशेर आलम

प्राध्यापक, सेंटर फॉर ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची (झारखण्ड)

शोध सारांश

भारत गणराज्य के आदिवासी बहुल झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में व्याप्त 32 आदिवासी समूहों में से एक जनजाति कंवर है। किसी भी मानव समूह की भाँति उनमें भी बीमारी एवं स्वास्थ संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अपनी पारंपरिक उपचार पद्धतियों का प्रचलन मौजूद है। वर्तमान शोध-पत्र में उनकी स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं तथा उनके बीच व्याप्त शारीरिक विकारों के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली मानवजाति चिकित्सीय उपायों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में 35 व्याधियों का उल्लेख किया गया है जिनके विवरण में उन बीमारियों के मेडिकल नाम, उनके स्थानीय नाम, उनके लक्षण, इलाज हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले उपायों तथा उनके उपयोग के तरीकों को प्रस्तुत किया गया है। शोध परिणाम मार्च-अप्रैल 2011 के दौरान झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के कुरडेग ब्लॉक के बड़कीब्युरा गाँव में कँवर आदिवासियों के बीच किये गए क्षेत्र-कार्य पर आधारित है।

संकेताक्षर : *झारखण्ड, कंवर, एथनो-मेडिसिन, मानवजाति चिकित्सा, ट्रेडिशनल नॉलेज*

आदिकाल से मनुष्य अपने स्वास्थ्य संबंधी विकारों से निपटने के लिए परिक्षण-त्रुटि *(ट्रायल एंड एरर)* विधि का प्रयोग करता आ रहा है। शुरूआती समय में जादू-टोना, धार्मिक उपचार, परालौकिक विधियाँ या पेड़-पौधों के कुछ भाग या कोई भोज्य पदार्थ से राहत मिलने से उसका, उन पर विश्वास बढ़ा। सफलता मिलने के साथ-साथ लोगों ने अपना परीक्षण जारी रखा तथा पीढ़ी दर पीढ़ी यह अनुभवजन्य ज्ञान *(इम्पेरिकल नॉलेज)* आज के आधुनिक *बायो-मेडिसिन* तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतियों के रूप में उद्विकसित हुआ।[1] इन वैकल्पिक उपचार पद्धतियों को उनके उपयोग में भिन्नता के आधार पर सामान्यत: चार प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला *ट्रेडिशनल मेडिसिन*, जो की पारम्परिक समय से लिखित स्वरूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है, जैसे कि - आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी आदि। दूसरा *एथ्नोमेडिसिन/ फोल्क मेडिसिन*, जिसका ज्ञान ज़्यादातर मौखिक तथा अलिखित स्वरुप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित हो कर वर्तमान समय तक चला आ रहा है। तीसरा, *स्पिरिचुअल/शमनिस्टिक मेडिसिन* जिनके उपचार प्रविधि में परालौकिक शक्तियों का प्रमुख योगदान होता है, तथा चौथा *अलाइड फॉर्मस ऑफ हेल्थ नॉलेज* जिसमें - योगा, समाधि, ध्यान आदि प्रकार के उपचार प्रविधियों का समायोजन होता है।[2]

भारत में 600 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं। इन सभी समूहों में स्वास्थ्य विकारों से निपटने के लिए मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाओं का उपयोग किया जाता है। झारखंड के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ के 24 जिलों में व्याप्त सभी 32 आदिवासी समूहों में भी मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाओं का व्यवहार देखा जाता है। तथाकथित रूप से इन्हें आर्थिक, शैक्षिक, जनसांख्यकीय तथा प्रौद्योगिकीय रुप से पिछड़ा माना जाता है, परन्तु चिकित्सा संबंधी पारंपरिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही धनी है। यह ज्ञान उनके अभौतिक सांस्कृतिक विरासत का द्योतक है। अलिखित होने तथा आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण यह ज्ञान धीरे-धीरे लुप्त होने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस पारम्परिक ज्ञान को बचाने के लिए इनका दस्तावेजीकरण करना बहुत ही जरुरी है। इस महत्वपूर्ण पक्ष को ध्यान मे रखते हुए वर्तमान अध्ययन में झारखंड राज्य के कंवर आदिवासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाओं को अभिलेखित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में झारखण्ड में किये गए कुछ पूर्ववर्ती अध्ययन उल्लेखनीय है।

पूर्ववर्ती अध्ययन

झारखण्ड 15 नवम्बर 2000 के दिन, बिहार राज्य से अलग होकर, अस्तित्व में आया। आदिवासी बहुल राज्य की स्थापना के समय झा (2000) के द्वारा पीलिया के उपचार के लिए छोटानागपुर के आदिवासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पेड़-पौधों के बारे में अध्ययन किया गया।[3] वर्ष 2003 में प्रशांत कुमार मिश्रा ने राज्य के औषधीय वनस्पतियों का वर्णन कर उनके उपचार के तरीकों तथा उनसे ठीक होने वाले विकारों का विवरण प्रस्तुत किया।[4] कालान्तर में पी. कुमारी (2006) ने राज्य के आदिम समूहों में बीमारी एवं उनके उपचार संबंधी प्रचलनों का वर्णन पी. दास शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक में किया।[5] आगामी वर्षो में मानवजाति चिकित्सा विज्ञान में शोध-कार्य जारी रहे। रबिश चंद्रा तथा उनके सहयोगियों ने 2007 में राँची जिले में प्रचलित पारंपरिक उपचार पद्धतियों का विस्तारपूर्वक चित्रण अपने शोध-पत्र में प्रस्तुत किया।[6] वर्ष 2009 में आई. पी. गुप्ता एवं उनके सहयोगियों ने झारखण्ड के राँची जिले के ओरमांझी ब्लॉक में ओझा, पाहन समेत अन्य चिकित्सकीय मानवों की भूमिका व उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जड़ी-बूटियों का विवरण दिया।[7] आगामी वर्ष 2010 में शीतल मिंज एवं कुनुल कंडीर ने राज्य के राँची जिले के आदिवासी पुरुषों में नपुंसकता से मुक्ति के लिए प्रयुक्त औषधियों का उल्लेख प्रस्तुत किया।[8] उसी साल कंडीर (2010) ने अपने दूसरे शोध-पत्र में झारखण्ड में मधुमेह के लिए उपचार हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले *एथनो-मेडिसिनल* उपायों पर प्रकाश डाला।[9]

पिछले दशक की तुलना में वर्तमान दशक में झारखण्ड में मानवजाति चिकित्सकीय संबंधी शोधों में तेजी आई है। वर्ष 2012 में कुमार एवं अब्बास ने झारखण्ड के साल के जंगलों में तथा आस-पास रहने वाले आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली जड़ी-बूटियों का अध्ययन कर यह बात प्रकाश में लाया कि उनके प्रयोग का स्वरुप एवं विन्यास बहुत हद तक उनके वानस्पतिक वितरण पर निर्भर करता है।[10] इस क्रम को जारी रखते हुए मोण्डल एवं रहमान ने 2012 में राज्य के दुमका जिले में आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले देशज चिकित्सकीय उपायों को एकीकृत करने का प्रयास किया।[11] वर्ष 2014 की बात की जाए तो उस साल जहाँ एक ओर कुमारी एवं महाता (2014)[12] ने राज्य के सिंहभूम पठार में प्रचलित मानवजातीय औषधीय उपचारों पर प्रकाश डाला, वहीं दूसरी ओर मरांडी एवं ब्रिटो (2014)[13] ने राज्य के लातेहार जिले के उराँव आदिवासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्थानीय *एथनो-मेडिसिनल* उपचार पद्धतियों को उजागर करने का प्रयास किया।

आगामी वर्ष अर्थात 2015 में भी मानवजाति चिकित्सा संबंधी शोध जारी रहे। इस वर्ष कल्पना प्रसाद (2015)[14] ने बोकारो जिले के औषधीय पौधों की वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डाला। इस क्रम में दिवाकर एवं प्रसाद (2015)[15] ने राज्य के लातेहार एवं हजारीबाग जिले में पाए जाने वाले *इनवेसिव एलियन* वनस्पति प्रजातियों के औषधीय गुणों का मुण्डा और बिरहोर आदिवासी समूहों में उपयोग, पर अध्ययन किया। गितांजलि सिंह एवं ज्योति कुमार (2015)[16] ने खूँटी जिले के मुण्डा आदिवासी समूह में रतालू के औषधीय गुणों का वर्णन प्रस्तुत किया। सलोमी कुजूर एवं कंडीर (2015)[17] ने राज्य में प्रचलित पेय 'हड़िया' के बनाने के क्रम में उपयोग में लाये जाने वाले औषधीय जड़ी-बूटियों के बारे में वर्णन किया तथा दारा सिंह गुप्ता एवं सहयोगियों (2015)[18] ने रांची के तमाड़ ब्लॉक में उपयोग होने वाली मानवजाति चिकित्सकीय जड़ी-बूटियों के बारे में शोध-पत्र प्रकाशित किया। पिछले वर्ष-2016 मे किये गए अध्ययनों में हेमकांत झा एवं सहयोगियों (2016)[19] द्वारा राज्य के संथाल परगना में रहने वाले पहाड़िया आदिवासियों के मानवजाति चिकित्सकीय उपायों पर शोध तथा गीतांजलि एवं ज्योति कुमार (2016)[20] द्वारा राज्य के खूंटी जिले में रहने वाले मुंडा आदिवासियों में प्रचलित पेड़-पौधों से उपचार पद्धतियों का वर्णन - प्रमुख रूप से शामिल रहे।

शोध-प्रविधि

अध्ययन के लिए झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के कुरडेग ब्लॉक के बड़कीब्युरा गाँव में 30 मार्च 2011 से 13 अप्रैल 2011 तक कंवर आदिवासियों के बीच क्षेत्र कार्य किया गया। पहले 3-4 दिनों में गाँव के लोगों के साथ अनुकूलता स्थापित करने के उपरांत अध्ययन संबंधी प्रमुख सूचना-दाताओं को *स्नोबॉल सैम्पलिंग* द्वारा चिह्नित किया गया। उसके बाद उनसे सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार तथा अनुसूची प्रविधियों का उपयोग करते हुए मानवजाति चिकित्सा संबंधी तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सूचनाएं एकत्र की गयी। सहभागी अवलोकन से लोक-चिकित्सा विज्ञान संबंधी तथ्य जैसे कि धार्मिक प्रथाएँ, भूत-भगाना, स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं, झाड़-फूंक, जड़ी-बूटियों के उपयोग आदि पर जानकारी प्राप्त की गयी। साक्षात्कार के माध्यम से गाँव में रोगों के समाधान से जुड़े लोगों से उनके बीमारी संबंधी अनुभव, जड़ी-बूटियाँ, पारलौकिक उपचार आदि के बारे में सूचना ली गयी तथा अनुसूची द्वारा कंवर आदिवासियों के बीच व्याप्त बीमारियों के स्थानीय नाम तथा उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाओं के बारे में जानकारियाँ संकलित की गयी।

शोध-क्षेत्र

भारत गणराज्य एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित एक प्रमुख देश है। 32,87,263 वर्ग किमी भू-भाग के साथ यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवाँ स्थान रखता है तथा 2011 सेन्सस के अनुसार 1,21,01,93,422 लोगों की जनसंख्या, इसे चीन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है।[21] विश्व मानचित्र पर भारत देश का विस्तार $68^0$07' पूर्व देशान्तर से $97^0$25' पूर्व देशान्तर तथा $08^0$04' उत्तर अक्षांश से $37^0$06' उत्तर अक्षांश तक है (गूगल मैप्स, 2017)। प्रशासनिक रूप से पूरे भारत देश को 29 राज्यों तथा 07 केन्द्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया है। इन 29 राज्यों में से एक राज्य झारखण्ड है। 79,714 वर्ग किमी भू-क्षेत्र के साथ यह राज्यों में 15वाँ स्थान पर है तथा 3,29,66,238 की जनसंख्या (2011 सेन्सस) इसे 13वें स्थान पर स्थापित करती है। राज्य निर्माण के समय झारखण्ड में कुल 18 जिले थे परन्तु प्रशासनिक व्यवस्था में सुदृढ़ता लाने के लिए छ: नए जिलों का निर्माण किया गया जिसके बाद राज्य में कुल 24 जिले हो गए। इन 24 जिलों में से एक जिला सिमडेगा है।

सिमडेगा जिले को कुल 10 ब्लॉकों में विभक्त किया गया है। इन 10 ब्लॉको में से एक ब्लॉक कुरडेग है। कुरडेग के अंतर्गत कुल 15 ग्राम पंचायत हैं। इन 15 पंचायतों में से एक ग्राम बड़कीब्युरा है। इसके अंतर्गत 2 राजस्व गाँव पड़ते हैं, लबडेरा तथा बड़कीब्युरा। मानचित्र के अनुसार बड़कीब्युरा राजस्व गाँव की ज्यामितीय अवस्थिती अक्षांश $22^0$35' 02.1618'' उत्तर तथा देशान्तर $84^0$06' 15.0012'' पूर्व है (गूगल मैप्स, 2017)। गाँव से जिला मुख्यालय लगभग 45 किमी की दूरी पर स्थित है तथा कुरडेग ब्लॉक से इसकी दूरी 7-8 किमी है। बड़कीब्युरा गाँव में कई छोटे-छोटे टोले हैं। उनमें से बड़कीब्युरा-खास, ड़ोंगा पानी, गरबु टांड, ऊरुम केला, भैंसा मारा, फुटकु सराय, सराय पानी, चेंगझरिया, टुकु पानी, बरगोड़ा, गिरांग, रावण खोता, बंदर खासा, करमड़ीह, रंगमटिया, करमटोली तथा केराकचार कुछ प्रमुख टोले हैं। इन टोलों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों में कंवर सर्वाधिक संख्या में है। उनके अलावा खड़िया, चीक-बड़ाइक, लोहरा, खैरवार, कोरवा, उराँव तथा लोहरा आदिवासियों का भी यहाँ निवास है।

बड़कीब्युरा गाँव के कंवर

कंवर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर तथा राजनांदगांव जिलों में निवास करते हैं। झारखंड में रहने वाले कंवर उन्हीं का विस्तार हैं। झारखंड में कंवर को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में विधि एवं न्याय मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा 8 जनवरी 2003 को गजट में प्रकाशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आर्डर (संशोधन) एक्ट 2002, के तहत सम्मिलित किया गया। दंत कथाओं के अनुसार कंवर अपना उद्गम महाभारत के कौरवों से मानते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पराजय के बाद दो गर्भवती महिलाएं भागकर छत्तीसगढ़ के महानदी के उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में आ गई। एक ने चरवाहे तथा दूसरे ने धोबी के घर में शरण लिया, जहाँ उन्होंने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। मान्यताओं के अनुसार वही लड़का एवं लड़की इस जनजातीय समूह के पूर्वज माने जाते हैं। इस प्रकार कंवर अपने को कौरव पूर्वजों के उत्तरजीवियों के रूप में स्वीकारते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से कंवर आदिवासियों को प्रोटो-ओस्ट्रोलॉयड वर्ग में रखा गया है।[22] सामान्यत: उनकी त्वचा का रंग काला, नाक चौड़ा, होठ मोटा, कद मध्यम, मुख चौड़ा, तथा बाल काले एवं खुरदरे होते हैं।

बड़कीब्युरा में कंवर आदिवासियों के घर मुख्यत: मिट्टी के बने हैं। छत खपरैल तथा घर में एक-दो कमरों के साथ एक बरामदा जरूर होता है। घर की फर्श मिट्टी से बनी होती है तथा गोबर या मिट्टी से नीपी हुई होती है। घर में सामान के नाम पर एकाध खाट, पीढ़ा, मचिया, संदूक, चटाई तथा अल्युमिनियम या स्टील के बर्तन पाये जाते हैं। इसके अतिरक्ति घर में शिकार के लिए तीर-धनुष, मछली मारने के लिए कुमनी जाल तथा कृषि संबंधी उपकरण जैसे की कुदाल, कुल्हाडी, झाडू, सूप, टोकरी, गैंती, खुरपी आदि देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान समय में वैश्वीकरण का प्रभाव साफ तौर से देखा जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार घर में प्लास्टिक कुर्सी, पलंग, मोबाईल-फोन, सोलर लैम्प, रेडियो, टीवी, सीडी/डीवीडी प्लेयर, डीटीएच आदि मौजूद होते हैं।

सामान्य दिनचर्या में पुरुष धोती, लुंगी, बनियान तथा गमछा का प्रयोग करते हैं तथा औरतें साड़ी पहनती हैं, परन्तु आधुनिकता के प्रभाव के कारण परिवर्तन आने लग गए हैं। पुरुष अब *पैन्ट शर्ट* तथा महिलाएँ साड़ी के साथ *ब्लॉउज* भी पहनने लग गई हैं। अंत:-वस्त्रों का प्रयोग दोनों लिंगों द्वारा किया जाने लगा है। किशोर एवं कम उम्र के लड़के *जीन्स, टी-शर्ट, हाफ-पैन्ट* आदि अन्य आधुनिक वस्त्रों को ज्यादा पसंद करते हैं तथा किशोरियाँ सलवार-सूट और लड़कियाँ *फ्रॉक* पहने देखी जा सकती हैं। साज सज्जा के लिए महिलाऐं ललाट, नाक, कान, गला, उँगली तथा पैरों में चाँदी के आभूषण का प्रयोग करती हैं। *बॉडी टैटू* (गोदना) का प्रचलन अब अपने ढ़लान पर है तथा शहरीकरण के प्रभाव में सौन्दर्य प्रसाधन जैसे कि *नेल-पॉलिश, लिप-स्टिक, क्रीम, पॉउडर*, काजल आदि का उपयोग युवतियों तथा लड़कियों में जोर पकड़ता देखा जा सकता है।

गाँव के कंवर मुख्यत: खेती पर निर्भर हैं परन्तु गाँव में कुछ ही लोगों के पास उनकी खुद की कृषि-भूमि है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। खेती में प्रमुख रूप से चावल, उड़द दाल, सरसों, कुर्थी, अरहर, गेहूँ, मकई तथा बादाम की खेती की जाती है। इसके अलावा

मौसम के अनुरूप सब्जी जैसे कि खीरा, बोदी, आलू, लहसुन, प्याज, चना, हल्दी, अदरक, पत्ता-गोभी, कोहड़ा, लौकी, कान्दा, टमाटर, भिन्डी, पेक्ची आदि भी उपजाये जाते हैं। खेती के अतिरिक्त महुआ बेचना, ताड़ी/हड़िया बनाना, तेन्दु पत्तों की बिक्री, पत्तल-दोना बनाना, लकड़ी बेचना, मुर्गी, बकरी, गाय-भैंस तथा सूअर पालन, मधु निकलना, जड़ी-बूटी बेचना, आदि गाँव में जीविकोपार्जन के अन्य प्रमुख साधनों में से है। आर्थिक सुदृढता के लिए लगभग सभी कवंर अपने पेशे के साथ-साथ गाँव में चल रहे *महात्मा गाँधी नरेगा* स्कीम के अन्तर्गत काम भी करते हैं। बेरोजगारी के कारण आजकल युवाओं में रोजगार के लिए पलायन देखा जा रहा है। 15-35 साल तक के ज़्यादातर किशोर - राँची, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई तथा अंडमान-निकोबार में ठेका मजदूर के रूप में काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। गाँव के कुछ पढ़े-लिखे कंवर अपनी दुकान चला रहे हैं, कुछ ईंटा-भट्ठी चलाते हैं, कुछ शिक्षण के क्षेत्र में हैं तथा कुछ क्षेत्रीय एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं।

बड़कीब्युरा में कंवर पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय हैं। उनमें सामान्यत: एकल परिवार का चलन है जिसमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित संतानें शामिल होती हैं। उत्तराधिकार पुरुष-पंक्ति में चलता है। कंवर आदिवासी आठ अन्तर्विवाही वर्गो में विभक्त हैं - दूध कंवर, तनवर या नागवंशी कंवर, कमलवंशी कंवर, पैकरा कंवर, राठिया कंवर, चेरवा कंवर, रावतिया कंवर एवं चांटी कंवर। ये सभी ढेर सारे बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त हैं। गोत्र का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है तथा एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है। बच्चे अपने पिता के गोत्र को ग्रहण करते है तथा पत्नी अपने पति के गोत्र को अपनाती है। गाँव में व्याप्त कुछ प्रमुख गोत्र समूहों में आण्डिल, बिच्छी, बिलवा, बोकरा, चुवा, चंपा, ढेक़ी, हुण्डार, कोठी, मामा, महादेव, नुनमुतारिया, सुआ एवं तेलासी शामिल हैं। राजनैतिक संगठन की बात की जाए तो गाँव के संचालन और नियंत्रण के लिए गाँव में परंपरागत जाति-पंचायत व्यवस्था मौजूद है। इसका संचालन *प्रधान* द्वारा होता है। यह गांव में झगड़ों का निपटारा, यौन व्यभिचार, चोरी, भूमि विवाद तथा अपराध आदि से संबंधित मामलों को सुलझाने का कार्य करती है। झारखण्ड में वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए है। इस कारण अब गांव में सरकारी पंचायतें भी चलने लग गई हैं। गाँव में वार्ड सदस्य, उप-मुखिया, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा पार्षद अस्तित्व में आ गए हैं। उनके अस्तित्व में आ जाने के कारण परंपरागत पंचायतें कमजोर पड़ने लगी हैं। गाँव में लोग अब उनको ज्यादा महत्व देते हैं।

शोध-क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं

गाँव में केवल एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, जहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता। वहाँ मात्र एक *औक्ज़िलरी नर्स एंड मिडवाइफ.* (एएनएम) तथा एक सहायक कार्यरत है। समीपवर्ती उपकेंद्रों में मानव संसाधन की कमी के कारण एएनएम सप्ताह में केवल एक या दो दिन ही यहाँ अपनी सेवाएँ दे पाती हैं। गाँव में मरीजों की देख-रेख ज़्यादातर सहायक के जिम्मे रहता है। उपकेन्द्र में दवाइयों का नितान्त अभाव है। सुविधाओं के नाम पर केवल सर्दी-खाँसी, घाव, कुपोषण, खुजली तथा कुष्ठ रोग संबंधी दवाइयां उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मुफ्त कंडोम तथा महिलाओं के लिए कॉपर-टी यहाँ उपलब्ध रहता है। अन्य किसी भी प्रकार के विकार एवं *पैथोलॉजिकल* परीक्षणों के लिए ग्रामीणों को कुरडेग, सिमडेगा, जशपुर (छत्तीसगढ़) या राँची जाना पड़ता है। गाँव में एक आंगनबाड़ी केन्द्र है, जहाँ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, उनके लिए *आईरन-विटामिन* की गोलियों का वितरण, नामांकित बच्चों के बीच पोषाहार का वितरण तथा गाँव में प्राथमिक चिकित्सकीय ज्ञान को प्रसारित करने का कार्य किया जाता है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि बड़कीब्युरा गाँव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का स्तर काफी निम्न है।

कंवर आदिवासियों में स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं

तथाकथित सभ्य समाज तथा आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के पीछे व्याप्त वैज्ञानिक कारणों तथा उसके हल को ढूंढ़ने पर जोर दिया जाता है। इसके विपरीत आदिवासी तथा तथाकथित कम विकसित समाजों में अस्वस्थता के पीछे अलौकिक शक्तियाँ या मानवीय कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। कुछ ऐसी ही धारणा बड़कीब्युरा के कंवर आदिवासियों में भी देखने को मिली। इन अवधारणाओं तथा मान्यताओं को उनके बीमारी के दौरान व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

गाँव में चेचक होने पर लोगों में मान्यता है कि रोगी पर *देवी माँ* आई हुई हैं। चिकित्सक मानव या ओझा को बुलाकर उसे मंत्रों द्वारा झाड़ा जाता है। बुखार कम करने के लिए उसे प्रतिदिन पीसा हुआ नीम एवं गुड़ पिलाया जाता है तथा नीम युक्त पानी से नहाने की सलाह दी जाती है। चावल की सात रोटियाँ, नारियल, अगरबत्ती तथा लाल फूल के साथ 3-5 दिनों तक *देवी माँ* की पूजा की जाती है। पूजा समाप्ति के बाद, प्रयोग में लाई गई सामग्रियों को गाँव के चौराहे पर रख दिया जाता है। बीमारी के दौरान रोगी पर दैवीय नाराजगी का प्रकोप माना जाता है। गाँव के लोग इस दौरान रोगी से बिल्कुल नहीं मिलते-जुलते हैं तथा रोगी को भी काम करने की मनाही होती है। लोगों के अनुसार पूजा-पाठ तथा इन निषेधों के पालन से *देवी माँ* की नाराजगी कम हो जाएगी तथा धीरे-धीरे प्रभावित व्यक्ति के हालत में सुधार आने लगेगा।

गाँव में मलेरिया के संबंध में भी मिलती-जुलती धारणा देखी गई। कंवर आदिवासियों के अनुसार यदि व्यक्ति को लगातार कंप-

कंपाती ठंड के साथ बुखार तथा उल्टी हो तो, उस पर बुरी आत्मा का प्रकोप माना जाता है। व्यक्ति के काँपने तथा ज्वर को आत्मा के क्रोध के रूप में देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में इलाज के लिए चिकित्सक मानव या ओझा 3-4 दिनों तक प्रभावित व्यक्ति को झाड़ते हैं तथा लाल मुर्गे की बलि दी जाती है। मच्छर द्वारा काटे जाने पर मलेरिया होता है - यह वैज्ञानिक अवधारणा, उनमें बहुत कम देखी जाती है। गाँव में कुछ बच्चों की मृत्यु के बाद से बुखार के परिप्रेक्ष्य में लोगों के विश्वास में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, तथा लोग अब अपने बच्चों को अस्पताल ले जाना ज्यादा हितकर समझते हैं। कान में घाव होने या पक जाने को लोग एक प्राकृतिक अवस्था मानते हैं तथा इसके उपचार हेतु गाँव के चिकित्सक मानव (वैद्य) द्वारा दिए गए तेल का प्रयोग करते हैं। चिकित्सक मानव उस तेल में कुछ मंत्रों को पढ़ कर मरीज को प्रयोग के लिए देते हैं। स्थिति विकट होने पर झाड़-फूंक करने की भी सलाह दी जाती है। अनपच तथा डकार आने के संबंध में गाँव में यह विश्वास व्याप्त है कि प्रभावित व्यक्ति को किसी की बुरी नजर लग गई है। इस कारण उसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन नहीं पच पाया। बुरी नजर के अलावा कभी-कभी लोग बदलते मौसम को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। एक-दो दिनों तक ऐसी परिस्थिति की अनदेखी की जाती है परन्तु यदि उसके बाद भी यह बना रहे, तब इसे गंभीरता से लेते हुए चिकित्सक मानव को संपर्क किया जाता है। उनके द्वारा जड़ी-बूटियों के अलावा खाने से पहले कुछ मंत्रों का जाप करने को कहा जाता है।

दमा से ग्रसित व्यक्ति की लगातार खाँसी तथा साँस लेने में परेशानी को देखकर लोग यह मानते हैं कि रोगी की आत्मा पर किसी बुरी आत्मा ने अपना अधिकार कर लिया है। खाँसी को लोग मामूली समझ कर नजर अंदाज करते हैं तथा इसी कारण यह बढ़ते-बढ़ते टी. बी. का विकराल रूप धारण कर लेता है। स्थिति अत्यधिक खराब होने पर ही लोग चिकित्सक मानव के पास जाते हैं। वह उन्हें जड़ी-बूटियों के अलावा मंत्रों द्वारा झाड़ते हैं तथा खाने संबंधी कुछ निषेधों को पालन करने की सलाह देते है। शरीर में खून की कमी के कारण स्वास्थ्य में आई गड़बड़ियों को गाँव के लोग देवी-देवताओं की नाराजगी के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार प्रभावित व्यक्ति ने पूर्व में जरूर कोई ऐसा कार्य किया होगा जिस कारण देवी-देवता उनसे खिन्न है तथा दण्ड-स्वरूप उन्हें इस परिस्थिति से शापित किया गया है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए रूष्ट हुए देवी-देवता की आराधना के साथ-साथ बलि देने का चलन कंवर आदिवासियों में सामान्य बात है।

मधुमेह को गाँव के लोग चीनी-बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ पढ़े-लिखे लोगों को छोड़कर, लगभग पूरे बड़कीब्युरा में माना जाता है की यह प्रभावित व्यक्ति के इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का नतीजा है, जिस कारण अब उसे चावल, आलू, चीनी आदि खाने की मनाही हो गई है। यह मनाही चिकित्सक मानवों द्वारा लगायी जाती है तथा जड़ी-बूटियों के सेवन के अलावा खाद्य संबंधी निषेधों का तत्परता से पालन करने की सलाह दी जाती है। मिर्गी को लेकर गाँव वासियों में धारणा है कि प्रभावित व्यक्ति के अंदर प्रेतात्मा का वास हो गया है तथा वह यदा-कदा शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करता है। उनके अनुसार यह एक असामान्य परिस्थिति है जिसमें अलौकिक शक्ति काफी समय तक व्यक्ति के शरीर में मौजूद रहती है। बेहोशी की हालत में किसी को भी प्रभावित व्यक्ति के पास जाने की मनाही होती है। इलाज के लिए झाड़-फूंक, मंत्रों से सिद्ध-जल तथा ताबीज़ की सलाह दी जाती है एवं उस दौरान घर में बने खाने-पीने के समान के अलावा कुछ और खाद्य-पदार्थ को ग्रहण करना वर्जित होता है। इसी प्रकार अन्य बीमारियाँ जैसे भगन्दर, पीलिया, दाद, अनियमित मासिक धर्म, गठिया, पेशाब में खून आदि को भी लोग परालौकिक कारणों के साथ जोड़कर देखते हैं।

बड़कीब्युरा के कंवर आदिवासियों में बीमारी एवं अस्वस्थता को लेकर इन अवधारणाओं से यह बात काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि लोग अपने शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के लिए बुरी आत्माओं का शरीर में प्रवेश, देवी-देवताओं की नाराज़गी, किसी आत्मा या भगवान का अनादर, परिवार पर बुरी आत्माओं का प्रकोप, डायन-बिसाही या बुरी नज़र को ही जिम्मेवार मानते हैं। ग्रामीणों में यह भी विश्वास व्याप्त है कि यदि उनके द्वारा सामाजिक, धार्मिक या जंगल/कृषि संबंधी कोई भी निषेध की अवहेलना की जाएगी, तो उनके देवी-देवता नाराज हो जायेंगे तथा दण्ड स्वरूप उन्हें बीमारी या शारीरिक कष्टों से गुजरना होगा। इस कारण गाँव के लोग बिमारी या अस्वस्थता को दैवीय दण्ड के रूप में देखते हैं। आदिवासी ग्रामीणों के समान, चिकित्सक मानव भी परालौकिक शक्तियों की नाराजगी तथा उनके विरूद्ध किए कार्यों को ही बीमारी के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। पूरे कंवर समाज में इसी सोच के कारण गाँव के लोग बीमारियों के ईलाज के लिए डॉक्टर से ज्यादा चिकित्सक मानव या ओझाओं पर विश्वास करते हैं। ग्रामवासी अपने अनुभव तथा बीमारियों के लक्षण के आधार पर यह जानते है कि उन्हें घरेलू उपचार करना है या चिकित्सक मानव के पास जाना है। यदि सर्दी-खाँसी, बदन-दर्द, सर-दर्द जैसा मामूली विकार है तो उसे काफी सामान्य तरीके से लिया जाता है तथा किसी प्रकार के परालौकिक कारकों से जोड़कर नहीं देखा जाता है। उन्हें घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत, यदि कोई गंभीर विकार उत्पन्न हो जाए तो तुरन्त ही चिकित्सक मानव से संपर्क साधा जाता है। जाँच के उपरान्त जड़ी-बूटी या झाड़-फूंक की सलाह दी जाती है। सामान्यत: इन गंभीर परिस्थितियों के लिए परालौकिक शक्तियों को उत्तरदायी माना जाता है तथा झाड़-फूंक, जड़ी-बूटी

के अलावा बलि भी दी जाती है। मान्यता यह होती है कि बलि से प्रसन्न होकर वह शक्ति मरीज को छोड़ देगा/देगी तथा इससे वह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा।

कंवर आदिवासियों में मानवजाति चिकित्सा

किसी भी अन्य जनजाति की भाँति, झारखण्ड के कंवर आदिवासियों में भी उपचार करने की अपनी विशिष्ट पद्धतियाँ मौजूद हैं। यह उपचार व्यवस्था उनमें सदियों से चली आ रही है तथा आज भी उनके द्वारा अनुसरित की जाती है। उनमें पाए जाने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों के उपचार हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले उपायों का वर्णन निम्नलिखित है। सभी जानकारियाँ गाँव के चिकित्सक मानवों से एकत्र की गयी है। विवरण में बीमारियों के *मेडिकल* नाम, स्थानीय नाम, उनके लक्षण, प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएँ/वनस्पतियाँ/*जुथेराप्युटिक* उपायों के अतिरिक्त उनके उपयोग के तरीके को भी उल्लेखित किया गया है।

क्रम	मेडिकल नाम	स्थानीय नाम	बीमारी के लक्षण	प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री	प्रयोग की विधि
1.	एक्यूट ओटिटिस मीडिया	कान पकना	कान में घाव के साथ दर्द	मोर का पैर, लाल सिन्दूर, आम पेड़ की लकड़ी तथा नदी का फेन	इन सब को मिलाकर सरसों तेल में पकाने के उपरान्त ठंडा कर लें। दर्द होने पर इसे कान में डालें।
2.	एनीमिया	खून की कमी	कमजोरी तथा रक्त की कमी के कारण शरीर का रंग हल्का लगना	पताल विन्धी, दूध तथा जीरा	इन सब को रात भर फूलाने के उपरान्त सुबह-सुबह गर्म करके खाली पेट सेवन करें।
3.	अस्थमा	दमा	अत्यधिक खाँसी, बलगम तथा साँस लेने में तकलीफ	हंस का अण्डा, घी, सोंठ पीपड़ा, गोलकी, लौंग तथा कमल फूल का कंदा	इन सब को घी में पकाने के बाद प्रभावित समय के दौरान हर रोज़ खाली पेट में एक-एक चम्मच सेवन करें।
4.	बेल्चिंग	डकार आना	अनपच आदि के कारण पेट में *गैस* बनना	पपीता, गोलकी तथा नमक	पके पपीते के ऊपर गोलकी तथा नमक छिड़क कर सेवन करें।
5.	कोलेलिथिएसिस	पथरी	पित्ताशय में पत्थर तथा पेट दर्द	कुर्थी दाल तथा ओल का छिलका	इनको सेन्धा नामक के साथ पीसकर 3-4 दिनों तक सुबह-सुबह खाली पेट में सेवन करें।
6.	कंजंक्टिवाइटिस	आँख आना	आँख का लाल होना, सामान्य से ज्यादा पानी आना तथा खुजलाना	दूधिया का दूध	साफ कपड़े को दुधिया के दूध में भिगोकर आँख के ऊपर रखें।
7.	सयानोसिस	रंगबाद	शिशुओं में होठ नीला होना, शरीर का रंग काला पड़ना तथा पेट फूलने की शिकायत रहना	अरन्डी की जड़, डहु पेड़ की छाली तथा पपीता की जड़	इन सब को कूच कर लेप बनाने के बाद उसे सखुआ के पत्ते में लपेट कर बच्चे के पेट में एक माह रोज़ाना 15-20 मिनट तक बाँधे।
8.	डायबिटीज़	चीनी रोग	चीनी पचाने में असमर्थता	जामुन का बीज, आम की गुठली एवं मोथा-कांदा	इन सब को पीसकर पानी में घोल लें। घोल को 15-20 दिनों तक सुबह-सुबह खाली पेट में सेवन करें।
9.	डाईरिया	दस्त	अत्यधिक पानी युक्त पखाना एवं उल्टी	बेर का जड़, केन्दु-वृक्ष का छाल तथा अमरूद-वृक्ष का छाल	इन सब को चीनी के साथ पीस कर उसके रस को दिन में 3-4 बार पिलाऐं।
10.	डिसफेजिय़ा	टंका बिमारी	बोलने के तकलीफ होना	केन्द की जड़ी तथा नीर-बीस जड़ी	इनको गर्म पानी में पीसकर डाल दें। छानने के बाद दिन में तीन बार सेवन करें।
11.	डिसयुरिया	पेशाब में जलन	मूत्र-विसर्जन के समय जलन एवं तकलीफ	लाल रनपावन	इस जड़ी को मिश्री के साथ पीसकर दिन में 2-3 बार सेवन करें।
12.	एपिलेप्सी	मिर्गी	शरीर कांपना, सिर पटकना तथा चक्कर	खटमल तथा केला	6 पके केलों में 6 खटमल डालकर 6 दिनों तक सुबह-सुबह सेवन करें।
13.	जिंजिव्हिटिस	दांत दर्द	मसूड़ों में विकार के कारण दर्द	छुई-मुई की जड़ी तथा सरसों तेल	इन्हें गर्म कर मसूड़ों पर दिन में 2-3 बार मालिश करें।
14.	हिमाटुरिया	परदैवल	मूत्र में खून आना	सामरभांज जड़ी, ईश्वरजाट का जड़ तथा एरी-बरीया की जड़ी	इन तीनों को मिलाकर घड़े में उबालने के उपरान्त सरसों तेल एवं लहसुन का छोंक लगाकर खाली पेट में 3 दिन तक सेवन करें।

क्रम	मेडिकल नाम	स्थानीय नाम	बीमारी के लक्षण	प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री	प्रयोग की विधि
15.	हेमिक्रेनिया कॉन्टिनुआ	अर्ध कपारी	सिर के आधे हिस्से में दर्द होना	हिरण का सींग, सरसों तेल तथा बनकस्सा का बीज	इन सभी को पीसने के उपरान्त अच्छे से मिलाकर सर पर सुबह-शाम मालिश करें।
16.	हिमोपटायसिस	क्षय	अत्यधिक खाँसी के साथ खून आना	बांदन का छाल, आपा-भार जड़ी, हर्रा जड़ी, केला का कान्दा तथा गोलकी	गोलकी को बाकी सभी जड़ियों के साथ पीसकर खाली पेट में 4-6 दिन तक सेवन करें।
17.	हेमोर्रोइड्स	भगंदर/बवासीर	पैखाने के रास्ते में सूजन, घाव तथा खून आना	कछुआ का सर तथा बड़े आकार का गोम्ही कीड़े का खोल	इन दोनों को एक गढ़े में डालकर आग लगा दें। उससे निकलने वाले धुएँ से प्रभावित अंग में सेक लगाएँ।
18.	हिप्टोनिया	पूनी	शिशु में कमजोरी तथा हाथ पैर ऐंठना	अमरबेल	शिशु को अमर बेल से निर्मित चूड़ी बनाकर हाथ-पैर में पहनाएं एवं घी से मालिश करें।
19.	हाईपर बिलिरुबिनेमिया	पांढ़ा/पीलिया	शरीर का पीला पड़ना, मूत्र-पीला होना	पूतरी जड़ी, बरकत्ता जड़ी, अरख जड़ी, डगडूहा-जड़ी, कोटे-जड़ी, अथरी जड़ी तथा गुद्दा-जड़ी	इन सभी जड़ियों को एक साथ मिला कर कूच लें। उसके बाद उसे उबाल कर पूरे शरीर में मालिश करें।
20.	ल्युकोडर्मा विटीलीगो	दाद	प्रभावित जगह सफेद हो जाना तथा संवेदनहीनता	चितावेर, पेनलेवा कंदा, लोअर पत्ता, बिरनी का छत्ता तथा कंजूरी का तेल	इन सब को एक साथ अच्छे से पीसने के उपरान्त गर्म करके सेवन करें।
21.	लिंब डिफॉर्मिटी	छंदा	जन्म से शिशु का हाथ-पैर मुड़ा होना	धतुरा का जड़	जड़ को सरसों तेल में पकाने तथा छानने के बाद उस से शिशु को प्रतिदिन 2 बार मालिश करें।
22.	मलेरिया	बुखार	कंपन के साथ ठण्ड एवं ज्वर	धनबुड़ा, भाई नीम, कोइल खम्मा, गुद्दा बेर, सीहार-जड़ी एवं पेन्धोई के पत्ते	इन सभी को पानी में पीसने के उपरान्त छान कर आधे ग्लास पानी के साथ खाली पेट में 3 दिनों तक सुबह-सुबह सेवन करें।
23.	ओलिगोमेनोर्रहिया	महावारी गड़बड़ी	नियत समय से देरी से मासिक धर्म होना	सोहाय जड़	जड़ी को उबाल कर उसके पानी को एक महीने तक हर रोज तीन बार पीएं।
24.	नेब्युलस युरीन	ढ़नकी चरका	मूत्र का सफेद होने के साथ जलन	कच्चा उड़द दाल तथा चार के पत्ते	पीसा हुआ उड़द तथा चार के पत्तों को 1 ग्लास पानी में रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। प्रतिदिन प्रात: उसे छान कर विकार ठीक होने तक सेवन करें।
25.	नाईट ब्लाइंडनेस	रतौन्धी	कम रोशनी में नहीं दिखना	भग जोगनी (जुगनु)	2-3 जुगनुओं को गूड़ में मिलाकर एक महीने तक सेवन करें।
26.	ओनिकोमयकोसिस	छीछनी	हाथ या पैर के नाखुन के चारों ओर घाव या फूंसी-फोड़ा होना	सापटेमू जड़ी तथा निरबीस जड़ी	इन जड़ियों को एक साथ पीसने के बाद प्रभावित ऊँगलियों पर 3-4 दिनों तक लेप लगाएँ।
27.	ऑस्टियो आर्थरइटिस	गठिया	जोड़ों में दर्द रहना	गुगला तथा पहाड़ी-बाँस के नन्हें पौधे का जड़	इन दोनों को सरसों तेल में मिलाकर पका लें। उसके उपरान्त छान कर उसके तेल से हर दिन रात में सोते वक्त प्रभावित भागों में मालिश करें।
28.	ऑस्टियोपोरोसिस	कमजोर हड्डी	शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण सामान्यत: वृद्धों में हड्डी की कमजोरी तथा उनका आसानी से टूट जाना	हर जोड़ी	हड्डी टूटने से बचने के लिए इस जड़ी को पीस कर दिन में 2 बार सेवन करें।

क्रम	मेडिकल नाम	स्थानीय नाम	बीमारी के लक्षण	प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री	प्रयोग की विधि
29.	ओटालजिया	कान दर्द	संक्रमण के कारण कान में दर्द होना	कुंदरी पत्ता	इसे कूचने से निकलने वाले पानी को हल्का गर्म कर कान में दिन में 2-3 बार डालें।
30.	सेबोरिह्या	रूसी	सर की त्वचा से छोटे-छोटे सफेद चमड़े का अलग होना	इमली	इमली को रात भर पानी में फुलाने के उपरान्त अगली सुबह उसे हल्की आँच में गर्म करें। उस पानी से सर को सप्ताह में एक दिन धोयें।
31.	डर्मल रैशेस	पीतघोर	गर्मी के वक्त चमड़े पर छोटे-छोटे लाल-फूंसी आना तथा खुजली	भिन्डी	भिन्डी के पत्तों एवं टहनियों को प्रभावित जगह पर धीमे-धीमे रगड़ें।
32.	थर्मोप्लेजिया	लू-लगना	बुखार, उल्टी तथा बैखाना होना	कच्चा आम	कच्चे आम को पका कर मिसरी या चीनी के साथ सेवन तथा मालिश करें।
33.	ओरल थ्रश	वधरात	मुँह के अंदर फुंसी या घाव	चीर-चीढ़ी का पत्ता	पत्ते को घी के साथ पीसकर ठीक होने तक हर रोज़ 2-3 बार चटाएँ।
34.	टॉन्सिलाइटिस	खाँसी	टॉन्सिल में संक्रमण के कारण सूजन तथा खाँसी	महाजनी, घी तथा गोलकी	इन सभी को मिला कर हर दिन (प्रभावित समय के दौरान) 2-3 बार सेवन करें।
35.	ज़ेरोडेर्मा	बीस	शरीर के चमड़े का सूख जाना तथा रगड़ने पर महकना	खडहल जड़ी, नीर-बीस जड़ी, बरजड़ी तथा ईश्वर जट	इन सभी जड़ियों को पीस कर रात-भर पानी में फूलने दें। सुबह उसे महुआ निर्मित हड़िया के साथ प्रतिदिन ठीक होने तक एक बार सेवन करें।

निष्कर्ष

किसी भी अन्य समाज की भाँति, आदिवासियों में भी अस्वस्थता तथा बीमारी की समस्या विद्यमान है। उन व्याधियों के निदान हेतु उनके द्वारा अपने देशज ज्ञान एवं पारम्परिक प्रथाओं को आज भी उपयोग में लाया जा रहा है, परन्तु वैश्वीकरण, आधुनिकता तथा *बायो-मेडिसिन* के बढ़ते प्रचार-प्रसार के कारण, अब यह विलुप्त होने की ओर अग्रसर हो रहा है। इन कारकों के अलावा, औषधीय पौधों की अनुपलब्धता तथा युवा पीढ़ी में मानवजाति चिकित्सकीय प्रथाओं में बढ़ते अविश्वास के कारण भी, इस ज्ञान का हस्तांतरण बाधित हुआ है। और तो और, तथाकथित सभ्य समाज द्वारा आदिवासियों के उपचार व्यवस्था को पुराना तथा अवैज्ञानिक बताकर दरकिनार किया जाता रहा है। ऐसा व्यवहार उन पर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में देखा जा सकता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। यह पारम्परिक ज्ञान उनकी विरासत है तथा उसे सहेजने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस कोशिश में सामाजिक, वैज्ञानिक और विधायी, तीनों स्तर पर संरक्षण हेतु व्यापक रणनीति बनाने पर ही वांछित सफलता की उम्मीद की जा सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. रामावत, कृष्ण गोपाल, दास, एस. एवं माथुर, मीता, द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ बायोएक्टिव मोलिक्युल्स एंड थेराप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, *हर्बल ड्रग्स : एथ्नोमेडीसीन टू मॉडर्न मेडिसिन* (सम्पादित रामावत, .ष्ण गोपाल), स्प्रिंगर साइंस एवं बिजनेस मीडिया, 2008, पृ. 08
2. उपाध्याय, विनायक., हेगड़े, हर्ष., भट्ट, श्रीपद एवं खोलकुटे, संजीव, नॉन-कोडिफाईड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेज फ्रॉम बेलगाम रीजन इन सदर्न इंडिया : प्रेजेंट सिनारियो, *जर्नल ऑफ एथ्नोबिओलॉजी एंड एथनोमेडिसिन*, 2014, खंड-10, अंक-49, पृ. 01-13
3. झा, राधा कृष्ण, एथ्नोमेडिसिनल प्लांट्स स्पेशली यूज़्ड इन जॉन्डिस बाई ट्राइबल्स ऑफ छोटानागपुर, झारखण्ड, इंडिया, *जर्नल ऑफ फइटोलॉजिकल रिसर्च*, 2000, खंड-13, अंक-02, पृ. 203-204
4. मिश्रा, प्रशांत कुमार, एथ्नोमेडिसिनल प्लांट्स ऑफ झारखण्ड, *पोटेंशियल्स ऑफ लिविंग रिसोर्सेज* (सम्पादित-त्रिपाठी, जी. एवं कुमार, ए), डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003, पृ. 343-353
5. कुमारी, प्रतिभा, इटीयोलॉजी एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस : ए स्टडी इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ऑफ झारखण्ड, *एंथ्रोपोलॉजी ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स इन इंडिया* (सम्पादित-शर्मा, पी. डी.), सीरियल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006, पृ. 487-499
6. चंद्र, रबिश., महतो, मालती., मंडल, एस. सी., कुमार, कामिनी एवं कुमार, ज्योति, एथ्नोमेडिसिनल फॉर्मूलेशन्स यूज़्ड बाई ट्रेडिशनल हर्बल प्रैक्टिशनर्स ऑफ रांची, झारखण्ड, *इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज*, 2007,खंड-06, अंक-04, पृ. 599-601

7. गुप्ता, ईश्वरी प्रसाद., साहू, हेम बचन एवं शर्मा, हनुमान प्रसाद, स्टडीज ऑन एथ्नोमेडिसिनल युसेस ऑफ प्लांट रिसोर्सेज इन ओरमांझी ब्लॉक ऑफ झारखण्ड स्टेट, इंडिया. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्लांट साइंसेज*, 2009, खंड-04, अंक-02, पृ. 607-609

8. मिंज, शीतल शमा एवं कंडीर, कुनुल, फोल्क हर्बल मेडिसिन यूज़्ड फॉर मेल स्टेरिलिटी इन रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखण्ड, *एनाल्स ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज*, 2010, खंड-01, अंक-02, पृ. 56-58

9. कंडीर, कुनुल, एथ्नोमेडिसिनल फॉरेस्ट ट्रीज़ यूज़्ड अगेंस्ट डायबिटीज़ मेलिटस इन झारखण्ड, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फारेस्ट यूसुफ्रक्ट्स मैनेजमेंट*, 2010, खंड-11, अंक-01, पृ. 68-72

10. कुमार, कौशल एवं अब्बास, एस. जी., एथ्नोमेडिसिनल कम्पोज़ीशन डिपेंडस ऑन फ्लोरिस्टिक कम्पोज़ीशन : ए केस स्टडीड इन साल फॉरेस्ट्स ऑफ झारखण्ड, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड लाइफ साइंसेज*, 2012, खंड-03, अंक-05, पृ. 1710-1719

11. मोंडल, स्वर्णेन्दु एवं रहमान, चौधरी हबीबुर, मेडिसिनल प्लांट्स यूज़्ड बाई द ट्राइबल पीपल ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखण्ड इन इंडिया, *इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज*, 2012, खंड-11, अंक-04, पृ. 674-679

12. कुमारी, शिल्पी एवं महत्ता, माणिक चंद्र, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एथ्नोमेडिसिनल वैल्यूज़ ऑफ सिंघभूम प्लेट्यू, झारखण्ड, इंडिया, *प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल सेमिनार ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सोशल प्रैक्टिसेज*, 2014, पृ. 73-84

13. मरांडी, रफैल रंजीत एवं ब्रिट्टो, जॉन, एथ्नोमेडिसिनल प्लांट्स यूज़्ड बाई द उरांव ट्राइबल्स ऑफ लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखण्ड, इंडिया, *एशियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रीसर्च*, 2014, खंड-04, अंक-02, पृ. 126-133

14. प्रसाद, कल्पना, करेंट स्टेटस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन द बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखण्ड, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स*, 2015, खंड-05, अंक-10, पृ. 01-05

15. दिवाकर, बारगुर एवं प्रसाद, संतोष, एथ्नोमेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ इनवेसिव एलियन फ्लोरा ऑफ लातेहार एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्स : झारखण्ड, *इंडियन फोरेस्टर*, 2015, खंड-141, अंक-11, पृ. 1172-1175

16. सिंह, गीतांजलि एवं कुमार, ज्योति, डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एडिबल याम्स एंड इट्स ट्रेडिशनल नॉलेज अमंग मुंडा ट्राइब ऑफ डिस्ट्रिक्ट खूंटी, झारखण्ड, इंडिया, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो एसेस*, 2015, खंड-33, अंक-04, पृ. 4440-4442

17. कुजूर, सलोमी एवं कंडीर, कुनुल, स्टडीज़ ऑन एथ्नोमेडिसिनल प्लांट्स यूज़्ड इन राइस-बियर (हँड़िया) बाई हो ट्राइब ऑफ झारखण्ड, *इंटरनेशनल जर्नल फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज*, 2015, खंड-02, अंक-01, पृ. 104-108

18. गुप्ता, दारा सिंह., कुमार, अशोक एवं लिंडा, पुष्पा सालो, एथ्नोमेडिसिनल प्लांट्स यूज़्ड इन द हेल्थकेयर सिस्टम इन तमाड़ ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, झारखण्ड, *इंटरनेशनल जर्नल फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज*, 2015, खंड-02, अंक-02, पृ. 90-97

19. झा, हेमकांत., सिंह, बिजय एवं वर्षनेय, अनिल, एथ्नोमेडिसिनल प्लांट्स यूज़्ड बाई पहाड़िया ट्राइब इन संथाल परगना डिवीजन ऑफ झारखण्ड, *द जर्नल ऑफ इंडियन बोटैनिकल सोसाइटी*, 2016, खंड-95, अंक-03 एवं 04, पृ. 297-300

20. सिंह, गीतांजलि एवं कुमार, ज्योति, डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन सम लेस नोन एडिबल वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट रिसोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खूंटी, झारखण्ड, इंडिया, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो एसेस*, 2016, खंड-05, अंक-05, पृ. 4557-4562

21. कोहेन, स्टीफेन, *इंडिया : इमर्जिंग पावर*, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, वाशिंगटन, यू.एस.ए., 2004, पृ. 27

22. सिंह, कुमार सुरेश, *हमारी आदिवासी विरासत - आवर ट्राइबल हेरिटेज*, रीजनल डेवलपमेंट कमिश्नर एवं ऐंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता, 1982, पृ. 27

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय प्रणाली का इतिहास एवं विकास

शंकरसिंह पोटलिया

इतिहास विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

शोध सारांश

किसी समाज की संस्कृति उसकी पुस्तकों में सुरक्षित रहती है तथा यही पुस्तकें ज्ञान के रुप में समाज की समृद्धि की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। पुस्तकें, ग्रन्थालयों में सुरक्षित रखी जाती है। इस प्रकार ग्रन्थालय किसी समाज की संस्कृति के वाहक होते हैं। वर्तमान युग में ग्रन्थालय का अर्थ तथा क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो चुका है। आज ग्रन्थालय केवल पुस्तकें रखने का स्थान ही नहीं अपितु सभी प्रकार के ज्ञान का केन्द्र बन गये हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के असीम प्रयासों से 5 फरवरी 1916 को हुई थी। विश्वविद्यालय के साथ-साथ इसकी ग्रंथालय-प्रणाली के भी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 100 वर्षों में विश्वविद्यालय के इतिहास पर अभी तक कोई विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है। इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली के इतिहास को जानना है। इसके साथ ही इसकी संरचना तथा संग्रह में समय-समय पर होने वाली वृद्धि, विकास तथा परिवर्तनों को बताने का प्रयास भी किया जायेगा। विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली से जुडे. विभिन्न व्यक्तियों से मौखिक वार्तालाप, विश्वविद्यालय के वार्षिक-प्रतिवेदन, केन्द्रीय ग्रन्थालय के शिलापट्ट आदि प्राथमिक स्रोत शोध-पत्र को लिखने में प्रयुक्त किये गए हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं इसके ग्रन्थालय की वेबसाइट व कुछ अन्य वेबसाइट्स तथा यथावश्यक विभिन्न साहित्यिक स्रोत इस हेतु प्रयोग में लिये गए हैं। यह लघु शोध-पत्र मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली का परिचयात्मक विवरण दिया गया है। द्वितीय भाग में विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली में हुए विकास एवं परिवर्तनों को बताया गया है। एक मुख्य ग्रन्थालय से ग्रन्थालय-प्रणाली तक की यात्रा व इसके विभिन्न क्षेत्रों में हुई वृद्धि को विस्तार से बताने का प्रयास किया है। शोध-पत्र का अंतिम भाग निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझावों के रूप में है।

संकेताक्षर : *ग्रंथालय-प्रणाली, केन्द्रीय ग्रन्थालय, संग्रह, कैटलॉग, प्रकाशन, इन्फलिबनेट कार्यक्रम*

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली उतनी ही प्राचीन है, जितना कि यह विश्वविद्यालय। यद्यपि विश्वविद्यालय के आरम्भिक वर्षो में किसी ग्रन्थालय-प्रणाली का अस्तित्व नहीं था अपितु विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों की ग्रन्थालय सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका केवल एक मुख्य ग्रन्थालय ही होता था। जैसे-जैसे विश्वविद्यालय में नये संस्थान तथा संकाय बनने लगे (जो पहले अलग-अलग महाविद्यालय के रुप में स्थापित थे) तो उनमें भी ग्रन्थालयों का विकास होने लगा। सन् 1983-84 में विश्वविद्यालय में कुल लगभग 50 ग्रन्थालय स्थापित हो चुके थे तथा इन्होंने एक ग्रन्थालय-प्रणाली का आकार ले लिया था।[1] एक मुख्य ग्रन्थालय से शुरू हुआ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय अब एक ग्रन्थालय-प्रणाली में परिवर्तित हो चुका है। जिसमें शीर्ष पर सयाजीराव गायकवाड केन्द्रीय ग्रन्थालय तथा इसके नीचे विभिन्न संस्थान, संकाय व विभागीय ग्रन्थालय एवं कुछ अन्य विशेष ग्रन्थालय आते हैं।

सन् 1916 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इसका ग्रन्थालय भी स्थापित हो गया था। प्रारम्भ में यह कमच्छा में स्थित सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज (Central Hindu College) के तैलंग हॉल में स्थापित किया गया, जहाँ वह आज भी विश्वविद्यालय से सम्बंधित सेन्ट्रल हिन्दू ब्वाय़ज स्कूल के पुस्तकालय के रूप में, अस्तित्व में है। विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय

सन् 1921 तक, जब तक कि यह कमच्छा के सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज से संचालित होता था, न्यायमूर्ति श्री काशीनाथ त्र्यबंक तैलंग के नाम पर तैलंग ग्रन्थालय के नाम से जाना जाता था। सन् 1921 में विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय इसके मुख्य परिसर के आर्ट्स कॉलेज (Arts College) (वर्तमान कला संकाय) के सेन्ट्रल हॉल, जो वर्तमान में राधाकृष्णन् भवन के नाम से जाना जाता है, में स्थानान्तरित कर दिया गया।[2]

विश्वविद्यालय के विस्तार के साथ-साथ एक पृथक एवं विशाल ग्रन्थालय भवन की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के वर्तमान केन्द्रीय ग्रन्थालय का निर्माण सन् 1927 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा दिए गए 2.00 लाख रूपये के दान से प्रारम्भ हुआ। पुस्तकालयों के प्रति प्रेम एवं रूचि तथा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय के निर्माण के लिए दिये गए दान के कारण ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय का नामकरण, उन्हीं के नाम पर सयाजीराव गायकवाड. केन्द्रीय ग्रन्थालय किया गया।[3] सन् 1938 में, यद्यपि इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय यहीं से संचालित होने लगा। इसका विधिवत् उद्घाटन, जब यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, 4 मार्च 1941 को हुआ था।[4]

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय का मुख्य भवन ब्रिटिश संग्रहालय, लन्दन के स्वरूप पर बनाया गया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक पण्डित मदन मोहन मालवीयजी जब सन् 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन गये तो उन्हें ब्रिटिश संग्रहालय के भ्रमण का भी मौका मिला। वे इसके आकर्षक स्वरूप एवं भव्यता से काफी प्रभावित हुए थे। वापस लौटकर उन्होंने विश्वविद्यालय के ग्रन्थालय को भी उसी के स्वरूप पर बनाने का सुझाव दिया।[5]

मालवीयजी सदैव पूर्व और पश्चिम के सामन्जस्यपूर्ण एकीकरण की कल्पना करते थे, विशेषकर वास्तुशिल्प के प्रतिनिधित्व में। इसका प्रमुख उदाहरण सयाजीराव गायकवाड़ केन्द्रीय ग्रन्थालय की भव्यता एवं निर्माण शैली है। यह परिष्कृत 'इण्डो-सारासिनी शैली' में विशालता के साथ बनाया गया है। इसके मुख्य भवन का पठन-कक्ष भव्य एवं मनमोहक गोल घुमावदार आकृति में बनाया गया है। भवन की पूरी इमारत दो मंजिला है किन्तु मुख्य पठन-कक्ष की ऊँचाई दो मंजिलों के बराबर है। यह पठन-कक्ष सुन्दर एवं रूचिपूर्ण कस्टम निर्मित अलमारियों से घिरा हुआ है। यह बर्मा (वर्तमान म्यान्मार) के जंगलों की प्रसिद्ध व दुर्लभ किस्म की टीक-लकडी से फर्नीचर-युक्त है। इसके मानक ब्लूम्सबरी, लन्दन के ब्रिटिश पुस्तकालय के पठन-कक्ष की याद दिलाते हैं। यह पूरक पठन-कक्षों और अनुभागों से रेडियटिंग विंग्स (Radiating Wings) से जुड़ा हुआ है।[6]

चित्र 1 : सयाजीराव गायकवाड़ केन्द्रीय ग्रन्थालय।

जब 1950 के दशक से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों तथा विभागों में ग्रन्थालय बनने लगे तो उनके लिए भी पृथक ग्रन्थालय-भवन बनाये गए। 1980 के दशक में केन्द्रीय ग्रन्थालय के परिसर में एक अतिरिक्त-भवन का निर्माण किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली में केन्द्रीय ग्रन्थालय के दो भवनों के अतिरिक्त इसके अन्तर्गत आने वाले विभिन्न ग्रन्थालयों के ग्रन्थालय-भवन शामिल हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रथम ग्रन्थालय प्रो. पी.के. तैलंग द्वारा दान किये गए संग्रह से स्थापित किया गया था। उन्होंने यह संग्रह अपने स्वर्गीय पिता जस्टिस काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग के व्यक्तिगत ग्रन्थालय से, उनकी स्मृति में सन् 1917 में विश्वविद्यालय के संस्थापक पण्डित मदन मोहन मालवीयजी को सौंपा था। इसी संग्रह से विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय प्रारंभ हुआ। प्रो. पी.के. तैलंग के बाद देश के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों एवं परिवारों द्वारा कीमती ग्रन्थों एवं संग्रहों का दान विश्वविद्यालय ग्रन्थालय को समय-समय पर मिलता रहा। इनमें दिल्ली के लाला श्रीराम, कलकता के सर आशुतोष चौधरी एवं सेठ रूपमल गोयनका, वर्धा के जमनालाल बजाज, बम्बई के कान्जी मूलजी तथा टैगोर एवं नेहरू परिवार आदि के नाम प्रमुख हैं। दान से प्राप्त ये संग्रह, जिनमें कुछ 18वीं शताब्दी की दुर्लभ पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं शामिल हैं, ग्रन्थालय-प्रणाली के विभिन्न ग्रन्थालयों में आज भी सुरक्षित हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दान के फलस्वरूप विश्वविद्यालयी ग्रन्थालय का कुल संग्रह सन् 1931 तक 60,000 खण्डों में पहुँच गया था।[7] ग्रन्थालय में व्यक्तिगत और परिवारों द्वारा दान की प्रवृत्ति 1940 के दशक के अन्त तक, (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण होने तक) जारी रही। यद्यपि केन्द्रीय

ग्रन्थालय तथा उसके अधीन विभिन्न ग्रन्थालयों को आज भी कुछ पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ (जर्नल्स) दानस्वरूप नि:शुल्क प्राप्त होती है। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसके ग्रन्थालय के संग्रह में तेजी से वृद्धि होने लगी। विश्वविद्यालय के सन् 1960-61 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्रीय ग्रन्थालय का कुल संग्रह 4,10,000 की संख्या तक पहुँच गया था। परिणामस्वरूप यह उस समय देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रन्थालय, (कलकता के राष्ट्रीय ग्रन्थालय (National Library of calcutta) के बाद) एवं सबसे बड़ा विश्वविद्यालयी ग्रन्थालय बन गया। सन् 1990-91 में विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली का संग्रह 10 लाख की जादुई संख्या तक पहुँच गया।[8] वर्तमान में (सन् 2016-17 में) केन्द्रीय ग्रन्थालय सहित इसका कुल संग्रह लगभग 16 लाख की संख्या में है।[9]

विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली में समय-समय पर विविध प्रकाशन एवं संग्रह शामिल होते गये। 1950 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके विभिन्न अधिकरणों (Agencies) के प्रकाशनों के लिए विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय को देश के 4 भण्डार पुस्तकालयों (Depository Libraries) में शामिल किया गया। सन् 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने प्रकाशनों के मुफ्त में जमा करने की योजना [Scheme of Depositing (Free of Cost)] के बन्द करने के बाद भी यह इसके प्रकाशनों को नॉडल एजेन्सी के रूप में क्रय करता है।[10] सन् 1983-84 में सयाजीराव गायकवाड़ केन्द्रीय ग्रन्थालय को विश्व बैंक (World Bank) ने अपने प्रकाशनों के लिए 'भण्डार पुस्तकालय योजना' (Depository Library Plan) में शामिल किया।[11]

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय को आजादी से पूर्व ब्रिटिश भारत की सरकार एवं कुछ ब्रिटिश प्रान्तों की सरकारों द्वारा अपने प्रतिवेदन तथा प्रकाशन भेजे जाते थे। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार तथा कुछ राज्यों की सरकारों ने अपने सरकारी प्रकाशन केन्द्रीय ग्रन्थालय को भेजने प्रारंभ किये, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए इसके मुख्य भवन में एक अलग अनुभाग बनाया गया। 1960 के दशक में विश्वविद्यालय के ग्रन्थालय को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद् (AICC) तथा जर्मनी, चीन एवं रूस के दूतावासों द्वारा बहुमूल्य संग्रह मिलना प्रारंभ हुआ।

1990 के दशक में जब भारत में कम्प्यूटर क्रान्ति का सूत्रपात हुआ तो विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली का भी संगणकीकरण (Computerisation) किया जाने लगा। केन्द्रीय ग्रन्थालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन्फलिबनेट कार्यक्रम (INFLIBNET Programme), अहमदाबाद द्वारा ग्रन्थालय के डिजिटलीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए देश के चयनित 11 विश्वविद्यालयी ग्रन्थालयों में शामिल किया गया।[12] इसी दौरान ग्रन्थालय-प्रणाली के संग्रह के लिए डिजिटल एवं ऑनलाईन कैटलॉग (Catalogue) की सुविधा प्रारंभ की गई। सन् 2009 में केन्द्रीय ग्रन्थालय में इन्टरनेट की सुविधा के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग की गई। वर्तमान में ग्रन्थालय-प्रणाली के लगभग सभी ग्रन्थालयों में इसकी व्यवस्था की जा चुकी है।

केन्द्रीय ग्रन्थालय को भारत सरकार द्वारा सन् 2003 में पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए शुरू किये गए मिशन के तहत 'पाण्डुलिपि संरक्षण केन्द्र' (Manuscripts Conservation Centre) बनाया गया है।[13] केन्द्रीय ग्रन्थालय द्वारा विश्वविद्यालय की सभी पाण्डुलिपियों तथा कुछ दुर्लभ ग्रन्थों का डिजिटलीकरण (Digitization) सन् 2006 में प्रारंभ किया गया। 5 सितम्बर 2015 को डिजिटल पाण्डुलिपि का शुभारंभ कुलपत्ति श्री गिरीशचन्द्र त्रिपाठी द्वारा किया गया।[14]

वर्तमान में ग्रन्थालय-प्रणाली का संचालन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की नवीनत्तम विधियों द्वारा किया जा रहा है।

समय के साथ-साथ विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के बाहर के विद्वानों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण-जयन्ति वर्ष (1966-67) में लगभग 1,45,850 विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने केन्द्रीय ग्रन्थालय का प्रयोग वर्षभर में किया।[15] यह संख्या इसकी स्थापना के शताब्दी वर्ष (2016-17) में बढ़कर लगभग 5,00,000 तक पहुँच चुकी है।[16] ग्रन्थालय-प्रणाली के समस्त ग्रन्थालयों को मिलाकर यह संख्या इससे भी अधिक है। ग्रन्थालय-प्रणाली के सदस्यों की संख्या एवं पुस्तक वितरण तथा पुन: जमा करने की सेवा से लाभ-अर्जित करने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों की संख्या भी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सन् 1940-41 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार इसके ग्रन्थालय का कुल बजट लगभग 32,000 रूपये था। ग्रन्थालय की आवश्यकतानुसार इसमें प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती गयी। सन् 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) बनने के बाद इसने विश्वविद्यालय को ग्रन्थालय के विकास के लिए अलग से अनुदान देना प्रारंभ किया। 1960 के दशक में विश्वविद्यालय ने अपने महाविद्यालयों (जो अब संकाय तथा संस्थान बन चुके हैं) एवं विभागों को उनके ग्रन्थालयों के विकास के लिए भी धन आँवटित करना प्रारंभ किया। सन् 2015-16 में विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली का कुल बजट 5,25,65,063 रूपये था।[17]

विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली को देश-विदेश की विभिन्न

सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा भी विशेष अनुदान दिया जाता रहा है। सन् 1954-55 में यू.एस.ए. की सरकार ने केन्द्रीय ग्रन्थालय को अपने प्रकाशन एवं पुस्तकें भेजने के लिए 17,000 अमेरिकी डॉलर का विशेष अनुदान स्वीकृत किया। इसके अगले ही वर्ष U.S.-Indian Wheat Loan: Educational Exchange Programme द्वारा अमेरिकी प्रकाशन खरीदने के लिए कुछ धनराशि केन्द्रीय ग्रन्थालय हेतु विशेष रूप से स्वीकृत की गई।[18]

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय सहित ग्रन्थालय-प्रणाली के अन्य ग्रन्थालयों का समय-समय पर देश-विदेश के विद्वानों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण (Visit) किया जाता रहा है। इनमें विश्वविद्यालय के संस्थापक पंण्डित मदन मोहन मालवीय, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनके अलावा विश्वविद्यालय के सभी कुलपत्तियों एवं कुलाधिपतियों द्वारा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय एवं अन्य ग्रन्थालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता रहा है।

निष्कर्ष

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालयी ग्रन्थालय-प्रणाली है। इसका विविध व बहुआयामी संग्रह इसे और भी अद्वितीय बनाता है। विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली में देश के कई प्रतिष्ठित एवं आम व्यक्तियों का भी योगदान रहा है। इसकी यह विशेषता इसे अन्य विश्वविद्यालयी ग्रन्थालयों से खास बनाती है। वर्तमान में विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली डिजिटल युग की सभी नवीनतम ग्रन्थालयी सुविधाएँ अपने उपयोगकर्ताओं को प्रदान करती है। ग्रन्थालय-प्रणाली पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की नवीनत्तम विधियों द्वारा संचालित की जा रही है।

विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय-प्रणाली में रिक्त पदों की संख्या निराश करती है। इन्हें यथाशीघ्र भरना आवश्यक है, ताकि ग्रन्थालय-प्रणाली का संचालन और भी सुचारू रूप से किया जा सके। केन्द्रीय ग्रन्थालय में ऑडियो-विडियो कलेक्शन के लिए एक पृथक अनुभाग बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषणों, विभिन्न कार्यक्रमों आदि का डिजिटल संग्रह हो।

किसी भी विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय उसकी आत्मा होती है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थान में एक विश्वस्तरीय ग्रन्थालय अपरिहार्य है। विश्वविद्यालय की वर्तमान ग्रन्थालय-प्रणाली इस शर्त को अवश्य ही पूरा करती है। यह विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु देश-विदेश के विभिन्न विद्यार्थियों एवं ज्ञान-पिपासु विद्वानों की ग्रन्थालयी आवश्यकताएँ पूरा करती है।

सन्दर्भ सूची

1. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 1983-84
2. शुक्ला, अर्चना, ''असेसिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन उत्तर प्रदेश विथ एम्फेसिस टू इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इनफार्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐप्लिकेशन्स,'' डीईएसआईडीओसी *जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एण्ड टेक्नोलॉजी*, नई दिल्ली, 2015, पृ. 266-272
3. लाइब्रेरीज ऑफ वाराणसी बाई एस. एन. राघव, आईएएसएलआईसी *कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स*, हेल्ड एट बी.एच.यू., वाराणसी
4. सयाजी राव गायकवाड़ केन्द्रीय ग्रन्थालय के अभिलेख के अनुसार
5. विकिपीडिया- बी.एच.यू. सेन्ट्रल लाइब्रेरी
6. सिंह, राणा पी.बी., 'महामना मालवियाज विजन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी : ए फ्रेम ऑफ आर्कीटैपल आर्किटेक्चर एण्ड कॉस्मिक प्लान', *काशी जर्नल ऑफ सोशल साइन्सेज*, वाराणसी, 2015, पृ. 61-76
7. शुक्ला, अर्चना, ''असेसिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन उत्तर प्रदेश विथ एम्फेसिस टू इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इनफार्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐप्लिकेशन्स,'' *DESIDOC जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एण्ड टेक्नोलॉजी*, नई दिल्ली, 2015, पृ. 266-272
8. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 1990-91
9. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 2016-17
10. उपर्युक्त
11. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 1983-84
12. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 1990-91
13. विकिपीडिया- नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट्स.
14. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 2016-17
15. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 1966-67
16. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 2016-17
17. उपर्युक्त
18. वार्षिक प्रतिवेदन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् 1955-56

भारतीय राजनीति में वंशवाद : एक विश्लेषण

अरुणा शर्मा

प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, सद्दू, बड़ी (बीदासर), चूरू, (राज.)

शोध सारांश

राजनीति में वंशवाद को लेकर हमारे पब्लिक डोमेन में अरसे से कई सारी चर्चा, परिचर्चा और विमर्श होते रहे हैं। हमारे देश की राजनीति में गहराते परिवारवाद के काले बादलों ने लोकतंत्र को धूमिल कर दिया है। राजनीतिक परिवारों के लिए भारतीय राजनीति से ज्यादा उर्वरक जमीन पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में वामपंथी दलों को छोड़कर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल कुनबे की राजनीति के दलदल में कमोबेश फँसे हुए हैं। भारत में वंशवादी राजनीति पर हुए सर्वे और अध्ययन दर्शाते हैं कि वर्तमान संसद में ऐसे सांसदों की संख्या में 2 प्रतिशत और सरकार में ऐसे मंत्रियों की संख्या में 12 प्रतिशत की कमी आई है, जो राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखते हैं। तथापि ज्वलन्त प्रश्न यही है कि आखिर भारतीय लोकतंत्र में कुनबावाद कब तक हावी रहेगा और इससे कभी निजात मिलेगी भी या नहीं? देश में परिवारवाद की राजनीति के लिए गांधी, अब्दुल्ला, सिंधिया, यादव, ठाकरे व बादल परिवार मशहूर या यूँ कहें बदनाम हैं। 28 फीसदी राज्य सरकारें किसी न किसी राजनैतिक कुनबे के हाथों में ही है। वंशवाद की राजनीति ने भाई भतीजावाद, अवसरवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तथा प्रतिभातंत्र का ह्रास किया है। अगर समय रहते इसे दूर नहीं किया गया तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी राजनीति केवल कुछ परिवारों की बपौती बनकर रह जायेगी। अत: भारतीय लोकतंत्र को वंशवाद की अजगरी जकड़न से मुक्त करवाने हेतु मतदाता, राजनेता और राजनीतिक दल सभी के द्वारा जमीनी स्तर पर गंभीर सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

संकेताक्षर : *पब्लिक डोमेन, परिवारवाद, कुनबे की राजनीति, भाई-भतीजावाद, अवसरवाद, प्रतिभातंत्र*

वंशवाद या परिवारवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह से एक के बाद एक कई शासक बनते जाते हैं अथवा राजसत्ता में भावी पीढ़ियों को अग्रिम बढ़त और अतिरिक्त लाभ पारिवारिक विरासत के रूप में प्राप्त हो जाता है। राजनीति में परिवारों के वर्चस्व का मुद्दा विश्व राजनीति के लिए नया नहीं है। अमेरिका के रूजवेल्ट, कैनेडी परिवार तथा ब्रिटेन के चर्चिल परिवार की सियासत इसी ओर संकेत करती है। लेकिन भारतीय राजनीति का नेहरू गाँधी राजवंश संपूर्ण विश्व में बेमिसाल है। नेहरू-गाँधी परिवार में महान दादा से महान पोते तक राजनीतिक उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला रही है।[1] दक्षिण एशिया में गाँधी, भुट्टो, भण्डारनायके और हसीना परिवारों की पीढ़ियों ने एक समय तक एकछत्र राज किया और भारत में वंशवाद की यह कहानी आज भी जारी है।[2]

भारतीय राजनीति में गहराता वंशवाद का संकट

भारत की राजनीति में वंशवाद/परिवारवाद जड़ें जमाए बैठा है। एक अरब इक्कीस करोड़ की जनसंख्या वाला भारत यूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार बनती है लेकिन सत्ता की राजनीति पर केवल कुछ घरानों का ही वर्चस्व है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद का बीजारोपण करने के आरोप कांग्रेस पर प्रारंभ से ही लगते रहे हैं लेकिन आज आलम यह है कि वामपंथी दलों को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है ... हमाम में सभी नंगे हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा, केरल, दिल्ली और कुछ पूर्वोतर के राज्यों के अतिरिक्त उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों में वंशवाद का सर्प कुण्डली मारकर बैठा है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और सईद परिवार, हिमाचल में धूमल परिवार, पंजाब में बादल परिवार, हरियाणा

में देवीलाल, बंशीलाल व भजनलाल परिवार, उत्तरप्रदेश में मुलायम, कल्याणसिंह और राजनाथ परिवार, दक्षिण में - तेलंगाना में चन्द्रशेखर राव व औवेसी परिवार, आंध्रप्रदेश में एनटी रामाराव, वाईएस आर रेड्डी परिवार, तमिलनाडू में एम. करुणानिधि, शशिकला परिवार, कर्नाटक में येदि्दयुरप्पा व रेड्डी परिवार, पूर्व में - असम में गोगोई परिवार, अरुणाचल में खांडू परिवार, पश्चिम बंगाल में दासमुंशी परिवार, प्रणव मुखर्जी व ममता बनर्जी परिवार, झारखण्ड में शिबू सोरेन परिवार, बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान परिवार, ओडिशा में पटनायक परिवार, पश्चिम में - महाराष्ट्र में ठाकरे, पवार, चव्हाण व राणे परिवार, मध्यप्रदेश में सिंधिया, दिग्विजय सिंह परिवार, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी, रमन सिंह परिवार, राजस्थान में सिंधिया, जसोल, मदेरणा, मिर्धा और ओला परिवार वंशवादी राजनीति के पर्याय हैं।[3]

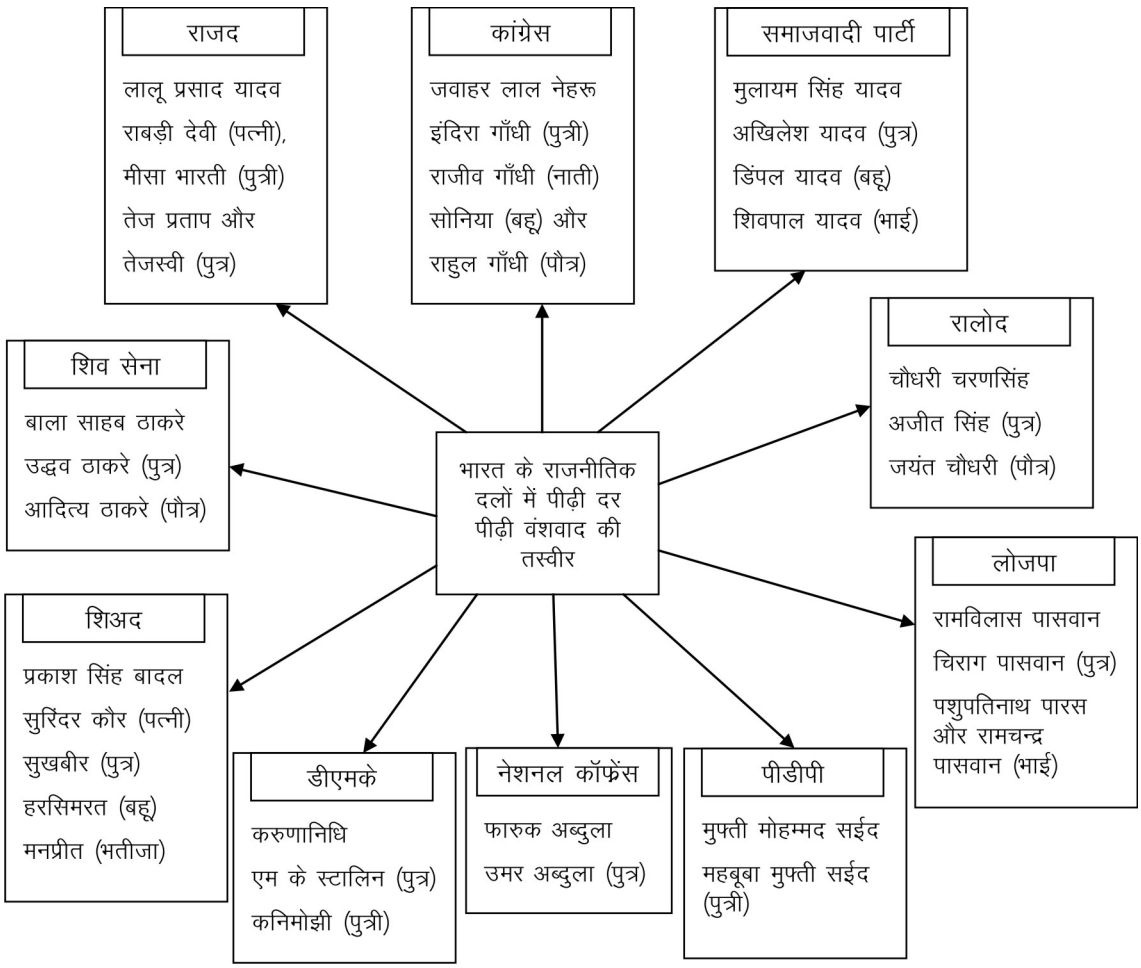

उपर्युक्त परिदृश्य देखकर भारत की संसद रिश्तेदारों का 'गैट-टुगेदर' लगती है और मानो राजनीति में वंशवाद नहीं बल्कि राजनीति का वंशवाद चल रहा हो। यूपी में समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के हालिया घमासान को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी औद्योगिक घराने में संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है। आश्चर्य होता है कि इस देश में सबसे बड़े लोकतंत्र का कितना जोरशोर से ढ़ोल बजाया जाता है। चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र के महान उत्सव के जैकारे लगने लगते हैं लेकिन बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये तो एक तरह से राजे-रजवाड़ों की ही कोई प्रतियोगिता सरीखी हो रही है। इन्हीं रुझानों और प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच ने 2011 में आई अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''इंडिया : अ पोर्ट्रेट'' में लिखा था कि ''वो दिन दूर नहीं जब भारत में एक तरह की राजशाही जैसी कायम हो जाएगी। ऐसा समय जहाँ पीढ़ीगत व्यवस्था के तहत कोई शासक

गद्दी पर होगा। उन्होंने तो ये आशंका भी जाहिर कर दी थी कि भारतीय संसद कुनबों का सदन हो जाएगा।[4]

भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में वंशवाद का स्वरूप और वंशवादी राजनीति का दुष्प्रभाव

भारतीय राजनीति आज जिस मुकाम पर है, उसमें सभी राजनीतिक दल परिवारवाद के आगोश में हैं। वंशवादी राजनीति को समाप्त करने की प्रतिबद्धता का दावा करने वाली बीजेपी भी वंशवाद से अछूती नहीं है। बीजेपी के 15 प्रतिशत सांसद वंशवाद के ही उत्पाद हैं।[5] भारतीय राजनीति में परिवारवाद को लेकर 15वीं लोकसभा के 545 सांसदों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर **पैट्रिक फ्रेंच** द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद कुछ इस प्रकार है:-

एनसीपी	77.8 प्रतिशत	9 में से 7 सांसद
बीजेडी	42.9 प्रतिशत	14 में से 6 सांसद
कांग्रेस	37.5 प्रतिशत	208 में से 78 सांसद
सपा	27.3 प्रतिशत	22 में से 6 सांसद
बीजेपी	19 प्रतिशत	116 में से 22 सांसद

फ्रेंच के अनुसार इस दृष्टि से राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो सौ प्रतिशत खानदानी है जिसके पाँचों सांसद खानदानी है।[6] **प्रो. कंचन चन्द्रा** की शोध डाटा के मुताबिक 15 वीं लोकसभा में कांग्रेस के 37 फीसदी सांसद किसी न किसी राजनीति परिवार से थे, वही राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के लगभग 73 प्रतिशत सांसदों को वंशवाद से प्रेरित होकर टिकट मिली थी। वहीं इस लिस्ट में सबसे आगे शरद पवार की एनसीपी है।[7]

चुनावी राजनीति में परिवारवाद, भाई-भतीजावाद लगभग हर दल में कम या ज्यादा हैं लेकिन इस सवाल से अधिक महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत के राजनीतिक दलों में संगठनात्मक स्तर पर परिवारवाद या वंशवाद की स्थिति क्या है? इस दृष्टि से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बुनियाद ही परिवारवाद पर टिकी नजर आती है। भाजपा इस मामले में परिवारवादी नहीं लगती और वंशवादी तो खैर नहीं ही है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ऐसा सोचना भी कल्पना से परे लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बंगारू लक्ष्मण, वैंकेया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथसिंह भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं लेकिन इनमें से किसी का भाई अथवा बेटा पार्टी का अध्यक्ष तो दूर किसी प्रदेश का अध्यक्ष भी न बन पाया हो। राजनाथ सिंह के पुत्र पंकजसिंह डेढ़ दशकों तक सक्रिय राजनीति में रहकर संगठन की प्रक्रियाओं से गुजरकर महज उत्तर प्रदेश के महामंत्री तक पहुँच पाए हैं।[8] प्रो. कंचन चंद्रा के अनुसार 2014 की लोकसभा में 48 प्रतिशत पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों के साथ कांग्रेस सबसे ज्यादा वंशवादी पार्टी के रूप में उभरी है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर गैर-राजवंशीय पार्टी के रूप में वर्णित की जाती है लेकिन यह वास्तव में सच नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि बीजेपी कांग्रेस से कम राजवंशीय है। भाजपा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राजनीतिक परिवारों से नहीं है और इसके कांग्रेस के 48 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान सांसदों के केवल 15 प्रतिशत ही वंशवादी पृष्ठभूमि से है लेकिन संसद में सीटों का बहुमत भाजपा नियंत्रित करता है अत: वर्तमान में इसमें राजवंशीय सांसदों की संख्या सर्वाधिक है।[9] इस प्रकार कुनबापरस्ती बीजेपी में भी कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह व पौत्र संदीप सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, मेनका गाँधी के पुत्र वरुण गाँधी, वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह, जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह, रमन सिंह के पुत्र अभिषेक, यशवन्त सिन्हा के पुत्र जयन्त सिन्हा, पी.के. धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर भाजपा में वंशवाद के फलते-फूलते चेहरे हैं। लेकिन भाजपा में सत्ता के शीर्ष पर एक ही कुनबे से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को गद्दी नहीं मिली।[10]

भारतीय राजनीति पर हावी यह परिवारवाद भारतीय लोकतंत्र के मुक्कमल विकास के लिए घातक है। यद्यपि वंशवादी लोकतंत्र जातियों में ऐसी क्रांति ला सका है जिससे परम्परागत तौर पर सत्ता विहीन रहने वाले लोग भी सशक्त हो गए हैं तथापि वंशवाद एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जिसकी दुनियाभर में आलोचना की जाती है। वंशवाद भारतीय राजनीति का विशेष लक्षण और कड़वा सच है। वंशवाद से समान अवसर का सिद्धान्त पीछे छूट जाता है और यह सच्चे लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने देता। वंशवाद के कारण नए लोगों का राजनीति में आने का सपना मात्र सपना ही रह जाता है जिससे प्रतिभातंत्र के बजाय मेडियोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। वंशवाद के आधार पर केवल चुनाव ही नहीं लड़ा जाता वरन् चुनावों के पश्चात् संकीर्ण मुद्दों पर होने वाला घमासान भी वंशवादी ही होता है।[11] आम जनता में कुण्ठा की भावना घर करने लगती है। दुष्प्रचार (प्रोपेगैण्डा), चमचातंत्र, धनबल तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जनता का ध्यान वंशवाद की कमियों से दूर रखा जा सके। देश की सभी प्रमुख संस्थाएँ पंगु बनाकर रखी जाती हैं, ऐसे कानून व नीतियाँ बनायी जाती है, जो वंशवाद का भरण पोषण करती रहती हैं।

भारतीय राजनीति में वंशवाद : बदलाव का संकेत?

भारत में वंशवादी राजनीति पर किए गए तमाम सर्वे और अध्ययन इस ओर इशारा करते हैं कि पिछली संसद के मुकाबले मौजूदा संसद में राजनीतिक घरानों से आने वाले सांसदों की संख्या में कमी आई है और बगैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञ सामने आए हैं। 'द हिन्दू' अखबार के एक सर्वे के मुताबिक 15वीं लोकसभा में 156 सांसद पारिवारिक पृष्ठभूमि से पहुँचे थे जबकि 16वीं लोकसभा में 130 सांसदों का संबंध वंशानुगत राजनीति से है।

क्या यह राजनीति के पुराने ढर्रे में बदलाव का संकेत है? इस संदर्भ में सौंतिक बिस्वास ने अपने विश्लेषण में बताया है कि न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की राजनीतिक वैज्ञानिक **कंचन चन्द्रा** ने अपने नए शोध में पाया कि '16वें आम चुनावों के बाद मई में अस्तित्त्व में आई संसद में महज 21 प्रतिशत सांसदों की पृष्ठभूमि राजनीतिक घरानों से थी जबकि पिछली संसद में यह 29 प्रतिशत थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में गठित नए मंत्रिमण्डल में राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों की संख्या 24 प्रतिशत है जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सराकर में यह संख्या 36 प्रतिशत थी।[12]

2014 के लोकसभा चुनाव ने जहाँ एक ओर देश के सभी छोटे-बड़े राजनीतिक परिवारों और दलों के नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया, वहीं दूसरी ओर अविवाहित क्षेत्रीय नेताओं को शीर्ष पर पहुँचाया है। मौजूदा हालात में देश की राजनीति में इन एकल राजनेताओं (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा सीएम मनोहरलाल खट्टर, असम सीएम सर्वानन्द सोनोवाल, ममता बनर्जी) का ही बोलबाला है। भारतीय राजनीतिक विश्लेषक और ब्रिटिश उपन्यासकार **जॉन ऑस्टिन** ने भी इस ओर इशारा करते हुए अपने एक लेख में लिखा कि, ''आने वाले समय में भारतीय राजनीति में जहाँ एकल राजनेताओं का ही वर्चस्व होगा, वहीं वंशवाद हाशिए पर रहेगा।''[13]

बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत जयपांडा का भी मानना है कि चीजें बदल रही हैं, बिना घरानों की पृष्ठभूमि वाले नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि सोशल मीडिया का आगमन यह दिखाता है कि चुनावी जीत में वंशवादी नेटवर्क के आधार पर बढ़त अब टूट रही है और राजनीति बहुकोणीय क्षेत्र बनता जा रहा है। स्थानीय शासक घरानों में फूट पड़ेगी और उनकी चमक फीकी पड़ती जाएगी।

हालांकि **प्रोफेसर चन्द्रा** इससे सहमत नहीं है। वे कहती हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा समेत अधिकांश दल वंशवादी राजनीतिज्ञों के अनुकूल हैं। अभी संसद में 36 राजनीतिक दलों के पास कम से कम एक सीट है, जबकि 13 दलों के नेता (करीब 36 प्रतिशत) राजनीतिक घरानों से थे। 2014 के चुनावों में हाशिए पर धकेले जाने के बावजूद 15 राजघराने अभी भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बने हुए हैं। प्रोफेसर चन्द्रा भी इस ओर इशारा करती है और इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वंशवादी राजनीति न केवल जीवित है बल्कि प्रदेशों में इसकी अच्छी पैठ है।[14]

पैट्रिक फ्रेंच का भी मानना है कि जो लोग यह मानते हैं कि भारतीय समाज आम तौर पर गुणतंत्र पर अधिकाधिक जोर देने लगा है, उन्हें यह बात रास नहीं आती कि वंशवाद अभी भी चुनावी राजनीति पर हावी है - लेकिन अब इनका प्रभाव इतना नहीं रह गया है, जितना कि पहली नजर में दिखाई देता है।

16वीं लोकसभा सांसदों के परिवारवादी पृष्ठभूमि संबंधी आंकड़ों के आधार पर भारतीय राजनीति में वंशवाद से मोहभंग का कयास लगाने में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे सोशल मीडिया और बीजेपी की भारी बहुमत से जीत की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वंशवादी राजनीति में परिवर्तन के इस संकेत के बावजूद आज यक्ष प्रश्न यही है कि क्या भारतीय राजनीति वंशवाद के अजगरी शिकंजे से कभी आजाद होगी? वंशवादी नेताओं को पराजित किए बिना देश में वंशवादी शासन का अंत कैसे हो सकता है? और वंशवाद के इन शंहशाहों को उनके 'कम्फर्ट जोन' में चुनौती दिए बिना कैसे पराजित किया जा सकता है। वस्तुत: राजनीतिक परिवार अपने वंशजों को चुनावी राजनीति में उतारना अपना विशेष अधिकार समझते हैं।[15] चिंता और चिन्तन का विषय है कि कुनबे की राजनीति को भारत में लोगों ने सहजता से लेना भी शुरू कर दिया है, मानो वे इसके अभ्यस्त हो चले हैं। वंशानुगत राजनीति के प्रतिनिधियों को चुनने में मतदाताओं के रवैये को लेकर हुए विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि युवा मतदाता हों या अधेड़ या बुजुर्ग, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी राजनैतिक दल को वोट दे रहे हैं या कुनबे को या किसी व्यक्ति की राजनैतिक क्षमता को तौलकर।[16] प्रोफेसर कंचन चन्द्रा के अनुसार, ''युवा और नई आकांक्षाएँ पालने वाले मतदाता वंशवादी राजनीति का हल नहीं होते।''[17]

इस बात की तस्दीक दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज द्वारा वर्ष 2011 में युवा मतदाताओं पर किए गए एक सर्वे से भी होती है जिसके अनुसार हालांकि 18 से 30 वर्ष की उम्र

वाले युवा मतदाता सामान्यतया वंशवादी राजनीति की मुखालफत करते हैं लेकिन जब राजनीतिक घराने से युवा उम्मीदवार आता है तो वे उसे ही मत देने को वरीयता देते हैं।[18] बीबीसी संवाददाता **मार्क टुली** के अनुसार पश्चिम के न्यूक्लियर परिवारों के विपरीत भारत की मजबूत पारिवारिक परम्परा ही मतदाताओं की नजर में वंशवाद को जायज ठहराती है। भारत में इसे काफी स्वाभाविक और स्वीकार्य माना जाता है कि किसी भी तरह का अधिकार रखने वाले माता-पिता अपने बेटे या बेटी को उसे सौंप दे।[19] **इन्दर मल्होत्रा** ने इसे अपनी पुस्तक 'डायनस्टीज ऑफ इंडिया एण्ड बियांड'' में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए कहा है कि, ''वंशवाद की मुखर अल्पसंख्यक भर्त्सना खासकर भारत में ज्यादा तेज है और इसका मुख्य लक्ष्य नेहरू-गांधी परिवार है लेकिन इसकी वास्तव में शांत बहुसंख्यक जनता की चुप्पी से कोई तुलना नहीं है। उपमहाद्वीप की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा राजनैतिक सत्ता की विरासत माँ-बाप से संतान को देने में कुछ भी आपत्ति जनक नहीं मानता।''[20]

द्रष्टव्य है कि योग्यता के आधार पर किसी को आगे आने का अवसर मिलता है तो वंशवाद में कोई बुराई नहीं है लेकिन काबिल लोगों की उपेक्षा कर सिर्फ वंशवाद के नाम पर ही किसी को मौका मिल जाए, यह कदापि उचित नहीं। दशकों तक एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व के संकट से गुजर रही है जिसका मूल कारण परिवारवाद ही है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में व संघर्षरत पार्टी को उबारने में राहुल गाँधी की विफलता के बावजूद कांग्रेस का परिवारवाद से मोहभंग नहीं हो रहा। अभी भी कांग्रेस में पूँजी और दायित्व मौजूद हैं लेकिन कांग्रेस को गाँधी परिवार से इतर सोचना होगा। अकेला वंशवाद कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल को जिंदा नहीं रख सकता।[21]

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में गहराते जा रहे वंशवाद को यथासमय अगर नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे लेकतंत्र का जनाजा ये वंशवाद निकाल देगा। भारत की वर्तमान जनतांत्रिक संसदीय प्रणालीजन्य राजनीति यदि जन आंदोलन, जनसरोकार, जनचेतना व जनकल्याण जैसे मुद्दों से पलायन कर चुकी है तो इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि भारतीय युवा 'भ्रांत स्थिति' में है व युवा नेतृत्त्व सुषुप्तावस्था में है। परिवारवाद के युवा खिलाड़ियों ने सीख लिया है कि चुनावी राजनीति में किस प्रकार बिना हींग, फिटकरी लगाए मलाई मिलती रहती है। शक्तिशाली संचार साधनों की उपलब्धता के बावजूद सार्थक संपर्क साहचर्य बेहद कमजोर है। अत: वंशवाद की बेड़ियों से भारतीय लोकतंत्र की मुक्ति के लिए आवश्यकता है देश के आम युवा, सत्ता के नेतृत्त्वकर्त्ता और राजनीतिक दलों द्वारा परिवार केन्द्रित मोहवादी राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय लोकतंत्र के जमीनी संघर्षों, सामाजिक सरोकारों और नेतृत्त्व कौशल को परखने की। देश में पब्लिक लीडरशिप की नयी पौध की एक ऐसी राजनीतिक नर्सरी उगानी होगी जिसमें, योग्यता, ईमानदारी, अवसर की समानता जनसमस्याओं के प्रति विराट संवेदनशीलता और गुड-गवर्नेस के प्रति प्रतिबद्धता हो।

संदर्भ सूची

1. अली, तारिक, एन इण्डियन डायनेस्टी : द स्टोरी ऑफ द नेहरू-गाँधी फैमिली, बुक सेल्स आइएनसी, यू.एस.ए., 1986
2. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू, प्रयुक्ति. नेट >ऐडिटोरिया, 2017
3. राजस्थान पत्रिका, सितम्बर 2017
4. फ्रेंच, पैट्रिक, इंडिया : अ पोर्ट्रेट, पेंगुइन, 2012
5. आरों, सुनीता, द डायनेस्टी : बॉर्न टू रूल, हे हाउस इण्डिया, 2016
6. एचटीटीपीएस //खबर.एनडीटीवी.कॉम, 2014
7. चन्द्रा, कंचन, डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज: स्टेट पार्टी एण्ड फैमिली इन कंटेम्प्रेरी इण्डियन पॉलिटिक्स, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016
8. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. नेशनलिस्ट ऑनलाइन.कॉम. 2017
9. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. कारवां मैगज़ीन.इन, चन्द्रा, कंचन, द फैमिली वे: व्हाई पॉलिटिकल डायनेस्टीज सक्सीडेड इन इण्डिया, सितम्बर 2016
10. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. जनसत्ता.कॉम, 2017
11. सांघवी, वीर, मेंडेट : विल ऑफ द पीपुल, वेस्टलैण्ड, 2015
12. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. बी.बी.सी.कॉम > हिन्दी > इण्डिया, 2017
13. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. पत्रिका.कॉम, जुलाई 27, 2017
14. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. बी.बी.सी.कॉम, पूर्वोक्त
15. आरों, सुनीता पूर्वोक्त
16. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डी..डब्ल्यू.कॉम, सितम्बर, 2016
17. चन्द्रा, कंचन, पूर्वोक्त
18. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी.बी.सी.कॉम, पूर्वोक्त
19. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.कारवां मैगज़ीन.इन., पूर्वोक्त
20. मल्होत्रा, इन्दर, डायनस्टीज ऑफ इण्डिया एण्ड बियांड: पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हार्पर कॉलिन्स इण्डिया, 2003
21. सरदेसाई, राजदीप, 2014 : द इलेक्शन दैट चेन्ज्ड इण्डिया, पेंगुइन इण्डिया, गुड़गॉव, 2015

भारत के संदर्भ में क्षेत्रीय संघर्ष तथा सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महाशक्तियों की भूमिका

डॉ. दीपिका कुमारी

जयपुर (राज.)

शोध सारांश

क्षेत्रीय संघर्ष और सहयोग उस प्रक्रिया का संकेत है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय प्रतिनिधि, पारस्परिक क्रिया द्वारा या आपसी आदान प्रदान के द्वारा सहयोग की ओर अग्रसर होते हैं और संघर्ष का समाधान करते हैं। जिससे आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्यो का लाभ उनके लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिकतम होता है। विगत वर्षों के दौरान भारत में जहां एक ओर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सैनिक विकास की प्रक्रिया में वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर भारत को लेकर अन्य देशों विशेष रूप से महाशक्तियों में एक असुरक्षात्मक वातावरण में वृद्धि हुई है। अपनी बदली हुई विदेश नीति के कारण भारत उन देशों के करीब आ गया जिनसे उनका कोई संबंध भी नहीं था। ऐसे में भारत के विकास में कई महाशक्तियां बाधा उत्पन्न कर रही है वहीं कुछ महाशक्तियां भविष्य में भारत की महत्ता को जानते हुए उसके साथ खडी है। ऐसे में चीन के विरोधी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है वहीं रूस से उसे सहयोगात्मक रवैया मिल रहा है। जापान के साथ उसके संबंध अच्छे हो रहे हैं वहीं अमेरिका के संबंधों की स्थिति में असमंजस बना है।

संकेताक्षर : *सहयोग, संघर्ष, भारत, सार्क, महाशक्तियां*

जब-जब राष्ट्रों में अन्तरिम विवाद हुए है अन्य बाह्य देशों ने उसमें अपने-अपने अनुसार राय प्रकट की है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया है। दक्षिण एशियाई देशों की आकांक्षाओं की पूर्ति किस हद तक हुई? उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु उनके मध्य क्या-क्या मतभेद हुए? उन मतभेदों से उनमें क्या-क्या विवाद उत्पन्न हुए? यह स्पष्ट होने के बाद यह ज्ञात करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन विवादों में महाशक्तियों की क्या भूमिका रही?

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद महाशक्तियों का उदय हुआ। विश्व का नेतृत्व ग्रेट-ब्रिटेन के हाथ से निकल कर संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में चला गया तथा साम्यवादी रूस में भी नेतृत्व की भावना जाग्रत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। साम्यवादी प्रभाव के कारण विश्व में दो गुटों का प्रादुर्भाव हुआ। गैर साम्यवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में आया और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत रूस के। 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ। चीन को विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया।[1]

परस्पर प्रतियोगी होने के कारण महाशक्तियां संपूर्ण विश्व राजनीति को प्रभावित करती है। इस प्रकार दक्षिण एशिया का क्षेत्र भी इनकी पकड़ से अछूता नहीं रह सका। महाशक्तियों द्वारा दक्षिण एशिया में प्रभाव विस्तार की प्रक्रिया और दक्षिण एशियाई देशों की परस्पर संघर्ष की स्थिति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की भूमिका ने इस क्षेत्र की स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया है। महाशक्तियों ने दक्षिण एशिया को शांति स्थायित्व और परस्पर सहयोग क्षेत्र बनाने के बजाए तनाव और संघर्ष का क्षेत्र बना दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में साम्यवादी प्रसार को रोकने तथा अपनी साम्राज्यवादी नीति को पूर्ण करने के लिए श्रीलंका एवं पाकिस्तान को अधिक से अधिक मात्रा में अनेक प्रकार की सैनिक सहायता प्रदान करके अपने हितों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। सोवियत संघ ने भी चीन एवं अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए भारत को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। साम्यवादी चीन एशिया

में नेतृत्व की भावना के कारण भारत के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान आदि को भड़काता रहता है। जिसका स्वाभाविक रूप से दक्षिण एशियाई देशों के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है तथा यह क्षेत्र तनावरहित नहीं रह पाता। तनावपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए महाशक्तियां विभिन्न देशों के मध्य हुए विवादों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।[2]

दक्षिण एशियाई देशों के पारस्परिक विवादों में अमेरिका की भूमिका

अमेरिका वर्तमान विश्व के राजनैतिक मानचित्र पर अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भौगोलिक स्थिति, उन्नत आर्थिक व्यवस्था, सैनिक शक्ति, विदेशों को सहायता तथा साम्यवादी विस्तार के विरूद्ध मोर्चा आदि अनेक ऐसे तत्व है जिसके कारण आज विश्व की प्रत्येक राजनैतिक एवं आर्थिक घटना से इसका संबंध है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रभावी भूमिका स्वाभाविक है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता साम्यवाद का अवरोध एवं अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार रही है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, विश्वशांति एवं सुरक्षा के नारों के सहारे एशियाई देशों को आर्थिक एवं सैनिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया था। दक्षिण एशिया के नवोदित देश अमेरिका की नीतियों से अछूते नहीं रह पाए क्योंकि लगभग समस्त दक्षिण एशियाई देशों ने उसी समय स्वतंत्रता प्राप्त की थी तथा ये समस्त देश आर्थिक, राजनैतिक एवं सैनिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए थे। अपनी आर्थिक एवं राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन समस्त देशों को अमेरिका से अनेक प्रकार की सहायता लेनी पडती थी तथा अमेरिका इन देशों के पिछड़ेपन का लाभ उठाते हुए इन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए था। अपनी साम्राज्यवादी एवं साम्यवादी विरोधी नीति पर चलते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में सीटो एवं सेंटों जैसे संधि संगठन निर्मित किए। पाकिस्तान ने इन संगठनों की सदस्यता भी ग्रहण की जिसके कारण संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र तनावग्रस्त हो गया।

अमेरिका की ये गतिविधियां उसके वृत्ताकरण की नीति का ही अंग है। अपनी वृत्ताकरण की नीति द्वारा अमेरिका इस प्रयास में रहता है कि ये देश तटस्थता की नीति त्याग दे और साम्यवाद को अस्वीकार कर दे और अमेरिका का प्रभाव स्वीकार करें। सैनिक और आर्थिक सहायता के नाम पर अमेरिका न केवल इन देशों की दुर्बलता से लाभ उठाने का प्रयास करता रहा है वरन् उसका यह भी प्रयास रहा है कि ये देश सहायता के भार से इतना अधिक लद जाए कि अमेरिका के प्रभाव के वृत्त से बाहर निकलने के लिए इनके पास कोई मार्ग ही न बचे।

भारत-पाक संघर्ष के दौरान अमेरिका ने नाटो एवं सीटो के माध्यम से इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। भारत के विरूद्ध पाकिस्तान को युद्धों में भरपूर आर्थिक एवं सैनिक सहायता दी और बंगाल की खाड़ी में अपने जहाज के साथ बेड़े को भेजने से भी नहीं हिचकिचाया। इसी प्रकार डियागोगार्सिया में सैनिक अड्डे की स्थापना भी उसकी इसी नीति का एक उदाहरण है। डियागोगार्सिया द्वीप पर अमेरिका ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां अणु आयुधों से सुसज्जित अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा रखा जा रहा है। अमेरिका आज भी इस अड्डे के विकास के लिए प्रयत्नशील है। अमेरिका की डियोगोगार्सिया में जैसे-जैसे पकड़ बढ़ती जा रही है भारत की चिंता बढ़ रही है क्योंकि डियागोगार्सिया भारत के दक्षिण तट से केवल 1000 मील दूर है तथा हिंद महासागर में बसे अन्य द्वीप भी यहां से नियंत्रित किए जा सकते हैं।

हिंद महासागर के सामरिक एवं आर्थिक महत्व के कारण अमेरिका ने सदैव श्रीलंका एवं मालदीव को अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करके सैनिक अड्डे स्थापित करने चाहे इसमें समय-समय पर अमेरिका को सफलता भी प्राप्त हुई। हिंद महासागर में किसी विदेशी शक्ति की उपस्थिति संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए चुनौती है इसलिए दक्षिण एशिया के समस्त देश हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं किंतु अमेरिका अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों के कारण तथा अपनी साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए सदैव ही इस मांग को अस्वीकार करता है।[3]

दक्षिण एशियाई देशों के मध्य तनाव एवं अशांति उत्पन्न करने में अमेरिका की भूमिका

1965 में कश्मीर विवाद को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध में अमेरिका ने अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई। यद्यपि जून 1951 से अप्रैल 1971 तक अमेरिका ने भारत को 7422 करोड़ 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी किंतु इस युद्ध में उसने खुलकर भारत का विरोध और पाकिस्तान का समर्थन किया। 5 अगस्त, 1965 को पाकिस्तानियों ने कश्मीर में घुसकर जब उत्पात मचाना प्रारंभ किया और अमेरिका को इसकी सूचना मिली तो अमेरिकी समाचार पत्र ने कहा कि भारत के विरूद्ध कश्मीर निवासियों ने विद्रोह कर दिया है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर यह विचार किया गया कि अमेरिकी सरकार को घटना का वास्तविक ब्यौरा प्राप्त हुआ होगा। अमेरिका ने प्रबल दुश्मन

चीन के साथ पाकिस्तान के बढते हुए संबंधों को देखकर कश्मीर के संबंध में अमेरिका का दृष्टिकोण परिवर्तित होगा किंतु यह आशा निराधार सिद्ध हुई और अमेरिका ने वही रूख अपनाया जो कश्मीर के प्रश्न पर अब तक उसका रहा।

पाकिस्तान ने 1965 में जब भारत पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी मात्रा में पाकिस्तान को सैनिक सहायता की जो अमेरिकी शक्ति को प्रतिबिम्बित करती थी। पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध अमेरिका में बने पाकिस्तान को मदद के रूप में दिए गए पैंटन टैंक, हवाई बमवर्षक तथा अन्य अमेरिकी शस्त्रास्त्रों को युद्ध में झोंक दिया।

ऐसा विश्वास किया जाता था कि अमेरिका इसका विरोध करेगा किंतु भारत द्वारा ध्यानाकर्षित करने के बाद भी अमेरिका प्रशासन ने इस तथ्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान को अमेरिकी शस्त्रास्त्रों को रोकने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

3 दिसम्बर, 1971 को बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य पुन: युद्ध हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग से इस विषय पर एक लंबा वक्तव्य जारी किया गया जिसमें युद्ध छिड़ने के लिए भारत को दोषी ठहराया गया। युद्ध के पूर्व ही अमेरिकी विदेश सचिव विलियम रोजर्स ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पर आक्रमण किया तो अमेरिका भारत की सहायता नहीं करेगा। 6 दिसम्बर, 1971 को अमेरिकी प्रशासन ने यह घोषणा की कि 876 लाख डॉलर की सहायता के संबंध में भारत के साथ जो समझौता हुआ था रद्द किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत को हथियारों की खरीद के बचे हुए सभी लाइसेन्सों को रद्द कर दिया गया। इसके विपरीत अमेरिका पश्चिमी पाकिस्तान को निरंतर आर्थिक व सैनिक सहायता देता रहा। जब भारत ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि पूर्वी बंगाल की घटनाओं से पहले भी इस सहायता के लिए अमेरिका पाकिस्तान को वचन दे चुका था।[4]

अत: स्पष्ट है कि भारत व पाकिस्तान संबंधों की दरार को सुदृढ़ करने में अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत के साथ सोवियत संघ मदद कर रहा था। साम्यवाद का विरोध अमेरिकी नीति की आधारभूत विशेषता रही है। दक्षिण एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए तथा अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया। भारी मात्रा में पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर भारत के प्रतिद्वंद्वी के रूप में तैयार करने के लिए अमेरिका प्रयत्नशील रहता है।

श्रीलंका एवं भारत संबंधों में भी अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीलंका की हिंद महासागर में महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति प्राप्त है इसलिए अमेरिका की नीति श्रीलंका के प्रति प्रारंभ से ही रूचिपूर्ण रही है। अमेरिका प्रारंभ से ही श्रीलंका को भी सैनिक और आर्थिक सहायता देकर हिंद महासागर में श्रीलंका जैसे सामरिक उपनिवेश को प्राप्त कर लेने के लिए प्रयत्नशील रहा है।

अमेरिका के प्रति झुकाव के कारण श्रीलंका व भारत के बीच मतभेद स्थापित हुए। 1950 में श्रीलंका ने कोरिया मार्ग के लिए बंदरगाह उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर दी तथा 1954 में प्रधानमंत्री कोटलेवाला ने अमेरिका की सेना के जहाजों को फ्रांस से हवाई जाने के लिए कटुनायके का हवाई अड्डा प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर दी थी। भारत ने स्वाभाविक रूप से श्रीलंका की नीतियों का विरोध किया जिससे दोनों देशों में मतभेद उत्पन्न हो गया। अमेरिका द्वारा हिंदमहासागर में डियागोगार्सिया आदि अड्डे के निर्माण की योजना श्रीलंका एवं तटीय देशों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। भारत एवं श्रीलंका के समस्त जल मार्ग हिंदमहासागर से होकर गुजरते है। हिंदमहासागर में अमेरिका सैन्यशक्ति की उपस्थिति का मुख्य कारण तेल तथा अन्य कच्चे माल के स्त्रोतों पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा महत्वपूर्ण मार्गो एवं समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका हिंदमहासागर के तटीय देशों को सैनिक एवं आर्थिक सहायता देकर आपस में विवाद उत्पन्न करने की नीति का अनुसरण करता है। श्रीलंका के द्वारा कभी कभी भारत के समान उच्च स्तर में हिंदमहासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति के विषय में आलोचना की गई है।

तमिल समस्या के विषय में भी श्रीलंका ने विदेशी शक्तियों विशेष रूप से अमेरिका की सहायता प्राप्त करके इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का स्थान प्रदान किया है। तमिल समस्या के विभिन्न चरणों में श्रीलंका सरकार ने आर्थिक सैनिक और नैतिक समर्थन मांगा। सैनिक सहायता के कारण ही भारत एवं श्रीलंका के मध्य मतभेद अधिक बढ़े।

हाल ही 2016 में अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान बेचने का सौदा किया है। इससे यह लगता है कि अमेरिका पुन: सार्क सदस्यों के बीच विवाद खड़ा करना चाहता है। अमेरिका की नीति अभी नकारात्मक नहीं मानी जा सकती है क्योंकि परमाणु क्लब में शामिल करने के लिए वह भारत के पक्ष में है जबकि चीन भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में है।[5]

दक्षिण एशियाई देशों के पारस्परिक विवादों में सोवियत संघ की भूमिका

सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट स्थान रखता था। सोवियत संघ की नीति सदैव से साम्यवादी प्रसार एवं पूंजीवाद के उन्मूलन की रही। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ ने एक ओर साम्यवादी क्रांति के प्रसार हेतु उग्रनीति अपनाई तथा दूसरी ओर पश्चिमी प्रभावों से बचने के लिए लौह आवरण की नीति का आश्रय लिया।

सोवियत संघ की यूरोप और एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण स्थिति, अत्यधिक आर्थिक संसाधन, उच्च तकनीकी स्तर आदि अनेक तथ्यों ने इसको शक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया था। विश्व की प्रत्येक राजनैतिक घटना के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सोवियत संघ का संबंध रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अमेरिकी साम्राज्यवाद से बचाने के लिए सोवियत संघ ने इस क्षेत्र को अधिकाधिक सहायता प्रदान की तथा इस क्षेत्र के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया। अपनी लौह आवरण की नीति पर चलते हुए सोवियत संघ ने भारत को अधिकाधिक मात्रा में सहायता प्रदान की तथा भारत को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया। परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया के अन्य छोटे देश भारत के प्रति असुरक्षा की भावना से सशंकित रहने लगे तथा उनका झुकाव पश्चिमी शक्तियों के प्रति होता गया जिसके कारण दक्षिण एशियाई देशों के बीच विद्वेष तथा वैमनस्य का बीजारोपण हो गया।

सोवियत संघ ने दक्षिण एशिया के देशों के मध्य हुए विवादों में निम्न प्रकार अपनी भूमिका निभाई

सर्वप्रथम 1962 के अक्टूबर-नवम्बर में जब चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ तो सोवियत संघ के लिए एक बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। युद्ध में एक ओर तो सोवियत संघ का भाई चीन था तो दूसरी ओर मित्र भारत। एक ओर तो उसने अपने भाई चीन पर दबाव डालकर उसकी आक्रमणकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर बाध्य किया और दूसरी ओर अपने वचन के अनुसार भारत को सहायता भी दी जिसमें सैनिक सहायता भी शामिल थी। रूस की सरकार ने चीन को चेतावनी दी कि रूस भारत की ओर अपने सब सैनिक तथा व्यापारिक वचनबद्धताएं पूरी करने का इरादा रखता है। 1965 में सोवियत महाशक्ति इस उपमहाद्वीप में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई और 1965-67 के समय उत्पन्न समस्याओं में चीनी साम्यवाद के साथ विभिन्नता को लेकर एक वृहद पैमाने पर सोवियत संघ ने अर्थपूर्ण सक्रिय भूमिका अदा की।

कश्मीर प्रश्न पर सोवियत संघ ने भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा अनेकों बार की। जब-जब अमेरिकी गुट ने भारत को परेशान किया तब-तब सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करके भारत की सहायता की।

विश्व की महाशक्तियों में सोवियत संघ ऐसा देश रहा जिसने कश्मीर की स्थितियों को उचित ढंग से समझा। खुश्चैव ने प्रारंभ से ही घोषित किया कि कश्मीर को वह भारत का अभिन्न अंग मानता है। कश्मीर की समस्या की जटिलता का कारण सोवियत दृष्टि से साम्राज्यवादी देशों की नीति है जो एशिया के दो पड़ोसी देशों को लड़ाकर अपना हित सुरक्षित करते हैं। इस विचार को सोवियत नेता अनेक बार व्यक्त कर चुके हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में भी रूस ने शांति पूर्वक रूप से युद्ध समाप्त करने की अपील की। युद्ध के लिए पाकिस्तान का विरोध किया और उसे दोषी ठहराया।[6] भारत और रूस के मध्य संबंध वर्तमान में भी बहुत अच्छे हैं। सार्क देशों के मध्य रूस कभी भी संघर्ष का कारण नहीं बना और सार्क देशों की समस्याओं पर उसने बिना पक्षपात के अपनी राय रखी है।

दक्षिण एशियाई देशों के पारस्परिक विवादों में साम्यवादी चीन की भूमिका

1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में एक शक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज परमाणु शक्ति के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के समान स्थान रखता है। चीन की बढती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में वर्षो पूर्व जॉन हे ने कहा था - विश्व की शांति चीन पर निर्भर है जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी पांच वर्षों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी।

चीनी विचारधारा के अनुसार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषत: एशिया से संबंध रखने वाली समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक चीनी गणराज्य इसमें भाग न ले। चीन अपने प्रभाव का विस्तार एशिाय में विशेषत: दक्षिण एशिया में करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। चीन ने सदैव अपने को एशिया की महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है इसलिए दक्षिण एशिया के देशों के संबंधों में चीन का विस्तारवादी नीति की प्रभावी भूमिका स्वाभाविक है।

1954 में भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुता को स्वीकार किया। दक्षिण एशिया में महाशक्तियों में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसका विचार था कि भारत इस क्षेत्र में सर्वेसर्वा है। अत: इस भावना से प्रभावित होकर चीन ने भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दिया जिसका परिणाम हुआ मई 1962 का युद्ध।

1965 में भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को पूरा पूरा समर्थन दिया और भारत को आक्रामक बताया। चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए मांग की कि तीन दिनों के अंदर भारत सिक्किम चीन सीमा पर गैर कानूनी ढंग से बनाए गए मठों को हटा ले अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। चीन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया।

1971 के युद्ध में यह विचार किया गया था कि चीन बांग्लादेश के प्रश्न को समाजवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखेगा। चीन उन असहाय बंगालियों के साथ केवल सहानुभूति ही नहीं प्रकट करेगा वरन् उनको सक्रिय मदद भी देगा क्योंकि चीन आरंभ से ही पद दलित मानवता का मुख्य प्रवक्ता रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विचित्र करवट ले रही थी और चीन ने बांग्लादेश के प्रश्न को समाजवादी सिद्धांत से नहीं वरन् अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा। पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाही की निंदा करने के बजाए उसका समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल 1971 को चीन ने कहा कि कुछ समय से पाकिस्तान ने बार बार सख्त विरोध की उपेक्षा करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अधिकतम हस्तक्षेप किया है। एशिया में नेतृत्व की भावना से चीन सदैव भारत के विरूद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीन भारत के पड़ोसी देशों को सहायता देकर भारत के विरूद्ध भड़काता है।[7]

चीन की नीति भारत विरोधी रही है। वर्ष 2016 में ही उसने भारत को परमाणु क्लब का सदस्य नहीं बनाने की पहल की जबकि इसके लिए वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। साथ ही चीन सार्क देशों में विवाद कायम रखना चाहता है। इसीलिए हाल ही में उसने पाकिस्तानी आंतकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को आतंकी मानने से मना करते हुए उसे वीजा दे दिया। भारत की सीमा पर चीन अपनी सेना बढ़ा रहा है।

भारत-चीन के बीच निम्न मुद्दों को लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन की यात्रा की। यह मुद्दे निम्न प्रकार है-[8]

1. सीमा विवाद - भारत-चीन 4 हजार कि.मी. की सीमा है जो कि निर्धारित नहीं है। इसे एलएसी कहते है। भारत और चीन के सैनिकों का जहां तक कब्जा है वही नियंत्रण रेखा है। जो कि 1914 में मैकमोहन ने तय की थी लेकिन इसे भी चीन नहीं मानता और इसीलिए अक्सर वो घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है।
2. अरूणाचल प्रदेश - चीन अरूणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है और इसीलिए अरूणाचल को विवादित बताने के लिए ही चीन वहां के निवासियों को स्टेपल वीजा देता है। जिसका भारत विरोध करता है।
3. अक्साई चिन रोड़ - लद्दाख में इसे बनाकर चीन ने नया विवाद खड़ा किया।
4. जम्मू कश्मीर - चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने में आनाकानी करता है और इसमें वह पाकिस्तान का समर्थन करते हुए सार्क क्षेत्र में विवाद उत्पन्न करता है।
5. पीओके - चीन पीओके को पाकिस्तान का भाग मानता है और इसके लिए वह पाकिस्तान का समर्थन करता है। उसके इस समर्थन से ही पाकिस्तान और भारत का विवाद और अधिक गहरा जाता है।
6. पीओके में चीन की गतिविधियां - हाल ही में चीन ने यहां 46 बिलियन डॉलर की लागत का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के संबंधों को कटु बना दिया।
7. तिब्बत - तिब्बत को भारतीय मान्यता प्राप्त है जिससे चीन भारत से खफा रहता है।
8. ब्रह्मपुत्र नदी - चीन इस नदी पर बांध बनाकर सारा पानी अपनी ओर मोड़ रहा है जिसका भारत विरोध करता है।
9. हिंद महासागर - चीन भारत को असुरक्षित करते हुए हिंद महासागर में भी अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष

भारत व पाकिस्तान संबंधों की दरार को सुदृढ़ करने में अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीलंका एवं भारत संबंधों में भी अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और रूस के मध्य संबंध वर्तमान में भी बहुत अच्छे है। सार्क देशों के मध्य रूस कभी भी संघर्ष का कारण नहीं बना और सार्क देशों की समस्याओं पर उसने बिना पक्षपात के अपनी राय रखी है। भारत से चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाद पैदा करता रहता है और भारत से अपनी शत्रुता निभाने के लिए पाकिस्तान और चीन एक साथ खड़े है। ऐसे में सार्क सदस्यों के दो प्रमुख देश अपने आपसी विवाद सुलझाने के बजाए चीन के कारण और अधिक खराब करते जा रहे है।

संदर्भ सूची

1. बोहरा, पंकज, दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय संबंध, एक वैकल्पिक प्रतिमान, सेज पब्लिकेशन भारत (प्रा.) लिमिटेड, 2008, पृ. 14
2. सूबा, सशस्त्र संघर्ष और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑफसेट प्रेस, नई दिल्ली, 2007, पृ. 131
3. चंद्र प्रकाश और अरोड़ा, प्रेम; तुलनात्मक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ब्रह्मांड प्रा. लिमिटेड, 26 वें संस्करण, दिल्ली, 2007, पृ. 87
4. छिब्बर, भारती, क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग, एक तुलना: आसियान और सार्क, नई सदी प्रकाशन, नई दिल्ली का अध्ययन, 2004, पृ. 121
5. खोसला, पड़ोसियों पर स्पॉटलाइट, कोणार्क पब्लिशर्स (प्रा) लिमिटेड, दिल्ली, 2008, पृ. 114
6. कृष्णानंद, भारतीय उपमहाद्वीप में शांति स्थापना और विकास की संभावनाएं, महावीर एंड सन्स, दिल्ली, 2008, पृ. 43
7. मकवेन सी और हेनरी, विश्व 1945 के बाद से अंतरराष्ट्रीय संबंध का इतिहास, चिरायु बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 संस्करण, नई दिल्ली, 2006, पृ. 213
8. पंडित, लता ए, सार्क - भविष्य के आगे, विश्व फोकस जर्नल जुलाई 2010, पृ. 83

शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता

श्रीमती ज्योति खत्री

व्याख्याता

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

सामाजिक और आर्थिक विकास की जडें शिक्षा के जल और शिक्षार्थियों की दक्षताओं की उर्वरकों से ही मजबूत होती है। इसी से फल, पत्तियों और पुष्पों की सुगन्धों से कोई भी प्रान्त महकने लगता है, फलता-फूलता सभी को सुख देता है। शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की उन्नति तभी सम्भव है जब राष्ट्र शिक्षा का ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाये जिसमें संस्कृति को उन्नत करने व संरक्षित करने की व्यवस्था हो और अनेकता में एकता का समावेश हो। शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिकीकरण, कार्य संस्कृति, कार्य नीति का विस्तार किया जा सके। आज भारत सहित पूरा विश्व शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मान चुका है तथा अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आज बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। भारत में शिक्षक शिक्षा नीति को समय के हिसाब से निरूपित किया गया है और यह शिक्षक शिक्षा समितियों/आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर आधारित है।

संकेताक्षर : *शिक्षक योग्यता, व्यावसायिक कुशलता, प्रशिक्षण*

आज के सन्दर्भ में शिक्षण की जटिल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज भारत सहित पूरा विश्व शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मान चुका है तथा अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आज बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। भारत में शिक्षक शिक्षा नीति को समय के हिसाब से निरूपित किया गया है और यह शिक्षा समितियों/आयोगों की विभिन्न रिपोर्टो में निहित सिफारिशों पर आधारित है जिनमें महत्वपूर्ण है कोठारी आयोग (1966), चट्टोपाध्याय समिति (1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई. 1986/92), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993) एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (एन.सी.एफ. 2005)। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आधार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 जो 1 अप्रेल 2010 से लागू हुआ, जिसकी देश में शिक्षक शिक्षा में महत्वपूर्ण भागीदारी है।

देश के संघीय ढाँचे में शिक्षक शिक्षा पर विस्तृत नीतिगत और विधिक ढाँचा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन प्रमुखत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्कूली बच्चों की शिक्षा उपलब्धियों में सुधार के विस्तृत उद्देश्य की दोहरी कार्यनीति है -

(क) स्कूली प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करना (सेवा पूर्व प्रशिक्षण)।

(ख) मौजूदा स्कूल अध्यापकों की क्षमता में सुधार करना (सेवाकालीन प्रशिक्षण)।

भारतीय संसद ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता बढाने हेतु 1995 में एक विधेयक पारित किया और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) एक सांविधिक संस्था बनायी। जिसने पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में योग्य, प्रभावी, कुशल व व्यावसायिक योग्य शिक्षक तैयार किये जाने हेतु एक प्रारूप तैयार किया। एन.सी.टी.ई. विभिन्न शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। एन.सी.टी.

ई. विभिन्न शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के मापदण्ड व मानक, न्यूनतम योग्यतायें, पाठ्यक्रम व घटक अवधि निर्धारित करती है। यह ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छुक संस्थानों को मान्यता भी प्रदान करती है और उनके मानदण्ड व गुणवत्ता विनियमित करने और उन पर निगरानी की निमित व्यवस्था भी करती है।

शिक्षा में योग्यता व दक्षता भारत सरकार की योजनाओं का एक बहुत बडा व महत्वपूर्ण प्रयास है। शिक्षा के सभी स्तरों पर उच्चतर परिणाम हेतु सरकार शिक्षक शिक्षा पर काफी जोर दे रही है और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का एक संरचनात्मक ढाँचा तैयार करती है जिसमें ऐसे शिक्षक तैयार किये जायें जो विषय ज्ञाता, व्यवहार कुशल, तकनीकी कौशल से युक्त हो एवं विद्यालयों व कक्षाओं में प्रभावशाली कार्य कर सके।

प्रारम्भ में शिक्षा विद्वानों व पादरियों का कार्यक्षेत्र थी जिनके लिये किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। शायद इन सब के पीछे एक मान्यता बडे प्रभावशाली रूप से कार्य करती थी कि शिक्षक पैदा होते हैं बनाये नहीं जाते।

यह विश्वास तब तक बना रहा जब तक शिक्षा शास्त्र का आर्विभाव नहीं हुआ और शिक्षण एक कला व विज्ञान है इस बात को सर्वमान्य ढंग से स्वीकार नहीं कर लिया गया। 19 वीं शताब्दी तक यह तथ्य काफी प्रभावशाली ढंग से कार्य करता रहा कि शिक्षक पैदा होते हैं। इस क्षेत्र में नई सोच का विकास किया विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने। उन्होनें कुछ ऐसी तकनीकों, शिक्षण मशीनों व प्रशिक्षण मॉडल/प्रतिरूप का निर्माण कर यह प्रमाणित किया कि शिक्षक विशेष प्रशिक्षित कार्यक्रम के द्वारा बनाये जा सकते हैं। आज के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय इन्हीं प्रशिक्षण मॉडलों, शिक्षा तकनीकी के माध्यम से शिक्षक तैयार कर रहे हैं।

शिक्षक योग्यता व निपुणता

शिक्षक योग्यता अर्थात गुणवत्ता, नेतृत्व क्षमता, कुशलता आदि गुणों का समावेश है। इन गुणों का विकास अर्थात् एक विद्यार्थी का प्रभावी विकास। शिक्षक गुणवत्ता एक जीवन चक्र का निर्माण करती है जो छात्राध्यापकों को व्यावसायिक कुशलता से विकास की ओर ले जाती है। शिक्षक योग्यता शिक्षा के विकास की एक बुनियादी आवश्यकता है। एक अच्छी शिक्षा ही एक अच्छे परिवार, समाज व देश का निर्माण करती है इसीलिए कोठारी आयोग ने कहा भी है कि भारत का भविष्य यहाँ के कक्षा-कक्ष में बन रहा है। इतने बड़े उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कई अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, मूल्यांकन कर्ता, शिक्षक योग्यता, शिक्षक अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये नवीन खोज व प्रयास कर रहे है।

भारत में इसका प्रारम्भ अध्यापक शिक्षा योजना (1987-88) के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया जिसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये -

- प्राथमिक अध्यापक शिक्षण संस्थान का विकास आवश्यकतानुसार करना तथा डाइट की स्थापना (जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान) करना।
- द्वितीयक अध्यापक शिक्षण संस्थान का स्तर बढ़ाना।
- कॉलेज शिक्षा उच्च अध्ययन संस्थान व शैक्षिक शोध व प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) को मजबूत बनाना।

वर्ष 2003 में इसमें संशोधन किया गया तथा लक्ष्य रखा कि डाइट/सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई./एन.सी.ई.आर.टी. की योजनाओं को तेजी से पूरा किया जाये। इस क्रम में 11 वीं योजना के माध्यम से भी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जैसे -

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षण क्षमता बढाना।
- सेवारत प्राथमिक व द्वितीयक अध्यापकों का व्यवसायिक विकास करना।
- रिफ्रेशर पाठ्यक्रम व फैलोशिप कार्यक्रम चलाना।

हाल ही इस दिशा में एक नवीन प्रयोग किया जिसमें एन.सी.ई.आर.टी. ने वर्ष 2014 में एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये है जिसके अन्तर्गत एन.ए.ए.सी. व क्यू.सी.आई. प्रारम्भिक व द्वितीयक स्तर के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को दी जाने वाली मान्यता व ग्रेड के आधार तय करेंगे। क्यू.सी.आई. ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के कुछ आवश्यक व महत्वपूर्ण मानक तय किये गये हैं।

इसके अन्तर्गत एक नवाचार के रूप में आत्मावलोकन को भी जोड़ा गया जिससे आत्मसुधार से गुणवत्तापूर्ण कार्य किये जायें।

वास्तव में ये समस्त प्रयास शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता बढाने हेतु ही है क्योंकि एक शिक्षक ही वास्तव में -

शि- शिखर तक ले जाने वाला

क्ष- क्षमा की भावना रखने वाला

क- कमजोरी दूर करने वाला अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता हो तथा उसकी हर कमजोरी को दूर कर उसकों शिखर (सफलता) तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है।

क्यू.सी.आई. के द्वारा गुणवत्ता के कुछ निम्न आधारभूत लक्षण बताये गये हैं -

- गुणवत्ता एक अनुभूति है तर्क नहीं।
- इसकी प्रासंगिकता लक्ष्य व उद्देश्यों से जुडी है।
- इसका सम्बन्ध मात्रात्मक व गुणात्मक मूल्यांकन से है।
- यह एक आत्मनिष्ठ प्रक्रिया है।
- यह अपने आकलन के आधार स्वयं तय करते है।

गुणवत्ता का अर्थ तब भी सही कार्य करना जब आपको कोई देख नहीं रहा। -हेनरी फोर्ड

वास्तव में शिक्षक की व्यावसायिक कुशलता व योग्यता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारभूत आवश्यकता है। शिक्षक का व्यावसायिक विकास यह तय करता है कि व्यावहारिक स्तर पर शैक्षिक सिद्धान्तों व प्रतिमानों का कितना प्रभावी प्रयोग किया गया है। गुणवत्ता यह तय करती है कि शिक्षण अधिगम में किये गये प्रयोग व सुधार कक्षाकक्ष तक पहुँच रहे है या नहीं। यही सैद्धान्तिक व व्यावहारिक एकरूपता इन प्रयोगों को कक्षा कक्ष मे सफल बनाती है और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाती है।

शिक्षक शिक्षा की चुनौतियाँ

यह तो सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में सुधार व विद्यालयों को विकास की ओर ले जाया जा सकता है परन्तु यह राह काफी चुनौतीपूर्ण है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ संसाधनों की विशेष कमी है वहाँ मात्रात्मक कार्य करते हुये गुणात्मकता बढाना काफी मुश्किल है।

भारत में लगभग 300 मिलियन बच्चे विद्यालयी शिक्षा के योग्य हैं जिसमें 200 मिलियन नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। इन सब के लिये लगभग 5 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता है। ये बच्चे अलग-अलग आयु वर्ग के है तथा सीखने की क्षमता भी अलग। परिणामस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित होती है। हर स्तर के बालकों के लिये उन्हीं के आधार पर शिक्षक की आवश्यकता होती है।

शिक्षा के हर स्तर पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता रहती है जैसे - भाषा, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि। इसी के साथ बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के कारण शिक्षक में भी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है जैसे विभिन्न शिक्षा कौशलों का ज्ञान, अधिगम की आवश्यकताओं को समझने की विशेष योग्यता, शिक्षण सामग्री का चयन विषय व बालक की क्षमता के अनुरूप करना। इसके अतिरिक्त भी ऐसे विविध कार्य है जो शिक्षक को प्रभावी शिक्षण व अपेक्षित परिणाम हेतु करने होते हैं। निरन्तर परिवर्तनशील समाज व नवीन आवश्यकताओं से जूझती व्यवस्थाओं में समस्या समाधान कौशल व सृजनात्मक का गुण होना भी अत्यन्त आवश्यक है। एक व्यक्ति जो सभी कौशलों का जानकार हो व आवश्यकतानुसार प्रयोग करना जानता है उसे ही सही मायने में शिक्षक कहा जा सकता है।

इन सभी के साथ आज विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान होना भी आवश्यक हो गया है या दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षक को विज्ञान और तकनीकी का मित्र भी होना चाहिये। जिस तरह शिक्षा अर्थात सर्वांगीण विकास वैसे ही शिक्षक अर्थात सर्वज्ञाता।

पर चुनौती यहीं है कि सीमित समय में सीमित संसाधनों व व्यक्तिगत सीमाओं में रहकर सर्वज्ञाता शिक्षक कैसे बनाये जाये? इन सब के अतिरिक्त भी व्यवस्थाओं में कुछ सुधारों की आवश्यकता निरन्तर महसूस की जाती रही है -

- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में नवाचार की आवश्यकता।
- शिक्षक शिक्षा पर और अधिक अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता।
- शिक्षक निर्माण हेतु विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में भागीदारी की आवश्यकता।
- समय-समय पर प्रभावी वर्कशॉप के आयोजन की आवश्यकता।
- मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कुछ संशोधनों की आवश्यकता।
- शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण की आवश्यकता।
- शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों से समय समय पर प्रतिपुष्टि लेना।

निष्कर्ष

यह सही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करना व सुचारू रूप से चलाये रखना एक बहुत बड़ा संकल्प है लेकिन यह जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी आवश्यकता भी है। वास्तव में हरबर्ट की पंचपदी व्यवस्था सीखना, स्किनर की शिक्षण मशीन को जानना, या फ्लैण्डर के शिक्षण प्रतिमान को समझना ही शिक्षण शिक्षा नहीं है। कभी-कभी इसे प्रशिक्षित कार्य कहना भी उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी निर्जीव वस्तु के संचालन के लिये तैयार नहीं हो रहा। उसे एक बहुत ही कोमल मन को आने वाली चुनौतियों से लड़ने व लक्ष्य प्राप्ति योग्य बनाना है। अत: इसे एक कौशल विकास कार्यक्रम कहना ज्यादा उचित महसूस होता है। इस कार्यक्रम में गुणों का

निर्माण नहीं होता अपितु भीतर छुपी संभावनाओं का विकास होता है। शिक्षक शिक्षा अपने आप में अपूर्ण है जब तक कि उसके आगे गुणवत्तापूर्ण विशेषण का प्रयोग ना किया जाये।

जो धैर्यता का पाठ पढ़ाये, वही सच्चा गुरु कहलाये।

संकट में जो हँसना सिखाये, वही सच्चा गुरु कहलाये। ।

पग-पग पर परछाई सा साथ निभाये, वही सच्चा गुरु कहलाये।

जिसे देख आदर से सिर झुक जाये, वही सच्चा गुरु कहलाये। ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी., लैण्डमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इण्डियन एजुकेशन, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2009, पृ. 626
2. एड्मस् डॉन, डिफाइनिंग एजुकेशनल क्वालिटी-एजुकेशन प्लानिंग, 1993 9(3) 3-18
3. अली, एस. रिजवी, क्वालिटी इन एजुकेशन टीचिंग एण्ड लीडरशिप इन चैलेन्जिंग टाइम्स, 2007, वो. 2, पृ. 435-869
4. फीटर, एम., स्टूडेन्ट मैथेमेटिक्स एचिवमेंट टेस्ट स्कोर्स, रेट्स एण्ड टीचर केरेक्टरस्टिक्स, टीचर एजुकेशन क्वाटरली, 2001 28: 111, पृ. 151-168
5. इमाम अशरफ, क्वालिटी एण्ड एक्सीलेन्स इन टीचर एजुकेशन : इश्यूज एण्ड चैलेन्जेज इन इण्डिया, जेनिथ, वो. 1
6. कोठारी, डी.एस., चेयरमेन रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन (1964-66), गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू देहली, 1966
7. माहेश्वरी, ए.एन., ऐसेस्मेन्ट एण्ड एक्रीडिएशन इन डिटरमिनेशन एन मेन्टीनेन्स ऑफ नॉर्म्स एण्ड स्टैण्डर्ड फॉर टीचर एजुकेशन
8. घोष, सुनन्दा एवं मोहन राधा, एजुकेशन इन इमर्जिंग इण्डियन सोसायटी : द चैलेन्जर्स एण्ड इश्यूज, 2016 पृ. 40-46

नेहरू का प्रजातांत्रिक समाजवाद : आर्थिक न्याय का एक प्रतिमान

कैलाश चन्द सामोता

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

सामान्य रूप में समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्वपूर्ण एवं निर्णायक इकाई मानती है। समाजवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण या आधारभूत विशेषता है-समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता। यह उत्पादन, विनिमय एवं वितरण के साधनों पर सम्पूर्ण समाज के स्वामित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर आर्थिक न्याय की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करती है। यद्यपि यह राजनीतिक अवधारणा एक व्यापक एवं बहुरूपीय दर्शन के समान है। तथापि इसके मूल में पूंजीवादी व्यवस्था के उस अमानवीय और शोषणकारी प्रणाली के अन्त का लक्ष्य निहित है जो कि उस मानव को गरिमापूर्ण जीवन से वंचित करती है जिसके श्रम से उत्पादन या पूंजी का सर्जन होता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद इसके विकसित प्रकारों में से एक है जो कि परिवर्तन का आधार संवैधानिक और लोकतांत्रिक साधनों को मानता है। नेहरू के द्वारा आर्थिक न्याय के इसी प्रतिमान को भारत मे अपनाया गया। इस शोध पत्र का मुख्य ध्येय नेहरू के प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निहित आर्थिक न्याय के दर्शन की खोज करना है और इसी के साथ इस बात का परीक्षण भी करना कि नेहरू ने किस तरह इसे भारत के जनमानस तक विस्तारित करने के लिए सराहनीय एवं अविस्मरणीय भूमिका का निर्वहन किया। आर्थिक न्याय की संकल्पना को संविधान की प्रस्तावना में भी अभिवयक्त किया गया है और इसी तरह राज्य के नीति निदेशक तत्वों मे भी इसका उल्लेख है।

संकेताक्षर : *आर्थिक न्याय, प्रजातांत्रिक समाजवाद, मानवीय गरिमा, समतावादी समाज*

समाजवाद को एक ऐसे सिद्धान्त और आन्दोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि उत्पादन और विनिमय के साधनों पर सामान्य स्वामित्व एवं सामूहिक नियंत्रण के माध्यम से आम जनता के हित में समुदाय के संगठन का संचालन करता है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हर्बट मोरिसन के अनुसार समाजवाद के लिए आवश्यक है कि सभी बड़े उद्योगों एवं जमीन पर समाज का स्वामित्व हो और इनका संचालन निजी लाभ के बजाय सामान्य हित के लिए होना चाहिए।[1] समाजवाद बहुरूपीय स्वरूप में एक आन्दोलन है जो अपने नेतृत्वकर्त्ता के ऊपर निर्भर करता है। यद्यपि सबका ध्येय मानवीय गरिमा, उसका कल्याण एवं सर्वांगीण विकास करना है परन्तु सबका समान लक्ष्यों को प्राप्त करने का अपना भिन्न तरीका है जिसे अलग-अलग नामों से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणा है जो राज्य व व्यक्ति, व्यक्ति एवं आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक प्रणाली को एक अलग ही स्वरूप में स्थापित करने का समर्थन करती है। यह सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार में भी परिवर्तित हो जाती है जो इसे अनिश्चित बनाता है। आर्थिक संसाधनों पर केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वरन आजीविका के साधनों तक सबकी आसान पहूंच हो और वे सबके लिए सरलता से सुलभ हो। कोई भी केवल इस आधार पर अन्य व्यक्तियों का शोषण न कर सके। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दूसरे के शोषण कर शिकार न बनना पड़े।

एनसाईक्लोपिडीया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार- ''ऐसा सिद्धान्त है जिसका ध्येय केन्द्रीय लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा सम्पत्ति का अधिक अच्छा उत्पादन एवं वितरण करना है''

जी.डी.एच. कोल ''समाजवाद का अर्थ है चार समीपस्थ सम्बन्धित वस्तुएँ, एक मानवीय बन्धुत्व जो वर्ग भेदों को अस्वीकार व समाप्त करे, एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने पड़ोसियों

से बहुत अधिक धनवान या अधिक गरीब न हो ताकि वह समानता के स्तर पर उनसे मिलजुल कर रह सके, उत्पादन के सभी साधनों पर समाज स्वामित्व एवं उनका समान प्रयोग तथा सभी नागरिकों पर अपनी क्षमताओं के अनुसार एक-दूसरे की सेवा करने का दायित्व।''

आचार्य नरेन्द्रदेव- ''समाजवाद का लक्ष्य एक वर्गविहीन समाज की रचना करना है। यह वर्तमान समाज को इस प्रकार पुनर्गठित करना चाहता है कि उसमें शोषक व शोषित, उत्पीड़क व उत्पीड़ित जैसे परस्पर स्वार्थ वाले वर्गों का अन्त किया जा सके।''

इस तरह समाजवाद, व्यक्तिवाद या उदारवाद से उदित पूंजीवाद का अन्त चाहता है। राज्य एवं व्यक्ति को पूरक प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग और ''सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र'' में समानता स्थापित करने में विश्वास रखता है। समस्त कार्यप्रणाली का आधार समुदाय व उसका सामान्य हित होता है। यही समाजवाद का वास्तविक अर्थ है।[2] जो इसे अपने लक्ष्य अर्थात आर्थिक न्याय की तरफ ले जाता है।

सामान्य रूप से विचार करें तो इन समाजवादी चिन्तकों को प्राय: क्रान्तिकारी और विकासवादी दो सम्प्रदायों (साम्यवादी और श्रमसंघवादी) में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम नवीन समाज की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही या क्रान्ति को ही प्रभावी साधन या पद्धति मानता है जबकि विकासवादी स्कूल (समुदायवादी और गिल्ड समाजवादी) संवैधानिक एवं शान्तिपूर्ण विकसित साधनों में विश्वास करता है जो इन्हें न केवल संभवकारी वरन् अधिक स्थायी एवं प्रभावी भी मानता है।[3]

समष्टिवाद या राजकीय समाजवाद जिसे राज्य समाजवाद या सबका समाजवाद या कलेक्टिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर प्रथम दोनों विचारधाराएँ (साम्यवाद और सेण्डीकेलिज्म) क्रान्ति के लिए एकमत से सहमत है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अप्रत्यक्ष संसदीय पद्धतियों को अस्वीकार कर, सीधी कार्यवाही को महत्त्व देती है, वही समष्टिवाद इस ध्येय के लिए लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास रखती हैं यह सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करने में राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। अपने समाजवादी लक्ष्य शान्तिपूर्ण लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक साधनों द्वारा प्राप्त करने पर बल देती है। यह अवधारणा अपने विशिष्ट स्वरूप में ब्रिटेन में फेबियनवाद के रूप में और अन्य देशों में प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में विकसित होती है। यह समतावादी समाज की स्थापना के लिए राज्य को सकारात्मक व कल्याणकारी भूमिका प्रदान करती है। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर संचालित होती है। यह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से पूंजीवादी प्रणाली को विस्थापित करना चाहती है। सभी सामाजिक व आर्थिक बुराइयों को जन्म देने वाली प्रतियोगिता का अन्त कर सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देती है। केन्द्रीय लोकतांत्रिक सत्ता के द्वारा अधिक अच्छा उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित करती है।[4] समाजवाद को निश्चित ही लोकतंत्र में आगामी चरण या कदम के रूप में विवेचित किया जा सकता है। अन्तत: फेबियनवाद ही प्रजातांत्रिक समाजवाद का ब्रिटिश प्रतिमान है। जिसे 1958 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने स्वीकार किया तथा जो अमेरिका में न्यू डील का प्रमुख आधार बन गया।

प्रजातांत्रिक समाजवाद साधारणतया लोकतांत्रिक पद्धतियों, संसदीय सुधारों और आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया द्वारा यह विश्वास रखती है कि गरीब और वंचित समूहों तथा कामगारों के निर्वाचित प्रतिनिधि व नेता सार्वजनिक नीति को उनके हितों के अनुरूप ढालने में प्रभावशाली एवं निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी में अनेक राष्ट्रों द्वारा इसी विचारधारा को अपनाया गया। यद्यपि आज समय के अनुरूप इसमें बदलाव आ रहा है परन्तु मूल स्वरूप वैसा ही है। इस आन्दोलन का समर्थन करने वाले प्रमुख विचारक- ब्रिटेन के आर.एच. टॉनी, हेराल्ड लॉस्की, ईवान एफ.एम. डर्बिन, फ्रांसिस विलियम, क्लीमेण्ट एटली, सिडनी वैब, बर्नाड शॉ, अमेरिका में नार्मन थॉमस और भारत में आचार्य नरेन्द्रदेव, राममनोहर लोहिया, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान इस विषय पर अनेक बार गंभीर चिन्तन किया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात् भावी भारत में आर्थिक व सामाजिक संरचना कैसी होगी? आजादी के उद्देश्य व लक्ष्य क्या है? इस बहस की प्रक्रिया में दो महत्त्वपूर्ण नेतृत्व उभरकर सामन आए- महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू। दोनों ने भावी राष्ट्र के निर्माण के स्वरूप हेतु अलग-अलग ध्रुवों के समान विचारों का प्रतिपादन किया और इसी क्रम में अभिजात वर्ग के अनेक महानुभाव भी शामिल हुए जिसके परिणामस्वरूप दोनों के प्रतियोगी विकल्पों के बीच पारस्परिक संघर्ष भी हुआ। ब्रिटेन से आजादी के पश्चात् भावी भारत के निर्माण की तस्वीर को लेकर एक विचारक राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रदूत रहे तो दूसरी ओर आजाद भारत का लक्ष्य समतावादी समाजवाद को मानने वाले लोकतांत्रिक चिन्तक नेहरू। जिन्होंने स्वयं को अनेक भाषणों व लेखों में समाजवादी, गणतंत्रवादी उद्घोषित भी किया।[5]

जवाहरलाल नेहरू महान् भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी चिन्तक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान समाजवादी प्रवृत्तियों के उद्घोषक एवं भारत में उभरते हुए समाजवादी पथ पर एअरक्राफ्ट के रूप में छाये हुए थे। वे लोकतांत्रिक ढाँचे में ही धीमी गति से क्रमश: समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इसे प्राप्त करने की पद्धति कैसी हो और इस विचारधारा को समाजवाद की जनइच्छा के रूप में कैसे दिखाया जाये और इसका क्रियान्वयन किस तरह से हो? यह चिन्तन का विषय है। इस सन्दर्भ में उन दिनों ब्रिटिश समाजवाद या फेबियनवाद का नेहरू के विचारों पर व्यापक प्रभाव था।[6] वे फेबियन व ब्रिटिश समाजवाद की धारणा से अस्पष्ट रूप से प्रभावित रहते है लेकिन भारत में एक अलग ही परिदृश्य को देखकर उन्हें बहुत भिन्न स्थिति का एहसास हुआ।[7] नेहरू ने जब भारत के आम आदमी को गरीबी, अशिक्षा व बीमारी की समस्याओं से जुझते हुए देखा तो इस दिशा में बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने सोच लिया कि केवल समाजवाद ही इन समस्याओं का एकमात्र समाधान हो सकता है। उनका आधुनिक सोच वाला मस्तिष्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस केन्द्रीय समस्या के प्रति चिंतित हो गया। वस्तुत: नेहरू व्यावहारिक आदर्शवादी थे।[8] वे अपनी युवा अवस्था में फेबियन सोसायटी, ब्रिटिश समाजवादी विचारकों वेल्स, वेब्स और सबके लिए कार्य करने वाली प्रणाली से व्यापक रूप से प्रभावित थे।[9]

नेहरू के अनुसार मानव अपना मालिक स्वयं होता है और उसके पास प्राकृतिक शक्तियों पर भी विजय पाने एवं अपने को आवश्यकता के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। उनका मानना था कि सामाजिक पुनर्निर्माण, ज्ञान की व्यवस्थित प्राप्ति, विज्ञान व तकनीक की खोज ही भारत के विकास का आधार हो सकता है। वास्तविक अर्थो में नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा मानव के सम्मान, गरिमा व गर्व से युक्त रही है। वे इस साधन को प्रयोग में लाकर निर्धनता व बेकारी का अन्त करना चाह रहे थे। ताकि इसे (मानवीय गरिमा व प्रतिष्ठा) स्थापित कर सके।[10] मैं समाजवादी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व की समस्याओं के लिए समाजवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यह जरूरी नहीं है कि मैं प्रत्येक दूसरे समाजवादी से सहमत होऊं लेकिन आमतौर पर समाजवादी रूख वैज्ञानिक है और इससे मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। यह इतिहास की समस्याओं को और स्वयं इतिहास को समझने में मेरी सहायता करता है। यदि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास पर नजर डालता हूँ तो मुझे वर्तमान स्थिति को समझने में सहायता मिलती है क्योंकि वर्तमान की जड़ें अतीत में है।

यदि भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी युग (1920-1947) के दौरान समाजवादी आन्दोलन के इतिहास व संघर्ष पर नजर डालने का प्रयत्न करें तो पता चलता है कि इसके प्रति अन्य दलों का कैसा रूख रहा है, विशेषत: भारतीय साम्यवादी (सी.पी.आई.) और कांग्रेस समाजवादी दल (सी.एस.पी.) का। इस दौरान अनेक समाजवादी विचारकों (जो स्वयं को पक्का समाजवादी मानते थे) एम.एन.राय, जयप्रकाश नारायण, नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्द्धन, युसुफ मेहेरली, अशोक मेहता, डॉ. राममनोहर लोहिया, मिनू मसन्त, एन.जी गोर, एस.एम. जोशी और सुभाषचन्द्र बोस इत्यादि भारत की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का अपनी-अपनी शैली के अनुरूप विवेचन कर रहे थे। इन सबके बीच पारस्परिक विरोधाभास एवं संघर्ष जारी था। इसी दौर में गांधी के तीन बड़े आन्दोलन (असहयोग 1920-22, सविनय अवज्ञा 1930-34 और भारत छोड़ो 1942) चले जिनसे गुलामी का अन्त हुआ। द्वितीय महायुद्ध (1939-1945) के बाद लोकतंत्र व स्वतंत्रता का आदर्श पूरी दुनिया की आवाज बन गया। इसीलिए भारतीय इतिहास में इसे 'तूफानी अवस्था के काल' के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में इसी काल में नेहरू ने समाजवादी विचारों पर प्रकाश डाला तथा पूरा देश प्रेरणा एवं निर्देशन के लिए उनकी तरफ देखने लगा। इतना ही नहीं तीस के दशक में (1921-1930) आन्दोलन गांधी एवं नेहरू के संयुक्त नेतृत्व में संचालित हुआ। अत: इन्होंने एक निर्णायक स्थिति को प्राप्त कर लिया, यही कारण है कि इस युग की घटनाओं को नेहरू को केन्द्रीय स्थिति में रखकर वर्णित किया जाता है और भारत के पुनरुत्थान में उनके कार्यो का मूल्यांकन किया जाता है।[11]

गांधी के साथ-साथ नेहरू की विकास की नीति का विजन भी आजादी से पहले लम्बे समय का गठन था। नेहरू मार्क्सवाद, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फेबियन समाजवाद और सोवियत रूस के नियोजित विकास की क्रियान्विति से व्यापक रूप से प्रभावित रहे परन्तु समाजवाद की उनकी अपनी अवधारणा थी जिसके मूल में गांधी के विचारों से व्यक्त तत्व विद्यमान थे।[12] जैसा कि गांधी के विचारों से व्यक्त होता है। समाजवाद एक सुन्दर शब्द है जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाजवाद में समाज के सारे सदस्य बराबर होते है, न कोई नीचा और न कोई ऊंचा। जिस तरह मानव शरीर के सब अंग बराबर है, उसी तरह से समाज रूपी शरीर के सब अंग-बराबर होते है। यही समाजवाद है। इस वाद में राजा व प्रजा, धनी व गरीब, मालिक व मजदूर समान होते हैं।[13]

यह पूर्णत: सत्य है कि गांधी व नेहरू के बीच अनेक मुद्दों पर विवाद

रहा है परन्तु नेहरू का समाजवाद गांधीयन तरीकों को पूर्णत: अपनाता है। इसीलिए तो इसका नाम प्रजातांत्रिक समाजवाद पड़ा। उसने गांधी के नैतिक दृष्टिकोण, साधनों की पवित्रता के आग्रह को स्वीकार किया जबकि मानवीय समस्याओं, निर्धनता, बेकारी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक उपागम को अपनाया। नेहरू को सबसे गरीब व्यक्ति की मानवीय गरिमा एवं आत्म सम्मान की और इसके अनुरूप सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की बहुत चिन्ता थी। ऐसे चिन्तन की जड़ें भारतीय परम्परा के जीवन में रहने वाले तत्वों में विद्यमान थी जिस समय वैश्विक शान्ति व सहयोग को उन्नत करने की भी बात कही गयी। इस तरह समाज का यह समाजवादी स्वरूप लोकतांत्रिक, संवैधानिक, क्रमिक एवं शान्तिपूर्ण साधनों के आधार पर विकसित हुआ। इसकी धुन भारत की राष्ट्रीय प्रतिभा एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई थी जिसे नेहरू ने सिंचित किया। इस तरह नेहरू का समाजवादी नजरिया लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जिसे समतावादी समाजवाद के रूप में देखा जाता है।[14] गांधी व नेहरू में असमानताओं के साथ ही आधारभूत समानताएँ भी विद्यमान है। दोनों को विरासत में दूर दृष्टि प्राप्त हुई है; दोनों की किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा विशेष की तुलना में राष्ट्रीय पहचान स्थापित हुई। दोनों के द्वारा हिंसक साधनों को पूर्णत: अस्वीकार किया गया और तानाशाही की अपेक्षा लोकतांत्रिक शासन का प्रबल समर्थन किया गया है।[15] नेहरू की युवाओं से आजादी के अपील के समानान्तर गांधी के नेतृत्व ने उसकी राजनीतिक सफलता निर्धारित कर दी। नेहरू वास्तविक रूप में एक प्रजातांत्रिक एवं उदारवादी विभूति थे। उन्होंने साम्यवादी दर्शन को विद्यमान दशाओं व उनके विश्लेषण में उपयोगी माना लेकिन उसकी पद्धतियों को हिंसक होने के कारण नकार दिया। इस विभेद के कारण भारतीय साम्यवादी दल ने नेहरू की आलोचना की और उनके बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम (नेहरू व सी.पी.आई. पार्टी) पर सहमति नहीं बनी।[16] इसके अलावा भारत में दूसरे समाजवादी दल, जिसे कांग्रेस समाजवादी दल (सी.एस.पी.) के नाम से जाना गया, जिसका उदय भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान उत्पन्न शान्ति शून्यता को भरने के रूप में हुआ था। आन्दोलन के दोषी नासिक जेल में बन्द समाजवादी चिन्तकों (देव, मेहता व नारायण) ने भारतीय समस्याओं के समाधान हेतु अपना वैचारिक दृष्टिकोण रखा। सी.एस.पी. 17 मई, 1934, पटना में देव की अध्यक्षता में स्थापित दल था। जिसकी मेहनत पर द्वितीय महायुद्ध ने पानी फेर दिया व अन्तत: यह असफल हुआ। इस तरह नेहरू ने दक्षिण पंथ को भी नकार दिया। जिसका आभास नेहरू द्वारा कामरेड मसानी के प्रश्न पर कांग्रेस समाजवादी दल (सी.एस.पी.) को दिये गये निम्न सन्देश से भी होता है जैसा कि आप जानते हो मैं समाजवादी दृष्टिकोण के प्रति बेहद रूचिकर हूँ, यह मेरे दिमाग व कार्यों के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सहायता करता है। परन्तु मेरे मन में इस दृष्टिकोण के प्रति दो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, एक भारतीय परिस्थितियों में इसे कैसे लागू किया जायेगा? दूसरा समाजवाद को भारत की भाषा में कैसे बोलोगे? हम भारत के हृदय तक कैसे पहुँचेगे व उन्हें इसकी आशा व प्रेरणा किस तरह देंगें। इस प्रश्न पर सभी समाजवादियों को विचार करना चाहिए।[17] इस तरह नेहरू ने वाम एवं दक्षिण पंथ दोनों से अपनी लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा को संरक्षित रखा। यद्यपि दोनों की आलोचनाओं से वे नहीं बच पाये है।

नेहरू एक समाजवादी थे। उनके समाजवाद को मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में समझा जा सकता है। नेहरू का समाजवादी सिद्धान्त और .... से मुक्त था।[18] सितम्बर, 1928 में अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्षीय भाषण में नेहरू अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे कि - अगर आपका आदर्श सामाजिक समानता और विश्व संघ का है तो उस हालत में हमें समाजवादी राज्य कायम करना चाहिए। इस मुल्क में समाजवाद शब्द बहुत से लोगों को डरा देता है। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डर तो उनका साथी पहले से ही बना हुआ है। देश के नौजवानों के लिए जरूरी है कि वे उन शक्तियों व विचारों को समझे, जिनसे दुनिया में खलबली मची हुई है और अपने मुल्क में उन्हें लागु करे, क्योंकि आज की परेशान दुनिया के लिए समाजवाद ही एकमात्र आशा है। यह बड़ी ही दिलचस्प चीज है कि महायुद्ध के जमाने में पश्चिम के देशों के लिए एक महान संकट का डर पैदा हो गया था, उस समय यूरोप के पूंजीवादी देश बड़े पैमाने पर समाजवादी साधन अपनाने के लिए मजबूर हो गये थे।[19]

समाजवाद की चर्चा और लोगों के बीच हम इसलिए करना चाहते है कि हमें 'रोटी-कपड़ा व मकान' के मसले को हल करने का रास्ता निकालना है। हिन्दुस्तान में करोड़ों लोगों को न तो भरपेट खाना मिलता है और न ही तन ढ़कने को पूरा कपड़ा सिर्फ आजादी की बातचीत से आजादी नहीं मिल सकती। हम हिन्दुस्तान की समाज व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और अपने देशवासियों को दुनिया के आधुनिक राष्ट्रों की बराबरी पर लाना चाहते हैं, ताकि वे ज्यादा आराम की जिन्दगी बसर कर सके और उन्हें खाने के लिए हर रोज खुराक मिल सके।[20] भारत की आजादी के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक बात यह है कि व्यावहारिक रूप में भारतीय लोगों की गरीबी का अन्त हो और उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो।

नेहरू कहते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि इसके लिए पूंजीवाद या साम्यवाद या समाजवाद का सिद्धान्त हो वरन् प्रश्न का कठोर सत्य यह है कि यदि हम देश में विद्यमान भोजन, कपड़े व आवास की आधारभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो यह कोई मायने नहीं रखता है कि हम स्वयं के लिए पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या और कुछ कहलायें। यदि हम इन समस्याओं के समाधान में विफल हो जाते हैं तो हम चाहेंगे की कोई भी आये और इनके समाधान की कोशिश करे।[21]

राष्ट्रीयता की भावना हिन्दुस्तान में वर्षों से कायम है, लेकिन राष्ट्रीयता के साथ अगर समाजवाद को भी जोड़ दिया जाये तो आजादी का दिन नजदीक आ जायेगा, मैं जानता हूँ कि अगर समाजवादी विचारों का प्रचार करते हैं तो पूंजीपतियों से हमारी टक्कर होना लाजिमी है। परन्तु इस वजह से हम किसानों व मजदूरों की बेहतरी के लिए काम करने से नहीं रूक सकते। धरती माता के सच्चे बेटे वे लोग ही हैं और ये भारत राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। मुसीबत के सभी मौकों पर हमारा साथ देने वाले लोग तो सिर्फ मजदूर व किसान है। सम्पत्ति के उत्पादन में मदद करने व मेहनत करने वालों को भी उतने ही आराम से रहना चाहिए जितने आराम से दौलतमंद लोग रहते हैं। समाजवाद का मतलब है सहयोग। इसलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि आम जनता को ऊपर उठाने के लिए आप सब मिलकर काम करें।[22] नेहरू के ऐसे ही विचारों ने उसे लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रणेता बना दिया। सत्य रूप में उन्होंने समाजवाद को भारतीय रंग में रंग दिया।

सितम्बर, 1929 के अन्त में नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो उनकी आयु महज 39 वर्ष थी। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन (दिसम्बर, 1929 लाहौर) में वे एक क्रान्तिकारी चिन्तक के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे। उन्हीं के शब्दों में ''मुझे यह साफ कबूल कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और राजा-महाराजाओं में मेरा विश्वास नहीं है या उस व्यवस्था में ही जो उद्योग-व्यवसाय के उन आधुनिक महाराजाओं को पैदा करती हैं जिनका लोगों की जिन्दगियों और किस्मत पर पिछले राजा-महाराजाओं के भी मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा अधिकार है और जिनके तौर-तरीकों में वैसा ही लूटेरापन है जैसा कि पुरानी सामन्त तानाशाही में था।''[23]

उनके ऐसे विचारों से रूढ़िवादियों को गहरा झटका लगा। वे जानते थे कि कांग्रेस अभी पूर्ण समाजवादी कार्यक्रम को नहीं अपना सकती है लेकिन उन्हें विश्वास था कि उचित समय आने पर भारत इस पथ पर जायेगा.....यदि वह निर्धनता का अन्त करता हुआ दिखायी देता है।[24]

हमें यह समझ लेना चाहिए कि समाजवादी विचारधारा धीरे-धीरे सारी दुनिया के ही सामाजिक ढाँचे में घर कर चुकी है और मतभेद की कुछ बातें रह गई है तो लगभग यही कि उस तक पहुँचने की रफ्तार व तरीके क्या रहे। हिन्दुस्तान को भी यदि गरीबी एवं असमानता को समाप्त करना है तो उसी रास्ते पर जाना होगा, हालांकि वह शायद अपने अलग ही तरीके गढ़कर तैयार करे और इस आदर्श में हेर-फेर करके इसे अपनी जीवनधारा की विशिष्टता के अनुकूल बनाये। हिन्दुस्तान का मतलब है किसान व मजदूर और जिस हद तक हम उन्हें ऊपर उठाते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी हद तक अपने लक्ष्य में कामयाब होते हैं।[25]

विस्तृत समाजवादी साहित्य का अध्ययन करने के लिए नेहरू ने आर्थिक विकास एवं सामाजिक समानता को स्थापित करने में समाजवाद को एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार कर लिया। कराची अधिवेशन 1931 ई. में पहली बार कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक रूप से इसके प्रति अपना पक्ष रखा गया।

कराची कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए 'न्यूनतम कार्यक्रम' के निर्माण में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें भारतीयों के लिए बोलने एवं संगठन बनाने, कानून की समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और पंथनिरपेक्ष राज्य जैसे अधिकारों की प्रत्याभूति के साथ ही ऐसे ही अनेक सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को रखा गया। प्रस्ताव दक्षिणपंथ के कुछ विरोधाभास के पश्चात् पारित हो गया। ये अधिकार लगभग दो दशकों के बाद संवैधानिक रूप में भारत के लोगों तक पहुँचे।[26] प्रस्ताव से स्पष्ट है कि नेहरू का ध्येय 'आर्थिक सुरक्षा एवं स्वतंत्रता' दोनों को ही संरक्षण देना था। ''मौलिक अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम'' के कराची प्रस्ताव में नेहरू का विजन एक झलक प्रस्तुत कर रहा था।

जैसा कि नेहरू ने स्पष्ट किया कि यह जनता के शोषण की व्यवस्था का अन्त है, राजनीतिक स्वतंत्रता में ही आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल किया जाना चाहिए, जिसकी आकांक्षा करोड़ों लोग कर रहे हैं। इनके अभाव में स्वयं का शासन भी असंभव होगा अथवा किसी भी संविधान का निर्माण इन सभी विश्वासों पर होना चाहिए।[27] नेहरू आजाद भारत के लिए निर्मित संविधान में इन्हें शामिल करने में सफल रहे।

लोकतंत्र एवं समाजवाद दोनों के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले नेहरू ने अनेक समाजवादी विचारकों एवं अनेक देशों में समाजवाद की स्थिति को ध्यान में रखकर अन्तिम रूप से

भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ही समाजवाद के तरीके को स्वीकार किया। जैसा कि सुरजनदास ने लिखा है कि नेहरू ने सभी सैद्धान्तिक अभ्यासों के परिणामस्वरूप निर्धारित किया कि सभी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिए एकमात्र समाधान समाजवाद ही हो सकता है।[28]

12 अप्रैल, 1963 को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने अपने विचार व्यक्त किये -

''मेरा विश्वास है कि विश्व एवं भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी समाजवाद के पास ही है और मैं जब इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो अस्पष्ट-मानववादी के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक सिद्धान्त से भी कुछ बड़ी बात है, यह एक जीवन दर्शन है और इस रूप में मुझे प्रभावित करता है। समाजवाद के अलावा गरीबी, विकराल बेकारी अध: पतन और भारतीय जनता की गुलामी को समाप्त करने का कोई दूसरा रास्ता मुझे नजर नहीं आता है। इसके लिए हमें हमारी राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना में विद्यमान-जमीन एवं उद्योग धन्धों में निहित स्वार्थों और भारतीय रजवाड़ों की सामन्ती एवं स्वेच्छाचारी व्यवस्था को समाप्त करना अनिवार्य है। इसका मतलब सीमित अर्थ में व्यक्तिगत सम्पत्ति का विलोप और लाभ प्रणाली पर आधारित व्यवस्था को सहकारिता (पारस्परिक सहयोग) के उच्च आदर्श में परिवर्तित करना है और अन्तत: मूल वृत्तियों, आदतों एवं इच्छाओं को बदल देना। संक्षेप में इसका मतलब होगा एक नवीन सभ्यता की स्थापना जो विद्यमान पूंजीवादी व्यवस्था से बुनियादी तौर पर भिन्न होगी।[29]

राष्ट्र निर्माण के सामाजिक संगठन के लिए समाजवाद एक आर्थिक नीति है और केवल वही देश की समस्याओं का समाधान कर सकती है। जहाँ तक ग्रामीण ऋणों का सवाल है, देहात के लोग पहले से ही विद्यमान आर्थिक प्रणाली से शोषित है और यह प्रणाली अपनी उपयोगिता खो चुकी है। आप चाहें या ना चाहें, समाजवाद आकर रहेगा। दुनिया के बदलते हालात से यह बात जाहिर है। हालात रोजाना बदलते हैं मेरी तो बात ही क्या है, मेरे जैसे हजारों लोग भी नये उभरते विचारों को रोक नहीं सकते। मेरा विश्वास है कि समाजवाद ही सबसे सफल माध्यम है।[30] इस तरह नेहरू ने अपने प्रभावी विचारों से भारतीय जनमानस के मन को गहरायी से स्पर्श कर लिया।

समाजवाद अच्छा या बुरा हो सकता है, यह सुदूर भविष्य का कोई सपना हो सकता है। परन्तु हिन्दुस्तान के प्रत्येक विद्यालय स्तर के बच्चे को भी जानना चाहिए कि समाजवाद एक ऐसा आर्थिक सिद्धान्त है जो उन समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान खोजने की कोशिश करता है जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। यह इतिहास को देखने की एक दृष्टि है। राजनीतिक संघर्ष में भी समाजवादी दृष्टिकोण से मदद मिलती है, आजादी का मतलब होना चाहिए-जनसाधारण के शोषण का अन्त अथवा आर्थिक न्याय की प्राप्ति। इसकी नजर और आगे तक जाती है। इसका ध्येय एक ऐसे समाज का पुनर्निर्माण जिसमें लाभ कमाने की प्रेरणा के लिए कोई स्थान न हो। सामाजिक सहयोग की भावना प्रेरणा का स्रोत बने। यह उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण कर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है।[31] इसे और विस्तृत रूप से सोवियत संघ के प्रतिनिधि मण्डल के गठन से पूर्व इन शब्दों में व्यक्त किया गया -

''हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिखाया है कि हमें अपने घर के दरवाजे एवं खिड़कियों को खुला रखना चाहिए ताकि पृथ्वी पर चारों ओर से आने वाली ताजा हवाओं के झोंके अन्दर प्रवेश कर सकें, परन्तु गांधी यह चेतावनी भी देते हैं कि हम बाहर से आने वाले उस तूफान को अनुमति नहीं देवें जो कि हमारे घरों को उड़ा दे।[32] अर्थात् हमारे देश में विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल ही समाजवाद के स्वरूप को अपनाकर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है।

एक मित्र ने नेहरू के प्रति भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ''ट्राटस्की के समान ही तुम्हारा भी अन्त हो जायेगा'' नेहरू ने उदासी के साथ मुस्कुरा दिया। ऐसी ही एक चेतावनी मोहम्मद अली के द्वारा की गयी -''तुम्हारे कुछ वर्तमान साथी तुम्हें निर्जन कर देंगे, तुम्हारे कांग्रेसमेन तुम्हें फांसी के तख्ते पर भेज देंगे।'' लेकिन नेहरू फिर भी इसमें और ज्यादा शामिल रहे। वे जानते थे कि उसका भाग्य भी राष्ट्र की नियति का ही एक भाग है। नेहरू का समाजवाद ''आर्थिक एवं सामाजिक न्याय'' का शुभ संकेतक बन गया।[33]

मानवता की शान्तिप्रिय एवं अनन्त प्रगति तार्किक या विवेकशील समाजवाद के रूप में ही संभव है, जहाँ आधुनिक विश्व का संचालन करने वाली वास्तविक शक्तियाँ परोपकारी आदर्शों एवं मूल्यों से निर्देशित होती है। जिसका आभास हम टेविसन के इस वाक्य से कर सकते हैं कि - ''प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी अच्छे लोगों में पाये और सभी लोगों के लिए कर्म ही महान बन्धुत्व या भातृत्व की भावना हो''[34] निश्चित रूप से ऐसे विचार विश्व बन्धुत्व की भावना को पोषित कर वैश्विक मानव समाज के आदर्श को स्थापित करने के लक्ष्य को व्यक्त करते हैं। इस मानवीय समाज में सब अच्छे मानव होते हैं। नेहरू पश्चिम में

प्रचलित समाजवाद के हितैषी या नेकदिल प्रशंसक नहीं थे, उन्होंने इस सिद्धान्त को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, अनुभव किये गए आवश्यक बदलाव करके रूपान्तरित कर दिया।[35]

नेहरू पर नियति की मेहरबानी बरसी और उन्हें अपने विचारों को व्यवहार में लागू करने का अवसर आजादी के बाद प्राप्त हुआ। नेहरू ने समाजवाद का एकमात्र विकल्प पंचवर्षीय योजनाओं एवं मिश्रित आर्थिक प्रणाली के रूप में खोजा। आर्थिक-नियोजन की प्रक्रिया में वामपंथी 1956 ई. की औद्योगिक नीति में समाजवादी स्वरूप को तो स्वीकार कर रहे थे परन्तु समतावादी प्रारूप को नहीं।[36] इन सबके बावजूद भी नेहरू किसी भी रूप में भारत में विद्यमान समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे थे।

उनका समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद था। यह कम या अधिक रूप में ईरान एफ.एम. दुर्बिन के ब्रिटिश लोकतांत्रिक समाजवाद के समान ही था। नेहरू ने सामाजिक पुनर्निर्माण एवं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में समय रहते समाजवाद के महत्त्व को समझ लिया था। समाजवाद के माध्यम से भारत के लिए प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को 1948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया। इस प्रस्ताव में मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ तकनीक परिवर्तन की शर्त पर समाजवादी आर्थिक प्रणाली के महत्त्व को समझाया गया। उन्होंने 15 मार्च, 1950 ई. को योजना आयोग की स्थापना की और नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के अवसर प्राप्त कराने के प्रयास किये। योजना आयोग तो उनके विचारों को-व्यावहारिक रूप देने वाला उपकरण साबित हुआ।

इसमें सरकारी व निजी के साथ-साथ विदेशी सहभागिता को भी स्वीकार किया गया। उनकी नियोजित प्रणाली लोकतांत्रिक और पूर्ण आर्थिक वृद्धि के प्रति उदार थी। वास्तव में नेहरू ने भारत को लोकतांत्रिक राज्य की तुलना में ज्यादा समाजवादी राज्य बनाया। नेहरू एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे न कि पारस्परिक विरोधाभासी।[37]

दिसम्बर, 1963 को आयोजित जयपुर अधिवेशन में लोकतंत्र और समाजवाद पर चर्चा की गई। बाद में भुवनेश्वर (उड़ीसा) में 8,9 10 फरवरी, 1964 को आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में 'लोकतंत्र और समाजवाद' के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। श्री यू.एन. ढ़ेबर की अध्यक्षता में वर्किंग कमेटी ने मई, 1964 को इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जो मुम्बई में स्वीकृत हुई। नेहरू के निर्देशन ने कांग्रेस पार्टी को सही दिशा दी। नेहरू ने अपने विचारों को एक निश्चित प्रारूप प्रदान किया जिन्हे अब लागू करने का समय था। इस प्रारूप में - ''भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए, महिला एवं बच्चे प्रसन्न रहें, विभिन्न समुदायों, वर्गो के बीच विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक स्टेट्स की चौड़ी खाई को कम करना, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन और प्रत्येक व्यक्ति लोकतांत्रिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त करेगा, राष्ट्र इन लक्ष्यों को पांचवीं योजना के अन्त तक प्राप्त कर सकेगा।''[38]

यह प्रस्ताव स्पष्ट कर रहा था कि नेहरू अपने उस लक्ष्य से दूर नहीं गये जो उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान तय किया था, वे अपने वादे से नहीं मुकरे वरन् उसे अपने अन्तिम समय तक पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहे। वे हिंसक क्रान्ति के बिना लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाज के समाजवादी पुनर्निर्माण हेतु सिद्धान्तों एवं विचारों के समूह को विकसित कर रहे थे। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि समाजवाद, लोकतंत्र के बिना भारत में निरंकुश हो जायेगा। भारत में विद्यमान दशाओं में द्रुत परिवर्तन इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता में अन्धविश्वास, धार्मिक कट्टरता और अज्ञानता ने गहरी जड़ें जमा रखी थी। यहाँ वर्ग विभेद उतना गहरा नहीं था क्योंकि सर्वहारा वर्ग कुछ औद्योगिक केन्द्रों तक ही सीमित था। यद्यपि किसान वर्ग भारतीय समाज का एक विशाल खण्ड था, परन्तु इसमें सामाजिक चेतना का अभाव था और वे बहुत रूढ़िवादी थे। इसीलिए नेहरू को सब तथ्यों को ध्यान में रखकर ही अपने विचारों के अनुरूप समाजवाद के एक नवीन स्वरूप को अपनाना पड़ा।

नेहरू के समाजवाद में एक ओर अनोखा तत्व रहा है जिसे जमीनी लोकतांत्रिक समाजवाद या वास्तविक समाजवाद कहा जा सकता है। निश्चय ही वह दुनिया में एक अद्वितीय विचार रहा है जिसने आर्थिक न्याय की प्राप्ति की ओर सच्चा कदम बढ़ाया। भूमि सुधार प्रणाली उनकी सामाजिक नीति का अनिवार्य अंग था। स्थायी बन्दोबस्त बंगाल तक पहले ही विद्यमान थी जिसे नेहरू ने अभियान चलाकर उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों के तालुकेदार व जमींदारों तक विस्तृत किया। भूमिपतियों या जमींदारों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और संविधान द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति के अधिकार की सुरक्षा का सहारा लिया। जमींदारी प्रथा उन्मूलन करने के लिए नेहरू संवैधानिक संशोधन लेकर (9वीं अनुसूची जोड़ी गई) आये परन्तु फिर भी किसानों को इस भूमि सुधार का अन्तिम रूप से लाभ अपर्याप्त रहा। बहुत से जमींदार स्वाभाविक रूप से निष्ठावान कांग्रेसी थे, जो इस प्रथा के लिए प्रतिरक्षक हवा का काम कर रहे थे।[39]

भूमि की समस्या एक छिद्र के समान हो गयी और भूमिहीन मजदूरों की समस्या को गंभीरता से नहीं उठाया गया, विनोबा भावे ने अपने-भूदान आन्दोलन और ग्रामदान आन्दोलन के माध्यम से 14 हजार मील पैदल चलकर स्वैच्छिक भू-त्याग (उपहार) से

भूमि की समस्या का समाधान किया जिसे सुलझाने में सरकार का कानून विफल हो गया था। पौधरोपण, ग्रामीण उत्थान, ग्रामीण सहयोग, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि नेहरू के सामान्य दृष्टिकोण के भाग थे। वे गांव एवं नगर में विद्यमान 'हम' और 'वे' के भेद को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे।[40]

भारत में सभी प्रान्तों में विद्यमान भू-स्वामित्व प्रणाली सामाजिक असमानताओं, कृषि सुधारों ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना को अपरिहार्य बनाया। वस्तुत: नियोजन प्रणाली नेहरू के दूरगामी दृष्टिकोण 'समतावादी समाज के ढांचे' को ही स्थापित करने की रणनीति थी। जमींदारी व्यवस्था के कारण वास्तव में भूमि पर खेती करने वाले किसानों का शोषण किया जाता था और अन्तत: उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। जब भूमि खेतिहर लोगों को हस्तांतरित की गयी तो इसका एक विशेष महत्त्व स्थापित हुआ क्योंकि संस्थात्मक ढांचे के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। खेतिहर मजदूरों को कानून द्वारा जमीन की सुरक्षा और संरक्षण दिया गया। उसके व उपभोक्ता के बीच विद्यमान मध्यवर्तियों व बिचौलियों के कारण लदे हुए ऋण का भार समाप्त हो गया।

इस प्रकार उन्हें समान सामाजिक स्थिति प्राप्त करने, समानता के अवसर को समझने तथा अन्य लोगों के साथ आनन्दमयी जीवन को महसूस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। असमानता को दूर करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 'सहकारिता के सिद्धान्त' को स्थापित किया गया और सहकारी समितियों का सर्जन किया गया तथा सहकारी कृषि एवं सहकारी विपणन की व्यवस्था भी की गयी। इस प्रकार अन्य सुधारों के रूप में भारतीय कृषि को फायदे के सौदे में बदलने का प्रयास किया गया। इस प्रकार की योजना के माध्यम से विकास की प्रक्रिया की शुरूआत ने भारत के कोने-कोने को स्पर्श किया। अन्तत: पुन: कहें तो निश्चय ही वे अपने लक्ष्य की ओर (समतावादी समाजवाद या आर्थिक न्याय) आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे।[41]

इस तरह आधुनिक भारत के शिल्पकार अपने भाग्य को भारत के लोगों (गरीब किसानों, मजदूरों, कामगारों) की तकदीर का एक हिस्सा मानकर आजीवन राष्ट्र के भाग्य को उज्वल बनाने में लगे रहे। आजादी के सपने को सच करने के संघर्ष की जो शुरूआत असहयोग आन्दोलन से की, वह समाजवाद, आर्थिक न्याय और लोकतंत्र के रास्ते से गुजरती हुई पूरी दुनिया को एक अनन्त प्रेरणा दे गयी। अपनी ब्रिटिश शिक्षा के द्वारा जो उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद व लोकतंत्र के आदर्शों का अध्ययन किया उन्हें भारत में आकर पारम्परिक जीवन में खोजने की कोशिश की। गांधी के निष्ठावान अनुयायी बनकर भारत में समाजवाद, आर्थिक न्याय व लोकतंत्र के बीच अच्छे गुणों को मिश्रित स्वरूप देने की अद्भुत क्षमता का उपयोग किया।

नेहरू ने मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए समाजवाद और इन्हें प्राप्त करने एवं बनाये रखने के लिए लोकतंत्र (समानता, न्याय बिना हिंसा के) अर्थात् लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धान्त को भारत में व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि वे अपने समतावादी लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श को पूर्णत: स्थापित किये बिना ही इस संसार से विदा हो गये। परन्तु इस दुनिया को सिखाये गये मूल्यों एवं आदर्शो के लिए वे विश्व इतिहास में अमर हो गए। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए नेहरू के प्रयास हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे।

सन्दर्भ सूची

1. अप्पादुरई, ए., दि सब्सटेन्स ऑफ पॉलिटिक्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2015, पृ. 115
2. प्रभु, आर.के. (संग्राहक), 'गांधीजी, मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2006, पृ. 27
3. वही, पृ. 116
4. अप्पादुरई, ए., दि सब्सटेन्स ऑफ पॉलिटिक्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2015, पृ. 122-123
5. विशेषत: 1929 में लाहौर अधिवेशन के सभापति के रूप में।
6. विश्वनाथन, के.वी., जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक सोशियालिज्म, इण्डिन जर्नल आफ पॉलिटिकल साईंस, आई. पी.एस.ए., वाल्यूम 26, अक्टूबर, 1965, पृ. 91-99
7. गांगुली, बी.एन., नेहरू एण्ड सोशियालिज्म इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली, स्पेशन ईश्यू, जुलाई 1964, पृ. 1213
8. विश्वनाथन, के.वी., जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक सोशियालिज्म, इण्डिन जर्नल आफ पॉलिटिकल साईंस, इण्डियन पॉलिटिकल सांईस एसोसिएशन, वाल्यूम 26, अक्टूबर-दिसम्बर 1965, पृ. 91-99
9. उपर्युक्त
10. साची, सव्या, नेहरू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियालिज्म, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, स्पेशल ईश्यू, जुलाई 1964, पृ. 1227-1230
11. भांभरी, सी.पी. एण्ड भांभरी, सी.पी., नेहरू एण्ड सोशियालिस्ट मुवमेण्ट इन इण्डिया (1920-47), द इण्डियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साईंस, इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, वाल्यूम 30, नं. 2, अप्रैल-जून 1990, पृ. 130-131
12. भट्ट, वी.वी., डवलपमेंट प्रोबल्म स्ट्रेट्जी एण्ड टेक्नोलॉजी चॉईस : सर्वोदय एण्ड सोशियालिस्ट एप्रोच इन इंडिया इकोनोमिक चेंज एण्ड कल्चरल डवलपमेंट, वॉल्यूम-31, 1 अक्टूबर, 1982, दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, पृ. 91-92

13. गांधी, मेरे सपनों का भारत, प्रभु आर. के. (संग्राहक), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2006, पृ. 25-28
14. भट्ट, वी.वी., डवलपमेंट प्रोबल्म स्ट्रेट्जी एण्ड टेक्नोलॉजी चॉईस : सर्वोदय एण्ड सोशियालिस्ट एप्रोच इन इंडिया इकोनोमिक चेंज एण्ड कल्चरल डवलपमेंट, वॉल्यूम-31, 1 अक्टूबर, 1982, दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, पृ. 91-92
15. गुहा, रामचन्द्र (सम्पादित), मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, पेग्विन बुक्स इण्डिया, 2012, पृ. 327
16. भांभरी, सी.पी. एण्ड भांभरी, सी.पी., नेहरू एण्ड सोशियालिस्ट मुवमेण्ट इन इण्डिया (1920-47), इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, वाल्यूम 30, नं. 2, इण्डियन पॉलिटिकल साईंस एसोसिएशन, अप्रैल-जून, 1969, पृ. 130-131
17. उपर्युक्त, पृ. 134-140
18. सहगल, नयनतारा (सम्पादित), नेहरूज इण्डिया ऐसे ऑन दि मेकर ऑफ ए नेशन स्पीकिंग टाईगर पब्लिशिंग प्रा.लि., नई दिल्ली, 2015, पृ. 09
19. नेहरू, जवाहरलाल, अखिल बंगाल छात्र परिषद के अभिनन्दन का उत्तर 25 सितम्बर, 1928, गोपाल, एस. (मुख्य सम्पादक), ''जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय'' खण्ड-3, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, पृ. 186
20. नेहरू, जवाहरलाल, लाहौर में दिया गया भाषण 1929, गोपाल एस. मुख्य सम्पादक, समाजवाद और साम्यवाद जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय, खण्ड-3, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, पृ. 2,3
21. नन्दा, वी.आर., जवाहरलाल नेहरू रेबेल एण्ड स्टेटसमेन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1995, पृ. 192-193
22. उपर्युक्त, पृ. 2-3,
23. सिंह, आर.एन.पी., नेहरू ए ट्रबल्ड लेगेसी विजडम ट्री अंसारी रोड, नई दिल्ली, 2015, पृ. 142
24. ब्रेचर, माईकल, नेहरू : ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो, 1959, पृ. 144
25. नेहरू, जवाहरलाल, लाहौर में दिया गया भाषण 1929, गोपाल एस. मुख्य सम्पादक, समाजवाद और साम्यवाद जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय, खण्ड-3, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, पृ. 194-196
26. थरूर, शशि, नेहरू दि इनवेन्शन ऑफ इण्डिया, पेग्विन बुक्स, 2012, पृ. 75
27. सीतारम्मैया, डॉ. पट्टाभि, दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस, वॉल्यमू-1, 1885-1955, पदमा पब्लिकेशन लिमिटेड, मुम्बई, 1946, पृ. 463-465
28. दास, सुरजन, दि नेहरू ईयर्स इन इण्डियन पॉलिटिक्स, एनीवर्ग पेपर्स इन साउथ एशियन स्टडीज, 2001, पृ. 14-15
29. दंतावते, मधु, जयप्रकाश नारायण : स्ट्रगल विथ वेल्यूज, एलाईड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2002, पृ. 180-181
30. नेहरू, जवाहरलाल, लायलपुर के व्यापारियों के शिष्टमण्डल को जबाव, जून, 1936, (द ट्रिब्यून, 2 जून, 1936), गोपाल एस. (सम्पादित), समाजवाद और साम्यवाद जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय से खण्ड-7, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1976, पृ. 258
31. गोपाल एस. (स.), जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय से खण्ड-7, सस्ता साहित्य मण्डल, 1979, दिल्ली, पृ. 269
32. आनंद, मुल्कराज, जवाहरलाल नेहरू एण्ड सोशियालिस्ट ह्यूमनिज्म इन शर्ले, ए.एच., 'जवाहरलाल नेहरू सेवण्टी ईयर्स', (सम्पादित), जय गुजरात प्रिंटिंग प्रेस, बाम्बे, 1959, पृ. 8-10
33. हाजरी, नारायन, डमोक्रेटिक सोशियालिज्म एण्ड जवाहरलाल नेहरू, द इण्डियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साईंस, वाल्यूम-26, नं. 4, इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसीयेशन, अक्टूबर-दिसम्बर 1965, पृ. 100-101
34. उपर्युक्त, पृ. 25-26
35. उपर्युक्त, पृ. 27-28
36. दास, सुरजन, द नेहरू ईयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, एनीवर्ग पेपर्स इन साउथ एशियन स्टडीज, 2001, पृ. 14-15
37. विश्वनाथन, के.वी., जवाहरलाल नेहरू कान्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशियालिज्म, इण्डिन जर्नल आफ पॉलिटिकल साईंस, इण्डियन पॉलिटिकल सांईस एसोसिएशन, वाल्यूम 26, अक्टूबर-दिसम्बर 1965, पृ. 91-99
38. उपर्युक्त, पृ. 96-99
39. स्पीयर, पर्सिवल, नेहरू, मॉडर्न एशियन स्टडीज, वाल्यूम-1, नं. 1, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1967, पृ. 25-26
40. उपर्युक्त, पृ. 25-26
41. सी.सेन, जिओ काश्यप, जवाहरलाल नेहरू, सिविलाइजेशन्स, वाल्यूम 14, नं.1/2, इन्स्टीट्यूट डे सोशियोलॉजी डेल यूनिवर्सिटी डे बर्कलेस, 1964, पृ. सं. 30

गुटनिरपेक्ष आंदोलन : कल, आज और कल, उसका बदलता हुआ स्वरूप एवं प्रासंगिकता

डॉ. राम चन्द्र

अतिथि शिक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

शोध सारांश

गुट-निरपेक्षता की नीति का अर्थ था गुटों की राजनीति से दूर रहना, दोनों गुटों के साथ मैत्री रखना, किसी के साथ भी सैनिक संधियाँ न करना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। इन देशों के सामने स्वतंत्रता बनाये रखने, अपना आर्थिक और वैज्ञानिक विकास करने एवं जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौतियां थी। ऐसी स्थिति में भारत के पास दो विकल्प थे। या तो वह किसी सैन्य गुट में शामिल हो या इन गुटों से दूर रहते हुये स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करे। दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी हैं जो साम्यवादी अथवा गैर-साम्यवादी गुट के साथ बंधे हुए थे पर बाद में गुट के बंधन से मुक्त होकर गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर आ गए (इनके उदाहरण हैं क्यूबा, ईराक और यूगोस्लाविया)''। गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता है। शिखर सम्मेलन में प्राय: चार प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं-पूर्व सदस्य पर्यवेक्षक राज्य सदस्य, पर्यवेक्षक गैर-राज्य सदस्य और अतिथि। शिखर सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति समय के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील और व्यवहारिक बनती जा रही है। आज का युग अर्थात 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। इसलिए आज यह आवश्यक है, कि गुट निरपेक्ष देशों में प्रत्येक को यह तय करना होगा, कि वह यूरोप, अमरीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि के साथ अपने सम्बन्धों को कैसे बेहतर आर्थिक रूप दे ? इसमें अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के साथ-साथ विश्व बाजार की जरूरतों का ध्यान भी रखना होगा। अत: विकासमान देशों का अधिक लाभ इसी में हैं कि सूचना संचार प्रणाली और आधुनिक बाजार द्वारा प्रदान किये गये अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग कर विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान बनायें। आज जो देश स्वयं को जितना ही आधुनिक बनायेगा, नई विश्व-व्यवस्था बनाने में उतना ही उपयोगी होगा।

संकेताक्षर : *नव-साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, प्रासंगिकता, गुट निरपेक्ष, पृथकता, विस्तारवाद, तटस्थता*

द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व परिदृश्य में जबकि दुनिया दो विचारधाराओं में अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में बंटी थी, नव स्वतंत्र देशों के लिए इन्हीं में से किसी के साथ होने के अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था। किन्तु भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया के, पंडित जवाहर लाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो जैसे नेताओं के सतत् प्रयासों से उक्त दोनों गुटों से भिन्न जनतांत्रिक वैश्विक आन्दोलन के रूप में समय के साथ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जो कि कालक्रम में तीसरी दुनिया के रूप में नव स्वाधीन देशों की एक सांगठनिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ, जिसे दोनों महाशक्तियाँ भी नजर अंदाज नहीं कर सकती थी।[1] गुटनिरपेक्षता का विकल्प उपलब्ध होने में 15 वर्षो का समय लगा। पुन: राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्रों का आन्दोलन होने के कारण इसकी आरम्भिक विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से कम थी, यही कारण है कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व परिदृश्य में 'सामूहिक सुरक्षा' की अवधारणा के अनुरूप सैनिक एवं राजनैतिक गठबंधनों का सिलसिला मिलता है। इस दृष्टि से अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय मित्र देशों का नाटो संगठन, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों का वार्सा वैक्ट, अरब देशों का सेंटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सीटो, इनके अतिरिक्त अरब लीग जैसे विशुद्ध राजनैतिक संगठन बनाये गये। दूसरे शब्दों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनैतिक और सैनिक गुटबंदी यूरोप तक सीमित नहीं रही, अपितु विश्वव्यापी हो गई। दूसरी ओर आण्विक शस्त्रों के रूप में सर्वविनाशक हथियारों की उपलब्धता के कारण महाशक्तियों

की रुचि सशस्त्र संघर्ष में ना होकर संघर्ष की धमकी तक सीमित रह गई। दूसरे शब्दों में द्वितीय महायुद्ध के बाद महाशक्तियों में उपलब्ध होने वाली 'नाभिकीय प्रतिरोधकता' ने युद्ध का स्वरूप बदल कर 'शान्ति युद्ध' के रूप में अन्तरित कर दिया, जिसका राजनैतिक परिणाम परम्परागत क्षेत्रीय साम्राज्यावाद के स्थान पर विचारधारात्मक विस्तारणवाद अथवा नव साम्राज्यवाद के रूप में सामने आया। दूसरे शब्दों में महाशक्तियां अपनी प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर अपेक्षित देशों में राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक सुविधायें बिना प्रत्यक्ष नियंत्रण के ही प्राप्त करती, अर्थात नव उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का विस्तार समूचे वैश्विक परिदृश्य में उपस्थित हो गया।

गुटनिरपेक्षता की नीति पिछले पांच दशकों से अधिक समय से चल रही हैं और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के दो-तिहाई से अधिक सदस्य इसे व्यवहार में ला रहे हैं, तथापि जहां तक 'गुटनिरपेक्षता' शब्द की सही-सही व्याख्या का प्रश्न है, इसके निहितार्थ को लेकर आजतक राजनीतिक-विश्लेषकों में भ्रांतियां बनी हुई हैं। जॉर्ज श्वार्जन बर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए इससे संबंधित छ: अर्थो की व्याख्या की है और गुटनिरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया है। ये छ: धारणाएं हैं-

- **अलगाववाद-** ऐसी नीतियों का समर्थन करता है, जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहें।
- **अप्रतिबद्धता-** का अभिप्राय है, किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान सम्बन्ध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना।
- **तटस्थता-** एक देश की वह कानूनी एवं राजनीति स्थिति है, जो किसी युद्धों के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती।
- **तटस्थीकरण-** अर्थात् देश हमेशा के लिए तटस्थ है, और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता है।
- **एकपक्षवाद-** इस सिद्धान्त का मत है, कि प्रत्येक देश को नि:शस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं, या नहीं।
- **असंलग्नता-**विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है, और यह बताती है, कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए।[2]

श्वार्जन का अभिमत है कि गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त सभी अवधारणाओं से भिन्न एवं विशिष्ट है। वस्तुत: यह मैत्री संधियों या गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नीति एवं कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनायी रखी जाये। गुट निरेपक्ष शब्द का अर्थ, तटस्थता, पृथकता इत्यादि से लगाया जाने लगा। जिसके विरोध के संदर्भ में 17 अक्टूबर 1960 को ''संयुक्त राष्ट्र महासभा'' में भारतीय प्रतिनिधि 'कृष्ण मेनन' ने कहा था कि ''हम तटस्थतावाद की संज्ञा स्वीकार नहीं कर सकते। वस्तुत: यह शब्द उन लोगों ने गढ़ा है, जिन्हें हमारी नीति पसन्द नहीं थी। हम युद्ध एवं शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं रह सकते, साम्राज्यवादी या अन्य देशों के प्रभुत्व के संदर्भ में तटस्थ नहीं रह सकते, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में तटस्थ नहीं रह सकते। हम बड़ी शक्तियों को इस बात की छूट नहीं दे सकते कि वे हमारे लिए, सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करे। अपने हित से सम्बन्धित मामलों में हिस्सा लेंगे, तथा विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।''

स्वतंत्र भारत का उदय द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त उस समय हुआ जब विश्व दो गुटों में विभक्त हो चुका था और पूंजीवादी गुट के नेता अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य साम्यवाद को सीमित करना तथा साम्यवाद गुट के नेता सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकना था। इसके लिए अमेरिका ने 'मार्शल प्लान' के तहत जहाँ नवोदित देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल करने की नीति अपनायी, वहीं कई सैन्य गठबंधनों का भी सहारा लिया जाने लगा था।[3] जबकि भारत ने अपने उदय के प्रारंभ से ही गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करके इन दोनों से भिन्न अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का बीजारोपण किया जो अमेरिका को अनुकूल नहीं लगा। जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता के प्रति काफी सजग थे। वे नहीं चाहते थे कि जिस स्वतंत्रता को पाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, उसे गुटों की राजनीति में संलग्न होकर खो दिया जाये। नेहरू जानते थे कि गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा हम एक ओर जहाँ शक्तिवादी गुटों की राजनीति से तथा महाशक्तियों के मध्य युद्धों से दूर रह सकते हैं, वहीं विश्व शान्ति व स्वतंत्रता को विकसित करने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।[4] भारतीय दृष्टिकोण में शीतयुद्ध साम्राज्यवादी सम्भावनाओं को संजोयें हुये था और अमेरिका द्वारा लड़े गये दोनों विश्व युद्ध स्वतंत्रता की रक्षा के लिये न होकर अपने साम्राज्यवादी प्रभुत्व को कायम रखने का एक साधन था।[5] जबकि अमेरिका के लिए साम्यवाद को सीमित करना तथा सोवियत विस्तारवाद को

रोकना इतना महत्वपूर्ण बन गया था कि उसके अतिरिक्त संबंधों के लिये उसकी विदेश नीति में कोई जगह नहीं थी। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति भी अमेरिका के लिए प्रतिकूल लगने लगा, क्योंकि इस नीति के द्वारा अमेरिकी हितों को कोई लाभ नजर नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी संदेह होने लगा कि यह नीति अप्रत्यक्ष तौर पर सोवियत संघ को सहयोग देगी। चूकि भारत के लिये साम्यवाद कोई खतरा नहीं था जैसा कि अमेरिका के लिये था। साथ ही साथ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तरह के सैन्य गठबंधनों का भी विरोध किया जो अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शान्ति के लिये स्वत: एक खतरा उत्पन्न कर रहे थे। फलत: भारत अमेरिकी संबंधों में सन्देह का वातावरण और भी बढ़ गया। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जान फॉस्टर ड्यूलस द्वारा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को अनैतिक कहकर भर्त्सना करना शामिल है। उसने यहाँ तक कह डाला ''जो हमारे साथ नहीं हैं वे हमारे विरोधी है।'' इस प्रकार गुटनिरपेक्षता भारत अमेरिकी संबंधों के मध्य एक ऐसा मुद्दा था, जिसने अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में दोनों देशों के मध्य पूरे शीतयुद्ध के दौरान संदेह का वातावरण कायम रखा और दोनों के विदेश नीति के उद्देश्यों को विपरीत दिशा में लाकर खड़ा कर दिया।

गुटनिरपेक्षता के अलावा भारत की विदेश नीति में उपनिवेशवाद का विरोध करना प्रमुख रहा और भारत ने सदैव चाहा कि एशिया में सर्वोच्च शक्तियों के प्रभुत्व व प्रभाव का अन्त हो। एक क्षेत्रीय शक्ति होने के कारण भारत क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव को कायम रखना चाहता था, जबकि अमेरिका की साम्यवाद विरोधी नीति विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करती रही।''[6] दो सौ वर्षों तक यूरोपीय प्रभुत्व के अधीन रहने के बाद स्वतंत्र हुये भारत के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह साम्राज्य विरोधी नीति का अनुसरण करे। जैसा कि नेहरू ने कहा था- 'एशिया के संकट का समय उपनिवेश बनाम उपनिवेशवाद का खतरा है।''[7]

गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नीति एवं कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनायी रखी जाये। यहां उल्लेखनीय है कि गुटनिरेपक्षता की वास्तविक संवेदना के बोध के लिए इतना बता देना ही पर्याप्त नहीं है कि गुटनिरपेक्षता क्या है ? यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है-

1. गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय मामलों या अन्य देशों के प्रति निषेधात्मक नीति या दृष्टिकोण नहीं है, इसके विपरीत यह सकारात्मक दृष्टिकोण का द्योतक है।
2. गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता या निष्क्रियता की नीति नहीं है, अपितु जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में- जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा होता है या न्याय पर आंच आने लगती है या कोई देश दूसरे पर आक्रमण कर देता है वहां न हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही रहेंगे।
3. गुटनिरपेक्षता अस्वस्थ और निष्क्रिय अन्तर्मुखी प्रवृत्ति नहीं है अपितु इसमें कम्बोडिया के पूर्व नरेश नारोदम सिंहानुक के शब्दों में, ''अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक गतिशील स्वरूप परिलक्षित होता है।''
4. गुटनिरपेक्षता का अर्थ वैश्विक मामलों से दरकिनार रहना नहीं है और ना ही अपना काम निकालने की नीति की अवसरवादिता ही है, अपितु गुट निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय ज्वलन्त प्रश्नों के प्रति उदासीन ना रहकर स्वतंत्र और दृढ़ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
5. गुटनिरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में न्यायाधीश जैसी निरपेक्षता की द्योतक नहीं है अर्थात गुटनिरपेक्ष राष्ट्र वैश्विक मामलों में निर्णायक की भूमिका की तलाश में नहीं रहते अपितु वे प्रत्येक प्रश्न अथवा स्थिति के सन्दर्भ में गुण दोषों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देने का प्रयत्न करते हैं।
6. गुटनिरपेक्षता आत्मोत्सर्ग भी नहीं है अथवा गुटनिरपेक्ष राष्ट्र 'निरे-परोपकारी' भी नहीं होते, अपितु गुटनिरपेक्षता भी उतनी ही राष्ट्रहितपरक नीति है, जितनी की गुटबद्धता है।
7. गुटनिरपेक्षता कोरे सिद्धान्तों अथवा कोरी कल्पना पर आधारित नीति नहीं है, वरन यह नितांत व्यावहारिक नीति है इसका जन्म अन्तर्राष्ट्रीय समाज की यथार्थताओं में हुआ है और वही इसका आधार भी है।
8. गुटनिरपेक्षता सदा-सर्वदा के लिए अथवा कैसी भी परिस्थिति में बंधकर चलने की नीति नहीं है, जैसाकि अल्जीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि ''हम किसी से बंधे नहीं ..... गुटनिरपेक्षता से भी नहीं।''
9. गुटनिरपेक्षता कोई एकान्तिक नीति नहीं है, यह किसी अन्य राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह के साथ मैत्री और सहयोग का रास्ता नहीं रोकती है।
10. गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य किसी विचारधारा, गुट अथवा राष्ट्र का विरोध करना नहीं, इसका ध्येय सभी राष्ट्रों के साथ शान्ति और मैत्री को बढ़ावा देना है, भले ही उनमें वैचारिक अथवा राजनीतिक मतभेद ही क्यों न हो।[8]

अन्तत: गुटनिरपेक्षता किसी तीसरी शक्ति का द्योतक नहीं है, न उसका ध्येय किसी तीसरे शिविर अथवा राष्ट्रों के गुट की उद्भावना

करना है, वस्तुत: ऐसा ध्येय तो गुटनिरपेक्षता के आधार के ही विरूद्ध है। गुटनिरपेक्षता एक नीति है अथवा मनोवृत्ति और दृष्टिकोण है या वह नीति के किन्हीं निर्दिष्ट साध्यों को प्रोत्साहित करने का साधन है? डॉ. एम.एस. राजन के अनुसार ''यह तीनों का समन्वित रूप है।''

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन यद्यपि सोवियत संघ और अमेरिका शक्ति गुटों के सापेक्ष में तृतीय विश्व की आवाज के रूप में पर्याप्त प्रासंगिक माना गया है, किन्तु शीतयुद्ध समाप्त होने और औपचारिक रूप से वार्सा पैक्ट एवं सोवियत गुट के विघटन के बाद अमेरिका के नेतृत्व में बने एक ध्रुवीय विश्व के परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता को प्रश्नगत किया जाने लगा है। वस्तुत: इस प्रकार की आपत्तियां 1989 में होने वाले गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अधिवेशन में उठाई गई। इस अधिवेशन में जर्मनी के एकीकरण अथवा बर्लिन दीवार के टूटने तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के साम्यवाद विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में यह स्वीकार किया गया कि गुटीय शक्तियों का समान रूप से विरोध करने वाले इस आन्दोलन की आवश्यकता नहीं रह गई है। किन्तु इसी अधिवेशन में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को पुनर्गठित करने और इसके आदर्शों को पुन: संयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यही कारण है कि इस आन्दोलन की प्राथमिकताओं में राजनैतिक दृश्यों के स्थान पर आर्थिक विषयों को शामिल किया गया तथा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के साथ आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में किये जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य शामिल किया गया। सामान्य रूप से इस प्रकार के विवादों को ''उत्तर-दक्षिण'' विवाद कहा गया, और इसी के शांतिपूर्ण समाधान की दृष्टि से गुटनिरपेक्ष सदस्यों में से 15 अग्रणी सदस्यों को अग्रगामी दस्ता (ळ.15) के गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया।[9] पुन: 1992 और अन्तत: 1995 अधिवेशन में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के पुनर्गठित स्वरूप को अन्तिम रूप दिया गया। उदाहरण- 1995 के कार्टागेना अधिवेशन में वैश्वीकरण से संबंधित तृतीय विश्व की आर्थिक समस्याओं जैसे असमान प्रतिद्वन्द्विता, पर्यावरण और श्रम जैसे विषयों को विश्व व्यापार संगठन से अलग रखने जैसे मुद्दों के साथ अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या जैसे सामान्य विषयों के लिए समेकित और कारगर नीति अपनायें जाने पर बल दिया गया। साथ ही यहीं ''कोलम्बिया घोषणा'' के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा सीमा पार इसके प्रायोजन जैसे ज्वलंत विषयों पर भी आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में शामिल किया गया। इससे स्पष्ट है कि 1989 में हरारे अधिवेशन से लेकर कोलम्बिया के कार्टागेना अधिवेशन तक आन्दोलन ने अपना स्वरूप राजनैतिक विषयों से बदलकर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बना लिया है। पुन: इसके इस स्वरूप में वैश्वीकरण से संबंधित आवश्यकताओं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की और समस्याओं का भी समायोजन है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए भारत का दृष्टिकोण गुटीय तर्क पर ही आधारित है। दूसरे शब्दों में भारत का मत है कि यद्यपि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के राजनैतिक विघटन के बाद यह अवश्य ही राजनैतिक और सैनिक शक्ति गुट नहीं रहे, किन्तु एक ध्रुवीय विश्व में इस प्रकार के राजनैतिक गुटों का स्थान आर्थिक गुटों ने ले लिया है। ऐसी स्थिति में आर्थिक गुटों के परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है जितना कि राजनैतिक गुटों के समय इसकी प्रासंगिकता राजनैतिक थी। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विषयों तथा आण्विक शस्त्रों जैसे वैश्वीकरण मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन वैश्वीकरण के बाद भी प्रासंगिक एवं प्रभावशाली है।[10] दिनोंदिन इसकी सदस्य संख्या में होने वाली वृद्धि इसका प्रमाण है।

गुटनिरपेक्षता की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता है, जो इस प्रकार है-[11]

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	सम्बन्धित विषय-वस्तु
1.	1961	बेलग्रेड	उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद की निंदा। उपनिवेशों के स्वतंत्र आन्दोलन का समर्थन।
2.	1964	काहिरा	''शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना'' की घोषणा।
3.	1970	लुसाका	''गुटनिरपेक्षता तथा आर्थिक विकास'' के शीर्षक से छ: प्रमुख प्रस्तावों की स्वीकृति।
4.	1973	अल्जीयर्स	निर्गुट देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर बल।
5.	1976	कोलम्बो	एशिया में सम्पन्न इस प्रथम सम्मेलन में सामूहिक आत्मनिर्भरता के विचार पर बल।
6.	1979	हवाना	सदस्यों में पहली बार अन्तर्विरोध के कारण कोई स्पष्ट प्रस्ताव पारित नहीं।
7.	1983	नई दिल्ली	शान्ति और निरस्त्रीकरण के साथ मानवाधिकारों और नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर बल।

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	सम्बन्धित विषय-वस्तु
8.	1986	हरारे	'अफ्रीकी कोष' की स्थापना तथा नामीबिया की स्वतंत्रता एवं दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार से संबंधित विषयों पर विशेष समिति का गठन।
9.	1989	बेलग्रेड	अफगानिस्तान तथा पश्चिमी एशिया की समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन का आह्वान और पूर्ण नि:शस्त्रीकरण की माँग।
10.	1992	जकार्ता	उत्तर-दक्षिण संवाद और सहयोग पर बल। पहली बार एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता पर मिश्र द्वारा प्रश्नचिन्ह भी लगाया गया।
11.	1995	कार्टागेना	आन्दोलन की वैधता, उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए आतंकवाद की निन्दा।
12.	1998	डरबन	नि:शस्त्रीकरण, आतंकवाद, सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और विस्तार संबंधी विषयों के साथ 'अणुमुक्त विश्व' की माँग।
13.	2003	क्वालालम्पुर	उत्तर-दक्षिण सहयोग के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सभी क्षेत्रों में संवर्धित करना तथा वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों के लिए सुनिश्चित करना।
14.	2006	हवाना	इस सम्मेलन में कुल 118 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में हैती और सेंट किट्स को संगठन का नया सदस्य बनाया गया।
15.	2009	काहिरा	इस सम्मेलन में नाम देशों के बीच वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत समेत सभी सदस्य देशों के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता पर जोर दिया। उनके बीच शांति के विस्तार और विकास के मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 16 वें शिखर सम्मेलन में विदेशी हमले का खतरा झेल रहे ईरान मे गुटनिरपेक्ष देशों के 120 नेताओं के शिखर -सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक बड़ी बात है। इस सम्मेलन में ही यह भी पता लगा कि अमरीका के सहयोगी माने जाने वाले देशों के नेता और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव बान की मून भी अमरीकी दबाव को मानने और उसके सामने झुकने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है, जैसे अमरीका चाहता है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों के तेहरान पहुंचने से यह भी दिखाई दिया कि दुनिया में ईरान को अलग-थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिशों में उन्हें एक बड़ी सफलता नहीं मिली है। रेडियो रूस के विशेषज्ञ और रूस के सामरिक अनुसंधान संस्थान के सहकर्मी बरीस वलखोन्स्की लिखते हैं-भारत के मीडिया ने आम तौर पर उन्हीं पहलुओं पर ध्यान दिया है। जो भारत के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह की तेहरान यात्रा से जुड़े हुए थे। उनकी ईरान-यात्रा वास्तव मे बड़ी व्यस्त यात्रा थी और उनकी इस यात्रा का असर न सिर्फ ईरान और भारत के दीर्घकालीन सम्बन्धों पर, बल्कि इस इलाके के अन्य देशों के साथ विकसित होने वाले आपसी सम्बन्धों पर भी पड़ेगा। तेल और गैस के क्षेत्र मे ईरान के साथ भारत का सहयोग आग जारी रखने की तैयारी के बारे में डॉ. मनमोहन सिंह की घोषणा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी मुलाकात को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति जरदारी के साथ हुई मुलाकात में भी उन तेल गैस पाइपलाइनों के बारे में ही बातें हुई, जिन्हें पाकिस्तान के रास्ते ईरान से भारत तक बनाने की योजना है।

17-18 सितंबर 2016 को दो दिवसीय 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं।

- वेनेजुएला के 'मार्गारिता द्वीप' में 17-18 सितंबर 2016 को दो दिवसीय 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया।
- भारतीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी के मजबूत होने से भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बना हुआ है। इस सम्मेलन की प्राथमिकता शांति, संप्रभुता और विकास के लिए एकजुटता बनाना है।
- इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 55 वीं वर्षगांठ मनाई गई। 17वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का मुख्य विषय 'शांति, संप्रभुत्ता और विकास के लिए एकता' थी।

- 17वें शिखर सम्मेलन में शीतयुद्ध काल के पश्चात् गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया गया।
- वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट के कारण वर्ष 2014 के मध्य से वेनेजुएला संकट से घिरा हुआ है, जिसके कारण देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का समाजवादी मॉडल हाशिए पर आ गया है।
- इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत-विकास, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, शरणार्थी समस्या और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
- ज्ञातव्य हो कि 16वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2012 में ईरान ने की थी।
- भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में सातवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी।
- गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों में अफ्रीका से 53 देश, एशिया से 39 देश, लातिन अमेरिका एवं कैरेबिया से 26 तथा यूरोप से 2 देश (बेलारूस और अजरबैजान) शामिल हैं।[12]

जबकि पिछली सदी के आखिरी दशक में सोवियत संघ और समाजवादी शिविर के पतन के बाद पश्चिम में बहुत से लोग यह कहने लगे थे, कि अब गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का कोई महत्व नहीं रह गया है। जब दुनिया में एक शक्ति-ध्रुव खत्म हो गया तो उसकी जगह चीन दूसरे ध्रुव के रूप में खड़ा हो गया और अमरीका और चीन दोनों ही दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी नीतियों की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मानो कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन तीसरा रास्ता फिर सामने आ गया है, इन परिस्थितियों में भारत को यह मौका मिल गया है कि वह उन देशों के साथ, जिन्हें दोनों शक्ति-ध्रुवों की धौंस-पट्टी मे नहीं रहना है, विकास के अपने तीसरे स्वतन्त्र और गुटनिरपेक्ष रास्ते पर आगे बढ़ें। हमारा ख्याल है कि तेहरान शिखर सम्मेलन का महत्व इसी बात में है कि उनके इस तीसरे रास्ते की संभावना को फिर से खोलकर सामने रख दिया है। गुटनिरपेक्षता की नीति समय के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील और व्यावहारिक बनती जा रही है। प्रारंभ में इस नीति में नैतिकता और आदर्शवाद का पुट अधिक था, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश अब यह अच्छी तरह समझने लगे हैं कि कोई भी नीति तभी सार्थक और उपादेय हो सकती है जब उसे यथार्थवाद के धरातल पर उतारा जाय।

आज का युग अर्थात 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। इसलिए आज यह आवश्यक है, कि गुट निरपेक्ष देशों में प्रत्येक को यह तय करना होगा, कि वह यूरोप, अमरीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि के साथ अपने सम्बन्धों को कैसे बेहतर आर्थिक रूप दे ? इसमें अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के साथ-साथ विश्व बाजार की जरूरतों का ध्यान भी रखना होगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच ठोस सीमा रेखा नहीं रह गयी जो पहले थी। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश बाजारतंत्र और आधुनिक वित्तीय व्यवस्था अपनाते हुए विश्व समुदाय के शक्तिशाली अंग बनते जा रहे हैं।

सन्दर्भ सूची

1. मजरूई अली, 'फरवर्ड', पीटर विलेट्टरस, द नॉन अलाईड मूवमेण्ट लन्दन, 1978, पृ. 13
2. रक्षार्थ, वाल्यूम 3 नं0 3-4, 2001; पृ. 42
3. अप्पादुरई, ए. एवं एम. एस. राजन, इंडियाज फॉरन पांलिसी एण्ड रिलेशन्स', न्यू दिल्ली, पृ. 215
4. प्रसाद, विमल, 'एन ऑवरभिउ' विमल प्रसाद द्वारा सम्पादित पुस्तक, इंडियाज फॉरन पॉलिसी: स्टडिज इन कॉन्टिन्यूटी एण्ड चेन्ज, नई दिल्ली
5. राणा, ए. पी., इण्डिया एण्ड अमेरिका, नैन्सी जैटली द्वारा सम्पादित पुस्तक इंडिया फॉरन पॉलिसी: चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट', न्यू दिल्ली, 1999, पृ. 250
6. अप्पादुरई, ए., एवं एम. एस. राजन, पूर्वोक्त, पृ. 216
7. वारण्डस, विलियम जे., इंडिया पाकिस्तान एण्ड ग्रेट पावर, न्यूयार्क, 1979, पृ. 59
8. फाडिया, डॉ. बी.एल., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 2009, पृ. 313
9. हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 सितम्बर 1992
10. ''नान अलाईण्ड मूवमेन्ट : रिट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पैक्ट'' (लेख श्रृंखला), वर्ल्ड फोक्स, वाल्यूम 18, अंक 7, जुलाई 1997
11. अरिहन्त समसामयिकी महासागर, सितम्बर 2009, पृ. 55
12. समसामयिकी घटनाचक्र, नवम्बर-दिसम्बर, 2016, पृ. 7

अलवर जिले में जल संसाधन व जल संरक्षण की परम्परागत विधियों का शोधपरक अध्ययन

नरेन्द्र सिंह

शोधार्थी, भूगोल विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

विश्वभर में उपयुक्त जल की मात्रा अत्यन्त सीमित है। जब कहा जाता है कि जल ही जीवन है तब हमारे सामने एक कठिन चुनौती उपस्थित होती है। निरन्तर बढती जल की आवश्यकता एवं मानव उपयोग हेतु उपलब्ध जल के मध्य व्युत्क्रमानुपाती सम्बन्ध है। यह सत्य है कि हजारों वर्ष से स्वच्छ जल की उपलब्धता में कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं हुआ परन्तु जल स्रोत अति दोहन के अक्रांत होकर धीरे-धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राज्य के कुल 237 विकास खण्ड़ों में से सुरक्षित भू-जल वाले क्षेत्रों का अनुपात 57 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत ही रह गया हैं। 237 ब्लॉकों में से 232 ब्लॉकों के भू-जल की पेयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया हैं। भूमिगत जल स्तर में तीव्र गिरावट के कारण भू-जल की गुणवत्ता में निरम्तर ह्रास हो रहा हैं। अनुमान हैं कि राज्य के 40,941 गांव व ढाणियों के लोग प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। यही नहीं, देश के 51 प्रतिशत फ्लोराइड व 42 प्रतिशत लवणता से प्रभावित क्षेत्र अकेले राजस्थान में हैं। अत: राज्य के बिगड़ती जल स्थिति को प्राथमिकता में लेना होगा। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जल की बूंद-बूंद का सदुपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य को वर्षा जल-संचयन, जल-संरक्षण व भू-जल के कृत्रिम पुर्नभरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम अपनाने होंगें। जल के अति दोहन के कारण संपूर्ण अलवर जिला अति दोहित (डार्क जोन) में परिवर्तित हो चुका है। अलवर जिला पूर्णत: भूमिगत जल पर आधारित है। अत: हमें पुर्नभरण की तकनीकी को सुधार के साथ-साथ परम्परागत स्रोत पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं पहलुओं को लेकर किया गया है।

संकेताक्षर : *जल प्रबन्धन, अपवाह तंत्र, पुनर्भरण*

प्रत्येक वस्तु जल से उत्पन्न हुई है और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जो प्रकृति की रचना में सहभागी होकर सम्पुर्ण जीवमण्डल को आधार प्रदान करता है। यह प्रकृति में विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में वितरित हैं तथा सदैव गतिशील रहता है। यह कही जलवाष्प में कही हिम या द्रव के रूप में पाया जाता हैं। जलवायु एवं स्थिती के अनुसार यह स्वरूप निर्धारित होता है तथा इसके स्वरूप परिवर्तन में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की प्रमुख भूमिका होती है। स्थलमण्डल, जलमण्डल, तथा वायुमण्डल में विद्यमान जल विभिन्न अवस्थाओं (ठोस, द्रव, गैस) में अपनी भौगोलिक स्थिती बदलता रहता है। यह परिवर्तन जलीय चक्र के माध्यम से पूर्ण हो जाता है। बढ़ते जल संकट के लिए एक सीमा तक विश्व में ''बढ़ता वैश्विक तापमान एवं जलवायु परिवर्तन'' भी उत्तरदायी है। विश्व मौसम संगठन ने वर्तमान जल-संकट के 20 प्रतिशत भाग के लिए जलवायु परिवर्तन को दोषी ठहराया है। ''ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक'' ने जल संकट के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को भी जिम्मेदार माना है। वैश्विक जल संकट की भयावहता को दृष्टिगत रखते हुए इस संकट के समाधान हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाने की सख्त आवश्यकता है। यूनेस्को ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में यह उजागर किया है कि जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए समग्र व एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पिछले 60 सालों में भारत में पानी की उपलब्धता एक तिहाई रह गई है। यानी 1952 के मुकाबले अब 2011-12 में 33 फीसदी पानी खत्म हो चुका है, जबकि आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ हो चुकी है, अर्थात तीन गुना से भी ज्यादा। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि हम लगातार भूजल पर निर्भर हो चुके हैं। भूजल स्तर हर साल औसतन एक फीट की रफ्तार से नीचे जा

रहा है। आज देश में कूल 5723 में से 839 ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 35 शहरों में किसी में भी औसतन एक घंटे से अधिक पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। देश में फरवरी माह से ही जल संकट की स्थिति गम्भीर होना चालू हो जाती है। देश का सबसे बड़ा राज्य मरूस्थलीय एवं शुष्क प्रदेश होने के कारण सदैव जल-संकट से जूझता आया हैं। पिछले 50 वर्षो में से 43 बार राज्य में कहीं न कहीं अकाल पड़ा हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत तथा जनसंख्या 5.5 प्रतिशत हैं। किन्तु इस विस्तृत राज्य में सम्पूर्ण देश के सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत तथा दोहन योग्य जल 1.12 प्रतिशत ही उपलब्ध हैं। राज्य का अधिकांश सतही जल मौसमी नदियों एवं नालों से प्राप्त होता हैं। देश में होने वाली वर्षा का केवल एक प्रतिशत जल ही राज्य को उपलब्ध होता हैं।

राज्य के कुल 237 विकास खण्ड़ों में से सुरक्षित भू-जल वाले क्षेत्रों का अनुपात 57 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत ही रह गया हैं। 237 ब्लॉकों में से 232 ब्लॉकों के भू-जल की पेयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया हैं। भूमिगत जल स्तर में तीव्र गिरावट के कारण भू-जल की गुणवत्ता में निरन्तर ह्रास हो रहा है। अनुमान है कि राज्य के 40,941 गांव व ढाणियों के लोग प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। यही नहीं, देश के 51 प्रतिशत फ्लोराइड व 42 प्रतिशत लवणता से प्रभावित क्षेत्र अकेले राजस्थान में हैं। अत: राज्य के बिगड़ती जलस्थिति को प्राथमिकता में लेना होगा। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जल की बूंद-बूंद का सदुपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य को वर्षा जल-संचयन, जल-संरक्षण व भू-जल के कृत्रिम पुर्नभरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम अपनाने होंगे। जल के अति दोहन के कारण संपूर्ण अलवर जिला अति दोहित (डार्क जोन) में परिवर्तित हो चुका है।

शोध के लिए अलवर जिले को इसलिए चुना गया हैं क्योंकि यहाँ प्राकृतिक अनुकूलतायें होने के बावजूद स्थिति इतनी गम्भीर क्यों बनी ? अलवर जिला 14 पंचायत समितियों तथा 16 तहसील मुख्यालयों में बंटा हुआ हैं। जलवायु शुष्क एवं औसत वार्षिक वर्षा 625.41 मि.मी. (1901-2011) हैं। गत कई वर्षो से जिले में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई हैं। समस्या यह हैं कि भू-जल के अधिक दोहन से जिले में भू-जल सतह लगातार नीचे जा रहा है। अति दोहन के कारण वर्ष 2011 में जिले की भू-जल सतह करीब एक मीटर नीचे गिरी है। सन् 1995 से 2011 तक का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता हैं कि प्रति वर्ष औसतन 0.62 मीटर की दर से जल स्तर गिरा हैं। जिले में बोरवैल, ट्यूबवैल की अत्यधिक संख्या ने व अधिक पानी वाली फसलों के कारण यह समस्या को अधिक गंभीर बना दिया हैं। समस्या केवल जल की कमी की ही नहीं हैं अपितु पेयजल की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं। अधिकांशत: क्षेत्र के जलस्तर घटने से फ्लोराइड की मात्रा में इजाफा हुआ है। वर्षा की पर्याप्तता के बावजूद 50 प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता हैं और रिचार्ज से दुगना दोहन होने के कारण जल संकट की स्थिति पैदा हुई हैं। जिलें में 125 बांध व जलाशय हैं जिनमें से 67 या तो सूख चुके हैं या इनका पानी गहराई में चला गया हैं। जिले में 23 मुख्य बांध हैं जिनमें से मात्र 3 बांधों में ही पानी रहता है। अलवर जिले का कुल क्षेत्रफल 8729.46 वर्ग किलोमीटर हैं एवं सामान्य वार्षिक वर्षा 629.25 मिलीमीटर हैं। रेतीले क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का लगभग 12 प्रतिशत एवं चट्टानी क्षेत्रों में 7 प्रतिशत जल ही भूमि में जाता हैं। जिसमें लगभग 794.82 मिलियन घनमीटर भ-ूजल जमा होता हैं लेकिन जिले में वर्ष 1998 में भू-जल दोहन 98.68 प्रतिशत था जो वर्तमान में बढ़कर 166.56 प्रतिशत हो गया एवं जिला अतिदोहित क्षेत्रों में आ गया। अत: जल संकट की स्थिति जिले में लगातार बनी हुई है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

अलवर जिला राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भाग में $27^0 4'$ से $28^0 4'$ उत्तरी अक्षांश एवं $75^0 8'$ से $77^0 13'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले के उत्तर में हरियाणा राज्य का भू-भाग एवं दक्षिण में इसकी सीमा राज्य के दौसा एवं जयपुर जिले को स्पर्श करती है। इसके पूर्व में भरतपुर तथा पश्चिम में जयपुर एवं उत्तर में हरियाणा राज्य तथा दक्षिण में दौसा जिला है। अलवर जिले को राजस्थान के सिंहद्वार के नाम से भी पहचाना जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर तथा भारत की राजधानी देहली के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 पर अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। अरावली पर्वत-श्रृंखला की तलहटी में बसा होने से पूर्वी राजस्थान के कश्मीर नाम से भी विख्यात है। अलवर जिला उत्तर से दक्षिण में 80 मील तथा पूर्व से पश्चिम में 60 मील की दूरी तक फैला हुआ है। इस जिले में 14 उपखण्ड तथा 16 तहसील हैं। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8382 वर्ग कि.मी. है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 2.45 प्रतिशत है।

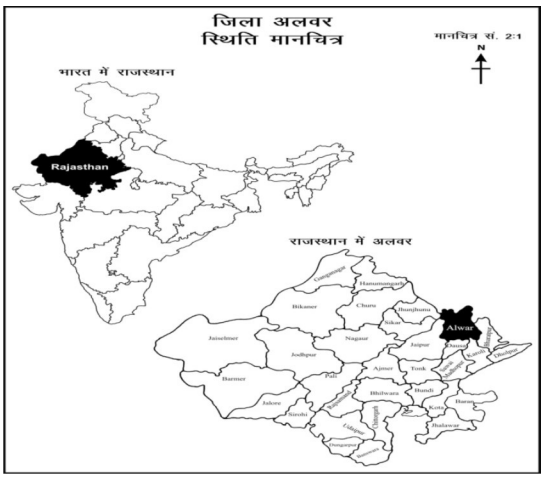

शोध उद्देश्य

1. अलवर जिले के प्रमुख जल स्त्रोतों का अध्ययन करना
2. अलवर जिले में जल संरक्षण की परम्परागत विधियों का अध्ययन करना
3. अलवर जिले के वर्तमान अपवाह तंत्र का अध्ययन करना

शोध परिकल्पना

1. अध्ययन क्षेत्र में बदलते हुऐ पारिस्थितिक असन्तुलन के परिणाम स्वरूप भू-जल स्तर का गिरना।
2. अध्ययन क्षेत्र में गिरते हुऐ भू-जल स्तर के परिणाम स्वरूप जल संकट की भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है।

विधि तंत्र एवं आकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक व द्वितीय आकड़ों का संकलन किया गया है तथा आवश्यकता अनुसार सारणीयन व आरेखन किया गया है।

अलवर जिले में प्रमुख जल स्रोत

(1) तालाब व बांध–अलवर क्षेत्र में भिन्न-भिन्न भराव क्षमता के 14 बांध व छोटे- बड़े 140 जोहड़ व तालाब है वर्षा की बदतर स्थिति के कारण जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं हो पाती है जिस कारण जल स्तर नीचे ही बना रहता है। जिस कारण जोहड़ सूखे व छिछले बने हुए रहते हैं। निम्नलिखित सारणी में बांधों की भराव क्षमता व वास्तव में जलभराव को दर्शाया गया है। इस सारणी में सिलिसेढ़ जिसकी भराव क्षमता 28.9 फीट व वास्तव में 21.11 फीट, जयसागर 30.1 फीट भराव क्षमता 14.9 फीट ही अच्छी भराव-स्थिति को दर्शाती है जबकि शेष बांधों में जल प्राप्ति की स्थिति कुछ ही मात्रा में प्राप्त होती है जिसमें सिंचाई व पीने की व्यवस्था अपर्याप्त रह जाती है।

अलवर के मुख्य बांध

क्रम संख्या	बांधों का नाम	तहसील	कुल भराव (FTL)	भराव क्षमता (MCFT)	सी.सी.ए (हैक्टर में)
1	जयसमंद	अलवर	23'1''	952	4790
2	सिलीसेढ़	अलवर	28'9''	492	1124
3	मंगलांसर	राजगढ	46'0''	659	958
4	मानसरोवर	राजगढ	21'6''	340	843
5	रामपुर	थानागाजी	15'0''	262	1052
6	जयसागर	थानागाजी	30'4''	232	947
7	देवती	राजगढ	13'0''	214	1410
8	धमरेड़	राजगढ	11'0''	170	637
9	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	5'0''	106	512
10	बघेरीखुर्द	कोटकासिम	5'3''	125	316
11	झिरोली	तिजारा	11'3''	126	425
12	खानपुर	किशनगढ़	9'0'	203	920
13	हरसौरा	बानसूर	4.20 मी.	137	1821
14	जैतपुर	थानागाजी	16'3''	100	518

क्रम संख्या	बांधों का नाम	तहसील	कुल भराव (FTL)	भराव क्षमता (MCFT)	सी.सी.ए (हैक्टर में)
15	बावरिया	बानसूर	14'0''	196	1432
16	सिलीबेरी	अलवर	10'0''	199	826
17	बिगोता	राजगढ	20'0''	49.52	410
18	तुसारी	कठूमर	19'0''	106.40	718
19	निम्बाहेड़ी	तिजारा	3'0''	49.75	451
20	ढ़कवासन	मुण्डावर	7'0''	13.93	138
21	आमका	थानागाजी	23'5''	50.71	288
22	सारणखुर्द	तिजारा	15'0''	145.00	915
23	बिटोली	मुण्डावर	15'6''	20.50	176
24	समर सरोवर	थानागाजी	क्षतिग्रस्त	-	379
25	अतरिया	रामगढ़	डाइवर्जन	-	-
			कुल योग	**4948.81**	**22006**

स्त्रोत सिंचाई विभाग, अलवर

(2) कुंआ व ट्यूबवैल–जलसंकट को जानने के लिए भूमिगत जलस्तर को जानना आवश्यक है। अलवर क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में मानसून काल में ट्यूबवैल प्रतिवर्ष सिंचाई हेतु बना लिए जाते है। जिसके कारण भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और जलस्तर 25 वर्षो में 25 मीटर नीचे चला गया है। और अधिकतर कुआँ व ट्यूबवैल या तो सूख गये है या जल की मात्रा बहुत कम रह गई है। निम्नलिखित सारणी अलवर क्षेत्र की अनियन्त्रित जल दोहन को दर्शाती है। दण्ड आरेख के माध्यम से यह परिकल्पना सिद्ध होती है कि कुँओं व ट्यूबवैलों के अत्याधिक प्रयोग के कारण जल संकट उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जिस दर से दोहन होता है उस दर से इनमें जलभराव नहीं होता।

तहसील वार कुंऐं की संख्या(2015-16)

क्रम संख्या	तहसील	कुल कुऐं	उपयोगी	अनुपयोगी
1	अलवर	9296	6563	2733
2	राजगढ़	11345	8685	2660
3	लक्ष्मणगढ़	4869	2476	2393
4	तिजारा	6261	1355	4906
5	किशनगढ़बास	4920	4264	656
6	मुण्डावर	9290	8810	480
7	बहरोड़	11152	9777	1375
8	बानसूर	6895	6540	355
9	थानागाजी	6374	4890	1484
10	रामगढ	5137	2858	2279
11	कोटकासिम	3679	307	3372
12	कठूमर	4614	1175	3439

उपरोक्त सारणी के माध्यम से कुओं की चालू और सूखे की स्थिति को बताया जा सकता है इससे घटते हुए जल की स्थिति का भी अवलोकन किया जा सकता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो अलवर का निम्न जल क्षेत्र भी जल संकट से ग्रसित हो जाएगा उपरोक्त ब्लॉकों में दिये गये जल भराव के विश्लेषण से जब विषय का पता चलता है कि प्राप्ति और व्यय में बड़ा अन्तराल है क्षेत्र में

अनियन्त्रित सिंचाई के कारण सूखे की स्थिति विकसित हुई जिसमें तिजारा, बहरोड़, रामगढ़ और अलवर ब्लॉक उल्लेखनीय है।

(3) नहरें–पिछले पैराग्राफ में छोटे बड़े बांधों का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है यह सभी बांध आजादी से पूर्व अलवर महाराजा ने बनवाया था उसी काल में पक्की व कच्ची नहरें भी बनायी गयी जिसे सिंचाई बागवानी की व्यवस्था की जाती थी और सरकार को इसमे आय प्राप्त होती थी। अलवर व भरतपुर रियासतों के जल प्रबंधन पर यह समझौता हुआ कि नटणी के बारां से एक भाग अलवर के लिए जो जयसमंद बांध में जाएगा जबकि दूसरा भाग रूपारेल नदी के रूप में सीकरी बांध में जाएगा। अलवर क्षेत्र में सिलिसेढ़ उपरी नहर सिलिसेढ़ निचली नहर जयसमन्द, प्रतापबंध, जटका बंध, इकरोटिया आदि नहरों का निर्माण किया गया।

(4) अवरोधक बांध–छोटे-छोटे बांध या एनिकट वर्षा के जल को संरक्षित करने का उत्तम साधन है। स्वर्गीय महाराजा अलवर श्री सवाई जयसिंह ने अरावली क्षेत्र में छोटे-छोटे चैक डैम बनवाये जो इस पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के जल को संरक्षित करते थे तथा मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक थे। स्वतंत्रता के पश्चात् पी.डब्लू.डी, सिंचाई विभाग, वन विभाग, मृदा संरक्षण विभाग तथा गैर सरकारी संस्थानों ने भी चैक डैम बनवाये इनमें तरूण भारत ने थानागाजी क्षेत्र में लगभग 200 चैक डैमों का निर्माण करवाया।

अलवर जिले में जल संरक्षण की परम्परागत विधियां

(1) जोहड़–अलवर के लगभग प्रत्येक गांव में जोहड़ मिल जाएंगे, यह वर्षा के जल का संचयन कर जनसामान्य को पेयजल आवश्यकता को पूरा करते थे।

(2) तालाब–जिले में कई छोटे-बड़े तालाब हैं जहाँ जल को एकत्रित कर अनेक उपयोग में लिया जाता था। अलवर शहर में लाल डिग्गी, सागर व राजऋषि महाविद्यालय के प्रांगण में बना विस्तृत तालाब इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

(3) बावड़ी–प्राचीन काल से बावड़ियाँ पीने के पानी व सिंचाई में महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातन काल में हैंडपम्प या नलों की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण बावड़ियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ सेठ की बावड़ी, मोदियों की बावड़ी, नसियांजी की बावड़ी प्रसिद्ध बावड़ी हैं यदि अभी भी इन बावड़ियों के जीर्णोद्धार व संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जाये तो इनकी सहायता से जल-संरक्षण करना संभव है।

(4) झीलें–अलवर जिले में कृत्रिम झीलों का निर्माण राजा-महाराजाओं ने करवाया। जयसमन्द झील, सीलीसेढ़ झील जहाँ वर्ष भर जल की प्राप्ति रहती है, पहाड़ों से बहता हुआ जल एकत्रित होता है।

(5) कुएँ–कुएँ जल के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। यहाँ पर विविध प्रकार के कुएँ पाये जाते हैं। साधारण कुओं का स्वामी व्यक्ति विशेष होता है जबकि बड़े कुओं पर स्वामित्व सम्पूर्ण समुदाय का होता है। जल संचयन व्यवस्था को पूर्ण करने हेतु बूंद-बूंद को खोजना होगा।

अपवाह तंत्र

विश्व की सभ्यता नदियों व झीलों के बेसिन में निवास करती है क्योंकि जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। अलवर क्षेत्र में तीन नदी बेसिन है साबी नदी उत्तर पश्चिम भाग को, रूपारेल दक्षिण-पश्चिम भाग को तथा चूहड़सिद्ध मध्य भाग में प्रवाहित होती है व अनेक सहायक नदी-नाले वर्षा के समय बहते हैं। अलवर क्षेत्र में एक तरफ पहाड़ी व दूसरी तरफ समतल भूभाग है इन पहाड़ी क्षेत्रों से मौसमी नदी नाले मानसून काल में सक्रिय होकर अलवर में जलापूर्ति करते हैं। यहां मुख्यत: तीन नदी तंत्र पाये जाते हैं:- 1. साबी नदी तंत्र 2. रूपारेल नदी तंत्र 3. चूहड़सिद्ध नदी तंत्र हैं। जिले के दक्षिणी भाग की सीमा में बाण गंगा का अपवाह क्षेत्र भी पाया जाता है। वर्षा काल में इन नदी तंत्रों से आस-पास के क्षेत्रों को जल की प्राप्ति होती है। यदि इस जल का संरक्षण व संचय कर लिया जाये तो जिले में जल की समस्या दूर की जा सकती है।

(1) साबी नदी–साबी नदी मानसून के दौरान जबरदस्त पानी लेकर आती है जिसके परिणाम स्वरूप निचले भागों में पानी भर जाता है। यह नदी तंत्र अलवर जिले के उत्तरी भाग में बहती है। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों में से होता है और अधिकांशत: यह बानसूर, बहरोड, मुण्डावर, किशनगढ़ व तिजारा तहसील में बहती हुई हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नजफगढ़ झील में समाप्त हो जाती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 2795 वर्ग किलोमीटर जो कि 5640 घन फुट जल भराव क्षेत्र है। यह नदी अपनी विभिन्न सहायिकाओं के साथ उत्तरी व उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है। मुख्य सहायक नदिया:- सोता बानगंगा, सोहनाला, गूंथा शाहपुर नाला, इन्दर नाला और सोनामुखी प्रमुख है।

(2) रूपारेल नदी–बाराह, रूपारेल या लसवारी अलवर जिले की मुख्य नदी तंत्र है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। रूपारेल नदी थानागाजी की उदयनाथ पहाड़ी से इसका उद्गम होते हुए उमरैण, भर्तृहरि, थाना-नाला गांव से पानी लेती हुई भरतपुर के सीकरी बंध में समाप्त हो जाती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 1583

वर्ग किमी. और जल भराव क्षमता 5330 घन फीट है। इसकी मुख्य सहायिकाएं चूहडसिद्ध, गाजूकी, भर्तृहरि, सिरवास, कासली खोल, सूकड़ी, श्यामगंगा और बिनाक है। यह सभी मानसून काल में ही सक्रिय हो पाती हैं।

(3) बाण गंगा नदी–यद्यपि बाण गंगा नदी अलवर जिले में नहीं बहती लेकिन जिले का दक्षिणी भाग इस नदी के अपवाह क्षेत्र में छोटे छोटे नालों द्वारा जल प्रवाहित करती है। यह नदी जयपुर के बैराठ से प्रारम्भ होकर दक्षिण में जमुवा रामगढ़ झील की तरफ बहती है, जहां से वह पूर्व की तरफ घूम जाती है। इस तरह बाण गंगा नदी अलवर जिले के दक्षिणी व पश्चिमी सीमा के पास से बहती है इसकी मुख्य सहायिकाएं प्रतापगढ़, भूरिया वास और अंगरी कला लंका है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध पत्र में अलवर जिले के प्रमुख जल स्त्रोतों का अध्ययन किया गया है। जिनमे तालाब व बांध, कुएँ व ट्यूबवेल, नहरें एवं अवरोधक बांधों का वर्ष 2015-16 तक विस्तृत विश्लेषण किया गया है जिन्हें आवश्यकता अनुसार सारणीयन व आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया है साथ ही अलवर जिले के जल संसाधन की परम्परागत विधियों जोहड़, तालाब, बावड़ी, झीलें व कुओं का ऐतिहासिक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अलवर जिले के मुख्य जल तंत्र का वर्णन किया गया है। अत: निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अलवर जिले में जल के संचित भण्डार तो है परन्तु उनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान प्रांसगिकता में अलवर जिले के जल संसाधन को मद्देनजर रखते हुए सतत विकास के आधार पर जल का समुचित उपयोग किया जाएं तथा भावी पीढ़ी को मद्देनजर रखा जाएं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, जितेन्द्र, पर्यावरण की दशा और संवर्धन का रास्ता, तथ्य भारती, जून 2000, पृ. 21-26
2. श्रीवास्तव, एस. के., पर्यावरण संरक्षण- शताब्दी की चुनौती, पर्यावरण (त्रैमासिक पत्रिका) दिल्ली, दिसम्बर 1997, पृ. 2
3. लखेडा, एस. के. एवं संगम ह्यानी, जल, जंगल, दावानल, योजना 1999, पृ. 23-24
4. यादव, आर.एन., नदियों का प्रदूषण, पर्यावरण, दिसम्बर 1998, पृ. 54-55
5. भारती, सुदेश, कितना कारगर है हमार जल प्रबंधन, योजना दिसम्बर 1999, पृ. 21
6. दुग्गल, वी.के., योजना, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, जून 2005, पृ. 17-18
7. दैनिक भास्कर, 26 अप्रैल 2010, जल है तो कल है, पृ. 6
8. शर्मा, वी.के., जल संसाधन योजना व प्रबंधन, हिमालय पब्लिकेशन हाउस, बाम्बे, 1985, पृ. 4-8

नई सदी में भारत चीन सम्बन्ध

चन्द्रकला शर्मा

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.)

शोध सारांश

भारत जहां सन् 1947 में स्वतन्त्र हुआ, वही चीन भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त होकर सन् 1949 में साम्यवादी चीन बना। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू तथा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई द्वारा सह अस्तित्व के लिये प्रतिपादित ''पंचशील सिद्धान्त'' दोनों देशों के बीच सहयोग एवं सम्मान हेतु स्थापित किये गये। तत्कालीन समय में ही 'हिन्दी चीनी भाई - भाई का नारा बहुत लोकप्रिय रहा। 1962 में भारत व चीन के बीच युद्ध की स्थिति कायम हो गई जिसका प्रमुख कारण सीमा विवाद रहा। यद्यपि चीन भारत पर आक्रमण कर अपनी विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन भी करना चाहता था। भारत चीन के मध्य सीमा विवाद के अतिरिक्त तिब्बत की समस्या भी महत्वपूर्ण रही है। पाकिस्तान को समय - समय पर आर्थिक सहायता प्रदान कर भी चीन ने दोनों देशों के मध्य कटुता को बढ़ाया है। वर्तमान में चीन डोकलाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर सीमा विवाद को और बढ़ा रहा है। अनेक विवादो के पश्चात भी आज दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दबाब के कारण इस वैश्वीकरण के युग में अपने संबंधों को सुधारने के लिये निरन्तर वार्तायें कर रहे हैं। चीन व भारत 21 वी सदी में वार्ताओं के माध्यम से मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन के मानकों में भेदभाव नीति, थ.ढ.ज. की नीतियां तथा ण.छ.ज. में हुये विभिन मसलों पर दोनों देशों ने आम सहमति दिखाई है। चीन व भारत दोनों आज एक दूसरे के बड़े व्यापारिक मित्र बन रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग हेतु व सीमा व्यापार हेतु सिकिम्म में ''नाथुला दर्रा'' खोलने की स्वीकृति हुई है। 21 वी शताब्दी के चीन व भारत प्रतिद्वंद्वी भी हैं, और मित्र भी, अर्न्तराष्ट्रीय मामलों में दोनों की व्यापक सहमति है। ण.छ.ज में होने वाले विभिन मतदानों में भारत व चीन का पक्ष समान रहा है। आज दोनों देशों की सरकार की समान अभिलाषा है कि दोनों देश आपसी संबंधों को गहनता से विकसित कर आगे बढ़े।

संकेताक्षर : *नाथुला दर्रा, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल वार्मिंग, स्किल डवलपमेन्ट, चिकेन नेक, अक्साई चीन*

भारत व चीन विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों ने विश्वशान्ति व विकास के लिये अनेक कार्य किये। भारत और चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र है, अपितु उनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक सम्बन्ध चले आ रहे थे जिसका इतिहास भी गवाह है। भारत जहां 1947 में स्वतंन्त्र हुआ वही चीन भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त होकर सन् 1949 में साम्यावादी चीन बना। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। भारत ने शुरू से ही चीन का साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी थी, तथा भारत ने अमेरिका को दरकिनार करते हुये कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया। वर्ष 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू तथा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई द्वारा सह अस्तित्व के लिये प्रतिपादित 'पंचशील सिद्धान्त' दोनों देशों के बीच सहयोग व सम्मान हेतु स्थापित किये गये। नवविकासशील देशों की स्वतन्त्रता व विकास को बढ़ावा देने के लिये 1955 में ''बाण्डुंग सम्मेलन'' में भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग से कार्य किया। तत्कालीन समय में राजनीतिक हिन्द चीन भाई-भाई' का नारा बहुत लोकप्रिय रहा। चीन व भारत के बीच राजनीतिक संबंधों की औपचारिक स्थापना के बाद के पिछले 64 वर्षों में चीन-भारत संबंध कई सोपानों से गुजरे। 70 वर्षो में दोनों देशों के बीच कुछ मीठे व कुछ कड़वी स्मृतियां भी रही। इसलिये यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के इस युग में दोनों ही देश अपने संबंधों को सुधारने का निरन्तर प्रयत्न कर

रहे हैं। सुगम संबंधों की स्थापना करने में समय-समय पर होने वाली वार्ताओ की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1962 से भारत व चीन संबंध :- 1949 से 1957 तक

दोनों देशों के बीच संबंधों में शान्ति की स्थिति बनी रही लेकिन तकनीकी व विज्ञान के इस युग में दोनों देशों के बीच कुछ तनाव की स्थिति भी पैदा हो गयी है। चीन व भारत के बीच सामान्यत: दो ही विवाद ऐसे थे जो कि तात्कालिक समय में प्रमुख थे(1) तिब्बत समस्या (2)सीमा विवाद। 1960 के दशक में भारत-चीन संबंध शीत काल के युग में प्रवेश कर गये तथा 1962 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया जिसके कारण 1962 में भारत-चीन युद्ध हुआ।

भारत पर चीन का आक्रमण-भारत चीन युद्ध जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, 1962 में हुआ युद्ध था। चीनी सेना ने 20 अक्टुबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किये। चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांग - ला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन का भारत पर आक्रमण करने के कई कारण थे। जिनमें से प्रमुख कारण यह है कि चीन विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था, तथा वह तिब्बत के प्रति भारतीय नीति अपनाई जाने से भी नाराज था। वह भारत पर युद्ध का बोझ डालकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के पक्ष में था तथा वह दक्षिण एशिया में एक महाशक्ति के रूप से स्वयं को पदस्थापित करना चाहता था। वर्ष 1962 में इस युद्ध में चीन ने 20 नवम्बर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की तथा इस युद्ध के पश्चात एशिया व अफ्रीका के कुछ मित्र राज्यों ने दोनों देशों के सीमा विवाद को हल करवाने के लिये 1962 में 'कोलम्बो प्रस्ताव' रखवाया। **10 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 1962 में श्रीलंका के कोलम्बो में भारत व चीन के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए बना प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में 5 सूत्र तैयार किये गये :-**

1. वर्तमान नियन्त्रण रेखा भारत-चीन विवाद के समाधान का आधार मानी जाये।
2. पश्चिमी क्षेत्र में चीन वर्तमान रेखा से 20 कि.मी. तक अपनी सेना हटा लेगा।
3. पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियन्त्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा माना जाये।
4. मध्यक्षेत्र में सीमा का निश्चय शान्तिपूर्ण साधनों से किया जाऐ।
5. दोनों देशों के बीच परस्पर वार्ता के द्वारा निर्णय लिया जाये।

1962 के युद्ध में पाक-चीन गठबंधन–1962 के युद्ध का एक घातक परिणाम चीन-पाक गठबंधन के रूप में आया। पाक ने कश्मीर के अधिकृत हिस्से को चीन को सौंप दिया जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। चीन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी प्रदान की तथा पाक को विकास के नाम पर अरबों रुपये की सहायता देकर भारत में पाक प्रायोजित आंतकवाद को भी बढ़ावा दिया। चीन में पाक को आणविक सामग्री भी प्रदान कर उसके केटा अणु संयंत्र के विकास को आगे बढ़ाया।

चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध और भारत–पाकिस्तान के साथ चीन का संबंध सदैव ही विशिष्ट रहा है। तथा दोनों के रिश्तों की सामरिक नींव 1950 के उतरार्द्ध में ही पड़ गई थी जब चीन और भारत के संबंधों में गिरावट की शुरुवात हुई। चीन और पाकिस्तान की मित्रता को हम 'अक्साई चीन' के रूप में देख सकते हैं। अनेक बार चीन ने अर्न्तराष्ट्रीय राजनिति के पटल पर पाकिस्तान को समर्थन दिया है। चीन पाकिस्तान को निरन्तर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। उस आर्थिक सहायता से ही पाकिस्तान भारत में प्रायोजित आंतकवाद को फैलाता है। हाल ही में चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में 46 बिलियन डॉलर की लागत का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मुख्य लक्ष्य चीन-पाकिस्तान के बीच आर्थिक गलियारा कायम करना था है। जो अरब सागर के तट पर स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को उतर-पश्चिम चीन में शिनजियोंग से जोड़ेगा जब यह परियोजना पूर्ण हो जायेगी तो पूरी संभावना है कि इससे दक्षिण एशिया का व्यापार और ऊर्जा समीकरण मौलिक रूप से बदल जाएगा। कश्मीर को लेकर भी चीन व पाकिस्तान की नीति एक है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग को चीन को दे दिया जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। चीन इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कर भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ा रहा है। भारत दक्षिण एशिया में चीन के इरादों को लेकर आशंकित है। और यह मानता है कि या तो वह किनारे हो जायेगा या रावलपिंडी को छिपे तौर पर समर्थन देने वाले बीजिंग के साथ संघर्ष करेगा और चीन के प्रभाव को रोकने का प्रयास करेगा। संक्षेप में चीन-पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह भारत के लिये अहितकर होगा।

भारत व चीन के बीच तनाव व टकराव के मुद्दे

भारत व चीन जो कि विश्व की एक-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों देशों के बीच अनेक ऐसे तनाव के मुद्दे हैं जिन पर अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति की दशा व दिशा निर्भर करती है। ये मुद्दे अग्रलिखित हैं–

1. भारत व चीन के बीच में सबसे बड़ा तनाव सीमा विवाद है भारत व चीन के बीच 4000 कि.मी. की सीमा है जो कि निर्धारित नहीं है। इसे LAC* कहते हैं। भारत और चीन के सैनिकों का जहाँ तक कब्जा हैं वही नियंत्रण रेखा है लेकिन चीन इसे नहीं मानता।

2. विवाद का दूसरा कारण तिब्बत समस्या है। भारत ने तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा व करमापा को भारत में शरण दिये जाने से चीन खफा है।

3. विवाद का तीसरा कारण है अरूणाचल प्रदेश, चीन इस पर अपना दावा जताता है तथा अरूणाचल को विवादित बताने के लिये ही चीन वहां के निवासियों को 'स्टेपल वीजा' देता है जिसका भारत विरोध करता है।

4. दक्षिण चीन सागर में भारत की पेंठ से भी चीन चिन्तित है। पिछले लगभग एक दशक से भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और सिंगापुर से आर्थिक सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करनी शुरू की है। इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति चीन को नागवार लगने लगी है।

5. विवाद का एक अन्य कारण चीन का जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानना तथा अक्साई चिन रोड़ को लद्धाख में बनाकर चीन ने विवाद को और बढ़ा दिया।

6. चीन, पाक अधिकृत कश्मीर (POK) को पाकिस्तान का भाग मानता है। हाल ही में चीन ने यहाँ 46 बिलियन डॉलर की लागत का प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिससे भारत खुश नहीं है।

7. बह्मपुत्र नदी भी दोनों देशों के बीच विवाद का कारण है। चीन यहां बांध बनाकर सारा पानी अपनी ओर मोड़ रहा है। जिसका भारत विरोध करता है।

8. आसियान राष्ट्रों से बढ़ती हुई नजदिकीयाँ तथा हिन्द महासागर में भारत की बढ़ती हुई पेंठ को भी चीन पचा नहीं पा रहा है।

9. चीन कुछ दिनों पूर्व ही हिन्द महासागर के उत्तरी-पश्चिमी छोर पर 'जिबूती' में अपना पहला विदेशी नेवी बेस स्थापित कर रहा है तथा श्रीलंका के हम्बनटोटा बन्दरगाह में भी चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है जिससे भारत की सुरक्षा चिंतायें बढ़ी हैं।

डोकलाम विवाद–डोकलाम एक ट्राई-जंक्शन है। जहाँ भारत चीन और भूटान की सीमा मिलती है। वर्तमान में यहाँ चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। अगस्त 2017 में चीन ने डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिसके कारण दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति कायम हो गई। क्योंकि अगर चीन यहां तक सड़क बनाने में कामयाब हो जाता है तो वह भारत के पूर्वोतर हिस्से तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकता है। भारत के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण उस 20 कि.मी. लंबे कॉरिडोर तक पहुंच बना सकता है जिसे भारतीय सेना की भाषा में 'चिकेन नेक'कहा जाता है और इसके जरिये वह भारत के पूर्व के सातों राज्यों में प्रवेश कर सकता है।

डोक़लाम क्षेत्र में भारतीय सेना की उपस्थिति के कारण भारत भूटान रक्षा संधि है जिसे चीन नहीं मानता। लेकिन भारत ने इस क्षेत्रीय सामरिक क्षेत्र से पीछे हटने को चीन को मजबूर कर दिया जिसे भारत की कुटनीति विजय मानी जाती है।

भारत व चीन के बीच संवाद व सहयोग

भारत और चीन दोनों एशिया महाद्वीप की बड़ी शक्तियां हैं। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से दोनों के सम्बन्ध खराब है। दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा संवाद कायम कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प किया गया है, जिससे दोनों के रिश्तों पर जमी बर्फ आहिस्ता-आहिस्ता पिघल रही है। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये चीन द्वारा मुम्बई मे तथा भारत द्वारा शंघाई में महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने का निर्णय किया गया। चीन व भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी आवाजाही बढ़ी है। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा कि जिससे दोनों देशों ने एक घोषणा पत्र तैयार किया। घोषणा पत्र में अनेक दिपक्षीय व क्षेत्रीय समस्याओं पर अपना रूख स्पष्ट किया।

विदेश नीति पर चीन और भारत बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना का पक्ष लेते हैं। प्रभुत्ववादी व बल की राजनीति का विरोध करते हैं। चीन व भारत मानते हैं कि उनके द्वारा प्रवर्तित किये गये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्त न्छण्ड के चार्टर के लक्ष्यों को प्रतिबंधित करते हैं।

आज चीन और भारत मित्र बनने की कोशिश कर नये युग में प्रवेश कर रहे हैं जो कि व्यापारिक व आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण व सामयिक पहल है। चीन ने भारत में ढाँचागत विकास और संसाधन के क्षेत्र में 50 करोड़ डॉलर के निवेश की इच्छा व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग हेतु व सीमा व्यापार हेतु सिक्किम में ''नाथुला दर्रा'' खोलने की स्वीकृति हुई है तथा सिक्किम के ''छांगु'' में चीन का व्यापार केन्द्र तथा तिब्बत के ''रेनिगगैग'' में भारतीय व्यापार चौकी स्थापित करने की सहमति हुई है।

भारत व चीन के बीच में 1999 व 2000 में जहां व्यापार 18.25 मिलियन डॉलर था वहीं 2010.11 में यह 21.25 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। इसके साथ ही व्यापारिक वीजा की अवधि भी बढ़ाई गई है। 2014 में चीन ने भारत में 116 बिलियन डॉलर का निवेश किया जो कि 2017 तक 160 बिलियन डॉलर हो गया।

भारत व चीन 21 वी सदी में मित्र के रूप में उभर रहे हैं। अर्न्तराष्ट्रीय मामलो में दोनों ने व्यापार सहमति दिखाई है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मानकों में भेदभाव नीति, W.T.O की नीतियाँ तथा U.N.O. में हुये विभिन्न मसलों पर दोनों देशों ने आम सहमति दिखाई है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय मंचो से चीन के साथ संबंध सुधारने पर बल दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बीजिंग यात्राके दौरान दोनों देशों के बीच 24 अहम समझौते हुये। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने कहा कि अगर रिश्तों को मजबूती के साथ आगे ले जाना है, तो चीन को कुछ मुद्दों पर अपने नजरिए पर नये सिरे से सोचना होगा। मोदी के द्वारा किये गये 24 समझौतों में कुछ इस प्रकार है–

1. चीन के सहयोग से अहमदाबाद में महात्मा गांधी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जायेगा।
2. भारत के सहयोग से चीन में योग कॉलेज खुलेगा।
   चीन की सरकारी प्रसारण कंपनी सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच सहयोग।
3. इंडिया चाइना थिंक टैंक की स्थापना।
4. वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डवलपमेंट में सहयोग।
5. समुद्र विज्ञान और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में सहयोग।
6. दोनो देशों के राज्यों और म्यूनिसिपैलिटीज के बीच सहयोग इंडो चाइना लीडर्स फोरम की शुरूआत।

अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर वाकई अगली शताब्दी एशिया की होनी है तो यह भारत और चीन पर निर्भर करेगा कि वे कठिनाइयों से उभरकर आधुनिक बनें। तथा एक दूसरे पर राजनीतिक भरोसा बढाने के लिए बेहतर कम्यूनिकेशन बढाना होगा।

ब्रिक्स सम्मेलन में भारत व चीन 5 दिसम्बर 2017 को चीन के जियामेन में 9वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जिसमें एक बार चीन व भारत के बीच अन्तराष्ट्रीय मंच पर सहयोग बढाने की बात की। इस सम्मेलन में मोदी ने कहा कि सभी देशों में शान्ति के लिये एकजुट रहना आवश्यक है। सम्मेलन में कुछ ऐसे बिन्दु थे जहां दोनों देशों में मतभेद था। चीन ने मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं करने दिया तथा छैळ में भारत की सदस्यता का विरोध किया। ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी ने कहा कि आंतकवाद क खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा क्योंकि आंतकवाद एक वैश्विक समस्या है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल इकोनामी को स्टेबल करने कोल्डवॉर, ग्लोबल वार्मिंग आदि मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के इस युग में भारत व चीन अपने अपने शांतिपूर्ण विकास में लगे हैं। 21वीं शताब्दी के चीन व भारत प्रतिदंद्वी भी है और मित्र भी। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में दोनों की व्यापक सहमति है। UNO में होने वाले विभिन्न मतदानों में भारत व चीन का पक्ष समान रहा है। आज दोनों देशों के सामने आर्थिक विकास और जनता के जीवन स्तर को सुधारने का लक्ष्य है। इसलिये दोनों को आपसी सहयोग की आवश्यकता है। आज दोनों देशों की सरकार की समान अभिलाषा है कि दोनों देश आपसी संबंधों को गहनता से विकसित कर आगे बढ़ो।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति नारायण ने कहा ''मेरा विचार है कि चीन और भारत को द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करना चाहिए हमारे बीच सहयोग दुनिया विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा कर सकेंगे।'' अत: चीन व भारत एशिया के दो ऐसे इन्जन है। जो एशिया के विकास की रेलगाड़ी को तेज रफ्तार से खींच सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. खन्ना, वी.एन, इन्टरनेशनल रिलेशन, एस. चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2013
2. माधव, राम, असहज पडौसी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2015
3. मधुकर, गुरुजी रामजी विश्वकर्मा, भारत - तिब्बत - चीन का अस्तित्व ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2011
4. शर्मा, श्री राम, भारत चीन सम्बंध, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 2001
5. शौरी, अरूण, चीन मित्र या ... प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2006
6. पंत, पुष्पेश, भारत की विदेश नीति, टाटा मैग्रा हिल्स, नई दिल्ली 2013
7. जौहरी, जे.सी, अर्न्ताष्ट्रीय राजनीति, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010
8. शौरी, अरूण, भारत चीन संबंध, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2008
9. दीक्षित, जे. एन. भारतीय विदेश निति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2008
10. दीपक, बी. आर, इंडिया चायना रिलेशन इन दा फस्ट हॉप ऑफ दा 20 सैन्चुरी, ए.पी.एच. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001
11. कामथ, पी.एम. इंडिया चायना रिलेशन ''एन एजेन्डा फोर दा एशियन सैन्चुरी, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2011

प्राचीन जल-प्रबंधन के उपायों का जोधपुर के विशेष संदर्भ में विश्लेषण

मीनाक्षी

शोधार्थी, इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

शोध सारांश

सृष्टि के प्रारम्भ से ही लोग नदियों, झरनों एवं पानी के भराव के आसपास के स्थानों पर रहते आये थे और वहीं पर उत्पन्न होने वाले फल-फूलों पर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। बाद में वे लोग नदियों, झरनों और पोखरों से नालियाँ निकालकर खेती करने लगे। वर्षा के बाद नदी-नालों का पानी कम होने पर उन्होंने अपनी फसल को पानी देने के लिए नदियों में पानी रोकना शुरू किया, जिससे कुछ समय के लिए उनको पानी उपलब्ध हो जाता था। खेती सम्बन्धी ज्ञान बढ़ने पर नदियों के किनारे कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया गया, जोधपुर नगर सहित गांव-गांव में वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजकर रखने के तीरके खोजे एवं जगह-जगह उनको बनाने का बहुत ही व्यावहारिक, व्यवस्थित और विशाल संगठन खड़ा किया। इनके निर्माण की तकनीकी में उतरोत्तर विकास होता गया। जोधपुर जैसे शहर में सदियों से वर्षा के पानी की एक-एक बूंद का संग्रह करने के लिए उच्च कोटि की तकनीकों से नहरों का निर्माण कर जमीन के नीचे, उसके ऊपर साईफन से 20 फीट ऊंची दीवारों पर मेहराब बनाकर और बहुत सी जगह पहाड़ों में 20-30 फीट गहरी एवं 20 फीट चौड़ी खाइयां खोदकर सिर्फ ढलान से शहर में पानी उपलब्ध कराया जाता था।

संकेताक्षर : *मरू भूभाग, जलाशय निर्माण, कुओं, बावड़ियों, नाडियाँ, टांके*

भारत में दीर्घकाल से कुएँ, बावड़ियाँ, झालरे, नाडे, नाडियाँ और टांकों आदि का निर्माण करना धर्म का सर्वोच्च स्वरूप समझा जाता रहा है। इस कार्य में आस्था रखने वाले लोग सदियों से इनका निर्माण करते आ रहे हैं, सृष्टि के प्रारम्भ से ही लोग नदियों, झरनों एवं पानी के भराव के आसपास के स्थानों पर रहते आये थे और वहीं पर उत्पन्न होने वाले फल-फूलों पर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। बाद में वे लोग नदियों, झरनों और पोखरों से नालियाँ निकालकर खेती करने लगे। वर्षा के बाद नदी-नालों का पानी कम होने पर उन्होंने अपनी फसल को पानी देने के लिए नदियों में पानी रोकना शुरू किया, जिससे कुछ समय के लिए उनको पानी उपलब्ध हो जाता था। खेती सम्बन्धी ज्ञान बढ़ने पर नदियों के किनारे कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया गया, जिससे उन्होंने खेती शुरू की और वर्षा के बाद खेतों में पानी दिया जाने लगा। इस प्रकार कुओं और बावड़ियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं वातावरण परिस्थिति अलग प्रकार की है। यह अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। थार रेगिस्तान का 66 प्रतिशत (3.71 लाख वर्ग किलोमीटर में से 2.08 लाख वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र राजस्थान में है। राजस्थान के भू-भाग जिसे मुख्यत: मारवाड़ कहा जाता है, वहां अल्प वर्षा, नियमित रूप से अकाल की स्थिति, भू-जल के स्तर में अनवरत गिरावट एवं तापमान में असामान्य परिवर्तन के दृष्टिगत ही राहत एवं बचाव के जो जतन किए जाते रहे, उन्हीं से तरह-तरह के जलाशयों का निर्माण इस भूभाग पर हुआ। जल की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण ढांचों का निर्माण किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधि रहा।[1] मरू भूभाग में भूमि बालू, कम वर्षा तथा जल के भूमि में रिसने की गति अधिक होने के कारण जल का सतह पर बहकर जाना संभव नहीं होता, इसीलिए जल संग्रह एवं प्राप्ति के तरह-तरह के स्वरूप यहां बने। मरू मानवों ने जोधपुर नगर सहित गांव-गांव में वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजकर रखने के तीरके खोजे एवं जगह-जगह उनको बनाने का बहुत ही व्यावहारिक, व्यवस्थित और विशाल संगठन खड़ा किया। सीधे बरसात से मिलने वाला जल जो धरातल पर बहता है और उसे तालाब, नदी आदि में रोका जाता है। जल का दूसरा रूप पाताल जल है जो कुओं, बावड़ियों, झालरों से निकाला जाता है। तीसरा रूप रेजाणी जल

है। धरातल से नीचे उतरा परन्तु पाताल में न मिल पाया जल ही रेजाणी जल है इसे समेटकर संगृहीत करने का स्वरूप ही कुई है।[2]

देश के सबसे कम वर्षा के क्षेत्र राजस्थान और उनमें भी सबसे अधिक सूखा माने जाने वाले, थार रेगिस्तान में बसे सैंकड़ों गांवों के नाम ही तालाब के आधार पर मिलते हैं। गांवों के नाम के साथ ही जुड़ा है 'सर'। सर यानी तालाब। सर नहीं तो गांव कहां? तालाब बनाने के लिये वैसे तो दसों दिशाएं खुली है, फिर भी जगह का चुनाव करते समय अनेक बातों का ध्यान रखा गया।तालाब निर्माण के लिए जगह चयनित हो जाने के पश्चात् आगोर जहां से जल आएगा, उसकी साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया जाता है। इसी तरह आगर, जहां पानी आएगा, उसका स्वभाव परख लिया जाता है। पाल कितनी ऊंची होगी, कितनी चौड़ी होगी, कहां से कहां तक बंधेगी तथा तालाब में जल पूरा भरने पर उसे बचाने के लिए अपरा कहां बनेगी, इसका आकलन भी कर लिया जाता है।

वर्षा की बूंदों यानी पालर के जल को साफ सुथरी जगह पर रोक कर उनका संग्रह करने के जतन ने ही कुंड-कुंडी, टांका आदि का स्वरूप बनाया। इस भू-भाग के समाज ने जल को अनगिनत बूंदों में देखा और इन्हें टांकों, कुण्ड-कुण्डियों, वेदियों, नाडा-नाडियों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं एवं कुइंयों में भर कर संचित, संगृहीत तथा सुरक्षित कर लिया। जलाशय निर्माण में मुख्य शिल्पियों में प्रथम गजधर-प्रारूप ढांचा बनाने वाले तथा द्वितीय सूत्रधार अर्थात प्रबन्ध करने वाले होते थे।[3] निर्माण पूर्व अधिकारियों को जलाशय के स्थल का चुनाव नाप एवं जाँच पड़ताल हेतु भेजा जाता था। महाराजा स्वयं भी कई बार जलाशय निर्माण के समय उपस्थित रहते थे।[4] मालवा आदि से अच्छे कारीगर, मजदूर बुलाये जाते थे। पत्थर, लोहा आदि बांध निर्माण से संबंधित सामग्री को उपयुक्त स्थानों से मंगवाया जाता था।[5]

भूमिगत जल का सही आकलन करने में सिद्धहस्त व्यक्तियों द्वारा बताये गये स्थान पर कुएं, बावड़ियां आदि खोदे जाते थे। नदियों एवं सरोवरों के रिसाव क्षेत्र में इनका निर्माण अधिक किया जाता था, क्योंकि वहां जल की उपलब्धता निश्चित होती थी।[6] जल-आवक क्षेत्र का पता लगाने के पश्चात् जहां कहीं स्थान मिले, वहां बिना प्रमाण[7] के सरोवर भी बनाये जा सकते हैं। दो पहाड़ों के बीच या पहाड़ी की घाटी को बांधकर कम व्यय में बड़े तालाब बनाये जाये। जहां आसपास अधिक जमीन हो तो उसकी जल भराव क्षमता बढ़ सकती है। ऐसे सरोवर अच्छे माने जाते थे।[8] इनके निर्माण की तकनीकी में उतरोत्तर विकास होता गया। राजवल्लभ में मकान, जलाशय आदि की नींव इतनी गहरी खोदने के निर्देश हैं कि नीचे पक्का पत्थर आ जाये।[9] कठोर पत्थरों की खुदाई हेतु चिनियां, सबल आदि को अग्नि-जल एवं औषधियों में बुझाकर उनको नुकीला बनाया जाता था। औजारों को कठोर बनाने के लिए बबूल, तेंदुए, पलास, इमली, बेर का पानी, छाछ, नीम की छाल, गाय का मूत्र और तेल-छाछ एवं पानी को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता था।[10] अन्य औजार वहीं प्रयोग में लिय जाते रहे थे, जो आज भी प्रचलित हैं।

देश भर में जोधपुर ही ऐसा शहर है जहां सदियों से वर्षा के पानी की एक-एक बूंद का संग्रह करने के लिए उच्च कोटि की तकनीकों से नहरों का निर्माण कर जमीन के नीचे, उसके ऊपर साईफन से 20 फीट ऊंची दीवारों पर मेहराब बनाकर और बहुत सी जगह पहाड़ों में 20-30 फीट गहरी एवं 20 फीट चौड़ी खाइयां खोदकर सिर्फ ढलान से शहर में पानी उपलब्ध कराया जाता था।

उम्मेद सागर नामक झील का निर्माण पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कराया। वर्तमान में जिस स्थान पर यह झील है वहां पहले महाराजा अमनसिंहजी ने बांध का उद्यान बनवाया था और महाराजा जसवंतसिंह जी द्वितीय ने सन् 1893 में उसे चौपासनी बांध नाम दिया था। उसकी मरम्मत महाराजा सरदारसिंहजी ने सन् 1908 में तथा महाराजा सुमेरसिंहजी ने सन् 1918 में उसके टूट जाने पर कराई थी लेकिन सन् 1924 में यह फिर से टूट गया। इसके बाद इसकी मरम्मत नहीं कराई गई और उसे उद्यान का स्वरूप प्रदान कर दिया गया।

महाराजा उम्मेदसिंहजी ने सन् 1938 में पुन: तखत सागर का निर्माण कराया। तखत सागर एवं नहर का कार्य पूरा हो जाने पर इसका उद्घाटन समारोह 29 अप्रैल 1938 को आयोजित किया गया। इससे जोधपुर शहर को स्वच्छ जल मिलने लगा।

बाल समन्द झील जोधपुर का सबसे पुराना जल स्रोत है। यह झील जोधपुर की स्थाना से भी बहुत पहले बनी थी। इस झील का निर्माण मण्डोर से कुछ पहले संवत् 1175 में नाहड़ राव के भाई बालाराव परिहार ने करवाया था। इसका नए सिरे से पुन: निर्माण जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा ने कराया। बाद में इस झील का विस्तार महाराजा सूरजसिंहजी ने कराया।

जोधपुर नगर की विशाल आबादी के लिए जलापूर्ति का मुख्य स्रोत आज भी कायलाना झील है। इस झील का निर्माण महाराजा तख्तसिंह जी के समय नाजर सालगराम ने कराया था। उस समय झील पर बांध तथा बाग बनाने के साथ ही महल का निर्माण भी कराया गया था। संवत् 1905 में कायलाना झील का निर्माण

कार्य शुरू हुआ तथा महाराजा जसवंतसिंह द्वितीय के समय पूरा हुआ। कायलाना झील पर जो दो प्राचीन उद्यान थे, उन्हें जोधपुर के शासक महाराजा भीमसिंह तथा महाराजा तख्तसिंह ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। ये दोनों उद्यान तब नष्ट कर दिए गए जब जोधपुर नगर की जलापूर्ति के लिए इस कृत्रिम झील के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। यह झील जोधपुर नगर की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत बनी हुई है।

मारवाड़ के हृदय स्थल जोधपुर की बावड़ियों का महत्व है। जोधपुर नगर में बनी स्थापत्य कला की प्रतीक इन नामचीन बावड़ियों में से कुछ का जहां एक ही प्रवेश द्वार है, वहीं कई बावड़ियों में प्रवेश के लिए दो और तीन द्वार भी बनाए गए। इसी तरह कई बावड़ियां एक मंजिला रही तो कई बावड़ियां दो और तीन मंजिला भी बनाई गई। इन मंजिलों के प्रांगण में ही जन समुदाय विश्राम करता रहा और सामाजिक बैठकें तथा धार्मिक आयोजन होते रहे। बावड़ी किस स्थान पर बनेगी यह निर्धारण मारवाड़ में पारखी लोग करते हैं जिन्हें जनवाणी में 'पानी वाले महाराज' कहा जाता है। इनमें प्रमुख बावड़ियां-इमरती बावड़ी, चांद बावड़ी, जालप बावड़ी, तापी बावड़ी, नाजरजी की बावड़ी, गोराधाय (गोरूंदा) बावड़ी, बलूंदा हवेली की बावड़ी, चैनपुरा अखाड़ा की बावड़ी, नाजरजी की दूसरी बावड़ी, राजसिंह चांदावत की बावड़ी, रंगराय की बावड़ी रायका का बाग ऊपरी बावड़ी, पंडित जी की बावड़ी, माहेश्वरियों की बावड़ी, कंदोइयों की बावड़ी, सेवापुरी की बावड़ी, धर्मपुरा की बावड़ी, मोदीजी की बावड़ी, व्यासजी की बावड़ी, सूरजकुंड बावड़ी, राम बावड़ी, नैणसी मुहता बाग की बावड़ी, मियां का बाग की बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, धाय की बावड़ी, पुरोहित की बावड़ी, रघुनाथ की बावड़ी, बीजेराज जोशी की बावड़ी, रावटी की बावड़ी आदि है। ये सभी बावड़ियां जोधपुर नगर के लिए प्रमुख जल स्रोत रही और इसका निर्माण भविष्य की आवश्यकता को देख-समझ कर शासक तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने समय-समय पर कराया।

बावड़ियां-कुएँ जहां भू-जल के मुख्य स्रोत रहे वहीं बरसात के जल को संगृहीत और सुरक्षित रखने के प्रमुख आशय तालाब रहे। बड़ी संख्या में लोग जल का उपयोग कर सके, इसके लिए जोधपुर नगर के भीतर एवं बाहर अनेक तालाब समय-समय पर बने। नगर के बाहरी क्षेत्रों में पहाड़ियों के मध्य किसी गहराई वाले स्थान पर ये तालाब बनाए गए वहीं नगर के भीतरी भागों में तालाबों को चारों ओर ऊंची दीवारों से घेर कर बनाया गया तथा घाट बनाए गए। पहाड़ी क्षेत्रों में बने तालाबों में बरसात का जल पहाड़ों से बहकर स्वत: पहुंचकर एकत्र होता था जबकि नगर के भीतरी भागों में बने तालाबों तक जल लाने के लिए पक्की नहरों का निर्माण किया गया। तालाबों की सफाई के प्रति जन-जन सजगता बरतता रहा, कारण कि वह जानता था कि जीवनदायी जल की स्वच्छता एवं निर्मलता ही उसके, उसके परिवार, उसके समाज और उसके नगर की खुशहाली का मुख्य आधार है।

मरूभूमि में बरसने वाले अल्प जल को पूरी तरह रोक लेने की महारत पालीवाल ब्राह्मणों को हासिल थी। जोधपुर के निकट पल्ली नगर में दसवीं शताब्दी के आस-पास बसने के कारण ही पल्लीवाल यानी पालीवाल ब्राह्मण कहलाए। वे खड़ीन के अच्छे निर्माता थे। मरूभूमि का ऐसा कोई टुकड़ा जहां जल बहकर आता हो, वहां दो या तीन तरफ से मेड़बन्दी करके जल को रोककर विशिष्ट ढंग से तैयार बांधनुमा खेत को खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन खेत बाद में है, पहले तो तालब ही है। मरूभूमि से सैकड़ों मन-अनाज इन्हीं खड़ीनों में पैदा किया जाता रहा है। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में सैकड़ों खड़ीन खड़ी है।

कुएँ मानव जीवन में जलापूर्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे हैं, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जितने मुहावरे-लोकोक्तियां कुओं को लेकर प्रचलन में है, उतनी अन्य किसी जलाशय को लेकर नहीं। 'कुआं खोदना', 'कुआं चलाना', 'कुएं में झांकना', 'कुआं टूटना', 'कुएं की मिट्टी कुएं में लगाना', 'कुएं पर से प्यासा आना', 'कुएं में फैंकना', 'कुएं में बांस डालना', 'कुएं में भांग पड़ना', 'कुएं में डालना' आदि इतने मुहावरे और लोकोक्तियों का इस जलाशय से जुड़े हुए होना उसके महत्व को प्रतिपादित अच्छी तरह कर देते हैं।

जोधपुर नगर में कुएं बनाने का क्रम राव जोधा के साथ शुरू होकर बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक बना रहा। सूरसागर तालाब निर्माण के साथ ही सूरज बेरा भी बनाया गया। उसके बाद सूरसागर तालाब के पास ही बनाए गए बगीचे में कुआं बनवाया गया। महाराज सूरसिंह के समय भाटी गोविन्ददास ने राजबाग क्षेत्र में महल कुआं, महाराजा गजसिंह के समय सूरसागर क्षेत्र में बागपोल कुआं, सूरसागर क्षेत्र में ही संवत् 1671 में कूंपावत रामसिंह ने कुआं बनवाया। माराजा मानसिंह के समय कोतवाल जीवनदास ने और महाराजा तख्तसिंह के समय कोतवाल शेषकरण पंवार ने जो कुएं बनवाए, वे आज भी कोतवाली तथा नवचौकियां इलाके में मौजूद हैं। महाराज जसवंतसिंह की रानी ने हरमंदिर के पास कुआं बनवाया। सूरसागर क्षेत्र में ही शंकर जोशी ने कुआं बनवाया जो जाजा बेरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कुआं संवत् 1717 में बना। इसके सोलह साल बाद यानि संवत् 1733 में रूपा झीपा

ने जो कुआं बनवाया वह रूपा बेरा के नाम से आज भी मौजूद है। अधिक दोहन करने व अकालों के कारण इन झीलों में पानी की मात्रा कम होने लगी। ओटो के नाले नहीं चलने के कारण सभी कुएँ, बावड़ियाँ और झालरे आदि सूख गये और कुछ का पानी काम में नहीं लेने से गन्दा हो गया। तब लोगों ने जलकल (वाटर पम्प) की ही शरण ली और इन परम्परागत जलस्रोतों को भूल गये।

संदर्भ सूची

1. एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ जोधपुर स्टेट, 1884-1946
2. ओझा, गौरीशंकर, जोधपुर का इतिहास, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, 2010, पृ. 35
3. शर्मा, श्रीराम, महाराणा राजसिंह एण्ड हिज टाईम्पस, पृ. 46
4. राजप्रशस्ति, सर्ग 1, श्लोक 10; सर्ग 9, श्लोक 9 व 19-21; जयसमुद्र प्रशस्ति; सर्ग 12
5. वीर विनोद, भाग 2, पृ. 667
6. आवरगढ़, उदयपुर, गोगून्दा, चावण्ड आदि का सर्वे।
7. विश्ववल्लभ; में बिना प्रमाण के जलाशय बनाने का निर्देश यहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर दिया गया है। मेवाड़ में पहाड़ों के कारण निश्चित प्रमाण के जलाशय बनाने की अपेक्षा जल-संसाधन की वृद्धि पर बल देने की मंशा झलकती है। साथ ही कम खर्च में इनके निर्माण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। कुम्भलगढ़ दुर्ग में एक के नीचे दूसरा जलाशय बनाया गया है, इस तकनीक से सम्पूर्ण क्षेत्र का जल एकत्रित किया जाता था। शोध पत्र; महाराणा कुम्भाकालीन सुरक्षा के प्रमुख पहलू, कुम्भा स्मारिका, 1998-99, पृ. 69
8. विश्ववल्लभ, उल्लास 1
9. राजवल्लभ, अध्याय 1, श्लोक 27
10. विश्ववल्लभ, उल्लास 2, श्लोक 25-39

पश्चिमी राजस्थान में दलित पाक विस्थापितों की नागरिकता एवं पुनर्वास : अम्बेडकरवादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय

डॉ. मेहरा राम

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए शरणार्थियों का मुद्दा एक ज्वलंत समस्या बन चुका हैं। गत पांच दशकों से भी अधिक समय से यह उपमहाद्वीप राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, नृजातीय, धार्मिक, भाषाई और आर्थिक संघर्ष के कारण चर्चित रहा है। भारत सभी दक्षिण एशियाई देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मेजबानी करता रहा है। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जिसकी सीमा पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, बर्मा, चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके भारत में शरणार्थियों की शरण लेने की सम्भावना अत्यधिक प्रबल है। 1947 में भारत के विभाजन ने एक बड़ी शरणार्थी समस्या उत्पन्न कर दी। लाखों लोगों को नवनिर्मित सीमा को पार कर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जिसने भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया था। वर्षो तक और बाद तक पड़ौसी देशों से बड़ी सख्या में अल्पसंख्यक समूहों ने जिन्होंने विभिन्न रूपों में उत्पीड़न का सामना किया, भारत में पलायन कर दिया। अनेक आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से भी आए फिर भी भारत में रहने वाले शरणार्थियों की अपेक्षाकृत बड़ी सख्या के बावजूद देश में कोई सटीक शरणार्थी नीति नहीं है और न ही भारत ने 1951 के शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन पर और 1967 के शरणार्थियों के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

संकेताक्षर : *दक्षिण एशिया, शरणार्थी, पाक विस्थापित, नागरिकता, पुनर्वास, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास*

सम्पूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जो दक्षिण एशियाई देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मेजबानी करता है, लेकिन यहाँ न तो कोई सटीक शरणार्थी नीति है और न ही कोई शरणार्थी आयोग। दलित पाक विस्थापित विभिन्न रूपों में हो रहे उत्पीड़न के कारण भारत आ रहे हैं। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या दशाएं हैं कि दलित भारत की ओर आ रहे हैं, उनकी स्थिति दयनीय क्यों है? भारत में आने पर ये लोग पाकिस्तान वापस क्यूं नहीं जाना चाहते। क्या अम्बेडकरवादी दर्शन से उन्हें भारत में सामाजिक न्याय मिल पाएगा, उन्हें आर्थिक सशक्तीकरण मिलेगा। भारत में इन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी, उनका पुनर्वास पैकेज कैसे तय होगा, भारत की सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं आदि कारकों के कारण इस शोध अध्ययन की आवश्यकता है। अम्बेडकर ने इन दलित पाक विस्थापितों को ''भारत के बीमा लोग'' की संज्ञा दी थी। वर्तमान में अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से ही ये दलित नागरिकता के साथ-साथ समावेशी लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में रहने वाले विभिन्न शरणार्थी समूहों में सबसे अधिक उपेक्षितों में से पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शरणार्थी है जो 1965 में या बाद में भारत में स्थानान्तरित हो गए। ये हिन्दू हैं और विभिन्न जातियों के हैं इनमें अधिकतर दलित पाक विस्थापित हैं जो पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर में रहते हैं। इनमें अधिकतर मेघवाल एवं भील समुदाय से हैं जो भूमिहीन एवं बेघर है साथ ही बंधुआ मजदूरी करते है। ये कशीदाकारी के कार्य में निपुण हैं जो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है। ये सब लोग भारत में नागरिकता एवं पुनर्वास संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन शरणार्थियों में से अधिकांश सिंध में थारपारकर, उमरकोट, मीरपुरखास एवं भावलपुर जिलों से हैं। ये शरणार्थी सिंध हिन्दू शरणार्थियों से अलग है जो 1947 में विभाजन के कारण भारत में स्थानान्तरित हुए जो मुख्य रूप से सिंधी भाषी थे और जातीय रूप से सिंधी थे लेकिन थारपारकर से आए शरणार्थी अलग है इनकी अपनी स्वयं की भाषा ढकटी है और

भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पहचान रखते हैं और सीमा पार भारत में रहने वाले लोगों से समान परिवेश बोली एवं रहन सहन है। इनमें से अधिकतर भूमिहीन दलित और आदिवासी हैं। सामाजिक परिमंडल में इन दलितों को बहिष्कार और वंचना झेलनी पड़ रही है।

थारपारकर एक शुष्क क्षेत्र, विशाल थार रेगिस्तान का भाग है। यह पश्चिम में राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर से सटा हुआ है। सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से थारपारकर में मानव बस्ती के सबूत है। थारपारकर में एक मिश्रित हिन्दू- मुस्लिम आबादी है हिन्दूओं में अधिकतर दलित समुदाय से है। भारत के विभाजन के बाद, थारपारकर के क्षेत्र में कुछ हिंसा और शरणार्थियों के आंदोलन देखे गए। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान थारपारकर से विशाल संख्या में पाक विस्थापित भारत की ओर पलायन हुए। इसी तरह 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारत ने थारपारकर का एक बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के 60 हजार हिन्दू भारत में आ गए और पाकिस्तान न लौटने का निश्चय किया। बाद के वर्षो में धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव के कारण थारपारकर के दलितों का भारत में पलायन बढ़ता गया। यह पलायन आज भी जारी हैं। ये शरणार्थी दलित समुदाय अर्थात् अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंध रखते हैं जो बड़ी संख्या में अशिक्षित, गरीब और भूमिहीन है। ये पाकिस्तान में जमींदारों के खेतों में भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करते थे और भारत में वे लगातार शरणार्थी कैम्पों में रह रहे है। ये कैम्प भारत सरकार द्वारा जोधपुर एवं बाड़मेर जिले में स्थापित किए गए थे। 1978 में जनता पार्टी की भारत सरकार ने इन कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जिसमें 1967 और 1971 में आने वाले शरणार्थी थे। सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ऐसा किया था। नागरिकता प्रक्रिया के पूर्ण होने के तुरंत बाद राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 1971 के शरणार्थियों के लिए पुर्नवास पैकेज की घोषणा की थी।

1971 के शरणार्थियों के लिए घोषित पुनर्वास पैकेज में केन्द्र से भूमि और 90 लाख रूपये नकद शामिल थे, लेकिन शरणार्थी परिवारों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अज्ञानता के कारण बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ। पाक दलित विस्थापितों का पलायन भारत में आज भी जारी है जो धार्मिक उत्पीड़न, असुरक्षा, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, बढते हुए धार्मिक कट्टरवाद, इस्लामी राष्ट्रवाद की छवि, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, जातिगत भेदभाव, अल्पसंख्यक हो जाना, हिन्दूओं के पूजा स्थलों पर हमले, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, आर्थिक असुरक्षा, राजनैतिक उपेक्षा, मार्शल लॉ और इस प्रकार के अन्य मामलों से यह पलायन हो रहा है। वर्तमान में आए इन पलायनकारियों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तकनीकी रूप से वे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 (I) (C) के तहत, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यक्ति निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक हो सकता है। इन विस्थापितों के लिए नागरिकता एवं पुनर्वास संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए 1999 में जोधपुर में पाक विस्थापित संघ (PVS) की स्थापना की गई। पीवीएस मुख्य रूप से पलायनकारी समुदाय के साथ कार्य करता रहा है, नागरिकता और पुनर्वास से संबंधित उनकी समस्याओं को उजागर करता रहा है इसी तरह इन शरणार्थियों में सद्भावना कायम करने एवं सीमा पर रह रहे लोगों के साथ शांति को बढ़ावा देने के लिए 2005 में सीमांत लोक संगठन (SLS) का गठन किया गया। इन दोनों संगठनों ने पाक विस्थापितों को आधारभूत मानव अधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रयत्न किए हैं। ये सगंठन लोक सुनवाई जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं ताकि सरकारी अधिकारियों के समक्ष पुनर्वास और नागरिकता संबंधी समस्याओं को रखा जा सके। इसी तरह उजास (यूर्निवर्सल जस्ट एक्शन सोसाइटी) की स्थापना भी की गई है जो इन विस्थापितों की सहायता के लिए राहत शिविर एवं जागरूकता, शिक्षा, रोजगारयापन, आदि संबंधी कार्य करती है। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ रहे हैं। अम्बेडकर का मानना था कि एक सभ्य समाज व राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह इन शरणार्थियों को नागरिक अधिकार दें। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आजादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं, राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने की शक्ति प्रदान करते हैं। सामाजिक-आर्थिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार को सुलभ बनाते हैं।

अम्बेडकर सामाजिक न्याय के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका मानना था कि शिक्षा, सगंठन एवं संघर्ष तीन प्रमुख स्वावलम्बी साधन है। अम्बेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता में भागीदारी की मांग की थी। एक उदार लोकतंत्रवादी के रूप में अम्बेडकर मानव अधिकारों एवं नागरिक स्वतन्त्रताओं के समर्थक थे। उनका मत था कि भारत भूमि के सभी लोगों को

समान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों के साथ साथ समान नागरिकता मिलनी चाहिए। अधिकारों की एक आदर्श व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को शासन की निरंकुशता से बचाना तथा उसे विकास के अवसर देने के साथ ही नागरिक समाज के सभी सदस्यों के बीच स्वतन्त्रता, समानता एवं भाई-चारे के संबंधों की स्थापना भी है। ज्यादातर विस्थापितों के दलित होने के कारण यहाँ अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण की सार्थकता है। अम्बेडकर का मानना था कि केवल राजनैतिक अधिकारों मात्र से या नागरिकता से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, इन्हें सामाजिक-आर्थिक न्याय देना होगा। समावेशी दृष्टिकोण से अधिकार सम्पन्न करना होगा।

पाक विस्थापितों के लिए कार्य करने वाले संगठन पाक विस्थापित संघ एवं लोक सीमान्त संगठन का मानना है कि अम्बेडकर दर्शन एवं दृष्टिकोण से इन विस्थापितों की नागरिकता का समाधान निकाला जा सकता हैं। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए नागरिकता आवश्यक है। नागरिकता के अभाव में बड़ी सख्या में शरणार्थी आधारभूत मानव अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, बैंक अकाउंट, रोजगार, न्याय, मतदान, भूमि, सरकारी नौकरी एवं कानूनी अधिकारों से वंचित है। पाक विस्थापित संघ शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता एवं पुनर्वास पैकेज के लिए अम्बेडकरवादी दर्शन के सामाजिक न्याय से समाधान के लिए प्रयासरत है। इसके माध्यम से कुछ लोगों को नागरिकता मिली भी है, फिर भी, अभी तक लगभग 4000 शरणार्थी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वंचित है, यद्यपि ये वापस पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते हैं। बिना भारतीय नागरिकता के वे किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जा सकते है, इस प्रकार ये गरीबी और निरक्षरता के कुचक्र में फंसे हुए हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान में दलित पाकिस्तानी शरणार्थियों की समस्याओं को देखने के लिए एक स्थाई सेल के निर्माण की घोषणा की है जो मुख्य रूप से नागरिकता और पुनर्वास संबंधी समस्याओं को देखेंगी। इसके साथ ही दो उपसमितियों का भी गठन किया गया है जो इन विस्थापितों की अनेक समस्याओं के साथ साथ शिक्षा, रोजगार एवं शिविरों से संबंधित व्यवस्थाएँ देखेगी।

हाल ही में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। सरकार ने अचानक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों की फीस बढ़ा दी है जो राजस्थान में पाकिस्तानी दलित विस्थापितों की पहुंच के बाहर है एक ऐसे समुदाय के लिए जो बहुत ही गरीब, निरक्षर और भूमिहीन है। सरकार द्वारा सिटिजनशिप कैम्प लगाए गए थे। जिनके माध्यम से नागरिकता संबंधी कार्य किए गए। हाल ही में भारत सरकार ने एक सार्थक पहल की है, अब जिला मजिस्ट्रेट को यह दायित्व व शक्ति दी गई है कि वे एक सर्वे कराकर दलित पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करे। हाल ही में पाक विस्थापित हिन्दुओं को भारत में शरण देने एवं उनकी नागरिकता को लेकर हो रही अनियमितताओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और जोधुपर कलक्टर को निर्देश दिए कि हजारों आवेदनों का निस्तारण कर इनकी नागरिकता सुनिश्चित की जाए ताकि इन्हें मूलभूत मानवाधिकार एवं सामाजिक अधिकार मिल सके। साथ ही राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए ताकि ये शरणार्थी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले सकें।

नागरिकता से संबधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता की लोकतात्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। इसी के फलस्वरूप नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधित नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में पड़ोसी देशों से आए हिन्दू, सिख व अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है, चाहे उनके पास जरूरी दस्तावेज हो या नहीं। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 12 वर्ष के बजाय 7 वर्ष पूरा करने पर नागरिकता के पात्र हो सके। वहीं सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा बताते है कि यह अवधि 5 साल होनी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार की ओर से विस्थापितों के लिए बैंक खाता खोलने, संपति रखने व ड्राईविंग लाइसेंस सहित कई सुविधाएं देने की घोषणाएं की गई, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया है। विमुद्रीकरण का इन विस्थापितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि इनके पास पहचान पत्र नहीं था। ये अपनी करेंसी बदल नहीं पाए। दिसम्बर 2016 में संयुक्त संसदीय समिति सांसद डा. सत्यपाल सिंह की अगुवाई में पश्चिमी राजस्थान पहुंची और कालाबेरी, भीलों की बस्ती, मारवाड, आंगणवा, झंवर, नगर और अलकोसर नगर में विस्थापितों से उनकी समस्याएं सुनी और नागरिकता का आश्वासन दिया। भारतीय नागरिकता नहीं होने के कारण पाकिस्तान से आए दलित विस्थापितों को साठ साल बाद भी भारत में हर दिन एक बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और व्यापार की जद्दोजहद में पुलिस, इंटेलीजेंस और अन्य सुरक्षा एजेन्सियों की नजरों में रहना पड़ता है जैसे कि भारत में उनका कोई वजूद ही न हो। इन

सब समस्याओं का समाधान अम्बेडकरवादी दर्शन में मौजूद है। भारत सरकार को अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण में इन्हें नागरिकता के साथ साथ समुचित अधिकार देने होंगे। तभी ये सत्ता में हिस्सेदारी के साथ साथ, समाज में मौजूद भेदभाव और बराबरी के लिए संघर्ष कर पाएंगे।

राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानु मेहता का कहना है कि अम्बेडकरवादी दर्शन से भारतीय राजनीति के परिदृश्य विशेषकर दलितों की स्थिति को बदला जा सकता है। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई जो यह दर्शाता है कि अम्बेडकर भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में किस तरह वापसी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इन पाक दलित विस्थापितों की समस्याओं का समाधान कर सामाजिक न्याय के साथ - साथ सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण देना होगा तभी परम्परागत सामाजिक - आर्थिक असमानताओं का अंत होगा। तभी नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ इन वंचित तबकों को प्राप्त होगा। तभी यूएनओ ने कहा है कि अम्बेडकर के विचारों से ही असमानताओं को दूर करते हुए हम सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूएनएससीआर में कहा कि "संसार के शेष लोगों के लिए भारतीय शरणार्थी नीति अनुसरण करने योग्य हैं"। राष्ट्र एवं समाज की वास्तविक खुशी तभी हासिल की जा सकती है जब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का भी कल्याण हो सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा बताई गई शरणार्थी नैतिकता के तहत इन पाक विस्थापितों को मानवीय अधिकार दिए जा सकते हैं। वहीं सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा बताते है कि ''विस्थापितों की समस्याओं का स्थाई समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति बनानी होगी। गृह मंत्रालय इसमें रूचि ले रहा है और विस्थापितों को जल्द ही भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। इन विस्थापितों का संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार अवधारणा तथा अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के अनुरूप पुनर्वास होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गजदर, हैरिस, ए रिव्यू ऑफ माइग्रेशन् इश्यूज इन पाकिस्तान, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ. 134-138
2. सोढ़ा, हिन्दू सिंह, फेंस बियोन्ड फेन्सिंग : डाईलमा ऑफ पाक माइनॉरिटी माइग्रेटस इन इंडिया वर्सेज रिजिम ऑफ राइट्स, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014, पृ. 44-74
3. फिस्के, लकी, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजी प्रोटेस्ट एण्ड इमिग्रेशन डिटेनशन, पालग्रेव पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 2016, पृ. 37-40
4. जयाल, नीरजा गोपाल, सिटिजनशिप एण्ड इट्स डिसकनेक्ट्स : एन इंडियन इस्ट्री, स्वास्तिक पब्लिशर्स, आगरा, 2007, पृ. 57-60
5. सोढ़ा, सुथार, हिन्दूसिंह एवं अशोक, दि नोवेअर पीपल (स्टोरी ऑफ दि स्ट्रगल पाकिस्तान रिफयूजी इन राजस्थान), डीके पब्लिशर्स, जोधपुर, 2010, पृ. 22-34
6. प्रो. राम, रोनकी, अम्बेडकर एण्ड दि डाईलेमा ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ओरिएन्टिक पब्लिशर्स, दिल्ली, 2011, पृ. 27
7. जैफरलाट, क्रिस्टोफर, अम्बेडकर एण्ड अनटचेबिलिटी : एनालिसिस एण्ड फाइटिंग कास्ट, सेज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1970, पृ. 63
8. बेट्स, एलेक्जेन्डर, यूएनएचसीआर : दि पॉलिटिक्स एण्ड प्रैक्टिस ऑफ रिफयूजी प्रोटेक्शन इन टू दि ट्वीयन्थ फर्स्ट सेंचुरी, रूटलेज पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2013, पृ. 46
9. राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्र, 2 सितम्बर, 2017 पृ. 12
10. द हिन्दू, समाचार पत्र (डिस्प्लेस्ड पाकिस्तानी एण्ड इंडियन सिटिजनशिप), 29 अगस्त 2017. पृ. 12
11. द इण्डियन एक्सप्रेस (पाक हिन्दू माईग्रेटस डिमांड रिहेबिलिटेशन), 2 जनवरी 2017, पृ. 9

रामायण में शासन पर जनता व जनमत का नियंत्रण

डॉ. कर्मवीर सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

बाबू शोभाराम राजकीय कला, महाविद्यालय, अलवर (राज.)

शोध सारांश

रामायण में महाकाव्य युग को प्रतिबिम्बित करने वाली शासन के कार्यों में जनता की व्यापक सहभागिता के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वह जनता व जनमत की इच्छा, लोकाचार व लोक-परम्पराओं के विरुद्ध रीति से शासकीय कार्यों को संचालित नहीं करे, क्योंकि इससे सम्पूर्ण राज्य नष्ट हो जाता है। ग्रन्थ में व्यक्त इस सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार शासक को दायित्व-निर्वहन हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए ही कतिपय दिव्य गुणों से युक्त किया गया है। रामायण में यह मत अनेकश: व स्पष्टत: व्यक्त हुआ है कि राजा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के द्वारा पूजनीय नहीं है वरन् वह अनेक प्रकार के नैतिक, सैद्धान्तिक व व्यावहारिक व संस्थागत नियन्त्रणों के अधीन है।

संकेताक्षर : *जनमत लोकाचार, लोक-परम्परा, नैतिक नियन्त्रण*

वाल्मिकी कृत रामायण में महाकाव्यकालीन राजव्यवस्था में जनता की सहभागिता एवं शासन कार्यों में जनमत के नियन्त्रण को रेखांकित किया गया है। ग्रन्थ में राज्य के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करते हुए प्रजा का आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान तथा भौतिक कल्याण (प्रजारक्षण व प्रजा रंजन) राजा का प्रमुख व अपरिहार्य दायित्व माना गया है। ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर स्पष्ट किया गया है कि इन दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता ही राजा की लोकप्रियता का आधार बन सकती है। श्री राम के गुणों के सन्दर्भ में ग्रन्थ में एक स्थल पर राजा दशरथ का कथन है कि ''श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते हैं और सम्पूर्ण जीवों पर दया रखते हैं, वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भाँति मुझसे बढ़कर प्रिय हो गये हैं।''[1]

ग्रन्थ में उपलब्ध वर्णन के अनुसार शासकीय शक्ति का संव्यवहार मर्यादित शासन के सिद्धांतों से नियंत्रित व निर्दिष्ट होता था। प्रजा सभी आवश्यक राजनैतिक स्वतंत्रताओं का उपयोग करती थी। जनता राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रुचि रखती थी तथा नीति-विरुद्ध राजकीय कार्यों की निर्भीकता से आलोचना करती थी। जैसे वनवास में जाते हुए कोसल जनपद के ग्रामवासी कहते हुए सुने गये कि ''अहो! काम में पडे़ हुए राजा दशरथ को धिक्कार है।'' ''हाय! हाय! पापशील, क्रूर व धर्म-मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेई को तो दया भी नहीं आई, वह क्रूर अब निष्ठुर कार्य में लगी रहती है।''[2] इससे स्पष्ट होता है कि शासकीय आचरण की समीक्षा करने व आलोचना करने में प्रजा के वाक्-स्वातन्त्र्य के अधिकार को मान्यता प्राप्त थी। ग्रन्थ में शासक को उसकी निन्दा करने वाले वर्ग के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने तथा उसे तिरस्कृत नहीं करने का परामर्श दिया गया है।

ग्रंथ में जनमत के प्रति शासक की संवेदनशीलता आवश्यक मानी गयी है तथा व्यक्त किया गया है कि इससे राजा अपने आचार-विचार में हीनता से बच जाता है, तथा ऐसे राजा की सर्वत्र या कहीं भी बुराई नहीं होती है। जनमत के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीराम ने कहा है ''जनपद के लोग मेरे, सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तथा माता कैकेयी के विषय में क्या-क्या बातें करते हैं? क्योंकि राजा यदि आचार-विचार से हीन हो तो वह सर्वत्र, अपने राज्य में व वन में भी निन्दा के विषय बन जाते हैं- सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है।''[3] ग्रन्थ में उपलब्ध वर्णन शासक की जनमत के प्रति संवेदन-शीलता को सिद्ध करते हैं। पुरवासियों में सीता के विषय में फैले हुए अपवाद से श्री राम अत्यंत व्यथित हुए। उनका कथन है कि ''इस समय पुरवासियों और जनपद के लोगों में सीता के विषय में महान् अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणा भाव है। उन सबकी घृणा मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण किये देती है।''[4] शासक के लिए जनमत के महत्त्व का परिचायक है।

जनपद व पुरवासी जनता में सीता के चरित्र को लेकर चल रहे अपवादों के कारण जनता में सीता की छवि को पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए राम ने भी सभा में सीता द्वारा अपनी शुद्धता और चारित्रिक पवित्रता की शपथ लेने को कहा। खुले दरबार में आयोजित सीता का शुद्धता-समारोह भी इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि शासकीय आचरण में लोक परम्पराओं व जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाता था।[5]

ग्रन्थ में प्रतिपादित हुआ है कि लोकाचार व लोकनिन्दा का भय शासकीय आचरण पर नियंत्रण रखता था। श्री राम ने लोक-निन्दा के भय से ही सीता का परित्याग करने का निर्णय लिया। श्रीराम ने जनमत के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हुए कहा ''नरश्रेष्ठ बन्धुओं! मैं लोकनिन्दा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है।''[6] ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर सीता की अग्नि-परीक्षा के समय अग्नि देव को राम द्वारा कहे गए अग्रांकित शब्द सिद्ध करते हैं कि अग्नि परीक्षा भी जनमत व लोकाचार के भय से कराई गई थी: ''यदि मैं जनकनन्दिनी की शुद्धता के विषय में परीक्षा न कराता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही कामी और मूर्ख है।''[7] ''तथापि तीनों लोकों के प्राणियों को विश्वास दिलाने के लिए एक मात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की।''[8]

ग्रन्थ में प्रजा की इच्छा के अनुरूप शासकीय आचरण को निर्धारित किया जाना राजा का कर्त्तव्य माना गया है जिससे राजा लोक-निन्दा से बच सके। ग्रन्थ में श्री राम ने जनता के बीच चल रही चर्चाओं के विषय में गुप्तचर के समक्ष अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा ''पुरवासी मेरे विषय में कौन सी शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णत: बताओ, जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूँगा तथा जिन्हें अशुभ मानते हैं उनका मैं परित्याग करूँगा।''[9]

ग्रन्थ में राजा को प्रतिदिन, प्रजा में से उससे मिलने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से भेंट करने तथा समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। ग्रन्थ में एक स्थल पर कहा गया है कि ''जो राजा प्रतिदिन पुरवासियों के कार्य नहीं करता, वह नि:सन्देह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है।''[10]

रामायण में विभिन्न प्रसंगों में हुए वर्णनों से स्पष्ट है कि शासकीय कार्यों में जनता की पूर्ण रुचि व सहभागिता रहती थी। श्री राम के वन से अयोध्या में लौटने पर अयोध्या के सभी नागरिक उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हुए।[11]

ग्रन्थ में शासक पर जनमत के नियंत्रण का बहुविध संकेत करते हुए राजा द्वारा कर्त्तव्य विषयक निर्णय, प्रजा पर थोपना व्यावहारिक नहीं माना गया है। परन्तु राजकीय आदेशों के प्रति प्रजा की सम्मति को उनकी प्रभावशीलता की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। युवराज अंगद का एक स्थल पर वानरों के प्रति प्रस्ताव करते हुए कथन है कि ''वानरपुत्रों! आप सब लोग मुझे जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करुँगा, क्योंकि कर्त्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ'' ''यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आये हैं, अत: बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है।''[12]

शासन के सफल संचालन हेतु तथा शासन के स्थायित्व व प्रभावशीलता के लिए राजा के जनता से अधिकाधिक सम्पर्क में रहने के महत्त्व को ग्रन्थ में स्वीकार किया गया है। ग्रन्थ में श्री राम ने भरत को उपदेश देते हुए कहा है कि ''राजकुमार! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्नकाल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो।''[13] ग्रन्थ में यह स्वीकार किया गया है कि लोगों के कल्याण के प्रति शासक की चिन्ता व प्रजा के बीच रहते हुए उनके सुख-दु:खों में हाथ बँटाना ही राजा की लोकप्रियता तथा उसके शासन की जनता में सहज स्वीकार्यता का आधार है।[14]

राजकीय कार्यों व राज्य में घटित होने वाली घटनाओं से सम्बन्धित जनमत के दृष्टिकोण के प्रति शासक चिन्तित तथा भयभीत रहते थे। कैकेयी के अनीतिपूर्ण प्रयासों द्वारा राजगद्दी दिलाये जाने पर उद्विग्न होकर भरत ने कैकेयी से कहा, ''पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापिनि! पुरवासी मनुष्य आँसू बहाते हुए अवरुद्धकण्ठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किये हुए पाप का बोझ ढोता रहूँ, यह मुझसे नहीं हो सकता।''[15]

शासकीय कार्यों व राजकीय घटनाओं से जनता को होने वाली प्रसन्नता व विषाद, उत्कर्ष व अपकर्ष, उनकी आहत भावनाओं का शासकों द्वारा पूर्णत: ध्यान रखा जाना आवश्यक माना गया। राम के राज्याभिषेक का विरोध करने पर दशरथ ने कैकेयी से कहा कि, ''यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जनसमुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात् आज पुन: उसी जनता के हर्ष और आनन्द से शून्य, नीचे लटके हुए मुख को नहीं देख सकूंगा।''[16]

ग्रन्थ में शासक द्वारा अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होने की अपेक्षा की गई है। जनता की सहभागिता से श्रीराम के राज्याभिषेक के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का कैकेयी द्वारा विरोध किये जाने पर दशरथ ने कहा कि, ''जब प्रजा आकर मुझ से पूछेगी कि श्रीराम कहाँ हैं? तब मैं कैसे उनसे कहूँगा कि

कैकेयी के दबाव में आकर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया।''[17]

शासक के पद पर बने रहने के लिए ग्रन्थ में प्रजा का समर्थन आवश्यक माना गया है। प्रजा के समर्थन के अभाव में शासक की स्थिरता के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की गई है। कैकेयी के द्वारा राम को चौदह वर्ष के वनवास का वचन इस हेतु माँगा गया कि युवराज पद मिलने के बाद इस अवधि में भरत प्रजा की भावनाओं को सन्तुष्ट कर अपने लिए स्नेह उत्पन्न कर लेंगे, जिससे वे राज्य पर स्थिर हो जायेंगे और जनता श्रीराम के लिए भरत से विद्रोह नहीं करेगी।[18]

ग्रन्थ में शासक पर जनमत के प्रभावी नियन्त्रण को अनेकश: मान्यता दी गई है तथा कर्त्तव्यों व दायित्वों के निर्वहन में शासक को प्रजा की समीक्षा के अधीन माना गया है। शासक को प्रजा पर बलपूर्वक शासन करने के विरुद्ध गम्भीर चेतावनी दी गई है।[19]

शासक द्वारा राजपद को बनाये रखने के लिए जनमत की सहमति आवश्यक मानी गई है। जनमत के विरुद्ध हो जाने के पश्चात किसी व्यक्ति के शासक बने रहने में कठिनाइयों का आना अवश्यम्भावी माना गया है। लक्ष्मण का ग्रन्थ में एक स्थल पर भरत के लिए कथन है ''जिसमें समस्त प्रजा का मन रमता है, इन धर्मात्मा श्रीराम को देश निकाला देकर समस्त लोकों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे?''[20]

ग्रन्थ में हुए चित्रण के अनुसार राज्याभिषेक जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में जनता की पूर्ण सहभागिता रहती थी। श्रीराम के राज्याभिषेक को जनता के द्वारा पूर्ण समर्थन दिया गया। इस समाचार को सुनकर जनता की हर्षध्वनि इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी काँपती हुई सी जान पड़ती थी। पुरवासियों ने प्रसन्नता प्रकट करने के लिये अपने-अपने घरों को सुसज्जित किया था तथा चौराहों पर व सभाओं में उत्तराधिकारी के रूप में राम के चयन के लिए दशरथ की भूरि-भूरि प्रशंसा की।[21]

जनता को शासक के निर्णयों की आलोचना करने तथा अलग मत अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। अन्त:पुर के षड्यन्त्रों के कारण अपने वचन में बँधकर दशरथ द्वारा श्रीराम को राज्याभिषेक के स्थान पर चौदह वर्ष का वनवास व भारत के राज्याभिषेक के समाचार को लेकर सारे अयोध्यावासी राजा दशरथ की निन्दा करने लगे।[22]

राजकीय कार्यों के सम्बन्ध में जनमत के दृष्टिकोण से राजा भयभीत भी रहते थे। भरत के राज्याभिषेक के निर्णय के कारण राजा दशरथ प्रजा के भय से डरे हुए थे। कैकेयी को राजा दशरथ के द्वारा कहे गये शब्द शासक पर जनमत के नियंत्रण को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं।[23] ''नाना देशों से आये लोग मुझे कहेंगे कि इस वृद्ध इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया।''[24]

दशरथ ने आशंका व्यक्त की कि श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही उनकी नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मणों की भाँति राह-बाट और गली-कूँचों में निन्दा करेंगे।[25]

दशरथ ने कहा है कि, ''हाय मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा।''[26]

दशरथ ने कैकेयी से कहा कि, ''राजकुमारी तुम मेरे दुर्भाग्य से मेरे ही घर में आकर घुसी हो, तुम्हारे कारण संसार में मुझे पापाचारी की भाँति निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों की अवहेलना प्राप्त होगी।''[27]

इस प्रकार राजकीय कार्यों सहित समस्त कार्यों के लिए ग्रन्थ में लोकमत को शासकों के लिये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूत्र का स्तर प्रदान किया गया है। लोकमत का पालन करना शासक का गम्भीर नैतिक दायित्व माना गया है। विभिन्न स्फुट प्रसंगों में ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर लोकमत के महत्त्व को प्रतिष्ठित किया गया है।

ग्रन्थ में कहा गया है कि देवगण लोकों में अपकीर्ति की निन्दा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं, समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए होता है। विभिन्न प्रसंगों में ग्रन्थ में कहे गए ऐसे कथन लोकमत के प्रति शासक की प्रतिबद्धता के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं।[28]

ग्रंथ में एक प्रसंग में वर्णित हुआ है कि राजा सगर के द्वारा जनता के आग्रह पर ही अपने अत्याचारी पुत्र असमंजस को त्याग दिया गया क्योंकि वह खेलते बालकों को सरयू नदी में फेंक देता था।[29]

ग्रन्थ में अनार्य राजा रावण को सामान्यत: एक स्वेच्छाचारी व निरकुंश शासक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु अनेक स्थलों पर महाकाव्य में विभिन्न कीर्तिवान व धर्मशील पात्रों के द्वारा रावण के प्रति, जनमत को एक निर्देशक सूत्र मानते हुए शासन संचालन का परामर्श दिया गया है।

ग्रन्थ में रावण को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि स्वेच्छाचारी व लोभी शासक का प्रजा द्वारा तिरस्कार कर दिया जाता है। अत: राजा को चाहिये कि वह विषय-भोगों में आसक्त और स्वेच्छाचारी न रहकर शासन के कार्यों को निष्ठापूर्वक सम्पादित करता रहे।[30]

ग्रन्थ में राजा को चेतावनी दी गई है कि प्रजा रक्षण में असफल, प्रतिदिन नियमित रूप से प्रजा को उपलब्ध न होने वाले शासक का तथा विषय-भोगों में लिप्त शासक को, जनता के द्वारा त्याग दिया जाता है। शूर्पणखां ने रावण को परामर्श देते हुए कहा है कि, ''जो राज्य की देखभाल करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती हैं।''[31] शासक द्वारा

दायित्व-पालन में शिथिलता बरतने, कर्त्तव्यों का पालन न करने, करने योग्य कार्यों का सम्पादन नहीं करने तथा अहंकारी व क्रोधी होने पर उसे जनता द्वारा त्याग दिये जाने की चेतावनी दी गई है।

ग्रन्थ में शासकीय आचरण पर जनता के नियंत्रण के औचित्य की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के अपवाद स्वरूप केवल राक्षस राजा रावण के मत का ही उल्लेख किया जा सकता है। ग्रन्थ में एक स्थल पर रावण ने राजा को दिव्यता का स्तर प्रदान किया है, जिसकी शासकीय शक्ति का संव्यवहार किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त है। रावण के अनुसार शासक अग्नि, इन्द्र, सोम, यम व वरुण इन पाँच देवताओं के गुण क्रमश: प्रताप, पराक्रम, सौम्यता, दण्ड और प्रसन्नता धारण किये रहता है। अत: सभी अवस्थाओं में राजाओं का सम्मान और पूजन किया जाना चाहिए। रावण का मत है कि किसी अवस्था में सेनापति व प्रजाजनों राजा के प्रति अप्रिय व अहितकर वचन नहीं बोलना चाहिए।[32]

शासक की अनिवार्य दिव्यता का रावण द्वारा किया गया प्रतिपादन रामायण में प्रतिपादित सामान्य राजनैतिक दृष्टिकोण के सर्वथा विपरीत है। महाकाव्य में व्यक्त सामान्य राजनैतिक दृष्टिकोण में राजकीय शक्ति से दिव्यता के संस्तर का संयोग शासकीय प्राधिकार की स्वच्छंदता को व्यक्त नहीं करता, अपितु शासक के दायित्वों की पवित्रता को रेखांकित करता है। वस्तुत: दन दायित्वों की दिव्यता के माध्यम से ग्रंथ शासन के सकारात्मक दायित्वों के प्रति राजा की प्रतिबद्धता को प्रस्थापित करता है। ग्रन्थ में यद्यपि स्पष्टत: श्रीराम ने राज्य की दिव्यता के विचार का तो समर्थन किया है, किन्तु साथ ही यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि शासक स्वयं भी एक मनुष्य ही है। श्री राम के कथनानुसार शासक के रूप में वह दिव्य-सत्ता का संव्यवहार करता है, अत: राजा की प्रभुता को चुनौती देना उचित नहीं है।[33]

निष्कर्ष

महाकाव्य युग को प्रतिबिंबित करती 'रामायण' में शासन पर जनता एवं जनमत के नियंत्रण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि जनता का नियंत्रण न केवल स्पष्ट है वरन निर्भीक तरीके से किए जाने के प्रमाण हैं। भारत में जब भी शासन की स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता सामने आई तब जनता ने पुरजोर उसका विरोध किया है। आज की परिस्थितियों में यह और भी आवश्यक हो गया है कि जनमत के नियंत्रण को महत्त्व दिया जाए। परिस्थितियों के बढ़ते दबाव से आज हमारे समाज में भयग्रस्तता और असंपृक्तता व्याप्त हो गई है। जनमत तैयार करने के हमारे माध्यम खुलकर विरोध करने का साहस नहीं कर पाते और जनता तो इतनी लाचार हो गई है कि देखकर भी अनदेखा करना उसका स्वभाव बन गया है। रामायण में प्रकट जनता व जनमत के नियंत्रण से हम कुछ नया सीखने का साहस करेंगे तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शुभकारी होगा।

सन्दर्भ सूची

1. रामायण, अयोध्याकाण्ड 51/38
2. उपर्युक्त, 49/4-8
3. उपर्युक्त, उत्तरकाण्ड 43/5, 6
4. उपर्युक्त, 45/3, 11
5. उपर्युक्त, 95/6
6. उपर्युक्त, 45/14
7. उपर्युक्त, युद्धकाण्ड 118/14
8. उपर्युक्त, 118/17
9. उपर्युक्त, उत्तरकाण्ड 43/9, 10
10. उपर्युक्त, 53/6
11. उपर्युक्त, युद्धकाण्ड 127/23
12. उपर्युक्त, सुन्दरकाण्ड 64/16, 17
13. उपर्युक्त, अयोध्याकाण्ड 100/51
14. उपर्युक्त, 1/38
15. उपर्युक्त, 74/32
16. उपर्युक्त, 14/17, 18
17. उपर्युक्त, 12/65, 66
18. उपर्युक्त, 9/21
19. उपर्युक्त, 64/16, 17
20. उपर्युक्त, 58/33
21. उपर्युक्त, उत्तरकाण्ड व तीसरा सर्ग
22. उपर्युक्त, 33/6-16
23. उपर्युक्त,
24. उपर्युक्त,
25. उपर्युक्त,
26. उपर्युक्त,
27. उपर्युक्त,
28. उपर्युक्त, ए45/13
29. उपर्युक्त, अयोध्याकाण्ड 36/22
30. उपर्युक्त, अरण्यकाण्ड 93/3
31. उपर्युक्त, 35/5
32. उपर्युक्त, अरण्यकाण्ड 40वां सर्ग सम्पूर्ण
33. उपर्युक्त, किष्किन्धाकाण्ड 18/42

अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र के आर्थिक-राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण

रूखमणी

शोधार्थी, इतिहास विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

शोध सारांश

राजस्थान के केन्द्र में स्थित होने के कारण, अजमेर चारों ओर से राजपूत रियासतों से घिरा हुआ था। अत: राजनीतिक दृष्टि से अजमेर का अत्यंत महत्व रहा। नये आर्थिक परिवेश से समाज के ऊपर भी परिवर्तन का दबाव रहा, इससे यहाँ का अल्प शिक्षित एवम् अभिजात्य वर्ग भी अपने को सक्रिय करने में जनजागरण को द्रुत गति का संचार प्रदान करने में सहयोग दिया। और असहयोग आन्दोलन की शुरूआत हो गई। ब्रिटिश उपाधियों और सरकारी उत्सवों का विरोध होना शुरू हो गया। गांधीवादी दर्शन का संप्रभुत्व समूचे अजमेर एवम् मेरवाड़ा पर पड़ा। इस प्रकार भारत के राजनीतिक माहौल में व्याप्त ब्रिटिश क्रूरता और इनकी दमन विरोधी नीति के हस के लिए असहयोग आन्दोलन का माहौल तैयार किया गया। इसके प्रति अजमेर एवम् मेरवाड़ा की जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और इस आन्दोलन के धनात्मक एवम् ऋणात्मक पक्ष सामने आए।

संकेताक्षर : *आर्थिक परिवेश, गांधीवादी दर्शन, औद्योगिक प्रगति, आभिजात्य वर्ग, जनजागरण*

राजस्थान की संस्कृति का इतिहास आज से लगभग पांच हजार वर्ष पहले सरस्वती (दृषद्वती) की घाटी से आरम्भ होता है। यहाँ से प्राप्त पत्थर के और मिट्टी के आभूषण घरेलू बर्तन तश्तरियां प्याले और खिलौने इस बात के प्रमाण हैं कि नदी घाटी की संस्कृति और सभ्यता विकासशील थी। यहाँ की संस्कृति उच्चकोटि की थी। अनुमान है कि इस प्रान्त के कई रेतीले देशों में कई उन्नत सभ्यता के केन्द्र ढके पड़े हैं। कुछ एक क्षेत्रों के खनन परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि सदियों तक यह प्रान्त एक सभ्यता को जीवित रखता रहा। यहाँ की चौड़ी सड़कें, सार्वजनिक नालियां, दुर्ग का प्रकार गोल, कुंए छोटे-बड़े, सटे हुये मकान, वेदियां आदि उस युग के साक्षी है।

राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी का क्रम मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग है।इस युग के मानव का विकास केवल शिकार के उपकरणों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उसका विस्तार कृषि संबंधी औजारों में देखा गया है। अब नवीन प्रस्तर युग का मानव पशुपालन और कृषि-कार्य की ओर भी अग्रसर हो गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि नूतन पाषाण युग का मानव आग का प्रयोग भोजन बनाने, मिट्टी के बर्तन पकाने तथा पत्थर की बनी भट्टियों को तपाने में लगाने लगा था। इन भट्टियों को तपाने में उसने धातुओं को पिघलते देखा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पिघलती हुई धातु से कई प्रकार के उपकरणों को आकार में लाया जा सकता है। संभवत: इस सोच के अनुरूप सोने का ज्ञान सबसे पहला हुआ लेकिन अधिक मात्रा में न मिलने से उसका उपयोग केवल आभूषण बनाने तक ही सीमित रखा। कालान्तर में जब तांबा, पीतल, लोहा आदि का ज्ञान हुआ हो तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इसी कारण नूतन प्रस्तर युग के बाद जब सबसे पहले तांबा मिला और तांबे के बाद अन्य धातु मिले तो ताम्रयुग के नाम से जाना जाने लगा।[1]

आर्थिक विकास

व्यापार के क्षेत्र में अजमेर एक सेतुबंध की भूमिका में था जो प्रत्यक्षत: उत्तरी भारत एवम् बम्बई प्रेसीडेंसी को आपस में जोड़ता था।54 सूरत में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सूरत फैक्टरी के अन्तर्गत एक एजेन्सी की स्थापना सन् 1614 में मि. एडवर्ड के द्वारा की और इस तरह यह शहर यूरोपीय वस्तुओं के खरीद-बिक्री के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध था।[2]

सन् 1889 में अजमेर एवम् मेरवाड़ा में एक कृष्णा मिल की स्थापना हुई, जो अजमेर के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर

था। ब्यावर ने भी कपास के आयात एवम् निर्यात में प्रधान केन्द्र की भूमिका निभाई। इसके पश्चात् सन् 1908 में एडवर्ड मिल तथा सन् 1929 में महालक्ष्मी मिल का निर्माण हुआ।[3] इस तरह यहाँ 18 प्रकार की कॉटन प्रेसिंग फैक्टरियां भी स्थापित हुई। इसी श्रृखला में ब्यावर में संवेती हौजरी फैक्ट्री भी निर्मित हुई। इस तरह वस्त्र-व्यवस्था के नवस्फूर्ति ने अजमेर एवम् मेरवाड़ा के आर्थिक जीवन को काफी प्रभावित किया। इन सारी घटनाओं से प्रभावित होकर रॉयल ने एक कमीशन रिपोर्ट सन् 1929 में अजमेर में लिखा- ''ब्यावर एवम् की जनता पर मिलों एवम कारखानों की उपस्थिति का गहरा असर पड़ा है।[4]

सन् 1886-87 में लोकोमोटिव वर्कशॉप तथा कैरेज एण्ड वैगन वर्कशॉप का स्थानान्तरण आगरा से अजमेर हो गया। यहॉ 9000 लोग कार्य करते थे। यहाँ के निर्मित इंजन सस्ते एवम् सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त होते थे और इनकी तुलना यूरोप में हो सकती थी।[5]

अजमेर एवम् मेरवाड़ा में औद्योगिक प्रगति जोरदार ढंग से हुई लेकिन ये यहाँ के लोगों के किस्मत की लकीरों को स्पष्ट नहीं कर पाई। बारिश का सख्त अभाव एवम् फसलों का रोगग्रस्त होना किसानों के जीवन के लिए निरन्तर नुकसानदेह होता रहा। सन् 1941 में एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह स्पष्ट था- ''यहाँ पर शायद ही कोई किसान शेष हो जो कर्जदार न हो। इसके कारण स्पष्ट थे-हानिकारक जोत, फसलों की गारंटी न होना, भारी लगान वसूली एवम् अनावश्यक मुकद्दमों पर खर्च इत्यादि। इसके बाद सहकारिता एक नई अवधारणा के रूप में सामने आया, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया। क्योंकि इसकी प्रक्रिया लम्बी-चौड़ी एवम् जटिल थी।

राजनीतिक स्थिति

ई. 1833 में एक चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गयीं। ईस्ट इडिया कम्पनी रूपी रेशम का कीड़ा उसी रेशम को काटकर पूरी तरह बाहर निकल आया था जिस रेशम को उसने अपने रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा रियासतों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिये पॉलिटिकल एण्ड फॉरेन डिपार्टमेंट की स्थापना की। इस डिपार्टमेंट में नियुक्त अधिकारी पॉलिटिकल ऑफिसर कहलाते थे। ये एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, एजेंट टू दी गवर्नर जनरल, रेजीडेंट तथा पॉलिटिकल एजेंट के पदों पर नियुक्त होते थे। ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफीसर, स्वयं को अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों की अपेक्षा अधिक आभिजात्य एवं अधिक अधिकार सम्पन्न समझते थे।

भारतीय नरेशों के दरबार में नियुक्त पॉलिटिकल अधिकारी, लॉर्ड एलनबर्ग का उदाहरण देते थे जो ब्रिटिश सरकार की मित्रता एवं शक्ति का प्रतिनिधि था। इसी प्रकार राजपूताना की रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल ऑफीसर दोहरे कार्य करते थे। एक तरफ तो वे राज्य में पूर्णाधिकारी बन गये थे तो दूसरी ओर वे परमोच्च शक्ति के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार वे रियासतों में संधि के पालन का अवलोकन करते थे एवं रियासत में सामान्य प्रशासन तथा शांति पर नियंत्रण रखते थे।

राजस्थान के केन्द्र में स्थित होने के कारण, अजमेर चारों ओर से राजपूत रियासतों से घिरा हुआ था। अत: राजनीतिक दृष्टि से अजमेर का अत्यंत महत्व रहा।नये आर्थिक परिवेश से समाज के ऊपर भी परिवर्तन का दबाव रहता है, अजमेर मेरवाड़ा के संदर्भ में यह कथन सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि इस क्षेत्र में बैंकिंग ने नई ऊँचाइयां हासिल की। इसके अतिरिक्त आर्य समाज की अवधारणा की अजमेर की अबोहवा में घुलनशीलता इस क्षेत्र की शेष भारत के हिस्सों से संबद्धता एवम ईसाई मिशनरियों ने जनजागृति एवम नूतन चेतना के संचार ने अजमेर एवम् मेरवाड़ा में एवम् वहाँ के जन-मन में प्रभाव स्थापित किया। इससे यहाँ का अल्प शिक्षित एवम् आभिजात्य वर्ग भी अपने को सक्रिय करने में जनजागरण को द्रुत गति का संचार प्रदान करने में सहयोग दिया।

गांधीवादी दर्शन का संप्रभुत्व समूचे अजमेर एवम् मेरवाड़ा पर पड़ा। इस प्रकार भारत के राजनीतिक माहौल में व्याप्त ब्रिटिश क्रूरता और इनकी दमन विरोधी नीति के हस के लिए असहयोग आन्दोलन का माहौल तैयार किया गया। इसके प्रति अजमेर एवम् मेरवाड़ा की जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और इस आन्दोलन के धनात्मक एवम् ऋणात्मक पक्ष सामने आए।

अजमेर एवम् मेरवाड़ा में असहयोग आन्दोलन की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही साथ लोगों ने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना शुरु किया। कुछेक लोगों ने ब्रिटिश उपाधियों को स्वीकार करना छोड़ दिया और सरकारी उत्सवों का विरोध होना शुरु हो गया। इस क्रम में कृष्ण गोपाल गर्ग एवम् ओंकार लाल पांकली राल का योगदान सराहनीय है कि इन लोगों ने भारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सरकारी नौकरियों की तिलांजलि दे दी।

गौरीशंकर एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और विदेशी वस्त्रों का व्यापार की अधिक मुनाफा होने के बाद भी तिलांजलि दे दी। चाँदकरण शारदा ने एक वकालत की डिग्री लेते हुए भी अपनी सारी उपाधियों का बहिष्कार किया।[6] इन सारे लोगों ने 136 व्यवसायियों को एकत्र करके ब्यावर, नसीराबाद और केकड़ी में विदेशी वस्त्रों और

सामानों को इकट्ठा करके होली जला डाली।[7] लगभग 50 प्रतिशत छात्रों ने हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित संस्कृत परीक्षा छोड़ दिया और सड़क पर धरना में शामिल हो गये।

शेष हिन्दुस्तान की तरह अजमेर एवं मेरवाड़ा भी हड़ताल की आग में सुलग रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का अजमेर एवम् मेरवाड़ा में बहिष्कार किया गया। सन् 28 नवम्बर 1921 को वह अजमेर आए तो सारे शहर में हड़ताल ने उनका स्वागत किया और सारे शहर में बन्दी रही। यहाँ तक कि उनके स्वागत में सजाये लेखा-वन्दन और रोशनी का भी अजमेरवासियों ने बहिष्कार किया।

इसके बाद अजमेर एवम् ब्यावर में धरने-प्रदर्शन आये दिन होने लगे। इसलिए सरकार ने भी अजमेर के कमिशनर के माध्यम से क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की धारा 144 के अन्तर्गत हड़ताल एवं धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दिया। इस प्रतिबंध का पुरजोर विरोध हुआ। परिणामस्वरूप कई लोग गिरफ्तार हो गये एवम् कई लोगों ने गोली खान से परहेज भी नहीं किया। इसके अलावे सरकारी सूचना पत्रों एवम् इश्तेहार भी जबरदस्ती हटा दिए गए।[8]

जहाँ तक अजमेर एवम् मेरवाड़ा प्रश्न है, यहाँ ऊँचे घराने की महिलाओं ने अपने तीखे तेवर दिखाये, जिससे ब्रिटिश सरकार की चूलें हिल गई। ये महिलाएँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवम् प्रधान नेताओं के परिवार की सदस्य रही। इन महिलाओं में विजयादेवी गुप्ता, भागीरथी देवी उपाध्याय, गोमती देवी भार्गव, राजरानी भार्गव, प्रेमलता भार्गव, अन्जना देवी एवं अन्य रही।

स्वातंत्र्य आंदोलन की घटनाएँ बिना किसी परवाह के परवान चढ़ती रही क्योंकि समय चक्र तो भारत की आजादी के हसीं सपने देख रहा था। अंतत: 09 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन प्रायोजित किया। इसकी वजह से अजमेर एवम् मेरवाड़ा के 13 उल्लेखनीय नेताओं को गिरफ्त में ले लिया गया। इनमें चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय, बालकिशन चंचल, कन्हैयालाल आजाद, जीतमल लूणिया, अब्बास अली एवम अन्य प्रमुख नेताओं को शामिल माना गया।[9] इस तरह प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहा लेकिन अजमेर एवम् मेरवाड़ा से यह आन्दोलन लगभग समाप्त हो चला था।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2016, पृ. 136
2. होम पोलिटिक्स - 18/VIII/30 फोर्ट नाईटली रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट एण्ड सैकंड हॉफ जुलाई, 1930/एन.ए.आई.
3. होम पोलिटिकल - 18/घ/30 फोर्ट नाईटली रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट हॉफ ऑफ अगस्त, 1930/एन.ए.आई.
4. होम पोलिटिकल - 18/VI/30 फोर्ट नाईटली रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट एण्ड सैकण्ड ऑफ हॉफ ऑफ मई, 1930/एन.ए.आई.
5. होम पोलिटिकल - 18/III/31 फोर्ट नाईटली रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट हॉफ ऑफ मार्च, 1931/एन.ए.आई.
6. चान्दकरण शारदा पेपर्स/एन.एम.एम.एल.
7. कांग्रेस बुलेटिन XXV1921/चान्दकरण शारदा पेपर्स/ एन.एम.एम.एल.
8. राजूपताना एजेन्सी कान्फीडेन्सीयल ऑफिस / 95 / फाईल नम्बर 77 / रिपोर्ट ऑन खिलाफत एण्ड कांग्रेस वालेन्टीयर कोर ऑफ अजमेर बाय सुपरीटेनडेन्ट ऑफ पुलिस अजमेर-मेरवाड़ा / ग्रुप सी / पेड नम्बर 4 / आर.एस.ए.वी.
9. फाईल नम्बर पी-2 (II/1939) / अजमेर पी.सी.सी. डिस्पयूट/ ए.आई.सी.सी. पेपर्स/एन.एम.एम.एल.

ब्रिटिश कालीन भारत में पंचायत राज व्यवस्था: एक विश्लेषण

शालिनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान जयपुर (राज.)

शोध सारांश

भारत में सत्ता की बागडोर जहां शीर्ष पर संसद के हाथों में है वहीं ग्राम स्तर पर पंचायतों में निहित है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था वैदिक काल से वर्तमान तक किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही रही है। अलग-अलग कालों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं में एक साथ रहने, मिलजुल कर कार्य करने तथा अपनी तत्कालीन समस्याओं को पंचायत द्वारा निपटाने की प्रवृत्ति निरन्तर विकसित होती रही है। इस व्यवस्था का मूलमंत्र आत्मनिर्भरता या स्वावलम्बन और सहकारिता है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर निर्णायक प्रभाव डाला तथा ब्रिटिश काल में एक ओर परम्परागत स्वायतशासी संस्थाओं को प्रभावहीन बनाया तो दूसरी ओर परिवर्तित परिस्थितिओं में ग्रामीण स्वायतशासी संस्थाओं को अंग्रेजी शासन ने पुनर्जीवित किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना संजोया था वह स्वतंत्रता के बाद साकार हो सका। भारत में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के पश्चात भारतीय प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन किये। इसी क्रम में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं एवं पंचायत प्रणाली का भी विकास किया गया। इस शोध पत्र में ब्रिटिश शासन के द्वारा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायत राज व्यवस्था की दिशा में किये गये प्रयासों का विश्लेषण किया गया है।

संकेताक्षर : *ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण, ग्रामीण स्वराज*

मानवीय सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण चरणों में समाज का गठन होना एक प्रमुख चरण है। समाज के जन्म के बाद रीति-रिवाज एवं परम्पराओं का विकास हुआ। मानवीय विकास के विभिन्न क्रमों में शासन पद्धतियों का भी विकास हुआ और उच्चतम शिखर से निम्नतम स्तर तक विभिन्न प्रणालियों को विकसित करने के विभिन्न सोंपान तय किये। पंचायती राज की परिकल्पना भी इसी परिवर्तन का रूप है। प्राचीन काल से ही पंचायतें हमारी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था का अंग रही है। भारत में पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी।[1]

संस्कृत के शब्द '**पंचायतन**' का शाब्दिक अर्थ पांच का मेल है अर्थात ''पांच व्यक्तियों का समूह'' जिसमें चारों वर्णो के प्रतिनिधियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ पांचवें प्रतिनिधि ईश्वर को शामिल माना गया है। भारत के इतिहास में पंचायत की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहते थे। वह सम्पूर्ण ग्राम का मुखिया होता था। शासन की प्रमुख इकाई महासभा होती थी, जहां राजा भी डरता हुआ जाता था कि कहीं उसे ही पदच्युत न कर दिया जाए। वेदों में महासभा को विस या समिति भी कहा गया है जिनका एक काम राजा का चुनाव करना भी होता था। महासभा में उस क्षेत्र के सभी निवासी शामिल होते थे और राजा को भी उसकी बैठकों में शामिल होना पड़ता था।[2] महाकाव्यकाल में भी सभा एवं छोटे राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार गाँव के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था जिसका मुख्य कार्य कर वसूली करना था। दस गाँव के ऊपर नियुक्त कर्मचारी 'दसिक', बीस गाँव के कर्मचारी 'विंशाधिप', सौ गाँव के ऊपर नियुक्त कर्मचारी 'शतपाल' तथा एक हजार गाँवों के ऊपर के कर्मचारी का नाम 'सहस्त्रपति' था। इस प्रकार मनु ने स्थानीय शासन संगठन के स्वरूप का व्यवस्थित रूप से उल्लेख किया है।[3]

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। सभी ग्राम कर के आधार पर चार भागों में विभक्त थे-[4] (क) ग्रामाग्र इन, (ख) परिहारक,(ग) आयुधीय, (घ) वस्तुग्रामी। मौर्यकाल के समान ही गुप्तकाल एवं मुगल काल में भी पंचायती राज की संस्थाएँ क्रियाशील थी।

ब्रिटिश कालीन पंचायत राज व्यवस्था

वैदिक युग से अब तक स्थानीय स्वायत्त शासन भारतीय लोककल्याणकारी चिन्तन, नीतियों एवं कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण वैचारिक पक्ष रहा है। भारत में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएँ वर्तमान में विद्यमान हैं उनका विकास अंग्रेजी शासन काल में हुआ है। ये संस्थाएँ आज निर्वाचक मण्डल के प्रति उत्तरदायी हैं। इन्हें विकास, प्रशासन तथा करारोपण की शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा प्रजातन्त्र के पाठशाला के रूप में कार्य कर रही हैं। भारत में अंग्रेजों के लगभग 200 वर्षों के शासन के दौरान राज्य और सरकार के क्षेत्र में विविध परिवर्तन आये। विज्ञान एवं तकनीकी का शुभारम्भ हुआ तथा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर निर्णायक प्रभाव डाला। ब्रिटिश काल में एक ओर परम्परागत सामाजिक संस्थाओं को प्रभावहीन बनाया तो दूसरी ओर परिवर्तित परिस्थितियों में प्रशासनिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया।[5] ब्रिटिश राज ने अपने प्रारम्भिक वर्षों में पारम्परिक संस्थाओं को समाप्त कर नई संस्थाओं की स्थापना की वहीं दूसरी ओर यह अनुभव किया कि भारत जैसे विशाल देश के प्रशासन का संचालन स्वायत्तशासी संस्थाओं के बिना सम्भव नहीं है। फलस्वरूप अपने प्रशासन की जड़ को मजबूत रखते हुए ब्रिटिश राज ने स्थानीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रारम्भ किये।

स्थानीय संस्थाओं का प्रारम्भ 1687 में हुआ जब कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। 1726 में मुम्बई व कलकत्ता नगरपालिकाओं की स्थापना की गई। 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनुसार प्रत्येक नगर में शांति न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनका कार्य नगरों में सफाई, सड़कों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था एवं न्याय प्रदान करना था। 1870 में लार्ड मेयो द्वारा अपने प्रस्ताव के तहत प्रशासनिक कुशलता हेतु लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को अनिवार्य माना एवं स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। इसी प्रस्ताव में स्थानीय शासन संस्थाओं को ब्रिटिश नमूने पर स्थापित किया गया। 1870 में बंगाल चौकीदार अधिनियम द्वारा परम्परागत ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना की गयी। इस अधिनियम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को गाँवों के नामांकित सदस्यों की पंचायतें गठित करने का अधिकार दिया गया।[6] इस संदर्भ में चार्टर एक्ट 1793 एवं म्यूनिसिपल एक्ट 1842 हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। 1863 में ग्रामीण क्षेत्र में नये प्रयास की शुरूआत देखी जा सकती है। अंग्रेजी राज ने बहुत ही सीमित स्तर पर स्थानीय इकाइयों की स्थापना की।

स्थानीय स्वशासन को पुनर्जीवित करने के इतिहास में 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को हम महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं क्योंकि मेयो द्वारा वित्तीय प्रशासन में विकन्द्रीकरण की नीति अपनाई गई। 1817 और 1830 के बीच इन संस्थाओं के कार्य और दायित्व में विस्तार किया गया। 1842 के पूर्व तक प्रेसिडेन्सी नगरों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था और कहीं नहीं स्थापित हो पाई। लार्ड रिपन तथा स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि 1882 के पूर्व स्थानीय शासन की संस्थाएँ पूर्णरूपेण अभारतीय थी। कम्पनी राज की समाप्ति तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और भारतीय लोगों की शासन में साझेदारी को लेकर आकांक्षाएं उभरने लगी।[7] भारत के तत्कालीन वॉयसराय लॉर्ड रिपन ने भारतीय लोगों के मन में विकसित इन प्रवृतियों को पहचानते हुए स्थानीय शासन को पुनर्जीवित करने में पहल की। वैसे देखा जाय तो उनका लक्ष्य भारतीय लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और इन संस्थाओं के माध्यम से जनमानस को पश्चिमी विचारों से अवगत कराना था।[8] लॉर्ड रिपन को हम आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं तथा स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में 18 मई 1882 के प्रस्ताव को मील का पत्थर माना जाता है। 1882 के अधिनियम पारित करने वालों की मान्यता था कि प्रारंभिक समय में ही वे संस्थाएँ सफल हो जायेगी ऐसी बात नहीं हैं, परन्तु धीरे-धीरे ये संस्थाएँ मजबूत होती जायेंगी और इनकी कार्य क्षमता एवं सक्रियता बढ़ती जायेगी। लार्ड रिपन का मानना था कि इन संस्थाओं को अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। सरकार उन पर नियंत्रण रखे तथा यदि वे मार्ग से विचलित हो रही हो तो उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। उनका विचार था कि ऐसा करने से राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का कार्य भी हल्का होगा। इन संस्थाओं को केवल कर अदा करने वाली संस्था न मानकर प्रशासनिक सहायक अभिकरण मानना ज्यादा लाभकर होगा।[9]

1882 के स्थानीय शासन के सम्बन्ध में लार्ड रिपन ने निम्न प्रस्ताव रखे जिसके माध्यम से उसने भारत में स्थानीय स्वशासन का मार्ग दर्शन किया:-

1. राज्य सरकार का स्थानीय संस्थाओं पर बाहर से अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण करने वालों को चाहिए कि वे स्थानीय संस्थाओं को परामर्श देकर कार्य कराये। बार-बार की चेतावनी के बाद जब उनका कार्य उचित नहीं हो तभी उनको भंग करना चाहिए।
2. निर्वाचन का नियम अपनाया जाना चाहिए परन्तु, यह आवश्यक नहीं कि सभी स्थानों पर निर्वाचन का एक ही सिद्धान्त लागू किया जाए। शहरों को वार्डों में विभक्त कर, यदि आवश्यकता न हो तो पूरे शहर को एक वार्ड मानकर, निर्वाचन की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यवसाय एवं सम्प्रदाय को भी मतदाता सूची तैयार करने में अपनाया जा सकता है।
3. स्थानीय संस्थाओं में अधिकांश सदस्यों को गैर-सरकारी होना चाहिए। यदि संभव हो तो नगर पालिका का अध्यक्ष भी गैर सरकारी ही हो।
4. शहरों में नगरपालिकाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यूनियन बोर्डो तथा जिला बोर्डो की स्थापना की जानी चाहिए।
5. स्थानीय संस्थाओं के कार्य संपादन के लिए आर्थिक व्यवस्था आवश्यक हो तथा इसके लिए उसे कुछ कर लगाने का अधिकार होना चाहिए। नगरपालिकाओं को अपना बजट निर्मित करने की इजजात मिलनी चाहिए।
6. स्थानीय संस्थाओं के कार्मिकों को तथा सरकारी सेवाओं के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को इन संस्थाओं के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए।
7. प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इसकी व्यवस्था करेंगी।

इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 1883-84 में राज्यों में नगरपालिका अधिनियम पारित कर उन्हें पूर्व की तुलना में विशेष अधिकार प्रदान किये गये। नगरपालिकाओं में गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढी। नगर पालिका की अधिकांश आय पहले पुलिस प्रशासन पर व्यय की जाती थी जिस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह राशि अब शिक्षा, चिकित्सा तथा स्थानीय लोकनिर्माण में व्यय करने के लिए आवंटित होने लगी। लार्ड रिपन के प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं को सरकार के वित्तीय तथा प्रशासकीय बोझ कम करने वाले अभिकरण के स्थान पर जनता को प्रशासन में सहभागी बनाने का अभिकरण माना गया। इस प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई जिसे तत्कालीन नौकरशाही ने पसंद नहीं किया इस कारण उसका व्यापक कार्यान्वयन नहीं हो पाया। सरकारी पदाधिकारियों का नगरपालिका अध्यक्ष बनना कायम रहा। निर्वाचन के सिद्धान्त के आधार पर सीमित मतदान पद्धति अपनायी गयी। लेकिन लार्ड रिपन का प्रस्ताव उसके उत्तराधिकारी लार्ड कर्जन की उदासीनता के कारण ज्यादा दिनों तक कार्यान्वित नहीं हो पाया क्योंकि उसे भारतीयों की क्षमता पर विश्वास नहीं था।[10]

लार्ड कर्जन तथा स्थानीय स्वशासन

लॉर्ड कर्जन के शासन काल में भी अनेक परिर्वतन हुए। 1907 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन में प्रान्त तथा केन्द्र के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक सम्बन्धों की दृष्टि से सी.ई.एच. हॉब हाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की स्थापना की गई जिसे विकेन्द्रीकरण आयोग के नाम से जाना गया। 1909 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इस बात को रेखांकित किया कि यदि हमें जन सहयोग प्राप्त करना है तो ग्रामीण जन को विश्वास में लेना होगा। इन सिफारिशों को स्वीकार करने के उपरान्त भी स्थानीय स्वशासन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाया।[11] वास्तविक रूप से ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास करना नहीं था बल्कि वे भारतीय प्रशासन की सुदृढ़ता के विरुद्ध थे तथा उनका एक मात्र उद्देश्य भारत का शोषण था। चूंकि राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही स्वाधीनता आन्दोलन के नेताओं में ग्रामीण विकास के लिए चेतना जाग्रत हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पच्चीसवें इलाहाबाद अधिवेशन, 1910 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से ग्राम पंचायतों की स्थापना की माँग रखी। इसके बाद अगले अधिवेशनों में कार्मिक रूप से ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कई माँगें रखी। अन्ततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के दबाव में आकर स्थानीय स्वशासन हेतु विभिन्न प्रान्तों में अनेक अधिनियम पारित किये गये[12] - बंगाल स्थानीय सरकार अधिनियम, 1919, मद्रास स्थानीय सरकार अधिनियम, 1920, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट, 1920, बिहार स्थानीय सरकार अधिनियम, 1920, सी.पी. पंचायत एवं अधिनियम 1920, पंजाब पंचायत अधिनियम, 1922, आसाम स्थानीय सरकार अधिनियम, 1925, मैसूर पंचायत अधिनियम, 1928 आदि।

माण्टेग्यू ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स (1917) में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। सरकार प्रशासन के प्रत्येक अंग में भारतीयों की सहभागिता के लिए उत्सुक है। इसको ध्यान में रखते हुए 16 मई, 1918 को भारत सरकार ने विकेन्द्रीकरण आयोग के सुझाव को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रस्ताव रखे-

1. स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो।
2. ग्राम पंचायतों का गठन किया जाय।
3. स्थानीय संस्थाओं का अध्यक्ष गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्य ही हो।
4. स्थानीय संस्थाओं को करारोपण, बजट निर्माण तथा कार्य के सम्बन्ध में स्वीकृति देने का अधिकार हो।
5. स्थानीय संस्थाओं की संरचना में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए जिससे अधिक व्यक्ति इन संस्थाओं में भाग ले सकें।
6. सरकार को, कार्मिक प्रशासन के सम्बन्ध में, नियम-निर्मित कर उनका वास्तविक शासन स्थानीय संस्थाओं के जिम्मे छोड़ देना चाहिए।
7. प्रान्तीय सरकारों को नगरपालिकाओं को अवक्रमित करने, उनके प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से रोकने आदि का भी अधिकार प्राप्त है, यदि ये संस्थाएँ उनका प्रयोग करने में अक्षम या शक्तियों का दुरूपयोग करने के लिए दोषी पाये जायें।

इस प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं तथा पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जनता को प्रशासन में सहभागी बनाकर उन्हें राजनैतिक शिक्षा देना था। उनमें निर्वाचन पद्धति को बढ़ावा देकर, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो इसका प्रयास किया गया। नगरपालिकाओं को पहले की अपेक्षा अधिक वित्तीय अधिकार के साथ ही साथ उनके कार्मिकों पर उनके द्वारा नियन्त्रण का आधार बढाया गया। प्रांतीय सरकारों का आन्तरिक नियंत्रण रोकने तथा बाह्य नियंत्रण सीमा को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया। उस काल में ग्रामीण संस्थाओं का उचित विकास नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं कि द्वितीय काल में पूर्व की अपेक्षा ग्रामीण स्थानीय संस्थाएँ ज्यादा कारगर रहीं। मुख्य लाभ यह हुआ कि भारतीय नागरिकों में राजनैतिक चेतना विकसित हुई तथा उनमें प्रशासनिक क्षमता का अनुभव बढ़ा। शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का राजनीतिक महत्व तथा उनकी उपयोगिता को वे समझने लगे। भारतीय नागरिक उनकी खामियों को अंकित कर सुधार की मांग करते हुए अधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहभागिता के लिए प्रयत्न करने लगे। उस काल में स्थानीय संस्थाओं की संरचना में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु सुधार के लिए ठोस कदम उठाया गया जिससे भारतीय नागरिक लाभान्वित हुए।[13] ब्रिटिश साम्राज्य की केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था के विरुद्ध अखिल भारतीय कांग्रेस ने स्थानीय स्वशासन की मांग पुरजोर शब्दों में उठायी थी। भारत सरकार ग्राम पंचायतों से लेकर अन्य निकायों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को स्थान देगी। 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के आगाज के साथ-साथ भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन भी पूरी तेजी पकड़ चुका था। जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार आम भारतीय का समर्थन चाहती थी। 1920 और 1924 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में ग्रामीण अंचल में पंचायतों की स्थापना पर जोर दिया और कई स्थानों पर पंचायतों की स्थापना भी की गई।[14]

1919 का भारतीय शासन अधिनियम एवं पंचायती राज व्यवस्था

1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित किया जो 1920 में लागू हुआ। इस अधिनियम में स्थानीय पंचायत शासन विभाग को प्रांत के निर्वाचित मंत्रियों के हस्तांतरित विषयों में सम्मिलित कर लिया गया तथा स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया। लेकिन इसी के साथ एक परिवर्तन यह हुआ कि सम्पूर्ण भारत में स्थानीय शासन के क्षेत्र में अब तक जो एकरूपता पायी जाती थी वह अब नहीं रही क्योंकि स्वायत्त शासन का विषय केन्द्र सरकार के हाथों से निकल कर प्रांतीय सरकारों के अधीन आ गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद प्रान्तों में पंचायतों, नगर पालिकाओं आदि के लिए अलग से कई अधिनियम बनाए। इसमें स्थानीय संस्थाओं का गठन पूर्ण रूप से निर्वाचन के आधार पर किया गया। इस कारण स्थानीय संस्थाओं का अध्यक्ष पद भी अब गैर-सरकारी सदस्यों को दिया जाने लगा था इससे स्थानीय प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण कुछ कम हो गया। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक शक्तियां और जिम्मेदारियां देने का प्रयास किया गया। इन सबके बावजूद स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति नहीं हो सकी। इस दौरान निचले स्तर तक लोकतंत्र तो पहुंचा लेकिन साथ ही इन संस्थाओं की कार्यकुशलता में कमी भी देखी गयी। इसके अलावा स्थानीय संस्थाएँ राजनेताओं के प्रभाव में आ गयी जिस कारण वे कामकाज में पक्षपात का शिकार हो गयी।[15]

1935 का भारत शासन अधिनियम और पंचायती राज

1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसमें द्वैध शासन के स्थान पर उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई।

इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रान्तीय सरकारों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गयी। उनकी वैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इस अधिनियम का प्रान्तीय भाग 1937 में लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप बिहार, उत्तर प्रदेश, मुम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार गठित हुई। सभी प्रान्तीय विषय मन्त्रियों को हस्तांतरित कर दिये गये। यह व्यवस्था भी की गयी कि इनका शासन राज्यपाल मन्त्रियों की सहायता से करें। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य विधान मण्डल के सदस्य होते थे। वे अपने कार्यों एवं नीति के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू होने पर स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-सरकारों ने कई ठोस कदम उठाये। बम्बई, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं की समस्या का अध्ययन एवं उनमें सुधार के लिए कई समितियाँ गठित की गयी। अन्य प्रान्तों में भी स्थानीय संस्थाओं में सुधार के लिए विधेयक पेश किये गये। प्रान्तीय स्वराज व्यवस्था ने कार्य करना प्रारम्भ ही किया था कि 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ।[16] भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रान्तीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया जिसका स्थानीय शासन संस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा इन संस्थाओं को अधिक गति मिली। निर्वाचित सरकार इन संस्थाओं को पहले की तुलना में अधिक धन उपलब्ध करा सकती थी। प्रान्तीय एवं स्थानीय करों के बीच जो विभाजन था उसे समाप्त कर दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासन के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रजातंत्र की आधारशिला के रूप में इसे स्वीकृति दी गई तथा लगभग सभी प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं को अधिक कार्यभार दे दिया गया। विशेषत: नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ। पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पुरूषोत्तम दास टंडन जैसे महान् राजनीतिज्ञों ने स्वायत्त शासन संस्थाओं में कार्य किया। किन्तु इन संस्थाओं की कर लगाने की शक्तियों में वृद्धि नहीं करके कम कर दी गई। नये कर लगाने से पूर्व प्रान्तीय सरकारों से आज्ञा लेनी आवश्यक थी तथा चुंगी बढ़ाने, व्यापारों, व्यवसायों एवं सम्पत्ति पर कर लगाने की शक्तियां कम करके विकेन्द्रीकरण आयोग की सिफारिशों को अनदेखा किया गया। 1939 में प्रान्तीय मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया।

स्थानीय संस्थाएँ जिन समस्याओं से जकड़ी हुई थी उनमें कुछ स्थानीय एवं राजनैतिक तथा कुछ द्वैध शासन के कारण थी। मध्यप्रदेश में 1935, उत्तर प्रदेश में 1938 तथ बम्बई में 1939 में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए समितियाँ गठित की गयी। इन समितियों ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव प्रस्तुत किए परन्तु 1939 में कांग्रेसी सरकारों के भंग होने के कारण उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाया। बम्बई की प्रान्तीय सरकार ने प्रान्तीय तथा स्थानीय संस्थाओं के बीच वित्तीय सम्बन्ध, स्थानीय स्वशासन को प्रशासनिक स्तर, परिषद का अधिकार तथा कार्यक्षेत्र निर्धारित करने आदि के सम्बन्ध में अध्ययन कर सिफारिश देने के लिए एक समिति गठित की। कई राज्यों में वहाँ ग्राम-पंचायतें गठित की गई तथा स्थानीय संस्थाओं को कुछ अधिकार दिये गये। मध्य प्रदेश की प्रांतीय सरकार ने वहां की स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर उसमें सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की। समिति ने समस्याओं का अध्ययन कर आंशिक परिवर्तन के लिए सिफारिश की परन्तु प्रान्तीय सरकार द्वारा त्याग-पत्र दे देने के कारण वे सिफारिशें लागू नहीं हो पायी। 1939 से 1946 तक की अवधि में भारत संवैधानिक संकट रहा जिस कारण स्थानीय संस्थाओं के विकास की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। इनके सम्बन्ध में केवल विचार-विमर्श होते रहे। जब पुन: 1946 में कांग्रेसी सरकारें गठित हुई तो स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में समितियों के जो प्रतिवेदन आये थे उनके अनुरूप कार्यान्वयन होना प्रारम्भ हुआ।[17]

ब्रिटिश शासन काल में भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आया। स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ स्पष्टत: दो भागों में विभक्त थी शहरी एवं ग्रामीण। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के जिस रूप को अपनाया गया वह ब्रिटिश शासन की विरासत माना जाता है। ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय संस्थाओं को स्थापित करने का लक्ष्य वस्तुत: साम्राज्यवादी वित्तीय बोझ को हल्का करना था न कि भारत में स्थानीय संस्थाओं का विकास करना। अत: ब्रिटिश सरकार ने जिला स्तर पर प्रान्तीय सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन चलाने की नीति अपनाई।[18] इस सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्राचीन समय से दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पंच, पंचायत एवं ग्रामीण प्रशासन के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भी स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया गया। महात्मा गांधी स्वयं ग्राम स्वराज्य एवं पंचायत प्रणाली के पक्षधर थे। फिर भी आज जो स्वरूप पंचायती राज का है, वह ब्रिटिश काल में भी नहीं उभर पाया था। इस प्रकार वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था पूर्णत: लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करती है।

सन्दर्भ सूची

1. मुखर्जी, राधा कुमुद, 'द लोकल गवर्नमेण्ट इन एनसिमेण्ट इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास, पटना, 1958, पृ. 11
2. पुरोहित, अमित, 'पंचायती राज व्यवस्था, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, 2010, पृ. 13
3. मनुस्मृति (7/115/116)
4. विद्यालंकार, सत्यकेतु: मौर्य साम्राज्य का इतिहास, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 1928 पृ.210-211
5. सिंह, बामेश्वर, भारत में स्थानीय स्वशासन, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012 पृ. 9
6. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा, पंचायती राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, 2007
7. खन्ना, बी.एस., पंचायती राज इन इंडिया : रूरल लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1996, पृ 9
8. जैन, राजेन्द्र, भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल,19771, पृ.101
9. वैंकट चलैया, एम एवं पिताम्बरा, एम, लोकल गर्वनमेन्ट इन इण्डिया, पृ. 6
10. झा, चेतकर, भारतीय स्थानीय स्वशासन, नोवेल्टी एण्ड कम्पनी, पटना, 1969, पृ. 46
11. सिंह, साहेब, और सिंह, रवीन्द्र, लोकल गवर्नमेन्ट इन इण्डिया,, ओरियन्ट लोंगमैन, नई दिल्ली, 1987, पृ. 85
12. कुरूक्षेत्र, (हिन्दी मासिक) वॉ प अंक 1 नई दिल्ली, अक्टूबर, 1991, पृ. 32
13. सिंह, बामेश्वर, उपर्युक्त, 2012, पृ. 15
14. भटनागर, एस., रूरल लोकल गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, ओरियन्ट लोंगमेन, नई दिल्ली, 1987 पृ. 85
15. सिंह, सुखवीर, राजस्थान पंचायती राज कानून यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2011, पृ. 57
16. शर्मा, एम.पी., लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन इंडिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1980, पृ 4
17. सिंह, बामेश्वर, उपर्युक्त, नई दिल्ली, 2012, पृ. 19
18. जोहरी, जे.सी., भारतीय राजनीति, विशाल पब्लिकेशन, आगरा, 1986, पृ. 505-508,

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधन

डॉ. हेमा ठाकुर

पुस्तकालयाध्यक्ष, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, पाँडुलिपियां, फिल्में, नक्शे, प्रिंट, दस्तावेज, ई-किताबें ऑडियों, पुस्तकों, डेटाबेस आदि का संग्रह रहता है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द लाइवर से हुई जिसका अर्थ है, पुस्तक। पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है जो निरंतर समाज कल्याण में रत रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। यह एक सेवाभावी संस्था है और जन-जन की बौद्धिक क्षुधा को शांन्त करने का सक्षम साधन है। पुस्तकालय और समाज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पुस्तकालय मानवता के विकास की आधारशिला है। किसी भी देश की संस्कृति तथा सभ्यता इसके पुस्तकालय में सुरक्षित रहती है। पुस्तकालय बौद्धिक, सांस्कृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुस्तकालय किसी भी देश के सांस्कृतिक आन्दोलन का प्रमुख स्रोत होता है। अत: प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में पुस्तकालय का विशेष स्थान होता है।

संकेताक्षर : *ई-जर्नल, ई-संसाधन, ई-पुस्तक*

प्राचीन पुस्तकालय 2600 ई.पू. में होने के संकेत सुमेर संग्रहालय में मिले हैं जिसमें कुछ कीलाकार लिपि में लिखने के संकेत मिले हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी कुछ पुस्तकालय होने के संकेत मिले हैं जिसमें मिट्टी की गोलियों के अभिलेखागार शामिल हैं। भारत वर्ष में ग्रन्थों के संग्रह करने की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन भारत में बौद्ध बिहारों में ग्रन्थ सृजन तथा संरक्षण कार्य होता था । देश में अनेक बड़े-बड़े पुस्तकालय विद्यमान थे। नालन्दा के विश्वविद्यालय प्रधान रत्नोदधि और रत्नरंजन अपने नाम के अनुरूप ही उपयोगी थे। आधुनिक भारत में भी कई विशाल पुस्तकालय स्थापित किए गए जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 19वीं शताब्दी में 30 जनवरी 1903 का संस्थापित कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

ई-संसाधन

पिछले कुछ दशकों से कम्प्यूटर द्वारा जानकारी एकत्र की जा रही है। इंटरनेट वेब लगातार संचार के साधनों के विकास को प्रभावित कर रहे है। पुन: प्राप्ति ज्ञानवर्द्धन के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा हैं। विश्वविद्यालयी पुस्तकालयों में शोध कार्य के लिए ये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस महत्त्व का कारण डिजिटल ई-संसाधनों का कम खर्चीला, स्थांनतरित एवं अधिक उपयोगी होना है। सूचना प्रौद्योगिकी ने आज इस स्वरूप को बदल दिया है। आज के आधुनिक पुस्तकालय न केवल महत्त्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं बल्कि इनकी सेवाओं और तकनीक में भी बदलाव आ चुका है। पुस्तकालयों का पांरपरिक सेटअप एक विश्व भौतिक स्थान के अन्दर था जिसने एकीकृत डेटा केन्द्रों को रास्ता दे दिया। नेटवर्किंग के जरिए विश्व भर के डेटा स्रोतों का इस्तेमाल करके पुस्तकालय को पूर्ण रूप से उन्नत बनाया जा सकता है।

ई-संसाधनों की आवश्यकता

वर्तमान युग सूचना युग है। प्रत्येक व्यक्ति विश्वसनीय और सही जानकारी पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों से मिलने की उम्मीद रखता हैं। भारत में पुस्तकालय नई जानकारी के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहें हैं। बहुत से पुस्तकालय डिजिटल और नेटवर्क की जानकारी काफी समय से उपयोग में ला रहे हैं। आज पुस्तकालय परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं चुनौतियों, सिकुडते बजट, स्थान की कमी और प्रकाशनों की बढ़ती लागत और दूसरी तरफ सूचना के क्षेत्र में प्रगति से

उत्पन्न जानकारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इस कारण पिछले कुछ दशकों ने पूरे परिपृश्य को बदल दिया है। आज एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ई-संसाधनों की उपलब्धता बहुत आम है अगर पिछले कुछ समय से शिक्षकों और शोधार्थियों के बीच ऑनलाइन संसाधनों की प्राथमिकताओं और विचारों पर प्रकाश डाला जाए तो पिछले कुछ दशकों के दौरान कम्प्यूटर के उपयोग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया हैं। सूचना संसाधन में कम्प्यूटर के आवेदन दृश्य के लिए उत्पाद व सेवाएँ हैं। इंटरनेट और वेब लगातार विद्धानों के संचार एवं नए तरीके के विकास को प्रभावित कर रहे हैं।

भारत की उच्च शिक्षा में ई -संसाधनों की भूमिका

संरक्षण और ज्ञान का संचार भारत में तेजी से हो रहा है। आजादी के समय महाविद्यालयों की संख्या 500 थी जो वर्ष 2012- 2013 में लगभग 35000 के पार पहुँच गई हैं। सन् 2010 के बाद इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन ने भारतीय शिक्षा का स्वरूप बदल दिया हैं। ई-संसाधन सभी विश्वविद्यालयी पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं।

शोध के उद्देश्य

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधनों की सूची तैयार करना।

शोध के उपकरण

शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने निम्न उपकरण का निर्माण किया।

पडताल सूची (चैक लिस्ट)

विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधनों की सूची तैयार करना।

तालिका 1: विभिन्न विश्वविद्यालयों में ई-डेटाबेस की उपलब्धता

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों के नाम	ई-संसाधन	ई-संसाधन निम्न स्रोतों से लिए गये हैं।	संख्या
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर	अमेरिकन कैमिकल सोसायटी; अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स; अमेरिकन फिजीक्ल सोसायटी; एनुअल रिव्यु; सांइस डाईरेक्ट (10 सब्जेक्ट कलैक्शन); आक्सफोर्ड यूनिवसिर्टी प्रेस; जे-स्टोर; प्रोजेक्ट इक्यूड; रॉयल सोसायटी ऑफ कैमिस्ट्री; एसआईएएम; स्प्रीगर लिंक; टेलर एण्ड फ्रांसिस	इनफ्लिबनेट	12
2.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सांइस फाइन्डर स्कॉलर; रॉयल सोसायटी ऑफ कैमिस्ट्री; जे. गेट; अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स; एनुअल रिव्यु; कैम्ब्रीज; यूनिवसिर्टी प्रेस; इकोनोमिक्स पॉलिटिक्लस वीक्ली; इल्सवायर सांइस; जे. स्टोर; आक्सफोर्ड युनिर्वसिटी प्रेस; रॉयल सोसायटी ऑफ कैमिस्ट्री; एच. डब्ल्यू विल्सन	इनफ्लिबनेट	12
3.	कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कैब; एब्सट्रेक्ट; एग्रिस; एग्रीकोला	आई.सी.ए.आर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)	3
4.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	आई.ई.ई.ई.; डेलनेट; जे.गेट; इनफ्लिबनेट	प्रकाशकों द्वारा	4
5.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	वेस्ट लॉ; मनुपात्रा; जे. स्टोर; हेन ऑनलाईन; लेक्सिस नेक्सिस; क्लुवर एब्रिटेरेशन	प्रकाशकों द्वारा	6
6.	आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर	डेलनेट	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली	1
7.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	डेलनेट; आई.एम.पी.; ए.एस.पी.; एमराल्ड; आई.ई.ई.ई.; जे.गेट; सांइस डायरेक्ट; आई.ई.एल.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली प्रकाशकों द्वारा	8
8.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डेलनेट; इनफ्लिबनेट	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली इनफ्लिबनेट	2
9.	जयपुर नेशनलन विश्वविद्यालय, जयपुर	डेलनेट; जे.गेट; आई.ई.ई.ई.; नेचर; बेन्थम; मनुपात्रा	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली प्रकाशकों द्वारा	6
10.	एमिटी विश्वविद्यालय, जयपुर	एबस्को; आई.ई.ई.ई.; ए.सी.एम. डिजिट; टेलर एण्ड फ्रांसिस; अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स; आक्सफोर्ड प्रेस; बिबिलियोग्राफी डेटाबेस; एस स्पेन; कोपेक; इलिस्ट; एरिक; एच.सी.आई बिबिलियोग्राफी; एन.यू.सी.एम.ई.; ओल्सटर; मेडलाईन; सांइस एफ.एफ. आर. डेटाबेस; आई.यू.सी.ई.ई	प्रकाशकों द्वारा	17

उपर्युक्त तालिका 1 विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में ई-डेटाबेस की उपलब्धता को दर्शाती है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध डेटाबेस की सूची तैयार करने पर शोधार्थी ने पाया कि सबसे अधिक डेटाबेस 17 निजी विश्वविद्यालय एमिटी के पुस्तकालय में उपलब्ध है और सबसे कम डेटाबेस 01 का उपयोग राज्य सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर में हैं।

इन डेटाबेस की सूची तैयार करते समय शोधार्थी ने यह भी पाया की इन सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में कुछ डेटाबेस **इनफ्लिबनेट** केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, **डेलनेट** मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर **जम्मू गेट** मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर, एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर **आई.ई.ई.ई** मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, तकनीकि विश्वविद्यालय कोटा, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर, एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर **जे स्टोर** केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ये कुछ ऐसे डेटाबेस हैं जो लगभग सभी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं।

तालिका 2 : विभिन्न विश्वविद्यालयों में ई-जर्नल की उपलब्धता

क्र. सं.	विश्वविद्यालयों के नाम	ई-संसाधन	ई-संसाधन निम्न स्रोतों से लिए गये हैं।	संख्या	क्र.सं.
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर	अमेरिकन कैमिकल सोसायटी; अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स; एनुअल रिव्यु; सांइस डाईरेक्ट (10 सब्जेक्ट कलैक्शन; आक्सफोर्ड प्रेस; जे-स्टोर; प्रोजेक्ट इक्यूड; स्प्रीगर लिंक; टेलर एण्ड फ्राँसिस	इजिनियरिंग फिजिक्स विधि इजिनियरिंग मैनेजमेन्ट इजिनियरिंग विधि	49; 33; 39; 1036; 206; 2585; 79; 1613; 1079	6719
2.	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स; अमेरिकन फिजिक्ल सोसाइटी; एनुअल रिव्यु; कैम्ब्रीज यूनिर्वसिटी प्रेस; इकोनोमिक्स पॉलिटिक्लस वीक्ली; इण्डियन जर्नलस; इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स; जे-स्टोर; आक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रेस; रायल सोसाईटी ऑफ कैमिस्ट्री; एच.डब्ल्यू विल्सन; सेग पब्लिकेशनस; कनसोटीयम; नेचर	फिजिक्स फिजीकल विधि विधि फिजिक्स कैमिस्ट्री एजुकेशन मैनेजमेन्ट बेसिक सांइस	18; 10; 33; 224; 01; 180; 46; 2500; 206; 29; 3000; 359; 289; 1189	8084
3.	कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर	टेलर एण्ड फ्राँसिस; आई.सी.ए.आर.	होम सांइस डेयरी कृषि भूमि	1399; 1197; 1309	3905
4.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	इनफ्लिबनेट; डेलनेट; जे-गेट; आई.ई.ई.ई.	इजिनियरिंग	2391; 1961; 1759; 2169	8280
5.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	वेस्ट लॉ; मनुपात्रा; जे-स्टोर; हेन ऑनलाईन; लेक्सिस नेक्सिस; क्लुवर एब्रिटेरेशन	केवल विधि सम्बन्धित पुस्तकें	1597; 99; 1295; 2367; 1191; 1451	8000
6.	आयुर्वेदिक चिकित्सक विश्वविद्यालय जोधपुर	डेलनेट; नेचर	केवल चिकित्सा सम्बन्धि पुस्तकें	2295; 3199	5494
7.	राजस्थान तकनीकि विश्वविद्यालय कोटा	आई.एम.पी.; ए.एस.पी.; डेलनेट; जे-गेट; टाटा मैक्ग्राहिल	इंजिनियरिंग	1597; 1091; 1997; 2091; 824	7600
8.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	डेलनेट; इनफ्लिबनेट	सभी संकायों से सम्बन्धित	2129; 2200	4329
9.	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर	डेलनेट; जे-गेट; आई.ई.ई.ई.; मनुपात्रा; बेन्थम; नेचर	ऐजुकेशन इंजिनियरिंग मैनेजमेन्ट इंजिनियरिंग मैनेजमेन्ट विधि नर्सिंग लाईफ साइंस	162; 899; 1802; 145; 04; 23; 2399;	5413
10.	एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर	अमेजन डेटाबेस; डेलनेट; कैम्ब्रीज प्रेस; इनफ्लिबनेट; आई.ई.ई.ई. एक्प्रोलर; ए.सी.एम. डिजीटल लाइब्रेरी; इन टच	सभी संकायों से सम्बन्धित इंजिनियरिंग लॉ मैनेजमेन्ट इंजिनियरिंग सभी संकायों से सम्बन्धित रिर्सच डेटाबेस एम. टेक	10900; 10972; 1597; 2493; 1697; 10742; 377; 595	39,373

उपर्युक्त तालिका 2 विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई-जर्नल की उपलब्धता को दर्शाती है।

शोधार्थी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जाकर पाया कि सभी विश्वविद्यालयों में विभिन्न डेटाबेस के माध्यम से ई-जर्नल उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

शोधार्थी द्वारा लिए गए विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक ई-जर्नल निजी विश्वविद्यालय एमिटी के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं जो इस विश्वविद्यालय में चल रहे सभी संकायों से सम्बन्धित हैं। इनकी संख्या 39,373 है जबकि सबसे कम ई-जर्नल की उपलब्धता महाराणा प्रताप कृषि औद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। जिनकी संख्या 3905 हैं। ई-जर्नल की उपलब्धता सभी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में हैं।

तालिका 3 : विभिन्न विश्वविद्यालयों में ई-पुस्तकों की उपलब्धता

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों के नाम	ई-संसाधन	ई-संसाधन निम्न स्रोतों से लिए गये हैं।	संख्या	कुल संख्या
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	कैम्ब्रीज बुक्स; ई-लाइब्रेरी; ई.बी.एस.सी.ओ. हॉस्ट-नेट लाइब्रेरी; हिन्दुस्तान बुक एजेन्सी; इंस्टीट्यूट ऑफ साइथ ईस्ट; एसीयन स्टेडीस (आई.एस.ई.ए.एस.); ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशीप; स्प्रींगर ई-बुक्स; सेग पब्लिकेशन ई बुक्स; टेलर फ्रासिंस ई-बुक्स; लाई लाइब्रेरी- मैक्ग्राहिल	आर्टस कॉमर्स सांइस सोसयल सांइस एजुकेशन इंजिनियरिंग इंजिनियरिंग लॉ एम.जी.एम.टी	1800; 83000; 936; 65; 382; 1402; 2300; 1000; 1800; 1124	93809
3	कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर	सी.आर.सी पब्लिशर्स	कृषि सम्बन्धित	48	48
4	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	इनफ्लिबनेट; डेलनेट	सोसयल सांइस मैनेजमेन्ट लॉ डिपार्टमेन्ट लाइब्रेरी सांइस	171; 695; 997; 395	2258
5	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	हेन ऑनलाईन; क्लुवर एब्रिटेरेशन	विधि सम्बन्धित	3123; 2877	6000
6	आयुर्वेदिक चिकित्सक विश्वविद्यालय जोधपुर	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
7	राजस्थान तकनीकि विश्वविद्यालय कोटा	टाटा मैक्ग्राहिल; ए.एस.टी.एम. डिजिटल लाइब्रेरी	इंजिनियरिंग	2076	2076
8	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
9	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
10	एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर	इन टेक; इनफॉटरिव; इरोम ऑनलाईन	इंजिनियरिंग होटल मैनेजमेन्ट इंजिनियरिंग मैनेजमेन्ट सभी संकायों से सम्बन्धित	2420; 15969; 1000	19,389

उपर्युक्त तालिका 3 विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध ई- पुस्तकों की उपलब्धता को दर्शाती है।

शोधार्थी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जाकर पाया कि सबसे अधिक ई -पुस्तकों की उपलब्धता राज्यस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इनकी संख्या 93809 है। यह ई-पुस्तकें विभिन्न संकायों से सम्बन्धित हैं। जबकि कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सबसे कम ई-पुस्तकें उपलब्ध है। इनकी संख्या 48 है। इसके विपरीत कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जिनमें अभी तक ई-पुस्तकों की उपलब्धता नहीं है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर, आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर, अभी इन विश्वविद्यालयों में ई-पुस्तकों की उपलब्धता नहीं है।

- ई-संसाधनों में सबसे अधिक उपलब्धता निजी विश्वविद्यालय एमिटि के पुस्तकालय में होने का कारण प्रबन्धक समिति का इनके प्रति जागरूक होना एवं अधिक बजट राशि का प्रावधान होना है।
- ई-जर्नल एवं ई-थीसिस की सबसे अधिक उपलब्धता निजी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में होने का मुख्य कारण पाठकों को नवीनतम् जानकारी उपलब्ध करवाना और अपने विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को बढाना है। जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के प्रवेश की मात्रा में वृद्धि होगी।
- ई-पुस्तकों का राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सबसे अधिक उपलब्ध होने का कारण यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है इनको धन राशि यू.जी.सी. द्वारा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जिसके फलस्वरूप वे ई-पुस्तकों पर अधिक व्यय करते हैं।
- ई-पत्रिकाओं की उपलब्धता 04 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में होना यह दर्शाता है कि वे इनके प्रति जागरूकता रखते हैं।

निष्कर्ष

विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधनों की सूची तैयार करने पर निष्कर्ष में पाया कि एमिटि निजी विश्वविद्यालय में सबसे अधिक 17 डेटाबेस इसके विपरीत सबसे कम आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर में उपलब्ध है। कुछ डेटाबेस जैसे इनफ्लिबनेट, डेलनेट, जम्मू गेट एवं आई. ई.ई.ई. अधिकांश विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। एमिटि निजी विश्वविद्यालय में सबसे अधिक 39373 ई-जर्नल इसके विपरीत सबसे कम कृषि प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 3925 उपलब्ध हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सबसे अधिक 93809 ई-पुस्तकें तथा सबसे कम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 48 उपलब्ध पायी गयी। ई-पुस्तकों का राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सबसे अधिक उपलब्ध होने का कारण यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है इनको धन राशि यू.जी.सी. द्वारा पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। जिसके फलस्वरूप वे ई-पुस्तकों पर अधिक व्यय करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एनी, ओकन, ई, टूवार्डस इफेक्टीव डेवलपमेन्ट ऑफ इलैक्ट्रोनिक इनफॉर्मेशन रिसोसिस इन यूनिवसिर्टी लाइब्रेरीस वॉल्यूम 20 (6-7)
2. केबेडे, जी, द चेन्जींग इनफोर्मेशन नीड ऑफ आनसर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इनवायरमेन्ट, द इलेक्ट्रॉनिक लाईब्रेरी वॉल्यूम, 2002, 20(1)
3. क्लाइन, एल., शैक्षणिक पुस्तकालयों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक बाजार का विकास पुस्तकालीय के संग्रह अधिग्रहण और तकनीकी सेवा वॉल्यूम 2000, 24(2)
4. काओ, जेड, ली, एस., अमेरिका प्रिट अखबारों के संचलन पर इंटरनेट समाचार पत्रों में बढने के प्रभाव एक मुख्य धारा अध्ययन न्यू जर्सी लारे: एसोसिएट्स, 2006
5. युंग, डी, एस., इंटरनेट सुविधाओं, पैटर्न की पहचान और पाठकों के उपयोग का अनुमान लगाया संगगणन द्वारा संचार के जर्नल वॉल्यूम (3), 2008
6. गर्रिजन, एस., एक डिजिटल क्रांति डिजिटल युग में मीडिया और सांस्कृतिक इत्पादन के पुनर्मूल्यांकन की राजनीति और सामाजिक विज्ञान अमेरिका अकादमी का इतिहास, 2005, 597(13)
7. ओझा. आर., छात्रों की प्रवेश यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल में उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन के बारे में जागरूकता नाइजीरिया के विश्वविद्यालय. लाईब्रेरी के लांगोस जर्नल और सूचना विज्ञान वॉल्यूम 3(1), 2005
8. नेहरू, जे., दी स्पेशल कॉनवॉकेशन इलाहाबाद यूनिर्वसिटी, क्राइटिड इन यू.जी.सी. रिपोर्ट दिसम्बर, 1947, पृ. 309-310
9. इण्डियन यूनिर्वसिटी एजुकेशन कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 1948-49, पृ. 34-45
10. इण्डियन यूनिर्वसिटी ऐजुकेशन कमिशन, एन.सी.आर.टी. 1971, दिल्ली, 1964-66, पृ. 274-75
11. इण्डियन यूनिर्वसिटी कमिशन (कोलकात्ता) .चैयरमैन मिशेल सेलडर रिपोर्ट, गर्वमेन्ट प्रिटिंग ऑफिस, शिमला, 1968, पृ. 279-88

आई.एस.आई.एस. आतंक का विश्व पर प्रभाव

डॉ. कौसर फिरदौस जाफरी

राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राज.)

शोध सारांश

आई.एस.आई.एस का प्रमुख अबु-बकर-अल-बगदादी है। आई.एस.आई.एस स्वयं को ''इस्लामी खलीफा मानता है'' और पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में विशाल भूमि पर इसका नियंत्रण है। अपने नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर भी ये संगठन प्रतिशोध लेता रहता है। आई.एस.आई.एस से समर्थन रखने वालों द्वारा 'लोन वुल्फ' जैसे आतंकवादी हमलों को प्रेरित किया। आई.एस.आई.एस ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रामक चेहरा दुनिया को दिखाने की रणनीति में वृद्धि की। इस संगठन ने कई लोगों का सिर कलम किया जिसमें अमरीकी पत्रकार जेम्स फौले भी शामिल हैं। जब इन्होंने उत्तरी इराक के शहर सिंजर पर कब्जा कर लिया और वहाँ रह रहे अलपसंख्यक यजीदी समुदाय को फाँसी व महिलाओं के साथ बलात्कार करने लगे, ये आतंकवाद का बर्बर रूप स्थापित करना चाहते थे। यदि भारत आई.एस.आई.एस के खिलाफ सक्रिय रूप से खडा होता है तो यहाँ आतंकवादी हमलों की संख्या और बढ सकती है। भारत को अमरीका के साथ बांग्लादेशी सरकार के प्रति अपने दृष्टिकोण को पंक्तिबद्ध करना चाहिए और खुफिया जानकारी को उचित रूप से साझा करना चाहिए। आई.एस.आई.एस को रोकने के उपायों में सैन्य विकल्प के साथ-साथ, कूटनीतिक उपायों का भी प्रयोग करना पडेगा, आय के स्त्रोतों पर नियंत्रण करना होगा और जो देश आई.एस.आई.एस की मदद करें इसके साथ भी कडे से कडा व्यवहार करना होगा, अन्य देशों से जो युवा इस संगठन के सदस्य बनने के लिए ईराक जाते है इन्हें इसके विरूद्ध जागरूक करना होगा।

संकेताक्षर : *खलीफा, फिदायीन, यजीदी, जिहादी, फिरौती, युद्धपोत, सी.आई.ए, एन.आई.ए, नाटो, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना*

आई.एस.आई.एस का प्रमुख अबु-बकर-अल-बगदादी है। आई.एस.आई.एस स्वयं को ''इस्लामी खलीफा मानता है'' और पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में विशाल भूमि पर इसका नियंत्रण है। बगदादी कथित तौर पर सीरिया से था।

यह कई महीनों तक अमरीका की दक्षिणी ईराक की जेल में कैद था जिसे 2004 में छोड दिया था। विश्व के अन्य कट्टरपंथी संगठनों अफगानिस्तान से लेकर नाइजीरिया तक की आई.एस.आई.एस में निष्ठा है।

जिन क्षेत्रों मे आई.एस.आई.एस का नियंत्रण है वहां से ईसाईयों व शियाओं का नरसंहार किया। अपने नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर भी ये संगठन प्रतिशोध लेता रहता है। आई.एस.आई.एस से समर्थन रखने वालों द्वारा 'लोन वुल्फ' जैसे आतंकवादी हमलों को प्रेरित किया।

स्त्रोत:https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/isis-take-border-crossings-iraq-syria-jordan[1]

आई.एस.आई.एस की संरचना[2]

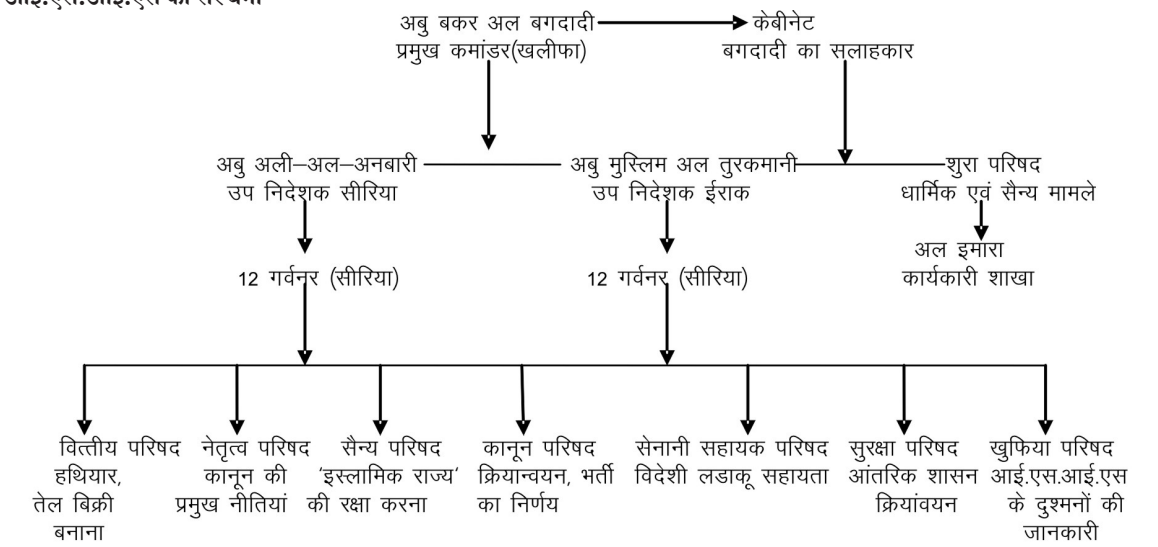

स्त्रोत: सी.एन.एन, टेररिज़्म रिसर्च एण्ड एनालिसिस कोनर्सोटियम

सीरिया में गृह युद्ध छेडने व इसके प्रमुख शहरों पर कब्जा करने के लिए आई.एस.आई.एस पहला विद्रोही समूह बन गया। 2014 में जल्दी ही इस संगठन ने इराक के मोसुल पर कब्जा कर लिया, जब तक कि वह बगदाद की सीमाओं मे नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद ही इन्होंने खुद को खलीफा के रूप मे स्थापित किया व सभी मुसलमानों को इनमें निष्ठा स्थापित करने को कहा। आई.एस.आई.एस ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रामक चेहरा दुनिया को दिखाने की रणनीति में वृद्धि की। इस संगठन ने कई लोगों का सिर कलम किया जिसमें अमरीकी पत्रकार जेम्स फौले भी शामिल हैं। जब इन्होने उत्तरी इराक के शहर सिंजर पर कब्जा कर लिया और वहाँ रह रहे अलपसंख्यक यजीदी समुदाय को फाँसी व महिलाओं के साथ बलात्कार करने लगे, ये आतंकवाद का बर्बर रूप स्थापित करना चाहते थे।

आई.एस.आई.एस शक्तिशाली कैसे हुआ

अलग होने की भावना- इराक और सीरिया में सुन्नी समुदाय शिया और अलवाईत प्रमुख सरकार के आने से खुद को अलग-थलग महसूस करने लगे। आई.एस.आई.एस शिकार की भावना को आगे बढाकर इन समुदायों को हिंसा से नियंत्रण से रखने की भावनाओं से खेल रहा था। इन्होंने इस्लाम की व्याख्या घुमा-फिरा कर की व इस क्षेत्र से निकले हुए युवाओं को चारे की तरह प्रयोग किया।

अनइच्छुक सहयोगी- आई.एस.आई.एस ने सद्दाम हुसैन के धर्मनिरपेक्ष शासन के लेफ्टिनेंट जो कि इन जिहादियों को पसंद नहीं करते थे इन्हीं के साथ आई.एस.आई.एस ने अपने हिंसक साधनों से दमन करने के लिए इनका इत्तम प्रयोग किया।

ईराकी अराजकता- ईराक से अमरीकी सेना के जाने के बाद ईराक की सेना में बहुत भ्रष्टाचार था, इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और आई.एस.आई.एस के सामने ईराकी सेना कमज़ोर थी। अमरीका के अधिकतर हथियार आई.एस.आई.एस के हाथ लग गए थे।

जबरन वसूली- आई.एस.आई.एस के मौसूल पर कब्जा करने से पहले ये संगठन इराकी सरकार के नाक के नीचे जबरन वसूली का काम करता था। संभ्रात व व्यवसायी व्यक्तियों को सुरक्षित रहने के लिए 'सुरक्षा शुल्क' के नाम से वसूली देनी पडती थी। एक अनुमान के अनुसार इससे आई.एस.आई.एस को प्रतिदिन 1 मिलियन डॉलर की आय होती है।

कर लगाना व शोषण करना- एक बार आई.एस.आई.एस ने इलाकों व लोगों पर कब्जा कर लिया इन्होंने एक राज्य की तरह ही लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। जो ईसाई व अल्पसंख्यक दूसरी जगह नहीं जाते इनसे अतिरिक्त कर वसूलते हैं। ईराक के सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का 50 प्रतिशत कर देना होता है व कम्पनियों को 20 प्रतिशत अनुबंध व राजस्व कर देना होता है।

तेल बेचना- इनके द्वारा निकाले गए कुल तेल के इत्पादन का लगभग 34,000 से 40,000 बैरल प्रतिदिन है। यह संगठन प्रतिदिन 1.5 मिलियन डॉलर प्रतिदिन तेल से कमाता है। चूंकि

तेल समूहों के लिए तेल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, इसलिए तेल व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के लिए आई.एस.आई.एस से लडने का एक प्राथमिक लक्ष्य बन गया है।

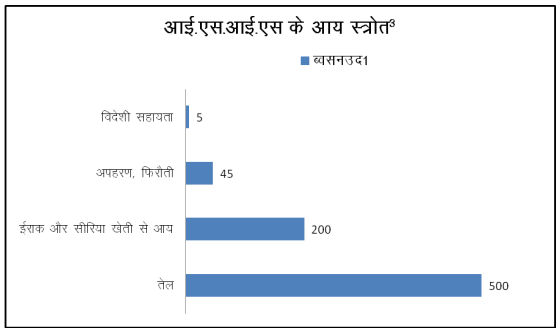

स्त्रोत: यू.एस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ब्लूमबर्ग

लूटपाट करना- आई.एस.आई.एस ने जब 2014 में मोसूल पर कब्जा किया तो इसे सेन्ट्रल बैंक व अन्य छोटे बैंको से 429 अमरीकी मिलियन डॉलर लूटे। इसने बैंक के स्टॉक, गहनें, मशीनों आदि को भी लूट लिया। जहाँ से यह संगठन अपना कार्य संचालित कर रहा है वह विश्व के सम्पन्न पुरातत्विक क्षेत्रों में से एक है। नीहारूद, नीनेवे, हतरा जैसे पुरातात्विक स्थलों की कलाकृतियों को लूट कर चोर बाज़ार में बेचा जाता है। जुलाई 2015 की युनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया व इराक में अवैध व्यापार ''औद्योगिक पैमाने'' पर हो रहा था।

अपहरण व मानव तस्करी- हालांकि यह आई.एस.आई.एस के राजस्व का प्रमुख साधन नहीं है फिर भी 2014 में 20 मिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। 2014 में अमरीकी पत्रकार जेम्स फोले का अपहरण किया व फिरौती में 100 मिलियन यूरो मांगे, फिरौती न मिलने पर इसकी हत्या कर दी। इस संगठन की 320 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष की आय होती है। पिछले वर्ष 5,270 महिलाओं का अपहरण कर मार दिया व अभी भी 3,144 महिलाओं को गुलामी के लिए मजबूर किया जा रहा है।[4]

आई.एस.आई.एस और प्रमुख राष्ट्र

अमरीका- अगस्त 2014 में अमरीका ने पश्चिमी और क्षेत्रीय शक्तियों के गठबंधन के बाद अमरीकी वायु सेना ने आई.एस.आई.एस के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इराक और अफगानिस्तान में चले लम्बे और अलोकप्रिय युद्धों के बाद अपनी सेना को भेजने मे अनिच्छुक थे फिर भी इराक की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए 3,500 सैनिकों को इराक भेजा। अमरीका ने आई.एस.आई.एस के विरूद्ध सीरिया व इराक के विद्रोही गुटों को हथियार दिए। 2017 में इराकी सरकार ने जब आई.एस.आई.एस से मोसूल के लिए युद्ध किया तो अमरीका ने इराकी सरकार का साथ दिया। मोसूल ऑपरेशन में पहली बार अमरीकी सेना ने खुले तौर पर इराकी सेनाओं के साथ सीमावर्ती लडाई में भाग लिया है।[5]

सऊदी अरब- क्षेत्रीय सुन्नी शक्ति सऊदी अरब आई.एस.आई.एस के खिलाफ सीरिया में अमरीकी नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन का हिस्सा है। रियाद भी अमरीकी सैनिकों द्वारा सीरिया के विद्रोही बलों को प्रशिक्षण के लिए ज़मीन देने के लिए मान गए। सऊदी के अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि आई.एस.आई.एस सऊदी के जिहादियों को राजशाही को चुनौती देने व इसे पलटने का प्रयास करेगा।

ईरान- यद्यपि ईरान इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विपरीत खडा है। यह अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र सऊदी अरब व अग्रणी सुन्नी राष्ट्रों के समक्ष आ खडा हुआ है। अमरीका जो इराक में सैन्य कार्यवाही कर रहा है इसका सहयोग नहीं कर रहा है जिसका ऐतिहासिक रूप से विरोध किया जा रहा है। ईरान ने अपने सैनिक ईराक में भेजने से अधिकारिक रूप से मना कर दिया है क्योंकि चार वर्षो में अफगान में स्थित 400 ईरानी सैनिक मारे जा चुके हैं।

ईराक- पूर्व शिया प्रभुत्व वाली सरकार ने इराक के सुन्नी समुदाय को हाशिए पर ला दिया, जिससे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं व उग्रवादी सुन्नी संगठन प्रमुखता में आ गई। जब आई.एस.आई.एस ने मोसूल में कब्जा कर लिया तब दक्षिण की ओर जाने से पहले ईराक ने अमरीका से हवाई हमले का अनुरोध किया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि सैन्य सहायता समावेशी सरकार के गठन पर निर्भर करती है। इन्होंने अगस्त 2014 में हवाई हमले शुरू किए।

सीरिया- मार्च 2011 में अपने शासन के विरूद्ध विद्रोह के बाद से राष्ट्रपति बशर-अल-असद ने बार-बार उग्रवादियों से सीरिया और व्यापक क्षेत्र के लिए खतरे की चेतावनी दी। राष्ट्रपति बशर-अल-असद ने उग्रवादियों के रूप में आतंकवादियों आई.एस और अल-कायदा के सहयोगी अल-नुसरा-फ्रंट की के तेज़ी से बढने का जो चित्रण दिया था पश्चिमी शक्तियों ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि अब वे स्वीकार करते हैं कि सीरिया में इनके गढ पर हमला किये बिना इसे हराया नहीं जा सकता।

रूस- रूस कभी भी अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं रहा लेकिन रूस ने सीरिया पर हवाई हमला शुरू कर दिए। इसके साथ ही कैस्पियन सागर में युद्धपोतों से मिसाइलों की भी

शुरूआत की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इन्होंने आतंकवादियों के गढ व आतंकवादियों को पर निशाना बनाया है। हालांकि अमरीका को यह डर है कि रूस वास्तव में सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद के विरोधियों को लक्षित करता है जो रूस का सहयोगी हैं।

तुर्की- तुर्की आई.एस.आई.एस को हराना चाहता है क्योंकि सीरिया व इराक के साथ तुर्की की सीमा मे आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई 2015 में सर्क के सीमावर्ती शहर में घातक बम विस्फोट में युवा कार्यकर्ता मारे गए व अक्टूबर में राजधानी अंकारा में बम विस्फोट में लगभग 100 लोग मारे गए तुर्की का मानना है कि यह हमले आई.एस.आई.एस ने करवाए थे। तुर्की ने अपने जेट विमान से सीरिया में आई.एस.आई.एस के ठिकानों पर हमले किए व नाटो के सदस्य राष्ट्र ने अमरीकी जेट विमानों को दक्षिण हवाई अड्डों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी।

लेबनान- सीरिया में चल रहे गहरे संघर्ष के कारण लेबनान विभाजित हो गया। जिसके कारण इसे हिंसा व भारी संख्या में आ रहे शरणार्थियों से निपटना पडता है। अगस्त 2014 में सीरिया स्थित आई.एस.आई.एस लडाकों ने असराल के सीमावर्ती शहर पर हमला किया जिसमें लेबनान के दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के अपहरण व हत्या की । इन आतंकवादियों ने बेरूत व अन्य जगहों पर हमले किए हमले किए हैं। इन्होंने ज्यादातर ईरानी सामानों, हिज़बुल्लाह व लेबनानी शिया समूहों को लक्षित किया है। लेबनान के प्रधानमंत्री तमाम सलीम ने चेतावनी दी है कि आई.एस.आई.एस का प्रसार एक बडी परीक्षा है जो हमारी किस्मत पर निर्भर करता है। इन्होंने अपने देश के धार्मिक व राजनीतिक गुटों को अपने मतभेदों को दूर रखने के लिए कहा ।

फ्रांस- फ्रांस 2014 से इराक में आई.एस.आई.एस को लक्षित करने में अमरीकी नेतृत्व का हिस्सा था। सितम्बर 2015 में सीरिया में पहला आक्रमण किया। राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलैंड ने 13 नवम्बर 2015 मे पेरिस में हुए घातक हमले के बाद आई.एस.आई.एस के खिलाफ हमले को तेज करने को कहा।

युनाइटेड किंगडम- ब्रिटेन की संसद ने दिसम्बर 2015 में इराक में आई.एस.आई.एस के विरूद्ध सीरिया के ठिकानों पर हमलों को और तेज़ करने के लिए मतदान किया। इस प्रस्ताव को कंजर्वेटिव सरकार द्वारा रखा गया था व श्रमिक नेता जेरेमी कोर्बिन ने इसका विरोध किया था।

कनाडा व आस्ट्रेलिया- कनाडा के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है कि वे इराक व सीरिया में हवाई हमलों से कनाडा के लडाकू विमानों को वापस ले लेंगे व अभियान प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को अक्टूबर 2015 में कनाडा के आम चुनाव जीतने के बाद अपना निर्णय बताया। आस्ट्रेलिया आई.एस.आई.एस के सीरिया व इराक के ठिकानों को लक्षित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा है।[6]

आई.एस.आई.एस की भारत में दस्तक

आई.एस.आई.एस की भारत में प्रभाव अभी कम है। हालांकि 2013-2016 के बीच आई.एस.आई.एस की कुछ घटनाएं देखी गई, अभी के लिए इनकी सफलता थम गई है। भारत के समृद्ध राज्यों मे आई.एस.आई.एस ने अपना नेटवर्क फैला है(केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र) ऐसा कहा जाता है कि विशेष रूप से बिहार और कश्मीर में आई.एस.आई.एस कट्टरता से ग्रस्त है। भारत में आई.एस.आई.एस के नये युवाओं को जाने से रोकने का अपेक्षाकृत अच्छा रिकार्ड है। भारत आई.एस.आई.एस की आभासी भर्ती व कट्टरता का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ युवा इस संगठन में शामिल हो रहे हैं व इराक व सीरिया में लड रहे हैं। इसके अलावा बाहरी खतरे के तौर पर बांग्लादेश की बढती उग्रवादी व कट्टर आबादी है जिससे आई.एस.आई.एस की पकड मज़बूत हो सकती है व भारत में आतंकवाद की घटनाएँ और बढ सकती हैं।

स्त्रोत: Indiatoday.in,new delhi 17nov 2015[7]

भारत के गृह मंत्रालय का अनुमान है कि 75 भारतीय आई.एस.आई.एस में शामिल हुए हैं। जितना दिख रहा है इससे कहीं ज्यादा इसका विकास भारत में हो रहा है। 2014 के प्रारंभ में युवाओं की सीधे भर्ती के बजाए ऑनलाइन भर्ती की घटनाएँ सामने आईं। मई 2014 में थाने के चार इंजिनियरिंग के छात्र इराक गए, जिनमें से एक वापस आ गया, दो को मार दिया गया और एक अभी भी संगठन का सदस्य है। जून 2014 से यह संगठन भारत को अपने खलीफा के मानचित्र में शामिल करना चाहता है।[8]

संयुक्त राष्ट्र सुंरक्षा परिषद के संकल्प 2170 में अधिकारिक रूप से

आई.एस.आई.एस की निंदा की व सदस्य राज्यों को इस संगठन के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा, इसके लगभग 6 माह बाद भारत ने भी आई.एस.आई.एस पर प्रतिबंध लगाया। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत के पास कई सम्भावित कारण हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण 39 भारतीय बंधक जो कभी छोडे नहीं गए वे संभवत: मारे गए या अब तक छोडे नहीं गए। इंडियन मुजाहिद्दीन और सिमी दोनों ही कट्टरपंथी इस्लामी संगठन युवाओं को आई.एस.आई.एस. में शामिल होने में मदद कर सकते हैं।[9] यदि भारत आई.एस.आई.एस के खिलाफ सक्रिय रूप से खडा होता है तो यहाँ आतंकवादी हमलों की संख्या और बढ सकती है। आई.एस.आई.एस के खिलाफ वैश्विक व भारतीय कार्यवाही कट्टरपंथी लोगों के लिए आग में घी का काम कर सकती है। मई 2016 में तनवीर शेख ने आई.एस.आई.एस के प्रचारक विडियो में भारत में मुसलमानों पर हो रही हिंसा का बदला लेने का वादा किया और भारत को गम्भीर चेतावनी दी। भारत को अमरीका के साथ बांग्लादेशी सरकार के प्रति अपना दृष्टिकोण को पंक्तिबद्ध करना चाहिए और खुफिया जानकारी को उचित रूप से साझा करना चाहिए। अगर भारत अमरीका के साथ मिलकर आतंकवाद की सूचना साझा करता है व बांग्लादेश के खिलाफ मज़बूत रूख अपनाता है तो आई.एस.आई.एस के खिलाफ वैश्विक लडाई में सक्रिय भूमिका निभाता है तो घरेलू खतरों से लडने के लिए मज़बूत साझेदार मिल सकता है जो ट्रम्प सरकार के लिए मूल्यवान हो सकता है।[10]

निष्कर्ष

बगदादी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए लादेन बनकर उभरा है और इसे रोकना संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। नाटो और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को इराक के मामले में और अधिक सक्रिय होना चाहिए। आई.एस.आई.एस को रोकने के उपायों में सैन्य विकल्प के साथ-साथ, कूटनीतिक उपायों का भी प्रयोग करना पडेगा, आय के स्त्रोतों पर नियंत्रण करना होगा और जो देश आई.एस.आई.एस की मदद करे इसके साथ भी कडे से कडा व्यवहार करना होगा, अन्य देशों से जो युवा इस संगठन के सदस्य बनने के लिए ईराक जाते है, इन्हें रोकना होगा ताकि वे आई.एस.आई.एस के बहकावे में न आ सके व इसके विरूद्ध युवाओं को जागरूक करना होगा।

संदर्भ

1. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.दगर्जियन.कॉम
2. सीएनएन टेररिज़्म रिसर्च एण्ड एनालिसिस कोन्सोरटियम
3. यू.एस डिर्पाटमेंट आफ द ट्रेजरी ब्लूमबर्ग
4. हू फंड्स आई.एस.आई.एस. इनवेस्टोपीडिया
5. शिकागो ट्रिब्यून इन फाइनल स्टेजेज़ आफ मोसूल फाइट, यू.एस ट्रूप्स टेक ऑन एक्सपेंडेड रोल
6. बी.बी.सी न्यूज़ इस्लामिक स्टेट: व्येहर की कंट्रीज़ स्टेड
7. इंडिया टुडे.इन, न्यू दिल्ली 17दवअ 2015
8. एपन्यूज़र्कोनर.कौम
9. आई.एस.आई.एस ए ग्लोबल थ्रेट, आई.एस.आई.एस इज़ ए टेररिस्ट आर्गेनाईजेशन विच स्टटिड फ्राम ईराक एण्ड सीरिया, नाइ इट हैज़ बिकम ए थ्रेट टू द वर्ल्ड, पब्लिशिड आन दिसम्बर 7, 2015
10. टेसिमर नेटेली इज़ ए रिसर्च एसोसिएट एण्ड प्रोग्राम मैनेजर विद द वाधवानी चेयर इन यू.एस- इंडिया पोलिसी स्टडिज़ एट द सेंटर फोर स्ट्रेटजिक एण्ड इंटरनेशनल स्टडीज़

बालश्रम समस्या एवं मानवाधिकारवादी परिप्रेक्ष्य

डॉ. मृदुला शर्मा
पोस्ट डॉक्टोरल फैलो
यू.जी.सी., नई दिल्ली

शोध सारांश

बालश्रम एवं मानवाधिकारवादी अवधारणा समाज का अति संवेदनशील पहलू है क्योंकि बालक किसी राष्ट्र का भविष्य होता है। यदि उसके विकास की उन्नत स्थितियाँ पैदा नही की गई तो सम्पूर्ण देश का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। सैद्धान्तिक रूप से बाल मानवाधिकारी का प्रतिपादन संवैधानिक एवं संविधानेत्तर संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। लेकिन वर्तमान वैश्विकृत समय में बालश्रम एवं उनका उत्पीडन के आंकडों में निरन्तर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय, राज्य अन्तराष्ट्रीय एवं सामाजिक सरोकार के अन्तर्गत इसके समापन के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिशा निर्देश जारी हो रहे है। इसके बावजूद बालश्रम एवं उनके मानवाधिकारवादी व्यवस्थाओं का उल्लंघन निरन्तर दिखाई दे रहा है।

संकेताक्षर : *बाल मानवाधिकार, वैश्विक अभिसमय, राष्ट्रीय विधिक परिदृश्य*

बालश्रमिक एवं मानवाधिकारों की अवधरणा समाज के संवेदनशील पहलू से व्यापक रूप से जुड़ी हुई क्योंकि बालश्रम की समस्या मानवाधिकारों के उल्लंघन की समस्या है। मानव ने अपने बौद्धिक, अध्यात्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऐसे जीवन की कल्पना की जिसमें भय, दबाब, शोषण से मुक्त तथा ससम्मान जीवन निर्वाह कर सके। इस सम्पूर्ण व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य एवं सरकार संगठन का विकास किया गया। मानव सामाजिक व्यवस्था का अंग बनकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तथा अपनी अर्न्तनिहित शक्तियों का विकास करता है। राज्य व्यक्ति अधिकारों को स्वीकार कर उन्हें मान्यता प्रदान करता है उसी से देश की सभ्यता संस्कृति की कसौटी का पता चलता है चूँकि राज्य का सर्वोत्तम उद्देश्य व्यक्ति का चहुँमुखी विकास करना है। लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता।[1]

मानवाधिकारों के सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य में अनेक अधिकारों को शामिल किया गया हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं जो समाज में उनके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। ये अधिकार बालकों को भी समान रूप से प्राप्त होते है। आज बालक इन अधिकारों से वंचित है उनका अनेक प्रकार से शोषण सामाजिक और शासन व्यवस्था में दिखाई देता है।

बालक मानव जीवन की नींव है बालक रूपी बीज से ही मानव वृक्ष का निर्माण होता है किसी राष्ट्र की भावी स्थिति का अनुमान वहाँ के बच्चों को देखकर लगाया जाता है क्योंकि ये आगे आने वाले भविष्य के कर्णधर होते है।

मेमी जेने कोल की पंक्तियाँ स्पष्ट है मैं बच्चा हूँ, सारी दुनियाँ मेरे आने का इंतजार करती है। पूरी पृथ्वी अभिरूचि के साथ आशा करती है कि मैं क्या बनूँगा। सभ्यता अधर में लटकी हुई है। जो आज मैं हूँ दुनिया कल वहीं होगी। मैं बच्चा हूँ। आप अपनी मुठ्ठी में मेरा भविष्य नियंत्रित किये हुए है, बहुधा आप निर्धरित करते है कि मैं सफल होऊँगा या असपफल। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वे चीजे जो सुखी बनाती है प्रदान करें ताकि मैं सारी दुनियाँ के लिए वरदान बन सकूँ।[2]

मानवाधिकार की अवधरणा अति प्राचीन है जो मानवीय सुख, गरीमा एवं विकास से जुड़ी हुई है यह राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक हो गयी है। सर्वत्र इनकी मांग उठने लगी है ये विधिक मूल्य व्यक्तिगत एवं सामुहिक कल्याण को सुनिश्चित करते है तथा शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार से बचाते है। यद्यपि मानवाधिकारों को परिभाषित करना सरल नहीं है क्योंकि मानवीय

स्तर पर सामाजिक विभेद अधिक पाये जाते है, जैसे-भाषा, रंग, जाति, प्रजाति, धर्म के आधर पर इन सबके बावजूद भी सभी को मनुष्य होने के नाते अनिवार्य अधिकार मिले है वे ही मानवाधिकार है।[3]

विश्व के हर क्षेत्र में बालकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है इसके कारण वे अपने जीने के अधिकार, विकास और सुरक्षागत व्यस्थाओं से वंचित हो जाते है और अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम उम्र में ही कार्य करने लग जाते है। इससे इन बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। खेलने की उम्र में ही श्रम करना पड़ता है विद्यालय से शिक्षा अर्जन की जगह फैक्ट्रियों एवं कारखानों में कार्य करना पड़ता है पर्याप्त भोजन, आवास और सुरक्षा का हमेशा अभाव बना रहता है। बचपन से मोहताज ये बच्चे कम उम्र में ही व्यस्क जैसे दिखाई देने लगते है। यह स्थिति समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर अधिक भयावह हैं। बालश्रमिकों की अनवरत रूप से बढ़ती संख्या इनके मानवाधिकारों के प्रति अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। समसामयिक विश्व स्थिति में बालकों के अधिकार एक प्रासांगिक विषय है जिसे समाज, सरकार एवं गैरसरकारी संगठनों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए भरसक प्रभावशाली कार्य करना पड़ेगा अन्यथा इसके परिणाम गंभीर भुगतने होंगे। बीसवीं सदी के प्रारंभ में श्रमिक संगठनों का निर्माण हुआ। जिनके माध्यम से मजदूरी की आयु तय की गयी। 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रम पर न लगाये जाने की सिपफारिश की गई।[4]

इसके अतिरिक्त वैश्विक संगठनों की अनेकों प्रकार की सिपफारिशें श्रम क्षेत्र के नियोजन के संबंध में की गई। बालश्रम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक रूप से विद्यमान है इसके उन्मूलन के लिए देश में एवं देश से बहार विभिन्न मंचों पर चर्चाएँ की गई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रमिकों के मानवाधिकारों की सुस्थापना हेतु प्रयास किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास : औद्योगिक क्रांति की शुरूआत से सस्ते श्रम ने बालश्रम को बढ़ावा दिया जिसमें 12 से 14 घण्टे तक थकाऊ कार्य, बिना विश्राम के कम वेतन पर बालकों से कार्य करवाया जाने लगा जिसकी तरफ स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रगतिशील लेखकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संगठित प्रयास शुरू किये जिसमें मुख्यतया संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था ने 1946 में सामाजिक आयोग बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया तथा तत्पश्चात् जिनेवा घोषणा पत्रा का वैश्विक अवतरण करवाया। जिसमें कहा गया कि बालक को सामान्य विकास के लिए अपेक्षित साधन प्रदान करने चाहिए।[5]

उसे भूख, प्यास, बीमारी में सहायता दी जाए, अपराधी बालक को सुधरा जाए उसे प्रत्येक शोषण से मुक्त किया जाएँ ताकि वो अपना गरीमापूर्ण जीवन जी सके इस घोषणा को न्छण की महासभा ने 1959 में अंगीकार कर लिया जिसे अभिसमय के तौर पर महासभा ने 1989 में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज में बदल दिया। 1992 में भारत ने भी इसे अपनी मंजूरी प्रदान कर दी जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के हितों की सुरक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।[6]

इस तरह बचपन की एक नई परिभाषा बाल अधिकार समझौते में झलकती है यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बाल अधिकारों को वैधनिक मान्यता प्रदान की गई।[7]

इसे वर्तमान में लगभग 159 देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। समझौते के माध्यम से बालकों की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई और मजदूरी में लगने के रास्ते को रोकने का प्रयास किया।[8]

संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट यह बताती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एवं चीन के पास सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के प्राप्ति की चाबी है क्योंकि बालश्रम का अधिकार इन्हीं देशों में अधिक है अत: इन्हें अपने यहाँ वर्ग विषमता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर अध्कि सुनियोजित तरह ध्यान देने की आवश्यकता है यदि ऐसा नहीं किया गया तो बालकों के विकास के उचित अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होंगे और इन्हें जीवन के विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा जो उनका मानवाधिकार है।[9]

यूनिसेफ द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर बालश्रमिकों के पुनर्वास, विशेष विद्यालय, पूनर्वास सह कल्याण केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रम लगभग 138 देशों में चलाये जा रहे है। यह एक अर्द्ध स्वायत्त एजेंसी है जो बच्चों की देखभाल एवं विकास संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवर्ष प्रकाशन करती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग, सरकारी बालश्रम कानूनों की समीक्षा, राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन के तहत् चलाये जाने वाले विशेष विद्यालयों में नामांकन की सुनिश्चित तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रूपरेखा तय की जाती है। बाल पोषण पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे भारत में बताये गये है।[10]

इसके अतिरिक्त बालश्रम उन्मूलन के प्रयास 1992 में आइपैक इन्टरनेशनल प्रोग्राम फॉर ऐलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर चलाया जा रहा है। जो कि एक स्वायत्तशासी संगठन है।

अमेरिका श्रम मंत्रालय द्वारा बाल मजदूरी उन्मूलन परियोजना भारत में चलायी जा रही है। जिसमें खतरनाक उद्योगों को चर्चित कर वहाँ बाल मजदूरों के पूर्नवास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस

परियोजना में भारत के पाँच राज्य शामिल है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली। 1992 में कोलम्बो में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन ने क्षेत्रीय सहयोग से बालश्रम समाप्ति पर जोर दिया गया। एक्स्टर्न सम्मेलन (फरवरी 2011), ओसिया सम्मेलन (2012) तथा स्टाकहोम सम्मेलन प्रमुख है। विश्व बैंक द्वारा भी बालश्रम उन्मूलन की दिशा में रचनात्मक कार्य किये जा रहे है।

राष्ट्रीय प्रयास : भारत में स्वतंत्राा प्राप्ति से पूर्व एवं वर्तमान तक अनेकों अधिनियम बनाये गये ताकि इस समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। कारखाना अधिनियम, 1881, खान अधिनियम, 1901, कारखाना संशोधित अधिनियम, 1911, भारतीय खान अधिनियम, 1926, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1931, चाय जिला प्रवासी अधिनियम, 1931, बालश्रमिक बंधक अधिनियम, 1933, भारतीय खनन कानून, 1935, बाल नियोजन अधिनियम, 1938, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण एवं बालश्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न अधिनियमों को पारित किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में कार्य नियोजन को लेकर बालकों के द्वारा श्रम को प्रतिबंध्ति करने का प्रावधान वर्णित किया गया। संविधन का अनुच्छेद-23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम निषेधित किया गया है। अनुच्छेद-24 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान व अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है साथ ही अनुच्छेद-21(क) में वर्णित किया गया है कि राज्य 6-14 वर्ष के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा अनुच्छेद-39(ड) राज्य बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा वे आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर ऐसा कार्य न करे जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद-39(च) बालकों को विकास की स्वतंत्रा एवं गरिमामय सुविधाएँ प्रदान की जायेगी ताकि उन्हें शोषण, नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से बचाया जा सके।[11]

संसद ने समय-समय पर बालश्रम निषेध को लेकर अनेको अधिनियमों का निर्माण किया जैसे- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, कारखाना संसोधित अधिनियम, 1954, वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम, 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, एंप्रेटिंस अधिनियम, 1961, बीडी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966, भारत की राष्ट्रीय बाल नीति, 1974, बाल नियोजन संसोध्ति अधिनियम, 1978, खतरनाक मशीन विनिमय, अधिनियम, 1983, बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनिमय) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय बालश्रम नीति, 1987, राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकरण, 1994, किशोर न्याय अधिनियम, 2000, समेकित बाल सुरक्षा योजना, 2006, नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून, 2009, बालश्रम संशोधन कानून, 2012, आदि प्रमुख है इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों ने भी बालश्रम उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक एवं प्रभावी कदमों का निर्माण किया जैसे-लेबर ऑफ सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाम स्टेट ऑफ जे. एण्ड के वाद, एस.सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश, शीला वरसे बनाम भारत संघ[12] आदि वादों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर बालश्रम की रोकथाम हेतु आदेश जारी किये गये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधन निर्माताओं की परिकल्पना में भारत साहसी, पराक्रमी बालकों से परिलक्षित होता है, उनकी कल्पना एक ऐसे बालक की रही जिसे समुचित शिक्षा मिले, उसकी शोषण से रक्षा हो, सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध हो, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारा देश बालश्रम के दुष्चक्र में उलझा हुआ है। बालश्रम हमारे देश की एक गंभीरतम समस्या है।[13]

बालश्रम समस्या एवं उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकों समितियों का गठन किया गया जैसे-1944 श्रम अनुसंधान समिति (रेगे समिति) जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत बालश्रमिकों पर प्रकाश डालते हुए राय दी कि सरकार को औद्योगिक नियोजन से बालकों को पूर्णतया हटा देना चाहिए।[14]

प्रमुख समिति गुरुपद दास स्वामी, समिति, 1979 में बनी जिसने, बालकों के स्वास्थ्य, कार्य के घण्टे, अवकाश, उचित वेतन, संबंधित औद्योगिक सुरक्षा उपकरण आदि के बारे में राय प्रकट की और बाल नियोजन उल्लंघन पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधन बनाने पर जोर दिया।[15]

निष्कर्षत : मानवाध्किार एवं बाल अधिकारों के लिए कानून निर्माण का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय के साथ हुआ। भारत में भी इस दिशा में अनेकों प्रयास किये जा रहे है लेकिन इन प्रयासों और कानूनों की जानकारी का समुचित अभाव अभी भी परिलक्षित हो रहा है यद्यपि जनसमुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी एवं अन्य सामुहिक प्रयासो के माध्यमों से मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार एवं बालश्रम उन्मूलन के प्रभावी कदम उठाने होंगे क्योंकि

बालकों के समुचित प्रभावशाली विकास पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, अर्थवेद, कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में विभिन्न बाल मानवाधिकारों का उल्लेख मिलता है जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि 'कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, सभी लोग सभी के हितों के लिए समान प्रयास करें तथा सभी सामुहिक रूप से प्रगति करें, भोजन और जल पर सभी का समान अधिकार है।'

संदर्भ सूची

1. सुधारानी श्रीवास्तव, मानवाधिकारवादी अवधरणाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2000, पृष्ठ 2
2. रमेश प्रसाद गौतम, पृथ्वीपाल सिंह, भारत में मानवाधिकार विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर, मध्यप्रदेश, 2001, पृष्ठ सं. 7
3. जे.सी. जौहरी, ह्यूमन राइट एण्ड न्यू वर्ल्ड आर्डर, अनमोल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ सं. 2
4. मनोज कुमार दशोरा, बालश्रमिक समस्या एवं समाधन, पृष्ठ संख्या 47
5. जय जय राम उपाध्याय, मानवाध्किार सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2007, पृष्ठ संख्या 338
6. रवि प्रकाश यादव बालश्रम समस्या एवं समाधन, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, 2008, पृष्ठ संख्या 89
7. दुनिया के बच्चों की स्थिति 2005 यूनिसेपफ, नई दिल्ली, दिसम्बर 2004, पृष्ठ संख्या 4
8. रवि प्रकाश यादव बालश्रम समस्या समाधन, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 90
9. सुभाष शर्मा भारत में बाल मजदूर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या 44
10. श्रीनाथ शर्मा बालश्रम, अमन प्रकाशन, सागर, मध्यप्रदेश, 2007, पृष्ठ संख्या 32
11. सुशिला कौशिक, भारतीय शासन एवं राजनीति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1985, पृष्ठ-181
12. उषा सिंह व एच.पी. सिंह, सामाजिक परिवर्तन के विविध आयाम, अर्जुन, पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 64
13. सुभाष शर्मा भारत में बाल मजदूर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या, 91
14. मंजू पाण्डे भारत में बालश्रमिक, मानक पब्लिकेशंस, दिल्ली, 1998, पृष्ठ सं. 86.87
15. गोस्वामी भालचंद, हतभागा बचपन, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2008, पृष्ठ संख्या 97

खुले एवं बन्द संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन

डा. अलका पारीक

एस.एस.जैन सुबोध शिक्षा महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

किसी भी देश की शिक्षा का आधार शिक्षक शिक्षा है और शिक्षक शिक्षा वहां के संगठनात्मक वातावरण पर निर्भर करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के वातावरण व अधिगम शैली का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन सर्वे क्षण विधि के द्वारा दस महाविद्यालयों के 100 शिक्षकों और 1000 छात्राध्यापकों पर किया गया है। तथ्य संकलन के लिए विवरणात्मक प्रश्नावली व अधिगम शैली अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अपने अध्ययन के निष्कर्षो के लिए मध्यमान, मध्यमान प्रतिशत, टी आदि सांख्यिकी का प्रयोग किया है। तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष आया कि संगठनात्मक वातावरण का शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों में अंतर नहीं पाया जाता। विशेषकर नमनीय व अनमनीय दृश्यात्मक व श्रवणात्मक व लघु अवधान व दीर्घ अवधान अवधि की अधिगम शैली में। वैयक्तिक व अवैयक्तिक, स्वतंत्र व क्षेत्र आधारित व वातावरणोन्मुख व वातावरण मुक्त अधिगम शैली में विद्यालय वातावरण का सार्थक अंतर पाया जाता है।

संकेताक्षर : *संगठनात्मक वातावरण, खुला एवं बंद वातावरण, शिक्षक प्रशिक्षण, अधिगम शैली*

आजादी के समय राजस्थान में शिक्षक शिक्षा के संस्थान नहीं के बराबर थे। वर्ष 2000 तक राजस्थान में 50 से भी कम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय थे लेकिन वर्ष 2005-2006 में 115 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हो गए और इसके बाद से इसमें और भी तेजी से वृद्धि हुई। आज राजस्थान में 900 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में वर्ष 2013 तक केवल दो ही राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, लेकिन अब शिक्षक शिक्षा के सात राजकीय महाविद्यालय हो गए। शेष सभी महाविद्यालय निजी स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर पहले राज्य सरकार का विद्यालयी शिक्षा विभाग का नियंत्रण था, लेकिन अब यह उच्च शिक्षा विभाग के अधीन आ गए। राजकीय नियंत्रण के अलावा संबंधित विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का भी इन पर नियंत्रण रहता है। इन संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन एवं सेवाशर्तो में समानता नहीं पाई जाती।

वर्ष 1998 की यूनेस्को की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जिन शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ाने का दायित्व दिया जाता है, वे खुद ही भलीप्रकार से शिक्षित एवं प्रशिक्षित नहीं है। साथ ही यह भी कहा था कि इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में भी एक समस्या है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की एक महत्वपूर्ण समस्या संगठनात्मक वातावरण की है। महाविद्यालयों के संगठनात्मक वातावरण में वहां के प्राचार्य, शिक्षक, अध्ययनरत् छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के मध्य होने वाली परस्पर अंत:क्रिया को लिया गया है। संगठनात्मक वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितिया महाविद्यालय के वातावरण को तनावपूर्ण करती है और उनका मनोबल भी कम हो जाता है।

पारिभाषिक शब्दावली

1. **संगठनात्मक वातावरण–**महाविद्यालय का संगठनात्मक वातावरण से तात्पर्य समूह तथा नेतृत्व के परस्पर संबंधों तथा समूह के अंतर संबंधों का परिणाम है।
2. **खुला एवं बंद वातावरण–**जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं शिक्षक प्रसन्नता के साथ कार्यरत है, और किसी प्रकार का तनाव एवं असंतोष नहीं है उसे खुला वातावरण कहते हैं। जिन संस्थाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों में असंतोष है

और वे नियमानुसार ही कार्य करते हैं उसे बंद वातावरण कहते हैं।

3. **शिक्षक प्रशिक्षण**–शिक्षक प्रशिक्षण से तात्पर्य विभिन्न महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से हैं।

4. **अधिगम शैली**–अधिगम शैली से तात्पर्य अधिगम के किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति के विभिन्न विशिष्ट अधिगम व्यवहार के किसी प्रतिमान विशेष से है अर्थात विभिन्न अधिगमकर्ताओं द्वारा अपनी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर अलग तरीकों से प्राप्त सूचनाओं को अलग प्रकार से विश्लेषित करके उनको विशिष्ट तरीकों से सुगम बनाना है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(क) राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण का अध्ययन करना।

(ख) विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन करना।

(ग) विभिन्न अधिगम शैलियों और संगठनात्मक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोधकर्त्री ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया है जो इस प्रकार है–

(1) खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अधिगम शैली में अंतर नहीं पाया जाता।

(2) खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों में अंतर नहीं पाया जाता।

(2) छात्र एवं छात्राओं के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अधिगम शैलियों में अंतर नहीं पाया जाता।

शोधविधि

प्रस्तुत शोधकार्य सर्वेक्षण शोध विधि के माध्यम से किया गया है। सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन करने से शिक्षक संकलन, नियोजन व शिक्षण पद्धति के मूल्यांकन में सहायता प्राप्त होती है, और साथ ही मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन भी इसके माध्यम से किया जा सकता है।

जनसंख्या एवं न्यादर्शः

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंद्ध 135 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शोध की जनसंख्या और शोधकर्त्री ने इन महाविद्यालयों में से सह-शिक्षा वाले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और सी.टी.ई. द्वारा संचालित महाविद्यालयों को शोध के न्यादर्श के रूप में लिया है। इसमें कुल 10 महाविद्यालयों के 1000 छात्राध्यापकों और 100 शिक्षकों को अध्ययन के लिए चुना है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित शोध उपकरणों का प्रयोग किया है :-

(1) विद्यालयी संगठनात्मक विवरण,

(2) विवरणात्मक प्रश्नावली - डा. मोतीलाल शर्मा

(3) अधिगम शैली अनुसूची - सुभाष चंद अग्रवाल

विद्यालयी संगठनात्मक विवरण प्रश्नावली में कुल 64 पद है और 64 पदों को 8 आयामों में विभाजित किया गया है। इनमें पृथकत्व, विमुखता, उत्साह, घनिष्ठता, मनोशारीरिक बाधा, नियंत्रण, नेतृत्व बल और मानवीय प्रहार पद है। अधिगम शैली में 7 प्रकार की अधिगम शैली दी हुई है - नमनीय एवं गैर नमनीय अधिगम शैली, वैयक्तिक एवं अवैयक्तिक अधिगम शैली, दृश्यात्मक एवं श्रवणात्मक अधिगम शैली, स्वतंत्र क्षेत्र एवं क्षेत्र आधारित अधिगम शैली, लघु एवं दीर्घ अवधान अवधि अधिगम शैली, अभिप्रेरण केन्द्रित एवं गैर अभिप्रेरण केन्द्रित अधिगम शैली एवं वातावरणोन्मुख एवं वातावरण मुक्त अधिगम शैली।

शोध के निष्कर्ष

शोधार्थी ने मध्यमान, मध्यमान प्रतिशत, टी आदि के द्वारा अपने अध्ययन के निष्कर्षो को लिखा है।

सारणी संख्या 1 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की नमनीय एवं गैर नमनीय अधिगम शैली का अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी-मूल्य
खुला वातावरण	300	12.98	2.48	1.41
बंद वातावरण	400	13.23	2.17	

इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि खुले वातावरण समूह की अधिगम शैली का मध्यमान 12.98 और प्रामाणिक विचलन 2.48 आया जबकि बंद वातावरण समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान 13.23

एवं प्रामाणिक विचलन 2.17 आया है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने पर प्राप्त टी का मूल्य 1.41 पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि नमनीय एवं गैर नमनीय अधिगम शैली में अंतर नहीं पाया जाता।

सारणी संख्या 2 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की वैयक्तिक बनाम गैर वैयक्तिक अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी-मूल्य
खुला वातावरण	300	12.96	2.71	0.73
बंद वातावरण	400	13.11	2.43	

इस सारणी में खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के वैयक्तिक एवं गैर वैयक्तिक अधिगम शैली को देखा गया है। इसमें खुले वातावरण समूहों का मध्यमान 12.96, प्रामाणिक विचलन 2.71 प्राप्त हुआ है जबकि बंद वातावरण समूह का मध्यमान 13.11 एवं प्रामाणिक विचलन 2.43 प्राप्त हुआ है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने पर प्राप्त टी का मूल्य 0.73 आया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वैयक्तिक बनाम गैर वैयक्तिक अधिगम शैली में सार्थकता अंतर पाया जाता है।

सारणी संख्या 3 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की दृश्यात्मक बनाम श्रवणात्मक अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी-मूल्य
खुला वातावरण	300	13.34	2.14	1.38
बंद वातावरण	400	13.10	2.42	

उपर्युक्त सारणी में खुले वातावरण का मध्यमान 13.34 और प्रामाणिक विचलन 2.14 प्राप्त हुआ है जबकि बंद वातावरण का मध्यमान 13.10 एवं प्रामाणिक विचलन 2.42 प्राप्त हुआ है। इनके मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने पर प्राप्त टी का मूल्य 1.38 आया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दृश्यात्मक बनाम श्रवणात्मक अधिगम शैली में अंतर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या 4 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की क्षेत्र स्वतंत्र बनाम क्षेत्र आधारित अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी- मूल्य
खुला वातावरण	300	13.00	2.64	2.15
बंद वातावरण	400	13.38	1.97	

खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण की शैक्षिक प्रशिक्षणार्थियों की क्षेत्र स्वतंत्र एवं क्षेत्र आधारित अधिगम शैली में भी सार्थक अंतर पाया गया क्यों कि इसके मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने पर टी का मूल्य 2.15 पाया गया जो कि 0.01 स्तर पर तालिका मूल्य से अधिक है।

सारणी संख्या 5 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की लघु अवधान अवधि बनाम दीर्घ अवधान अवधि अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी-मूल्य
खुला वातावरण	300	13.22	2.05	0.54
बंद वातावरण	400	13.13	2.13	

सारिणी संख्या 5 को देखने से पता चलता है कि खुले वातावरण का मध्यमान 13.22 और प्रामाणिक विचलन 2.05 आया है जबकि बंद वातावरण का मध्यमान 13.13 एवं प्रामाणिक विचलन 2.13 प्राप्त हुआ है। इनके मध्यमानों में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने पर प्राप्त टी का मूल्य 1.38 आया है। इससे लघु अवधान अवधि व दीर्घ अवधान अवधि अधिगम शैली में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

सारणी संख्या 6 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अभिप्रेरणा केन्द्रित बनाम अभिप्रेरणा गैर केन्द्रित अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी-मूल्य
खुला वातावरण	300	13.17	2.58	1.18
बंद वातावरण	400	13.38	2.04	

इस सारिणी में खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अभिप्रेरणा केन्द्रित एवं गैर अभिप्रेरणा केन्द्रित अधिगम शैली को देखा है। इसमें मध्यमान 13.17 और प्रामाणिक विचलन 2.58 आया जबकि बंद वातावरण का मध्यमान 13.38 एवं प्रामाणिक विचलन 2.04 आया है। इससे भी ये निष्कर्ष निकलता है कि अभिप्रेरणा केन्द्रित एवं अभिप्रेरणा गैर केन्द्रित शैली में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।

सारणी संख्या 7 : खुला एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की वातावरणोन्मुख बनाम वातावरण अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	टी-मूल्य
खुला वातावरण	300	13.14	2.60	2.36
बंद वातावरण	400	13.07	1.97	

उपर्युक्त सारिणी संख्या 7 में खुले एवं बंद संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की वातावरणोन्मुख एवं वातावरण अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें खुले एवं बंद वातावरण का मध्यमान व प्रामाणिक विचलन क्रमश: 13.14, 2.60, 13.07 एवं 1.97 प्राप्त हुआ है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों प्रकार की शैलियों में सार्थक अंतर पाया जाता है।

विभिन्न सारणियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संगठनात्मक वातावरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों में अंतर नहीं पाया जाता। खुला एवं बंद वातावरण संगठनात्मक विवरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के नमनीय बनाम गैर नमनीय अधिगम शैली, दृश्यात्मक बनाम श्रवणात्मक अधिगम शैली और लघु अवधान अवधि बनाम दीर्घ अवधान अवधि की अधिगम शैली में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता लेकिन खुला एवं बंद वातावरण संगठनात्मक विवरण के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की वैयक्तिक बनाम अवैयक्तिक अधिगम शैली, स्वतंत्र क्षेत्र बनाम क्षेत्र आधारित अधिगम शैली और वातावरणोन्मुख बनाम वातावरण मुक्त अधिगम शैली में सार्थक अंतर पाया जाता है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल सुभाष चन्द्र : लरनिंग स्टाइल प्रिफरेन्सिज ऑफ सैकेण्डरी स्टूडेन्ट्स इन रिलेशन टू इन्सटीट्यूशन एण्ड सैक्स, जनरल ऑफ साइकोलॉजीकल रिसर्च, वोल्यूम (3), 1987, 197-201
2. अग्रवाल जे.सी. : एसेन्शियल्स ऑफ एजूकेशनल टैक्नोलॉजी, टीचिंग लरनिंग इनोवेशन्स इन एजूकेशन, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., 1995
3. अग्रवाल वाई.पी. : बैटर सैम्पलिंग, न्यू दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा.लि., 1988
4. एजूकेशन एण्ड नेशनल डवलपमेंट : रिपोर्ट ऑफ दी एजूकेशन कमीशन (1964-66) नई दिल्ली, एन सी ई आर टी, 1971
5. कपिल एच.के. : अनुसंधान विधियां : (सामाजिक विज्ञानों में) आगरा, हर प्रसाद भार्गव, प्रकाशन 1996
6. गेरेट, एच.ई. : शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी : कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना, पंजाब।
7. जैक, वोल्फे काइलो : दी रिलेशनशिप बिटविन सैल्फ नालेज ऑफ पर्सनल लरनिंग स्टाइल्स एण्ड दी एकेडमिक चॉयस मेडबाई फ्रेशमैन कालेज स्टूडेन्ट्स, दी पेनिन सेलवीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, डिजरटेशन एब्सट्रेक्ट्स इण्टरनेशनल ए-52, 2, 1992, पी-4241, 1991
8. बेस्ट, जे.डब्ल्यू. : रिसर्च इन एजूकेशन (थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एडीशन) प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा.लि., न्यू देहली, 1977-1986
9. एन.सी.ई.आर.टी. (पब्लिकेशन) : फिफ्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, एन सी ईआर टी, नई दिल्ली-16, 1997
10. डिजरटेशन एब्सट्रेक्ट्स इंटरनेशनल, दी ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंस, यू.एम.आई.कंपनी, यू.एस.ए.।

भारत में महिला अधिकारों का सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण

विनीता कुड़ी

शोधार्थी, विधि संकाय

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

शोध सारांश

ऋग्वैदिक काल में समाज ने स्त्री को आदरपूर्ण स्थान दिया। उसके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पुरूषों के ही समान थे। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। दम्पत्ति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे। यद्यपि कहीं-कहीं कन्या के नाम पर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथापि कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिये विशेष धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं। कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की गयी थी। समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए संपत्ति पर नियंत्रण के जरिए आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना और विधवा विवाह, तलाक आदि के विषय में सामाजिक बंधनों का उन्मूलन आवश्यक है।संविधान के निर्माण ने महिला अधिकारों को उठाने का एक और अवसर मुहैया करा दिया। संविधान सभा की कार्रवाइयों से स्पष्ट हो गया कि संविधान निर्माता राजनीतिक और कुछ हद तक आर्थिक क्षेत्र में तो समान अधिकार देने के लिए तैयार थे लेकिन विवाह और परिवार के संदर्भ में जेंडर समानता देने के सवाल पर यहां भी तीखा, विरोध मौजूद था।

संकेताक्षर : *मानवाधिकार, वैदिक काल, स्त्रीधन, पुनर्विवाह, उत्तराधिकार*

हिन्दू सभ्यता में स्त्रियों को अत्यन्त आदरपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, सैन्धव सभ्यता के धर्म में माता देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाना उसके समाज में उन्नत स्त्री-दशा का सूचक माना जा सकता हे। ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया। उसके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पुरूषों के ही समान थे। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। दम्पत्ति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे। यद्यपि कहीं-कहीं कन्या के नाम पर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथापि कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते है जहाँ पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिये विशेष धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं। कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की गयी थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। ऋग्वेद में अनेक ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते है जो विदुषी तथा दार्शनिक थी और उन्होंने कई मन्त्रों एवं ऋचाओं की रचना भी की थीं। विश्वारा को ''ब्रह्मवादिनी'' तथा ''मन्त्रद्रष्ट्री'' कहा गया है जिसने ऋग्वेद के एक स्तोत्र की रचना किया था। घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इन्द्राणी, सिकता, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के कई नाम मिलते है जो वैदिक मन्त्री तथा स्तोत्रों की रचयिता हैं। ऋग्वेद में बृहस्पति तथा उनकी पत्नी जुहु की कथा मिलती है। बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गये किन्तु देवताओं ने उन्हें बातया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। इस प्रकार के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरूष की ही भाँति तपस्या करने की भी अधिकारिणी थी।

स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हिन्दू समाज में उनका सम्पत्ति-विषयक अधिकार स्वीकार किया गया है तथा उन विशेष परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया गया है जिनके कारण सम्पत्ति वे अपना हिस्सा प्राप्त करती थीं। वैसे, वैदिक कालीन कुछ ऐसे विवरण हैं, जो उसके उत्तराधिकार पर आक्षेप करते हैं,[1] किन्तु ये अपवाद ही हैं। सम्पत्ति में प्राय: उसका हिस्सा रहता रहा है। परिवार में वह पुत्र से किसी प्रकार कम नहीं समझी जाती रही।[2] दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ पुत्री समझी जाती थी।[3] अपने भाई के न रहने पर वह अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाती थी।[4] अत: वैदिक युग में स्त्री का सम्पत्ति में अधिकार स्वीकार किया जाता था। चौथी सदी ई.पू. तक यह व्यवस्था समाज में प्रचलित थी।[5] किन्तु दूसरी सदी ई.पू. में आकर स्त्री-शिक्षा पर

अनेक प्रतिबन्ध लग गए, जिनके कारण स्त्री का सम्पत्ति विषयक अधिकार भी क्षतिग्रस्त हुआ।

ऋग्वैदिक युग में स्त्री को सम्पत्ति तथा शासन के अधिकारों से वंचित रखा गया। भू-सम्पत्ति का अधिकारी वह था जो शक्तिशाली शत्रुओं से बलपूर्वक उसकी रक्षा करने में समर्थ होता। चूँकि वह कार्य स्त्री के वश का नहीं था अत: उसके धन सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता नहीं मिली।

उत्तर वैदिक काल में भी स्त्री के धन सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं किया था।[6] ब्राह्मण ग्रन्थों में बताया गया है कि स्त्री, पुरूष की अपेक्षा दुर्बल एवं भावुक मस्तिष्क की होती है तथा बाह्म आर्कषणों के प्रति आसानी से लुभा जाती है। ललित कलाओं के प्रति भी उसका विशेष आकर्षण हुआ करता हैं।

सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा पतनोन्मुख हो गयी। कन्या का जन्म अभीष्ट नहीं था स्त्रियों का उपनयन संस्कार बन्द हो गया तथा विवाह के अतिरिक्त उनसे सम्बन्धित अन्य संस्कारों में वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं होता था। कन्याओं का विवाह की आयु भी घटा दी गयी जिससे उनका विधिवत् शिक्षा प्राप्त कर पाना कठिन हो गया।[7] सूत्रों के काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। वशिष्ठ ने मत व्यक्त किया कि ''स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते है।तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का समय उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणों का काल रहा जिससे समाज में भारी अव्यवस्था फैल गयी। इसने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। नियोग तथा पुनर्विवाह की प्रथायें बन्द हो गयी। समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन हो गया। परन्तु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अब पुनर्विवाहों के अभाव में विधवा एव पुत्रहीन स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। अत: उनके पोषण एवं विवाह के निमित्त व्यवस्थाकारों ने उनके धन सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता देना प्रारम्भ किया। क्रमश: उनका यह अधिकार मान्य हो गया। स्त्री की स्वयं की सम्पत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता था ''स्त्रीधन'' कहा गया। इस काल में स्त्रीधन का क्षेत्र व्यापक करके उसमें उत्तराधिकार एवं विभाजन की सम्पत्ति को भी सम्मिलित कर दिया गया। स्त्री को मृत पति की सम्पत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया।

19वीं और 20 वीं शताब्दी में वैधानिक सुधारों से पहले उठे समाज सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की सम्पत्ति अधिकारों के प्रश्न को धर्म के आधार पर ही उठाया जाता था इसलिए, उस दौरान धर्म ने दोहरी भूमिका निभाई थी। समाज सुधारकों ने बर्बर कुरीतियों को समाप्त करने और महिला अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए। सामाजिक सुधारों पर केंद्रित शुरूआती आंदोलन मोटे तौर पर हिंदू स्त्री की दशा और भूमिका के विषय में ही ज्यादा चिंतित थे। इस दिशा में मुस्लिम समुदाय की शिरकत 19वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से से ही दिखाई देनी शुरू हुई। मुसलमानों द्वारा उठाए गए मुद्दे ज्यादातर बहुविवाह, परदा प्रथा और महिला शिक्षा से संबंधित थे। हिंदू सुधार आंदोलनों की ही भांति, बहुविवाह जैसी प्रथाओं की वैधता और अवैधता को सिद्ध करने के लिए, यहां भी धर्मशास्त्रों को ही आधार बना गया, यानी, क्या इसलाम उस संबंधित प्रथा या व्यवहार को उचित मानता है या नहीं ? हालांकि महिला शिक्षा और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी को तो एक स्तर पर स्वीकृति मिलने लगी लेकिन महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिहाज से कानूनी बदलावों के लिए मुसलिम समुदाय तैयार नहीं था।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके अभियानों और संघर्षों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित प्रश्न सबसे ऊपर थे।[8] मांगों का फोकस महिलाओं के लिए समानता और अधिकारों की प्राप्ति पर था ताकि, उनकी समस्याएं कम हों और अपने जीवन पर उनका नियंत्रण और दृढ़ हो सके। ये मांगें इस समझ पर आधारित थीं कि कानूनी अधिकारों के संदर्भ में, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए संपत्ति पर नियंत्रण के जरिए आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना और विधवा विवाह, तलाक आदि के विषय में सामाजिक बंधनों का उन्मूलन आवश्यक है। नतीजतन आधे-अधूरे कानून अस्तित्व में आए। ये कानून इस रूप में भी पर्याप्त नहीं थे क्योंकि वह महिलओं की समस्याओं को उठाते हुए विशिष्ट समुदायों की सदस्य के रूप में देखते थे। महिलओं ने इस तथ्य पर भी असंतोष व्यक्त किया कि प्रस्तावित सुधार भी महिला और पुरूषों के विषय में असमान रवैया रखते थे।[9]

इस काल में महिला अधिकारों के लिए अभियानों के दौरान दो तथ्य महत्वपूर्ण थे, एक, महिला समूह इस बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि चूंकि सभी महिलाओं के सामने मुंह बाए खड़ी समस्याएं एक जैसी हैं इसलिए, उनकी समस्याओं को सभी महिलाओं की समस्या माना जाना चाहिए न कि किसी एक समुदाय की महिलाओं की समस्या।[10] दूसरा, अधिकारों पर स्पष्ट जोर था।[11] अपनी कोशिशों में महिलाएं कानून को किसी ऐसे क्रांतिकारी माध्यम के रूप में नहीं देखती थीं जिससे उनके दमनात्मक हालात में कोई मूलभूत सुधार हो सकेगा लेकिन फिर भी उन्हें यह विश्वास जरूर था कि कानून के जरिए आर्थिक सुरक्षा को हासिल करने में उन्हें और ताकत मिलेगी।

संविधान के निर्माण ने महिला अधिकारों को उठाने का एक और अवसर मुहैया करा दिया। संविधान सभा की कार्रवाइयों से स्पष्ट हो गया कि संविधान निर्माता राजनीतिक और कुछ हद तक आर्थिक

क्षेत्र में तो समान अधिकार देने के लिए तैयार थे लेकिन विवाह और परिवार के संदर्भ में जेंडर समानता देने के सवाल पर यहां भी तीखा, विरोध मौजूद था।[12] ये क्षेत्र धार्मिक कानूनों के दायरे में आते थे। निजी कानूनों के दायरे में पड़ने वाले मुद्दों को न छेड़ने का फैसला इसी दृष्टिकोण पर आधारित था कि ऐसा करने से विभिन्न समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होगीं। इस सिलसिले में तर्क था कि व्यक्तिगत कानूनों में कोई भी बदलाव धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित करेगा और यह अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह साबित होगा। नतीजतन, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के वायदे को नीति निर्देशक सिद्धांतों में रख दिया गया। एक मौके पर रेणुका रे ने मांग की थी कि विवाह व उत्तराधिकार संबंधी भेदभाव पर आधारित कानूनों का निषेध करने के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया जाए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।[13] इससे स्पष्ट होता है कि निजी कानून में सुधार के प्रश्न पर बहस परिवार में महिलाओं के लिए समान अधिकारों के दृष्टिकोण के तहत न होकर केवल धार्मिक समुदायों की पहचानों के संदर्भ में ही की गई थी। बहसों से ऐसा संकेत भी मिलता है कि जहां एक तरफ अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) व समान नागरिक संहिता के बीच टकराव के मुद्दे को तो बडे.जोर-शोर से उठाया गया लेकिन समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14 व 15) तथा निजी कानूनों के बने रहने के बीच टकराव जो कहीं ज्यादा गंभीर था, की अनदेखी कर दी गई।

जहां एक ओर समान अधिकार सुनिश्चित करने वाली संहिता का निर्माण न करने के फैसले को राजनीतिक आधार पर वैध ठहराया गया, वहीं दूसरी तरफ, धार्मिक समुदायों के भीतर इस प्रकार के बदलावों का इसलिए विरोध किया जा रहा था क्योंकि इससे परिवार के पितृसत्तात्मक ढांचे को चुनौती मिलने लगेगी। ऐसे सुधारों से धार्मिक ठेकेदारों के वर्चस्व को भी चोट पहुंचती। यह बात हिंदू कोड बिल के सिलसिले में खड़े विवाद के दौरान बड़े साफ तौर पर उभरकर सामने आई।[14]

जिस कठिनाई से विधेयक को पारित किया गया और जैसे विरोध का इसे सामना करना पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप उसके अनगिनत प्रावधानों को काफी हल्का कर दिया गया, उसने साफ कर दिया कि कानूनी सुधारों के जरिए बदलाव, विशेषकर निजी कानूनों में बदलाव ला पाना एक बेहद कठिन काम है। नतीजा ये हुआ कि परिवार में महिलाओं के अधिकारों और इस उद्देश्य के लिए निजी कानूनों में सुधार के सवाल पर लंबे समय तक कोई बात नहीं की गई। हिंदू कोड बिल के पारित हो जाने के बाद भी, आम जनता को उसके प्रावधानों और विषयवस्तु से अवगत कराने के लिए उसकी व्यापक जानकारी और प्रसार के लिए कोई कोशिशें नही की गई। स्वतंत्रता के बाद के काल में, राज्य ने अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उसने व्यक्तिगत कानूनों को ज्यादा समतापरक बनाने के लिहाज से, अनुच्छेद 25 (2) में दिए गए सामाजिक सुधार के दायित्व को आगे उठाने के कोई प्रयास नहीं किए। शासक कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी जरूरतों को देखते हुए अल्पसंख्यक समुदायों के शक्तिशाली धार्मिक नेतृत्व को अपने विरूद्ध नहीं खड़ा करना चाहती थी। पिछले दस से पंद्रह सालों के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने चुनावी हितों के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक शक्तियों का जमकर इस्तेमाल किया है जिसका महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के संगठनों और आंदोलनों पर बेहद बुरा असर पड़ा है।

सन्दर्भ सूची

1. तै. सं., 6.5.8.2, तस्मात्स्त्रियों निरिन्द्रया अदायादी; श0 ब्रा0 4.4.2.13, ता (स्त्रिय:) नात्मनश्चैशत न दायस्य चैशत।
2. व.ध.सू., 17.15.
3. ऋग्वेद, 7.4.8, न हि ग्रभायारण: सुशेवोऽन्योदयों मनसा मन्तवा उ।
4. ऋग्वेद; 1.12.4.7 अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचो गर्तारूगिव सनये धनानाम।
5. थेरीगाथा, सं. 327
6. अपोजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ 342.
7. वैवाहिकों विधि : स्त्रीणां संस्कारो वैदिको मत:।
   पतिसेवा गुरौवासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया।।-मनु0 2.67.
   तथा
   नास्ति स्त्रिणां क्रिया मंत्रेरिति धर्मे व्यवस्थित:। -वही, 9.18.
8. बसु और रे, 1990 पृ. 46-49, तथा फोर्बस, 1984, पृ. 33-54।
9. फोर्ब्स, 1984, पृ. 37-38।
10. फोर्ब्स, 1984, पृ. 39-40।
11. वसु और रे, 1990, पृ. 39-40।
12. संविधान सभा बहस, VoI, VII, 1948-49, पृ0-511-15, और 540-552
13. एवेरेट, 1985, पृ0-162।
14. संविधान सभा बहस, VoI, VII, 1948-49, पृ0-511-15, और 540-551।

भारत में महिला विधिक अधिकार

डॉ. मीनाक्षी माहेश्वरी

राजनीति विज्ञान विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

भारत में महिला विधिक अधिकारों की स्थिति सशक्त एवं महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिये सरकार निरन्तर प्रयासरत है। स्वतंत्रता से वर्तमान तक महिलाओं की उन्नति के लिये और समुचित न्याय दिलाने हेतु सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा निरन्तर विधिक अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किये जाते है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि महिला वर्ग इन सब प्रयासों से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। इसके पीछे महिलाओं की अज्ञानता एवं रूढिवादिता आदि। इन्हीं कारणों से महिलाएं सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों को पूर्णत: नहीं जान पाती है और यदि आस-पास से कुछ जानकारी ग्रहण कर भी लेती है तो परिवार एवं समाज के कट्टरपंथी सोच के कारण महिलाएं आगे अग्रसर नहीं हो रही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह लाभान्वित भी होती है, लेकिन आगे आने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही है। इसलिये समाज के जाग्रत वर्ग का यह दायित्व है कि वह महिलाओं के इस वर्ग को इनके अधिकरों के प्रति जाग्रत एवं सशक्त बनाये। तथापि उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान द्वारा प्रदत्त विधियों द्वारा भी महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन उपयुक्त अधिनियमों के क्रियान्वयन से महिलाओं की वैधानिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हुई है। यद्यपि कानून ने महिलाओं को अनेक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाए दी है, किन्तु इन कानूनों का सही परिप्रेक्ष्य में प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम नगण्य है वस्तुत: भारतीय संविधान में कानून के शासन की बुनियादी प्रतिबद्धता महिला और पुरूष समानता में अन्तर्निहित है जो महिलाओं के अधिकार पूर्ण सशक्तिकरण में कितने सफल हो पायेंगे, इसका जबाव भविष्य के गर्भ में है।

संकेताक्षर : *दोयम दर्जा, विधिक संरक्षण, सशक्तिकरण*

राजनीति विज्ञान के सिद्धान्तों में नारीवादी चिन्तन प्रारम्भ से ही गौण रहा है। बीसवीं शताब्दी में ''नारीवादी चिन्तन'' का प्रार्दुभाव हुआ। जिसमें लैंगिक परिप्रेक्ष्य में सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, अधीनता एवं दमन के बारे में चिन्तकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। अधिकार एवं सत्ता विहीन महिलाओं के वास्तविक जीवन, समानता, स्वतन्त्रता एवं विधिक अधिकार की संकल्पनाओं के बारे में विद्यमान धारणाओं ने नारीवादी चिन्तन को प्रेरित करते हुए महिलाओं के बारे में विद्यमान धारणाओं ने नारीवादी चिन्तन को प्रेरित करते हुए महिलाओं के जीवन में भी इन संकल्पनाओं की स्थापना करने के लिए सत्ता संचालन की प्रवृत्ति को तथा उनके उत्पीड़न की गंभीरता को समझाने के लिए चिन्तन आरम्भ हुआ। साथ ही इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी की महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं हिंसा के बारे में चिन्तन किया जाए। ''नारीवाद सैद्धान्तिक महिला चिन्तन के विशिष्ट अनुभवों मसलन, उपस्थिति, दोयम दर्जा, उनकी ना मालूम सी लगने वाली उपस्थिति, उनके साथ होने वाला भेदभाव, अत्याचार, एवं हिंसा को समाहित करने के लिए विभिन्न शाखाएँ संकल्पनात्मक ढाँचे की नए सिरे से पड़ताल और पुन: परिभाषित है।[1]

यद्यपि विधिक अधिकारों एवं संरक्षण के बारे में व्यापक विचार-विमर्श एवं चिन्तन होता रहा है परन्तु इस चिन्तन में इस बात पर विशेष जोर नहीं दिया गया है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने महिलाओं को जहाँ एक ओर भोग एवं विलास का उपकरण समझा जाता था। वहीं अमानवीय परिस्थितियों में गुलामों की सी जिंदगी व्यतीत कर रही है। इन्हीं स्थितियों ने महिलावादी चिन्तन को जन्म दिया।[2] महिलाओं के विधिक

अधिकार एवं संरक्षण की अवधारणात्मक विश्लेषण में सबसे प्रमुख बात यह है कि महिला एक मानव है, स्त्री बुद्धि व बल में पुरुषों के समकक्ष है अत: उसे जीवन के समान अधिकार, स्वतन्त्रता एवं विधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी विचार को विभिन्न चिन्तकों ने अवधारणात्मक रूप प्रदान किया। इसमें वोल्सटन क्राफ्ट प्रमुख है जिनके महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण के बारे में निम्न विचार रहे है ''स्त्रियों का उनके शैशवास्था से बताया जाता है, उनके माँ के उदाहरण से यह शिक्षा दी जाती है कि मानवीय दुर्बलता का अल्प ज्ञान जिसे उचित ही चालाकी का नाम दिया गया है, मिजाज की मृदुलता, ऊपरी आज्ञाकारिता और बचकाने प्रकार के स्वामित्व के कर्त्तव्यनिष्ठ अवधान, उन्हें पुरुषों की सुरक्षा सुलभ करवायेगा, और यदि वे कहीं रूपसी हुई तो अन्य सभी वस्तुएं अनावश्यक होगी, कम से कम उनके जीवन के बीस वर्षो तक।''[3] उन्होंने मुख्यत: महिलाओं के बारे में रूसो के विचारों पर कडा प्रहार करते हुए पूरे यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने चार स्थितियों पर पुरुष प्रधान समाज को चुनौती दी–सर्वप्रथम, उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से इन्कार किया की स्त्रियां बुद्धि के मामले में पुरुषों से कमजोर है, नाजुकता एवं सतहीपन उनका नैसर्गिक गुण है।

द्वितीय, यदि पुरुष और महिलाएँ बुद्धि के समान अधिकारी है तो उसका उपयोग करने की शिक्षा भी उन्हें भी समान रूप से दी जानी चाहिए।

तीसरा, चूँकि पुरुषों और महिलाओं की समान मानसिकता ईश्वर प्रदत्त बुद्धि के अधिकार की हिस्सेदारी पर आधारित है इसलिये इन दोनों लिंगों के नैसर्गिक गुण समान होने चाहिए।

चौथा, समान गुणवत्ता के विचार के आधार पर समान अधिकारों की बात को उठाया, आगे चलकर राजनीति उदारवाद की विचारधारा बन गया।[4]

वोल्सटन क्राफ्ट के समान जे.एस.मिल ने भी इस बात को भी स्वीकार किया है कि महिलाओं को पुरुषों के सामान प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए। वोल्सटन क्राफ्ट व मिल दोनों ने माना है कि महिलाएं मानव जाति की सदस्य होने के नाते तार्किक विचार में सक्षम होती हैं और पुरुषों की तरह समान प्राकृतिक अधिकारों की हकदार होती है। स्त्रियों पर आरोपित पतिव्रता, मृदुता और आज्ञाकारिता के गुण सामाजिक अनुकूलन की उपज होते हैं जो महिलाओं की प्राकृतिक विशिष्टताएं होने के बजाय मुख्यत: यौन वस्तुओं के रूप में उन्हें गढे जाने का नतीजा होती है उनकी कथित प्राकृतिक कमजोरियां उनकी अतार्किकता और उनके स्वच्छन्द मन, वास्तव में उनके शिक्षा की कमी, चयन की आजादी का अभाव, पुरुषों पर निर्भरता तथा उनके दोषपूर्ण समाजीकरण की उपज होती है। उन दोनों ने काफी उग्र लगने वाला प्रस्ताव रखा कि अपने पतियों के दुर्वव्यवहार से बचने के लिये महिलाओं के पास सहारा होना चाहिए।

मार्क्सवादी चिन्तन ने महिला अधिकरों से सन्दर्भित एंगेल्स की पुस्तक ''फैमिली, प्राईवेट प्रोपर्टी एण्ड ऑरिजन ऑफ स्टेट'' को लिया जा सकता है। इसमें उन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए प्रारम्भिक कबीलाई समाज से लेकर वर्तमान काल के परिवारों के उदय से सम्बंधित सम्पूर्ण इतिहास पर प्रकाश डाला। एंगेल्स इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवाह में पुरुष की श्रेष्ठता उसकी आर्थिक श्रेष्ठता का सीधा परिणाम है। आर्थिक श्रेष्ठता समाप्त हो जाने पर वैवाहिक जीवन में पुरुष की श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। 1884 में लिखित इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं के रोजगार को ही एक प्रगतिशील स्थिति बताया। पति पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता का यह अर्थ है कि ''परिवार के दायरे में पति बुर्जुआ होता है तथा पत्नी सर्वहारा।'' नारी-मुक्ति की पहली शर्त यह है कि सभी नारियों को सार्वजनिक उद्यम में ले आना होगा।'' इस तरह वे साध्य व साधनों के आधार पर पारिवारिक संरचना का पुर्ननिर्माण करना चाहते थे।''[5]

नारी अधिकारों की दिशा में सीमोन द बाउवा विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम है। जिन्होनें अपनी पुस्तक ''दि सैकण्ड सेक्स'' में उल्लेखित किया है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनायी जाती है।'' सीमोन ने इस आधुनिक नारी अधिकारवादी विचारधारा की आधारशिला रखी। जिसमें नारी मुक्ति की अनिवार्य शर्त के रूप में नारी को अपने नारीपन से मुक्त होना बताया गया। मातृत्व एक नारी के लिये सुखदायी भी हो सकता है, इस बात को स्वीकार करने से साफ तौर पर इंकार किया तथा स्त्री के मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रजनन और दुग्धपान की तरह की प्रक्रियाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। इन सबको, स्त्रीकाया द्वारा स्त्रियों के लिये तैयार किए गए जंजाल की तरह बताया। हाँलाकि वे इस बात से सहमत नहीं थी कि ''स्त्री की योनि उसे हमेशा घुटनों के बल रहने पर मजबूर करती है।'' लेकिन यह जरूर मानती थी कि, अपनी शारीरिक सीमाओं से उबर कर ही औरत एक पूर्ण मनुष्य बन सकती है। इससे एक तर्क यह पैदा होता है कि स्त्री अपने अस्तित्व को गंवाकर ही मनुष्यता हासिल कर सकेगी बाद के दिनों में सीमोन ने अपने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया था कि यह अच्छी बात है कि अब महिलाएं अपनी काया को लेकर किसी प्रकार की शर्मिन्दगी महसूस नहीं करती। लेकिन फिर भी उसने स्त्री काया में किसी भी प्रकार की विशेषता को स्वीकारने से साफ इन्कार किया है।[6]

60 के दशक में एक विस्फोट की तरह पश्चिमी दुनिया में जिस नारी अधिकारवाद ने जन्म लिया उसकी एक महत्वपूर्ण कृति के

रूप में बेट्टी फ्रिडेन की पुस्तक ''दी फेमिनाइन मिस्टीक'' को लिया जा सकता है। 1963 में प्रकाशित इस पुस्तक में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अमरीकी समाज में महिला स्थिति पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया। इंग्लैण्ड की लेखिका सुशान बैसनेट ने अपनी पुस्तक ''फेमिनिस्ट एक्सपीरियेंसेज'' में इस पुस्तक के प्रकरणों को उद्धृत करते हुए अमरीकी महिलाओं में व्याप्त असंतोष का चित्र खींचा।[7]

महिला अधिकार व संरक्षण के विचार ने एक लम्बी यात्रा तय करने के पश्चात अपने आपको स्थापित किया। महिला की मानव के रूप में पहचान से लेकर प्रारम्भ हुए इस संघर्ष में क्रिश्चयन डे विजन और मेरी वोल्सटन क्राफ्ट से लेकर सीमोन द बाउवा, बेट्टी फ्रिडेन इत्यादि का योगदान अविस्मरणीय रहा है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा अपने संविधान और विधिक कानूनों के माध्यम से विभिन्न महिला अधिकारों को स्वीकृत किया गया है जिससे महिला स्थिति सुधार की ओर अग्रसर है। भारत में भी इन्ही प्रेरणाओं के साथ महिला अधिकारों को अपने संविधान में स्थान दिया गया तथा इनके साथ विभिन्न कानूनों द्वारा उनकी पुष्टि की गई है। ''सभ्य समाज की किसी भी परिकल्पना में मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय एवं समता के आदर्श पथिक आस्थाओं, परम्पराजन्य विश्वासों तथा अहम्वादी उद्घोषों से निश्चय ही वरीय है। महिला विधिक संरक्षण के अधिकारों का प्रश्न उक्त आदर्शो का पारदर्शी मापदण्ड है।[8]

भारत में महिलाओं को अधिकार एवं सरंक्षण के लिए भारतीय संविधान एवं विधिक व्यवस्था में अनेकों प्रावधान किये गये हैं। भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्रदान किये गये सभी विधिक अधिकार जो महिलाओं को प्रदान किय गये, वे अधिकार महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना के तहत् भारत के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना संविधान में नागरिकों को प्रदान किये गये हैं, वे सभी महिलाओं को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। इनमें विशेषतया अनुच्छेद 15 की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकगी। स्त्रियों और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है; जिसके कारण उन्हें विशेष अधिकार की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 19 में छ: स्वतन्त्रताएँ सभी नागरिकों को प्रदान की गयी है। इनमें महिला भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 स्त्रियों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 भारत के सभी नागरिकों के जीवन एवं दैहिक स्वतन्त्रता को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किये गये हैं; जो स्त्री पर भी उसी रूप में लागू होते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदान किय गये है। इन सभी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में उनके संरक्षण के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है।

मौलिक अधिकारों द्वारा प्राप्त उपयुक्त अधिकारों को अतिरिक्त भारतीय संविधान के अन्तर्गत कुछ अन्य उपबन्ध भी किये गये हैं, जिनसे स्त्री अधिकार सम्पन्न होता है। सविधान के भाग चतुर्थ में वर्णित राज्य नीति निदेशक तत्वों में महिला अधिकारों की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। इनमें अनुच्छेद 38, 39, 42 और 44 को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। इसमें 39 विशेष रूप से उल्लेखनीय है इसके अन्तर्गत राज्य अपनी नीति विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान न्याय एवं निशुल्क विधिक अधिकार का भी उपबन्ध करता है। इस तरह राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय महिला को सामाजिक आर्थिक और कानूनी रूप से अधिकार सम्पन्न करने की बात कहते है। संविधान के अन्य उपबन्धों में अनुच्छेद 51 (क),243 घ (1),(2),(3),(4) एवं 243 (न) को महिला अधिकार के संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है।[9]

विभिन्न संहिताओं के तहत् मुख्य रूप में भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को लिया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता ने महिलाओं के अधिकार हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है। 1860 में निर्मित भारतीय दण्ड संहिता ने स्वतन्त्रता पूर्व ही स्त्री को अनेक अधिकार प्रदान किये गये थे। इसकी धारा 10 स्त्री एवं पुरुष दोनों को मानव घोषित करती है। धारा 96 सभी नागरिकों को अपनी निजी सुरक्षा का अधिकार सौंपती है।

धारा 100 इस अधिकार की वृद्धि करते हुए कहती है कि यदि बलात्संग, व्यपहरण या अपहरण के आशय से हमले के प्रतिरोध में हमलावर की जान चली जाये तो यह अपराध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की अनेक धाराएं महिला अधिकार की पुष्टि करती है।[10] इस तरह यह संहिता स्त्री पर होने वाले अत्याचार एवं हिंसा के विरूद्ध उसे संरक्षण प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत स्त्री के विरूद्ध किये गये अपराधों के दण्डों का निर्धारण

किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम से पूर्व घरेलू हिंसा के सभी मामले संहिता कि धारा 498 (क) के अन्तर्गत दर्ज किये जाते थे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी स्त्रियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गये है, जो उसे विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें धारा 47 (2) स्त्रियों के होने पर किसी अधिकारी के तलाशी हेतु प्रवेश वर्जित करती है। धारा 51 (2)स्त्री की तलाशी स्त्री द्वारा ही लिये जाने का उपबन्ध करती है। धारा 53 (2) के अन्तर्गत स्त्री की चिकित्सा परीक्षा किसी पंजीकृत स्त्री चिकित्सक द्वारा ही की जायेगी। धारा 98 स्त्री को विधि विरूद्ध निरोध के विपरीत उसे स्वतन्त्रता प्रदान करने की बात कहती है। धारा 125 पत्नी, सन्तान एवं माता-पिता को भरण-पोषण का विधिक अधिकार प्रदान करती है।[14]

महिलाओं के उत्पीड़न एवं अत्याचार से संरक्षण के लिए भारतीय संसद ने समय-समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किये गये अधिनियम विशिष्टताया महिला अधिकार को दृष्टिगत रखकर निर्मित किये गये हैं। ये कानून भारतीय संविधान एवं विभिन्न संहिताओं में स्त्रियों को प्राप्त संरक्षण की न केवल पुष्टि करते हैं अपितु उनको सशक्त रूप से लागू भी करते हैं। इन अधिनियमों में मुख्य रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994, सती कर्म (निवारण) अधिनियम, 1987 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम,2005, स्त्री का अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1896, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में महिला विधिक अधिकारों का वर्णन व्यापक रूप से किये जाने के साथ-साथ महिला पर किये गये अत्याचारों के लिए दण्ड का निर्धारण भी किया गया है।

उपबन्धों और अधिनियमों के क्रियान्वयन से महिला विधिक स्थिति अपेक्षाकृत सशक्त हुई है। यद्यपि कानूनों ने महिलाओं को अनेक प्रकार के उन्नायक, सुरक्षात्मक, भरण-पोषण आदि विकासात्मक निशुल्क शिक्षा कामकाजी महिलाओं के अधिकार एवं स्वस्थ वातावरण की सफल आदि व्यवस्थाएँ की है, किन्तु उनके सही परिप्रेक्ष्य में प्रभावी क्रियान्वयन के वांछित परिणाम व्यापक रूप से समाज में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इधर हमारे न्यायालयों विशेषतया उच्च एवं उच्चतम न्यायालय प्रभावी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। इस सम्बन्ध में न्यायपालिका द्वारा किए गए कुछ निर्णय इसके प्रमाण है। उदाहरणार्थ 1997 में विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसमें कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न को स्पष्ट कर इसे परिभाषित किया गया तथा इसे रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए। इससे कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है। इसी प्रकार अन्य वाद उदाहरण स्वरूप लिये जा सकते है- उपेन्द्र बख्शी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (1998), ऐपैरेल एक्सपोर्ट, प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चौपड़ा (1999) आदि। महिलाओं के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालायों का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक रहा है।

भारतीय महिलाओं के विधिक अधिकारों की प्रभावशीलता

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। विवाह, तलाक, काम, सम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जहाँ समानता के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो। भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 125 के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल कर सकती है। वास्तविकता में बहुत सी महिलाओं को तो केवल दो सौ रूपये या इससे भी कम मिल रहे हैं। दरअसल, जब पाँचवें दशक में यह राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन मूल्य सूचकांक से न जुड़ने के कारण महँगाई कहीं की कहीं पहुँच गई और अधिकतम गुजारा भत्ता वहीं रह गया।

यद्यपि अकेले कानून के द्वारा महिलाओं की दुनिया को नहीं बदला जा सकता। दहेज और घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून कड़े करने के बावजूद भी इनकी दर में कमी होने के अलावा बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यदि वे कानून न बनाते तो दहेज और हिंसा की घटनाओं में और भी बढ़ोत्तरी होती। आर्थिक मामलों में कानून खासतौर पर महिलाओं के हित में सार्थक भूमिका निभा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को वास्तविक समानता और स्वतन्त्रता तब तक हासिल नहीं हो सकती, जब तक वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाती। इसके लिए महिलाओं को कामकाजी होने के साथ-साथ सम्पत्ति में अधिकार दिया जाना जरूरी है।

भारतीय हिन्दू महिलाओं को सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार दे दिया गया है; लेकिन इसके पीछे कई किन्तु परन्तु लगे हुए है। महिलाओं के साथ स्वयं अर्जित सम्पत्ति और पुश्तैनी सम्पत्ति में अन्तर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत लड़कियों को माता-पिता की स्वयं अर्जित सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा मिल जाता है बशर्ते वे एक परिवार की सदस्य हो। लेकिन पुश्तैनी या संयुक्त परिवार की

सम्पत्ति में लड़कियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तीन पीढ़ियों के पश्चात् स्वयं अर्जित सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति में बदल जाती है।

कानून के कारण महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन न आने के अनेक कारण है। सर्वप्रथम सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था पितृसत्तात्मक समाज के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं दूसरा कानून की धाराएँ धारदार नहीं है। तीसरा अधिकांश महिलाओं को कानूनी जानकारी नहीं है जिस कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाती। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन महिलाओं को जानकारी है भी, उलझी हुई कानूनी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के कारण इसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। सरकार द्वारा बनाए गए कानून अधिकांश महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालते है। भारी-भरकम कानूनों के होते हुए महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। महिलाएँ कार्यस्थल में तो असुरक्षित है ही; घर पर भी हिंसा से पीड़ित होना पड़ता है।

अनेक धर्मों की महिलाओं के अधिकारों न केवल उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों में देकर महिलाओं के साथ एक और खिलवाड़ किया गया है। उदाहरणत: महिलाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार होती है, हिन्दू महिलाओं सम्बन्धित मामले हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् आते है और इसी प्रकार ईसाई महिलाओं को भी अपने अधिकार पाने के लिए ईसाईयों के पर्सनल लॉ का पिछलग्गू बनना पडता है। व्यवहारत: ये कानून समुदाय की कट्टरपंथी ताकतों द्वारा निर्धारित निर्देशित होते हैं।

निष्कर्ष

भारत में महिला विधिक अधिकारों की स्थिति सशक्त एवं महिलाओं के स्तर को उपर उठाने के लिये सरकार निरन्तर प्रयासरत है। स्वतंत्रता से वर्तमान तक महिलाओं की उन्नति के लिये और समुचित न्याय दिलाने हेतु सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा निरन्तर विधिक अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किये जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि महिला वर्ग उन सब प्रयासों से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। इसके पीछे महिलाओं की अज्ञानता एवं रूढिवादिता आदि। इन्हीं कारणों से महिलाएं सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों को पूर्णत: नहीं जान पाती है और यदि आस-पास से कुछ जानकारी ग्रहण कर भी लेती है तो परिवार एवं समाज के कट्टरपंथी सोच के कारण महिलाएं आगे अग्रसर नहीं हो रही है। उसमें कोई संशय नहीं है कि वह लाभान्वित भी होती है, लेकिन आगे आने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही है। इसलिये समाज के जाग्रत वर्ग का यह दायित्व है कि वह महिलाओं के इस वर्ग को उनके अधिकरों के प्रति जाग्रत एवं सशक्त बनाये। तथापि उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान द्वारा प्रदत्त विधियों द्वारा भी महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन उपयुक्त अधिनियमों के क्रियान्वयन से महिलाओं की वैधानिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हुई है। यद्यपि कानून ने महिलाओं को अनेक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाए दी हैं, किन्तु उन कानूनों का सही परिप्रेक्ष्य में प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम नगण्य है वस्तुत: भारतीय संविधान में कानून के शासन की बुनियादी प्रतिबद्धता महिला और पुरुष समानता में अन्तर्निहित है जो महिलाओं के अधिकार पूर्ण सशक्तिकरण में कितने सफल हो पायेंगे, इसका जबाव भविष्य के गर्भ में है।

सन्दर्भ सूची

1. आर्य, साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीति जिनी, नारीवादी राजनीति संघर्ष व मुद्दे, दिल्ली, 2001, पृ. 20
2. नगेन्द्र शिलजा, विमिन्स राइट्स, ए.डी.बी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. 2
3. क्राफ्ट मेरी वोल्सटन, ए विन्डीकेशन ऑफ दी राइट्स ऑफ विमिन, (मीनाक्षी द्वारा वोल्सटन की पुस्तक का हिन्दी अनुवाद : स्त्री अधिकरों का औचित्य साधन), राजकमल, दिल्ली, 2003, पृ. 41
4. माहेश्वरी, सरला, नारी प्रश्न, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1998, पृ. 15
5. सीमन, उथरा, पेट्रीआर्की : थ्योरिटिकल पॉश्चूलेट्स एण्ड एम्पीरीकल फाइडिंग्स, सोश्योलोजिकल बुलेटिन, जर्नल आफ दी इण्डियन सोश्योलोजिकल सोसायटी, वोल. 58, नं. 29, मई-अगस्त 2009, पृ. 254-255
6. ए. स्वार्जर, सीमाने द ब्रूवो : टूडे कर्न्वसेसन्स, 1972-1982, माहेश्वरी सरला, नोट-34, पृ. 34-35
7. डोनोविन, जोसेफिन, फेमिन्स्टि थ्योरी कोन्टीन्यूअम, न्यूयार्क, लन्दन, 2000, पृ. 158-159
8. कौशिक, आशा, एक समान नागरिक संहिता एवं महिला अधिकार, जैन प्रतिभा एवं शर्मा संगीता, भारतीय स्त्री सांस्कृतिक सन्दर्भ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली, 1998, पृ. 204
9. महावर, सुनील, राज्य एवं महिला मानवाधिकार, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ. 237-238
10. भारतीय दण्ड संहिता के तहत् महिला संरक्षण को पुष्ट करने वाली

योजना आयोग का पुनर्गठन : केन्द्र-राज्य बने 'टीम इंडिया'

रघुवीर सिंह मौर्य

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

किसी भी कार्य या क्षेत्र में सफलता के लिए नियोजन की महत्ती भूमिका होती है। सही नियोजन के अभाव में किसी भी कार्य या क्षेत्र में सफलता संदिग्ध रहती है। इसीलिए स्वतंत्रता के तुरन्त बाद देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए तथा संसाधनों के सर्वोत्तम और अधिकतम उपयोग के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था तथा इस हेतु ही 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया कि योजना आयोग की वर्तमान परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में कोई सार्थक भूमिका और उपादेयता नहीं रह गई है तथा इससे भारत की परिसंघीय व्यवस्था को क्षति पहुँच रही है। समय-समय पर गठित आयोगों ने भी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी योजना आयोग को परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में पुनर्गठित किये जाने पर जोर दिया था। इन सबके मद्देनजर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। इस संस्था को इस प्रकार गठित किया गया है कि यह बदली हुई जरूरतों के हिसाब से सरकार के दिशात्मक और नीतिनिर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी साथ ही इसके माध्यम से केन्द्र -राज्य 'टीम इण्डिया' बनकर कार्य कर सकेंगे।

संकेताक्षर : *आर्थिक नियोजन, उदारीकरण, परिसंघ, थिंक टैंक*

योजना आयोग का गठन आज से 65 वर्ष पहले 15 मार्च 1950 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव द्वारा तब किया गया था, जब भारत को आजाद हुए मात्र तीन वर्ष ही हुए थे। देश में गरीबी और भुखमरी थी। संसाधनों की कमी नहीं थी लेकिन उनके अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग से देश को विकास की राह पर ले जाने का कोई स्पष्ट रास्ता देश के सामने नहीं था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु द्वारा यह कल्पना की गई कि एक योजना आयोग हो जो देश उसके तमाम राज्यों के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं बनाए। इन योजनाओं के माध्यम से वही यह तय करे कि किस वर्ष में कौनसा राज्य किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दे और किस मद में कितना खर्च किया जाए।[1] इस प्रकार योजना आयोग के निम्न कार्य निर्धारित किये गये-

- देश के संसाधनों का आकलन करना तथा इनके प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना।
- प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना।
- योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना।
- योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना।
- देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना।
- आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना। योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना।[2]

योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। आयोग में एक नामजद उपाध्यक्ष भी होता था, जिसकी रैंक केबिनेट मंत्री के बराबर होती थी। कुछ महत्वपूर्ण विभागों के केबिनेट मंत्री आयोग के अस्थायी सदस्य होते थे, जबकि स्थायी सदस्यों में अर्थशास्त्र,उद्योग, विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते थे। आयोग अपने विभिन्न प्रभागों के माध्यम से कार्य करता था। आयोग के विशेषज्ञों में अधिकतर अर्थशास्त्री होते थे।[3]

15 मार्च 1950 के केबिनेट नोट में यह पूर्णत: स्पष्ट कर दिया गया था कि आयोग मूलत: एक परामर्शदात्री संस्था है और इसका कार्य आर्थिक नियोजन के मामलों पर शासन को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना है। किन्तु व्यवहार में आयोग ने संविधान और शासन दोनों को ही विशेष रुप से प्रभावित किया। इसने अपने कार्यो का विस्तार करते हुए सिर्फ रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्धारक बन गया राज्य सरकारें वित्तीय सहायता और आर्थिक परामर्श के लिए आयोग पर अधिकांशत: निर्भर हो गईं।अशोक चंदा ने तो आयोग की व्यापक भूमिका के कारण इसे देश का 'आर्थिक मंत्रिमण्डल' कहा है।[4]

प्रासंगिकता खो चुका था योजना आयोग

यह सही है कि आजादी के 67 साल बाद भी यदि देश में गरीबी, भुखमरी और बेकारी है, रहने को घर-मकान नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल और इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, देश की बढ़ती आबादी के पास पीने को पानी, चलने को सड़क नहीं है तब राजनीतिक नेतृत्व के साथ योजना आयोग भी कम दोषी नहीं है। प्रश्न स्वाभाविक और सरल है कि आखिर उसने क्या योजना बनाई? इन सालों में योजना आयोग ने क्या और कितना काम किया, क्या उसने जो दिशा और प्राथमिकताएं तय की वे सही थी? अब बदले जमाने में उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसका गठन सिर्फ केबिनेट नोट के माध्यम से किया गया था। देश के विकास और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण रही संस्था को कभी संसद से कानून के माध्यम से संस्तुति दिलाने की जरुरत नहीं समझी गई। यह आज तक संविधान से ऊपर निकाय के रुप में कार्य करती आ रही थी। आज जबकि केन्द्रीय आयोजना का पूरा समाजवादी माइंडसेट ही बदल चुका है तब हमें इस संस्था की जरुरत वैसे भी नहीं रह गयी थी। खुद सोवियत संघ ने अब इस तरह की अयोजना पद्धति को छोड़ दिया है। 1991 से पूर्व योजना आयोग लक्ष्य निर्धारण और लाइसेंस निर्धारण का कार्य करता था, जैसे देश को वर्ष विशेष में कितना कोयला, लोहा और बिजली चाहिए तथा उसे कितने स्कूटर और कारें बनानी चाहिए। इसी हिसाब से देश में उत्पादन के लाइसेंस दिये जाते थे। लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद यह सब निर्धारण तो खत्म हो गया था। अब तो ये अपना क्यूरोक्रेटिक अस्तित्व बनाये रखने की कोशिश में कुछ दूसरे काम अपने हाथ में ले लेता था।(जैसे- निगरानी, मूल्यांकन, सर्वशिक्षा अभियान का मूल्यांकन आदि) जिससे किसी तरह जिन्दा बना रहे।

विशेषकर 2013 में 'इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफिस' के गठन के बाद तो उसके अस्तित्व का कोई कारण ही नहीं रहा था। यह सही है कि योजना आयोग कुछ और काम भी करता था, लेकिन वे काम भी या तो दूसरी संस्थाएं कर सकती थी या फिर वे करना शुरु कर चुकी थी। जैसे राज्यों के बीच अनुदान वितरण तथा करों से प्राप्त आय का केन्द्र-राज्यों में विभाजन आदि और योजना परामर्श की भूमिका, यह कार्य वित मंत्रालय और वित-आयोग कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर विभाग अपनी जरुरत के अनुसार एक परामर्श समिति का का गठन कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह के लिए पहले से ही एक सलाहकार परिषद रहती ही है। वैसे भी उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में कोई संस्था इतनी ताकतवर नहीं होनी चाहिए कि वह सभी को निर्देश दे।[5]

इसके अलावा वित आयोग और योजना आयोग द्वारा वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकांश राज्य संतुष्ट नहीं थे। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केन्द्रीय कोष में जाता था और अपने लोककल्याण एवं जनविकास सम्बंधी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों की आय के स्त्रोत अत्यन्त अल्प रखे गये थे। इसके परिणामस्वरुप राज्यों की योजनाओं की सफलता बहुत कुछ केन्द्रीय अनुदान पर ही निर्भर हो जाती थी। 1967 के बाद राज्यों की यह शिकायत रही कि केन्द्र की सरकारें है या मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध है। योजना आयोग के माध्यम से केन्द्र राज्यों पर न केवल नियंत्रण रखता था बल्कि भेदभाव भी बरतता रहा था, जिससे भारत की संघीय व्यवस्था और केन्द्र-राज्य संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।[6] कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के अनुसार-''राज्य अपनी योजना का आकार तय नहीं करते। उन्हें विवेकाधीन अनुदान के लिए आयोग से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इससे देर भी होती है और तनाव भी बढ़ता है।''[7]

योजना आयोग जैसे एक किसी थिंक टैंक संस्था की हमें जरूरत तो है पर वर्तमान योजना आयोग जैसी संरचना समाजवादी देशों में ही कारगर हो सकती है। मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में यह प्रणाली सफलता से काम नहीं कर सकती। साथ ही योजना आयोग को लोग सोवियत जमाने के लाइसेंस राज और उत्पादन लक्ष्य प्रणाली से जोड़ते हैं।

योजना आयोग की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह योजनाओं और क्रियान्वयन के बीच सेतु नहीं बन सका। यह बजट बनाना लक्ष्य निर्धारण और योजनाएं बनाने का काम तो करता था' पर उनके क्रियान्वयन की कोई खास चिंता उसमें नहीं होती थी। जब

अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो एक मीटिंग में योजना आयोग ने उन्हें बताया कि अगर हम ये 9 कदम उठाएं तो हम 9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर सकते हैं। इस पर वाजपेयी ने कहा था कि ये नौ कदम तो हम भी जानते हैं पर ये बताइये कि ये नौ कदम कैसे उठाये जाएं। सदस्यों की राय भी माँगी थी। यह महसूस किया जा रहा था कि पिछले कुछ सालों में दुनिया बदल गई है। साथ ही आर्थिक सुधारों के बाद हमारे देश में भी बहुत बदलाव आ गया है। हमारी सोच बदली है निजी क्षेत्र का आकार और क्षमताएं अपेक्षाकृत काफी बढ. गई है। इसको देखते हुए योजना आयोग को बदलने की जरूरत तो लम्बे समय से महसूस की जा रही थी, पर इसकी भूमिका में जिस किस्म के बदलाव होने चाहिए थे, वह काफी व्यापक और आमूलचूल थे। इसलिए यथास्थितिवादी ताकतों के आगे उनको क्रियान्वित किया जाना संभव नहीं हो सका। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी।[8]

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसमें दो तरह के बदलाव देखना चाहते थे। एक तो वे योजना आयोग को 'सिस्टम रिफॉर्म कमीशन' का स्वरूप देना चाहते थे। दूसरा वे चाहते थे कि योजना आयोग हजार पेज की रिपोर्ट बनाने के बजाय प्रेरक विमर्श का एक स्त्रोत बनकर उभरे। पर योजना आयोग के ढांचागत स्वरूप को बदले बिना यह नहीं किया जा सकता था और योजना आयोग अपनी प्रासंगिकता खोया गया। योजना आयोग की रिपोर्ट कोई पढ़ता नहीं था। जो भी योजनाओं के भागीदार और हिस्सेदार थे, चाहे वे राज्य हों या फिर निजी सेक्टर हों, उनमें योजना आयोग किसी व्यापक विमर्श और सवांद की प्रकिया में शामिल नहीं होता था। विचार -विमर्श के नाम पर समयबद्ध औपचारिकताएं होती थीं। जिसमें अन्य सभी हिस्सेदारों का काम सिर्फ योजना आयोग का पक्ष सुनना भर था।[9] के. सन्थानम् के शब्दों में -''इस समूची नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित सम्बन्धी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्तता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया गया।''

योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरूण मैरा का कहना है कि कई बार मेरी सांसदों से चर्चा होती थी, तो वे सभी यही शिकायत करते थे कि आपकी रिपोर्ट और बातें हमारी समझ में तो आती नहीं हैं। आप इस भाषा में अपनी बात कहें जो हमें समझ में आ सके तो हम आयोग क्रियान्वयन में कुछ सहायता कर सकते हैं। अथवा आप योजनाएं बनाते समय हमारी बात सुनिये और फिर योजनाएं बनाइये। सिर्फ सांसदों की ही बात नहीं है। योजनाएं सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं होती हैं अन्ततःयोजनाओं का फायदा तो उद्योग, शिक्षा, कारोबार, कृषि आदि सभी क्षेत्रों के लोगों को होना है, इसलिए इनकी अपेक्षाओं,समस्याओं को भी योजनाएं बनाते समय शामिल किया ही जाना चाहिए। राज्यों के ऊपर योजनाओं को क्रियान्वयन का जिम्मा होता है, पर उनमें भी योजनाएं बनाते समय उचित मशविरा नहीं किया जाता था। कोई मशविरा होता भी था वो उनकी संरचना इस तरह की होती थी कि कभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक सम्मेलन के लिए बुला लिया जाता और फिर योजना आयोग विस्तार से अपनी बात रखता था। जब मुख्यमंत्रियों के बोलने की बारी आती तो उनको बोलने के लिए 7 मिनट या 10 मिनट दे दिये जाते थे। इस तरह से योजना बनाने की पूरी संरचना ही'टॉप टू बॉटम'बनी हुई थी। यह संरचना समाजवादी राज्यों में तो चल सकती थी, जहां कि पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार होती है और राज्यों के कार्यकारी प्रधान अर्थात गवर्नर केन्द्र से नियुक्त किये जाते हैं। पर भारत जैसे लोकतांत्रिक और मुक्त बाजार वाले देश में योजना बनाने की यह पद्धति कारगर नहीं हो सकती। यहां तो सभी को राज्यों को, उद्योगों को, सिविल सोसायटी के शिक्षा, पर्यावरण, कृषि महिलाओं आदि से जुड़े विभिन्न थिंक टैंक संगठनों को योजना बनाने में शामिल करना होगा। सिर्फ बजट बनाना और लक्ष्य तय कर देने से योजनाएं नहीं बन जाती हैं।

थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आया नीति आयोग

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिये भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि योजना आयोग अपनी प्रासंगिकता खो चुका है,नई संस्था की जरूरत है। तब से ही सरकार योजना आयोग के विकल्पों पर काम कर रही थी। मोदी ने 5 दिसम्बर 2014को लोकसभा में कहा था कि व्यापक विचार -विमर्श के बाद ही योजना आयोग को नई संस्था में बदला जायेगा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 7 दिसम्बर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास को धुरी बनाकर ही देश को आगे बढाया जा सकता है। योजना की प्रकिया को ऊपर नीचे (बॉटम टू टॉप) करने की जरूरत है। बैठक को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने भी कहा कि मोदी सरकार राज्यों को ताकतवर बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वे जानते हैं कि केन्द्र से पैसे मांगने में राज्यों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं। योजना आयोग के अव्यावहारिक कार्यो की वर्तमान में जरूरत नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई संस्था के गठन में राज्यों की सलाह को प्राथमिकता दी जायेगी।[10]

योजना आयोग पुनर्गठन मंथन बैठक में योजना आयोग की जगह नई संस्था के गठन की कवायद में सत्ता -पक्ष और विपक्ष की राजनीति मुखर हुई। कांग्रेस व गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मौजूदा योजना आयोग में ही बदलाव कर उसे और ताकतवर बनाने की वकालत की। त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नई संस्था के गठन का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने नई संस्था के गठन का विरोध करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मौजूदा योजना आयोग को समाप्त करना राज्यों के हित में नहीं है, इससे सामंतशाही को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आयोग को समाप्त करने को अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा किये बिना ही इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी। आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन इसे खत्म करना गैर -जरूरी था। इससे दीर्घकालिक तौर पर केन्द्र और राज्यों के संबंध प्रभावित होंगे।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी घोषणाओं में से एक पर अमल करते हुए योजना आयोग को भंग कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन को मंत्रिमण्डल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। नीति को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का नाम दिया गया।

15 मार्च 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसके स्थान पर नया प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के मूल पाठ में कहा गया है कि महात्मा गाँधी ने कहा था कि -'' सतत् विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति हमेशा हठधर्मिता को बनाए रखने की कोशिश करता है, स्वयं को भटकाव की ओर ले जाता है। '' इस भावना को प्रदर्शित करते हुए एक नये भारत में बदले माहौल में,शासन और नीति के संसाधनों को नई चुनौतियों को अपनाने की जरूरत है।[11]

बीते वर्षों के साथ सरकार का संस्थागत ढांचा विकसित और परिपक्व हुआ है। इससे कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हुई है, जिसने संस्थाओं को सौपे गये कार्यों की विशिष्टता बढाई है। नियोजन की प्रकिया के संदर्भ में शासन की 'प्रकिया'को शासन की 'कार्यनीति 'से अलग करने के साथ ही साथ उसे ऊर्जावान बनाने की जरूरत है। शासन संरचना के संदर्भ में हमारे देश की जरूरत बदली हुई है, ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता है जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारण थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। प्रस्तावित संस्थान प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर प्रकियाओं के प्रकार, नए नीतिगत विचारों को अपनाने और विषय आधारित विशिष्ट सहायता शामिल है। यह संस्थान लगाातर बदल रहे एकीकृत विश्व के अनुरूप कार्य करने में साकार होगा, भारत जिसका एक भाग है।

नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य और ढांचा[12]

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे सतत् नई ऊंचाइया प्रदान करना।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना,जो अब तक आर्थिक लाभ से वंचित रहे हैं।
- दीर्घावधि के लिए रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना व उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना।

नवगठित नीति आयोग का ढांचा इस प्रकार होगा

- अध्यक्ष - प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष - प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- गवर्निंग काउंसिल - राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल
- क्षेत्रीय परिषद् - विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों, जिसका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षैत्रिय परिषद् गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षैत्रीय परिषदों की बैठक होगी। संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जायेंगे।
- पूर्वकालिक सदस्य -प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- अंशकालिक सदस्य -अधिकतम् दो, जो प्रधानमंत्री द्वारा अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों में से नामित किये जायेंगे।

- पदेन सदस्य -केन्द्रीय मंत्रीमण्डल से अधिकतम् चार सदस्य, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जायेंगे।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी -भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- सचिवालय -आावश्यकतानुसार।

योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इसमें केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एकपक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। योजना आयोग की तरह नीति आयोग में विशेषज्ञों द्वारा आंकड़े जुटाकर योजनाएं बनाएंगे जिन्हें लागू करना है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था -'' एक विचार लें। उस विचार को अपना जीवन बनाएं। उसी के बारे में सोचें, उसका सपना देखें और उसी विचार को जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशी, स्नायुतंत्र, अपने शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से ओतप्रोत कर दें और दूसरे विचारों को अलग रख दे। यही सफलता की राह है।'' सहकारी संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने, अवसरों तथा समाजवादी पहुंच, प्रतिभागी एवं अनुकूलनीय शासन और विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के जरिये नीति आयोग शासन प्रकिया को महत्वपूर्ण दिशा -निर्देश और कार्यनीतिक योगदान देगा। हम अगले कुछ दशकों के दौरान विशाल आबादी का सार्थक रूप से लाभ उठायें, गरीबी -उन्मूलन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कार्य करेंगे, समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए अवसर जुटाने, राष्ट्रीय उद्देश्यों और देश की आकांक्षाओं -जरूरतों को पुरा करने की महत्ती जिम्मेदारी नीति आयोग निभा पायेगा। देखना यह है कि नीति आयोग के माध्यम से मोदी सरकार भारत में कितने और कैसे परिवर्तन लाती है।

निष्कर्ष

सार रूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्षों पुरानी संस्था योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसे नीति आयोग का जो स्वरूप प्रदान किया है, वह वर्तमान बदलते हुए आर्थिक परिवेश में विशेषकर उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के माहौल में उठाया गया एक सही कदम है। क्योंकि इसकी जरूरत काफी लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। नीति आयोग की स्थापना के पश्चात् निश्चित रूप से देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा केन्द्र राज्यों में सहकार की भावना का विकास हो सकेगा और वे 21 वीं सदी में 'टीम-इंडिया' बनकर देश को विश्व में एक खास दर्जा दिलाने की दिशा में मिल-जुलकर कार्य कर सकेंगे।

संदर्भ सूची

1. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.पत्रिका .कॉम
2. पुरी, एस, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आदर्श प्रकाशन, जयपुर, 1997, पृ. 198
3. बसु, डॉ. दुर्गादास, भारत का सविधान एवं परिचय, लेक्सिस-नेक्सिस, 2013, पृ. 389
4. जैन, डॉ. पुखराज, भारतीय राजव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2012, पृ. 112
5. शाह, पार्थ जे., लेख राजस्थान पत्रिका, 3 जनवरी 2015, पृ. 4
6. जैन, डॉ.पुखराज, पूर्वोक्त, पृ. 51
7. चड्डा, पी.के., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि. जयपुर, 2005, पृ. 79
8. दास, गुरुचरण, लेख-राजस्थान पत्रिका, 2 जनवरी 2015, पृ. 2
9. मैरा, अरूण, लेख-राजस्थान पत्रिका, स्पॉटलाइट, 2 जनवरी 2015, पृ. 2
10. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.दैनिकभास्कर.कॉम
11. प्रेस नोट, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1 जनवरी 2015
12. राजस्थान पत्रिका, सेंडे स्पॉटलाइट, 2 जनवरी 2015, पृ. 2